िया है । इसी कारण उनम जातिगत सर्वोच्चता का अहंकार जागा और यही अहंकार उन्हें काफी महंगा पडा और 1945 मे उन्हे भारी पराजय का सामना करना पडा।

जमनी क इतिहास म दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना तृतीय शताब्दी के मध्य घटी। इस समय जमनी के विविध कबीलो ने जिनमे गोथ बन्डाल बर्गेण्डियन लाम्बार्ड विसीगोथ-प्रमुख हैं महान् प्रयाण या प्रस्थान (Voelker wanderungen) आरम्भ किया। अपने मूल प्रदेश स व मुख्यतया दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। कुछ लोगो ने पूव की ओर भी प्रस्थान किया। जमन कबीलो का यह महा प्रस्थान रोमन साम्राज्य को महगा पडा और ये कबील रोमन साम्राज्य के सीमान्तो का दरवाजा खटखटाने लग। इन्ही वर्षों म जमन कबीलो के नेताओ ने वीरता और साहस के व काय किए जिसस जमन महाकाव्यो का जन्म हुआ। इन महाकाव्यो म वियोवल्फ (Beowulf) तथा फाल्सु ग सागा (Volusungsaga) तथा फाल आफ दी नीवलुगन (Fall of the Nieblungen) नामक महाकाव्य प्रमुख हैं।

500 ईस्वी सन् के आने आते रोमन साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बबर लोगो (बबर लोग व लोग माने जाते थ जो गैर-रोमन थे) के आक्रमण स जजरित हो गया और उसके ध्वसावशेषो पर नय राज्यो का उदय हुआ। इन राज्यो म फ्रैंकिश साम्राज्य प्रमुख था। फ्रैंकिश के अन्तगत जमन लोगो के दो वश-मेरोविंजियन वश तथा करोलिंगियन वश-ख्यात हैं। इन दो वशो ने 481 ईस्वी स लेकर 987 ईस्वी तक राज्य किया। 481 म क्लोविस I फ्रैंक लोगो का राजा बना। 500 ई म इसने ईसाई धम स्वीकार किया परिणामत पश्चिमी क्षेत्र के इसके अनुयायियों ने भी ईसाई धम स्वीकार कर लिया। लेकिन पूव की जनता ने काफी देर बाद लगभग सातवी व आठवी शताब्दी म ईसाई धम को अपनाया वह भी काफी जोर जबरदस्ती के बाद। क्लोविस 1 के शासन के 100 वष बाद मेरोविंजियन वश का पतन आरम्भ हुआ और सौ वष बाद उसका स्थान छोटे छोटे सामन्तो व राजाओ ने लिया। आठवी शताब्दी के मध्य म करोलिंगियन वश का शासक पेपिन (Pepin the Short) गद्दी पर बैठा। इसने 741 स 768 ईस्वी तक शासन किया। इस समय इटली म स्टीफन II (752 757) पोप के पद पर विद्यमान था। इसने नवीन शासक का भारी समथन किया क्योंकि स्वय पोप को उस शासक से मदद की आवश्यकता थी।

पेपिन का ज्येष्ठ पुत्र चाल्स महान् (फ्रांसिसी भाषा म इसे शार्लमन तथा जमन भाषा म काल डर ग्रास कहा जाता है) तीन वष अपने भाई के साथ सयुक्त रूप स राज्य करता रहा और 771 म इसन सम्पूर्ण सत्ता पर अधिकार जमा लिया तथा 814 तक (अपनी मृत्यु पयत) शासन करता रहा। इसका साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत था और मध्य काल तक यूरोप के किसी भी एक शासक ने इतना विस्तृत क्षेत्र

पश्चिमी जर्मनी की राजनीति एवं प्रशासन

लेखक
डा० देवनारायण आसोपा



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर

महत्व है । जहाँ राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी में सम्राट व क्षेत्राधिपतियों में भारी संघर्ष चल रहा था वहाँ साधारण जनता पादरियों के विलासितामय जीवन भ्रष्टाचार व पाखण्ड से तंग आ चुकी थी । उन्हें एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो पादरियों के अत्याचार व आतंक से उन्हें मुक्ति दिला सके । मार्टिन लूथर मुक्तिदाता के रूप में सामने आया । लूथर का जन्म 1483 में आइजलेबेन नामक नगर में हुआ । उसका पिता कोयला खाना का मालिक था और एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण लूथर को उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं मिली। 1501 में उसने एरफुर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । चार वर्ष बाद और 22 वर्ष की उम्र में उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की । उसी वर्ष उसके जीवन में एक महान परिवर्तन आया । कई वर्षों से वह धार्मिक प्रश्नों पर विचार कर रहा था । इसी बीच उसके एक मित्र की मृत्यु हो गई और वह भाव विह्वल हो उठा ।

1505 में उसने एरफुर्ट के ईसाई मठ में प्रवेश किया तथा दो वर्षों बाद वह पादरी बना । लेकिन इसके बावजूद उसे आत्मिक शान्ति नहीं मिली । 1508 में वह विटनबर्ग नगर में दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर बना । इस छोटे से नगर में वह अत्यधिक लोकप्रिय प्राध्यापक व उपदेशक बन बैठा । 1510 में लूथर को रोम भेजा गया । वहाँ उसने निकट से पोप व उसके पादरीवर्ग को देखा तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखण्ड के कारण उसकी आत्मा विद्रोह कर उठी । पोप द्वारा जनता में वितरित क्षमा-पत्र (पापों के लिए) को उसने कभी पसन्द नहीं किया । रोम से लौटने पर उसका यह विचार और भी दृढ़ हो गया कि व्यक्ति ईश्वर की अनुकम्पा से मुक्ति प्राप्त करता है न कि उसके भूमि पर उपस्थित प्रतिनिधि की कृपा से । यहाँ तक कि पोप के क्षमा-पत्र से भी नहीं । क्षमा पत्र वितरण का यह आधार था कि ईसा ने इतना पुण्य संचित किया था कि वह उसके अनुयायियों के काम आ सके । वह पुण्य चर्च के पास सुरक्षित है और पादरी व पोप क्षमा-पत्र के रूप में वह पुण्य सामान्य ईसाई लोगों को दे सकते हैं । 1516 में जर्मनी में नये क्षमा-पत्र वितरण के लिए आये । तत्कालीन पोप लियो दशम को रोम स्थित सेन्ट पीटर के चर्च के पुनर्निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी । उसके लिए धन उपार्जन के लिए क्षमा-पत्र भेजे गये ।

जर्मनी में पोप का प्रतिनिधि टेटजल क्षमा पत्र बेच रहा था । लेकिन मार्टिन लूथर को यह पाखण्ड सहन नहीं हुआ और उसने उसका घोर विरोध किया । 1517 में विटनबर्ग के प्रमुख गिरजाघर के बाहर लूथर द्वारा प्रतिपादित 95 सिद्धान्त चिपका दिये गये । अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए उसने कई उद्धरणों का लेटिन भाषा से जर्मन भाषा में अनूदित किया था । शीघ्र ही ये तर्क जनता के मन में घर कर गये ।

शिक्षित मानवतावादी वर्ग का समर्थन तथा साधारण जनता के एक वर्ग ने विटनबर्ग में इस पादरी लूथर का पक्ष लिया । क्योंकि पादरियों ने लूथर के इस

शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ निर्माण योजना के अन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित



प्रथम संस्करण 1978

Pashchimi Germany Ki Rajneeti Avem Prasashana

भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराए गए कागज पर मुद्रित।

मूल्य 15.00

प्रकाशक
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
ए–26/2 विद्यालय मार्ग, तिलक नगर
जयपुर–302 004

मुद्रक
[illegible] प्रिन्टर्स, जयपुर

चाहता था। इस पर ब्राडनबर्ग व पैलेटीनेट के शासक ने संयुक्त रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लिया। इस पर जर्मन सम्राट रूडोल्फ द्वितीय ने शीघ्रता में कदम उठाया। प्रोटेस्टेंट लोग ने सवाय हॉलैण्ड व इंग्लैण्ड तथा फ्रांस से सहायता मांगी। सहायता मिल भी गई। इस पर जर्मन सम्राट ने वह क्षेत्र सक्सनी के ड्यूक को प्रदान किया। लेकिन शीघ्र ही ब्राडनबुर्ग तथा पलेटीनेट के शासकों ने पुनः उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।

जर्मन हाप्सबर्ग वंश के सम्राट तथा जर्मनी के प्रोटेस्टेंट ड्यूकों के मध्य संघर्ष ने शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप धारण कर लिया। युद्ध में लगभग सभी यूरोपीय देशों ने भाग लिया और यह 1618 से 1648 तक चला। बीच-बीच में कुछ समय शांति रही। युद्ध को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण में बोहेमिया ने जर्मन सम्राट के विरुद्ध संघर्ष किया दूसरे चरण में डेनमार्क ने तीसरे चरण में स्वीडन ने तथा चौथे चरण में फ्रांस ने। इंगलैंड ने कभी एक राज्य का साथ दिया तो कभी दूसरे का। स्वीडन हॉलैंड व इंगलैण्ड प्रोटेस्टेंट राज्य थे।

युद्ध के तीस वर्ष बाद दो संधियां हुई वे थी म्यूनस्टर की संधि तथा ओस्नाब्रुक की संधि। दोनों संधियां वेस्टफालिया की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के दूरगामी परिणाम हुए। धार्मिक विवाद मंद पड़ गए लेकिन जर्मन साम्राज्य को भारी क्षति पहुँची। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि तीस वर्षीय युद्ध में जर्मनी की आधी जनसंख्या समाप्त हो गई। कई इतिहासकार $\frac{1}{3}$ जनसंख्या की समाप्ति की बात कहते हैं। देश की अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और जर्मनी में जनतंत्र के सिद्धान्त को भारी धक्का लगा। सामंत तथा ड्यूक लोग पुनः शक्तिशाली बनने लगे। वेस्टफालिया की संधि के बाद जर्मनी 300 से अधिक राज्यों में बंट गया। इसके अलावा सम्राट के अन्तर्गत 1400 छोटी-छोटी क्षेत्रीय इकाईयां थी। कुछ राज्य तो इतने छोटे थे कि यह कहा जाता है कि उसका शासक जब भ्रमण जाता था तो थोड़ी दूर जाने पर उसे ध्यान रखना पड़ता था कि कहां वह अपने साम्राज्य को छोड़कर अन्य राज्य की सीमा में प्रवेश न कर गया हो।

ब्राडेनबुर्ग-प्रशा राज्य का उदय

17 वीं व 18 वीं शताब्दी में जर्मनी के इतिहास में एक नवीन शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ यह था ब्राडनबर्ग प्रशा का राज्य। 1618 से 1660 तक ये दो राज्य का उदय हुआ यह था ब्राडनबर्ग प्रशा का राज्य। 1660 में दोनों राज्य एक हो गए तथा प्रशा के नाम अलग अलग राज्य थे। 1660 में दोनों राज्य एक हो गए तथा प्रशा के नाम से जाने गए। इसी प्रशा ने आगे जाकर जर्मनी में आस्ट्रिया के सम्राट के नेतृत्व को चुनौती दी तथा जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा किया।

फ्रांसिसी क्रांति तथा नेपोलियन और जर्मन राज्य

1789 में पेरिस की जनता ने फ्रांसिसी क्रांति का सूत्रपात किया तथा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के नारे बुलन्द किए। जर्मन बुद्धिजीवियों ने इन

प्राक्कथन

हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस भाषा में विश्व के विविध देशों के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर **पश्चिमी जर्मनी की राजनीति एवं प्रशासन** नामक पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। अपने शोधकार्य के सिलसिले में लेखक को डेढ़ वर्ष पश्चिमी जर्मनी में रहने का अवसर मिला। उसी दौरान इस पुस्तक के लिए अधिकांश सामग्री एकत्रित की गई। हिन्दी भाषा में पश्चिमी जर्मनी की शासन पद्धति पर यह पहली पुस्तक है। इस दृष्टि से राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पहल के लिए मैं उसके प्रति आभारी हूं।

कवियों एवं दार्शनिकों का देश जर्मनी भारतीय जनता के लिए एक सुपरिचित राष्ट्र है। लेकिन दोनों देशों का परिचय सांस्कृतिक पक्ष की दृष्टि से ही अधिक रहा है। राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह सम्पर्क नया ही है। आज पश्चिमी जर्मनी विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में से एक है सिर्फ अमरिका ही औद्योगिक दृष्टि से जर्मनी से कुछ आगे है। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए न केवल जर्मन पूंजी की जरूरत है वरन् उससे भी अधिक उसके तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। पिछले 20–22 वर्षों में जर्मनी ने भारत के औद्योगिक विकास में सक्रिय रुचि दिखाई है जिससे भारत काफी लाभान्वित हुआ है।

पश्चिमी जर्मनी के आर्थिक पक्ष और उसकी उन्नति से तो भारतीय जनता परिचित है लेकिन इसकी राजनीतिक संस्थाओं व शासन-पद्धति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान काफी सीमित है। लेखक ने इस कमी को दूर करने की दिशा में एक प्रयास किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में जर्मनी का सामान्य परिचय, ऐतिहासिक परम्परा व जनतान्त्रिक भावना का विकास, वर्तमान संविधान (जिसे बेसिक लॉ के नाम से पुकारा जाता है), राजनीतिक संस्थाओं, प्रशासन तथा प्रमुख राजनीतिक दलों की गतिविधियों का परिचय एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पश्चिमी जर्मनी की विदेश नीति का संक्षिप्त परिचय भी इसमें सम्मिलित किया गया है। परिशिष्ट में बेसिक लॉ (संविधान) का हिन्दी अनुवाद देकर हमारे पाठकों के लिए [illegible] गया है।

समझौता भंग करने का आरोप लगाया। दोनों देशों ने फौजी तैयारियां आरम्भ की। 14 जून 1866 को युद्ध आरम्भ हो गया। सिर्फ बाम्मार मेक्लनबुर्ग तथा कुछ छोटे अन्य जर्मन नगरों ने युद्ध में प्रशा का साथ दिया। 20 जून को आस्ट्रिया को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा तथा वियना अपनी पूरी ताकत के साथ प्रशा का मुकाबला न कर सका। उधर प्रशा की सेना ने एक के बाद एक स्थानों पर आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यद्यपि इटली की जन सेना पराजित हुई फिर भी बिस्मार्क का यह उद्देश्य पूरा हो गया आस्ट्रिया परास्त हुआ और 3 जुलाई 1866 में सादोवा के युद्ध में आस्ट्रिया की पराजय हुई। बाद में प्रशा की सेना ने आस्ट्रिया और हंगरी की ओर प्रस्थान किया। 26 जुलाई को युद्ध समाप्त हो गया। इतिहास में यह युद्ध सात सप्ताह का युद्ध कहलाता है। एक माह बाद प्राग की सन्धि हुई और आस्ट्रिया ने जर्मन परिसंघ से निकलना स्वीकार किया तथा प्रशा को कुछ युद्ध हर्जाना देना स्वीकार किया। इतना ही नहीं आस्ट्रिया ने इटली को वेनिशिया का प्रदेश भी देना स्वीकार किया। प्राग की सन्धि के अनुसार प्रशा को श्लेसविग हाल्सटाईन हनोवर विसाऊ हेस तथा फ्रांकफुर्ट नगर भी अपने राज्य में मिलाने तथा मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों को एक नवीन संघ में पुनर्गठित करने का अधिकार भी दिया गया। बिस्मार्क ने 22 जर्मन राज्यों के उत्तर जर्मन परिसंघ का निर्माण किया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का एक और कदम पूरा हुआ। लेकिन दक्षिण जर्मनी के राज्य अभी भी स्वतन्त्र थे तथा उन्हें फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। इन जर्मन राज्यों की कमर तोड़ने के लिए फ्रांस को परास्त करना जरूरी था। शीघ्र ही फ्रांस ने एक के बाद एक मांग प्रस्तुत करना आरम्भ कर दिया।

अगस्त 1866 में नपोलियन ने राइनलैण्ड में प्रदेश की मांग की। लेकिन बिस्मार्क ने उसे ठुकरा दिया। नपोलियन ने अब अन्य क्षेत्रों पर नजर डाली। अगस्त के अन्त में प्रशा स्थित फ्रांस के राजदूत बेनेदित्ती ने बिस्मार्क से कहा कि यदि फ्रांस द्वारा बेल्जियम व लुक्जमबुर्ग पर कब्जा करने पर बिस्मार्क विरोध न करे तो नेपोलियन समस्त जर्मनी के एकीकरण की स्वीकृति दे देगा। बिस्मार्क ने सारी बात लिखित रूप में देने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि लुक्जेमबुर्ग जर्मन परिसंघ का सदस्य है। अतः जनमत विरोध कर सकता है। लुक्जमबुर्ग के प्रश्न पर 1867 तक तनाव चला। बाद में लंदन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने उसे एक स्वतन्त्र प्रदेश बना दिया।

सितम्बर 1868 में प्रशा व फ्रांस के बीच तनाव का एक अन्य मामला सामने आया और वह था स्पेन के सिंहासन के उत्तराधिकार का मामला। 1868 में स्पेन की जनता ने अपनी महारानी इसाबेला द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर उसे स्पेन से निकाल दिया। 1869 में स्पेन की अस्थायी सरकार ने यूरोपीय राजकुमारों में से किसी व्यक्ति को अपना शासक बनाने का प्रयास किया। जर्मनी के होहेनत्सोलर्न सिग्मा

जहाँ तक समव हो सका है पुस्तक को सरल सरम व बोधगम्य भाषा म प्रस्तुत करन का प्रयास किया गया हे। आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियो एव सामान्य पाठको के लिए उपादेय व रुचिकर सिद्ध होगी। पुस्तक का अधिक उपयोगी बनान के लिए विद्वानों की सम्मति एव समालोचना का स्वागत है।

—देवनारायण आसोपा

इतिहास विभाग
जोधपुर विश्वविद्यालय
जोधपुर

14 जुलाई 1945 को चार जर्मन राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ जिनके नाम इस प्रकार हैं —

(1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
(2) साम्यवादी दल
(3) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा
(4) लिबरल पार्टी या उदार दल।

इन राजनीतिक दलों ने फासिस्ट विरोधी जनतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना कर जर्मन राष्ट्र की सुरक्षा करने की घोषणा की। अमरिका द्वारा अधिकृत जर्मन प्रदेश में फरवरी 1946 में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों को कार्य करने की अनुमति दी गई उसके फलस्वरूप उपरिलिखित चार राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियाँ आरम्भ की। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अपने अपने प्रदेशों में दिसम्बर 1945 में राजनीतिक दलों के निर्माण की अनुमति दी। इस प्रकार समस्त जर्मन प्रदेश में आरम्भ में चार राजनीतिक दलों ने कार्य आरम्भ किया बाद में अन्य दलों की भी स्थापना हुई। यह उल्लेखनीय है कि इन चार जर्मन राजनीतिक दलों को चार राष्ट्रों का समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त था। रूस ने जर्मन साम्यवादी दल को समर्थन प्रदान किया अमरिका ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा लिबरल पार्टी को ब्रिटेन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सहयोग किया तो फ्रांस ने लिबरल पार्टी को आशीर्वाद प्रदान किया।

द्वि क्षेत्रीय ढाँचे का निर्माण

यद्यपि जर्मनी चार भागों में विभाजित था फिर भी पोटसडम-सम्मेलन ने आर्थिक दृष्टि से चारों क्षेत्रों को एक आर्थिक इकाई मानने की व्यवस्था की थी। लेकिन शीघ्र ही सोवियत संघ ने अपने जर्मन प्रदेश में कठोर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसके प्रत्युत्तर में अमरिका तथा ब्रिटेन ने अपने अधिकृत क्षेत्रों को आपस में मिलाने की घोषणा की और इस प्रकार 1947 के आरम्भ में द्विक्षेत्रीय ढाँचे का निर्माण हुआ। फ्रांस अभी भी स्वतन्त्र रूप से अपने क्षेत्र पर प्रशासन कर रहा था लेकिन अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए उसे अमरिका सहायता की आवश्यकता थी उधर शीतयुद्ध भी आरम्भ हो गया था और अपने देश की सुरक्षा के लिए भी पश्चिम को वाशिंगटन की ओर देखना पड़ा। ऐसी स्थिति में फ्रांस ने अमरिका का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस के प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया जाए। इस प्रकार त्रि क्षेत्रीय ढाँचे का निर्माण हुआ।

जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है 20 मार्च 1948 में रूस ने मित्र राष्ट्र नियन्त्रण आयोग से अपनी सदस्यता वापस ले ली थी अतः यह स्पष्ट हो गया

विषय–सूची

संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर सम्पूर्ण जर्मनी के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह प्रस्ताव पश्चिमी राज्यों के सैनिक गवर्नरों के पास भेजा गया उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

संसदीय परिषद् का गठन

अगस्त 1948 में सभी लैण्ड (राज्य) की सरकारों ने संसदीय परिषद् के चुनाव करवाए। कुल 65 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। इनके अलावा पश्चिमी बर्लिन के 25 प्रतिनिधि आए जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 27 सदस्य सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी 27 सदस्यों के अलावा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तथा जर्मन पार्टी के 5–5 सदस्य और सेन्टर पार्टी तथा साम्यवादी दल के 2–2 सदस्यों ने संसदीय परिषद् का निर्माण किया। बर्लिन से सोशियल डेमोक्रेट क्रिश्चियन डेमोक्रेट तथा फ्री डेमोक्रेट प्रतिनिधि आए। संसदीय परिषद् के अध्यक्ष पद पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के कानराड आडेनावर का चुनाव हुआ। बसिक ला के निर्माण के लिए एक प्रसीडियम तथा काउंसिल आफ एल्डर्स का भी निर्माण किया गया। साथ ही मूल अधिकारों, संघ राज्य व सदस्य राज्यों के बीच अधिकार विभाजन, वित्त, सरकार के स्वरूप व गठन, न्यायिक व संवैधानिक न्यायालय तथा कार्यविधि के नियम (rules of procedure) आदि विषयों पर समितियों का निर्माण किया गया। सबसे महत्त्वपूर्ण समिति पांच सदस्यों की समिति थी जिसमें 2 क्रिश्चियन डेमोक्रेट 2 सोशल डेमोक्रेट तथा 1 फ्री डेमोक्रेट थे। बाद में जर्मन अन्य दलों के दो सदस्य भी सम्मिलित किए गए।

उधर हरेनशियामिज नामक नगर में संविधान के विशेषज्ञ बेसिक ला का प्रारूप बनाने में व्यस्त थे। 10 अगस्त को उन्होंने कार्य आरम्भ किया और दो सप्ताह में उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के लिए बसिक ला का एक विस्तृत प्रारूप तैयार कर लिया। संसदीय निर्माण प्रक्रिया के इतिहास में यह एक अनोखी मिसाल है। 1 सितम्बर 1948 को संसदीय परिषद् ने उस दस्तावेज पर विचार आरम्भ किया तथा 8 मई 1949 में बसिक ला स्वीकृत हो गया। उसके पक्ष में 53 तथा विरोध में 12 मत आए। 12 मई को पश्चिमी जर्मनी के सैनिक गवर्नरों ने उस पर सहमति दी। बसिक ला की स्वीकृति के लिए यह शर्त रखी गई कि जब 11 लैण्डर (राज्यों) में से 2/3 लैण्डर उसे स्वीकार कर लेंगे तभी वह मान्य होगा। सब लैण्डर ने उसे स्वीकृति दी सिर्फ बवेरिया नामक राज्य (लैण्ड) ने ही उसे स्वीकृति नहीं दी लेकिन संघ राज्य में प्रवेश करना स्वीकार कर लिया।

बसिक ला के निर्माण पर विविध प्रभाव

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि पश्चिमी जर्मन राजनेताओं ने संविधान के स्थान पर बसिक ला के निर्माण को पसन्द किया ताकि जर्मनी के

1

जर्मनी : भौगोलिक व ऐतिहासिक परिचय

एक राष्ट्र के निर्माण में उसकी भौगोलिक स्थिति की अमिट छाप पड़ती है। किसी राष्ट्र की नीति व जनमानस को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया जाए। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी यूरोप के हृदय में स्थित है। इस अर्थ में वह यूरोप की मध्यभूमि है। दक्षिण स्थित आल्प्स को छोड़कर जर्मनी की सीमाएँ प्राकृतिक नहीं हैं। उत्तर, पूर्व व पश्चिम में जर्मनी सदा के लिए खुला पड़ा रहा है। इस तथ्य ने जर्मनी के इतिहास तथा वहाँ की जनता के चरित्र व स्वभाव के निर्माण में बड़ा महत्त्व रखा है। प्राकृतिक सीमाओं से रहित होने के कारण जहाँ यह विभिन्न संस्कृति, आचार व विचारों के आदान-प्रदान का केन्द्र रहा है, लेकिन साथ ही इसी तथ्य के कारण जर्मनी समय-समय पर विदेशी आक्रमणों का शिकार भी रहा। कभी उत्तर से तो कभी पश्चिम से तो पूर्व से विदेशी आक्रमणकारियों ने जर्मनी को रौंद डाला है। विदेशी आक्रमणों से बचने तथा सुरक्षित प्राकृतिक सीमाएँ प्राप्त करने के लिए जर्मनी ने स्वयं दूसरों पर आक्रमण किए। यही कारण है कि कभी जर्मनी का रुख प्रतिरक्षात्मक तो कभी आक्रामक रहा है। जाति व धर्म की दृष्टि से जर्मनी सुगठित नहीं रहा। इसके साथ [illegible] उपस्थित धार्मिक [illegible] आदान-प्रदान [illegible] सिद्ध हुआ है।

यूरोप में जर्मनी के एकीकरण की समस्या न बन कर विवादों का कारण बना। इस भूमि ने मार्टिन लूथर जैसा क्रान्तिकारी धार्मिक सुधारक उत्पन्न किया। मार्टिन लूथर एक महान् सुधारक था। उसने [illegible] धार्मिक भेद का [illegible] जिसके कारण समस्त जर्मनी दो धार्मिक सम्प्रदायों में बँट गया। ये सम्प्रदाय थे कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेन्ट। इसी धार्मिक विभेद के कारण जर्मनी को तीस वर्षीय युद्ध झेलना पड़ा जो 1618 से 1648 तक चला। 1945 के बाद से दोनों सम्प्रदायों में एक रचनात्मक सहयोग का अध्याय आरम्भ हुआ।

राजनीतिक दृष्टि से भी जर्मनी देर से एक महान् साम्राज्य रहा है लेकिन एक राष्ट्र नहीं। 1648 से 1871 के बीच तो जर्मनी में राजनीतिक बिखराव ही बना रहा है।

ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रख कर ही जर्मनी के वर्तमान [illegible] समस्याओं, उसके इतिहास और वहाँ के लोगों को समझा जा सकता है।

(1) डाक तथा दूर सचार की गापनीयता अनुल्लंघनीय हागी।

(2) इस अधिकार पर कानून द्वारा राक लगाई जा सकती है।

(अ) विचरण की स्वतन्त्रता—व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय व्यापार शिक्षा मनोरंजन तथा सामाजिक दायित्वा का निवाह करने के लिए विचरण या यात्रा करना अनिवाय हा जाता है। विचरण का अधिकार सद्भाव म वद्धि करता है सांस्कृतिक विचार क आदान प्रदान व प्रसार म सहायता करता है। भारतीय संविधान भी नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है। वसिक ला क अनुच्छेद 11 म कहा गया है—

(1) समग्र संघीय प्रदेश म सभी जनता का विचरण की स्वतन्त्रता हागी।

लकिन यदि किसी व्यक्ति की यात्रा स आधारभूत जनतान्त्रिक व्यवस्था का भय लगती है तो उस पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार म हामारी क खतर या प्राकृतिक विनाश का स्थिति म तथा नवयुवका का सुरक्षित रखन तथा अपराध को रोकने क लिए विचरण क अधिकार को सीमित किया जा सकता है।

(ब) पेशा व्यवसाय व उद्योग चुनने का अधिकार—मनुष्य की रुचि व्यक्ति क अनुसार प्रत्यक व्यक्ति की बुद्धि रुझान या झुकाव भिन्न हुआ है। अपने रुझान या पसन्द क आधार पर ही व्यक्ति अपना पेशा या व्यवसाय चुनता है। यदि उस जबरदस्ती दूसर काय म लगाया जाय तो उसके व्यक्तित्व के विकास म बाधा आती है तथा रुचिकर काय न होन पर न वह अपना दायित्व सही ढग म निभा पाता है और न राष्ट्रीय उत्पादन म सहयोग कर सकता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 12 म कहा गया है—

(1) समस्त जमन लागा को यह अधिकार हागा कि व निर्बाध रूप स अपना पेशा व्यवसाय व उद्योग नौकरी का स्थान प्रशिक्षण का स्थान चुन सकें।

(2) सिफ अनिवाय सावजनिक सेवा का जो सभी पर समान रूप स लागू होती हैं छोड़कर व्यक्ति पर कोई निश्चित व्यवसाय नहीं थोपा जा सकता।

(3) न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति का स्वतत्रता स वंचित किया गया है उसी व्यक्ति पर जबरन श्रम थोपा जा सकता है।

(स) सनिक व अन्य सवाओं सम्बन्धी दायित्व—अधिकांश यूरोपीय देशा म अनिवाय सनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रही है। द्वितीय महायुद्ध स पहल जमनी में भी यही व्यवस्था थी लकिन द्वितीय महायुद्ध क भयंकर विनाश क पश्चात् जमन लागा म युद्ध विरोधी भावना पनपी और व अनिवाय सनिक सेवा का विरोध करने लग। जन भावना का आदर करत हुए वसिक ला क 13वें अनुच्छेद म कहा गया है—

(1) जिन व्यक्तियों न 18 वष की आयु प्राप्त कर ली है उन्हें सशस्त्र सनाओं संघीय सीमा सुरक्षा दल तथा नागरिक प्रतिरक्षा-संगठन म सेवा करने का कहा जा सकता है।

भौगोलिक स्थिति

अपने समग्र इतिहास के दौरान जर्मनी की सीमाएं घटती-बढ़ती रही हैं। एसा भी वक्त था जब जर्मनी शब्द एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र ही था क्योंकि वह अनेक छोटे-बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। 1871 के बाद ही जर्मनी एक राजनीतिक इकाई के रूप में सामने आया था। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों के बाद जर्मनी की सीमा में कमी हुई या वह विभाजित हुआ। यदि हम 1871 के जर्मनी को इकाई मान कर उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो उसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे

प्रथमतः पश्चिमी जर्मनी—इसका राजकीय नाम है संघीय जर्मन गणराज्य (The Feder l Repub ic of Germany)। द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र पर अमेरिकी ब्रिटिश व फ्रांसीसी लोगों का अधिकार था तथा 1949 में इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। यह 1871 के जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है पूर्व जर्मनी। इसका राजकीय नाम है जर्मन जनवादी गणराज्य (German Democratic Republic)। द्वितीय महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र पर रूसी आधिपत्य स्थापित हुआ। बाद में यह जर्मन साम्यवादी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया।

एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जर्मनी आज के पूर्वी जर्मनी की पूर्वी सीमा पर ही समाप्त नहीं होता है। इसका एक तीसरा हिस्सा भी है जिसमें पोमरेनिया पूर्वी प्रशा, साइलेशिया तथा ब्रान्डनबर्ग का पूर्वी प्रदेश सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र 1945 के बाद से पोलैण्ड व सोवियत संघ के अधिकार में है। इस प्रकार भौगोलिक जर्मनी तीन भागों में विभाजित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी 1945 के बाद चार मित्र राष्ट्रों में बांट दी गई। बाद में अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस के हिस्सों को मिलाकर पश्चिमी बर्लिन का निर्माण हुआ जो पश्चिमी जर्मनी के साथ है। पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के अधीन था जो बाद में उसने पूर्वी जर्मन सरकार को दे दिया। यह उल्लेखनीय है कि बर्लिन आज के पूर्वी जर्मन राज्य के बीच में स्थित है।

पश्चिमी जर्मनी की भौगोलिक स्थिति

प्रस्तुत पुस्तक में हम पश्चिमी जर्मनी की राजनीति और प्रशासन पर प्रकाश डालेंगे अतः हमें उसकी भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। संघीय जर्मन गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी) यूरोप के हृदय में 47 तथा 55° उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 6° से 23 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण में पहुँचने के लिए 83? किलोमीटर (517) मील लम्बाई पार करनी पड़ेगी तथा पूर्व से पश्चिम तक पहुँचने के लिये 453 किलोमीटर (281 मील) की दूरी पार करनी पड़ेगी। वायुयान से सफर करते समय एक व्यक्ति 50 से 55 मिनट में उत्तर से दक्षिण की दूरी तथा 30 से 35 मिनट में पूर्व से पश्चिम की दूरी पार कर सकता है।

था। इसी प्रकार से समाजीकरण पर बल दिया जिसके परिणाम स्वरूप वसिक का के 15वें अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि— भूमि प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादन के साधनों का कानून द्वारा समाजीकरण के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक स्वामित्व या सार्वजनिक नियन्त्रण की व्यवस्था का हस्तान्तरित किया जा सकता है। वह कानून मुआवजे के स्वरूप व मात्रा की व्यवस्था करेगा। इस मुआवजे के सम्बन्ध में 14वें अनुच्छेद के परिच्छेद (5) की व्यवस्था यथोचित परिवर्तन से साथ लागू होगी।

इस प्रकार वसिक का में समाजवादी समाज की रचना के लिए भी प्रावधान मौजूद है।

(ग) नागरिकता से वंचित, प्रत्यर्पण तथा शरण का अधिकार—राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ ही साथ नागरिकता का महत्त्व बढ़ गया है। नागरिकता के अभाव में व्यक्ति राज्यहीन हो जाता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वसिक का के 16वें अनुच्छेद में यह अधिकार दिया गया है कि— किसी भी व्यक्ति को उसकी जर्मन नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। नागरिकता की समाप्ति कानून के अन्तर्गत तथा उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध तभी हो सकती है जब नागरिकता के अन्त होने से वह राज्यहीन नहीं हो जाता। इतना ही नहीं साथ ही यह व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी जर्मन को विदेश में प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। साथ ही यह व्यवस्था भी है कि राजनीतिक कारणों से पीड़ित व्यक्ति को शरण प्राप्ति का अधिकार है चाहे वह व्यक्ति किसी भी देश का निवासी हो।

(घ) याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार—अपनी शिकायतों तथा असुविधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक जर्मन को अधिकार है कि वह सम्बद्ध अधिकारियों तथा ससदीय सभाओं के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सके। अनुच्छेद 18 में कहा गया है—प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ संयुक्त रूप में लिखित आवेदन या शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार है। आवेदन सम्बद्ध अधिकारियों तथा संसदीय अंगों के सम्मुख पेश किया जा सकता है।

(ङ) मूल अधिकार छीनना—कुछ विशेष दशाओं में व्यक्ति को मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि—जो कोई व्यक्ति स्वतन्त्र जनतान्त्रिक व्यवस्था से संघर्ष करने के लिए मत व्यक्त करने की स्वतन्त्रता—खास कर समाचार पत्र की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद 1) करता है, अध्यापन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का 3) सभा करने की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 8) संघ निर्माण की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 9) डाक व दूर संचार की गोपनीयता की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 10) सम्पत्ति (अनुच्छेद 14) या शरण प्राप्ति के अधिकार (अनुच्छेद 16 का परिच्छेद (2))—का दुरुपयोग करता है उससे ये अधिकार छीन लिए जायेंगे। इनकी समाप्ति तथा इनकी मात्रा के बारे में संघीय संवैधानिक न्यायालय निर्णय की घोषणा करेगा।


1937 की जर्मन राज्य-सीमा तथा 1949 में जर्मनी का विभाजन
उत्तरी समुद्र
बाल्टिक समुद्र
लिथुआनिया
प्रशा
पोलैण्ड
वार्सा
संघीय
जर्मन
गणराज्य
चेकोस्लोवाकिया
आस्ट्रिया
स्विटजरलैण्ड
फ्रांस
बर्लिन
(पश्चिमी)
(पूर्वी)

हटाने का सम्मति तो दे देते हैं लेकिन उसके स्थान पर कौन चासलर बने इस पर मतभेद तीव्र हो उठते हैं। फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता का जन्म होता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासन का पक्षाघात हो जाता है और जन-कल्याण की योजनाओं पर समुचित अमल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति दल-बदल को भी प्रोत्साहन देती है। राजनीतिक अस्थिरता की इस महामारी से बचने के लिए बसिक ला के 67वें अनुच्छेद में व्यवस्था है कि —

बुन्डेसटाग सिर्फ चान्सलर के उत्तराधिकारी के चुनाव के बाद ही वर्तमान चान्सलर के प्रति अपना अविश्वास प्रकट कर सकता है तथा राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकता है कि वह उसे पदच्युत कर दे। यह अनुच्छेद बसिक ला की मौलिकता का प्रतीक है।

(9) युद्ध विरोधी तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का समर्थक—युद्ध की विभीषिका से जर्मन लोग भलीभांति परिचित हैं। जर्मनी में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने महायुद्ध में अपना कोई पुत्र पति या भाई न खोया हो। समस्त जर्मनी धूलि धूसरित हो गया था। 3 मई 1945 को 'युनाइटेड प्रेस' के संवाददाता ने बर्लिन में प्रवेश करने के बाद जो विवरण प्रस्तुत किया वह इस प्रकार है—

बर्लिन में कुछ नहीं बचा था। वहां न कोई घर है न दुकान न यातायात के साधन न सरकारी भवन सिर्फ कुछ दीवारें बच गईं। बर्लिन को अब एक भौगोलिक स्थिति कहा जा सकता है जो ढहे हुए मकानों के कूड़े का ढेर है।

रूसी समाचार-पत्र प्रावदा के संवाददाता ने लिखा— आतंकित गृहिणियां बची खुची दुकानों को लूट रही हैं। बर्लिन निराशा व टूटे सपनों का नगर रह गया है।

जब जर्मनी की राजधानी की यह अवस्था थी तो समस्त देश की बर्बादी व विध्वंस का आसानी से अन्दाज लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जर्मन जनता के मन में युद्ध के प्रति घृणा होना स्वाभाविक था। युद्ध से छुटकारा पाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की ओर ध्यान देना आवश्यक था अतः बसिक ला की धारा 24 में कहा गया है—

(1) संघ शासन कानून द्वारा सार्वभौम शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सौंप सकता है।

(2) शान्ति की स्थापना के लिए संघ शासन पारस्परिक सुरक्षा की व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। ऐसा करते समय वह अपने सार्वभौम अधिकारों को सीमित करने की सहमति देगा क्योंकि उसमें यूरोप तथा विश्व के राष्ट्रों के मध्य शान्तिपूर्ण एवं स्थायी व्यवस्था की स्थापना होगी।

(3) राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए संघ शासन सामान्य विस्तृत तथा बाध्यकारी नियम के अन्तर्राष्ट्रीय पंच निर्णय से सम्बद्ध समझौता को स्वीकार करेगा।

पश्चिमी जमनी के उत्तर म उत्तरी समु॰ (North Sea) ड॰मार्क तथा बाल्टिक समु॰ पूव म पोलण्ड व चेकास्लोवाकिया दक्षिण म आस्ट्रिया तथा स्विटजरलण्ड तथा पश्चिम म फ्रास लुग्जेम्बग बेल्जियम व हॉलैण्ड राज्य स्थित हैं।

क्षेत्रफल व जनसख्या

पश्चिमी जमनी का कुल क्षेत्रफल 95 959 वगमील (248 534 वग किलो मीटर) तथा पश्चिमी बलिन का क्षेत्रफल 184 वगमील (479 वग किलोमीटर) है। दोनो मिलकर 1937 की जमन साम्राज्य की भौगोलिक सीमा के 53 प्रतिशत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उस समय जमन साम्राज्य का क्षेत्र 181 815 वग मील (470 900 वग किलोमीटर) था। पूर्वी जमनी का आज का क्षेत्रफल 41 610 वग मील (107 771 वग किलो मीटर) है तथा पूर्वी बलिन का क्षेत्रफल 150 वग मील (400 वग किलोमीटर) है। दोनो मिलाकर 1937 के जमन साम्राज्य के 23% क्षेत्र का निर्माण करते हैं। 1945 के पोटसडम सम्मेलन ने जिसमे अमरिका रूस ब्रिटेन तथा फ्रास ने भाग लिया था लगभग 24 प्रतिशत जमन क्षेत्र पोलण्ड व रूस प्रशासन के अन्तगत रखा था। पोलण्ड व रूस के पास ओडर-नाइस नदियो के पूव म स्थित क्षेत्र है। यह क्षेत्र 41 133 वग मील (114 300 वग किलो मीटर) है।

निम्नलिखित चाट से पश्चिमी जमनी व उसके राज्यो के क्षेत्रफल व जनसख्या का सकेत मिलता है।

क्षेत्रफल तथा जनसख्या
(दिसम्बर 1969)

नाम	राजधानी	क्षेत्रफल वग किलोमीटर	जनसख्या (1000)	राजधानी की जनसख्या (1000)
सम्पूर्ण पश्चिमी जमनी	बान	248 534	61 508	299 4
श्लेसविग हाल्सटाइन	कील	15 676	2 557	276 (
हाम्बुग (नगर राज्य)	हाम्बुग	753	1 817	1 817
लोअर सक्सनी	हनोवर	47 408	7 100	517 3
ब्रमन (नगर राज्य)	ब्रमन	404	756	756
नॉथराइन वस्टफालिया	डुसलडॉफ	34 0 9	171 0	680 3
हस	वीजबाडन	21 110	5 423	260 6
राइनलण्ड पलटानट	माइन्ज	19 837	3 671	176 7
बाडन वुरटमबग	स्टटगाट	35 750	8 910	628 4
बवरिया	म्यूनिख	70 550	10 569	1326 3
सारलण्ड	सारब्रकन	2 568	11_7	130 3
पश्चिमी बलिन	पश्चिमी बलिन	479	213	213 4

लम्बी अवधि तक सुधारवादी या मध्यममार्गी तथा मार्क्सवादी लोग एक ही दल मे बने रहे।

फोलमार तथा बर्नस्टाइन ने सुधारवादी विचारधारा का नेतृत्व किया। बर्नस्टाईन मे बौद्धिक प्रतिभा थी। साम्यवादी लोग इसे संशोधनवाद के संस्थापक की संज्ञा देते है। इसने क्रान्तिकारी कदमो का विरोध किया तथा धीरे धीरे सुधारो की वकालत की। दल के भीतर सुधारवादियो का हमेशा काफी प्रभाव रहा। जो लोग साम्यवादी विचारधारा के हामी थे उन्होने न केवल क्रान्तिकारी सिद्धान्तो की वकालत की वरन् हडताल आदि हथियारो के इस्तेमाल की भी बात की। इस प्रकार दल मे कभी क्रान्ति-पोषक साम्यवादी विचारधारा के समर्थकों का जोर होता तो कभी सुधारवादियों का।

सुधारवादियो तथा साम्यवादियो के बीच एक मध्यममार्गी गुट भी था। सुधारवादी एरफुर्ट-कार्यक्रम मे संशोधन चाहते तो साम्यवादी उसका विरोध करते तथा साथ ही क्रान्तिकारी तरीके अपनाने की माग करते। लेकिन मध्यममार्गी लोग यह मानते थे कि दल के हित मे एरफुर्ट कार्यक्रम को उसके समन्वित रूप मे ही स्वीकार किया जाए।

1909 मे दल मे उग्रवादियो (साम्यवादियो) का प्रभाव बढा तो 1912 मे सुधारवादी पुन ताकतवर हो उठे। 1914 तक आते आते यह स्पष्ट हो गया कि सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन निश्चित है। जब प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ और जर्मनी ने उसमे प्रवेश किया और सरकार ने युद्ध ऋण की व्यवस्था की माग की तो कार्ल लीबक्नेख्त ने जो विल्हेल्म लीबक्नेख्त का पुत्र था ससद मे युद्ध ऋणो के विरोध मे मतदान किया। 1915 मे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य 19 सदस्य-सस्या ने उसका अनुसरण करते हुए युद्ध का विरोध किया। 1916 का वर्ष इस दल के लिए काफी कठिन वर्ष था। उग्रवादी दल के अनुशासन मे रह कर युद्ध के समर्थन के लिए तैयार न थे। फलत 1917 मे दल दो भागो मे विभाजित हो गया जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (बहुमत इसके साथ था) अत यह मेजोरिटी सोशलिस्ट कहलाते हैं।

(2) इंडिपेन्डेन्ट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी।

शीघ्र ही दूसरे वर्ग के दल का फिर विभाजन हुआ और एक नए दल जर्मन साम्यवादी दल का उदय हुआ। इस प्रकार जर्मन समाजवादी आन्दोलन तीन भागो मे बट गया लेकिन शीघ्र ही इन्डिपेन्डेन्ट सोशल डेमोक्रेटिक दल समाप्त हो गया और पुन दो दल रह गए।

वाईमार-गणतन्त्र (1919–1933) के निर्माण मे सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का निर्णायक योगदान था। जर्मन कैजर (सम्राट) के गद्दी त्यागने के पश्चात् समाजवादी नेता फ्रीडरिच एबर्ट ने सत्ता सम्हाली। बाद मे वह राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ।

राज्यों की राजधानियों के अलावा पश्चिमी जर्मनी के कुछ प्रमुख नगरों का विवरण तथा उनकी जनसंख्या 1970 में इस प्रकार था —

कोलोन (866 303) एसेन (704 769) फ्रैंकफर्ट (660 410) डार्टमुण्ड (648 883) डुसेलडुर्फ (457 891) ड्यूसबर्ग (477 108) हनोवर (414 728) गेल्सन किर्चेन (348 620) बोखम (346 886) तथा मानहाइम (330 920)

1973 में पश्चिमी जर्मनी की कुल जनसंख्या 61800000 थी।

जर्मनी के आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के कुछ प्रमुख देशों के साथ उसकी तुलना की जाए —

तुलनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े

सन	देश के नाम	क्षेत्र वर्गकिलो मीटर (100)	जनसंख्या (1 000)	निवासी वर्गप्रति किलो	प्रतिवर्ग मील
1970	पश्चिमी जर्मनी	248	61800	248	641
1970	पूर्वी जर्मनी	108	17075	158	409
1970	सोवियत संघ	8650	241748	11	28
1970	अमरिका	3615	205395	22	57
1970	जापान	143	103540	280	726
1970	ब्रिटेन	94	55711	228	591
1970	इटली	116	54459	181	468
1970	फ्रांस	211	50770	93	240
1970	स्पेन	195	33290	66	171
1970	कनाडा	3852	21406	2	[illegible]
1970	स्वीडन	174	8046	18	46
1971	भारत	—	54700	—	—

जर्मन भौगोलिक क्षेत्र में स्थान के अनुसार सभी दशाओं की प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ में जर्मनी की भूमि तथा क्षेत्र विविध प्रकार का है। प्राकृतिक स्थिति की दृष्टि से उत्तर में उत्तर सागर से दक्षिण में आल्पस पर्वत से लेकर पश्चिम में राइन पहाड़ियों से पूर्व में ओडर की घाटी और मार्गोनियों के पर्वतों तक के जर्मनी को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है। ये भाग इस प्रकार हैं —

1 उत्तरी जर्मनी का तराई क्षेत्र

2 मध्य क्षेत्र क पवतीय क्षेत्र तथा गहराइ वाल प्रदेश
3 दक्षिण-पश्चिमी चारस भूमि तथा पवत-श्रेणी
4 दक्षिण जमन आल्पस की नाचा पवत-श्रेणी
5 बवरिया स्थित आल्पस पवतीय क्षेत्र।

पश्चिम स पूव दिशा म भूमि की बनावट के आधार पर जमनी का तीन भागा म विभाजित किया जा सकता है—

1 मध्य भाग म ऊची भूमि
2 दक्षिण म आल्पस का पवतीय प्रदश
3 उत्तर की समतल भूमि

जलवायु

जमनी सम शीतोष्ण कटिबंध म स्थित है जहा मौसम पश्चिमी (पछुआ) हवाओ स सचालित हाता है। मौसम अवसर परिवर्तित होता रहता है। जलवायु के अन्तगत ताप क्रम तथा वषा प्रमुख तत्व हैं। पश्चिमी हवाओ क कारण वषा सभी समयो म हाती रहती है। उत्तरी जमनी के समतल भूमि म वर्षा का वार्षिक औसत 20 स 28 इच रहता हैं जबकि मध्य क्षेत्र क पवतीय क्षत्र म 39 इच स अधिक तथा दक्षिण स्थित आल्पस पवत क क्षेत्र म 80 इच क आसपास वषा हाती है।

ताप क्रम का विवरण इस प्रकार है —ताप क्रम विभिन्न क्षेत्रो म भिन्न भिन्न है। जनवरी क सबस ठडे महीने म समुद्री तट पर यह 34 डिग्री फारनहाइट म लकर 27 डिग्री फारनहाइट (–1.5 डिग्री सेंटीग्रड स–3 डिग्री सटीग्रड तक) पहाडी क्षत्रा म सामान्यत 21 डिग्री फारनहाइट (–6 डिग्री सटीग्रड) रहता है। जुलाई क मध्य म —जो सबस अधिक गम महीना है— उत्तर जमन तथा पूव जमन समतल भूमि वाल क्षेत्र म 61 डिग्री फारनहाइट स 66 डिग्री फारेनहाइट (16 डिग्री सेंटीग्रड स 19 डिग्री सेंटीग्रट तक) रहता है। वन प्रदश म यह 68 डिग्री फारन हाइट (20 डिग्री सेंटाग्रड) तक हो जाता है। ऊपरी राइन की घाटी म सर्वाधिक ताप क्रम तथा आल्पस प्रदेश म सबस कम तापमान रहता है। जनवरी स माच तक आल्पस प्रदश बफ स ढका रहता है। पवत की ऊचाई क अनुसार शीत काल म वहा 3 स 6 फीट बर्फ जम जाती है।

प्राकृतिक साधन

पश्चिमी जमनी का मुख्य खनिज सम्पदा म उच्च स्तर का कायला पाया जाता है। अन्य प्राप्य वस्तुए इस प्रकार हैं —पत्थर पोटाश लाहा ताबा तथा जस्ता। जल द्वारा विद्युत निर्माण की बहुतायत है। पश्चिमी जमनी क प्रमुख भारी उद्योगा म लाहा तथा इस्पात खान रासायनिक उत्पादन मशीनें तथा ट्रक व माटरें जहाज निमाण भवन निर्माण तथा विद्युत-सम्बन्ध है। अन्य उद्योग है —सूती वस्त्र जुलाह

नगाव निमाण ि वा वन खाद्य पदार्थों का निमाण सू म यत्रो का निमाण आदि । अधिकाश उद्योग रूर तथा सार प्रदेश म स्थित है । यह क्षेत्र पश्चिमी जमनी की पश्चिमी सीमा उत्तरी सीमा तथा राइन की तराई क म य म स्थित है ।

एतिहासिक पृष्ठभूमि

वतमान जमनी के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एव धार्मिक विकास का स ी मूल्याकन करने के लिए यह अनिवाय है कि जमनी के इतिहास पर एक विहगम दृष्टि डालें । एस एच स्टाईनबेग के अनुसार जमन इतिहास का सवाधिक महत्त्वपूण तत्त्व यह है कि एक राजनीतिक इकाई अयात् एक राष्ट्र क रूप म 1871 तक जमनी का कोई अस्तित्व नही था ।[1] जान ई रोड्स की मा यता है कि पूण राष्ट्र रा य क रूप म जमनी काफी देरी स रग-मच पर उतरा [2] लकिन एक महान् साम्रा य क रूप म जमनी सदियों तक यूरोप के राजनीतिक क्षितिज पर छाया हुआ रहा है । जमन साम्रा य की कहानी से पूव हम जमन श द का अथ और उसका प्रचलन हू ढ़ना करना होगा ।

रोमन लोगो न सवप्रथम जर्मेनिया मेग्ना (महान जमनी) श द का प्रयोग किया । एक आधुनिक जमन इतिहास क अनुसार जमनिया केल्टिक भाषा का श द था जिसका अथ होता है पड़ोसी । बाद म जमनी क लिए डाइच तथा जमनी के लिए डाइचलाण्ड श द का प्रयोग प्रचलित हुआ और आज भी जमन लोग अपने देश को डाइचलाण्ड ही कहते है । प्राचीन जमन भाषा म डाइच श द का अथ होता है जनता या जन । जमन लोग टयूटोनिक जाति के रूप म भी जाने जाते हैं । यह उल्लेखनीय है कि सरकारी कागजातो म सवप्रथम 1442 म जमन-भू-प्रदेश श द का प्रयोग किया गया । 1486 म आल्प्स पवत क उत्तर म स्थित क्षेत्र को रोम साम्रा य का जमन सविभाग नाम दिया गया ।

सवप्रथम रोम क सम्राट जूलियस सीजर न जमन लोगो क बारे म विवरण प्रस्तुत किया है । सीजर को इस जाति स छोटी मोटी मुठभेड़ करनी पडी लकिन विस्तृत विवरण क लिए हम एक अ य रोमन इतिहासकार व लेखक टसीटस (55 117 ई) का सहारा लेना पड़ता है । टसीटस न जो पुस्तक लिखी उसका नाम था De Situ Moribus et Populis Germanioe अयात् भौगोलिक क्षेत्र व आचार व्यवहार तथा जमन जनता के सबध म । यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय युद्ध क दौरान तथा बाद म जब जब यूरोप व अमरिका क लोगो न जमनी की तथा जमन जनता की बुराई व आलोचना की तो उन्होन टसीटस की पुस्तक का उद्धत किया । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि उस रोमन लखक न जमन जनता की प्रशासा अधिक व आलोचना कम की । उसने कहा कि रोम साम्रा य के लोग इनक आरम्भ चरित्र का

1 एस एच स्टाईनबग ए शा ि स्ट्री आफ जमनी (कैम्ब्रिज 1944) दखिए भूमिका ।
2 जान ई रोड्स जमनी ए हिस्ट्री (न्यूयार्क 1964) पृ 20

अनुसरण करें ऐसा करके ही व अपने साम्राज्य व संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। टैसीटस लिखता है कि जर्मन लोग स्वतन्त्रता तथा युद्धप्रमी हैं। जर्मन लोग नीली आंखों और सुनहले रक्तिम बालों से युक्त हैं जर्मन युवतियां अत्यधिक सुन्दर होती हैं। इस रोमन लेखक का मत था कि उनका पारिवारिक जीवन नैतिकतापूर्ण था यद्यपि स्त्रियां सभी दुस्तर और भारी काम करती थीं तथा पुरुष शराब पीते जुआ खेलते तथा युद्ध करते थे। समाज में अपेक्षाकृत कम मतभेद था तथा दासप्रथा लगभग नहीं के समान थी।

टैसीटस जर्मन लोगों की राजनीतिक सभाओं के जनतन्त्रवादी रूप से बहुत प्रभावित था। वह लिखता है — वे (जर्मन लोग) संकट कालीन स्थितियों को छोड़कर कुछ निश्चित दिनों—या नव चन्द्रोदय या पूर्णिमा के दिन एकत्रित होते हैं जब जनता उचित समझती है वह बैठ जाती है पास में हथियार होते हैं। पादरी या पुरोहित शांत रहने को कहता है। पादरी ही ऐसे अवसर पर अनुशासन स्थापित करने का अधिकार रखता है तब राजा या मुखिया (नेता) की बात सुनी जाती है। उसकी बात इसलिए अधिक सुनी जाती है कि वह समझा-बुझा सकता है न कि इसलिए कि उसके पास आदेश देने की शक्ति है। यदि उसके विचार तथा भावनाओं से लोग असन्तुष्ट होते हैं तो वे मंद ध्वनि में असन्तोष व्यक्त करते हैं यदि सन्तुष्ट होते हैं तो वे अपने भाले उठाकर समर्थन करते हैं।

सामाजिक नैतिक व कानूनी मामलों में जर्मन लोग शपथ वचन या प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते थे। यह गुण पर्याप्त रूप में आज भी जर्मन लोगों में पाया जाता है। उनके धार्मिक जीवन के बारे में टैसीटस लिखता है कि वे वसन्त ऋतु में प्रजनन विषयक शास्त्रोक्त क्रिया का समारोह या त्यौहार मनाते हैं। कुछ जर्मन देवताओं के नाम इस प्रकार हैं—थोर जो तूफान व बिजली का देवता था इसी से ईसाई दिन गुरुवार (Thur day) का नाम प्रचलित हुआ। वह वोटन नामक देवता की पत्नी फ्रिया का उल्लेख करता है जिससे शुक्रवार (Friday) का नाम पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि ईसाई मत के प्रचलन से पूर्व जर्मन-लोगों के धर्म ने ईसाई धर्म को भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया। उदाहरण के लिए प्रजनन विषयक शास्त्रोक्त क्रिया-समारोह से ही ईसाइयों का ईस्टर त्यौहार बना जिस दिन ईसा ने पुनर्जीवन प्राप्त किया ऐसा विश्वास प्रचलित है। इसी प्रकार यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन जर्मन देवताओं और भारत के वैदिक कालीन देवताओं में भी काफी साम्य है।

जर्मनों के इतिहास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना 9 ईस्वी सन् में घटी। इस वर्ष रोमन सेनापति वारुस ने राइन नदी पार की। सम्भवतः वह राइन तथा एल्ब नदी के बीच का प्रदेश जीतना चाहता था। हरमिन (अरमिनस) नामक जर्मन कबीले के नेता हरमन ने रोमन सेनाओं को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। जर्मन लोगों ने 20वीं सदी के आरम्भ तक इस घटना को अपने इतिहास में भारी महत्त्व

पर शासन नहीं किया था। जर्मन लोग इस महान् शासक को अपने इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। फ्रांसीसी लोग भी इसे अपना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शासक मानते हैं क्योंकि इसने जर्मनी और फ्रांस दोनों पर शासन किया था। उसकी मृत्यु के सौ वर्ष बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया और जर्मनी और फ्रांस में अलग अलग सत्ताएं स्थापित हो गईं।

चार्ल्स महान् या काल डेर ग्रोस ने न केवल अपने साम्राज्य को सुसंगठित किया वरन् 800 ई. में रोम में प्रवेश कर तत्कालीन पोप लियो III (795–816) से अपना राज्याभिषेक भी करवाया। रोम में यह राजतिलक यूरोपीय इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना है। और यहां से सम्राट बड़ा कि पोप यह संघर्ष आरम्भ होता है। बाद में पोप बनाम सम्राट के संघर्ष के कारण ही जर्मन सम्राट हेनरी चतुर्थ को 1077 में इटली स्थित मोडना के निकट कानोसा नामक स्थान पर जाकर तत्कालीन पोप ग्रेगरी से क्षमा मांगनी पड़ी क्योंकि पोप ने उसे धर्मबहिष्कृत कर दिया था और हेनरी चतुर्थ की जनता व सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सम्राट तथा पोप के बीच सर्वोच्च पद के लिए 1056 से 1250 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। बाद में पोप की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई।

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य ऐतिहासिक विस्तार में जाना नहीं है। अतः यहां उन शासकों की तालिका दी जा रही है जिन्होंने जर्मनी के सम्राट के रूप में तथा प्रशा राज्य के शासक के रूप में जर्मन इतिहास के निर्माण में योगदान दिया था।

पवित्र रोमन साम्राज्य व ऑस्ट्रिया, प्रशा के राजा तथा आधुनिक जर्मनी के सम्राट

राजा का नाम	कब किंग शासक बना
चार्ल्स महान	800
लुडविग प्रथम	814
लोथार प्रथम	840
लुडविग द्वितीय	855
चार्ल्स दी बाल्ड	875

1 962 में जर्मन सम्राट ओटो प्रथम ने रोम में सम्राट का ताज धारण किया था और अपने साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य का नाम दिया। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि जर्मन सम्राट ने अपने आपको रोमन सम्राट कहलाना पसन्द किया। 1508 के बाद रोम में किसी प्रकार का समारोह समाप्त हो गया और जर्मन सम्राट अपने आपको चुना हुआ रोमन सम्राट कहने लगे। रोमन सम्राट का पद 1806 में जाकर समाप्त हुआ, यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद कई अवसरों पर रोमन सम्राट नाम मात्र के सम्राट ही रह गये थे।

राजा का नाम	सन जिसम शासक बना	
चार्ल्स दी फट	894	
अनुल्फ	896	
करेनार	915	
हनरी दी फाउलर	919	
ग्रोटोप्रथम दी ग्रट शासक बना	936	
ग्राटो प्रथम दी ग्रट		
रोम म राज्याभिषक	962	सक्सन सम्राट
ग्राटो द्वितीय	973	
ग्राटो तृतीय	983	
हनरी द्वितीय (दीमन्त)	1002	
कानराड द्वितीय	1024	
हेनरी तृतीय	1039	सैलियन वंश के सम्राट
हनरी चतुर्थ	1059	
हनरी पचम	1106	
लोथार फान सप्लीनबुर्ग	1125	
कानराड तृतीय	1138	
फ डरिक I (बारबरासा)	1152	होहनस्टाउफन वंशीय सम्राट
हनरी षष्ठम	1191	
पवित्र रोमन सम्राट व ग्रास्ट्रिया के सम्राट		
फिलिप ग्राफ स्वाबिया	1198	
ग्राटो चतुर्थ (एटीबिग)	1198	
फ डरिक II ग्राफ होहनस्टाउफन	1220	
कानराड IV	1250	
रुडाल्फ ग्राफ हाप्सबुर्ग	1273	
एल्बट प्रथम ग्राफ हाप्सबुर्ग	1298	
हैनरी सप्तम ग्राफ लुक्सामबुर्ग	1308	
लुविग ग्राफ बवेरिया	1314	
चार्ल्स चतुर्थ ग्राफ लुक्जमबर्ग	1347	
वेन्जल	1378	
सिगिसमुन्ड ग्राफ लुक्जमबर्ग	1410	

राजा का नाम	सन जिसमें शासक बना
एलवट द्वितीय आफ हाप्सवुग	1438
फ्रेडरिक तृतीय	1440
मक्समिनियन प्रथम	1493
चाल्स पचम	1519
फर्डीनेण्ड प्रथम	1556
मक्समिलियन ि्ताय	1564
रुडोल्फ द्वितीय	1576
माथियाज	1612
फर्निण्ड ितीय	1619
फर्डीनेण्ड तृतीय	1637
लियोपा ड प्रथम	1658
जासेफ प्रथम	1705
चाल्स पष्ठम	1711
मारिया थरसा व फ्रासिस प्रथम	1740
जोसफ ितीय	1765
लियोपोल ितीय	1790
फ्रासिस ितीय	1792
पवित्र रामन साम्रा य का अत	1806
फर्डीनेण्ड I (आस्ट्रिया का सम्राट)	1835
फ्राज जोसफ (आस्ट्रिया का सम्राट)	1848
चाल्स (आस्ट्रिया का सम्राट)	1916
1918 में प त्याग	

प्रशा व आधुनिक जमना क शासक

फ डरिक विलियम दी ग्रट	
इलक्टर आफ ब्राडेन बुग	1640
फ्रेडरिक I प्रशा का राजा	1701
फ्रेडरिक विलियम प्रथम	1713
फ्रेडरिक िताय (महान)	1740
फ डरिक विनियम ितीय	1786
फ्रेडरिक विनियम तृतीय	1797
फ्रेडरिक विनियम चतुथ	1840
विनियम प्रथम	1861
विनियम प्रथम (जमन सम्राट)	1871
फ डरिक तृतीय	1888
विनियम ितीय	1888
1918 म रा य त्याग	

उत्त वशावलिया देन का तात्पय जमनी क सम्राटा का सक्षिप्त उल्लेख करना मात्र है। इसक अतिरित्त जिन घटनाओं ने जमन इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है उनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

ग्युल्फ तथा घिबेलीन्स वर्गों के मध्य गृह युद्ध 1198–1214

इस काल म ग्युल्फ व घिबलीन्स वग के बाच म चले आ रहे सघष ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। घिबेलीन्स लोगो को एक नता की आवश्यकता थी और उन्होने हनरी षष्ठ के भाई फिलिप आफ स्वाबिया को अपना राजा चुना यद्यपि उस समय तक दो वर्षीय फ डरिक का आधिकारिक तौर पर राजा बना लिया गया था। ग्युल्फ वग के लोगो ने फिलिप क चुनाव को मान्यता देन से इन्कार कर दिया तथा कालान नगर क आर्कबिशप तथा इंग्लण्ड के राजा रिचाड की सहायता स उन्होने ओटो चतुथ का अपना राजा चुना। इस दोहरे चुनाव स 20 वष तक साम्राज्य की शान्ति भग रही। इस गृहयुद्ध म घिबलीन्स वग को फ्रास का सहयोग मिला और इस प्रकार सघष अन्तराष्ट्रीय स्तर का हो गया। अन्त म पोप तथा घिबलीन्स वग न मिलकर फ डरिक को राजा बनाया। इस घटना का वणन करन का तात्पय यह सकेत करना है कि किस प्रकार जमन लोग समय समय पर विभाजित रह और विदेशी शक्तिया ने जमनी म हस्तक्षेप किया।

13वीं शताब्दी म नगरो का विकास

जमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है नगरो का विकास। क्योंकि जमनी यूरोप क हृदय म स्थित है अत व्यापारिक आर्थिक व सास्कृतिक दृष्टि से यहा क नगरो का महत्व और भी बढ जाता है। मध्यकाल म जमनी म विभिन्न आकार क 2000 से अधिक नगर बस। इनम आगसबुग फ्रैंकफुट कालोन न्यूबेग हाम्बुग ब्रमन गासलार बान आदि प्रमुख नगरो म से कुछेक थ।

ट्यूटानिक नाइटस (Tutonic Knights)

1190 म एक और महत्वपूर्ण घटना हुई और वह थी ट्यूटोनिक नाइटस (सरदार या राजपुत्र) का उदय। इस सगठन का जन्म यद्यपि यरुशलम म हुआ लकिन शीघ्र ही –13वा सदी क आरम्भ म इन्होने यूराप म प्रवश किया। नाइटस वग का सदस्य बनने क लिए व्यक्ति को शपथ लेनी पडती थी कि वह ब्रह्मचारी तथा स्वतन्त्र व्यक्ति है और रहगा तथा मास्टर उस किसी भी काय क लिए प्रयुक्त कर सकता है। उस लडाकू नाइटस वग प्रान्तीय व क्षेत्रीय अधिकारी या अन्य राजनतिक वित्तीय या मठो म नियुक्त किया जा सकता था। धीरे धीरे यह वग अत्यधिक शक्ति शाली हो गया और कभी न्गरो तो कभी पोलण्ड के राजा की मदद करने लगा। पोलण्ड स्थित मासोविया क ड्यूक कानराड न प्रशा क कबीला क उद्दण्ड व्यवहार को समाप्त करन क लिए नाइटस स मदद मागी तथा यह स्वीकार किया कि ट्यूटानिक नाइटस क प्रान्ड मास्टर या प्रमुख नता हरमन वान साल्जा प्रशा क लागा से जाती हुई भूमि का अपने कब्जे म रख सकता है। साल्जा (1167–1239) न तत्काल जमन सम्राट फ डरिक द्वितीय स इसकी अनुमति मागी जो उस मिल गई। नाइटस लागा को प्रान्त द्वारा विजित क्षेत्र म चुगी चौकिया बाजार व टकसाल स्थापित

करने का अधिकार दिया गया। सम्राट के ग्रादेश के ग्रंत मे कहा गया कि साम्रा के उत्तराधिकारी नागा को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो साम्राज्य के राजकुमारो को होते हैं। शीघ्र ही नाइट्स लोगो ने दुर्गो का निर्माण किया। नगर बसाये तथा नये भू प्रदेश जीते। इन्हीं ट्यूटानिक नाइट्स ने आगे जाकर प्रशा राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

साम्राज्य का विघटन व नवीन शक्तियों का उदय (1250–1410)

तरहवीं शताब्दी से पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य जर्मन साम्राज्य में विघटन की प्रक्रिया जारी रही। फ्रेडरिक द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य की समृद्धि वैभव तथा प्रतिष्ठा में कमी हो चली यद्यपि उसके 550 साल बाद तक साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई के रूप में किसी तरह चलता रहा। 1250 में सम्राट की मृत्यु के बाद 23 वर्ष का समय साम्राज्य का अन्तराल (Interreenum) कहा जाता है। 1291 में स्विटजरलैण्ड जर्मन साम्राज्य से अलग हो गया। 1257 में पूर्व जर्मन सम्राट के चुनाव में समस्त जर्मन सामंत तथा प्रमुख बिशप भाग लेते थे किन्तु 1257 में सात सात चुनाव करने वाले सिर्फ सात व्यक्ति रह गये जिनमें माइन्स ट्रायर तथा कोलोन नगर के आर्कबिशप भी शामिल थे तथा चार अन्य सामंत होते थे। इन सात व्यक्तियों को घूस प्रलोभन व लालच देकर खरीदा जा सकता था।

ऐस्टेटस व क्षेत्राधिपतियों का उदय (Rise of Teritorial Lords)
हाहेनस्टाउफन वंश के काल में ही विभिन्न क्षेत्रों के अधिपति सामंतो ने अपनी शक्ति में वृद्धि प्रारम्भ कर दी था। 14वीं सदी में जब साम्राज्य की नाव कमजोर पड़ी तो सम्राट को समय-समय पर उनसे सहायता लेने को मजबूर होना पड़ा। इससे क्षेत्राधिपतियों की सत्ता शान और वैभव में वृद्धि हुई और इटली के नगर राज्यों का अनुसरण करते हुए क्षेत्राधिपतियों द्वारा अपने क्षेत्रों या एस्टेट्स (Estates) में राज्यों का निर्माण हुआ। इन एस्टेटस में एक नवीन व्यवस्था का उदय हुआ। एस्टेटस राज्यों में पादरी बुर्जुआ कुलीन सामंत तथा कभी-कभी किसान भी शामिल होते थे—क्षेत्राधिपतियों को चुनौती का सामना करना पड़ा तथा जनता को अधिकारों की प्राप्ति हुई। ... के ये प्रतिनिधि समय समय पर सभा ... करते तथा शासक को अपने अपने क्षेत्रों में कर निर्धारण सम्बन्धी निर्देश देते। एस्टेटस भी इस प्रकार संसदीय जनतन्त्र के आधार बने। इन्हें संसदीय संस्था का मान्यता भी दी गई है।

नगर राज्यों व संघों का उदय

नगरों की स्थापना का संक्षिप्त वर्णन ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है। इटली के नगर राज्यों की भांति जर्मनी में भी जनतन्त्र का वास्तविक प्रयोग नगर राज्यों में ही हुआ। 1200 ईस्वी में जर्मनी में 250 नगर थे 1300 में 811 तथा 1450 में 3000 नगर। जर्मन सम्राट नई समस्याओं ... नगर राज्यों को साम्राज्य ...

सभा (Imperial Diet) म भी प्रतिनिधित्व मिला।[1] य नगर व्यापार वाणिज्य तथा शिक्षा के केन्द्र थ। यहा पर सवप्रथम शिक्षित बुजग्रा वग का उदय हुआ और इनके विचार स्वातन्त्र्य म स्थानीय मामलो का पर पता हुआ। नगर अपने अधिकारो के प्रति सजग थ। लकिन अकेले शक्तिशाली मामलो म अपनी रक्षा नही कर सकत थे। अत उन्होने नगर सघो का निमाण किया जिसमे स्वाबियन लीग तथा रेनिश लीग प्रमुख है। चौदहवी शताब्दी म य नगर सघ इतने अधिक शक्तिशाली हो उठ कि इनका विरोध करने के लिए सामन्तो न भी लीग ग्राफ नाइट्स नामक सघो का निमाण किया।

इसी प्रकार नगर राज्यो व प्रमुख नगरो म मिलकर हासियाटिक लीग नामक व्यापारी सघ का निमाण किया। इस का अथ होता है व्यापारी-सघ। इस व्यापार सघ न विदेशो म व्यापार के विकास व सुरक्षा के लिए अपने व्यापारिक प्रतिनिधि भेजे। चौदहवी शताब्दी के मध्य म 70 नगर इस व्यापारी सघ के सदस्य थे। यह सघ मुख्यत आर्थिक हितो की सुरक्षा के लिए बनाया गया। लेकिन जब जब इनके आर्थिक हितो को आघात पहुचा इन्होने शस्त्र भी उठाये और अवसर आने पर युद्ध भी किये। डेनमार्क और इस जमन व्यापार सघ के बीच 1362-65 तक युद्ध चला लेकिन सघ को सफलता न मिली। पर डेनमार्क पर व्यापारिक दबाव डाला और 1370 म उस हासियाटिक लीग के साथ सधि करनी पडी जो स्ट्रालसुण्ड की सधि कहलाती है। यह सधि लीग की भारी विजय थी।

इन नगर राज्यो के सघो तथा व्यापारिक सघो न जमनी म शिक्षा व्यापार व सस्कृति तथा राजनीतिक चेतना का माग प्रशस्त किया। आज भी जमन लोग इन नगर राज्यो का अभिमानपूर्वक स्मरण करते हैं। इतना ही नही वतमान पश्चिमी जमनी के सघ राज्य के दो सदस्य आज भी नगर राज्य ही हैं। इनके नाम हैं हाम्बुग तथा ब्रेमन।

साम्राज्य तथा क्षेत्राधिपतियो के मध्य सघष 1450 1648

1452 म जमन सम्राट का रोम म पवित्र रोमन राज्याभिषेक हुआ। यह अन्तिम राज्याभिषेक था। लकिन इसके बाद ही साम्राज्य का विघटन तेजी से प्रारम्भ हो गया। विघटन का कारण सम्राट तथा क्षेत्राधिपतियो (Territorial Lords) के मध्य सघष का प्रारम्भ था। 15 वी शताब्दी के मध्य म जमन साम्राज्य नाम मात्र का साम्राज्य रह गया था। अधिकाश सत्ता व शक्ति क्षेत्राधिपतियो के पास केन्द्रित थी। उन्होने लगभग सम्पूर्ण मातहत सत्ता हस्तगत कर ली थी।

धमसुधार आन्दोलन 1517 1555

जमनी के ऐतिहासिक विकास के सन्दभ म धमसुधार आन्दोलन का भारी

1 राइम पूर्वोक्त पृष्ठ 76

वाय को जहर फनाने की सजा दी। जब पोप ने लूथर का आदेश दिया कि वह रोम में उपस्थित हो तो लूथर ने आदेश की अवहेलना की। उसके बजाय उसने 1518 में आग्सबुर्ग की सभा में पोप के प्रतिनिधि से मिलना स्वीकार किया। आग्सबुर्ग में लूथर व पोप के प्रतिनिधि के बीच वादविवाद से कोई समझौता न हो सका। इसी बाद जर्मनी में लूथर के क्रांतिकारी विचारों का प्रसार होने लगा। जन 1520 में पोप ने लूथर को धर्म बहिष्कृत कर दिया। उसी वर्ष लूथर ने जर्मन राष्ट्र के ईसाई सामन्तों व कुलीनों के नाम एक पत्र (Letter to the Christian nobles of the German nation) प्रकाशित किया तथा उसने अपील की कि वह ईसाई धर्म को पोप व पादरियों के भ्रष्ट पंजे से मुक्त करें। इसी प्रकार पोप द्वारा बहिष्कृत करने के उत्तर में उसने ईसाई की स्वतन्त्रता के बारे में (on the freedom of a christian) नामक लेख भेजा जिसमें सभी ईसाइयों के समान होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था। अन्त में उसने चर्च की समग्र सत्ता पर कटु प्रहार करते हुए चर्च के बेबीलोनियन बन्दीकरण के बारे में (on th babylonian captivity of the Church) नामक पुस्तिका प्रकाशित की। ये सब पुस्तकें एक नये धर्म का आधार बनी तथा इस प्रकार प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय का उदय हुआ।

सामान्यतया पोप द्वारा धर्म बहिष्कृत करने के तत्काल बाद सम्बद्ध व्यक्ति को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन लूथर के बारे में ऐसा नहीं हुआ। बड़े सामन्त तत्कालीन जर्मन सम्राट चार्ल्स पंचम तथा पोप से नाराज थे। अतः लूथर के धार्मिक विचारों से सहमत न होने पर भी सामन्तों ने लूथर का पक्ष लिया। 1520 में वार्म सभा (Diet of Worm) में लूथर को बुलाकर उसके तर्क सुने गये। सम्राट पादरियों बिशपों राजकुमारों सामन्तों तथा बुजुर्गों आदि के समक्ष लूथर ने कहा कि वह अपने विचारों पर दृढ़ है तथा यदि पूरे ईसाई ग्रन्थों सम्बंधी उसके विचारों को समझने में भूल हुई हो तो वह उसे सुधारने को तैयार है। अन्त में उसने अपनी आत्मा तथा ईश्वर में श्रद्धा की घोषणा की और पश्चात्ताप प्रकट करने से इन्कार किया। किसान बुजुर्गों तथा छोटे छोटे सामन्त लूथर की दृढ़ता से बड़े प्रभावित हुए। शीघ्र ही उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। हान्स जाक्स नामक लेखक ने लूथर को विटनबर्ग की बुलबुल—जिसने ईसाई सत्य के गीत गाये—की संज्ञा दी।

इस सभा के बाद सक्सनी में लूथर को गिरफ्तार कर वार्टबुर्ग के किले में नजरबन्द कर लिया गया। वहां उसने बाईबिल का नवीन जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इस कार्य से धार्मिक क्रान्ति का ही प्रसार नहीं हुआ वरन् आधुनिक जर्मन भाषा का विकास भी प्रारम्भ हुआ।

नाइट वर्ग द्वारा विद्रोह—1552 में नाइट्स लोगों ने विद्रोह किया जो अप्रत्यक्ष रूप से लूथर की शिक्षा का परिणाम था। इनके नाइट्स (सरदारों) ने लूथर

के उपदेशों को स्वीकार किया। इनमें से एक फ्रांज फान सिकिंगन (1481–1523) ने राष्ट्र में बढ़ते असन्तोष से फायदा उठाना चाहा। नाइट्स लोग क्षेत्राधिपतियों से नाराज थे। अतः उन्होंने नवीन आधार पर राष्ट्र के संगठन के नाम पर विद्रोह किया। पर लूथर ने नाइटस लोगों का समर्थन नहीं किया।

किसान विद्रोह —लूथर के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर किसानों ने भी विद्रोह (1524–25) कर दिया। विद्रोह दक्षिण पश्चिम में प्रारम्भ हुआ। शीघ्र ही उन्होंने सामंतों के किले व महल लूटने व जलाने प्रारम्भ किये तथा एक बारह सूत्री सिद्धांत सम्मुख रख कर अपना शोषण बन्द करने की मांग की। किसानों के विद्रोह और हिंसा के व्यापक रूप से लूथर घबरा गया। यद्यपि किसानों को आशा थी कि लूथर उनका समर्थन करेगा। लेकिन व्यापक हिंसा को देखते हुए उसने उनका भी विरोध किया। इस प्रकार नाइटस तथा किसानों के विद्रोह में उसने क्षेत्राधिपतियों व राजकुमारों का साथ दिया। इसका लाभ भी हुआ। क्षेत्राधिपतियों व कई राजाओं ने प्रोटेस्टेंट मत को स्वीकार कर लिया।

कैथोलिक व प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय में संघर्ष

लूथर ने चर्च की सम्पत्ति को भी जनता के सार्वजनिक प्रयोग में लाने की वकालत की। कई राजा व नगर राज्य इस तर्क से आकर्षित हुए। क्योंकि यदि चर्च की सम्पदा राज्य या नगर के हाथ में आ जाय तो उनसे राज्य की आमदनी बढ़ेगी। इस कारण भी कई सामन्तों राजाओं और नगर पिताओं ने प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर उसकी वकालत की। शीघ्र ही इन लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्टेंट संघ का निर्माण किया जिसका उद्देश्य जर्मन सम्राट पोप तथा जर्मनी के कैथोलिक क्षेत्र—जैसे बवेरिया का विरोध करना था। इस संघ का निर्माण (1526) में हुआ और उसकी स्थापना में सैक्सनी व हैसे राज्य के शासकों तथा दक्षिण जर्मनी के कुछ नगर राज्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका हो गई। स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए 1526 में स्पायर नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया ताकि प्रोटेस्टेन्ट राजाओं व अन्य क्षेत्राधिपतियों के बीच धार्मिक सह अस्तित्व कायम किया जा सके। लेकिन विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। लूथर तथा पोप दोनों इस धार्मिक सह अस्तित्व के सिद्धान्त के खिलाफ थे। 1540 में यह सह अस्तित्व असफल हो गया। क्योंकि लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म के बढ़ते प्रभाव से भयभीत हो उठे। स्वयं जर्मन सम्राट चार्ल्स ने तय किया कि वे प्रोटेस्टेन्ट शासकों को कुचल देगा। इसी बीच उसे सैनिक अवसर भी प्राप्त हो गया। 1545 में सैक्सनी के शासक फ्रेडरिक तथा हैसे राज्य के शासक फिलिप ने ब्रन्सविक के कैथोलिक राज्य पर हमला कर उसे अपना प्रोटेस्टेन्ट बना लिया। जर्मन सम्राट ने इन दोनों प्रोटेस्टेन्ट राजाओं पर हमला कर दिया। दस वर्ष तक (1545–1555) तक युद्ध चला। प्रोटेस्टेन्ट पक्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। 1555 में

नाना सम्प्रदायों के मध्य आग्सबुर्ग की संधि हुई तथा यह स्वीकार किया कि यथा स्थिति बनी रहे यानी जो राज्य प्रोटेस्टेन्ट हैं वे बने रहें नकिन व बल पूर्वक दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप न कर साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि शासक ही अपने राज्य के धर्म का निश्चय करेगा।

प्रति-धर्मसुधार

उधर कैथोलिकों ने भी अनुभव किया कि यदि धर्म के क्षेत्र में उन्होंने सुधार आरम्भ नहीं किया तो अधिकाधिक लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म स्वीकार कर लेंगे। पोप पाल तृतीय (1534-49) ने कैथोलिक सुधार का सूत्रपात किया। साथ ही इग्नेशियस आफ लोयाला ने जीसस समाज (The Society of Jeaskus) की स्थापना कर कैथोलिक सिद्धान्तों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। जीसस समाज ने मठों में पवित्रता ब्रह्मचर्य व सादगी के वातावरण का निर्माण किया तथा चर्च की सम्पत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाये तथा ईसा व पोप की निरन्तर सेवा करते हुए ईसाई धर्म के शत्रु के नाश संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की।

जर्मनी के मामलों पर विदेशी प्रभाव

इस युग में जर्मनी के इतिहास का निर्णायक तत्व था जर्मनी की राजनीति धर्म व सांस्कृतिक जीवन पर विदेशी राज्यों का उत्तरोत्तर बढ़ता प्रभाव। जर्मनी के कुलीन वर्ग ने विदेशी वस्तुओं व सिद्धान्तों को अपनाने की होड़ की। इसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी को बाद में तीस वर्षीय युद्ध में भाग लेने को बाध्य होना पड़ा जो मुख्यतः जर्मनी की धरती पर ही लड़ा गया।

1555 के बाद अयोग्य जर्मन नेतृत्व इस युग की एक विशेषता या कमी थी जर्मनी में सुयोग्य सम्राटों का अभाव। सम्राट मैक्समिलियन II (1564 1576) अत्यधिक अस्थिर व समझौतावादी स्वभाव का था तो रूडोल्फ द्वितीय (1576 1612) तथा फर्डीनेंड द्वितीय (161 -1637) अत्यधिक जिद्दी कठोर तथा राजनीतिक प्रभाव के प्रति अन्धे थे।

तीस वर्षीय युद्ध (1618-1648)—1608 में जर्मनी के प्रोटेस्टेंट राज्यों ने एक प्रोटेस्टेन्ट लीग की स्थापना की तथा आवश्यकता तथा संकट की घड़ी में एक दूसरे को प्रारम्भिक स्वतन्त्रता का भरसक वचन दिया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने कैथोलिक लीग का निर्माण किया। इस प्रकार जर्मनी दो सशस्त्र गुटों में बट गया। प्रत्येक गुट ने कुछ विदेशी राज्यों के साथ सांठ गांठ की इसी बीच बनावेम क्षेत्र के कैथोलिक ड्यूक की मृत्यु हो गई। उसकी अधिकांश प्रजा प्रोटेस्टेन्ट धर्म की अनुयायी था। अतः बनावेम राज्य दो गुटों में बट गया उनमें एक वह गुट था जो कैथोलिक ड्यूक को चाहता था। उस गद्दी के कई दावेदार उठ खड़े हुए। इनमें प्रोटेस्टेन्ट वर्ग का दावेदार जान सिगिस्मुण्ड पैलेटीनेट का काउन्ट पालेग्राव विलियम तथा सक्सनी का ड्यूक जान ■ डरिक प्रमुख ■। ये तीनों प्रोटेस्टेन्ट थे। किन्तु जर्मन सम्राट इस राज्य किसी कैथोलिक के हाथ में रखना

क्राति के आदर्शों का स्वागत किया। जमनी के कवियो इतिहासकारो पत्रकारो प्राफेसरो ने पुस्तको लेखो व कविताओ के माध्यम से फ्रांसिसी क्राति के सिद्धान्तो को लोकप्रिय बनाया। लेकिन जमनी के छोटे बडे शासक इमसे घबरा उठे। 1799 मे फ्रास मे नपोलियन का उदय हुआ। उसकी सत्ता ने सारे यूरोप मे तहलका मचा दिया तथा जमनी का रोल टारा।

नपोलियन ने 1801 मे आस्ट्रिया को पराजित किया जिसके फलस्वरूप आस्ट्रिया के सम्राट ने जमनी स्थित अपने साम्राज्य के पुनगठन की स्वीकृति दी। लेकिन जमन शासक आपस मे झगडने लगे। उन्होने रूस तथा फ्रास से पचनिणय देने को कहा। फ्रास ने रुचि ली तथा आरभिक पुनगठन मे 300 जमन राज्यो मे कमी कर आधे से अधिक राज्य समाप्त कर दिए गए। 45 स्वतन्त्र नगर राज्य जो साम्राज्य के अन्तगत थे समाप्त कर दिए गये तथा सिफ छ नगर राज्यो हाम्बुग ब्रमन ल्यूबक फ्रैंकफुट न्यूरेमबग तथा आग्सबुग का ही अस्तित्व बना रहा। 70 धार्मिक राज्यो मे से–इनमे आर्कबिशप राज्य तथा बिशप राज्य आदि शामिल थे–सिफ माइन्ज के भूतपूर्व आर्कबिशप का राज्य रखा गया। उस भी रेगेन्सबुग का क्षेत्र दिया गया। 112 अन्य नगर व क्षेत्रो को मिलाकर अन्य राज्यो मे मिला दिया गया। ट्रायर व कोलोन क्षेत्र फ्रास से लिए गये। 1803 मे रेगेन्सबुग सभा मे जमन साम्राज्य के इस पुनगठन को स्वीकार किया। 1806 मे राइन राज्यो का परिसघ (Confederation of Rhine) बनाकर नपोलियन ने जमनी के पवित्र रोमन साम्राज्य का खात्मा कर दिया। फ्रैंकफुट व न्यूरेमबग नगर राज्य समाप्त कर दिए गये। इसी वष नपोलियन ने प्रशा राज्य को पराजित कर दिया। नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से जमनी के एकीकरण व जनतन्त्रीकरण की दिशा मे काय किया।

प्रशा मे सुधार

1806 की पराजय के बाद प्रशा के शासक फ्रैडरिक विलियम III ने शासन सेना व अथव्यवस्था मे सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया तथा बरन फान स्टाइन को राज्य का मुख्य मन्त्री नियुक्त किया। 1807 मे स्टाइन ने सुधार आदेश (Reform Edict) की घोषणा की। इसके अनुसार कुलीनो व गर कुलीनो के मध्य वग विभेद समाप्त कर समानता की स्थापना की गई। 1810 मे स्टाइन ने कृषक दासो (Serf) को मुक्ति प्रदान की। इससे पूव 1808 मे नगर पालिका प्रशासन मे सुधार किए गये तथा नगरवासियो को अपनी नगर परिषद चुनने के अधिकार दिए गये। स्टाइन इगलड जसी सवधानिक व्यवस्था की स्थापना के पक्ष मे था। स्टाइन के सुधारो से प्रशा को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ।

विएना काग्रेस व जमनी

1814 मे नपोलियन की पराजय के पश्चात् विजयी राष्ट्र आस्ट्रिया प्रशा इगलड रूस तथा अन्य राज्य वियना मे एकत्रित हुए। जमनी की जनता को आशा थी कि 1815 की वियना काग्रेस जमनी के एकीकरण का माग प्रशस्त करेगी किन्तु आस्ट्रिया का चान्सलर मेटरनिख अभी भी जमन प्रदेश पर अपना प्रभाव

बनाये रखना चाहता था। वियना व्यवस्था द्वारा एक जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया जिसमें 35 राजतान्त्रिक राज्य तथा 4 नगर राज्य सदस्य बनाये गये। वियना व्यवस्था से जर्मन देशभक्त व एकता प्रेमियों की आशाएं पूरी नहीं हुई।

आर्थिक संघ या त्सोलवेराईन (Zollverein)

इसी बीच आर्थिक क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी जो आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण की ओर सुदृढ़ कदम साबित हुई। 1820 के बाद जर्मन राज्यों ने अनुभव किया कि हर राज्य में कई चुंगी चौकियों के कारण उनके व्यापार को भारी हानि होती है। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि एक आर्थिक संघ या त्सोलवेराईन द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है। प्रशा की त्सोलवेराईन में भारी दिलचस्पी थी क्योंकि उसका व्यापार काफी विशाल था। 1828 में प्रशा तथा सात अन्य जर्मन राज्यों ने त्सोलवेराईन की सदस्यता ग्रहण की। 1842 में सभी जर्मन राज्यों ने त्सोलवेराईन की सदस्यता ग्रहण कर ली।

1848 की क्रांति

1815 से 1848 तक जर्मनी के बुद्धिजीवी व जनता देश के एकीकरण की दिशा में कार्य करते रहे। यद्यपि मार्ग सरल न था अनुदार निरंकुश सत्ता व राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक उदारवादियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। जनता प्रतिनिधि सभा के निर्माण की मांग करती रही। कुछ जर्मन शासकों ने 1830 की क्रांति के बाद जनता को स्वतंत्रता प्रदान की, किन्तु आस्ट्रिया व अन्य शासकों ने उसका विरोध किया। 1832 में जर्मनी के पलटीनेट क्षेत्र में स्थित हाम्बाख नामक नगर में जर्मनी के बुद्धिजीवी विचारक, नगर प्रतिनिधि व पत्रकार सम्मिलित हुए तथा हाम्बाख मंच में एकत्रित जर्मन जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। स्वाबिया प्रान्त के प्रसिद्ध कवि लुडविग उहलैण्ड ने घोषणा की "जब तक जनतान्त्रिक के कुम्भ से राजकुमार के माथे पर तिलक न लगाया जाय वह जर्मनी में राज्य नहीं करेगा।"

1848 के प्रथम चार महीनों में क्रांति एवं महामारी की भांति समस्त यूरोप में फैलने लगी। शीघ्र ही क्रांति ने बर्लिन और वियना के द्वार खटखटाने प्रारम्भ कर दिये। सर्व प्रथम प्रशा के राइनलैण्ड, साईलेसिया तथा पूर्वी प्रशा में विद्रोह की भावना फैली। 3 मार्च 1848 में कोलोन नगर में जनता की भीड़ ने नगर हॉल में प्रवेश कर नगरपालिका सदस्यों के सम्मुख छः मांगें प्रस्तुत की। इन मांगों में मत, विचार, नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक सेना (Popular Militia) के गठन के साथ श्रमिकों की सुरक्षा, न्यूनतम जीवन यापन स्तर तथा सभी के लिए राज्य का भार में शिक्षा की व्यवस्था की मांगें की गई एवं सप्ताह बाद प्रशा की राजधानी बर्लिन में मध्यम वर्ग के लोगों ने राजनीतिक आमसभा का आयोजन किया तथा संयुक्त प्रतिनिधि सभा चुनाव तथा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की मांग की। इसके साथ ही निम्न वर्गीय लोगों ने भी अपनी मांग रखी। बर्लिन के 4000 मजदूरों ने राजा के

सामने ग्रपना याचिका प्रस्तुत का तथा श्रमिकों की दशा म सुधार करने की प्रार्थना की।

13 माच को बर्लिन म भीड तथा पुलिस व सेना म मुठभेड हो गई। अगले चार दिन बर्लिन म बराबर प्रदशन हुए दिनादिन भीड की सख्या बढी। कुछ लोगो न शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय के महल पर पत्थर भी फेके। 18 माच को प्रदशनकारियो की भीड ने उग्र रूप ले लिया। 19 माच को शासक ने अपने प्रिय बर्लिन वासियो के नाम एक पत्र लिखा। आगामी महीनो म राजा को बर्लिन छोड कर पाट्सडम जाना पडा। धीरे धीरे क्रान्तिकारियो का जोश ठण्डा पडने लगा। उधर वियना म भी विद्रोह को दबाने के समाचार मिले। इसस प्रेरणा पाकर प्रशा के शासक न भी क्रान्तिकारियो का दमन कर दिया। 1848 की क्रांति म समस्त जमनी के एकीकरण तथा जनतन्त्र की स्थापना का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन राजा भी समझ गया कि समय के अनुसार रहने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसने ऊपरी तौर पर जनता का एक सविधान प्रदान किया और उस सविधान के अन्तगत जनवरी 1849 म चुनाव कराये गये।

फ्राकफुट राष्ट्रीय सभा 1848

जब प्रशा म जनता विद्रोह कर रही थी उसी समय समस्त जमनी की जनता के प्रतिनिधि फ्राकफुट म एकत्रित हुए और उन्होंने समस्त जमनी के लिए एक सविधान तयार करने की दिशा म काय आरम्भ किया। 18 मई 1848 म फ्राकफुट नगर के सन्तपाल गिरजाघर म 830 चुने हुए प्रतिनिधियो न सविधान निमाण का काय किया। प्रतिनिधियो म अधिकाशत प्रोफेसर वकील व्यापारी डाक्टर पादरी सनिक अधिकारी तथा राज्यो की विधान सभाओ के सदस्य और पत्रकार तथा साहित्यकार लोग थ। यद्यपि उस समय कोई स्पष्ट एव सगठित राजनीतिक दल नही था फिर भी प्रतिनिधियो को विचारो व सिद्धान्तो की दृष्टि स निम्नलिखित भागो म बाटा जा सकता है। अनुदारवादी दक्षिणपथी जिसम दो वग थ एक वग म प्रशा के प्रतिनिधि थ तथा प्रशा के राजा को जमनी का सम्राट बनाकर वधानिक राजतन्त्र की स्थापना चाहते थ। इनका नेता डाल्मिटज तथा बटन ग्याग फान विक थ। दूसरा वग अन्य राज्यो का प्रतिनिधित्व करता था व प्रशा का नेतृत्व स्वीकार करने को तयार न थ।

एक वग सविधानवादियो तथा जनतन्त्रवादियो का था। इसके प्रतिनिधियो म प्रत्यधिक विलक्षण प्रतिभावान लोग मौजूद थ। हाइनरिच फान गार्गेन कवि आर्न्ट इतिहासकार डाहलमान पत्रकार ग्याग गर्वीनस तथा जाकब ग्रिम इस वग म शामिल थ। य लोग सम्राट का पद ना या न ना इस विषय म एक मत नही थ। अन्तिम वग उग्र गणतन्त्रवादियो का था। इनका नेता कुशल भाषण कर्ता रावर्ट ब्लम (1807–1848) था। य सम्राट के पद को किसी भी शत पर स्वीकार करने को तयार न थे। उनके आदश समाजवाद के निकट थ।

19 मई 1848 को फ्राकफुट स्थित जमन राष्टीय सभा न हाइनरिच फान गार्गेन को अपना अध्यक्ष चुना। माच 1849 मे राष्टीय सभा न प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय को जमनी का नया सम्राट चुना और एक प्रतिनिधि मण्डल बर्लिन भेजा ताकि वह प्रशा क शासक स इसकी स्वीकृति ल। फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने प्रतिनिधि मण्डल का उत्तर दिया। सज्जनो यह न भूलो कि जमनी म और भी राजा हैं और मैं उनम स एक हू। प्रशा के शासक ने अपने मित्रो स कहा मैं गटर म से उठाया हुआ लाल फीते (क्रान्ति) स युक्त मुकुट को कसे स्वीकार कर सकता हू। फ्राकफुट म कभी भी मुकुट तयार होगा उसम क्रान्ति की बू आएगी।

इस प्रकार 1848 की क्रान्ति जो सफलता क निकट पहुँच चुकी थी असफल हो गई। यह जमन जनतन्त्र का दुर्भाग्य था कि उस समय प्रशा के शासक ने सम्राट पद को स्वीकार नही किया। लकिन 1848 की क्रान्ति अपना प्रभाव छोड बिना न रही। समस्त जमनी क शासको को किसी न किसी रूप म जनभावनाओ का आदर करते हुए जनता को अधिकार देने पड।

बिस्माक और जमनी का एकीकरण

प्रशा क शासक विलियम फ्रेडरिक ने गार्गेन स कहा था जो कोइ जमनी का शासन चाहता है तो उसे जमनी को जीतना चाहिए दूसर शब्दो म शक्ति और तलवार के माध्यम स ही सम्राट पद धारण किया जा सकता है। 1862 म बिस्माक प्रशा का चान्सलर बना। उसी वष उसन ससदीय समिति क समक्ष घोषणा की थी-- महान् प्रश्नो का हल भाषणो व बहुमता स नही होता—यह 1848 व 1849 की भूल थी—वरन् रक्त और लोह से होता है इस भाषण का आशय यह नही कि जमन रक्त पिपासु थ वरन् बिस्माक एकीकरण की अपनी आगामी योजना म शक्ति क प्रयोग का औचित्य सम्मुख रखना चाहता था।

बिस्माक ने तीन चरणो म जमनी का एकीकरण सम्पन्न किया —

(1) डेनमाक स युद्ध

(2) आस्ट्रिया स युद्ध

(3) फ्रास स युद्ध

डेनमाक क राजा क पास दो जमन डचिया (राज्य) थी। उनक नाम थे श्लसविग तथा हाल्सटाईन। डेनमाक का राजा इन डचियो को अपने राज्य म नही मिला सकता था तथा अलग स उन पर शासन करता था। हाल्सटाईन नामक डची तो जमन परिसघ की सदस्य भी थी। 1863 म डेनमाक के राजा फ्रेडरिक सप्तम न डेनमाक क राष्ट्रवादियो क दबाव म आकर अपनी ससद म यह बिल प्रस्तुत किया कि श्लेसविग तथा हाल्सटाईन की डचियो म भी डेनमाक का सविधान लागू किया जाए। प्रशा तथा आस्ट्रिया न डेनमाक क इस कदम का विरोध किया। इसी बीच डेनमाक क शासक की मृत्यु हो गई और क्रिश्चियन नवम गद्दी पर बठा। उसन श्लेसविग

अपने राज्य में मिलाना चाहा। इसी बीच प्रशा और आस्ट्रिया ने मिलकर डनमार्क के विरुद्ध कदम उठाने का निश्चय किया। जनवरी 1864 में दोनों राज्यों ने डनमार्क के शासक से मांग की कि वह डचियों को अपने राज्य में न मिलाये। क्रिश्चियन नवम ने उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। फलत फरवरी 1864 को 37000 प्रशा तथा 23000 आस्ट्रियाई सैनिकों ने डनमार्क पर हमला कर दिया। 12 मई 1864 को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अक्तुबर 1864 में वियना में संधि हुई जिसके अन्तर्गत श्लेसविग हाल्सटाइन तथा लाउनबर्ग का प्रदेश आस्ट्रिया व प्रशा को सौंप दिये गये। 1865 के अगस्त माह में आस्ट्रिया और प्रशा के बीच गेस्टाईन समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत प्रशा को श्लेसविग तथा आस्ट्रिया को हाल्सटाइन का प्रदेश प्राप्त हुआ। प्रशा को श्लेसविग में सेना भेजने के लिए हाल्सटाइन प्रदेश से गुजरने की अनुमति दी गई तथा हाल्सटाईन के कील बन्दरगाह का प्रशासन प्रशा को सौंपा गया। प्रशा ने आस्ट्रिया को 25 लाख डनिश सिक्के (थोलर) देकर लाउनबुर्ग का प्रदेश खरीद लिया। गेस्टाईन के इस समझौते में ही भावी आस्ट्रिया प्रशा युद्ध के बीज निहित थे।

आस्ट्रिया व प्रशा में संघर्ष

प्रशा प्रारम्भ से ही इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि आस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकाल फेंका। अब उसने इतनी शक्ति अर्जित करली थी कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। लेकिन आस्ट्रिया से युद्ध आरम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक था कि कोई विदेशी राष्ट्र उसकी मदद को न आये। रूस और प्रशा के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे। बिस्मार्क को फ्रांस से ही खतरा था अतः उसे मनाना जरूरी था। अक्तूबर 1865 में बिस्मार्क बियारिट्ज में छुट्टी मनाने पहुंचा। वहीं उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय से जर्मन समस्या पर विचार विमर्श किया तथा यह पता लगाने का प्रयास किया कि यदि प्रशा व आस्ट्रिया में युद्ध छिड़ जाए तो क्या फ्रांस तटस्थ रहेगा। नेपोलियन का उत्तर था—यदि उसे जर्मनी के राईनलैण्ड प्रदेश का कुछ भाग मिले तो यह सम्भव है। यद्यपि बिस्मार्क ने इस विषय में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया लेकिन उसने नेपोलियन को यह महसूस करा दिया कि ऐसा हो सकता है।

बिस्मार्क बहुत सावधानी बरतना चाहता था। अतः उसने इटली के सार्डिनिया राज्य के साथ भी संधि करनी चाही। अप्रैल 1866 में प्रशा व सार्डिनिया के बीच संधि हुई जिसके अन्तर्गत सार्डिनिया के शासक ने स्वीकार किया कि यदि तीन माह की अवधि के भीतर प्रशा व आस्ट्रिया के बीच युद्ध हो तो वह प्रशा का साथ देगा। उधर प्रशा ने सार्डिनिया को वेनेशिया देने का वादा किया। इस प्रकार बिस्मार्क ने युद्ध की तैयारियां पूरी कर लीं। इसी बीच आस्ट्रिया व प्रशा के बीच तनाव में वृद्धि हुई। आस्ट्रिया ने आगस्टनबुर्ग नामक राजकुमार की अध्यक्षता में श्लेसविग व हाल्सटाईन का एक संयुक्त राज्य बनाने का प्रयास किया तो बिस्मार्क ने वियना पर गेस्टाईन

रिंगन वंशीय राजकुमार लियोपोल्ड को भी गद्दी पर बैठने को कहा गया। फ्रांस ने इसका विरोध किया क्योंकि प्रशा का राजवंश भी हाल्नत्सोलन वंश से सम्बद्ध था और इससे उसकी शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। 2 जुलाई को मैड्रिड में घोषणा की गई कि लियोपोल्ड ने सिंहासन स्वीकार कर लिया है। इस पर फ्रांस ने प्रशा के राजा विलियम प्रथम से माँग की कि वह लियोपोल्ड की उम्मीदवारी वापस ले। फ्रांसीसी राजदूत बेनेदित्ती बाड एम्स नामक स्थान पर प्रशा के राजा से मिला। राजा ने अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए उसमें इन्कार कर दिया परन्तु चुपचाप लियोपोल्ड से कहा कि वह ऐसा करे। लियोपोल्ड ने स्पेन के सिंहासन पद के प्रत्याशी के रूप में अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन नेपोलियन को डर था कि लियोपोल्ड अपना विचार बदल सकता है। अतः उसने अपने राजदूत को एक तार भेजा जिसमें लिखा कि प्रशा के सम्राट से मिलकर यह लिखित वचन ले कि भविष्य में होहेनत्सोलन वंश का व्यक्ति स्पेन का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। एम्स में फ्रांसीसी राजदूत ने प्रशा के राजा से भेंट की तथा नेपोलियन की माँग सामने रखी। प्रशा के शासक ने गारंटी या वचन देने से इन्कार किया। यह तार बिस्मार्क के पास भेजा गया जिसने उसे इस प्रकार सम्पादित किया कि ऐसा प्रतीत हुआ कि फ्रांसीसी राजदूत ने जर्मन शासक का अपमान किया है तथा जर्मन शासक ने फ्रांसीसी दूत को बुरा भला कहा। एम्स के इस तार को समाचार पत्रों में छपवाया गया जिससे प्रशा की जनता को लगा कि उनके शासक का अपमान हुआ है तथा फ्रांस के लोगों ने उसे अपना राष्ट्रीय अपमान समझा। बिस्मार्क ने इस तार को ऐसे लाल कपड़े की संज्ञा दी जिसे देखकर फ्रांसीसी सांड भड़क उठा। दोनों देशों में युद्ध की माँग की गई। 19 जुलाई 1870 को फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। 10 दिन में प्रशा की सेना को 300000 से बढ़ा कर 9 लाख कर दिया गया। अन्य जर्मन राज्यों ने भी राष्ट्रीय संकट की घड़ी में अपना दायित्व निभाया। अगस्त में जर्मन सेना ने अल्सास व लारेन में प्रवेश किया। 1 सितम्बर को सेडान के मैदान में फ्रांस की भारी पराजय हुई। 2 सितम्बर को नेपोलियन ने अपने 40 सेनापतियों व 83000 सैनिकों सहित समर्पण कर दिया। सीडान की पराजय के बाद उत्तरी फ्रांस में जर्मन की सेना का प्रवेश सहज हो गया। 19 सितम्बर को जर्मन सेना का एक टुकड़ा पेरिस नगर के समीप जा पहुँचा। पेरिस को समर्पण की तैयारी करना पड़ा। 18 जनवरी 1871 में फ्रांस के वर्साय के महलों में शीशमहल में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। बिस्मार्क ने जर्मनी की जनता के राष्ट्रीय एकता के सपने को पूरा किया।

विलियम द्वितीय तथा प्रथम महायुद्ध

बिस्मार्क ने 1871 में जर्मनी के चांसलर का पद ग्रहण किया तथा 1871 से 1890 तक वह जर्मनी का भाग्य विधाता बना रहा। 1888 में विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट बना। विलियम द्वितीय जर्मनी को विश्व की प्रमुख शक्ति बनाना

चाहता था। उसकी मान्यता थी जर्मनी का भविष्य लहरों पर निर्भर करता है अर्थात् वह समुद्री सेना की दृष्टि से जर्मनी को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। वह जर्मनी के लिए उपनिवेश प्राप्त करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षी नीति के कारण यूरोप में तनाव बढ़ा और अंत में प्रथम महायुद्ध (1914–1919) हुआ। जिसमें जर्मनी व आस्ट्रिया एक ओर थे तथा इंगलैंड फ्रांस रूस व इटली दूसरी ओर। युद्ध में जर्मनी परास्त हुआ और इसके साथ ही जर्मनी में राजतन्त्र खत्म हो गया। 1919 में जर्मनी में जनतन्त्र की स्थापना हुई।

हिटलर का उत्कर्ष और द्वितीय महायुद्ध

1920 में जर्मनी में वाईमार गणराज्य की स्थापना हुई। वाईमार नगर में संविधान का निर्माण हुआ। इसीलिए जर्मन गणराज्य को वाईमार गणराज्य कहते हैं। 1920 से 1933 तक वहां जनतांत्रिक शासन रहा। बाद में हिटलर सत्ता में आया। उसने विश्व पर प्रभुत्व जमाने का सपना देखा और 1938 में आस्ट्रिया पर प्रभुत्व जमाया 1939 में चेकोस्लोवाकिया हड़प लिया। 1939 में उसने पोलैण्ड पर हमला किया और द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। 1945 में युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ ही जर्मनी की एकता भी समाप्त हो गई। मित्र राष्ट्रों–अमरीका रूस ब्रिटेन व फ्रांस–ने उसे चार भागों में विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक राष्ट्र के पास उसका प्रशासन रहा। 1949 में आते आते जर्मनी में दो राज्य बने पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। आज भी जर्मनी एक विभाजित राष्ट्र है।



2

जनतान्त्रिक परम्परा

यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि जर्मनी के बारे में उनके विरोधियों ने विशेषकर ब्रिटेन तथा अमरीका ने यह प्रचार किया कि जर्मन लोग युद्धप्रिय बर्बर जनतन्त्र विरोधी दूसरे राष्ट्रों को गुलाम बनाने वाले तथा निरंकुशता तथा तानाशाही के समर्थक हैं। दो महायुद्धों की छाया में आंग्ल अमरीकी लेखकों शिक्षकों तथा प्रोफेसरों तथा पत्रकारों ने जर्मनी की निंदा की जो उनके राष्ट्रीय हित में थी लेकिन 1949 के बाद इन्हीं देशों ने पश्चिमी जर्मनी की तारीफ आरम्भ कर दी। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि प्रथम महायुद्ध से पहले ब्रिटिश शिक्षकों ने हमेशा जर्मन संस्थाओं की तारीफ के पुल बांधे तथा अमरीका ने तो जर्मन लोगों के चरित्र को अनुकरणीय माना। निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए राजनीति तथा इतिहास के छात्र को इस निंदा तथा तारीफ से दूर रह कर जर्मनी के इतिहास तथा राजनीति का अध्ययन करना होगा तभी वह सही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

जर्मनी के इतिहास के गहन अध्ययन से एक निष्कर्ष निकलता है कि यूरोप के अन्य देशों की भांति जर्मनी में भी दो विचारधाराएं प्रवाहित रही हैं। एक राजतान्त्रिक सैनिक विचारधारा जो राज्य की समस्त शक्तियों को कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में रखना चाहती थी दूसरी उदारवादी जनतान्त्रिक विचारधारा जो जनता के अधिकारों की पक्षधर थी। यह जर्मनी का दुर्भाग्य था कि दूसरी विचारधारा को वहाँ सुदृढ़ रूप से पांव जमाने के कम अवसर प्राप्त हुए। इसका कारण जर्मनी का विभाजित होना तथा देर से राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना था। इसके लिए जर्मनी से अधिक यूरोप के दूसरे देश और उनकी शक्ति की राजनीति जिम्मेदार था। लेकिन इसके बावजूद जर्मनी के बुद्धिजीवियों उदारवादी विचारकों तथा राजनेताओं ने वहाँ जनतन्त्र की स्थापना के लिए सतत प्रयास किया।

सामान्यतया यह माना जाता है कि ब्रिटिश संसद संसदीय जनतन्त्र की जननी है लेकिन यदि संसदीय जनतन्त्र की इस जननी के उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए तो उसका उत्तर हमें प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक मान्टेस्क्यू से प्राप्त होता है। मान्टेस्क्यू के शब्दों में ब्रिटिश संसद का जन्म जर्मनी के ओक के जंगलों में बना हुआ। उन्नीसवीं सदी के ब्रिटेन के एक उदारवादी विचारक चार्ल्स जेम्स फाक्स के अनुसार यूरोप में सिर्फ दो ही संविधान थे एक ब्रिटेन का दूसरा व्यूर्टमबुर्ग (जर्मनी स्थित) का। उक्त दो विचारों की मान्यता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला

जा सकता है कि जर्मनी में प्रतिनिधि समाएं तथा संसदीय विचार किसी विदेशी भूमि से नहीं आया वरन् स्वयं जर्मनों ने जन सहयोग के आधार पर प्रजातांत्रिक प्रणाली संविधान निर्माण तथा मुक्त संस्थाओं के सृजन में रुचि प्रदर्शित की।

सर्व प्रथम रोमन इतिहासकार टैसीटस ने जर्मन लोगों का जनतांत्रिक प्रवृत्ति का संकेत दिया है जिसका उल्लेख प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। मध्य-काल में इटली की भांति जर्मनी में भी नगर राज्यों का निर्माण हुआ जो अपने आंतरिक स्वशासन में पूर्णतया स्वतन्त्र थे। जर्मनी के सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय फ्रिट्ज एर्लर ने लिखा है — जर्मनी सम्मानजनक जनतांत्रिक परम्परा से रहित नहीं है। जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित वूर्टम्बर्ग राज्य में 7 नवम्बर 1457 में जो विधान सभा बुलाई गई उसे प्रथम विधान-सभा की संज्ञा दी जा सकती है।

साम्राज्य में जनतांत्रिक तत्व

नवीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जर्मनी में सम्राट का शासन रहा जो स्वभावतः ही निरंकुश शासन होता है लेकिन जर्मन साम्राज्य की यह विशेषता रहा है कि यहाँ सम्राट का भी चुनाव होता था। यद्यपि अधिकांशतः सम्राट वंशानुगत ही होते थे। लेकिन उन्हें चुनाव मण्डल से अपना चुनाव करवाना आवश्यक था। यह चुनाव मण्डल चाहता तो अन्य व्यक्ति को राजा चुन सकता था। चुनाव मण्डल में कुछ स्थानीय राजा तथा धार्मिक वर्ग के आर्कबिशप आदि शामिल होते थे। विभिन्न समयों में चुनाव मण्डल के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती थी। जब तेरहवीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा ने अपने सामन्तों को मैग्नाकार्टा प्रदान किया उसके सिर्फ पांच वर्ष बाद होहेनस्टाउफन वंश के जर्मन सम्राट ने धार्मिक बिशपों को एक चार्टर प्रदान किया तथा उसके 12 वर्ष बाद अपने राजाओं सामन्तों व कुलीन लोगों को भी चार्टर प्रदान किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट अकेला शासन नहीं करता था वरन् सामन्तों धर्म-पुरुषों तथा कुलीन लोगों को भी अधिकार प्राप्त थे। उस निरंकुश युग में इतना कार्य भी काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

नगर राज्यों में जनतन्त्र

यूरोप के जनतन्त्र के इतिहास में नगर राज्यों का प्रमुख स्थान है और इस सम्बन्ध में जर्मनी के नगर राज्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जर्मनी के नगर राज्य नागरिक स्वतन्त्रता के सजग प्रहरी थे। मध्य काल में जर्मनी में 2000 से अधिक नगर राज्य स्थापित हुए। इनमें से कई नगर राज्यों ने जनतन्त्र के क्षेत्र में महान् प्रयोग किये। मध्य काल में यह धारणा प्रचलित थी कि नगर की वायु मनुष्य को स्वतन्त्र बनाती है। इन नगर राज्य मध्यम वर्ग के उदय के कारण बने जिन्होंने नागरिक परम्पराओं संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया। जर्मनी के एक प्रमुख इतिहासकार जी आर्केन्टाय के अनुसार — स्ट्रासबुर्ग उल्म तथा आग्सबुर्ग नगर की नगर पालिकाओं के सदस्य साधारण कारीगर तथा अन्य लोग थे। ये नगर राज्य यूरोप के

नगर राज्यों में सबसे पहले नगर राज्यों में मध्य और पश्चिम यूरोप के इतिहास में प्रथम समुदाय गणतन्त्र के प्रतीक थे। उस समय इंग्लैण्ड या फ्रांस[1] में इस प्रकार की कोई जनतान्त्रिक संस्था नहीं थी।

स्ट्रासबुर्ग नगर राज्यों का वर्णन करते हुए वही लेखक आगे लिखता है — 'स्ट्रासबुर्ग नगरपालिका का प्रशासन जर्मन के इतिहास में आज तक सम्मान से गौरवपूर्ण स्मरणीय तथा गणतान्त्रिक था। कोई राजा यहाँ टैक्स नहीं वसूलता था न उसे भंग कर सकता था। कोई भी ड्यूक या सामन्त कोई दस्तंदाजी नहीं कर सकता था। नागरिक स्वयं अपना प्रशासन करते थे।' हिगहाम व डवमान नामक अंग्रेजी लेखकों की मान्यता है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कई क्षेत्रीय राज्यों के उदय से ही कई नगरों ने भारी महत्त्व प्राप्त किया तथा इससे भी कई नगर राज्यों का निर्माण हुआ। कई नगर राज्यों की सत्ता पूर्णतः जनतान्त्रिक थी और समस्त शक्ति नगर-सभाओं तथा बुर्गोमास्टर (नगरपिता) के पास थी। अधिकांश नगर राज्य कुलीनतन्त्रीय-जनतन्त्र थे जहाँ पादरी, सामन्त तथा मध्यमवर्ग के लोग मिलकर नगर सभा का निर्माण करते थे। उदाहरणार्थ न्यूरमबर्ग में कुलीनतन्त्रीय जनतन्त्र था तो स्ट्रासबुर्ग में जनतान्त्रिक व्यवस्था। फ्रैंकफुर्ट नगर में इन दोनों के बीच की व्यवस्था थी।[3]

इस प्रकार नगर राज्यों में प्रशासन मूलतः जनतन्त्र पर आधारित था। सभी नागरिक स्वतन्त्र थे और यदि किसी राज्य का कोई किसान (अर्ध-दास) भाग कर नगर में आ जाता तथा एक वर्ष और एक दिन रह लेता तो वह स्वतन्त्र हो जाता था और उसका भूतपूर्व मालिक उसे वापस ले जाने सम्बन्धी दावा पेश नहीं कर सकता था। ये नगर राज्य पूर्णतः स्वतन्त्र माने जाते थे जिन्हें जर्मन साम्राज्य की प्रतिनिधि-सभा (Diet) की सदस्यता प्राप्त होती थी। नगर का प्रशासन नगर-सभा या स्टाडरात के हाथों में होता था जिसका अध्यक्ष बुर्गरमाइस्टर या नगरपिता होता था। सभी निर्णय नगरपालिका या राथहाउस द्वारा लिये जाते थे। प्रशासन को समुचित रूप से संचालित करने के लिए सवेतनिक पदाधिकारी व क्लर्क नियुक्त किये जाते थे। नगरपिता सारे शस्त्रागार का ध्यान तथा नगर-सभा की कार्यवाही का लेखा-जोखा रखता था। नगर-सभा शाखाओं तथा फौजदारी कानूनों का निर्माण तथा सेना तथा प्रशिक्षा के संगठनों का निर्देशन करती थी।

ज्यों-ज्यों जर्मन सम्राट की शक्तियों का पतन हुआ त्यों-त्यों सामन्त तथा राजा लोग शक्तिशाली बने और उन्होंने कई नगर राज्यों को पराजित कर अपने राज्यों में मिला लिया। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कई नगर राज्यों ने अपना अस्तित्व

1 देखिए वाल्टर स्टाल (सम्पादक) दी पॉलिटिक्स ऑफ पोस्टवार जर्मनी (न्यूयार्क 1963) में कर्ट इरेन का लेख दी जर्मन मिडिल पृ 139।

2 वही पृ 139।

3 स्टाउट विल्सन व रिचार्ड के रैसमान, जर्मन पार्लियामेंट्स (सन् 1954) पृ 36।

बनाये रखा इनमें फ्रांकफुर्ट ब्रेमेन ल्यूबेक हाम्बुर्ग आदि प्रमुख थे। आज भी पश्चिमी जर्मन संघ राज्य के दो सदस्य हाम्बुर्ग तथा ब्रेमेन नगर राज्य हैं। ये नगर राज्य जर्मनी के जनतान्त्रिक आन्दोलन के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी की जर्मन नगरपालिकाओं के लिए ये नगर राज्य आदर्श रहे हैं।

जर्मन एस्टेटस या क्षेत्रीय संसदें

नगर राज्यों की जनतान्त्रिक परम्परा को जर्मन एस्टेटस ने आगे बढ़ाया। जर्मन सम्राट की शक्ति में कमी आने के कारण 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में नये क्षेत्रीय राज्यों (एस्टेटस) को लघु संसदों या क्षेत्रीय संसदों की संज्ञा दी जा सकती है। सर्वप्रथम हमें एस्टेट्स शब्द का अर्थ समझना चाहिए। एस्टेटस पादरियों सामन्तों व कुलीन वर्गीय लोगों तथा नागरिकों की एक प्रतिनिधि सभा थी जो एक राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती थी। एस्टेटस जर्मन राजाओं के विरुद्ध जनता के अधिकारों की रक्षा करती थी। इनमें सुदृढ़ संसदीय एवं उदार परम्पराएं विकसित हुईं। इन्होंने न केवल राजाओं के निरंकुश अधिकारों को नियन्त्रित किया वरन् प्रशासन तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं का संचालन भी किया। राज्य के वित्त पर उनका नियन्त्रण होता था। यही कारण है कि राजा उनकी बात सुनने को बाध्य था।

जर्मनी की व्युर्टेमबुर्ग-एस्टेटस एक आदर्श एस्टेटस मानी जाती थी। इस एस्टेटस का संविधान तत्कालीन यूरोप का सबसे अधिक उदार संविधान था। इसी से प्रभावित होकर चार्ल्स जेम्स फोक्स ने कहा — यूरोप में केवल दो ही संविधान हैं एक ब्रिटेन का संविधान और दूसरा व्युर्टेमबुर्ग का। एफ एल कार्स्टन ने मत व्यक्त किया है कि निरंकुश राजतन्त्र के युग में इन क्षेत्रीय संसदों ने स्वतन्त्रता व संवैधानिक सरकार की भावना का प्रतिनिधित्व किया।[1]

ये एस्टेटस दैनिक कार्यों व साधारण मामलों में स्वयं कदम उठाते थे। यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में एस्टेटस का काउण्ट या ड्यूक सलाह देने से इन्कार करता तो ऐसी स्थिति में वह कोई भी कदम उठा सकती थी। विदेशी मामलों में भी एस्टेटस का भारी प्रभाव था। जब व्युर्टेमबुर्ग के ड्यूक एबरहार्ड ने बवेरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहा तो एस्टेटस ने कहा कि पहले उन लोगों की (जनता की) सम्मति ली जाए जो अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। 1514 में एस्टेटस ने अपने ड्यूक के साथ समझौता किया जिससे एस्टेटस को और अधिक अधिकार मिले। ट्यूबिंगन के इस समझौते का जर्मनी के संसदीय इतिहास में भारी महत्त्व है। यह तय किया गया कि सभी नियुक्तियों—चाहे वे प्रशासनिक हों या धार्मिक—में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोई भी महत्त्वपूर्ण युद्ध छेड़ने से पूर्व एस्टेटस की स्वीकृति जरूरी है। व्युर्टेमबुर्ग एस्टेटस के ट्यूबिंगन समझौते को जर्मनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है।

1 एफ एल कार्स्टन प्रिंसेज एण्ड पार्लियामेंट इन जर्मनी (आक्सफोर्ड 1959) पृ 444

फ्रांसिसी क्रांति और जर्मनी में जनतन्त्र की भावना

अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में फ्रांस में क्रान्तिकारी भावनाएं उमड़ी और फ्रांसीसी जनता या जनमत अछूता न रहा। फ्रांस की क्रांति जर्मन जनता भी स्वतन्त्रता समानता और बन्धुत्व के नारों से प्रभावित हुई लेकिन जनता अभी इतनी सशक्त नहीं थी कि कुछ प्रभावशाली कदम उठा सकती।

1848 का जर्मन संविधान

1807 में प्रशा में बरन फान स्टाइन ने सुधार आरम्भ किया जिनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 1848 की जर्मन क्रांति यद्यपि असफल रही लेकिन फ्रांकफुर्ट के सतपाल गिरजाघर में जर्मन प्रतिनिधियों ने जो संविधान बनाया वह जर्मन जनतन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। वह संविधान भले लागू न हो सका लेकिन भावी जर्मन संविधान तथा 1920 के वाइमार संविधान में 1848 के संविधान के अनुच्छेदों का महत्त्वपूर्ण स्थान मिला। 1848 के अप्रभावी संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

संसद के दो सदनों की व्यवस्था की गई थी प्रतिनिधि सभा या लोकसभा को लोक हाउस के नाम से पुकारा गया। लोक हाउस में समस्त जर्मन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की व्यवस्था थी। राज्यसभा के रूप में स्टाटनहाउस की रचना की गई। इसकी सदस्य संख्या 192 रखी गई। इसमें से आधे राज्यों के प्रतिनिधि तथा आधे राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधि होते थे। स्टाटनहाउस का कार्यकाल 6 वर्ष नियत किया गया।

फोल्क हाउस (लोकसभा) का चुनाव सार्वभौमिक (Universal) समान तथा गुप्त मतदान प्रणाली से होना था। प्रति एक लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होना चाहिए था। 25 वर्ष की उम्र वाला प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता था। फोल्क हाउस किसी भी मामले पर निर्णय व अन्य व्यवस्था की स्थापना करेगा। यदि एक विधेयक तीन बार संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता तो सम्राट के अनुमति न देने पर भी वह कानून बन सकता था। जनता को कानून के समक्ष समानता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता आत्मा की स्वतन्त्रता तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।

प्रशा का संविधान 1850

यद्यपि जर्मन संविधान 1848 में लागू नहीं हुआ पर समय को देखकर जर्मन ड्यूक व राजाओं ने अपनी जनता को सीमित अधिकार प्रदान किये। 1850 में प्रशा में संवैधानिक राजतन्त्र का सूत्रपात हुआ। दो सदनों की व्यवस्था के साथ-साथ इसके लिए दो सदनों की व्यवस्था की गई। उच्च सदन या राज्य सभा में सामन्त, नगर विश्वविद्यालयों उद्योगों तथा मध्य वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होते थे। प्रतिनिधि सभा का चुनाव तीन श्रेणियों द्वारा किया जाता था ये श्रेणियां थीं सम्पत्तिशाली लोग

मध्य वर्ग तथा निर्धन वर्ग । तीनों वर्गों के क्रमशः 1/3 सदस्य चुने जाते थे । संसद के दोनों सदन राजा के साथ विधि निर्माण का कार्य करते थे । बजट निर्माण में भी दोनों सदनों की स्वीकृति जरूरी थी । बजट पारण सम्बन्धी समस्या को लेकर राजा तथा प्रतिनिधि सभा में अक्सर मतभेद होता था । 1860 के आसपास जब प्रशा के राजा ने अपनी सेना में वृद्धि के लिए अधिक बजट की मांग की तो प्रतिनिधि सभा ने उसका विरोध किया । यह उल्लेखनीय है कि 1858 में प्रशा में प्रतिनिधि सभा के चुनावों में 210 उदारवादी तथा 59 अनुदारवादी लोग जीते जबकि पिछली प्रतिनिधि सभा में अनुदारवादियों की संख्या 236 थी ।

1871 का संविधान

1862 में बिस्मार्क प्रशा का चान्सलर (प्रधान मन्त्री) बना 1866 में आस्ट्रिया को पराजित करने के बाद उसने उत्तर जर्मन परिसंघ का निर्माण किया जिसके लिए संविधान तैयार किया गया । यही संविधान 1871 के संविधान का आधार बना । 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात् नवीन संविधान लागू हुआ । 1871 के संविधान के अन्तर्गत संसद के दो सदनों की व्यवस्था की गई । राज्य सभा को बुन्देसराट के नाम से पुकारा गया तथा लोकसभा को राइखस्टाग कहा गया ।

इस संविधान में सम्राट का पद वंशानुगत रखा गया । उसके अधिकार व्यापक थे । वह चान्सलर की नियुक्ति करता तथा चान्सलर सम्राट के प्रति उत्तरदायी था । बुन्देसराट में जर्मन संघ के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि थे । ये प्रतिनिधि अपनी राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार मतदान करते थे । बुन्देसराट को न सिर्फ प्रशासनिक व विधायी अधिकार प्राप्त थे वरन् सलाह सम्बन्धी न्यायिक तथा राजनयिक (Diplomatic) अधिकार भी प्राप्त थे । राइखस्टाग की तुलना में बुन्देसराट को अधिक अधिकार प्राप्त थे ।

1871 के जर्मन संविधान के 7 वें अनुच्छेद के अनुसार—बुन्देसराट—

(1) राइखस्टाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों व निर्णयों

(2) सामान्य प्रशासनिक कदम उठाने तथा

(3) साम्राज्य के कानूनों के पालन में रही कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगी

अनुच्छेद 8 के अनुसार बुन्देसराट को (1) स्थल सेना (2) जल सेना (3) सीमा शुल्क व कर (4) व्यापार व परिवहन (5) रेल मार्ग डाक व तारघर (6) न्याय सम्बन्धी तथा (7) लेखा जांच के बारे में समितियां नियुक्त करने का अधिकार था ।

अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि बुन्देसराट के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वह राइखस्टाग की बैठक में भाग न लेकर हर समय उसकी बात सुनी जानी चाहिए ताकि वह अपने राज्य के विचारों का प्रतिनिधित्व कर सके ।

अनुच्छेद 10 में बुन्देसराट के सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है । यह कहा गया कि सम्राट का यह दायित्व होगा कि वह बुन्देसराट

के सम्पूर्ण का साधारण राजनयिक सुरक्षा प्रदान करे। राईशटाग के बारे में 1871 के जर्मन संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं थीं। अनुच्छेद 20 के अनुसार जर्मन राईशटाग का चुनाव समस्त वालिग मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा समान रूप से गुप्त मतदान द्वारा होगा।

अनुच्छेद 21 में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी सरकारी नौकर को राईशटाग में जाने के लिए सरकारी छुट्टी लेना नहीं जाएगी। अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था थी कि राईशटाग की वर्कें सार्वजनिक होंगी। अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत राईशटाग को यह अधिकार दिया गया कि वह जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं को बुन्देसराट व चान्सलर के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 25 में राईशटाग के कार्यकाल का उल्लेख किया गया। तदनुसार यह कार्यकाल 5 वर्ष का था। राईशटाग को भंग करने के लिए बुन्देसराट की अनुमति जरूरी थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1871 के प्रारम्भिक जर्मनी में मताधिकार थोड़े से लोगों तक सीमित था उस समय जर्मन साम्राज्य में समस्त वालिग जनता को मताधिकार प्राप्त था।

वाईमार संविधान 1919

प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद सम्राट ने पद त्याग कर हालैण्ड में शरण ली तथा जर्मनी में जनतन्त्र की घोषणा हुई। वाईमार नगर में नवीन संविधान तैयार हुआ तथा 1919 में उसे लागू किया गया। इस संविधान में 1848 के संविधान को काफी महत्व दिया गया। वाईमार संविधान तत्कालीन विश्व का श्रेष्ठतम संविधान माना जा सकता है। इसके बावजूद यह असफल रहा तथा 1933 में हिटलर ने सत्ता में आने के बाद इसे उठाकर ताक में रख दिया।

वाईमार संविधान को मसविदा एक प्रथम नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। इस इस संविधान का जनक कहा जा सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई कि जर्मन साम्राज्य एक गणतन्त्र है जहां सर्वोच्च सत्ता जनता में प्राप्त होती है। वाईमार संविधान ने तीन प्रमुख संस्थाओं की व्यवस्था की। (1) राईशटाग (राजसभा) (2) राईशराट (राज्य सभा) तथा (3) राईशविर्टशाफ्टराट (आर्थिक सभा)। तीसरी संस्था तो लगभग निष्क्रिय ही रही।

राईशटाग के अधिकारों और शक्तियों का विवरण संविधान के 20 से 40 तक के अनुच्छेदों में प्राप्त होता है। यह सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जर्मन जनता की प्रतिनिधि सभा थी। राईशटाग का कार्यकाल 4 वर्ष था। इसे असीमित विधायी अधिकार प्राप्त थे। साथ ही वह जांच समिति की नियुक्ति कर सकती थी। यद्यपि जर्मन राष्ट्रपति राईशटाग को भंग कर सकता था लेकिन 60 दिन के भीतर नवीन राईशटाग का चुनाव कराना जरूरी था। राईशटाग के सदस्यों को बड़ी उन्मुक्तियां प्राप्त थीं तथा उन्हें गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। 1871 के संविधान की तुलना में 1919 की राईशटाग को भारी महत्व दिया गया। वह सही अर्थ में सर्वसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभा थी।

राइशरात (राज्य सभा) भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। अनुच्छेद 60 से 67 तक उसके अधिकारों का वर्णन किया गया था। सामान्यतया प्रत्येक कानून के लिए इसकी स्वीकृति जरूरी थी लेकिन राइशटाग उसकी आपत्तियों की अवहेलना कर सकती थी। राइशरात की अनुमति के बिना संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

वाइमार संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था थी। उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना था। उस संविधान के 48 वें अनुच्छेद द्वारा व्यापक संकट कालीन अधिकार दिए गए।

वाईमार गणतन्त्र की असफलता के कारण

वाईमार संविधान एक आदर्श संविधान कहा जा सकता है। लेकिन राबर्ट नी न्यूमान के शब्दों में एक सरकार की शक्ति मुख्यतः उसके संविधान के मूल पाठ (Text) तथा व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं होती। अन्ततः राजनीतिक कला के उत्तरदायी व्यवहार पर ही राजनीतिक स्थायित्व निर्भर करता है।[1] अपनी प्रारम्भ व्यवस्थाओं के बावजूद वाईमार संविधान 15 वर्षों में ही मृत दस्तावेज मात्र रह गया। 1939 में तो उसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वाईमार संविधान की असफलता के लिए संविधान तो उत्तरदायी था ही साथ ही जनतन्त्र विरोधी शक्तियाँ विश्व आर्थिक संकट जर्मनी में व्याप्त बेरोजगारी यहूदी विरोधी भावना पूंजीपतियों व धर्म प्राण जनता में साम्यवाद का भय हिटलर का व्यक्तित्व आदि कई कारण मुख्यतः जिम्मेदार थे। उसकी असफलता के ब्यौरेवार निम्नलिखित कारण हैं।

कुख्यात 48 वीं धारा

यदि जर्मन संविधान में ही उसकी असफलता का कारण ढूंढना है तो संविधान के 47 वें अनुच्छेद को इसके विनाश के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निस्सन्देह वाईमार संविधान एक प्रगतिशील दस्तावेज था लेकिन 48वीं धारा जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को व्यापक संकटकालीन अधिकार दिए गए थे जिनके बराबर दुरुपयोग के अन्तर्गत राष्ट्रपति राईशटाग को भंग कर नए चुनाव के आदेश दे सकता था संकटकाल की घोषणा कर मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता था। राष्ट्रपति वर्ग ने बार बार इस धारा का प्रयोग कर जर्मन जनतन्त्र की नींव पर प्रहार किया। बाद में हिटलर ने इसी अनुच्छेद का सहारा लेकर समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में केन्द्रित कर ली।

राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव

वाईमार संविधान के निर्माताओं ने संविधान को अधिक जनतान्त्रिक बनाने के लिए न केवल एक प्रतिनिधि सभा जिसे राईशटाग के नाम से सम्बोधित किया जाता है की व्यवस्था की वरन उन्होंने राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की भी व्यवस्था की। इस प्रकार जर्मन संसदीय प्रणाली न तो अमरीका की भांति पूरी तरह अध्यक्षात्मक

1 राबर्ट जी नोइमान गवर्नमेंट आफ फेडरल रिपब्लिक (न्यूयार्क 1966)

व्यवस्था बन सकी न ही इंगलैण्ड या भारत की भांति मंत्रिमण्डलात्मक व्यवस्था। अपने प्रत्यक्ष चुनाव व लोकप्रिय समर्थन के कारण राष्ट्रपति भी राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा कर सकता था। उधर संविधान ने चांसलर (प्रधान मंत्री) को भी काफी महत्त्वपूर्ण अधिकार दे रखे थे अतः वह भी जनता का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा कर सकता था। दोनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग कर सकता था।

जनतन्त्र विरोधी शक्तियां

संविधान की हत्या का मुख्य दोष जनतन्त्र विरोधी राजनीतिक दलों पर रखा जा सकता है। अनुदार पंथी कट्टर राष्ट्रवादी राजनीतिक दल नात्सी दल तथा साम्यवादी दल वाईमार व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने पर उतारू थे। साम्यवादी दल वाईमार गणतन्त्र के स्थान पर क्रान्ति के माध्यम से साम्यवादी व्यवस्था थोपना चाहता था। राष्ट्रवादी तत्व वाइमार गणतन्त्र को पराजय का प्रतीक मानते थे उसे जर्मनी के माथे पर कलंक का टीका समझते थे और उसे समाप्त करना ही उनका परम उद्देश्य था। नात्सीदल तानाशाही का समर्थक था। वह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था जब गणतन्त्र समाप्त हो जाए। नात्सी नेता गोबल्स ने तो 1928 में यहां तक लिखा "हम राईखस्टाग में इसलिए प्रवेश कर रहे हैं ताकि हम जनतन्त्र के शस्त्रागार से अपने आपको शस्त्रों से सुसज्जित कर सकें। हम राईखस्टाग के डेपुटी (प्रतिनिधि) इसलिए बनेंगे ताकि हम वाईमार की भावना को नष्ट कर सकें। यदि जनतन्त्र इतना घोर मूर्ख है कि वह हमें मुफ्त भोजन तथा रेल टिकट प्रदान करता है ताकि हम उसकी वैसी सेवा कर सकें तो यह उसका अपना मामला है। हम शत्रु की भांति प्रवेश करते हैं ताकि भेड़ों को खत्म कर सकें।"

आनुपातिक चुनाव प्रणाली तथा बहुदलीय प्रथा

आनुपातिक चुनाव प्रणाली यद्यपि अंकगणना शास्त्र की दृष्टि से एक न्यायपूर्ण व आदर्श व्यवस्था है लेकिन सहज ज्ञान की दृष्टि से यह खतरनाक हो सकती है। यही प्रणाली जर्मन स्वतन्त्र के लिए मृत्यु का सन्देश बन गई। आनुपातिक चुनाव प्रणाली के उपयोग से राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि होती है और अधिक दल होने पर जनतन्त्र में अस्थिरता व कमजोरी आती है। एक समय वाईमार गणतन्त्र में 36 राजनीतिक दल थे। ये अपने दलगत स्वार्थों को अधिक तथा राष्ट्र की चिन्ता कम रखते थे। आनुपातिक प्रणाली के कारण राईखस्टाग में अनेक दल हो गये तथा सरकार के निर्माण में कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। इसलिए मिले जुले मंत्रिमण्डल बनते थे। शीघ्र ही वे टूट भी जाते। चांसलर में अविश्वास व्यक्त करने के लिए तो विभिन्न राजनीतिक दल झट तैयार हो जाते लेकिन नए चांसलर के चुनाव के समय

कठिनाई आती क्योंकि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण दल अपने दल का चान्सलर चाहता था। इसस सरकार म अस्थायित्व आया प्रशासन कमजोर हुआ और जनकल्याण क कार्यों का ठस लगी।

विश्व आर्थिक सकट

यदि 1929–30 म विश्वव्यापी आर्थिक सकट उपस्थित न होता तो सम्भवत जमन जनतन्त्र दीर्घकाल तक चल सकता था। प्रथम महायुद्ध क कारण जमनी म प ल ही बकारी भुखमरी तथा आर्थिक सकट विद्यमान था और 1929 म जब अमरीका की वालस्टीट म आर्थिक धमाका हुआ तो जनतन्त्र क बचन की रही सही उम्मीद भी जाती रही। जब अमरिका म डालर के मूल्य म गिरावट आई तो उसम समस्त विश्व और विशेषत यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। आर्थिक सकट क कारण विश्वव्यापी मन्दी आया। जमनी का विदेश व्यापार उजड गया और *आन्तरिक अर्थव्यवस्था भी इस भारी धक्क का सहन न कर सकी।*

जमन सेना द्वारा जनतन्त्र का विरोध

1871 के बाद स ही जमनी म सेना का अत्यधिक महत्त्व तथा प्रभाव था। स्वय बिस्मार्क इनस चिन्ता था और व्यग्य स उन्ह अध दवता कहता था। सनिक अधिकारियो म अधिकाशत कुलीन सामत व जमीदार थ। जनतन्त्र की स्थापना स उनक विशषाधिकारो पर कुठाराघात का सम्भावना थी अत जनतन्त्र का व नापसन्द करत थ। सना का जमन राजनीति पर प्रभाव इस बात स स्पष्ट हो जाता है जमनी म 1920 स 1928 तक कई मन्त्रिमण्डल बदने लकिन सना (प्रतिरक्षा) मन्त्री डा गजलर ही बना रहा। जब उस हटान का सवाल आया तो सना म उसके विश्वसनीय व्यक्ति जनरल ग्रानर का उस पद पर ला बिठाया गया। सनिक अधिकारी प्रथम महायुद्ध का पराजय का बदला लना चाहत थ।

हिटलर द्वारा जनतन्त्र की हत्या

1933 म हिटलर सत्ता म आया। यद्यपि उसन सवधानिक तरीक म चान्सलर का पद प्राप्त किया लकिन शीघ्र ही उसने जनतन्त्र की हत्या कर दी। उसन सभी विरोधी दलो पर प्रतिबध लगा दिया तथा उसका नात्सी दल (नशनल सोशलिस्ट लबर पार्टी आफ जमनी) ही एक मात्र कानूनी दल रहा। अपनी समस्त निरकुश शक्तियो तथा सत्ता क दुरुपयोग गर कानूनी गिरफ्तारियों नजरबन्दी तथा यातना क बावजूद वह जमन जनता का मन नहीं जीत सका उसे मजबूरन उसकी आज्ञा का पालन करना पडा। विरोधी राजनीतिक दलो पर प्रतिबध लगान क बावजूद कई जमन लोगो न हिटलर का विरोध किया कई विरोधी-समूहो का जन्म हुआ। श्रमिकों बुद्धिजीवियों पादरियो विद्यार्थियों तथा जमन समाज क सभी वर्गों क लोगो न गुप्त रूप स हिटलर का प्रतिरोध जारी रखा। *हिटलर विरोधी आन्दोलन*

के कुछ प्रमुख नेता थे मार्टिन नीमोलर, डायट्रिख बॉनहॉफ़र, स्टाउफ़ेनबर्ग, मॉल्टके, गोरडेलर, ज़्वेंगलर, अल्फ्रेड डेल्प, विश्वप्रसिद्ध पादरी पास्टर, पॉल श्नाइडर तथा युवक तथा जर्मनवासी छात्र-छात्राएँ तथा उनकी बहिन सोफी[1] इन लोगों ने जनतन्त्र के आदर्शों के लिए हिटलर के विरोध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हिटलर विरोधी आन्दोलन का मार्ग था—जर्मन जनता के जनतन्त्र प्रेम की जीती-जागती तस्वीर है। हिटलर का विरोध करने के बाद आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने पर मेजर जनरल हेनिंग फॉन ट्रेस्कॉव ने लिखा—"हिटलर न केवल जर्मनी का वरन् समस्त विश्व का घोर शत्रु है।" इस प्रकार जर्मन जनतन्त्र के उतार-चढ़ाव पूर्ण इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय उपस्थित हुआ।

जर्मन राजनीतिक दल

राजनीतिक दल समसामयिक जनतन्त्र के नियन्ता, प्रहरी, वाहक तथा रक्षक होते हैं। जनतान्त्रिक सरकार के कार्य को सम्पन्न करने के लिए वे अनिवार्य हैं। वे प्रशासन के पहिये हैं। उनके अभाव में न व्यवस्थित ढंग से नीति का निर्माण हो सकता है न उसे लागू किया जा सकता है। चुनाव के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर अपने आदर्शों तथा कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयत्न करते हैं। इनका मुख्य कार्य जनमत को जाग्रत करना है तथा उन्हें अपने कार्यक्रमों, विचारों, योजनाओं तथा आदर्शों से अवगत कराना है। इस दृष्टि से राजनीतिक दल जनता के पथ प्रदर्शक हैं, उसे शिक्षा तथा दृष्टि प्रदान करते हैं।

अपने वर्तमान स्वरूप में राजनीतिक दल लगभग 100–125 साल से अधिक पुराने नहीं हैं। इससे पूर्व जनमत प्रवर्तक दल चुनाव जीतने के लिए सम्मेलन, धार्मिक अथवा सामाजिक समाज या समदीय सम्मेलन का अस्तित्व में रहे हों लेकिन उन्हें राजनीतिक दलों की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आधुनिक राजनीतिक दलों की परिभाषा मकाइवर के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है — "राजनीतिक समुदाय एक है जिसका संगठन किसी विशेष सिद्धान्त या नीति के समर्थन के लिए हुआ हो और जो संवैधानिक उपायों का सहारा लेकर उस सिद्धान्त अथवा नीति के आधार पर सरकार बनाने का प्रयत्न करता हो।" जर्मन विद्वान मैक्स वेबर के अनुसार, "राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है जो शासन सत्ता को हस्तगत करना चाहता है और सत्ता प्राप्ति के लिए प्रचार और आन्दोलन का सहारा लेता है।" इन अर्थों में सुसंगठित राजनीतिक दलों का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। जर्मनी में भी 1860 के आसपास ही सुसंगठित राजनीतिक दलों की स्थापना का क्रम प्रारम्भ हुआ और आदर्शों व विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल बने।

1 हान्स शोल व उसकी बहिन सोफी ने नाज़ियों का विरोध करने के लिए श्वेत गुलाब नामक संस्था का निर्माण किया तथा हिटलर तथा युद्ध विरोधी पर्चे वितरित किए।

प्रारम्भ हुए । इससे पूव भी कइ समूह थ जिनके राजनीतिक धार्मिक व सामाजिक उद्देश्य थे लेकिन य समूह राजनीतिक दला की वतमान परिभाषा क अन्तगत नहा आते थ । क्योकि राजनीतिक दला क लिए आधारभूत सिद्धान्ता की एकता सगठित रूप स वधानिक उपाया का प्रयाग तथा राष्ट्रीय हिता की वद्धि आवश्यक तत्त्व है। 1870 स पूव जमनी एक राष्ट्र ही नही था अत राष्ट्रीय हिता की वद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

जमन राजनीतिक दलो के उद्भव व विकास का ज्ञान प्राप्त करन म पूव यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल मूलत कितने प्रकार क हाते हैं। सामान्यतया राजनीतिक दला का चार भागा म विभाजित किया जा सकता है —

(1) उदारवादी दल —य वे दल हैं जो समय और परिस्थितिया क अनुकूल हा। पूव के सवधानिक उपाया का सहारा लेत हुए शासन-व्यवस्था म परिवतन चाहत हा ।

(2) अनुदारवादी वे दल है जा यथास्थिति (Status quo) के पोषक हैं तथा प्राचीन व्यवस्था का बनाय रखना चाहत हैं ।

(3) उग्रवादी राजनीतिक दलो के अन्तगत व दल आते हैं जो क्रान्तिकारी परिवतना की वकालत करत हैं तथा नई व्यवस्था कायम करन क लिए वतमान व्यवस्था को हिंसक क्रान्ति द्वारा बदलन क लिए भी तयार है ।

(4) प्रतिक्रियावादी दल की परिधि म व राजनीतिक दल शामिल हैं जो अतीतोन्मुखी है। व भूतकाल को ही स्वण-युग मानत है तथा प्राचीन सभ्यता संस्कृति आचार विचार और परम्पराओ का पुनस्थापना करना चाहत हैं। यहा यह ध्यान दन योग्य है कि आधुनिक राजनीतिक दलो म स अधिकाश दला पर उपरिलिखित वर्गीकरण पूरी तरह सही नहा उतरता। हो सकता है कि एक दल अनुदारवादी राजनीतिक दल हान के साथ ही साथ कुछ मामला म उदार हो और कुछ मामला में प्रतिक्रियावादी । इसी प्रकार अपन आपको उदार कहन वाला राजनीतिक दल कुछ प्रश्नो पर उग्रवादी भी हो सकता है ।

जमनी क राजनीतिक दला को भी उदारवादी अनुदारवादी तथा उग्रवादी राजनीतिक दला की श्रेणी म रखा जा सकता है । सब प्रथम हम 1848 की क्रान्ति क समय सन्त पाल गिरजाघर म एकत्रित जमन प्रतिनिधिया म असगठित राजनीतिक समूहा क दशन हात हैं। वहा एकत्रित प्रतिनिधिया म कुछ लाग अनुदारवादी थ कुछ उदारवादी तथा कुछ उग्रवादी । इनका वणन पिछल अध्याय म किया जा चुका है। 18₅0 की प्रश की प्रतिनिधि-सभा म भी हम उदारवादी प्रारम्भिक राजनीतिक दला का आभास या सकेत मिलता है लेकिन सुस्पष्ट रूप म राजनीतिक दल 1861 क बाद ही उभर थ । 1863 म प्रशा क चुनाव म निम्नलिखित दल उभर कर आय ।

राजनीतिक दल का नाम	प्राप्त मतों की संख्या
उदारवादी (प्रगतिशील दल)	536 000
अनुदारवादी	336 000
पोल (Poles)	132 000
कैथोलिक दल	23 000
अन्य दल	72 000

जर्मनी में व्यापक रूप से संगठित राजनीतिक दलों के सर्व प्रथम दर्शन हमें 1871 के संविधान के बाद होते हैं। 1871 में राष्ट्रीय स्तर पर 6 विशाल राजनीतिक दल तथा लगभग 13 छोटे दल थे। स्थानीय चुनावों में दर्जनों दल भाग लेते थे। 6 प्रमुख दलों के नाम इस प्रकार हैं—

(1) अनुदारवादी
(2) स्वतन्त्र अनुदारवादी
(3) राष्ट्रीय उदारवादी
(4) सेंटर (मध्यवर्ती) दल
(5) प्रगतिशील उदारवादी
(6) सोशल डमोक्रेट (समाजवादी)

1871 से 1918 में मुख्य राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित तालिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी—

जर्मन राइशटाग 1871–1918

राजनीतिक दल	प्रतिनिधियों की संख्या			
	1871	1893	1907	1912
(1) अनुदार दल	90	100	109	68
(2) उदार राज्य पार्टी	30	—	—	—
(3) राष्ट्रीय दल	119	53	56	44
(4) वाम पंथी—उदारवादी दल (अ) उदारवादी दल (ब) उदार जनता-दल (स) दक्षिण जर्मन जनता दल (द) उदार संघ (ई) प्रगतिशील जनता-दल	47	48 (सभी दलों को मिलाकर)	50	42

(5) सोशल डेमोक्रटिक पार्टी	1	44	50	4?
(6) सेंटर पार्टी	58	96	105	93
(7) सुधारक दल	—	16	—	—
(8) स्वतन्त्र निदलीय	15	5	3	7
(9) पोल लोगो का दल	14	19	20	18
(10) वोल्फन लोगो का दल	7	7	2	9
(11) अल्सास लॉरेन दल	—	8	8	9
(12) डन लोगो का दल	1	1	1	1

उदारवादी दलों का विकास

1859 म जमन राष्ट्रीय सघ नामक एक उदार सगठन बना तथा इसी उदार सघ ने 1861 मे प्रशा की विधान-सभा (लैण्डटाग) म जमन प्रगतिशील दल के रूप म स्थान ग्रहण किया। लेकिन जमनी के उदारवादियो म भारी मतभेद था। 1867 मे रुडोल्फ फान बनिगसेन क नेतृत्व म एक अन्य राजनीतिक दल का निर्माण हुआ जिसे राष्ट्रीय उदारवादी दल क नाम से जाना जाता है। 1884 म राष्ट्रीय उदार वादी दल का पुनगठन किया गया। अब यह दल राष्ट्रीय अधिक तथा उदारवादी कम रह गया था। इसस असन्तुष्ट होकर उदारवादियो के एक वग ने यूगन रिक्टर क नेतृत्व मे अन्य उदारवादी दल (फ्राईसिनिग पार्टी) का निमाण किया। 1871 से 1918 के बीच उदारवादी दल अधिकाधिक विभक्त होता गया और वह सात राजनीतिक दलो म बट गया। दो दलो का झुकाव दक्षिण पथ तथा पाँच का रुझान वामपथ की ओर था। इनका विवरण ऊपर दी गई तालिका म है। विभाजन के कारण उसकी शक्ति कमजोर होती गई।

प्रथम महायुद्ध (1914-1918) क बाद जमनी म गणराज्य की स्थापना हुई तो उदारवादियो ने विचार किया कि यदि व सगठित नहीं होंगे तो उनका पतन निश्चित है। लेकिन अभी भी विभिन्न वर्गों म मतभेद थे। यही कारण है कि 1919 से 1933 तक दो उदार राजनीतिक दल जमनी म मौजूद रहे —

(1) जमन जनतान्त्रिक दल (German Democretic Party)

(2) जमन जनतादल [German Peoples Party]

इनमे से प्रथम दल प्रगतिशील नीतियो का हामी था और उसका झुकाव कुछ सीमा तक वामपथी था। जमन जनतान्त्रिक दल क प्रमुख नेताओ के नाम इस प्रकार हैं—फ्रीडरिच नोमान ह्यूगो प्रयस वाल्टर राथनाउ तथा कानराड हाउसमान।

दूसरा उदारवादी दल था जर्मन जनतान्त्रिक दल इसका नेता गुस्ताफ स्ट्रासमान था। दोनों दलों को जर्मनी की राइशटाग में निम्नलिखित स्थान प्राप्त थे।

राइशटाग 1919–1933

वर्ष	जर्मन जनता दल	जर्मन जनतान्त्रिक दल
1919	22	74
1920	62	45
1224	44	28
1924	51	32
1928	45	25
1930	30	14
1232	7	4
1932	11	2
1933	2	5

उक्त तालिका से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यदि दोनों दल संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते तो वे एक सशक्त दल के रूप में उभर कर सामने आ सकते थे। 1934 में हिटलर ने विरोधी दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

समाजवादी दल

जर्मन समाजवादी दल सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विख्यात है। यह दल यूरोप के प्राचीनतम समाजवादी दलों में से एक है। इसकी स्थापना 1863 में हुई। उस समय इसका नाम समग्र जर्मन श्रमिक संघ था। इसकी स्थापना फर्डिनेण्ड लासाल (1825–1864) नामक व्यक्ति ने की। ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टेण्ड रसल के अनुसार फर्डिनेण्ड लासाल ने जर्मन श्रमिक आन्दोलन का निर्माण किया तथा लम्बे अरसे तक और आज भी उस दल पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। जर्मन सोशल डमोक्रेटिक पार्टी पर कुछ अन्य लोगों का भी प्रभाव रहा वे हैं—आगुस्ट बेबेल (1840–1913) विलिहल्म लीबनेख्त (1826–1900)।

समाजवादी आन्दोलन भी मतभेदों का शिकार रहा और 1869 में बेबेल तथा लीबनख्त ने आइजनाक नामक नगर में एक अन्य समाजवादी दल का निर्माण किया इनके दल का नाम था सोशल डमोक्रेटिक लेबर पार्टी। इस दल ने मार्क्स के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की। लेकिन शीघ्र ही दोनों दल एक हो गये। क्योंकि 1871 में बिस्मार्क समस्त जर्मनी का चान्सलर बना वह सोशल डमोक्रेटों से घृणा करता था तथा उन्हें पितृभूमि विरोधी कहा करता था। अतः समाजवादियों ने दमन से बचने के लिए 1875 में गोथा नामक स्थान पर दोनों दलों का नाम सोशल लेबर पार्टी रखा। लेकिन बिस्मार्क समाजवादियों के दमन पर उतारू था।

शीघ्र ही उसको अवसर भी मिल गया। जमनी के सम्राट की हत्या के लिए दो बार असफल प्रयास किया गया। यद्यपि समाजवादियो का इसम कोई हाथ न था फिर भी बिस्मार्क ने समाजवादियो को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया तथा 1878 म समाजवाद विरोधी कानून का निर्माण किया गया। समाजवादियो के सगठनो तथा अखबारो पर प्रतिबंध लगा दिया। समाजवाद विरोधी यह कानून 1890 तक चलता रहा। जमन सम्राट विलियम द्वितीय ने उसे उस वष समाप्त कर दिया।

जमन समाजवादी आदोलन म आन्तरिक मतभेद अभी भी बने हुए थे। दल अदर ही अदर तीन वर्गों म बट गया (1) लासालवादी (2) माक्सवादी तथा (3) उदारपथी जो मध्यम माग अपनाना चाहते थे। माक्सवादी विचारधारा वाले वग का नतृत्व रोजा लुक्जेमबग ने किया। विलियम लीबनख्त भी इनके साथ था। 1914 म जब युद्ध की घोषणा हुई और राईशटाग म युद्ध के खच सम्बन्धी बजट का प्रश्न सामने आया तो समाजवादी दल न उसका समथन किया लेकिन लीबनेख्त व उसके कुछ अनुयायियो ने ससद मे इसका विरोध किया। उन्होने इंडिपेडन्ट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण किया। शीघ्र ही इस दल के एक वग ने इसको त्यागकर जमन साम्यवादी दल का निर्माण किया। इस प्रकार समाजवादी दल तीन टुकडे म बट गया।

कजरवेटिव दल

कन्जरवेटिव दल प्रशा की राज्य विधान सभा म 1860 म ही मौजूद था। 1866 म यह दल विभाजित हो गया और दो दल सामन आये —

(1) कजरवेटिव दल

(2) फ्री कन्जरवेटिव दल

1871 मे कजरवेटिव दल को समस्त मतदान का 1/8 वा भाग मिला तथा ससद मे यह चौथा सबसे बडा दल था। इस दल म सामन्त सनिक अधिकारी अनुदार प्रोटेस्टेंट पादरी सरकारी अधिकारी आदि भी शामिल थे। इनका मुख्य केन्द्र प्रशा का राज्य था। यह दल सम्राट के पद को और अधिक सशक्त बनाना चाहता था तथा प्रशा के सभ्य अधिकारियो की प्रतिष्ठा म वद्धि तथा स्वतन्त्र धार्मिक सस्थाओ का पक्षपाती था। 1871 से 1933 तक अनुदारवादी दल काफी शक्तिशाली बना रहा।

फ्री कन्जरवटिव पार्टी काफी मामलो मे कन्जरवेटिव पार्टी से मिलती-जुलती। लकिन जहाँ कन्जरवेटिव पार्टी प्रशा राज्य की पक्षधर थी फ्री कन्जरवेटिव पार्टी जमनी को महत्त्व देना चाहती थी। 1871 म इस दल ने अपना नाम बदल राईश पार्टी रखा।

पार्टी

ऊपर हमने जितने राजनीतिक दलों का उल्लेख किया है उनके अधिकाश

सदस्य प्रोटस्टेण्ट सम्प्रदाय के जमन नागरिक थे। लेकिन धम उनका मूल आधार नहीं था वरन् राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक विचार ही प्रमख थे। लेकिन सटर पार्टी का स्वभाव दूसरा था। इसका आधार धम था और यह मूलत कथलिक लोगो का राजनीतिक दल था। 1870 मे कथालिको के हितो की रक्षा के लिए इसका गठन किया गया। 1871 के चुनावो म राईशटाग मे यह दूसरा सबसे बडा दल था। कई दशाब्दियो तक इसने जमन राजनीति पर प्रभाव डाला। इसका प्रमुख नेता था लुडविग विन्थोसट (1812–1891)। 1919 स 1933 तक भी यह दल वाईमार गणतन्त्र म सक्रिय रहा। यद्यपि राईशटाग के कुल 600 सदस्या म सन्टर पार्टी के 70 से अधिक सदस्य कभी नही रहे फिर भी वाइमार-गणतन्त्र के कुल 14 चान्सलरा मे से 6 चान्सलर सेंटर पार्टी के थे।

कम्युनिस्ट पार्टी

पहले साम्यवादी विचारधारा के लोग सोशल डमोक्रटिक पार्टी म ही शामिल थे लेकिन 1914 म प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के बाद उनके मतभद तीव्र रूप से सामने आये। मतभेद का प्रमुख कारण यह प्रश्न था कि क्या सरकार का युद्ध प्रयासो मे सहयोग दिया जाए तथा युद्ध का समथन किया जाए अथवा नही। सोशल डमोक्रटिक पार्टी क अधिकाश सदस्य इसके पक्ष म थे जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध। 1917 मे साम्यवादी विचारधारावाले लोगो ने स्पार्टक्स लीग के नाम स अपने आपको सगठित किया तथा बाद म इन्होंने अपना नाम बदल कर जमन साम्यवादी दल रख लिया। 1918 म स्पार्टक्स दल ने जमनी मे क्रान्ति का प्रयास किया जिसे शीघ्र दबा दिया गया।

जमन साम्यवादी दल के प्रमख नेताओ मे रोजा लुक्जमबग कार्ल लीबनेख्त तथा अर्न्स्ट थेलमान (1886–1944) थे। कट्टर राष्ट्रवादियो ने इनम से प्रथम दो नेताओ की 1919 म हत्या कर दी। थलमान ने तो जमन राष्ट्रपति पद का भी चुनाव लडा। प्रथम महायुद्ध के बाद जमनी मे क्राति हुई और सम्राट को सिंहासन त्यागना पडा। 1919 म जब सविधान निमाण-सभा के चुनाव हुए तो साम्यवादियो ने उसमे भाग नही लिया लेकिन बाद मे जब राईशटाग क चुनाव हुए थे साम्यवादी दल ने उसमे भाग लिया। 1925 मे जब जमन राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो हिण्डनवग क मुकाबले म साम्यवादी दल के थलमान ने भी चुनाव लडा उसे सिफ 1 2 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। लेकिन जब राष्ट्रपति पद क किसी भी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत नही मिला तो दूसरी बार भी मतदान हुआ इस बार साम्यवादी दल की वही स्थिति रही। 1932 म राष्ट्रपति पद का दुबारा चुनाव हुआ उसमे भी साम्यवादी दल ने थेलमान को अपना प्रत्याशी बनाया और इस बार उस 3 7 प्रतिशत मत मिले।

इण्डिपेण्डेण्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

1917 म जब सोशल डमोक्रटिक पार्टी का विभाजन हुआ तो उनके तीन

दल बन (1) साशल डमाक्रेटिक पार्टी (2) स्पार्टकस लीग जो बाद मे साम्यवादा दल के नाम स जानी गयी (3) इंडिपेन्डेन्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इस दल के नेता थे ह्यूगो हास काल काउटस्की तथा एडुग्राड बन्सटाईन। इन लोगो ने 1915 म ही ग्रलग होने का निर्णय ले लिया था। इंडिपेन्डेन्ट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के मार्शलिस्ट शान्तिवादी थे ग्रौर यही कारण है कि उन्होंने युद्ध का विरोध किया। कुछ वर्षों के लिए यह दल काफी लोकप्रिय रहा लेकिन शीघ्र ही इसका ग्रत भी हो गया। 1922 के बाद इसके ग्रधिकाश सदस्यो ने पुन मेजारिटी सोशलिस्ट (सोशल डमाक्रेटिक पार्टी) म प्रवेश किया। 1924 म इण्डिपेन्डेन्ट सोशल डमोक्रेटिक पार्टी समाप्त हो गई। इस वर्ष इसे 98000 वोट ही मिले। इसके कुछ सदस्य साम्यवादी दल म ग्रौर कुछ मेजोरिटी सोशलिस्टो म शामिल हो गए।

नात्सी दल

एन्टन ड्रक्सलर नामक व्यक्ति ने 1919 म जमन श्रमिक दल नामक एक दल का निर्माण किया। बाद म इस दल का नाम बदल कर राष्ट्रीय समाजवादी जमन श्रमिक दल (नेशनल सोशलिस्ट जमन वकस पार्टी) रखा जिसे सक्षप मे नात्सी दल कहा है। इसके प्रमुख नताग्रो मे हिटलर गोयबल्स हिमलर रूडोल्फ हेस तथा हमन गोरिंग थ। सारी सत्ता हिटलर के ग्रास-पास केन्द्रित थी। 1923 मे उसने म्यूनिख म विद्रोह भड़का कर सत्ता पर कब्जा करने का ग्रसफल प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप उस जल भज दिया गया। जल म उसने माईन काम्फ या मेरा सघष नामक पुस्तक की रचना की। माईन काम्फ शीघ्र ही जमनी मे लोकप्रिय हो गई। ग्रौर 1928 स बाद नात्सी दल ने राईखटाग के चुनाव मे सक्रिय भाग लिया तथा उत्तरोत्तर ग्रपने वोटो म वद्धि की। 1932 म जमनी मे राष्ट्रपति पद का चुनाव हुग्रा इसमें हिटलर न भी नात्सी दल क प्रत्याशी के रूप म चुनाव म भाग लिया। इस चुनाव म हिण्डनबग को 1 करोड 86 लाख तथा हिटलर को 1 करोड 30 लाख वोट तथा 1933 म राईखटाग के चुनाव म नात्सी दल को 1 करोड 37 लाख वोट तथा 230 स्थान प्राप्त हुए। यद्यपि हिटलर को पूर्ण बहुमत प्राप्त नही हुग्रा लकिन राष्ट्रपति हिण्डनबग ने उसे सयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए ग्रामन्त्रित किया ग्रौर इस प्रकार हिटलर जमनी का चान्सलर बना।

छोटे राजनीतिक दल

इन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के ग्रलावा कुछ छोटे-छोटे दल भी थे जो किसी वग या ग्रार्थिक समूह का प्रतिनिधित्व करते थ। इनके नाम इस प्रकार हैं नाग्ट्र सघ (राज्य-सघ दल) जमन कृषक दल क्योलिक राष्ट्रीय समाज सेवा दल ग्रार्थिक दल बवरिया जनता दल क्रिश्चियन राष्ट्रीय किसान जन सेवा राज्य सघ इत्यादि।

जमनी क समस्त दलो को 1919 स 1933 तक राईखटाग म जितने स्थान प्राप्त थे इसका तालिका पुस्तक के ग्रत में परिशिष्ट मे दी जा रही है।

हिटलर द्वारा विरोधी दलों का अंत

हिटलर ने जो पहला मन्त्रिमण्डल बनाया उसमें नात्सी दल के तीन सदस्य तथा अन्य विरोधी दलों के नौ सदस्य थे। इस पर राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग ने सोचा कि ऐसी स्थिति में हिटलर तानाशाह नहीं बन सकता। लेकिन नात्सी नेता हर कीमत पर नात्सी दल की तानाशाही चाहता था। हिटलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा जर्मन साम्यवादी दल को अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानता था। पहले उसने साम्यवादी दल को समाप्त करने का निश्चय किया। 27 फरवरी को किसी ने राइशटाग भवन में आग लगा दी। नात्सी नेता ने इसे साम्यवादियों द्वारा राष्ट्रघाती कृत्य की संज्ञा दी। हिटलर की सलाह पर हिण्डनबर्ग ने जर्मन राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अधिनियम जारी किए। साम्यवादी आतंक के विरुद्ध भी सुरक्षा का अधिनियम बनाया गया। वाइमार संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार सीमित कर दिए गए। इन अधिनियमों को आधार बना कर हिटलर ने विरोधियों के सम्मेलन, सभाओं तथा समाचार-पत्रों और श्रमिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया।

5 मार्च 1933 को राइशटाग के पुनः चुनाव कराए गए। नात्सियों ने दमन, आतंक, गिरफ्तारियों द्वारा अपने दल के लिए बहुमत प्राप्त करने का प्रयास किया। इस चुनाव में 88 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया। कुल 3 करोड़ 93 लाख मतों में से नात्सी दल को 1 करोड़ 73 लाख मत मिले जो 44 प्रतिशत मत थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मतों की संख्या में कमी नहीं आई तथा साम्यवादियों के वोटों में भी थोड़ी ही कमी हुई। पुनः हिटलर को मिला जुला मन्त्रिमण्डल बनाना पड़ा। 23 मार्च को हिटलर ने राष्ट्र तथा राज्य को संकट-मुक्ति कानून नामक विधेयक राइशटाग में प्रस्तुत किया। वह इस कानून द्वारा समस्त सत्ता अपने हाथों में केन्द्रित करना चाहता था। इससे पूर्व उसने 81 साम्यवादी सदस्यों को सदन में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहरा दिया ताकि वे राइशटाग सदन में भाग न ले सकें। 441 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया सिर्फ 93 सोशल डेमोक्रेटों ने ही उसका विरोध किया। यह कानून एनेबलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इससे हिटलर की तानाशाही का मार्ग प्रशस्त हो गया। 14 जुलाई 1933 के नये कानून द्वारा हिटलर ने नात्सी दल को ही एक मात्र वैध दल बना दिया। बाकी दल भंग कर दिए गए। अधिकांश विरोधी नेताओं को या तो देश से भागना पड़ा या उन्हें यातना कैम्पों में भेज दिया गया।

□□□

3

बेसिक लॉ का जन्म और विकास

1939 मे हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत की और उसके दुस्साहसी काय के परिणाम स्वरूप 1945 म जमनी को पराजय का मुह देखना पडा। 8 मई 1945 को जमनी न बिना शत आत्म-समपण कर दिया। हिटनर की मृत्यु के पश्चात् एडमिरल (नौ सेनाध्यक्ष) काल डयोनिटज ने सत्ता सम्भाली थी। उस उसके मन्त्रिमण्डल क अन्य सदस्यो सहित गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जमनी का अत हो गया है अब कभी भी उसका पुनरोदय नही हो सकेगा। जमनी म अमेरिका सोवियत सघ ब्रिटेन व बाद म फ्रास की सेना ने प्रवेश किया। इससे पहले मित्र राष्ट्रो न याल्टा-सम्मेलन (फरवरी 1945) म अमरिका के राष्ट्रपति रूजवल्ट सोवियत सघ क स्टालिन तथा ब्रिटेन के प्रधान मत्री चर्चिल ने यह तय कर लिया था कि जमनी को चार क्षेत्रो म बाटा जाएगा तथा उस पर अमरिका सोवियत सघ ब्रिटेन व फ्रास का प्रशासन रहेगा।

अगस्त 1945 म बर्लिन क निकट पोटसडम-सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसके निणय के अनुसार जमनी को कुल पाच भागो म बाटा गया पाचवें भाग को पौलण्ड तथा रूस के प्रशासन म रखा गया। पौलेण्ड को जमनी की ओडर नाइसे नदियो क पूर्वी भाग म स्थित समस्त जमन प्रदेश तथा उसके साथ ही स्टटिन का नगर प्रशासन के लिए सौंपा गया। सोवियत सघ को पूर्वी प्रशा का उत्तरी भाग तथा क्योनिगबेग का नगर (जिसका नाम बदल कर बाद म कालिननग्राड रखा गया) दिया गया। साथ ही यह निश्चय किया गया कि जब जमनी के साथ शाति-सधि की जाएगी तब इस पाचवें भाग क बारे म अतिम निणय लिया जाएगा लकिन 1945 से लकर आज तक (1977) जमनी के साथ कोई सधि नहा की गई और इसके फलस्वरूप वह क्षेत्र आज भी पौलेण्ड व रूस क प्रशासन क अन्तगत है।

जमनी म मित्र राष्ट्रो की सेना के प्रवेश के साथ ही जमन सवधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वहा चार राष्ट्रो की विदेशी सेना का आधिपत्य था। पोटसडम सम्मलन क निणयो म ही जमनी क भावी राजनीतिक जीवन क पुनरोदय के बीज निहित थे। पाटसडेम-सम्मलन (जुलाई–अगस्त 1945) के बाद मित्र राष्ट्रो ने घोषणा की कि —

मित्र राष्ट्रो का यह इरादा है कि जमन लोगो को अपने जीवन को जनतात्रिक व शातिपूण आधार पर अतत अपने पुनर्निमाण क लिए तयारी का अवसर दिया जाए।

जमन प्रशासन क मामत्रा का इस प्रकार नि शित किया जाए ताकि राजनातिक ढाच का विक न्द्रीकृत कर स्थानाय उत्तरदायित्व का विकास किया जा सक । इस लक्ष्य की प्राप्ति क लिए —

(1) समग्र जमना म जनतान्त्रिक सिद्धान्ता की भ्रामकर निवाचित परिषदा के माध्यम स व आधार पर यथाशात्र—जो सनिक अधिकार व सुरक्षा के अनुकूल हा—स्थापना की जाएगी ।

(2) समस्त जमन प्रदेश म सभी जनतान्त्रिक दलो को—सगठन व सम्मेलन के अधिकार सहित—काय की अनुमति तथा प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

(3) क्षेत्राय प्रान्ताय तथा राज्य (राज्य) प्रशासन म प्रतिनिधित्व तथा निवाचन क सिद्धान्ता को उतना ही शीघ्र लागू किया जाएगा जितनी जल्दी स्थानीय स्वशासन म इन सिद्धान्ता का लागू करन म सफलता क अनुसार उसका औचित्य सिद्ध होगा ।

(4) कुछ अवधि क लिए कोई केन्द्रीय सरकार स्थापित नहा की जाएगी । इसके बावजूद कुछ अनिवाय केन्द्रीय जमन प्रशासनिक विभाग—जिनके अध्यक्ष स्टटस सक्रटरी होग—की स्थापना का जाएगा खासकर वित्त परिवहन सचार विदेशी व्यापार तथा उद्याग के क्षेत्र म । य विभाग कन्ट्रोल कमीशन[1] (नियन्त्रण आयोग) के निर्देशन म काम करेंगे ।

(5) सनिक सुरक्षा का ध्यान रखत हुए भाषण समाचार पत्रो तथा धम पालन की स्वतन्त्रता की अनुमति दा जाएगी तथा धार्मिक सस्थाओ का सम्मान किया जाएगा । इसी प्रकार सनिक सुरक्षा क अधीनस्थ स्वतन्त्र श्रमिक सघों का काय की अनुमति दी जाएगा ।

लेकिन युद्धकालीन मित्र सोवियत सघ तथा सयुक्त राज्य अमरिका शान्तिकाल म एक दूसरे क विरोधी हो गए । उनक मतभेदो तथा विरोध के परिणामस्वरूप जमनी क एकीकरण म बाधा आई । चारो राष्ट्र अपने अधिकृत जमन प्रदेशो में अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था क अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था लादना चाहत थे । डब्ल्यू फ्रीडमान क अनुसार — जमनी क चार विभाजित क्षेत्र विश्व रगमच के चार नाटक-गृह बन गए जिनम चार प्रमुख अभिनता विश्व श्रोताओ का आनन्दित करने हेतु अपना अभिनय कर रहे थ सनिक प्रशासन के आरम्भ क कुछ ही महीनों बाद चार क्षेत्र चार विभिन्न विश्व बन गए[2]

अमरिका तथा ब्रिटेन कम स कम जनतान्त्रिक सिद्धान्तो के बारे में सहमत थ लकिन आर्थिक नियोजन क बार म उनम मतभेद था । ब्रिटेन की समाजवादी सरकार

1 कन्ट्रोल कमीशन या नियन्त्रण आयोग में चारों विजेता राष्ट्रों क सनिक कमाडर शामिल थे जो समस्त जर्मनी में आवागमन व्यापार तथा सुरक्षा की देखरेख करते थ ।

2 डब्ल्यू फ्रीडमान दी एलाइड मिलिटरी गवनमेंट आफ जर्मनी (लन्दन 1947) पृष्ठ 96 ।

समाजवादी पद्धति की अर्थ-व्यवस्था चाहती थी और अमेरिका स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था की वकालत कर रहा था। फ्रांस जर्मनी के विकेन्द्रीकरण तथा रूर प्रदेश पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन की बात कर रहा था तो रूस अर्थ-व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण पर जोर दे रहा था। प्रारम्भ में रूस ने एक केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया लेकिन बाद में उसने यह विचार त्याग दिया तथा जर्मनी में संघीय व्यवस्था हो या केन्द्रीकृत व्यवस्था इस प्रश्न पर जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा। फ्रांस अतीत की भयावह स्मृतियों से आक्रान्त था। 1914 से 1940 के बीच फ्रांस दो बार जर्मनी के सैनिक बूटों के तले कुचला गया था। ऐसी स्थिति दुबारा न आए इसके लिए वह जर्मनी को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। यही कारण है कि वह जर्मनी में संघीय व्यवस्था भी नहीं चाहता था वह उस राज्यों के एक ढीले-ढाले परिसंघ के रूप में देखना चाहता था। इस परिसंघ में भी राज्यों को सारे अधिकार देने की बात फ्रांस ने की। केन्द्र को नाम मात्र के अधिकार देने की बात की। इस प्रकार विजेता राष्ट्रों के मतभेद सामने आए।

मूलतः मतभेद अमेरिका व सोवियत संघ के बीच थे। अमेरिका जर्मनी को जनतान्त्रिक पद्धति के अनुरूप ढालना चाहता था और रूस वहाँ साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित देखना चाहता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया और मतभेदों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 20 मार्च 1948 को सोवियत सैनिक कमाण्डर ने मित्र राष्ट्र नियंत्रण आयोग का बहिष्कार कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में चारों राष्ट्रों के प्रशासन में गतिरोध व रुकावट उत्पन्न हो गई। अन्त में अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अपने तीनों प्रदेशों को मिला कर पश्चिमी जर्मनी (दी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) तथा रूस ने अपने जर्मन अधिकृत क्षेत्र में पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) की स्थापना की।

राजनीतिक दलों का उदय

पोटसडम-सम्मेलन के अनुसार स्थानीय तथा प्रान्तीय स्तर पर राजनीतिक दलों के निर्माण तथा प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव की बात की गई थी उसी के आधार पर चारों विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी में राजनीतिक दलों के निर्माण व कार्य की अनुमति दी। सर्वप्रथम सोवियत संघ ने 10 जून 1945 को मित्र जनतान्त्रिक तथा नात्सी विरोधी दलों के निर्माण की अनुमति दी। सोवियत घोषणा में कहा गया —

सोवियत अधिकृत जर्मन प्रदेश में सभी फासिस्ट विरोधी दलों के निर्माण जिनका उद्देश्य जर्मनी से सभी फासिस्ट अवशेषों को समाप्त कर जनतंत्र तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं की स्थापना करना है—की अनुमति दी जाती है।

सोवियत अधिकृत जर्मन प्रदेश में श्रमिक जनों को—अपने हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए—स्वतंत्र श्रमिक संघों में संगठित होने का अधिकार होगा।

कि समस्त जर्मनी में एक सरकार की स्थापना असम्भव है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस ने अपने क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना पर सहमति प्रकट की तथा 1 जुलाई 1948 में 11 जर्मन राज्यों (लेण्डर) के मिनिस्टर प्रेसिडण्टों (मुख्य मंत्रियों) को आदेश दिया कि वे पश्चिमी जर्मनी के लिए संविधान का निर्माण करें। ये आदेश लंदन-सम्मेलन में तीन पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत दस्तावेज के अन्तर्गत दिए गए।

लन्दन दस्तावेज तीन भागों में विभाजित था। प्रथम दस्तावेज में पश्चिम जर्मन मिनिस्टर प्रेसिडेन्टों को एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करने को कहा गया। साथ ही आदेश दिया गया कि संविधान निर्मात्री सभा एक जनतांत्रिक संविधान तैयार करेगी जिसमें सभी सदस्य राज्यों का योगदान होगा। व्यवस्था संघीय होगी।'

दूसरे दस्तावेज में मिनिस्टर प्रेसिडेन्टों (मुख्य मंत्रियों) से कहा गया कि वे जर्मनी के विविध राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण करें। तीसरे दस्तावेज में भावी जर्मन सरकार तथा मित्र राष्ट्रों के सैनिक अधिकारियों के मध्य सम्बन्धों के बारे में स्पष्टीकरण किया गया था। लेण्डर (राज्यों) के मिनिस्टर प्रेसिडेन्टों से कहा गया कि सितम्बर 1948 तक अपने लेण्ड (राज्य) द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का निर्माण करें। इसके कारण समस्त पश्चिमी जर्मनी में शोरगुल मच गया। वे विदेशी सैनिक अधिकारियों के नियंत्रण में संविधान बनाने को तैयार न थे। उन्हें यह भी डर था कि यदि उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के लिए संविधान बना लिया तो समस्त जर्मनी के भावी एकीकरण की सम्भावना धूमिल हो जाएगी तथा ऐसा संविधान जर्मनी के सुनिश्चित विभाजन की घोषणा होगी। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों तथा जर्मन प्रतिनिधियों के बीच कटुता की स्थिति आ गई। बाडन—व्यूरटेमबर्ग के मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट (मुख्य मंत्री) ने तो यहाँ तक कहा कि — यद्यपि यह खतरनाक हो सकता है फिर भी हम ऐसे कानूनी पद की अपेक्षा बिना कानूनी स्थिति के ही रहना पसन्द करेंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि आपसी मतभेद समाप्त नहीं होंगे। लेकिन सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी (Berlin Blockade) के कारण स्थिति में परिवर्तन आया। पश्चिमी जर्मनी के नेताओं की यह धारणा बनी कि यदि उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो निकट भविष्य में पश्चिमी जर्मनी में भी प्रतिनिधि-सरकार की स्थापना नहीं हो सकेगी।

पश्चिमी जर्मनी के मिनिस्टर प्रेसिडेण्टों ने 8 से 10 जुलाई 1948 तक कोब्लेन्ज नगर में एक बैठक की तथा यह निर्णय लिया कि फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा के स्थान पर संसदीय परिषद् का निर्माण किया जाएगा तथा पश्चिमी जर्मनी के लिए संविधान का निर्माण न कर बेसिक ला (आधारभूत कानून) का निर्माण किया जाए। भविष्य में जब पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण होगा तभी

विभाजन पर अन्तिम मुहर न लगे। बेसिक ला अपने वर्तमान स्वरूप में कई तथ्यों से प्रभावित हुआ है। ये विविध प्रभाव इस प्रकार हैं —

वाईमार-संविधान से सीख

बेसिक ला का निर्माण करते समय जर्मन प्रतिनिधियों ने जिस तथ्य पर सबसे अधिक ध्यान दिया वह था वाईमार-गणतन्त्र की असफलता से सीख लेना। यद्यपि वाईमार-गणतन्त्र की कई व्यवस्थाओं को उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार किया (वाईमार-संविधान के अनुच्छेद 136 137 138 139 तथा 141 अपने मूल रूप में बेसिक ला में सम्मिलित किए गए हैं। ये अनुच्छेद सामाजिक तथा धार्मिक प्रश्नों से सम्बन्धित हैं)। लेकिन कई महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर वह वाईमार-संविधान का विरोधी भी है। उदाहरण के लिए वाइमार-संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता था लेकिन बेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से करने की व्यवस्था की। क्योंकि लोकप्रिय जनमत द्वारा समर्थित राष्ट्रपति अधिकाधिक अधिकारों की माग कर सकता था।

वाईमार संविधान की 48वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। उसी का दुरुपयोग कर वाइमार राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग ने जर्मन जनतन्त्र की जड़ें खोखली कर दी थी। यही कारण है कि बान[1] बेसिक ला के लेखकों ने संकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए। ये संकटकालीन अधिकार जर्मन बुन्दसटाग (लोक सभा) तथा बुन्दसराट (राज्य सभा) की संयुक्त समिति को सौंपे गए। यह व्यवस्था भी 1968 में जाकर की गई। 1949 से 1968 तक जर्मन बेसिक ला में ऐसे संकटकालीन अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी जैसे अन्य देशों के संविधानों में उपलब्ध हैं।

वाइमार-संविधान से सीख लेकर ही बेसिक ला के निर्माताओं ने राष्ट्रपति की तुलना में चान्सलर (प्रधान मन्त्री) के पद को अधिक शक्तिशाली बनाया जिससे मन्त्रिमण्डलात्मक शासन पद्धति कायम हो सके। इसी प्रकार वाईमार-गणराज्य में यद्यपि संघीय शासन की व्यवस्था थी लेकिन वह केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति से प्रभावित था। बेसिक ला के निर्माताओं ने राज्यों को पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया।

राजनीतिक दलों का प्रभाव

बेसिक ला के निर्माण पर पश्चिमी जर्मनी के राजनीतिक दलों के विचारों और आदर्शों का भी प्रभाव पड़ा। इसके सृजन में क्रिश्चियन डमोक्रेटिक तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रमों व विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन कैथोलिक धर्म से अत्यधिक प्रभावित था अतः इस

1 बॉन नगर पश्चिमी जर्मनी की राजधानी है।

दल ने संविधान में धर्म तथा चर्च की स्वतन्त्रता को स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार क्योंकि धर्म के अनुयायी विवाह तथा परिवार की संस्था को पवित्र मानते हैं और इसी कारण बसिक ला में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में विवाह तथा परिवार की संस्था को महत्त्व दिया गया है।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी समाजवाद में निष्ठा रखती थी अतः वह राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण के सिद्धान्त की पक्षपाती थी। उसके जोर देने पर बसिक ला के 15वें अनुच्छेद में जन-कल्याण के हित में समाजीकरण की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार यह दल सम्पत्ति को पवित्र नहीं मानता था अतः अनुच्छेद 14 में सार्वजनिक हित के लिए सम्पत्ति के हरण की व्यवस्था भी की गई।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवाद की पोषक रही है अतः उसने शिक्षा, शोध, विज्ञान व अध्यापन की स्वतन्त्रता की माँग की। इसी प्रकार इस दल ने सम्पत्ति की सुरक्षा की भी वकालत की। यह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का ही प्रभाव है कि बसिक ला में इन बातों को स्थान मिला। यह उल्लेखनीय है कि इस दल ने 14वें 15वें अनुच्छेद का विरोध किया।

अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस का प्रभाव

यद्यपि बसिक ला पश्चिमी जर्मन प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया लेकिन मित्र राष्ट्रों के सैनिक गवर्नरों ने अपनी सरकारों के आदेशानुसार बसिक ला के निर्माण के लिए कुछ शर्तें रखीं। ये शर्तें इस प्रकार था—

(1) बसिक ला के अन्तर्गत संसद् के दो सदनों की व्यवस्था की जाए तथा एक सदन राज्यों का प्रतिनिधि होगा उसे राज्यों के हितों की सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार दिए जाएं।

(2) संकटकालीन अधिकारों को सीमित रखा जाए।

(3) वित्तीय मामलों में संघीय सरकार के अधिकार सीमित रखे जाएं।

(4) स्वतन्त्र न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था हो।

(5) प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इनमें से कुछ शर्तों पर जर्मन प्रतिनिधि पहले से ही सहमत थे। इस दृष्टि से उसे विदेशी प्रभाव नहीं माना जा सकता फिर भी वे इन आदेशों से बाध्य थे।

इसके साथ ही साथ बसिक ला या मूलभूत विधि के निर्माण में ब्रिटिश व अमरिकी संविधान से कुछ अन्य प्रेरणाएं भी प्राप्त की गईं यद्यपि उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार न कर जर्मन परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया। इसका उल्लेख आगे किया जाएगा।

बसिक ला की विशेषताएँ

23 मई 1949 को पश्चिमी जर्मनी के बान नामक नगर में—जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है—मंत्रीय-परिषद् ने बासिक ला को स्वीकृत तथा पंजीकृत

किया। यह बेसिक ला जमनी के प्राफसरो वकीलों एव राजनीतिक नेताम्रो के उत्कृष्ट मस्तिष्क की उपज है और इसका निर्माण बहुत थोड समय म कर लिया गया। बसिक ला का निमाण करत समय उन्होने विदशा के सविधाना का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात् जमनी की तत्कालीन परिस्थितिया तथा प्राचीन परम्पराम्रा सभ्यता संस्कृति को दृष्टिगत रखा। इसम कई नवान व्यवस्थाम्रा को भी समाविष्ट किया। इसी व्यवस्था के ग्राधार पर पश्चिमी जमनी न अपना सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक विकास किया। वाईमार सविधान की तुलना म वतमान बेसिक ला अधिक स्थायी सिद्ध हुम्रा। वाइमार सविधान तो 1919–1939 तक ही चला जहा वतमान बेसिक ला 1948–1977 तक सफलता पूवक काय करता रहा है। जिस प्रकार अमरिकी सविधान की व्यवस्थाम्रो न दश क विकास का माग प्रशस्त किया उसी प्रकार बसिक ला ने भी जमनी की अथ-व्यवस्था को सुदृढ भित्ति पर ला खडा किया। 1945 म जो जमनी राख का ढर था वहा पश्चिमी जमनी आज विश्व के प्रथम तीन श्रेष्ठतम उद्योग प्रधान दशो म है और उसके सिक्के–डमन माक– की आज विश्व म भारी प्रतिष्ठा है। बेसिक ला जमन बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता का जीवत प्रमाण है। एसा लगता है समस्त जमन बुद्धि बसिक ला रूपी पात्र में एक स्थान पर एकत्रित कर दी गई। बेसिक ला की कुछ प्रमुख विशेषताए इस प्रकार हैं—

(1) अस्थायी स्वरूप–विश्व के अन्य सविधाना की स्थायी प्रकृति के विपरीत पश्चिमी जमनी का सविधान एक अस्थायी सविधान है। इसे सविधान क नाम से भी नही पुकारा गया। इसके बजाय पश्चिमी जमनी क लोगो न इस बसिक ला (आधारभूत कानून) क नाम से पुकारना पसन्द किया। जमन भाषा म इस ग्रुण्डगेसेटज (Grundgesetz) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। जसा कि पहले ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जमनी क जन प्रतिनिधि जमनी के एक हिस्से के लिए सविधान बनान को तयार न थ। जमन लोगो क अनुसार सविधान स्वीकार करने का अथ देश क विभाजन का स्वीकार करना था। व एसा करने क लिए तयार न थ। उनकी इच्छा थी कि भविष्य म जब समस्त जमनी का एकीकरण होगा तब सारा जमन जनता के प्रतिनिधि बर्लिन म एकत्रित होकर जमनी के लिए सविधान बनाएँगे। जब तक जमनी का एकीकरण नहा हो जाता व एक अस्थायी और काम चलाऊ व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे और बसिक ला या ग्रुण्डगेसेटज के रूप म उन्होने एक अस्थायी व्यवस्था का निर्माण किया। पश्चिमी जमनी की राजधानी बान बनाई गई लकिन इस भी अस्थायी राजधानी कहा गया। असली राजधानी तो बर्लिन ही मानी गयी। लकिन बर्लिन तो पूर्वी जमनी क साम्यवादी राज्य के हृदय में विद्यमान है जहाँ पर पूर्वी जमनी की सरकार की अनुमति के बिना स्वत त्र भाव स नही जाया जा सकता।

बसिक ला एक अस्थायी व्यवस्था है इस बात का स्पष्ट संकेत किया गया है। बसिक ला की प्रस्तावना अनुच्छेद 23 व अंतिम अनुच्छेद 146 में इसके अस्थायी स्वरूप व प्रकृति का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में कहा गया है —
जर्मन जनता संक्रमण काल (Transitional period) के लिए राजनीतिक जीवन को नवीन व्यवस्था प्रदान करने की इच्छा से इस बसिक ला का निर्माण करता है। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है —

फिलहाल यह बसिक ला बादेन बवेरिया ब्रेमन ग्रेटर बर्लिन हाम्बुर्ग हेस नीडर सेक्सनी नार्थ राइन वेस्टफालिया राइनलैण्ड पेलेटीनेट श्लेसविग होल्सटाइन वुर्टेमबर्ग होहेनजोलर्न में लागू होगा। जर्मनी के अन्य भागों द्वारा प्रवेश किए जाने पर यह उन भागों पर भी लागू होगा।

अन्तिम अनुच्छेद (146वां) में भी इस व्यवस्था के अस्थायी होने का स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 146 के अनुसार– यह बेसिक ला उस दिन प्रभावहीन हो जायगा जिस दिन जर्मन जनता द्वारा स्वतंत्र निर्णय द्वारा एक संविधान अंगीकृत किया जाएगा तथा वह लागू होगा। एल्मर प्लिशके के अनुसार— बसिक ला के निर्माताओं ने उस मौलिक संविधान की अपेक्षा एक अस्थायी व्यवस्था माना तथापि बेसिक ला एक संविधान के रूप में जारी है।[1]

(1) अस्थायी स्वरूप सामान्यतया कमजोरी व कमी का द्योतक होता है लेकिन बेसिक ला एक विशिष्ट परिस्थितियों में निर्मित हुआ है और यह अस्थायी स्वरूप उसकी क्षमता बन गया है। साथ ही सभी व्यावहारिक दृष्टि से यह बसिक ला एक स्थायी व्यवस्था बन गया है—पश्चिम जर्मन जनता ने इसे समर्थन एवं मान्यता प्रदान की है तथा यह संभव है कि जब समस्त जर्मनी के लिए संविधान बनेगा तो यह बेसिक ला उसके लिए एक प्रशंसास्पद प्रस्तावना के रूप में कार्य करेगा। यह भी संभव है कि भावी जर्मन संविधान में इसकी कई व्यवस्थाओं का समावेश किया जाए।

(2) निर्मित तथा लिखित—बसिक ला की दूसरी विशेषता यह है कि भारत अमरिका कनाडा टर्की आदि संविधानों की भांति यह एक लिखित एवं निर्मित संविधान है। बेसिक ला में कुल 146 अनुच्छेद हैं तथा संविधान के परिशिष्ट के रूप में वाईमार संविधान के 136 137 138 139 तथा 141 वें अनुच्छेद भी शामिल किए गए हैं। इसमें इन पांच अनुच्छेदों को भी सम्मिलित किया जाए तो यानि बेसिक ला में 151 अनुच्छेद हुए। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अमरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं जबकि आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद बना। के संविधान में 146 अनुच्छेद दक्षिणी अफ्रिका के संविधान में 153 भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियां जापान के संविधान

1 एल्मर प्लिशके कान्स्टीट्यूशन ऑफ जर्मनी (बोस्टन 1969) पृष्ठ 25-6

म 103 अनुच्छेद तथा तुर्की के संविधान म 157 अनुच्छेद है। इस प्रकार आकार की दृष्टि से वह कनाडा तुर्की के संविधान के लगभग बराबर है।

यह संभावना हो सकती है कि यदि समस्त जर्मनी के लिए संविधान बनाया जाता तो वह आकार म बड़ा हो सकता था लेकिन वर्तमान व्यवस्था भी लगभग पूर्ण व्यवस्था है। इसके बावजूद मध्यम स्वरूप का होने के कारण इसे एक छोटी सी पुस्तिका के रूप म साथ म रखा जा सकता है। बेसिक ला म लगभग सभी मुद्दों पर व्यवस्थाए प्रस्तुत की गई हैं।

(3) सर्वोच्च शक्ति जनता मे निहित—बेसिक ला के अन्तर्गत जर्मनी को जनतांत्रिक संघ राज्य बनाया गया है जिसम सर्वोच्च सत्ता जनता म निहित है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जर्मन संघीय गणतंत्र एक जनतांत्रिक संघीय राज्य है। राज्य की सारी शक्ति जनता से प्रवाहित होती है जिसका उपयोग जनता चुनाव व मताधिकार के प्रयोग द्वारा करती है। इस दृष्टि से पश्चिमी जर्मनी का बेसिक ला भारतीय संविधान के अत्यधिक निकट है।

(4) मौलिक अधिकार—किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था अथवा संविधान म मौलिक अधिकारों का भारी महत्त्व है। किसी देश म मौलिक अधिकारों की कितनी प्रतिष्ठा है इसका मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान म कहा स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत म प्रस्तावना' म भी कुछ मौलिक अधिकारों का संकेत है तथा मौलिक अधिकारों का सवप्रथम स्थान दिया गया है। फ्रांस के 1946 के संविधान म प्रस्तावना मे भी नागरिक स्वतन्त्रताओं या मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बेसिक ला को कुल 11 भागों म बाटा गया है और प्रथम भाग म मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अर्नाल्ड हार्डनहाइमर[1] के अनुसार—मौलिक अधिकारों को जो प्रमुखता प्रदान की गई है उसका स्पष्ट संकेत यह है कि उन्हें बेसिक ला के प्रारंभ म स्थान दिया गया है साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि ये व्यवस्थाए सभी न्यायालयों व सरकारी अधिकारियों पर बाध्यकारी होगी। राबर्ट जी नोयमान[2] के अनुसार—यह विशेष महत्त्व जानबूझ कर रखा गया है ताकि नवीन जर्मनी तथा नात्सी जर्मनी का अन्तर स्पष्ट हो सके। मानव व्यक्तित्व के सम्यक विकास के लिए मौलिक अधिकारों का विशेष महत्त्व है।

बेसिक ला म अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 19 तक विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों या स्वतन्त्रताओं का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार सरकार तथा संसद् के अधिकारों को भी सीमित करते हैं। जिससे असाधारण परिस्थितियां संकट काल म इन पर कुछ सीमा लगाई जा सकती है लेकिन दूसरे दलों की

1 अर्नोल्ड हार्डनहाइमर दी गवर्नमेंट आफ जर्मनी (लन्दन 1961) पृष्ठ 60
2 नोयमान पूर्वोक्त पृष्ठ 95

तुलना में पश्चिमी जर्मनी के नागरिकों को संविधान में अधिक अधिकार स्वतन्त्रताएं तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। ये मौलिक अधिकार या स्वतन्त्रताएं इस प्रकार हैं —

(अ) मानव गरिमा की सुरक्षा बेसिक ला का केन्द्र व्यक्ति अथवा मानव है। उस की सुख सुविधा एवं जीवन यापन के लिए इस की रचना की गई है। अनुच्छेद प्रथम के अनुसार—मानव गरिमा अलंघ्य है। सभी राज्याधिकारियों का दायित्व होगा कि वे इसका सम्मान तथा सुरक्षा करें। इतना ही नहीं बेसिक ला का प्रथम अनुच्छेद तो यहां तक कहता है कि अलंघ्य एवं अनिवार्य मानव अधिकार प्रत्येक मानव समुदाय विश्व शान्ति एवं न्याय के आधार हैं। इस दृष्टि से न केवल जर्मनी वासियों की गरिमा की सुरक्षा व सम्मान की व्यवस्था की गई है वरन् विश्व के सभी मानवों की गरिमा का ध्यान रखा गया है।

(आ) स्वतन्त्रता का अधिकार—मानव-व्यक्तित्व के समुचित विकास का आधार है उसकी विविध स्वतन्त्रताएं। अनुच्छेद 2 (1) के अनुसार— प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अपने व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास का अधिकार होगा जिस सीमा तक वह दूसरों के अधिकारों संवैधानिक व्यवस्था तथा नैतिक संहिता का उल्लंघन नहीं करता। अनुच्छेद 2 (2) में आगे कहा गया है— प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तथा उसके व्यक्ति या व्यक्तित्व का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की स्वतन्त्रता अनुल्लंघनीय होगी। कानून के अनुसार ही इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है।

(इ) कानून के समक्ष समानता—बेसिक ला ने जाति धर्म लिंग तथा अन्य मत मतान्तरों के भेदभाव के बिना सभी जर्मन वासियों को समानता प्रदान की है। अनुच्छेद 3 में स्पष्ट घोषणा की गई है कि —

(1) सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे।

(2) स्त्री व पुरुष को समान अधिकार होंगे।

(3) लिंग पितृक वंश जाति भाषा निवास-स्थान तथा जन्म धर्म या धार्मिक अथवा राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

(ई) धर्म व मत की स्वतन्त्रता—आज के धर्म निरपेक्ष वातावरण में भी धर्म बिल्कुल अर्थहीन नहीं हो गया है। साथ ही कई मत मतान्तर अब भी प्रभावशाली हैं। इसी को दृष्टिगत करते हुए बेसिक ला में धर्म तथा मत की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है—धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा मत की स्वतन्त्रता—चाहे वह धार्मिक हो या दार्शनिक अलंघ्य या अनुल्लंघनीय होगी। अनुच्छेद में आगे व्यवस्था है कि— निर्बाध रूप से धर्म-पालन की स्वतन्त्रता

की गारन्टी है यदि किसी व्यक्ति का धर्म हथियार उठाने की इजाजत नहीं देता तो उसे वसिक ला सशस्त्र सेवाओं से छूट देता है। अनुच्छेद 4 (3) में उल्लेख है कि—किसी भी व्यक्ति को उसकी आत्मा के विरुद्ध ऐसी युद्ध-सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें शस्त्रों का प्रयोग जरूरी हो। रोबर्ट जी नोयमान के अनुसार—यह उल्लेखनीय है कि आत्मा के आधार पर सैनिक सेवा पर आपत्ति विषयक अधिकार की स्पष्ट गारन्टी उस समय से पहले ही दे दी गई जिस समय जर्मन सेना का निर्माण नहीं हुआ था।[1]

संविधान (बेसिक ला) के परिशिष्ट में वाइमार-संविधान की जिन व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है उसमें भी धर्म के बारे में व्यवस्थाएं हैं—यद्यपि यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है फिर भी वह उनका पूरक है तथा जर्मन लोगों के धार्मिक जीवन को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार कि मौलिक अधिकार। वाईमार संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार—

(1) कोई राज्य चर्च नहीं होगा।
(2) धार्मिक संस्थाओं के निर्माण के लिए संगठन या संघ बनाने की गारन्टी है।
(3) प्रत्येक धार्मिक संस्था सभी के लिए वैध कानूनों की सीमा में रहते हुए स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी गतिविधियों का नियमन करेगी।

इस प्रकार राज्य का कोई धर्म न रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को पूजा उपासना धार्मिक महोत्सव व कर्मकाण्ड की छूट दी गई है।

(उ) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता—सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अनिवार्य है। भाषण, लेखन, मत अभिव्यक्ति तथा सूचना देने व प्राप्त करने की स्वतन्त्रता मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। उसी आधार पर वह विकासोन्मुख हो सकता है। बेसिक ला के निर्माता इसके बारे में सजग थे। यही कारण है कि अनुच्छेद 5 में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्थान दिया गया है। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है—

(3) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक मत व्यक्त करने तथा भाषण, लेखन, चित्रों द्वारा मत प्रचार करने और सामान्य उपलब्ध साधनों से अपने आप के लिए सूचना एकत्रित करने का अधिकार होगा। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता तथा प्रसारणों व फिल्मों के माध्यम से रिपोर्ट देने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। कोई सेंसरशिप (विचारों के गुण दोष निरीक्षण सम्बन्धी संस्था) नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 5 (3) में कला, विज्ञान, शोध व अध्यापन की मुक्ति दोहराया गया है। अध्यापन की स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं होगा कि व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा न रखे।

1 नोयमान पूर्वोद्धत पृष्ठ 96

जर्मनी की यह विशिष्टता है कि उसमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विविध पक्षों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इतना विशद विवरण दुनिया के किसी संविधान में नहीं मिलता।

(ऊ) विवाह परिवार व अवैध सन्तान—विवाह व परिवार की संस्था की पवित्रता तथा महत्त्व की दृष्टि में जर्मन बेसिक ला का भारी महत्त्व है। वस्तुतः इस प्रकार की व्यवस्थाएं इटली व तुर्की के संविधानों में भी प्राप्य हैं लेकिन वस्तुतः ये व्यवस्थाएं जर्मनी से ही ली गई हैं। इतना ही नहीं जर्मनी का बेसिक ला विश्व के उन कतिपय थोड़े से संविधानों में से एक है जिसमें अवैध बच्चे को सुरक्षा व मान्यता प्राप्त है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान किए गए हैं।

अनुच्छेद 6 में की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत

(1) विवाह तथा परिवार राज्य का विशेष संरक्षण का उपभोग करेंगे।

(2) बच्चों का लालन-पालन व उनकी परवाह करना माता पिता का नैसर्गिक अधिकार तथा प्रमुख कर्तव्य है। राष्ट्रीय समुदाय इस दिशा में उनके प्रयासों को देखेगा।

(3) बच्चों को उनके परिवारों से अलग नहीं किया जा सकता।

(4) प्रत्येक माता समुदाय द्वारा सुरक्षा व उसका ध्यान रखने की अधिकारिणी होगी।

(5) प्रत्येक बच्चे के शारीरिक आध्यात्मिक विकास के लिए समाज में उनको वही स्थान देने के लिए—जो वैध बच्चों को प्राप्त है—राज्य कानून द्वारा व्यवस्था करेगा।

(ए) शिक्षा का अधिकार—किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है। आज के तकनीकी-औद्योगिक युग में शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ गया है। इसी को दृष्टिगत करते हुए बेसिक ला में शिक्षा के अधिकार को स्वीकृति दी गई है। लेकिन शिक्षा को सुव्यवस्थित सशक्त एवं वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए उसे राज्य के पर्यवेक्षण में रखा गया है। भारत की भांति शिक्षा जर्मनी में भी राज्य के क्षेत्राधिकार में ही है। अनुच्छेद 7 के अनुसार—

(1) समस्त शिक्षा व्यवस्था राज्य के पर्यवेक्षण में रहेगा।

(2) बच्चों के भरण-पोषण के अधिकारी लोगों को यह तय करने का अधिकार होगा कि बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाए अथवा नहीं।

(3) धर्म निरपेक्ष स्कूलों को छोड़कर सभी राजकीय तथा नगरपालिका स्कूलों में सामान्य शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। किसी भी अध्यापक को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा देने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

(4) निजी स्कूलों की स्थापना की गारन्टी है। निजी स्कूलों राजकीय व नगर पालिका स्कूलों के स्थानापन्न रूप में की-स्थापना के लिए सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होगा। यदि अध्यापक वर्ग की आर्थिक तथा कानूनी स्थिति पर्याप्त रूप में सुनिश्चित नहीं है तो ऐसी स्कूल की मान्यता को रोका जा सकेगा।

इस प्रकार शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत अध्यापकों की दशा को सम्मान बनाने की गारंटी भी दी गई है। कई राष्ट्रों के लिए यह अनुच्छेद एक अनुकरणीय आदर्श हो सकता है।

(ए) सभा का अधिकार—अपने विचारों के प्रसार के लिए सभा के आयोजन का विशेष महत्त्व है। इसके अभाव में व्यक्ति मत प्रकट करने तथा जनमत को प्रभावित करने में वंचित रह जाता है। प्रत्येक जनतांत्रिक संविधान में सभा के आयोजन का अधिकार दिया जाता है। बर्लिन में भी इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 8 के अनुसार—

(1) पूर्व अनुमति से सभी जर्मन लोगों को निःशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा का आयोजन करने का अधिकार होगा।

(2) सार्वजनिक स्थानों पर खुली हवा में सभा के आयोजन के अधिकार को कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है।

(ओ) संघ निर्माण का अधिकार—जनतंत्र में समान आदर्शों, लक्ष्यों तथा अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघ निर्माण का अधिकार अनिवार्य माना गया है। इसी तथ्य को सुरक्षित बनाने के लिए अनुच्छेद 9 में कहा गया है —

(1) सभी जर्मन लोगों को संघ तथा समाज (सम्प्रदाय) बनाने का अधिकार होगा।

लेकिन ये संघ कानून विरोधी तथा संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल न हों इस बात को मद्दे नजर रखते हुए अनुच्छेद 9 (2) में स्पष्ट कहा गया है कि—

जिन संघों के उद्देश्य तथा गतिविधियाँ अपराध-कानून के विरुद्ध हैं तथा जो जनतांत्रिक व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी जर्मनी के बर्लिन लॉ में अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सद्भाव को भी एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य माना गया है।

(औ) डाक व दूर संचार की गोपनीयता—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन समाज में रहते हुए भी उसको व्यक्तिगत जीवन और उसकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति या परिवार अपने घर को एक अभेद्य दुर्ग की भांति देखना चाहता है। कोई यह पसन्द नहीं करेगा कि उसके निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप करे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बर्लिन संविधान के निर्माताओं ने निम्नलिखित व्यवस्था की है। अनुच्छेद 10 के अनुसार—

लेकिन साथ ही इसम छूट की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 12 (2) म कहा गया है—

यदि एक व्यक्ति आत्मा क आधार पर युद्ध सवा—जिसम शस्त्र उठाना पड़—स इन्कार करता है तो उस स्थानापन्न सवा करन को कहा जा सकता है। एसी सवा की अवधि अनिवाय सनिक सवा की अवधि से अधिक नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण रियायत मानी जा सकती है।

(ख) निवास की अनुलघनीयता—प्रत्यक व्यक्ति अपने घर को एक दुर्भेद्य किला समझता है और अपने को उसका राजा। वह यह पसन्द नहीं करेगा कि कोई भी—यहा तक सरकार सहित—उसके घर म प्रवश करे। इसलिए बेसिक ला क 13वें अनुच्छेद म व्यवस्था है कि—

(1) निवास स्थान अलघ्य होगा।

(2) सिफ न्यायाधीश के आदेश पर—देरी होन पर खतरा उत्पन्न होन की स्थिति म अन्य सरकारी अग भी कानून द्वारा निर्धारित ढग स—ही मकान की तलाशी ली जा सकती है।

(3) व्यक्तियो की जान का खतरा होन पर या सावजनिक व्यवस्था की सुरक्षा का खतरा होन पर या मकानो की तगी कम करने या महामारी का मुकाबला करने या अबोध बच्चो की सुरक्षा की स्थिति को छोडकर घर अनतिक्रम्य रहेगा।

(ग) सम्पत्ति पतृक विरासत व अर्जन—जमन राजनीतिज्ञ जानत थ कि एक व्यक्ति के जीवन मे उसके घर बगीचे तथा कार व अन्य सम्पदा का भारी अथ और महत्त्व ह। इसीलिए अनुच्छेद 14 म कहा गया है—

(1) सम्पत्ति तथा पतृक विरासत की गारटी है। उसक स्वरूप व सीमा का निर्धारण कानून द्वारा किया जाएगा।

लकिन इस का अथ यह नहा कि व्यक्ति अत्यधिक सकीण दृष्टिकोण अपनाएँ इसलिए उसी अनुच्छेद म आग कहा गया है— सम्पत्ति कत्तव्यो को थोपती है। उस सावजनिक कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नही सावजनिक हित म सम्पत्ति का अजन करन का भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 के अन्तगत स्पष्ट किया गया है कि सिफ सावजनिक कल्याण के लिए सम्पत्ति के हरण की अनुमति दी जाएगी। यह हरण सिफ कानून क अनुरूप ही किया जाएगा जो मुआवजे का स्वरूप तथा सामा निर्धारित करगा। एसा मुआवजा सावजनिक हित तथा प्रभावित व्यक्ति क हितो म समान सतुलन स्थापित करत हुए निर्धारित किया जाएगा। यदि सरकार तथा व्यक्ति म इस विषय पर विवाद हो तो सामान्य न्यायालय की शरण म जाया जा सकता है।

(घ) समाजीकरण—जसा कि पहले सकेत किया जा चुका है सोशल डमोक्रटिक पार्टी समाजवाद की पोषक थी तथा व राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का पक्षपाती

(ज) मूल अधिकारों को सीमित करना—इस बेसिक ला क अन्तगन जहा तक कानून द्वारा किसी मूल अधिकार को सीमित करन का प्रश्न है एसा कानून सामान्य रूप स लागू होगा किसी विशष व्यक्ति के मामल म नहा। इसके साथ ही ऐसे कानून म उस मूल अधिकार का नाम तथा अनुच्छेद की सख्या का सकेत होना चाहिए।

किसी भी स्थिति म मूल अधिकार के अनिवाय तत्व का अतिक्रमण नहा किया जाएगा। सरकारी अधिकारी द्वारा यदि किसी व्यक्ति क मूल अधिकारो का हनन होता ह तो वह न्यायालय की शरण म जा सकता है।

पश्चिमी जमनी म मूल अधिकारो की विशद तथा स्पष्ट व्यवस्था इस बात का ओर इगित करती है कि बसिक ला क निमाता सरकार को काइ एसा कदम उठान स पूरी तरह रोकना चाहत थ जिससे किसी व्यक्ति क मूल अधिकारो पर आघात पहुँचे। सघीय सवधानिक न्यायालय का सभी मूल अधिकारो का सरक्षक नियुक्त कर बसिक ला न उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है।

(5) सघीय व्यवस्था–एक अन्य विशषता है सघीय व्यवस्था। जमनी मे सघ शासन की लम्बी परपरा रही है। बिस्मार्क के युग म 1866 व 1870 के जो सविधान बन वे सघीय सविधान थ। यही बात 1919 के वाइमार-सविधान पर लागू होती है। 1949 म जिस बसिक ला का निमाण किया गया उसम पूव राज्यो का निमाण हो चुका था। बसिक ला का अनुच्छेद 70 स्पष्ट करता है कि — जहा तक बसिक ला अन्यथा व्यवस्था नहा करता या अनुमति नहा देता राज्य के अधिकार और काया का निष्पादन लेण्डर (राज्यो) का मामला है। एलमर प्लिशक क अनुसार यह व्यवस्था अमरिकी सविधान क दसवें सशोधन के अनुसार है जिसम कहा गया है कि व सभी शक्तिया जो सघ सरकार को नहीं दी गई हैं तथा न सविधान राज्य द्वारा उनक प्रयोग की मनाही करता है व अधिकार राज्यो के लिए आर क्षित हैं।[1]

जमनी 11 राज्यो का सघ राज्य है। इन राज्यो क नाम इस प्रकार हैं —

1 बाडेन व्यूरटमबग
2 बवेरिया
3 ब्रेमन
4 हाम्बुग
5 हस
6 लोअर सक्सनी
7 नाथराइन वस्टफालिया
8 राइन लण्ड पेलटीनेट
9 सारलैण्ड
10 श्लसविग होल्सटाइन
11 पश्चिमी बर्लिन

(1) एल्मर प्लिशक पूर्वोक्त पृ 53 54

पश्चिमी जर्मनी की संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों का विभाजन



संघीय व्यवस्था में संघ राज्य तथा उसके सदस्य राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट विभाजन होता है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर संघ राज्य या उसका सदस्य राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अधिकार विभाजन की दृष्टि से बेसिक ला में अधिकारों की दो सूचियाँ दी गई हैं —

1. संघीय सूची
2. समवर्ती सूची।

अनुच्छेद 73 में संघीय सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में समवर्ती विषयों की सूची दी गई है तथा इसके अतिरिक्त सारे अधिकार राज्य या लैण्ड के पास होंगे। संघ राज्य या बंड के पास विदेशी मामले, संघ की नागरिकता, यातायात, सिक्के, संघीय रेलमार्ग व हवाई यातायात, डाक व तार इत्यादि विषय हैं। समवर्ती सूची में फौजदारी व दीवानी कानून, जन्म मृत्यु लेखा जोखा, शरणार्थी व निष्कासित जर्मन व्यक्ति, राज्य में नागरिकता, जनकल्याण, युद्धक्षति व मुआवजा, श्रमिक कानून, भूमि, प्राकृतिक साधनों का राज्य का हस्तान्तरित करना, प्रशासन कानून इत्यादि प्रमुख विषय हैं। जैसा कि स्पष्ट है राज्य भी

इन विषयों पर कानून बना सकता है लेकिन यदि संघ ने कानून बनाया है तो वही लागू होगा।

(6) शक्तिशाली चान्सलर की व्यवस्था—बेसिक ला के निर्माताओं ने जर्मनी के वाईमार-गणराज्य द्वारा की गई भूलों से सीख लेकर राष्ट्रपति की तुलना में शक्तिशाली चान्सलर की व्यवस्था की। आज पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर की शक्तियों की तुलना अमरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से की जा सकती है। चान्सलर को अपने सहयोगी मन्त्रियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार है। इतना ही नहीं जब तक पहले नए चान्सलर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक चान्सलर को उसके पद से भी नहीं हटाया जा सकता। यह बेसिक ला की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इस व्यवस्था के कारण वहां राजनीतिक अस्थायित्व या संकट को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। जर्मनी का प्रथम चान्सलर कानराड आदेनआवर (1949–1963) इतना अधिक शक्तिशाली था कि राजनीति के लेखकों ने पश्चिमी जर्मनी की व्यवस्था को चान्सलर डमोक्रेसी कहना आरम्भ कर दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वहां जनतन्त्र की शक्तियां चान्सलर में निहित हैं। बाद के चान्सलरों ने इतनी अधिक शक्तियों व अधिकारों का उपयोग नहीं किया।

(7) अपेक्षाकृत शक्तिहीन राष्ट्रपति—वाईमार गणराज्य (1919–1933) में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था थी। साथ ही उसे व्यापक संकटकालीन अधिकार प्राप्त थे। इसीलिए उस राष्ट्रपति के पास अत्यधिक शक्तियाँ थी जिसके दुरुपयोग के कारण वाईमार-गणराज्य में न केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई वरन् अन्त में वह नष्ट हो गया। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बेसिक ला में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी की गई। प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अब अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। संकटकालीन अधिकार भी राष्ट्रपति के पास न रख कर बुन्डस्टाग (लोक सभा) तथा बुन्डेसराट (राज्य सभा) की एक संयुक्त समिति के पास रख गए हैं। इस प्रकार वर्तमान पश्चिमी जर्मनी का राष्ट्रपति सिर्फ समारोहों की शोभा बढ़ाने तथा राष्ट्र के सम्माननीय प्रतीक से अधिक कुछ नहीं रह गया है। लेकिन अन्ततः यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाता है तथा जनता के कष्ट निवारण में सहयोग देता है। एक सौम्य व सुदृढ़ विचार वाला राष्ट्रपति अपने लिए सम्मान अर्जित कर सकता है तथा समय आने पर मन्त्रिमण्डल को प्रभावित भी कर सकता है। राष्ट्रपति विषयक अध्याय में इस विषय की विस्तार से चर्चा होगी।

(8) रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव—बेसिक ला की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध ... इस प्रस्ताव को रचनात्मक बनाने में सफलता प्राप्त की है। जिन किसी देश में कई राजनीतिक दल होते हैं वहां विरोधी दल किसी प्रधानमंत्री या चान्सलर को

अनुच्छेद 25 यवस्था करता है कि—सावजनिक अतराष्ट्रीय कानून के सामा य सिद्धा त सघीय कानून के अविभा य अग होंगे। वे कानूनो से ऊपर स्थान प्राप्त करेंगे तथा सघीय क्षेत्र के निवासियो के लिए अधिकारा तथा दायित्वो का निर्माण करेंगे।

शाति स्थापना के लिए युद्धा पर प्रतिबध लगाना अनिवाय है। इस न य की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 26 यह कत्त य लादता है कि —राष्ट्रो के मध्य सम्बधा मे व्यवधान डालन क इरादे स किय गय काय—विशेषत आक्रामक युद्ध की तयारी—असवधानिक होगी। ऐसे काय अपराध मान जाएँगे जिसके लिए सजा की यवस्था होगी।

विश्व शाति को इतना अधिक सम्मान बहुत कम सविधाना म प्राप्त है।

(10) राजनीतिक दलो का महत्त्व—एक जनतात्रिक यवस्था मे राजनीतिक दला का भारी महत्त्व ह। वे यवस्था क नियता वाहक एव प्रहरी हैं। लेकिन अधिका देशा म राजनीतिक दल सविधान क अग नही हैं। दूसरे श दो म यद्यपि राजनीतिक दल सविधान की आधारशिला है लेकिन सविधान म उनका विशद एव विस्तृत उल्लेख नही होता। वे परम्परागत ढग स अपना काय करते हैं। अमरिका म तो प्रारम्भ म सविधान निर्माताओ न राजनीतिक दलो को सविधान के लिए हानिकारक बताया क्योकि उनकी मा यता थी कि राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों म द्वष शत्रुता तथा घणा की भावना फनाएँगे। यही कारण है कि मुनरो ने अमरिका क बारे म लिखा है कि— सविधान निमाताओ न जिस नाव क पत्थर को अस्वीकृत कर दिया था वही (राजनीतिक दल) आज अमरिकी शासन-पद्धति के आधार स्तम्भ हैं।

पश्चिमी जमनी म इन आधार स्तम्भो (राजनीतिक दलो) की अवहेलना नही की गई वरन् उ हे धमिक ना म स्थान दकर उनका सावधानीकरण कर दिया तथा उन्हे आवश्यक मा यता प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान किया है। इसीलिए जमन लेखक गेराल्ड ब्राउनथाल ने लिखा है— जमनी मे पहली बार राजनीतिक दलो को— जनता को सक्रिय करने के लिए—राजनीतिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि म अनिवाय सयत्र माना गया है।

बेसिक ला क 21 वें अनुच्छेद म स्पष्ट घोषणा की गई है कि— राजनीतिक दल जनता की इच्छा क निर्माण म भाग लेते हैं। निर्बाध रूप से उनका निमाण किया जा सकता है। उनका आन्तरिक सगठन जनतात्रिक सिद्धान्तो क अनुकूल होना चाहिए। उन्हे अपने धन प्राप्ति क स्रोत का सावजनिक विवरण प्रस्तुत करना ।

(11) स्वतत्र यायपालिका—शासन की जनतत्रीय पद्धति म स्वतत्र यायपालिका का भारी महत्त्व होता है। 1949 के बेसिक ला म यायपालिका के अधिकारो का विकसित किया गया है जिसक कारण कुछ लेखक न तो पश्चिमी जमन राज्य ... गत्य नत्र की सना दे डाली है।

न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा गया है। वे सिर्फ कानून और संविधान के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करते हैं। उनकी वेतन, नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक निश्चित आयु तक उन्हें पद मुक्त नहीं किया जा सकता न उनके वेतन में किसी प्रकार की कमी की जा सकती है।

कार्य की सुविधा, कुशलता तथा न्याय सुलभ करने के लिए जनता के सर्वोच्च न्यायालय को कई भागों में विभक्त किया गया है — संघीय संवैधानिक न्यायालय, संघीय प्रशासनिक न्यायालय, संघीय राजकोषीय (Fiscal) न्यायालय, संघीय सामाजिक न्यायालय, संघीय श्रम न्यायालय, संघीय अनुशासन न्यायालय तथा संघीय पेटेन्ट न्यायालय।

पश्चिमी जर्मनी की न्यायिक-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ संघीय संवैधानिक न्यायालय की अलग से व्यवस्था की गई है। भारत, अमेरिका आदि संघीय व्यवस्था वाले राष्ट्रों में सर्वोच्च न्यायालय ही संवैधानिक न्यायालय होता, संविधान की व्याख्या तथा मूल अधिकारों की सुरक्षा का कार्य करता है। संघीय संवैधानिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है जो इस प्रकार है —

(1) कानूनों की वैधता विषयक निर्णय।
(2) लैण्ड (राज्य) सरकारों तथा लैण्ड तथा संघ सरकार के बीच विवादों का निपटारा।
(3) असंवैधानिकता की शिकायतों पर विचार।
(4) अन्य प्रक्रियाओं विषयक निर्णय, विशेषतः यह निर्णय करना कि कोई निश्चित सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून संघीय कानून का अंग है या नहीं तथा क्या उस अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा पश्चिमी जर्मनी के नागरिकों के लिए अधिकारों व दायित्वों का निर्माण होता है अथवा नहीं।

(12) शक्तिविभाजन के सिद्धान्त का समर्थन—स्वतन्त्र जनतन्त्र के निर्माण व सुरक्षा के लिए शक्ति विभाजन का सिद्धान्त अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। पश्चिमी जर्मनी के संविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त रखने का भरसक प्रयास किया गया है। शक्ति विभाजन का सिद्धान्त इतना सक्रिय तथा प्रभावपूर्ण है कि 1960 के तुर्की के संविधान निर्माताओं ने इससे प्रेरणा प्राप्त कर अपने संविधान में इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की है। सरकार के तीनों अंगों में एक सन्तुलन स्थापित किया गया है और न्यायपालिका को तो इतना महत्त्व दिया है कि इसे पश्चिमी जर्मन लेखकों ने 'तीसरी शक्ति' का नाम दिया है। शक्ति विभाजन का यह सिद्धान्त मानवीय स्वतन्त्रता का रक्षक है।

(13) लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था—बेसिक ला मे लोक-कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त को समाविष्ट किया गया है, अनुच्छेद 74 (7) के अन्तर्गत जन कल्याण को समवर्ती सूची म स्थान दिया गया है। उसी अनुच्छेद के 12वें परिच्छेद म श्रमिक कानूनों का निर्माण करते समय उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही रोजगार सामाजिक बीमा तथा बरोजगारी के भत्ते के सम्बन्ध म कानून बनाने का निर्देश भी है। इन व्यवस्थाओं से जनता के जीवन स्तर म सुधार व लोगों को रोजगार सुलभ करना राज्य का दायित्व बताया गया है क्योंकि बेसिक ला के निर्माता व्यक्ति के बहुमुखी विकास को अपना सबसे बड़ा ध्येय मानते थे।

(14) संशोधन प्रक्रिया—सामान्यत लिखित संविधान अनम्य तथा कठोर होता है यह बात बेसिक ला पर भी लागू होती है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है तथा उसमें संशोधन की प्रक्रिया को कठिन बनाकर ही उसमें निहित आदर्शों की रक्षा की जा सकती है लेकिन दूसरे राष्ट्रों जैसे भारत आदि की तुलना म बेसिक ला को कठोर नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार भारत म संविधान म संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार जर्मनी म भी यही व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 के अनुसार—इस बेसिक ला म संशोधन करने के लिए बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।

पश्चिमी जर्मनी के संविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसके दो अनुच्छेदों म किसी भी स्थिति म संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद हैं 1 तथा 20 प्रथम अनुच्छेद म मानव की गरिमा की व्यवस्था है तथा बीसवें अनुच्छेद म जर्मनी को एक जनतान्त्रिक सामाजिक संघ कहा गया है। इस प्रकार बेसिक ला द्वारा जनतन्त्र को शाश्वत बनाये रखा गया है।

(15) दोहरी नागरिकता—भारतीय संविधान म जहाँ एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है वहाँ पश्चिमी जर्मनी म दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अनुच्छेद 72 (2) के अनुसार संघ की नागरिकता विषयक अधिकार संघ के पास होंगे तथा अनुच्छेद 74(8) के अनुसार लैण्डर (राज्यों) की नागरिकता को समवर्ती सूची के अन्तर्गत रखा गया है।

(16) संकटकालीन अधिकार—यह उल्लेखनीय है कि 1949 म जब बेसिक ला का निर्माण हुआ उसम संकटकालीन अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं था। बाद म 1968 म उसम संकट काल विषयक अनुच्छेद जोड़े गए। संकटकालीन प्रावधानों की दृष्टि म भी बेसिक ला विश्व के अन्य संविधानों की तुलना म बेजोड़ तथा अनुपम है। सामान्यत संकटकाल म समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रधान मन्त्री के हाथों म केन्द्रित हो जाती है तथा वह व्यक्ति सर्वेसर्वा बन जाता है लेकिन बेसिक ला के अनुच्छेद 53(ए) के अनुसार एक संयुक्त समिति (Joint Committee)

का निमाण किया गया है जो मवनकार म बराबर काय करता रहगी। इस समिति क सन्स्या म म 2/3 मन्स्य बुन्नेसटाग तथा 1/3 मन्स्य बुन्नराट म आयेंगे।

वमिक ना म एक ग्रय उल्लखनाय व्यवस्था यह है कि मवटकार म समम्न शक्ति राष्ट्रपति म वन्द्रित नहा का गई है। इतना ही नहीं प्रतिरक्षा का स्थिति होन पर सना विषयक सर्वोच्च सत्ता चासलर क पास आ जाता है। इसक विपरीत शान्ति म सरकार म समम्न शक्ति राष्ट्रपति म वन्द्रित रहना है।

(17) चुनाव पद्धति—पश्चिमी जमनी का राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य आधार प्रदान करन म वहा का चुनाव पद्धति का विशप योगदान रहा है। वमिक ना के अन्तगत जिस चुनाव प्रणाली की व्यवस्था का गई है उसम विश्व म प्रचलित सभी चुनाव प्रणालियों का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। मूलत चुनाव प्रणाली को दो प्रकारों म बाटा जा सकता है प्रत्यक्ष या सीधा चुनाव (इस डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है) दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव या आनुपातिक चुनाव प्रणाली। जमनी का चुनाव-कानून दोनों प्रणालियों की अच्छाइयों को लेकर बनाया गया है।

15 जून 1949 को सर्वप्रथम चुनाव-कानून का निर्माण किया गया। इसम 27 अनुच्छेद थ। इसक अन्तगत 21 वर्षीय लोगों को मताधिकार दिया गया तथा 60 प्रतिशत प्रतिनिधियों क प्रत्यक्ष चुनाव तथा 40 प्रतिशत क अप्रत्यक्ष चुनाव का व्यवस्था की गई। प्रत्येक जमन को दो वोट देने थ एक उम्मीदवार को तथा एक राजनीतिक दल को। इस प्रकार 60 प्रतिशत प्रतिनिधि उसी प्रकार चुन जाते थ जैसे भारत म तथा 40 प्रतिशत प्रतिनिधियों को राजनीतिक दल प्रदत्त वोट प्राप्त मतों क अनुपात म नामजद करते हैं। इस प्रकार व लोग भी बुन्डेस्टाग या लैण्ड (राज्य) विधानसभा म प्रवेश कर सकते थ जो प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने म कुशल नहीं थ।

इतना ही नहीं छोटे छोटे दलों क निर्माण को हतोत्साहित करने क लिए कानून म एक पाच प्रतिशत धारा भी रखी गई जिसक अनुसार जिस राजनीतिक दल को राज्य म या संसद क चुनाव म 5 प्रतिशत वोट नहीं मिलते वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकता था। इस व्यवस्था को रुकावट धारा भी कहा गया है। इसक कारण जमनी म धीरे धीरे छोटे छोटे दलों का लोप होता गया और अन्त म कुल तीन मुख्य दल हो रह गए। य दल हैं—सोशल डमोक्रेटिक पार्टी क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी।

1953 म इस चुनाव-कानून म कुछ परिवतन किया गया तथा अब 50 प्रतिशत प्रतिनिधियों क प्रत्यक्ष चुनाव की तथा 50 प्रतिशत राजनीतिक दलों की सूची म चुनाव की व्यवस्था की गई। पहले आम चुनाव म द सगाग म 400 प्रतिनिधि चुन गए तथा नय कानून क अनुसार उनकी सख्या 484 कर दी गई। 1956 म चुनाव-कानून म मामूली संशोधन किया गया तथा 1970 म मताधिकार की उम्र 21 स कम करक 18 वष निश्चित की गई। पहल 25 वष

की आयु वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता था अब वह घटाकर 21 कर दी गई। इस परिवर्तन से 20 लाख नवयुवकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में आजकल चुनाव-कानून में परिवर्तन की माग की जा रही है तथा साथ ही मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 करने की भी आवाज उठाई जा रही है।

(18) राज्यों के अलग संविधान—पश्चिमी जर्मनी के संविधान की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वहां बेसिक ला के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य राज्य का अपना अलग संविधान है। इस प्रकार वहां 11 राज्यों के 11 संविधान भी मौजूद हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्यों को भारी महत्व दिया गया है। राज्य वहां मात्र बड़ी नगरपालिकाओं की भांति नहीं हैं। लेकिन राज्यों के ये संविधान बेसिक ला के सिद्धान्तों के अनुरूप ही होंगे। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि—

लैण्डर (राज्यों) की संवैधानिक व्यवस्था गणतंत्रीय जनतान्त्रिक तथा सामाजिक सरकार के सिद्धान्तों के अनुरूप कानून पर आधारित होनी चाहिए।

(19) उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं—बेसिक ला की एक विशेषता यह भी है कि उसमें उपराष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति का ही चुनाव होता है तथा पद-त्याग अथवा पद रिक्त होने पर बुन्देसरात का अध्यक्ष राष्ट्रपति पद का काम भार सम्भालता है।

(20) स्थानीय जनतन्त्र की व्यवस्था—बेसिक ला में एक चौखम्भा राज्य की कल्पना की गई है जिसमें संघ राज्य राज्य काउन्टी (Kreise) तथा कम्यून (Gemeinde) की व्यवस्था की गई है। काउन्टी तथा कम्यून अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं ही पश्चिमी जर्मन जनतन्त्र की नींव या प्रारम्भिक पाठशालाएं हैं।

बेसिक ला का मूल्यांकन

जनतन्त्र में निष्ठा रखने वाले हिटलर के सैकड़ों विरोधियों ने जो कुर्बानियां दीं वह निरर्थक नहीं रहा। वे लोग जर्मनी में एक श्रेष्ठ जनतान्त्रिक व्यवस्था का सपना देखते थे। क्लाउस फान स्टाउफनबर्ग ने हिटलर की हत्या के असफल प्रयास से पूर्व लिखा था —

हम एक नवीन व्यवस्था चाहते हैं जो सभी जर्मनी वासियों को राज्य में भागीदार बनाएगी तथा अधिकारों व न्याय कार्य को सुनिश्चित बनाएगी। स्टाउफनबर्ग को फांसी दे दी गई लेकिन उसके ये शब्द बान नगर में संविधान निर्माताओं को प्रेरणा देते रहे।

बेसिक ला उसके निर्माताओं के सजग प्रयासों का फल है। इन निर्माताओं ने नवीन जर्मनी के राजनीतिक क्षितिज पर आधुनिक समस्याओं तथा अतीत के अपने

कटु अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया। बान नगर में एकत्रित जर्मन प्रतिनिधि एक स्वतन्त्र जनतान्त्रिक तथा संघ राज्य के विचारों से प्रेरित थे।

बेसिक ला व्यावहारिक राजनीतिक दूरदर्शिता की उपज है। जान फोर्ड गोलाए के अनुसार बेसिक ला का निर्माण प्रतिनिधि जनतन्त्र का एक मौलिक कृत्य है। बिस्मार्क युग व वाइमार-काल के संविधान के विपरीत यह बेसिक ला कम मस्तिष्कों व कई छायाओं का प्रतिफल है। यह काफी विस्तृत हो सकता है लेकिन बेसिक ला में समझौतों की जो प्रवृत्ति है वह भविष्य के लिए आशावाद का चिह्न है। उससे लगता है कि यह संविधान उसी प्रकार स्थायी होगा जिस प्रकार अन्य देशों के संविधान स्थायी रहे हैं क्योंकि यद्यपि यह संविधान किसी के लिए भी पूर्णत संतोषप्रद भले ही न हो लेकिन सभी के लिए सहन लायक अवश्य है। गोलाए आगे लिखता है— पश्चिमी जर्मनी में सरकार की स्थापना युद्धोत्तर यूरोप की महानतम राजनीतिक घटना है।[1]

पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व राष्ट्रपति गुस्टाफ हाइनमान की मान्यता है कि— हमारा बेसिक ला एक महान् भेंट (offer) है। हमारे इतिहास में पहली बार यह बेसिक ला एक उन्नत जनतान्त्रिक तथा सामाजिक संवैधानिक राज्य में व्यक्ति की गरिमा का आधार बनाता है। इसमें विविध मतों के लिए स्थान है जिन्हें स्पष्ट व निर्भीक विचार विमर्श द्वारा सुस्पष्ट बनाना है।

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कार्ल यास्पर्स ने बेसिक ला के सम्बन्ध में यह विचार प्रस्तुत किए हैं—

हमारा संविधान उत्कृष्ट कार्य का प्रतिफल है। इसे विचारशील राजनीतिज्ञों तथा राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से बनाया है। इसमें परम्परागत संसदीय जनतन्त्र के मूल विचार शामिल हैं तथा यह मानव के मूल अधिकारों का अनन्य घोषित करता है जो भावी संसदीय बहुमतों से नहीं बदले जा सकेंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास यह संविधान है। बेसिक ला को प्रत्येक नागरिक के हृदय में अंकित करना होगा।

गिल्बर्ट जी नायमान के अनुसार— ऐसे कई अच्छे सबूत मिलते हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी जर्मनी का नवीन जनतान्त्रिक शासन सुदृढ़ भित्ति पर खड़ा है। आज का जर्मनी आज के 25 या 50 वर्ष पूर्व के जर्मनी से प्रत्यक्षतः भिन्न है।[3]

1 जॉन फोर्ड गोलाए दी फाउन्डिंग आफ दी फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी (शिकागो 1968) पृ० 201।

2 कार्ल यास्पर्स वोहीन ट्रीब्ट डी बुन्डेसरिपुब्लिक (म्यूनिख 1967) पृष्ठ 175।

3 ए ब जी नॉयमान दी गवर्नमेन्ट आफ फैडरल जर्मन रिपब्लिक (न्यूयार्क 1966) पृ 163।

अर्नाल्ड जे हाईडेनहाईमर लिखता है— बेसिक ला की प्रमुख विशेषता है संसदीय व्यवस्था में अनेक प्रकार के नियन्त्रण तथा सन्तुलन की व्यवस्था। हाइडेन हाइमार आगे कहते हैं—इस में उन्होंने एक नवीन वस्तु संघीय संवैधानिक न्यायालय की व्यवस्था कर असंवैधानिक कार्यों को हतोत्साहित किया है।[1]

एल्मर प्लिशके की मान्यता है कि—पश्चिमी जर्मन व्यवस्था (बेसिक ला) ने लचीलापन तथा स्थायित्व का प्रदर्शन किया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन बड़ी समस्याओं का सामना करने में सक्षम है जो उसके सम्मुख आई हैं।



अर्नाल्ड जे हाईडेनहाईमर दी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी (लन्दन 1965) पृष्ठ 59
एल्मर प्लिशके कान्टेम्पोरेरी गवर्नमेन्ट ऑफ जर्मनी (रिवाइज्ड संस्करण 1969) पृष्ठ 31।

4

राष्ट्रपति का पद और उसकी सीमाएँ

राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक होता है साथ ही वह उसका प्रथम सम्मानित नागरिक भी है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा अपने देश के समाज की अगुवाई करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। जनतान्त्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यकारिणी होती है। एक अध्यक्षात्मक कार्यकारिणी जहाँ राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। इस व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राज्य अमरिका। दूसरे प्रकार की कार्यकारिणी को मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था का नाम दिया गया है जिसमें प्रधान मन्त्री के पद के अन्तर्गत सभी अधिकार प्राप्त हैं। पश्चिमी जर्मनी में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। अन्य संसदीय जनतन्त्रों की भाँति पश्चिमी जर्मनी में भी संघ राष्ट्रपति का पद अधिकांश रूप में नाम और अलंकरण का पद है। वाईमार-गणतन्त्र की तुलना में वर्तमान पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार काफी सीमित हैं।

बॉन-विधान के निर्माता वाईमार-गणतन्त्र की असफलता में राष्ट्रपति की भूमिका से भलीभाँति परिचित थे और वे इस बात के लिए सजग थे कि इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। वाईमार-गणतन्त्र में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। समस्त जनता के वोटों से चुना गया राष्ट्रपति निश्चय ही यह दावा कर सकता था कि वह जनता का सच्चा प्रतिनिधि है और ऐसी स्थिति में चान्सलर व राष्ट्रपति के बीच विरोध मतभेद विवाद व संघर्ष की काफी गुंजाइश थी। इतना ही नहीं वाईमार-गणतन्त्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह भी अधिकार था कि अपने विवेक का प्रयोग करते हुए संसद् द्वारा पारित कानून को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित कर सके। इसी प्रकार वाईमार-संविधान के 48वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को व्यापक संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। इन अधिकारों के अन्तर्गत वह संसद् को भंग कर समस्त सत्ता अपने हाथों में केन्द्रित कर सकता था। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण वाईमार संविधान में तत्कालीन जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार अत्यधिक विस्तृत थे। नवीन संविधान के निर्माता इन तथ्यों से परिचित थे अतः उन्होंने संसद् तथा चान्सलर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक अपेक्षाकृत निर्बल राष्ट्रपति पद की रचना की। उसके चुनाव को भी प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष रखा तथा उसे संकटकालीन अधिकारों के उपभोग से भी वंचित कर दिया।

राष्टपति के पद के लिए योग्यताएँ

राष्टपति के बारे म वसिक ला अनुच्छ 54 (1) कहता है कि प्रत्यक जमन जिसे वाट देन का अधिकार है तथा जिसने 40 वष की आयु प्राप्त कर ली है राष्टपति पद के लिए याग्य है। इसके अतिरिक्त बेसिक ला कोई व्यवस्था नहीं करता। लेकिन जब हम वोट दने के अधिकार की ओर ध्यान देत हैं तो कुछ और याग्यताए प्रकट हाती हैं। उदाहरण क लिए वोट वही दे सकता है जो जमनी का नागरिक हो। इस प्रकार राष्टपति पद के प्रत्याशी के लिए निम्नलिखित योग्यताए सामन आती हैं —

(1) वह जमनी का नागरिक हो।
(2) वह 40 वष की आयु प्राप्त कर चुका हो।
(3) वह किसी अपराध म दण्डित न हो।
(4) वह पागल या मानसिक असतुलन का शिकार न हो।
(5) एक निश्चित अवधि तक पश्चिमी जमनी म निवास कर चुका हो।
(6) इसके अतिरिक्त बेसिक ला क अनुच्छेद 55 के अनुसार यह भी कहा गया है कि राष्टपति कोई अ य वतनिक पद पर काय करने वाला न हो और न किसी व्यापार व्यवसाय या पशे से सम्बद्ध हो। व लाभ प्रदान करन वाले किसी प्रबन्ध या उद्योग स सम्बद्ध भी नहीं हो सकता।

साथ ही राष्टपति-पद क प्रत्याशी को चुनाव के बाद सघ या राज्य की विधानसभा की सदस्यता या मत्री पद—यदि वह सदस्य या मत्री है तो—का त्याग करना पडगा।

इन सब सवधानिक व्यवस्थाओ के अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं जो एक व्यक्ति को इस पद क योग्य बनाती है। राष्टपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसन साव जनिक जीवन म दीघकाल तक सवाए प्रदान की हो जो राजनीति शिक्षा समाज सवा या सस्कृति क क्षेत्र म क्रियाशील रहा हो तथा समाज म प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हो तथा जिस इस प्रतिष्ठा तथा सवा के कारण जनता क प्रतिनिधियो क एक बडत बड वग का समथन प्राप्त हो।

राष्टपति का निर्वाचन व कायकाल

पश्चिमी जमनी क राष्ट्रपति का चुनाव एक विशिष्ट पद्धति स होता है। बसिक ला क अनुसार राष्टपति का चुनाव एक सघीय निर्वाचन सभा (फडरल कवेशन) द्वारा होगा जो राष्टपति क पद की अवधि की समाप्ति क 30 दिन पहले चुनाव क लिए एकत्रित होगी। इस सघीय निर्वाचन सभा का बुन्डेसराट का अध्यक्ष आमत्रित करेगा [अनुच्छेद 54 (4)]

बसिक ला क अनुच्छेद 54 (3) क अनुसार—इस सघीय निर्वाचन सभा म

(1) बुन्डसटाग क समस्त सदस्य तथा

(2) बुंदेसराग के सदस्यों की समान संख्या में लेण्डेर (राज्यों) की विधान सभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसी अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वह दुबारा चुनाव में खड़ा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है।

इस प्रकार पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा पहले से ही चुने गए प्रतिनिधि तथा राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां की जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। यदि हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का अध्ययन करें तो पश्चिमी जर्मनी व भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में काफी साम्य नजर आता है। लेकिन कुछ अन्तर भी है।

पश्चिमी जर्मनी व भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धतियों में समानताएं तथा असमानताएं

समानताएं

पश्चिमी जर्मनी	भारत
(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन	(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन
(2) संघीय निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन	(2) निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन
(3) विशेष रूप से निर्मित संघीय निर्वाचक-मण्डल	(3) विशेष रूप से निर्मित निर्वाचक मण्डल
(4) राज्यों तथा संघीय प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव	(4) राज्यों तथा संघीय प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव

असमानताएं

पश्चिमी जर्मनी	भारत
(1) बुन्देसराट (राज्य सभा) के सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते।	(1) राज्य सभा के सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेते हैं।
(2) चुनाव में बुन्देसटाग के प्रतिनिधि तथा उसी के समान संख्या में लेण्डेर (राज्यों) की विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।	(2) चुनाव में राज्यों के सभी चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

(3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक वोट देता है।	(3) प्रत्येक प्रतिनिधि एक विशेष फामूल के अतगत बहु सख्या म वोट डालता है तथा प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पसद के अनुसार 1 2 3 4 वाट देता है।
(4) यदि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को बहुमत नहा मिलता ता दुबारा वोट डाले जात हैं।	(4) यदि किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत नही मिलता तो जिस उम्मीदवार का सबस कम वोट मिले हैं उसके वोट सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया

जसा कि पहले कहा जा चुका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष सघीय निर्वाचन-सभा का निर्माण होता है। इस सभा म बुन्देसटाग के सदस्यो के समान सख्या म प्रतिनिधि विभिन्न राज्यो द्वारा चुने जाते हैं। य लोग पश्चिमी बलिन म एकत्रित होते हैं तथा वहा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बलिन म चुनाव करने का एक विशेष आशय है। इस प्रकार पश्चिमी जमनी की सरकार यह घोषित करना चाहती है कि बलिन जमनी की राजधानी है (अस्थायी राजधानी बान नगर है)।

राष्ट्रपति के चुनाव को और अधिक स्पष्ट इस प्रकार किया जा सकता है। मान लीजिए कि बुन्देसटाग म कुल 518 सदस्य है तो 518 और सदस्य लैण्ड (राज्य) विधान-सभाओ द्वारा चुने जाएगे और य 1036 प्रतिनिधि बलिन म एकत्रित होकर चुनाव करेंगे। 1036 प्रतिनिधियो म से 519 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा। यदि प्रथम मतदान मे किसी प्रत्याशी को निश्चित बहुमत नही मिलता है तो दुबारा मतदान होगा। यदि इसम भी निश्चित बहुमत नही मिलता है तो तीसरी बार सबस अधिक वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगा।

12 सितम्बर 1949 को जमनी म राष्ट्रपति पद का पहला चुनाव हुआ। सघीय निर्वाचन-सभा के कुल सदस्य 804 थ तथा पूर्ण बहुमत के लिए 403 मतो की आवश्यकता थी। चुनाव के मैदान म कुल मात उम्मीदवार थ। प्रमुख प्रत्याशी थियोडोर हायस तथा कुट शूमाखर। शूमाखर साशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थ तथा हायस फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सयुक्त उम्मीदवार। प्रथम मतदान म हायस को 377 तथा कुट शूमाखर को 311 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत (403 वोट) न मिल फलस्वरूप दुबारा चुनाव हुआ। इस बार हायस को 416 मत मिले तथा

व चुन लिए गए। 1954 में दुबारा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस बार हायस फिर मैदान में थे और उन्हें कुल 987 मतों में से 871 मत प्राप्त हुए। इस बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 1959 में तीसरी बार चुनाव हुआ और इस बार पहले तो स्वयं चांसलर आडेनावर ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का इरादा किया लेकिन बाद में उसने विचार त्याग दिया। इस बार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने हाइनरिख ल्यूबके को—जो आडेनावर मंत्रिमण्डल में कृषि मंत्री थे—चुनाव के लिए प्रस्तुत किया। 1 जुलाई 1959 को चुनाव हुए। कुल मतदाता 1038 थे जिनमें से ल्यूबके को 526 वोट मिले। इस प्रकार वह 6 मतों से विजयी रहा। 1964 में फिर चुनाव हुआ और इस बार ल्यूबके पुनः मैदान में उतरा। इस बार उसे 1024 वोटों में से 710 वोट प्राप्त हुए। 1969 में जब बर्लिन में संघीय निर्वाचन सभा के सदस्य 5वीं बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकत्रित हुए तो नजारा बदल चुका था। अब तक जितने राष्ट्रपति बने उन्हें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलकर सहयोग दिया था। लेकिन इस बार फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सहयोग का निश्चय किया तथा उसके परिणाम-स्वरूप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार गुस्ताफ हाइनमान का चुनाव हुआ। 1974 में जर्मनी के राष्ट्रपति पद पर फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वाल्टर शील चुने गए। उन्हें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन प्राप्त था। 15 मई को हुए इस चुनाव में वाल्टर शील को 530 वोट मिले। उनके विरोधी वाइत्सेकर (क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन) को 494 मत प्राप्त हुए। कुल मतदाताओं की संख्या 1036 थी।

यह उल्लेखनीय है कि जर्मनी के राष्ट्रपति पद पर अब तक वहां के तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। इसका विवरण इस प्रकार है—

(1) थियोडोर हायस (1949–59) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी।

(2) हाइनरिख ल्यूबके (1959–1969) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन।

(3) गुस्ताफ हाइनमान (1969–1974) सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी।

(4) वर्तमान राष्ट्रपति वाल्टर शील (1974) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी।

इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव अब फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रारम्भ हुआ और आज भी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य वहां का राष्ट्रपति है।

राष्ट्रपति पद की शपथ

किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा जो शपथ ली जाती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार यह बात भारत पर लागू होती है उसी प्रकार पश्चिमी जर्मनी पर भी।

बेसिक लॉ के 56 वें अनुच्छेद के अनुसार— पद भार सम्भालने पर राष्ट्रपति बुन्डेस्टाग व बुन्डेसराट के सदस्यों के सम्मुख शपथ ग्रहण करेगा—

म शपथ लेता हू कि मैं निष्ठापूर्वक जमन जनता के कल्याण का प्रयास करूगा तथा उसके नामों म वृद्धि करूगा उन्ह हानि से बचाऊगा बेसिक ला तथा सघ के कानूनो की रक्षा करूगा व उसकी मर्यादा बनाए रखूगा। श्रद्धा के साथ अपने कत्त यो का पालन करूगा तथा सभी को न्याय प्रदान करूगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।

यह शपथ ईश्वर के नामोल्लेख के बिना भी ली जा सकती है।

राष्ट्रपति का कायकाल

बसिक ला के अनुच्छेद 54 (2) के अनुसार राष्ट्रपति का कायकाल 5 वष क लिए होगा। भारत क राष्ट्रपति का कायकाल भी इतना ही है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वष के लिए चुना जाता है। उसी अनुच्छेद क अनुसार पश्चिमी जमनी म कोइ व्यक्ति सिफ दो बार राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। इस दृष्टि स भारत मे राष्ट्रपति के पुर्ननिर्वाचन पर कोई सीमा नही है लेकिन अब तक की परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति तीसरी बार चुनाव नही लडता है।

सामान्यत राष्ट्रपति 5 वष काय करता है लकिन इसी बीच उसे महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो बीच म त्याग पत्र दे सकता है। पश्चिमी जमनी के भूतपूव राष्ट्रपति गुस्टाफ हाइनमान ने राष्ट्रपति बनने पर यह धारणा की थी कि व अणुशस्त्रो के निमाण व प्रयोग सम्बन्धी ससद के किसी कानून को स्वीकृति नही देंगे अथात् उस पर हस्ताक्षर नही करेंगे।

राष्ट्रपति पर महाभियोग

बसिक ला म जमन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पद से हटाने की व्यवस्था की गइ है। अनुच्छेद 61 क अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस बेसिक ला या सघीय कानून का जानबूझ कर उल्लघन करन पर बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट द्वारा सघीय सवधानिक न्यायालय के समक्ष उस पर महाभियोग चलाया जा सकगा। इसी अनुच्छेद म आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क प्रस्ताव के लिए बुन्डसटाग के 1 4 सदस्यो या बुन्डेसराट क 1/4 सदस्यो की स्वीकृति जरूरी है। इस सम्बन्ध मे निणय लेने के लिए बुन्डसटाग या बुन्डेसराट क 2/3 सदस्यो का समथन आवश्यक होगा। जो भी सदन महाभियोग चलाता है उस सघीय सवधानिक न्यायालय क सम्मुख अपना प्रतिनिधि भेजना होगा। जो उन आरोपो के सम्बन्ध म प्रमाण प्रस्तुत कर सके।

यदि सघीय सवधानिक न्यायालय यह पाता है कि राष्ट्रपति ने जानबूझ कर इस बसिक ला या सघीय कानून का उल्लघन किया है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति न उस पर बने रहने सम्बन्धी अपना अधिकार खो दिया है (अनुच्छेद 61 (2) महाभियोग लगाने क बाद न्यायालय यह अन्तरिम

आदेश निकाल सकता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नही रहेगा तथा अधिकारो का प्रयोग नही करगा।

महाभियोग विषयक प्रक्रिया की भारतीय प्रक्रिया से तुलना करें तो निम्न निश्चित समानताए तथा विभेद सामने आते हैं। यह उल्लेखनीय सयोग है कि दोनो देशो मे महाभियोग सम्बन्धी धारा 61 ही है।

समानताए

पश्चिमी जर्मनी	भारत
(1) महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए बुन्देसटाग या बुन्देसराट के 1/4 सदस्यो का समर्थन आवश्यक।	(1) महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोक सभा या राज्य सभा के 1/4 सदस्यो का समर्थन जरूरी है।
(2) महाभियोग सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए बुन्देसटाग या बुन्देसराट के 2/3 बहुमत का समर्थन जरूरी।	(2) लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यो का 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन आवश्यक।

असमानताए

पश्चिमी जर्मनी	भारत
(1) राष्ट्रपति पर महाभियोग सबधी कार्यवाही सघीय सवधानिक न्यायालय मे होगी।	(1) यदि लोक सभा महाभियाग लगाती है तो कार्यवाही राज्यसभा मे होगी। यदि राज्य सभा महाभियाग लगाती है तो मामला लोक सभा सुनेगी।
(2) महाभियोग की सूचना सम्बन्धी अवधि का उल्लेख नही है।	(2) भारत मे 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
(3) महाभियाग प्रक्रिया के दौरान सघीय सवधानिक न्यायालय एक अतरिम आदेश निकाल कर राष्ट्रपति को उस पद पर काय करने स वचित कर सकता है।	(3) भारत का सविधान इस विषय पर मौन है।

पद रिक्त होने पर

एसे कई कारण है जिनके अतर्गत राष्ट्रपति को अपनी 5 वर्षीय कार्यावधि पूर्ण करने से पूर्व पद छोडना पड़े। राष्ट्रपति या मत्रिमण्डल मे आपसी विवाद की स्थिति स्वास्थ्य खराब होने पर या महाभियोग सिद्ध होने अथवा असमय मे मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। वैसे जर्मनी मे अभी तक ऐसी कोई स्थिति नही आई। लेकिन फिर भी सविधान मे इस विषय मे व्यवस्था करना अनिवार्य था। बॉन के ला के अनुच्छेद 57 के अनुसार—यदि सघ राष्ट्रपति को किसी कारणवश अपने काय करने से रोका जाता है या उसका पद असामयिक रूप से रिक्त

होना है तो उसके अधिकारों का प्रयोग बुन्देसराट के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। लेकिन यदि बुन्देसराट का अध्यक्ष भी ऐसा करने में असमर्थ हो तो क्या होगा इस बारे में बेसिक ला मौन है।

राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां

अन्य राष्ट्राध्यक्षों की भांति पश्चिमी का राष्ट्रपति भी अपनी कार्यावधि में कई उन्मुक्तियों का उपभोग करता है। राष्ट्रपति पद के अन्तर्गत अपने कार्यों के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी दीवानी या फौजदारी अदालत में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता न उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला जा सकता है। सिर्फ संविधान या संघीय कानून के जानबूझ कर उल्लंघन करने की स्थिति में उस पर संघीय संवैधानिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में भी राष्ट्रपति को लगभग ये ही उन्मुक्तियां प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य

बेसिक ला के निर्माताओं ने जब राष्ट्रपति पद की शक्तियों के बारे में विचार आरम्भ किया तो उनके समक्ष वाइमार संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग की याद ताजा थी। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। जर्मन संविधान निर्माता भी इसी प्रकार अत्यधिक सजग थे। वे नहीं चाहते थे कि भविष्य में कोई दूसरा हिण्डनबर्ग पैदा हो जो जनतन्त्र का जनाजा निकाल दे। संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि जर्मन राष्ट्रपति—

(1) राष्ट्र का प्रतीक हो।
(2) राजनीतिक दृष्टि से वह तटस्थ रहे तथा उसे सिर्फ सुस्पष्ट रूप से परिभाषित स्थितियों में निषेधाधिकार का अधिकार दिया जाए तथा किसी भी स्थिति में नीति निर्धारण तथा शासन का अधिकार न दिया जाए।
(3) वह राजनीतिक दलों की गतिविधियों से दूर रहकर संविधान के रक्षक व अभिभावक का कार्य करे।[1]

इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपति के लिए भरपूर प्रतिष्ठा लेकिन सीमित अधिकारों व शक्तियों की व्यवस्था की गई। बेसिक ला के अनुसार पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति के अधिकारों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है।

(1) व्यवस्थापिका विषयक शक्तियां।
(2) कार्यपालिका विषयक शक्तियां।
(3) न्यायिक शक्तियां।
(4) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिनिधित्व का अधिकार।

(1) जर्मन इन्टरनेशनल (मासिक पत्र) खण्ड XVIII संख्या 7 जुलाई 1974

प्रस्थापित्मा विषयक शक्तियां

पश्चिमी जर्मनी में कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल से मिल कर होता है। पश्चिमी जर्मन राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में कुछ कम हैं। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति लोक सभा का अधिवेशन बुलाता है लेकिन पश्चिमी जर्मनी में यह कार्य बुन्देसटाग का अध्यक्ष करता है। लेकिन बेसिक ला के अनुच्छेद 39 के अनुसार राष्ट्रपति यह माँग कर सकता है कि बुन्देसटाग का अधिवेशन बुलाया जाए।

बेसिक ला के अनुसार संसद् द्वारा पारित कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून बनता है।

राष्ट्रपति प्रायः अध्यादेश व आदेश (decree) पर भी हस्ताक्षर करता है लेकिन वास्तव में यह अधिकार सम्बद्ध संघीय मंत्री या राज्य सरकार के पास होता है। इस दृष्टि से उसका अध्यादेश या आदेश जारी करने का अधिकार नाम मात्र का है। साथ ही इन अध्यादेशों पर चान्सलर या सम्बद्ध विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं।

उपरिलिखित विवरण से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम जर्मन राष्ट्रपति के अधिकार न के बराबर हैं लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है। कुछ मामलों में वह अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। खासकर प्रधान मंत्री द्वारा विश्वास प्राप्त करने के प्रस्ताव की असफलता के सम्बन्ध में बेसिक ला के अनुच्छेद 68 के अनुसार यदि चान्सलर द्वारा विश्वास प्रस्ताव को बुन्देसटाग के अधिकांश डेपुटी (सदस्य) अस्वीकृत कर देते हैं तो राष्ट्रपति चान्सलर के प्रस्ताव पर 21 दिन के भीतर बुन्देसटाग को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 81 यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत यदि बुन्देसटाग भंग न हो पाती है तथा संघ सरकार की प्रार्थना पर राष्ट्रपति बुन्देसराट की सहमति से किसी विधेयक के बारे में विधायिका संकट-काल (Legislative emergancy) की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा उस विधेयक के बारे में की जा सकती है जिसे संघ सरकार ने आवश्यक बनाया है लेकिन बुन्देसटाग ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

अनुच्छेद 81 (?) के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि विधायिका संकट-काल की घोषणा कर दी गई तथा बुन्देसटाग पुनः उस विधेयक को अस्वीकृत कर देता है तो वह विधेयक कानून बन जाएगा बशर्ते बुन्देसराट उसको स्वीकृति दे। यदि बुन्देसटाग उस विधेयक को पुनः उपस्थित करने पर चार सप्ताह में पारित नहीं करती है तो भी वही स्थिति लागू होगी।

इस प्रकार विधायिका संकट-काल की स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियां प्रमुख हो जाती हैं क्योंकि 'विधायिका संकट-काल' है या नहीं यह राष्ट्रपति ही तय करता है।

कायपालिका शक्तिया

पश्चिमी जमनी का राष्टपति बुन्डेस्टाग के समक्ष चासलर पद के प्रत्याशी के चुनाव का प्रस्ताव रखता है तथा उस प्रस्ताव पर बिना किसी बहस के मतदान होता है। यदि प्रस्तावित उम्मीदवार का चुनाव नहीं होता है तो बुन्डेसटाग 14 दिन की अवधि के भीतर बहुमत से चासलर का चुनाव कर सकती है लेकिन इस बार भी चुनाव नहीं होता है तो तत्काल दुबारा चासलर का चुनाव कराया जाएगा। यदि अब भी किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्टपति चाहे तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को नियुक्त कर सकता है अथवा बुन्डेसटाग को भग कर सकता है। इस प्रकार चासलर के चुनाव में राष्ट्रपति की भूमिका सिद्धान्त रूप से महत्त्वपूर्ण होती है लेकिन व्यवहार में वह उसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करता है जो बहुमत का नेता हो अथवा उस बहुमत मिलने की सम्भावना हो। मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्टपति करता है। यह काय चासलर की सलाह से होता है।

अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति सघीय न्यायाधीशों सघीय पदाधिकारियों तथा अधिकारियों तथा गर कमीशन युक्त (non Commissioned) अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। इस प्रकार वह न्यायाधीशों राजदूतों प्रान्टिर जनरल आदि की नियुक्ति करता है लेकिन व्यवहार में यह काय मन्त्रिमण्डल की सलाह से ही होता है।

न्यायिक शक्तिया

न्यायपालिका के क्षेत्र में भी राष्टपति को कई अधिकार प्राप्त हैं। वह सघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यदि किसी कानून के बारे में उसे सन्देह हो कि यह बसिक ला के अनुकूल नहीं है तो वह सघीय सवधानिक न्यायालय से इस बारे में सलाह ले सकता है। 1952 में पश्चिमी जमन राष्ट्रपति श्री थियोडोर होयस ने यूरोपीय प्रतिरक्षा-समुदाय सधि की सवधानिकता के बारे में सघीय सवधानिक न्यायालय से सलाह मागी थी। बाद में उन्होंने अपनी यह प्राथना वापस ले ली।

अनुच्छेद 60 (2) के अनुसार राष्टपति सघ राज्य की ओर से व्यक्तिगत मामलों में क्षमादान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार के अन्तगत वह दया के विविध रूपों—सजा में कमी प्रविलम्बन (reprieve) आदि की शक्ति का उपयोग कर सकता है लेकिन वह सवक्षमा या पूर्णक्षमा या विमुक्ति का अधिकार नहीं रखता। इस प्रकार वह न्यायालयों द्वारा दण्डित व्यक्ति के दण्ड को स्थगित कर सकता है उसमें कुछ विलम्ब कर सकता है अथवा सजा में कमी कर सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिनिधित्व

विदेशनीति के क्षेत्र में भी राष्टपति को शक्तियां व अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 59 के अनुसार—सघ राष्टपति सघ के विदेशी सम्बन्धों में उसका प्रतिनिधित्व करेगा। वह सघ की ओर से सधियां करेगा। राजदूतों की नियुक्ति एव

विदेशी राजदूतों का स्वागत करना। अपने राजदूतों को प्रमाण पत्र देना तथा विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना। एल्मर प्लिश्के के अनुसार विदेशी मामलों में भी राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए न कि व्यवहार में कार्य सम्पादन करता है। राजदूतों की नियुक्ति विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक या राजनयिक सम्बन्ध स्थापना आदि का कार्य वास्तव में मंत्रिमण्डल का ही होता है। राष्ट्रपति जो कार्य करता है वह है विदेशी राजदूतों का स्वागत। यह कार्य भी एक रस्म मात्र है।

राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल्यांकन

बेसिक ला तथा पिछले समय राष्ट्रपति पद पर चुने गए व्यक्तियों के कार्य व भूमिका का अध्ययन करके ही राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन किया जा सकता है। अध्ययन के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं—

राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है

जब बेसिक ला का निर्माण हो रहा था उस समय संसदीय परिषद् (Parliamentary Council) के सदस्य प्रायः इस प्रश्न पर एक मत थे कि राष्ट्रपति को कम से कम शक्तियां प्रदान की जाएं तथा वह एक नाम मात्र का शासक या अलंकरण का पद हो। ऐसा करने के कारण अतीत में खोजे जा सकते हैं। वाइमार गणतन्त्र के दिनों में राष्ट्रपति को असीम अधिकार दिए गए जिनके दोष या अनुचित प्रयोग के कारण तत्कालीन जर्मन राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग ने जर्मनी में तानाशाही का मार्ग प्रशस्त किया। नए निर्माता इस स्थिति से बचना चाहते थे। प्रथम राष्ट्रपति थियोडोर ह्यूस ने कहा— पिछले दिनों मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि राष्ट्रपति के अधिकार विशाल हैं लेकिन मेरी मान्यता है कि राष्ट्रपति के अधिकार गज भर लम्बे न हों। ये अधिकार राजनीतिज्ञों के पास हैं। राष्ट्रपति के नाम मात्र के शासक होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं—

(1) जर्मनी में मंत्रिमण्डलात्मक शासन व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत चांसलर प्रधान होता है।

(2) संसदीय शासन में राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का शासक ही होता है।

(3) इसे स्वविवेकाधीन अधिकार भी प्राप्त नहीं है जैसा कि भारत में है।

(4) समस्त निर्णय चाहे वे विदेश-नीति के क्षेत्र में या गृह-नीति के क्षेत्र में हों—मंत्रि-परिषद् लेती है।

(5) राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल या चांसलर की सलाह मानने को बाध्य है। कुछ विशेष अवसरों पर ही वह संघीय संवैधानिक न्यायालय से कानून की वैधता सम्बन्धी निर्णय देने को कह सकता है।

(6) राष्ट्रपति की सेना पर नियन्त्रण नहीं है। शांतिकाल में प्रतिरक्षा मंत्री तथा संकट काल में चांसलर सर्वोच्च सेनापति होता है।

कुछ विशेष स्थितियों में महत्त्वपूर्ण

यह सही है कि सामान्यत जमन राष्ट्रपति के अधिकार व शक्तियां ब्रिटिश राजा या रानी से अधिक नहा है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका पद अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि समद् म बहुत स दल हो तो ऐसी स्थिति म राष्ट्रपति चासलर के पद पर अपनी मर्जी के उम्मीदवार का प्रस्ताव कर सकता है। यदि बुदेसटाग को प्रस्ताव स्वीकार न हो और यदि बुन्देसटाग 4 दिन म दूसरा व्यक्ति चुनने म असमथ हो तो उसके बाद 7 दिन म वह सदन भग कर सकता है।

इसी प्रकार चासलर व बुदेसटाग म किसी विधेयक को लेकर मतभेद होने पर राष्ट्रपति चाहे तो बुदेसराट की सहायता से विधायिका सकट-काल का घोषणा कर सकता है। ऐसा प्रस्ताव सघ सरकार लाती है लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उस प्रस्ताव को ठुकरा कर चासलर की स्थिति को नाजुक बना सकता है। यद्यपि जमनी म अभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहा हुई है लेकिन भविष्य म क्या हो यह कौन नही कह सकता। इसीलिए फ्रास के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लेखक व पत्रकार अलफ्रेड ग्रोमर ने कहा है कि— राष्ट्रपति पद को सामान्यतया कमजोर बनाना भूल है। हो सकता है भविष्य म ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब एक सशक्त राष्ट्रपति की जरूरत हो।

राष्ट्रपति का पद कितना महत्त्वपूर्ण है यह वसिक ता पर तो निभर है ही साथ ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निभर है जो उस पद पर आसीन है। जम पहले और दूसरे राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्तियो ने तो कभी चान्सलर को चुनौती नही दी लेकिन जब गुस्टाफ हाइनेमान राष्ट्रपति बन तो ऐसा लगा कि व अपने अधिकारा पर जार देंगे। उन्होंने घोषणा की कि व अणु शस्त्रा के निर्माण व प्रयोग सबधी कानून को स्वीकृति नहा देंगे लेकिन उनके कायकाल म भी सघष की स्थिति उत्पन्न नहा हुई। फिर भी राजनीति म रुचि लेन वाले व्यक्तियो को कम स कम यह सोचना तो पड़ा कि राष्ट्रपति अपने अधिकारा पर जोर दे सकते हैं।

राष्ट्रपति के अधिकारों एव शक्तियो के बारे म विभिन्न विद्वानो के विचार इस प्रकार हैं —

प्रोफेसर थामस एल्वार्न की मान्यता है कि—1948–49 म जमन सविधान निर्माताओं के समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न था कि राष्टाध्यक्ष की स्थिति क्या हो। सभा की बैठका म राष्टाध्यक्ष के अधिकारा के विरुद्ध अविश्वास की भावना प्रदर्शित की गई क्योंकि वाईमार-गणतन्त्र का अनुभव अभी पुराना नहीं हुआ था। यही कारण है कि राष्टपति के अधिकार कम से कम रख गए।[1]

1 थामस एल्वान दास रेगियरु स सिस्टम डर बुन्देसरिपुब्लिक डोयचलाण्ड दूसरा सस्करण (कोलोन 1966) पृ 281

6

सघीय ससद

जमनी म राष्ट्रीय स्तर पर ससद् का निमाण 1871 क सविधान द्वारा हुआ उसी समय स वहा सदीय व्यवस्था चना आ रही है जिसम दो सदनो का प्रावधान है। बिस्माक द्वारा निर्मित सविधान क अन्तगत वहा की लोकसभा को राइखस्टाग तथा राज्य सभा को बुदेसराट कहा गया। 1919 म निर्मित वाइमार-सविधान के अन्तगत लोक सभा का नाम वही रहा लकिन राज्य सभा का नाम बदल कर राइखराट कर दिया गया। 1949 म जब वतमान बसिक ला लागू हुआ तो लोक सभा को बुदेसटाग तथा राज्य सभा को बुदेसराट की सज्ञा दी गई।

फडरल जमनी की राजधानी बान नगर म राइन नदी क किनारे पर ससद् भवन स्थित है। यह भवन अध्यापको क प्रशिक्षण क लिए तयार किया गया था लकिन बाद म इस ससद के दोनो सदनो-बुन्डसटाग तथा बुन्डसराट क प्रयोग क लिए चुना गया। इसी भवन क पास एक गगनचुम्बी अट्टालिका बनाई गई है जहा ससद क डपुटी (सदस्य) रहते हैं। बसिक ला क अनुच्छेद 20 (1) क अनुसार फडरल रिपब्लिक आफ जमनी एक जनतान्त्रिक सामाजिक सघीय राज्य है। इसका तात्पय यह है कि यहा पर ससदीय प्रणाली होगी। बुन्डसटाग या लोक सभा जमन सवधानिक व्यवस्था का सबस सशक्त सस्था है तो बुन्डसराट राज्य सभा एक अक्रिय सहायक सस्था।

बुन्डेसटाग

राष्ट्रीय स्तर पर जनता द्वारा एकमात्र चुनी हुई सभा होने के रूप म जमन बुन्डसटाग (लोक सभा) को फडरल जमनी क सवधानिक ढाचे म सर्वाधिक प्रभाव शाली स्थान प्राप्त है।[1] यह जनता का प्रतिनिधि सस्था है। यही कारण है कि जब कभी ससद् का उल्लेख होता है तो सामान्यतया इसारा बुन्डेसटाग की ओर होता है जबकि ससद् क अन्तगत तो दोनो सदन आते हैं।

सदस्यों की योग्यताए

बुन्डसटाग के सदस्य डपुटी क नाम स पुकारे जाते हैं। डपुटी चुने जाने के लिए व्यक्ति म अग्रलिखित योग्यताए होना चाहिए—

1 कान भोल्मान हर व बुन्डसटाग (ग्राउन्ड) पृष्ठ 1

(i) बेसिक ला के अनुच्छेद 38 (2) के अनुसार जर्मन बुन्डेसटाग का डिपुटी बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र अनिवार्य है।

(ii) वह फेडरल जर्मनी का नागरिक हो तथा संसद् द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो।

कानून द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अतिरिक्त उनमें राजनीतिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या इतना प्रभावशाली व साधन-सम्पन्न हो कि कोई राजनीतिक दल उसे चुनाव लड़ने के लिए आमन्त्रित करे। इसी प्रकार मजदूर संगठन का अनुभव भी किसी व्यक्ति को डिपुटी बनने के योग्य बनाता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन नामक दल बड़े उद्योगपतियों तथा सम्पन्न किसानों को डिपुटी पद पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता रहा है। इसी प्रकार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूर-संघ के नेताओं को टिकट देती रही है।

हेनरी रिटजल नामक एक सोशल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने 1952 में अपने मतदाताओं को बताया कि उसने बुन्डेसटाग की 60 पूर्ण सभाओं में से 33 सभाओं में भाषण दिये, बुन्डेसटाग की समितियों में वह 109 बार बोला तथा उसने पार्टी के संसदीय दल (फ्रेक्शन) में भी 36 बार भाषण दिये। इसके अलावा उसने बुन्डेसटाग से बाहर भी 56 भाषण दिये तथा दल के संगठन के कार्यों में सक्रिय हिस्सा लिया। इस प्रकार की योग्यताएं भी एक उम्मीदवार को प्रभावशाली बनाती हैं।

इसके साथ ही शिक्षा का बड़ा महत्त्व होता है। यद्यपि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुन्डेसटाग का सदस्य बन सकता है लेकिन जर्मनी में शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया जाता है साथ ही यदि पी एच डी हो तो अत्युत्तम। 1961-1965 वाले सत्र में बुन्डेसटाग के 65 प्रतिशत सदस्य विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त थे। 5 प्रतिशत लोगों ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की तथा 25 प्रतिशत लोग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त थे। यह उल्लेखनीय है कि 113 सदस्य कानून की डिग्री प्राप्त व्यक्ति थे। 37 लोग भाषा विज्ञान की डिग्री से युक्त थे। इतनी ही संख्या में लोग अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त थे। 77 लोग धर्मशास्त्र की डिग्री लिए हुए थे। कृषि, इन्जीनियरिंग, समाज विज्ञान, डाक्टरी विज्ञान में क्रमशः 18, 11, 8, 77 तथा 2 व्यक्ति डिग्री धारी थे।

अयोग्यताएँ

निर्वाचन-कानून में की गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिस व्यक्ति में निम्नलिखित बातें हों वह बुन्डेसटाग का सदस्य नहीं बन सकता—

(1) यदि व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया हो।

(2) दिवालिया हो।

(3) देशद्रोही हो तथा संसद् द्वारा निर्धारित कोई अन्य अयोग्यता का शिकार हो।

(4) जो चुनाव में भारी अनियमितताएं करने का अपराधी हो।
(5) सजायाफ्ता हो।
(6) वह बुन्देसराट का सदस्य हो।

फेडरल जर्मन चुनाव-कानून की यह विशेषता है कि वहां सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी चुनाव लड़ सकता है। डेपुटी निर्वाचित होने की स्थिति में उसे सरकारी पद से 4 वर्ष का अवकाश दे दिया जाता है। बाद में पुनः वह अपनी नौकरी पर लौट सकता है।

सदस्य को सुविधाएं व विशेषाधिकार

बेसिक लॉ के 38 वें अनुच्छेद के अनुसार जर्मन डेपुटी-गण समस्त जनता के प्रतिनिधि होंगे। वे किसी भी आदेश निर्देश से बाध्य न होकर अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन वास्तव में वे अपनी आत्मा की स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकते तथा उन्हें अपने दल के आदेशों निर्देशों का पालन करना पड़ता है अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है। इस दृष्टि से इस अनुच्छेद का अधिक महत्त्व नहीं है।

डेपुटी चुने जाने के बाद संसद सदस्य को न केवल समुचित वेतन तथा आवास की सुविधा ही मिलती है वरन् समस्त फेडरल रिपब्लिक में भ्रमण के लिए उसे रेल टिकट भी मुफ्त मिलता है और पत्र-व्यवहार आदि के लिए अलग से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है।

बुन्देसटाग के डेपुटी (सदस्य) को निम्न प्रकार से वेतन मिलता है प्रथमतः उसे मन्त्री के वेतन का 22.5 प्रतिशत वेतन मिलता है। दूसरे अधिवेशन के समय जो दैनिक भत्ता मिलता है वह करीब 500 मार्क प्रति माह पड़ता है। तीसरे प्रत्येक डेपुटी को प्रति माह 600 मार्क कार्यालय भत्ता (सचिव व पत्र-व्यवहार) के रूप में मिलता है। यदि कोई डेपुटी बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो उसे एक निश्चित राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है।

किसी भी डेपुटी के विरुद्ध उसके बुन्देसटाग में दिए गए भाषण के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। एक विशेष काल के बाद बुन्देसटाग से अवकाश प्राप्त करने पर उसे पेंशन भी मिलती है। भारत में पेंशन की व्यवस्था को छोड़कर सभी अधिकार संसद-सदस्यों को प्राप्त हैं।

बुन्देसटाग की रचना व संगठन

सैद्धान्तिक दृष्टि से फेडरल जर्मन बुन्देसटाग ही केन्द्रीय शासन-सचालिका संस्था है। एल्मर प्लिश्के के अनुसार यह बहुदलीय संस्था है जो एक राजनीतिक मंच का काम करता है कानूनों का निर्माण करती है सन्धियों को स्वीकृति देती है चान्सलर उसके मन्त्रिमण्डल तथा नौकरशाही से उनके कार्यों के लिए जवाब-तलब

करती है और जिम्मेदार ठहराती है। इसके साथ ही साथ यह संसदीय जनतन्त्र के लिए व्यावहारिक पाठशाला का कार्य भी करती है।

रचना

बेसिक ला तथा प्रथम संघीय चुनाव कानून के अन्तर्गत 14 अगस्त 1949 के दिन प्रथम बुन्देस्टाग (लोकसभा) के चुनाव हुए जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या 402 थी। सदन की सदस्यता में अन्य कानूनों द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और 1964 के चुनाव कानून के अनुसार बुन्देस्टाग के अब 518 सदस्य हैं। इनमें से 22 सदस्य बर्लिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 22 सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि बर्लिन की आज भी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है।

जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित स्थान प्रदान किये गये हैं —

राज्य का नाम	सदस्य संख्या	राज्य का नाम	सदस्य संख्या
बादेन-वूर्टेमबर्ग	68	राईनलैण्ड पलेटीनट	31
बवेरिया	86	सारलैण्ड	8
ब्रेमेन (नगर राज्य)	5	श्लेसविग-होल्स्टाइन	21
हाम्बुर्ग (नगर राज्य)	17		496
हेसे	45	बर्लिन (नगर राज्य)	22
लोअर सेक्सनी	62	कुल योग	518
नोर्थ राईन वेस्टफालिया	153		

चुनाव प्रणाली

बेसिक ला के अनुच्छेद 38 के अनुसार जर्मन बुन्डेस्टाग के डिपुटी का चुनाव सार्वदेशीय या सार्वत्रिक (यूनिवर्सल) प्रत्यक्ष स्वतन्त्र समान तथा गुप्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा।

जर्मन चुनाव-पद्धति अपने आप में अनोखी व अनुपम है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जर्मनी में आनुपातिक चुनाव प्रणाली का प्रयोग होता था लेकिन इसके कारण वाईमार-गणतन्त्र में अत्यधिक पार्टियाँ उत्पन्न हो गई थीं ठीक उसी प्रकार जैसे कि बरसात के मौसम में मेंढक जन्मते हैं। इसके परिणामस्वरूप मिली-जुली सरकारें बनीं जो बराबर टूटती रहीं। इससे जनतन्त्रीय व्यवस्था की जड़ें मजबूत नहीं हो पाईं। बोन के संविधान (बेसिक ला) निर्माता उस स्थिति के प्रति सजग थे अतः उन्होंने उस पुरानी चुनाव परिपाटी को नहीं अपनाया। उन्होंने जो चुनाव पद्धति अपनायी उसमें प्रत्यक्ष चुनाव (जैसे कि भारत में) तथा आनुपातिक चुनाव प्रणालियों का समन्वय किया गया।

1949 म जो चुनाव कानून बनाया गया उसम 27 धाराए थी। इसके अनुसार प्रत्येक 21 वर्षीय जमन को मताधिकार तथा 25 वर्षीय नागरिक को चुनाव म खडे होने का अधिकार दिया गया (1970 के एक कानून के अनुसार मताधिकार की उम्र 18 तथा चुनाव लडने की उम्र 21 कर दी गई है)। साथ ही 60 प्रतिशत स्थानो के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा 40 प्रतिशत स्थानो के लिए सूची (लिस्ट) प्रणाली द्वारा चुनाव की व्यवस्था की गई। कुल 400 स्थानो के लिए चुनाव किया गया।

1953 म दूसरा चुनाव कानून बनाया गया। इसमे प्रत्यक्ष चुनाव तथा सूची (लिस्ट) चुनाव का अनुपात 50 50 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही एक विशेष धारा जोड दी गई जो पाच प्रतिशत धारा के नाम से या स्पेरक्लाज धारा के नाम स विख्यात है। पाच प्रतिशत धारा का अर्थ यह है कि लिस्ट चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत जिस राजनीतिक दल को एक राज्य म 5 प्रतिशत मत नही मिलेंगे उसे बुन्देसटाग म प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नही होगा। ससद् म स्थानो की सख्या 400 स बढा कर 484 कर दी गई। 1956 म तृतीय चुनाव-कानून निर्मित हुआ। इसम पूर्व कानून की तुलना मे कुछ मामूली सशोधन किये गये जो इस प्रकार थे—पहले एक राज्य म 5 प्रतिशत मत प्राप्त करने म बुन्देसटाग म प्रतिनिधित्व मिल सकता था पर अब यह प्रावधान किया गया कि समस्त सघ म 5 प्रतिशत वोट मिलने पर ही सूची चुनाव के अन्तर्गत प्रतिनिधि भेजा जा सकेगा।

प्रत्येक मतदाता दो वोट देगा एक प्रत्यक्ष चुनाव म उम्मीदवार को दूसरा मत राजनीतिक दलो की सूची म स एक राजनीतिक दल को अर्थात् एक वोट व्यक्ति को तथा दूसरा वोट पार्टी को।

1964 के चुनाव-कानून द्वारा बुन्देसटाग के सदस्यो की सख्या बढाकर 496 (बर्लिन के 22 प्रतिनिधियो को छोडकर) कर दी गई। इसम स 248 के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तथा बाकी 248 के लिए लिस्ट चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई।

जसाकि ऊपर सकेत किया जा चुका है कि 1970 म बेसिक ला के 38वें अनुच्छेद म सशोधन कर मताधिकार की उम्र 21 स घटाकर 18 तथा उम्मीदवार की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई थी।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जमनी म मिश्रित चुनाव प्रणाली है जिसके प्रयोग म दो प्रकार की चुनाव प्रणालियो के लाभ प्राप्त होते हैं। 1949 स 1973 के बीच हुए 7 चुनावो से यह सिद्ध हो गया है कि मिश्रित चुनाव प्रणाली के कारण बुन्देसटाग मे राजनीतिक दलो की सख्या क्रमश घटती गई और आज वहा कुल तीन राजनीतिक दलो को (i) सोशल डमोक्रेटिक पार्टी (ii) क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन तथा (iii) फ्री डमोक्रेटिक पार्टी—ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रकार जमनी त्रि दलीय व्यवस्था की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सका है।

बुन्देसटाग का कायकाल

बेसिक ला के अनुच्छेद 39 के अनुसार बुन्देसटाग (लोक सभा) का चुनाव चार वष के लिए किया जाएगा। उसका कायकाल प्रथम बठक के दिन से 4 वष तक या उसके भग होने तक जारी रहगा। नये चुनाव बुन्देसटाग के चार वर्षीय कायकाल के अन्तिम तीन महीनो म सम्पन्न होंगे या बुन्देसटाग भग होने की स्थिति म 60 दिनो की अवधि म पुन चुनाव कराय जाएँगे।

चुनाव की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर बुन्देसटाग का अधिवेशन आरम्भ होगा लकिन यह अधिवेशन पिछली बुन्देसटाग की अवधि के अत स पूव नहीं हो सकेगा।

बुन्देसटाग के पदाधिकारी

प्रत्येक सस्था के काय सचालन के लिए कुछ निश्चित पदाधिकारियो की आवश्यकता होती है। बुन्देसटाग भी इसका अपवाद नही है। बुन्देसटाग के काय सचालन के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष-गण वरिष्ठ जनो की परिषद् (काउंसिल आफ एल्डस) सचिव अन्य कायकारी अधिकारी तथा ससदीय समितियो की व्यवस्था की गई है।

बुन्देसटाग अध्यक्ष

बेसिक ला के अनुच्छेद 40 म यह व्यवस्था है कि बुन्देसटाग अपने अध्यक्ष उपाध्यक्षो तथा सचिवो का चुनाव करेगी तथा अपने काय के लिए काय विधि नियम (रूल्स आफ प्रोसिजर) का निर्माण करेगी। 6 दिसम्बर 1951 को बुन्देसटाग ने अपने काय सचालन के लिए काय विधि नियम निश्चित किय।

सामान्यतया यह परम्परा रही है कि बुन्देसटाग का अध्यक्ष-पद सबसे बड राजनीतिक दल को प्राप्त होता है तथा उपाध्यक्षो के पद विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यो स भरे जात हैं। 1969 तक अध्यक्ष का यह पद क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी को मिलता रहा क्योंकि वही बुन्देसटाग म सबसे बडा दल था। उसके बाद सोशल डमोक्रटिक पार्टी सबसे बड दल क रूप म उभरी। फलत बुन्देसटाग के अध्यक्ष का पद इस दल की सदस्या श्रीमती रनर को प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष का चुनाव

बुन्देसटाग क काय-सचालन क लिए निर्मित काय विधि नियम (रूल्स आफ प्रोसिजर) का निर्माण 6 दिसम्बर 1951 को किया गया। इसक अन्तगत अध्यक्ष के चुनाव के लिए विस्तृत नियम बनाय गय हैं। काय विधि नियम के अनुभाग (सेक्शन) 2 क अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क चुनाव की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी —

(1) बुन्देसटाग गुप्त तथा अलग अलग मतदान द्वारा क्रमश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों का चुनाव करेगी।

(2) जिम व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होगा उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत प्राप्त न हो तो पुन मतदान के समय नय उम्मीदवारो का नाम प्रस्तावित किया जा सकता तथा दूसरा मतदान म भी बहुमत प्राप्त नही होता है तो जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिल हो उस निर्वाचित घोषित किया जाएगा। दो व्यक्तियो को बराबर मत मिलने पर लाटरी द्वारा निर्णय होगा।

(3) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 4 वष के लिए चुन जात हैं।

बुन्देसटाग अध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष बुन्देसटाग का सर्वोच्च सम्मानित पदाधिकारी होता है। वह बुन्देसटाग का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी कार्यवाही का सचालन करता है। वह बुन्देसटाग की गरिमा व अधिकारो की रक्षा करेगा कानूनसम्मत ढग तथा निष्पक्षता स उसकी बठक का सचालन करेगा तथा सदन की गरिमा बनाये रखेगा। बुन्देसटाग के अध्यक्ष को सदन के सभी कर्मचारियो को नियुक्त करने तथा उन्ह पदच्युत करने का अधिकार होगा।

सविधान के अनुच्छेद 40 (2) के अनुसार बुन्देसटाग अध्यक्ष बुन्देसटाग भवन म स्वामित्व तथा पुलिस अधिकारो का प्रयोग करेगा। उसकी स्वीकृति के बिना न भवन पर कब्जा किया जा सकेगा न वहा मान व जाच पडताल की जा सकेगी।

काय विधि नियम के पाचवें परिच्छेद (सक्शन) के अनुसार बुन्देसटाग का अध्यक्ष वरिष्ठ जन परिषद् (काउन्सिल आफ एल्डर्स) तथा सदन की आतरिक समिति तथा प्रसीडियम का अध्यक्ष होगा।

बुन्देसटाग अध्यक्ष सदन के अधिवशन का समारम्भ करता है उसकी अध्यक्षता करता है तथा उसका समापन करता है। वह असाधारण मामलो म किसी सदस्य को लिखित भाषण पढने की अनुमति द सकता है। अध्यक्ष किसी सदस्य को यह भी आदेश दे सकता है कि वह मुख्य विषय पर लौट आये तथा विषयान्तर बातें न करे।

यदि कोई सदस्य काय विधि नियम का गम्भीर उल्लघन करे तो ऐसी स्थिति म बुन्दसटाग का अध्यक्ष उस सदस्य को उस दिन की कार्यवाही म भाग लेने स वचित कर सकता है। एक सदस्य को अधिक से अधिक 30 बठको की कार्यवाही म भाग लेने स वचित किया जा सकता है।

काय विधि नियम (परिच्छेद 128) के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह काय विधि नियम की विशष धारा या अनुभाग की व्याख्या कर सके।

बुन्देसटाग के अध्यक्ष के पद की एक प्रमुख विशषता यह है कि वह ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष (स्पीकर) की भाति दल की सदस्यता नही त्यागता।

बुन्देसटाग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष-गण अपने अपने राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य बने रहते हैं व दल की बैठकों में भाग लेते हैं तथा सदन की कार्यवाही में भी सक्रिय भाग लेते हैं।

बुन्देसटाग अध्यक्ष मतदान में भी भाग लेता है तथा सदन की कार्यवाही के दौरान भाषण भी दे सकता है लेकिन ऐसा करते समय उन्हें अध्यक्ष का आसन छोड़ना पड़ता है।

अधिकारों की ऊपर लिखित सूची में यह मान होता है कि बुन्देसटाग का अध्यक्ष अत्यधिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति है। सिद्धान्ततः यह सही है लेकिन व्यवहार में उसे संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त तीनों दलों के सहयोग पर पर्याप्त निर्भर करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष

बुन्देसटाग के उपाध्यक्षों का भी अलग से चुनाव होता है। वे 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी सदन की आन्तरिक समिति व प्रसीडियम के सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष पदों का बटवारा बुन्देसटाग में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या के अनुपात में होता है। उपाध्यक्षों की संख्या कितनी होगी यह नियमों में स्पष्ट नहीं है। अतः प्रत्येक बुन्देसटाग अपने कार्यकाल के लिए दलों की स्थिति को देखते हुए उपाध्यक्ष पदों की संख्या निश्चित कर सकती है। उपाध्यक्ष-पद किसी व्यक्ति पर कृपा करने का साधन है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष-गण बारी बारी से बुन्देसटाग की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष के नाते उन्हें ऊपर वर्णित सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।

वरिष्ठ जन परिषद

बुन्देसटाग के अन्तर्गत जितनी भी समितियाँ व संस्थाएँ हैं उनमें वरिष्ठ जन परिषद् (काउन्सिल आफ एल्डर्स) का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यह परिषद् एक स्थायी समिति है जिसमें लगभग 20 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष गण तथा संसदीय दलों के नेता इसके पदेन सदस्य होते हैं। वरिष्ठ जन परिषद् एक संचालन समिति की भाँति है जिसकी तुलना अमरिका की प्रतिनिधि सदन की नियम-समिति (कमेटी आन दी रूल्स आफ दी हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज आफ दी यूनाइटेड स्टेट्स) से की जा सकती है। यह परिषद् बुन्देसटाग के अध्यक्ष को विधायिका कार्यवाही के संचालन में सहायता, सहयोग व सलाह देती है। वरिष्ठ जन-परिषद् सदन की कार्यवाही का कार्यक्रम, प्रवर-समितियों के अध्यक्षों का चुनाव तथा अलग अलग विषयों पर बहस के लिए समय निर्धारित करती है। क्योंकि इस परिषद् में सभी संसदीय दलों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं अतः इसकी भूमिका अत्यधिक प्रभावपूर्ण होती है। कभी-कभी तो यह विधेयक के पारित होने के लिए कुल एक घंटे का समय तक नियत करती देखी गई है।

वु देमन्टाग समितिया

गार का युग विगान्ना ग्रौ विगाय नान का गुग है। ज्ञान तथा विज्ञान न इतना प्रगति का है कि इसका समुचित प्रयोग करने के लिए विधायकों को सदा भी आवश्यकता पड़ता है। बुन्देसटाग के ग्रधिकाश सदस्य राजनीति की दृष्टि से मंत्र तो सक्रिय हो सकते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे अर्थ-व्यवस्था मानविकी संचना तथा कानून आदि में भी पारंगत हों। ऐसी स्थिति में इन पक्षों पर मामलों में विशेषज्ञों की राय आवश्यक हो जाती है। पश्चिम जर्मनी में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने कुछ सदस्यों को विशेष मामलों व विषयों में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है तथा दल के अन्य विशेषज्ञों से भी सलाह ली जाती है।

बुन्देसटाग की समितियों में विशेषज्ञों का भी ध्यान दिया जाता है ताकि वे प्रस्तावित विधेयक की बारीकी में गहराई व गम्भीर अध्ययन कर एक संतुलित एवं विस्तृत कानून की रूपरेखा तैयार करें। इस दृष्टि से समितियों (कमेटियों) का महत्व बढ़ जाता है।

बेसिक ला तथा बुन्देसटाग के कार्य विधि नियम के अन्तर्गत तीन प्रकार की संसदीय समितियों की व्यवस्था है—

(1) स्थायी समितियाँ
( ) विशेष मामलों की समितियाँ
(3) जाँच पड़ताल (इनवेस्टीगेशन) समितियाँ।

जाँच समिति

पश्चिम जर्मन बेसिक ला के 44 वें अनुच्छेद के अनुसार बुन्देसटाग को जाँच पड़ताल समिति नियुक्त करने का अधिकार है तथा 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर उनकी स्थापना करना जरूरी होता है। ये समितियाँ सार्वजनिक बैठकों द्वारा आवश्यक गवाहियाँ प्राप्त करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर इनकी बैठकें बन्द कमरे में भी की जा सकती है। इनके निर्णयों पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता।

अधिकार रक्षा समिति

दूसरे तरह की स्थायी समितियों का प्रश्न है बेसिक ला के 45वें अनुच्छेद के अनुसार एक विशिष्ट स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है। बुन्देसटाग एक स्थायी समिति का निर्माण करता है जो दो सत्रों के बीच सरकार के विरुद्ध बुन्देसटाग के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इस स्थायी समिति को जाँच-पड़ताल समिति के अधिकार भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार इस समिति को बुन्देसटाग सदस्य अधिकार रक्षा समिति भी कहा जा सकता है।

विदेश व प्रतिरक्षा समितिया

19 मार्च 1956 के एक कानून के अनुसार बसिक ला म 45 (अ) नामक अनुच्छेद जोडा गया जिसके अन्तगत दो समितियो की व्यवस्था की गई—

(1) विदेशी मामला की समिति

(2) प्रतिरक्षा-समिति

य दोना समितिया दो सत्रा के मध्य म भी काम करेंगी।

विशेष समितिया

इसके साथ ही साथ जमन बुदेसटाग के काय विधि नियम के परिच्छेद 69(1) के अनुसार समितिया बुन्सटाग की अग हैं। उनका गठन करत समय ससद म प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दलो को उनकी सख्या के अनुपात म स्थान दिया जाएगा। उनकी सदस्य-सख्या बुन्देसटाग निश्चित करगी। यदि एक विधयक को कई समितियो के सम्मुख रखा जाना जरूरी है तो उन समितियो म से एक समिति का उस विधेयक के लिए उत्तरदायी समिति या शीर्ष-समिति का स्थान दिया जाएगा।

काय विधि नियम क 62वें परिच्छेद के अन्तगत विशेष समितियो क निर्माण की भी व्यवस्था है। 63वें परिच्छेद म जाच-समिति के विस्तृत रूप की चर्चा है। इसके अलावा काय विधि नियम के अन्तगत

(1) चुनाव-वधता-समिति

(2) सघीय सवधानिक न्यायालय-न्यायाधीशो के लिए चुनाव समिति हैं।

चुनाव-वधता समिति (बसिक ला अनुच्छेद 41) बुन्देसटाग के सदस्यो के चुनाव की वधता को दी गई चुनौतियो के बारे म विचार विमर्श कर फसला देती है। सघीय सवधानिक न्यायालय-न्यायाधीश चुनाव समिति निश्चित सख्या के न्यायाधीशो का चुनाव करने का काय करती है।

मध्यस्थता-समिति

बुन्देसटाग व बुन्देसराट के बीच विवाद की स्थिति म समस्या का समाधान करने के लिए एक मध्यस्थता-समिति (कमटी आफ मीडियेशन) की भी व्यवस्था की गई है। इस समिति म बुन्देसटाग व बुन्देसराट के 11 11 सदस्य शामिल होते हैं। बुन्देसटाग के सदस्यो का चुनाव बुन्देसटाग स्वय करती है।

स्थायी समितिया

सख्या व काय की दृष्टि स स्थायी समितिया सर्वाधिक सख्या म हैं तथा हैं भी अत्यधिक महत्वपूर्ण। य समितिया विभिन्न महत्वपूर्ण विषयो जसे—विदेश-नीति गृह-नीति प्रतिरक्षा स्वास्थ्य-समाज युवक कानून वित्त डाक-तार परिवहन शरणार्थी जल प्रन्याय योजना विदेशी सहायता आदि विषयो पर निरतर विचार करती रहती हैं।

जमनी म सामायत 24 क आस पास थायी समितिया रही हैं। कभी कभी इनकी सख्या बढाकर लगभग 35–36 तक मा हो गई है। इन स्थायी समितिया के सदस्यो की सख्या 15 स 27 के बीच रखी जाती है। प्रारम्भ म कुछ समितियो मे तो केवल 7 सदस्य ही रख गय। 8 नवम्बर 1961 क बुन्देसटाग के निणय द्वारा निम्नलिखित स्थायी समितिया का गठन किया गया—

समितियो क नाम	सदस्य सख्या
(1) चुनाव वधता विशेषाधिकार व काय विधि नियम समिति	15
(2) याचिका समिति	27
(3) विदेशी मामलात समिति	27
(4) समस्त जमन व बर्लिन प्रश्न समिति	27
(5) प्रतिरक्षा समिति	27
(6) आन्तरिक मामलात-समिति	27
(7) मुआवजा समिति	15
(8) सास्कृतिक मामल व सावजनिक सूचना समिति	27
(9) स्थानीय काय व समाज-कल्याण समिति	27
(10) सावजनिक स्वास्थ्य समिति	23
(11) कानून समिति	27
(12) वित्तीय समिति	27
(13) बजट समिति	27
(14) समान भार निधारण-समिति (इक्वेलाइजेशन आफ बडन)	15
(15) आर्थिक समिति	27
(16) विदेशी व्यापार-समिति	27
(17) परिवार व युवक कल्याण समिति	23
(18) मध्य वग समिति	23
(19) खाद्य कृषि व वन सम्पदा-समिति	27
(20) सामाजिक समिति	27
(21) युद्ध पीडित व निष्कासित व्यक्ति-समिति	23
(22) सावजनिक काय-समिति	27
(23) यातायात डाक व दूर सचार समिति	27
(24) आवास नगर व ग्राम्य-योजना समिति	27
(25) शरणार्थी समिति	23
(26) परमाणु ऊर्जा व जल प्रबन्ध समिति	27

17 जनवरी 1962 म दो ग्रौर स्थायी समितियो का गठन किया गया। उनके नाम व सदस्य सख्या इस प्रकार हैं—

(27)	विकासोन्मुख देश-सहायता समिति	27
(28)	सघीय सम्पत्ति-समिति	23

समितिया अपनी कार्यवाही के सुव्यवस्थित सचालन क लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि कार्य विधि नियम क परिच्छेद 60 के अन्तगत दी गई नियमावलि के अनुसार समिति क काम का सचालन कर। अध्यक्ष समिति की बठक क लिए स्थान तिथि तथा कायवाही सूची तयार करता है तथा बठक क लिए एक प्रतिवदक (रापार्टेयर) नियुक्त करता है।

जमन ससदीय कायवाही म इन समितियो का विशेष महत्त्व है। इनके कार्यो का महत्त्व देखते हुए एक विद्वान् ने तो यहा तक कह डाला ह कि बुन्डेसटाग की समिति वास्तव म लघु ससद् का रूप धारण कर लेती है।[1] जमन जनतत्र का असली रूप देखना हो तो इन समितियो की बठको म देखा जा सकता है। अपने विस्तृत एव अगाध ज्ञान के कारण य समितिया और भी अधिक प्रभावशाली हो उठती हैं।

फलत जमन समिति व्यवस्था की यह आलोचना की जाती है कि वहा आवश्यकता से अधिक समितिया हैं तथा उनका क्षेत्राधिकार एक दूसरे के क्षेत्राधिकार से मिलता है और कई बार एक ही विधेयक को दो या तीन समितियो के पास विचाराथ भेजा जाता है। लेकिन किसी प्रश्न पर अधिक विचार करने स उसकी सभी पेचीदगियो पर ध्यान दिया जा सकता है।

ससदीय दल (फ्रेक्शन्स)

बुन्डेसटाग की कायवाही म विभिन्न राजनीतिक दलो के ससदीय दलो का विशेष महत्त्व है। इन ससदीय दलो को जमन भाषा म फ्राक्शियोनेन तथा अग्रेजी भाषा म फ्रेक्शन्स कहते हैं। यद्यपि बेसिक लॉ म इनका उल्लेख नहीं है लेकिन जमन ससदीय व्यवस्था म इनका विशेष स्थान है। ससद म प्रतिनिधित्व प्राप्त तीन राजनीतिक दलो के अपने ससदीय दल हैं तथा उनके अपने अपने कार्य विधि नियम हैं। बुन्देसटाग क निर्णय क अनुसार जब किसी राजनीतिक दल क 15 सदस्य हो तो उस ससदीय दल (फ्रेक्शन) की सज्ञा दी जाती है। आरम्भ म यह सख्या 10 रखी गई थी। ससदीय दलो को उनकी सख्या क अनुपात म ससद की कायवाही म भाग लेने के लिए समय प्रदान किया जाता है।

बुन्देसटाग की शक्तिया व कार्य

सामान्य विधेयक क पारित होने की प्रक्रिया पर हम आगे विचार करेंगे।

1 रिचार्ड हिसकाक्स डमोक्रेसी इन जमनी (न्यूयार्क 1957) पृ 134।

नकिन बुन्डेसटाग स्वयं अतिरिक्त भी कई काय करती है जिनम वित्तीय विधयक पारित करना सविधान म सशोधन करना विधायी सकटकाल म कानून बनाना समलाय जाच करना राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना तथा विदेशी राज्यो के साथ सधिया सम्बन्धी कानून बनाना भी शामिल है।

वित्तीय विधयक

जमनी म एक विशद् तथा सुस्पष्ट वित्तीय विधयक प्रस्तुत करने की परम्परा रही है। वित्त मत्रालय बजट तयार करता है जिसमे आय तथा व्यय दोनो का उल्लेख होता है। बसिक ला के अनुच्छेद 110 के अनुसार सघ की सारी आमदनी तथा व्यय बजट म सम्मिलित होग। बजट एक वष की अवधि के लिए बजट कानून के माध्यम स लागू होगा। अनुच्छेद 109 यह व्यवस्था करता है कि बजट के अन्तगत आर्थिक प्रवृत्तियो को देखत हुए कई वर्षो पूर्व ही वित्तीय योजना प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार बजट म आगामी कई वित्तीय वर्षो का ध्यान म रखत हुए योजना प्रस्तुत की जा सकती है लकिन वित्तीय प्रावधान सिफ एक वष के लिए ही किया जा सकता है।

बजट बुन्डसटाग व बुन्डसराट दोनो म एकसाथ पश होता है। सामान्यतया बुन्डेसराट 6 सप्ताह म अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है लकिन यदि वह प्रस्तावित बजट विधयक म सशोधन प्रस्तुत करना चाहे तो उसे तीन सप्ताह की अवधि म सशोधन सहित बजट विधयक को बुन्डसटाग को लौटाना पडता है। बुन्डेसटाग चाह तो बुन्डसराट का प्रस्ताव स्वीकार करे अथवा न करे।

सवधानिक सशोधन

1871 के जमन सविधान के अन्तगत जमन राज-सभा (राइशटाग) बहुमत मात्र म सविधान म सशोधन कर सकती थी। लकिन 1949 म निर्मित बसिक ला के अन्तगत सविधान की प्रक्रिया को काफी कठोर बनाया गया। अब सविधान म सशोधन करने के लिए बुन्डेसटाग तथा बुन्डसराट द्वारा अलग अलग बठको म दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है (बसिक ला का अनुच्छेद 79)। साथ ही यह भी कहा गया है कि सशोधन अप्रत्यक्ष न होकर स्पष्टत सविधान के मूल पाठ म सशोधन होना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि सविधान के कुछ अनुच्छेदो एव व्यवस्थाओ म परिवतन नहीं किया जा सकता। बेसिक ला के 79व अनुच्छेद के तीसरे परिच्छेद म कहा गया कि लण्डर (राज्यो) के विभाजन कानून निर्माण म राज्यो के भाग लेने तथा अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 20 म परिवतन नहीं किया जा सकेगा।

जाच-पडताल विषयक शक्तिया

बेसिक ला के अनुसार बुन्डेसटाग को सामान्य कानूनो के निर्माण के अतिरिक्त

जाच पडताल का भी अधिकार दिया गया है। बुन्देसटाग को अधिकार है कि वह किसी विषय विशेष की जाच के लिए समिति नियुक्त कर सके। साथ ही ससद् के 1 4 सदस्यों की माग पर बुन्देसटाग का कर्तव्य है कि वह जाच समिति का निर्माण कर सार्वजनिक रूप से या बद कमरे म गवाहों के बयान ले तथा अत मे अपना निर्णय दें।

इसके साथ ही बुन्देसटाग को यह अधिकार है कि वह सघ सरकार के विरुद्ध बुन्देसटाग के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्थायी समिति का निर्माण करे जो दो सत्रों के बीच उनके अधिकारों की रक्षा करे। इन समितियों के बारे म हम ऊपर विवरण दे चुके हैं।

जाच-पडताल-समिति की नियुक्ति के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। 1949 म जब फेडरल (पश्चिमी) जेमनी के लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब यह प्रश्न उठा कि फेडरल जमनी की राजधानी कहा हो। बर्लिन को राजधानी बनाने का प्रश्न मुश्किल था क्योंकि बर्लिन पूर्वी जमनी के जहा सोवियत सघ का प्रभाव था मध्य म स्थित था। अत यह तय किया गया कि मूलत बर्लिन को राजधानी माना जाय लेकिन अस्थायी राजधानी की खोज की जाय। अस्थायी राजधानी के लिए मुख्यत दो नाम थे—बान तथा फ्राकफुर्ट। जब ससदीय परिषद् म 10 मई 1949 को इस प्रश्न पर विचार हुआ तो 33 मत बान नगर के पक्ष म तथा 29 वोट फ्राकफुर्ट के पक्ष म प्राय 2 सदस्य अनुपस्थित रहे तथा 1 मत अवैध घोषित किया गया। इस पर भी जनता सतुष्ट नहीं थी अत प्रथम आम चुनाव के बाद 3 नवम्बर 1949 को पुन राजधानी के रूप म बान तथा फ्राकफुर्ट म से एक को चुनने का प्रश्न सामने आया जिसका परिणाम इस प्रकार था—कुल 402 म से 200 मत बान नगर के पक्ष म आए 176 फ्राकफुर्ट के पक्ष म 11 मत अवैध घोषित हुए। बाकी सदस्यों ने या तो मतदान म भाग नहीं लिया या वे अनुपस्थित थे। लेकिन विवाद अब भी शान्त नहीं हुआ फलत एक जाच समिति का गठन किया गया क्योंकि विरोधियों का आरोप था कि बान नगर को राजधानी बनाने के पक्ष म मतदान करने के लिए सदस्यों को लालच दिया गया।

एक अन्य जाच-पडताल-समिति उस समय नियुक्त की गई जब यह प्रश्न उठा कि विदेश सेवा तथा विदेश विभाग के सदस्यों के आचरण की जाँच की जाए। यह आरोप था कि कुछ सदस्यों ने हिटलर के नात्सी जमनी म कुकृत्य किये थे। जाच समिति ने 21 व्यक्तियों के विगत आचरण का अध्ययन किया तथा उनम से 4 को दोषी पाया। दोषी व्यक्तियों को या तो सेवा निवृत्त कर दिया गया या उनकी पदोन्नति रोक दी गई।

महाभियोग प्रक्रिया

भारत तथा अमरिका की भाति पश्चिमी जमनी म भी राष्ट्रपति द्वारा सविधान का उल्लघन करने की स्थिति म उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है।

फन्दन जमन वेसिक ला के 61वें अनुच्छेद के अनुसार बुन्देसराग या बुन्देसराट सघीय सवधानिक यायालय के समक्ष राष्ट्रपति पर जानबूझ कर वेसिक ला या किसी अन्य सघीय कानून की अवहेलना करने पर महाभियोग का दोषारोपण कर सकती है। महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव लाने के लिए बुन्देसटाग या बुन्देसराट के कम से कम 1/4 सदस्यो की स्वीकृति आवश्यक है। महाभियोग सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए दोनों सदनो म से किसी एक सदन के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है।

यदि सघीय सवधानिक न्यायालय राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति ने अपना पद खो दिया है।

राष्ट्रपति की भांति सघीय न्यायाधीशो पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि सघीय न्यायाधीश वेसिक ला या किसी सदस्य राज्य की सवधानिक व्यवस्था के सिद्धान्तो का उल्लघन करते है तो बुन्देसटाग उनके विरुद्ध सघीय सवधानिक न्यायालय मे दोषारोपण कर सकता है।

सधियो की स्वीकृति

बेसिक ला के 59 वे अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सघ की ओर से विदेशी राष्ट्रो के साथ सधि कर सके। वास्तव म यह काय चासलर या उसके प्रतिनिधि के रूप म विदेश मन्त्री करता है। वेसिक ला के अनुच्छेद 59 मे यह भी व्यवस्था है कि सधि विषयक सघीय कानून के लिए उन सस्थाओ—बुन्देसटाग व बुन्देसराट की स्वीकृति की आवश्यकता है जो कानून का निर्माण करने मे सक्षम हैं। जहा तक विदेशो के साथ प्रशासनिक समझौतो का प्रश्न है उसके बारे म यथोचित परिवतनो के साथ सघीय प्रशासन विषयक व्यवस्थाए लागू होगी।

इस प्रकार वेसिक ला के अन्तगत दो प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते किए जा सकते हैं (1) सधि (2) प्रशासनिक समझौते। अन्तर्राष्ट्रीय सधि की स्वीकृति तथा उपयुक्त घोषणा के बाद वह राज्य का कानून बन जाती है और इस प्रकार वह कानून कायपालिका व न्यायपालिका पर बाध्यकारी होता है। सधि उसी प्रक्रिया से पारित होती है जिस प्रकार एक सामान्य कानून पारित होता है। सामान्य कानून के पारित होने की प्रक्रिया पर आगे प्रकाश डाला जाएगा।

अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि सधि के कारण सघ के किसी सदस्य राज्य की विशेष स्थिति पर प्रभाव पडता है तो सधि करने से पूर्व उस लेण्डर (राज्य) के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसी अनुच्छेद म आगे कहा गया है कि जिन विषयो पर लेण्डर (राज्यो) को कानून बनाने का अधिकार है उन मामलो म वे सघ राज्य की अनुमति से विदेशी राज्यो के साथ सधि कर सकते हैं।

इस प्रकार विदेशो से सधि करते समय न केवल राज्यो के हितो की रक्षा की गई है वरन् राज्यो को भी उनसे सम्बद्ध विषयो पर सधि करने का अधिकार दिया गया है। जनवरी 1952 म जब यूरोपीय इस्पात व कोयला-समुदाय सधि

पर स्वीकृति देने का प्रश्न आया तो नार्थ राइन-वेस्टफालिया राज्य से विचार विमर्श किया गया क्योंकि इस संधि में उस राज्य के हित प्रभावित होते थे।

बुन्देसटाग व बुन्देसराट में संधियों के सम्बन्ध में स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही में सामान्यतया कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। अधिकांशतः बहुत थोड़े वाद विवाद के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। कभी कभी संधियों को स्वीकृति देने से पूर्व बुन्देसटाग कुछ शर्तें या आरक्षण की बात कर सकती है। उदाहरण के लिए यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय-संधि को स्वीकृति देने से पूर्व एक अन्तरिम प्रतिसमय (कन्वेंशन) तीन प्रोटोकाल तथा पत्र व्यवहार का आदान प्रदान भी संधि के साथ स्वीकृत किया गया।

बुन्देसटाग की कार्यवाही की झलक

बुन्देसटाग की बैठक में पूर्व सभी सदस्यों को लिखित सूचना भेजी जाती है। सामान्यतया सप्ताह में दो दिन बुन्देसटाग की बैठक होती है। बुन्देसटाग अध्यक्ष जब सभा भवन में प्रवेश करता है तो सभी सदस्य उसके सम्मान में खड़े होते हैं। अध्यक्ष द्वारा आसन ग्रहण करने के बाद बुन्देसटाग का सचिव प्रारम्भिक रस्मों के बाद उस दिन की विषय-सूची की घोषणा करता है। तत्पश्चात् वह उस सदस्य का नाम पुकारता है जो पहला वक्ता होगा। सामान्यतया वक्ता को भी तत्काल या तत्क्षण भाषण देना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह लिखित भाषण नहीं पढ़ सकता। वह किसी पुर्जे पर नोट किये गये मुद्दों को देखकर बोलने का अधिकार है। बुन्देसटाग अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी डिपुटी (सदस्य) को लिखित भाषण पढ़ने की अनुमति दे सकता है। क्रमशः एक के बाद एक वक्ता को अपने विचार व्यक्त करने को आमन्त्रित किया जाता है।

प्रश्न पूछने का समय

जिस प्रकार ब्रिटिश संसद तथा भारतीय लोक सभा में सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है उसी प्रकार फेडरल जर्मन बुन्देसटाग में विषय-सूची पर विचार से पूर्व प्रश्न पूछने के लिए समय दिया जाता है। 1960 तक जर्मनी में प्रति माह एक घण्टा प्रश्न पूछने के लिए दिया जाता था। बुन्देसटाग के सदस्य को लिखित रूप में प्रश्न दो सप्ताह पूर्व भेजना पड़ता था। प्रश्न पूछने की पद्धति व उसके उत्तर का एक नमूना यहां प्रस्तुत किया जा रहा है जो द्वितीय बुन्देसटाग (1953–1957) के कार्य विवरण से उद्धृत है—

प्रश्न —1 नार्थेन (जर्मन पार्टी)—क्या सरकार को विदित है कि लन्दन की रायल ज्याग्राफिकल सोसायटी ने जो आक्सफोर्ड एटलस (मानचित्र) प्रकाशित किया है उसमें सोवियत अधिकृत जर्मनी (पूर्वी जर्मनी) को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में दर्शाया गया है?

उत्तर —फान ब्र टानो (विदश म त्री)—जमन राज दूतावाम न ब्रिटिश विदश विभाग स सम्पक किया है तथा ब्रिटिश एटलस प्रकाशित करने वाला से सीधा मम्पक भी साधा है ताकि नक्शे म परिवतन किया जा सके लकिन अभी तक सफलता प्राप्त नही हुई है।[1]

फरवरी 1965 म प्रश्न पूछने क समय के बारे म नवीन व्यवस्था की गई जिसे वतमान घटना चक्र समय का सना दी गइ। इसके अन्तगत प्रत्यक बठक क प्रारम्भ म एक घण्ट का समय प्रश्न पूछन क लिए प्रदान किया गया। प्रत्यक वक्ता को 5 मिनट का समय दिया जाता ह। कोई भी वक्त व पत्र की इजाजत नही ह। उत्तर म मत्रिमण्डल क सदस्य भी 5 मिनट ही बोलत हैं।

मतदान प्रणाली

जब विधेयक पर विचार समाप्त होता है तो तीन प्रकार स मतदान होता है। अधिकतर पक्ष या विपक्ष म हाथ उठा कर मतदान किया जाता ह। दूसरा तरीका है अपन अपन स्थान पर खड होकर मत प्रकट करना। लकिन यदि बुन्देसटाग अ य क्ष को गिनन म कठिनाई हो तो मतदान का तीसरा तरीका प्रयुक्त किया जाता है। इस तरीक से अन्तगत सभी ससद्-सदस्य सभा भवन का छोडकर बाहर जात हैं तथा पुन तीन दरवाजा से प्रवेश करते हैं। एक दरवाजा हा का द्योतक है दूसरा ना का तथा तीसरा दरवाजा मतदान मे अनुपस्थित रहन का प्रतीक होता है।

गभीर वातावरण

जिस प्रकार भारतीय लाक सभा मे समय समय पर सत्ता प क्ष व विरोधी दला क बीच उत्तजना गर्मा गर्मी व टहलें बजान की स्थिति आती है वसी स्थिति प्राय बुन्दसटाग म प्राय असम्भव नजर आती है। इस दृष्टि म देखा जाए ता बुन्दसटाग म रग और जीवन का कमी प्रतीत होती है लकिन गम्भीरता सौम्यता और अनुशासन की दृष्टि स देखा जाए तो बुन्देसटाग की बठक का दृश्य बहुत ही प्रशसनीय हाता है। कभी कभी कुछ बठकें अत्यधिक नीरस भी नजर आती हैं। कई सदस्य अखबार पढ़त तथा कई पत्रा पर दस्तखत करत देख जाते हैं। वे पत्र सरकारी भी हो सकत हैं और पारिवारिक भी। उपस्थिति की दृष्टि स भी कई बार बुन्दसटाग का विधान भवन जो कि हवाई अड्ड क प्रतीक्षालय का चित्र उपस्थित करना है खाली नजर आता है। क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन के ससद् सदस्य हाम दिचिमन के अनुसार उसम 10 स 15 प्रतिशत (50 स 70) तक सदस्य उपस्थित हात हैं उनम से भी कुछ आपस म बातें करत नजर आत हैं। विरोधी दलका भी गम्भीरता व अनुशासन-बद्ध ढग स बोलत हैं और सरकारी पक्ष भी उसी प्रकार उत्तर दता है। लकिन प्रथम बुन्दस्टाग (1949–19 3) म कई बार गमा गर्मी क दृश्य दखन म आय। उस

1 स्टनोग्राफिक बरिच II ल्गन पीरियोड पष्ठ 7782

समय सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के नेता कुर्ट शुमाखेर बहुत ही ज्वलनशील भाषण देने के लिए विख्यात थे। एक बार तो उन्होंने चान्सलर आडेनआवर को जर्मन जनता का नहीं वरन् मित्र राष्ट्रों का चान्सलर तक कह दिया। इस पर आपत्ति की गई तथा विरोधी दल के नेता शुमाखेर को सदन छोड़ने को कहा गया और विरोधी सदस्यों द्वारा बहिर्गमन भी किया गया। प्रथम बुन्डेसटाग में कुछ साम्यवादी सदस्य भी जोर शोर से बोलते थे लेकिन 1953 के बाद बुन्डेसटाग की बैठक का वातावरण क्रमशः शान्त और शान्ततर होता गया।

बुन्देसराट

संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत एकात्मक शासन में एक सदन या द्वि-सदनीय प्रणाली की व्यवस्था होती है लेकिन संघीय राज्य में दो सदनों की व्यवस्था अनिवार्य मानी जाती है। भारत व अमरिका की भांति फैडरल जर्मनी में भी द्वि-सदनीय प्रणाली है। बुन्डेसटाग समस्त जनता द्वारा निर्वाचित संस्था होने के नाते जन प्रतिनिधि संस्था है तथा बुन्देसराट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सैद्धान्तिक दृष्टि से द्वितीय सदन को अधिकार व कार्यों की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है—

(1) सशक्त द्वितीय सदन
(2) उपयोगी द्वितीय सदन।

अमरिका में सशक्त द्वितीय सदन है तो भारत में उपयोगी द्वितीय सदन। सशक्त द्वितीय सदन से तात्पर्य यह है कि अधिकारों की दृष्टि से वह लोकप्रिय सदन की तुलना में निर्बल नहीं होता। उपयोगी द्वितीय सदन लोकप्रिय सदन की तुलना में निर्बल व प्रभावहीन होता है। फैडरल जर्मनी का द्वितीय सदन बुन्देसराट 'सशक्त द्वितीय सदन' तथा उपयोगी सदन का मिश्रित रूप है। कुछ मामलों में वह अमरिकी सीनेट की भांति सशक्त है तो कुछ मामलों में वह भारतीय राज्य-सभा की भांति उपयोगी।

बुन्देसराट का गठन

बेसिक ला के 50 वें अनुच्छेद के अनुसार लैण्डर (राज्यों) बुन्देसराट के माध्यम से संघ के कानून निर्माण व प्रशासनिक कार्यों में भाग लेंगे।' बुन्डेसराट के गठन के बारे में अनुच्छेद 51 निम्नलिखित व्यवस्था करता है—

बुन्देसराट के सदस्य राज्य-सरकार के सदस्य होंगे। राज्य-सरकार को उनकी नियुक्ति व वापस बुलाने का अधिकार होगा।

इस दृष्टि से देखा जाए तो गठन की दृष्टि से फैडरल जर्मन बुन्देसराट अमेरिका की सीनेट तथा भारत की राज्य-सभा से भिन्न है। अमरिका में सीनेट में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता है। भारत की राज्य सभा के सदस्यों का

चुनाव सम्बद्ध राज्यों की विधान सभाएँ करती हैं लेकिन बुन्देसराट के सदस्य अपने अपने राज्य के मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं।

फेडरल जर्मन बुन्देसराट (राज्य सभा) में यह भी प्रणाली प्रथा है कि यदि सदस्य स्वयं कार्यवाही में अनुपस्थित रहे तो वह अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। इन स्थानापन्न प्रतिनिधियों की सूची भी प्रत्येक राज्य सरकार तैयार करती है।

बेसिक ला के अनुच्छेद 52 के परिच्छेद 2 के अनुसार बुन्देसराट में प्रत्येक राज्य को कम से कम तीन मत (वोट) 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य को 3 मत (वोट) तथा 60 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य को 5 मत (वोट) प्राप्त होंगे।

उक्त व्यवस्था के अनुसार विभिन्न राज्यों को जर्मन बुन्देसराट में निम्नांकित स्थान प्राप्त हैं—

राज्यों का नाम	सदस्यों की संख्या
बाडेन यूटमबर्ग	5
बवेरिया	5
ब्रेमन	3
हाम्बुर्ग	3
हेस	4
लोअर सैक्सनी	5
नार्थ राइन वेस्टफालिया	5
राइनलैण्ड पलैटीनेट	4
सारलैण्ड	3
श्लेसविग होल्सटाइन	4
पश्चिमी बर्लिन	4

इनमें से पश्चिमी बर्लिन के प्रतिनिधियों को सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार जर्मन बुन्देसराट में कुल 45 प्रतिनिधि बैठते हैं जिनमें से बर्लिन के चार प्रतिनिधियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रत्येक राज्य उतने ही सदस्य भेज सकता है जितने वोट उसे प्राप्त हैं। प्रत्येक राज्य (खण्ड) के प्रतिनिधि एकमात्र (ब्लाक वोट) मतदान करेंगे।

कार्य प्रणाली

अपने कार्य-संचालन के लिए बुन्देसराट बेसिक ला के 50 से 53 तक के अनुच्छेदों पर आधारित है। 31 जुलाई 1953 में बुन्देसराट ने अपने कार्य संचालन के लिए कार्यविधि के नियम बनाये।

बुन्देसराट अध्यक्ष

बुन्देसराट का अध्यक्ष एक वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है (बेसिक ला अनुच्छेद 52 (I))। यह उल्लेखनीय है कि फेडरल जर्मन बेसिक ला के अन्तर्गत

उप राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था नहीं है। भारत म तो राज्य सभा की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति करता है। लेकिन बुन्दसराट के महत्त्व म वद्धि करने तथा उसे उपयुक्त सम्मान देने के लिए बसिक ला के अनुच्छेद 57 का अन्तगत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद का भार वहन करन म असमथ हो तथा उसका पद समय से पूव रिक्त हो जाता है तो बुन्देसराट का अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद सम्हालेगा।

बुन्दसराट की कायवाही का सचालन करत समय अध्यक्ष को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो बुन्डेसटाग के अध्यक्ष को बुन्डेसटाग के सचालक के रूप म प्राप्त है।

बुन्दसराट समितिया

बुन्दसराट के अन्तगत दो प्रकार की समितिया होती हैं—(I) स्थायी समितिया तथा (II) विशेष समितिया। बसिक ला के अनुच्छेद 52 (4) के अनुसार लण्ड (राज्य) सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति बुन्दसराट की समितिया म भाग लेंगे। स्थायी समितिया की सख्या प्राय 12 के आसपास होती है। समय समय पर विशेष प्रश्नों पर विशेष समितिया का नियुक्ति की जा सकती है। स्थायी समितिया म प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार कम स कम समितियों म राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ये स्थायी समितिया लगभग उन्ही विषयों पर विचार करती हैं जिन विषयों पर बुन्डेसटाग की समितिया विचार करती हैं। बुन्दसराट का अधिकाश काय समितियों द्वारा होता है। एलॉड ज हाल्स्टिन डॉमार के अनुसार बुन्डेसराट के सभी सदस्य लैण्ड (राज्य) म मन्त्री होते हैं व महीने म एक या दो बार बान आते हैं तब बुन्दसराट की बठक मे भाग लेते है। उस समय तक सभी प्रस्ताव समितिया द्वारा तयार कर लिए जाते हैं। 99 प्रतिशत मामलो म एक तरह समिति सभा की कायवाही करती है जिसे पूण अधिवशन म स्वीकार कर लिया जाता है।[1]

सभा की कायवाही

बुन्दसराट का पूण अधिवशन अधिकाशत सामान्य विचार विमश औपचारिक मतदान तथा कभी-कभार राज्य विशेष के दृष्टिकोण का प्रस्तुत करने के लिए भाषणों स युक्त होता है। जिस प्रकार बुन्डेसटाग म स्वतन्त्र मुक्त तथा सक्रिय बहस होती है वसी बहस बुन्डेसराट म नहीं होती क्योंकि यहा प्रतिनिधि अपनी अपनी राज्य सरकारों से निर्देशन प्राप्त करते हैं। यहा गरमागरम बहस के लिए कम गुजाइश है। सामान्यतया कायवाही गम्भीर वातावरण म होती है। बुन्दसराट सप्ताह म दो या तीन दिन काय करता है।

सभा की अवधि

तकनीकी दृष्टि स देखा जाए तो बुन्डेसराट एक स्थायी सस्था है जो निरन्तर कायरत रहती है। इसका कोई सत्र नहीं होता तथा बुन्डेसटाग की भाति प्रत्यक आम

(1) एलॉड ज हाल्स्टिन डॉमार दा गवनमेंट म आफ जमनी (लन्दन 19 5) पृ 121

चुनाव के बाद नये व्यक्ति नहीं आते। लेकिन यदि राज्य विशेष में आम चुनाव के बाद सरकार बदलती है तो बुंदसराट के सदस्यों में भी परिवर्तन होता है।

मतदान प्रणाली

बुन्देसराट की कार्यवाही के अन्तर्गत मतदान प्रणाली इस प्रकार है—राज्यों के नाम घोषित किये जाते हैं तथा उस राज्य के समस्त प्रतिनिधि एकसाथ (एन ब्लाक) मतदान करते हैं। व्यवहार में एक राज्य की ओर से एक व्यक्ति हाथ खड़ा करता है या हां या ना में मतदान करता है। यह एक व्यक्ति अपने राज्य के सभी वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार जब बुंदसराट में मतदान होता है तो 10 हाथ खड़े किए जाते हैं जो कुल 41 वोटों से प्रतीक होते हैं। 11वें राज्य (पश्चिमी बर्लिन) के 4 प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार नहीं है यद्यपि वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं तथा विविध मुद्दों पर सलाह देते हैं। सामान्य कानूनों पर पूर्ण बहुमत तथा संशोधन के मामले में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।

बसिक लॉ के अंतर्गत बुंदेसराट को विधायिका एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। यह राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है तथा राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों—प्रशासनिक कर सम्बन्धी तथा संघीय कानूनों—में इसकी सम्मति का सर्वाधिक महत्त्व है। इसकी सम्मति के अभाव में कुछ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार संविधान में संशोधन करने के लिए भी बुंदेसराट के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। शेष सभी कानूनों के मामले में भी इसे निलम्बी-निषेधाधिकार (सस्पेन्सरी वीटो) प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि बुंदेसराट चाहे तो एक बार किसी भी कानून को पुनर्विचार के लिए बुंदेसटाग के पास भेज सकती है।

सामान्य विधेयक

सामान्य विधेयकों के मामले में बुन्देसराट अपने प्रस्तावित संशोधनों सहित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। कुछ अवसरों पर वह यह भी माँग कर सकती है कि इस विधेयक पर संयुक्त रूप से विचार करने के लिए मध्यस्थता समिति की बैठक बुलाई जाए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है मध्यस्थता समिति में 11 सदस्य बुंदेसराट तथा 11 ही सदस्य बुंदेसटाग की ओर से चुने जाते हैं। बुंदेसटाग भी चाहने पर इस समिति की बैठक की माँग कर सकती है। बसिक लॉ के 77 वें अनुच्छेद के 4 परिच्छेद के अनुसार बुंदेसराट चाहे तो सामान्य विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बुंदेसटाग उस पर पुनः विचार कर उसे पारित कर सकती है लेकिन यह आवश्यक है कि यदि बुंदेसराट ने उस विधेयक को बहुमत से अस्वीकार किया हो तो बहुमत से ही बुंदेसटाग उसे पारित कर सकेगी और यदि बुंदेसराट ने उसे 2/3 बहुमत से अस्वीकार किया हो तो उसे पारित करने के लिए बुंदेसटाग को भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यादेश

प्रशासन के क्षेत्र म भी बुन्देसराट को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। बेसिक ला के अनुच्छेद 80 के परिच्छेद 2 के अन्तगत अधिकाश अध्यादेशो तथा प्रशासनिक नियमो के प्रभावी होने के लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक है।

विधायिका-सकटकालीन विधेयक

बेसिक ला के अनुच्छेद 81 के अनुसार यदि बुन्देसटाग उस विधेयक को अस्वीकार कर देती है जिसे राष्ट्रीय सरकार ने अत्यावश्यक बनाया हो तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति बुन्देसराट की सहमति स उस विधेयक के सम्बन्ध मे विधायी सकट काल की घोषणा कर सकता है। विधायी सकट-काल की घोषणा के बाद भी यदि बुन्देसटाग उस विधेयक को ऐसे रूप म स्वीकार करती है जो सघ-सरकार को अमान्य है और ऐसी स्थिति म बुन्देसराट उस विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक के सम्बन्ध म विधायी सकट-काल की अवधि 6 माह की होती है। उसके बाद वह कानून समाप्त हो जाता है। एक ही चासलर कायकाल म एक बार ही विधायी सकट-काल की घोषणा की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि विधायी सकट-काल की स्थिति के अन्तगत बेसिक ला म सशोधन नही किया जा सकता न उसे निरस्त किया जा सकता है।

सवधानिक सशोधन

फेडरल जमन बेसिक ला म सशोधन करने के लिए भी बुन्देसराट की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 79 (2) के अनुसार बेसिक ला म सशोधन करने के लिए बुन्देसराट के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है।

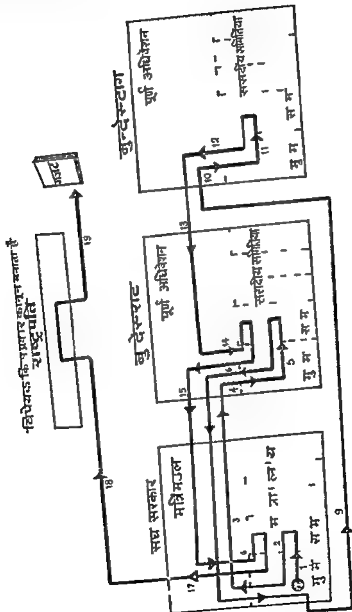
बुन्देसराट का महत्त्व

बुन्देसराट केवल बुन्देसटाग रूपी मशीन का पुर्जा नहीं है। यह बुद्धिमान व्यक्तियो की समिति है। राज्य के हितो के मामलो म इसकी इच्छा सर्वोपरि है। इसी प्रकार बेसिक ला म सशोधन के समय इसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह केवल विधायिका सस्था न होकर प्रशासन के क्षेत्र म भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने गठन की दृष्टि स भी यह एक प्रभावी सस्था है क्योकि विश्व म बुन्देसराट ही एक ऐसा द्वितीय सदन है जिसम सदस्य विभिन्न राज्यो के मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं। यदि पिछले 8 वर्षों म बुन्देसराट के काय का अवलोकन करें तो प्रतीत होगा कि उसने बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। सक्षेप म यह सस्था जमन ससदीय व्यवस्था की मित्र दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शिका है।

विधेयक कसे कानून बनता है?

कानून निर्माण के क्षेत्र म फेडरल जमन सरकार उसी प्रकार काय करती है जिस प्रकार अन्य जनतान्त्रिक राष्ट्र करते हैं। विधेयक तीन प्रकार के होते हैं—

(1) सामान्य विधेयक
(2) धन विधयक (बजट)
(3) सशोधन विधयक ।



यहा हम सामान्य विधेयक पारित होने सम्बन्धी प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। पहले विधेयक का निर्माण होता है फिर उसे औपचारिक रूप से पेश किया जाता है तत्पश्चात् उस समिति या समितियों में विचारार्थ भेजा जाता है। तब वाचन होता है वाद विवाद के पश्चात् मतदान होता है। अन्त में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संघीय राजपत्र (फेडरल गजट) में प्रकाशित किया जाता है। एक विधेयक कानून बनने तक कई चरणों में से गुजरता है जिसका विवरण इस प्रकार है—

(चित्र पृष्ठ 135 पर देखें)

विधेयक का प्रारूप

विधेयक में प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार किया जाता है। कोई बुन्डसराट या बुन्डेसटाग का सदस्य या सरकार का मन्त्री कानून का प्रारूप सदन के समक्ष उपस्थित कर सकता है। बुन्डसराट जो भी विधेयक प्रस्तुत करती है वह सब सरकार के माध्यम से बुन्डसटाग के समक्ष आता है। सामान्यतया 2 से 3 प्रतिशत विधेयक ही बुन्डसराट से आरम्भ होते हैं। लगभग 75 से 80 प्रतिशत विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किये जाते हैं बाकी 15–20 प्रतिशत विधेयक बुन्डेसटाग के सदस्य व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करते हैं। गरहार्ड ल्योवनबर्ग के अनुसार सरकारी विधेयक जो सभी विधेयकों के 75 प्रतिशत के लगभग होते हैं निम्न चरणों से गुजरते हैं (1) मन्त्रालय में निर्माण (2) बुन्डसराट में प्रथम पारण (3) बुन्डेसटाग में प्रथम वाचन (4) समिति में प्रस्तुत (5) बुन्डेसटाग में द्वितीय वाचन (6) बुन्डेसटाग में तृतीय वाचन (7) बुन्डसराट में द्वितीय व तृतीय वाचन (8) राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होकर घोषित होना।[1]

मन्त्रालयों में निर्माण

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है लगभग 75 से 80 प्रतिशत विधेयक सरकार द्वारा तैयार होते हैं। विधेयक यदि आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध हैं तो अर्थ मन्त्रालय समाज से सम्बद्ध हैं तो सामाजिक मामलों के मन्त्रालय और नगर निर्माण से सम्बन्धित हो तो उससे सम्बद्ध मन्त्रालय विधेयक तैयार करते हैं। कई विधेयक ऐसे भी होते हैं जिसमें दो-तीन मन्त्रालयों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में प्रारूप वह मन्त्रालय तैयार करता है जो उसमें विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। इस मन्त्रालय को मूल मन्त्रालय (मू म) की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरे मन्त्रालय उसके प्रारूप के निर्माण में सहयोग देते हैं अतः उन्हें सहायक मन्त्रालय (स म) कहा जा सकता है।

बुन्डेसराट में प्रथम पारण

सरकारी विधेयकों को पहले बुन्डेसराट में भेजा जाता है। तीन सप्ताह की अवधि में बुन्डेसराट उस प्रस्तावित विधेयक में परिवर्तन की सिफारिश कर सकती है।

1 गरहार्ड ल्योवनबर्ग पार्लियामेंट इन जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम (न्यूयार्क 1967) पृ 281

यदि इस अवधि में वह ऐसा नहीं करता तो यह मान लिया जाता है कि उसे विधेयक इसी रूप में स्वीकार है। असहमति की स्थिति में बुन्दसराट विधेयक को मूल रूप में बुन्दस्टाग को भेजता है अथवा एक रूप में प्रस्तावित परिवर्तन निश्चित रूप में भेजता है। यह प्रक्रिया बुन्दस्टाग द्वारा प्रथम वाचन से पहले होती है।

बुन्दस्टाग में प्रथम वाचन

बुन्दसराट से प्राप्त होने के बाद यह विधेयक लौटकर बुन्दस्टाग में प्रथम वाचन के लिए आता है। प्रथम वाचन में विधेयक के सामान्य सिद्धान्त-मात्र पर विचार होता है। इस स्तर पर संशोधन [illegible] या संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। यदि [illegible] प्रस्तुत [illegible] के लिए बुन्दस्टाग के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतया प्रत्येक विधेयक बुन्दस्टाग समिति या समितियों को विचारार्थ सौंप दिया जाता है।

समिति में विचार

बुन्दस्टाग में प्रथम वाचन के पश्चात् विधेयक समिति या समितियों को सौंप दिया जाता है। समिति अथवा समितियाँ विधेयक के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से विचार करती हैं। समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के विशेषज्ञ होते हैं जिनके ज्ञान का लाभ उठाया जाता है। समिति अथवा समितियाँ लिखित रूप में अपने प्रस्ताव सहित विधेयक को पुनः बुन्दस्टाग के सम्मुख भेजती हैं।

बुन्दस्टाग में द्वितीय वाचन

समिति से लौटकर यह विधेयक पुनः बुन्दस्टाग के सम्मुख आता है। यदि विधेयक को समिति के पास विचारार्थ नहीं भेजा जाए तो प्रथम वाचन के अन्त में [illegible] दिन द्वितीय वाचन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक समिति को भेजा जाता है तो समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के [illegible] दिन द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन के समय कोई सामान्य वाद-विवाद नहीं होता। (बुन्दस्टाग चाहे तो ऐसा कर सकता है।) तथा विधेयक की धाराओं पर विचार होता है। साधारण तौर पर प्रत्येक धारा पर मतदान होता है लेकिन यदि बुन्दस्टाग चाहे तो कई धाराओं पर एकसाथ भी मतदान किया जा सकता है। द्वितीय वाचन के समय प्रस्तावित विधेयक में संशोधन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संशोधन प्रस्तुत करने के लिए एक सदस्य ही काफी होता है लेकिन एक भाग के बाद [illegible] विचार समाप्त होने के बाद संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। द्वितीय वाचन के अन्त में विधेयक को पुनः समिति को सौंपा जा सकता है लेकिन इस बार [illegible] पूरा हो सकता है। संशोधन द्वारा संशोधित होने पर उसे छपा दिया जाता है।

बुन्दस्टाग में तृतीय वाचन

कार्य विधि नियम के अनुच्छेद 90 के अन्तर्गत द्वितीय वाचन की समाप्ति के दूसरे दिन बुन्दस्टाग में विधेयक को तृतीय वाचन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस समय वाद-विवाद विधेयक के प्रमुख सिद्धान्तों पर ही केन्द्रित रहता है। तृतीय

वाचन के दौरान सशोधन भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं लेकिन ऐसी स्थिति म सामान्य वाद विवाद क बाद सशोधना पर अलग म विचार किया जाता है। यहा यह उल्लेखनीय है कि तृतीय वाचन के समय सशाधन प्रस्तुत करने के लिए उतने सदस्यो के समथन की आवश्यकता होती है जितने सदस्य मिल कर ससदीय दल का निर्माण करत हैं। ससदीय दल क निर्माण के लिए 15 सदस्या की जरूरत होती है। तृतीय वाचन क अत म प्रस्तावित विधेयक की स्वीकृति के लिए मतदान होता है। स्वीकृति के लिए बहुमत का आवश्यकता होती है।

बुदेसराट मे पारित होने की प्रक्रिया

जब एक विधयक बुदेसटाग म पारित हो जाता है तो उसके बाद वह बुदेसराट म भेजा जाता है। विधेयक पहुचन क बाद दो सप्ताह की अवधि म बुदेसराट को या तो विधेयक को स्वीकृति देनी होती है या यदि वह चाहे तो मध्यस्थता-समिति की बठक की माग कर सकती है। यदि बुदेसराट विधयक को बहुमत से अस्वीकृत करती है तो बुदेसटाग पुन इसे बहुमत स पारित कर सकती है यदि बुदेसराट उसे 2/3 बहुमत से अस्वीकृत करती है उस बिल को पारित होने के लिए बुदेसटाग के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पडती है (अनुच्छेद 77)।

कानून की घोषणा

दोना सदनो द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। उस पारित विधेयक पर राष्ट्रपति क हस्ताक्षर के साथ ही साथ सम्बद्ध मत्री या चासलर के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं। हस्ताक्षरो के बाद वह सघीय गजट म प्रकाशित किया जाता है (अनुच्छेद 82)। प्रकाशन के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

फडरल जमनी ने अपन ससद के 16 वष क जीवन काल म औसतन प्रतिवर्ष 125 कानूनो का निर्माण किया। प्रथम बुदेसटाग ने 545 द्वितीय न 507 तृतीय बुदेसटाग ने 424 तथा चतुथ बुदेसटाग ने 428 कानून पारित किए।

विद्युत गति-कानून

कई बार बुदेसटाग कानून निर्माण के मामले म अत्यधिक शीघ्रता बरतती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि स क्रमश उसके प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वाचन आवश्यक है लकिन यदि सभी ससदीय दल पूव स्वीकृति दे दें तो कानून निर्माण का काय शीघ्रता से निपटाया जा सकता है। कुछ वर्षो पूव कुछ दा दिन म ही बजट पारित कर दिया गया। इस बजट म 300 अरब माक का व्यय दिखाया गया था। इसी प्रकार सामान्य विधेयक को विद्युत-गति स पारित किया जा सकता है। इस प्रकार पारित कानून को जमन भाषा म ब्लिटजगेसेटज (विद्युत गति कानून) कहा जाता है। ऐसा कानून कुछ मिनटा म ही पारित हो सकता है।

□□□

7

न्यायपालिका

जर्मनी में एक कहानी प्रचलित है जो प्रशा के शासक फ्रेडरिक महान् (1740–1786) तथा एक पवन चक्की के मालिक से सम्बद्ध है। बर्लिन के निकट स्थित पाट्सडम नगर में राजा का आमोद-प्रमोद भवन हुआ करता था। उसके पास ही एक पवन चक्की थी जिसकी निरन्तर खड़खड़ाहट से राजा के आराम में व्यवधान पड़ता था। राजा ने आदेश दिया कि पवन चक्की को मालिक हटा दे। *पवन चक्की के मालिक ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। तब राजा ने धमकी दी कि वह अपने सैनिक भेजकर पवन चक्की तुड़वा देगा तो उसके मालिक का जवाब था— "यदि बर्लिन में सर्वोच्च न्यायालय न होता तो ऐसा सम्भव था।"* पवन चक्की के मालिक को न्यायालय के न्यायाधीशों में पूर्ण भरोसा था कि वे राजा के विरुद्ध उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि फ्रेडरिक महान् तत्कालीन यूरोप के सबसे अधिक निरंकुश शासकों में से एक था, इसके बावजूद एक सामान्य आदमी न्याय की भावना से प्रेरित होकर उसकी इच्छा का विरोध करने का साहस कर सका। यह कहानी जर्मनी में निष्पक्ष न्याय की कहानी का उत्कृष्ट प्रमाण है।

जर्मनी में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की परम्परा सदियों से चली आ रही है। राजतन्त्र के युग में भी आम जनता में यह विश्वास प्रचलित था कि कोई व्यक्ति कितने भी उच्च पद पर विराजमान हो, न्याय के दण्ड से बच नहीं सकता और न वह न्यायाधीशों पर दबाव ही डाल सकता है। जर्मन कानून मध्य यूरोपीय कानून के सिद्धान्तों तथा परम्पराओं पर आधारित रहा है जो मध्य युग में रोमन कानून की स्वीकृति देता था।

प्राचीन जर्मन रूप में रोमन कानून, जर्मन कानून, जर्मन रीति-रिवाजों, विश्वास तथा कुछ अन्य तत्व विदेशी कानूनों से प्रभावित हैं। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था का जन्म 1877 के न्यायिक संगठन अधिनियम के साथ होता है। इस अधिनियम ने 1871 में निर्मित संघ के सभी सदस्य राज्यों के लिए समान दीवानी तथा फौजदारी कानूनों की व्यवस्था की। 1919 में जब जर्मनी में वाइमार गणतन्त्र की स्थापना हुई तथा सम्प्रभु राजकीय शक्ति का स्रोत स्वयं जनता बनी तब भी न्यायिक व्यवस्था का आधार 1877 के अधिनियम पर ही आधारित रही। हिटलर के कुख्यात् थर्ड राइख के शासन के समय जो 12 वर्ष (1933–1945) तक चला, न्यायाधीशों को नाजी राज्य की पूजा करने को बाध्य किया गया, इसके बावजूद भी

ऐसे कई न्यायाधीश थे जिन्होंने तानाशाह हिटलर के आदेशों के सम्मुख झुकने के बजाय पद त्यागना पसंद किया। 1949 में फेडरल जर्मनी (पश्चिमी जर्मनी) का जन्म हुआ तथा एक विशद् तथा न्यायपूर्ण न्यायिक व्यवस्था का उदय हुआ।

जनतंत्र की सफलता के लिए तीन स्तम्भ आवश्यक हैं — एक स्वतन्त्र न्यायिक व्यवस्था, सक्रिय संसद् तथा स्वतंत्र प्रेस (समाचार जगत)। फेडरल जर्मनी में हम इन तीनों स्तम्भों के दर्शन करते हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं—विधायिका, सभा कार्यकारिणी और न्यायपालिका। इसमें न्यायपालिका का विशेष महत्त्व है। यही कारण है कि इस तीसरी शक्ति को सत्ता कहा गया है। फेडरल जर्मनी एक संघ राज्य है जिसके अन्तर्गत 11 सदस्य राज्य हैं। यहाँ संघीय तथा राज्य न्यायालयों की व्यापक व्यवस्था की गई है।

संघीय न्यायालय

बेसिक ला के 92वें अनुच्छेद के अनुसार न्यायिक शक्तियाँ न्यायाधीशों में निहित होंगी। इन शक्तियों का प्रयोग संघीय संवैधानिक न्यायालयों तथा राज्य (लैण्डर) न्यायालयों द्वारा—बेसिक ला के अनुसार—किया जाएगा। (देखिए चित्र पृष्ठ 141 पर) जर्मन न्यायपालिका की एक विशेषता यह है कि यहाँ विविध विषयों के लिए अलग-अलग संघीय न्यायालय हैं। इसके विपरीत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय ही है। जर्मन संघीय न्यायालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं—

न्यायालय का नाम	स्थान जहाँ स्थित है
(1) संघीय संवैधानिक न्यायालय	कार्लसूहे
(2) संघीय न्यायालय	कार्लसूहे
(3) संघीय श्रम न्यायालय	कासेल
(4) संघीय प्रशासनिक न्यायालय	पश्चिमी बर्लिन
(5) संघीय सामाजिक न्यायालय	कासेल
(6) संघीय राजस्व-करीय (फिस्कल) न्यायालय	म्यूनिख

इसके अतिरिक्त संघीय पेटेंट-न्यायालय म्यूनिख में, संघीय अनुशासन-न्यायालय फ्रांकफुर्ट (मेन नदी पर स्थित) तथा सैनिक सेवा-न्यायालयों की भी व्यवस्था है। इन न्यायालयों के लिए संघ जिम्मेदार है।

राज्य (लैण्डर) न्यायालय

संघीय न्यायालयों के अतिरिक्त राज्यों के भी अपने न्यायालय हैं। राज्य संघीय कानून की परिधि में रहते हुए इन स्तरों के राज्य न्यायालयों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। ये राज्य-न्यायालय हैं —

(1) प्रथम चरण न्यायालय (कोर्ट आफ फर्स्ट इन्स्टान्स)

(2) द्वितीय चरण न्यायालय (कोर्ट आफ सेकण्ड इन्स्टान्स)

सघव राज्यो के न्यायालय

	सघीय यायालय	राज्यो के न्यायालय
सवधानिक क्षेत्राधिकार	सघीय सवैधानिक यायालय	9 राज्यो के सवैधानिक यायालय
सामान्य क्षेत्राधिकार	सघीय यायालय सघीय पेटेंट यायालय	) 9 राज्य उच्च यायालय 3 राज्य न्यायालय 776 जिला काउटी यायालय
श्रम क्षेत्राधिकार	सघीय श्रम न्यायालय	12 राज्य श्रम यायालय [illegible]
पशासनिक क्षेत्राधिकार	सघीय प्रशासनिक न्यायालय	10 राज्य प्रशासनिक यायालय 3 पशासनिक [illegible]
सामाजिक क्षेत्राधिकार	सघीय सामाजिक यायालय	11 राज्य सामाजिक न्यायालय 48 सामाजिक यायालय
राजकोषीय (वित्तीय)	सघीय वित्तीय [illegible]	15 वित्तीय न्यायालय

) [illegible]
) [illegible]

राज्य न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील या संशोधन के लिए संघ के पास न्यायालयों (संवैधानिक न्यायालय की विशेष तथा भिन्न स्थिति है) में आवेदन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति पहले राज्य-न्यायालय में आवेदन करेगा उसके बाद वह संघ-न्यायालय में अपील या संशोधन कर सकेगा। राज्यों के न्यायालय संघीय कानून तथा राज्यों के कानूनों के आधार पर निर्णय देते हैं। राज्यों (लैण्डर) के अपने संवैधानिक न्यायालय भी हैं जो राज्य के संविधानों के सम्बन्ध में निर्णय देते हैं। जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है कि लैण्डर जर्मनी के राज्यों के अपने अपने संविधान भी हैं लेकिन ये संविधान संघीय बेसिक ला की सीमाओं में रहकर ही बनाये गये हैं। राज्य के संवैधानिक संविधान न्यायालय राज्य-न्यायालय (स्टेट कोर्ट) के नाम से जाने जाते हैं।

विविध क्षेत्राधिकार

जर्मन न्यायपालिका संगठन की एक विशेषता यह है कि यह संगठन कई अलग अलग तथा स्वतन्त्र क्षेत्राधिकारों में विभाजित है। यह विभाजन इस प्रकार है —

(अ) संवैधानिक क्षेत्राधिकार—संवैधानिक न्यायालय राजनीतिक कानूनों पर विचार करते हैं। कार्ल्सरूहे नगर में स्थित संघीय संवैधानिक न्यायालय इस मत में सर्वोच्च न्यायपालिका संस्था है। संघीय संवैधानिक न्यायालय संविधान (बेसिक ला) की व्याख्या तथा उसके लागू होने के सम्बन्ध में विवाद होने पर निर्णय देता है। वह यह तय करता है कि कोई भी कानून बेसिक ला के अनुसार बना है या नहीं साथ ही सदस्य राज्यों तथा संघ के बीच किसी कानूनी विवाद का समाधान भी यही संवैधानिक न्यायालय करता है। इसके अतिरिक्त वह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी निभाता है। संघीय संवैधानिक न्यायालय के कार्य विधि नियम 12 मार्च 1951 में पारित संघीय संवैधानिक न्यायालय अधिनियम पर आधारित हैं।

राज्यों के संवैधानिक न्यायालय (राज्य-न्यायालय) के कार्य भी इसी के समान हैं विशेषत वह राज्य विशेष के संविधान की व्याख्या करता है।

सामान्य, दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार

दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार से सम्बद्ध मामले सामान्य न्यायालयों या संघीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन न्यायालयों की संरचना न्यायालय संरचना अधिनियम 1877 पर आधारित है लेकिन इसमें वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किए गए हैं तथा इसमें नवीन रूप में इनको पारित 12 सितम्बर 1950 को की गई। दीवानी मामलों में दीवानी न्यायालय नियम 1877 तथा फौजदारी मामलों में फौजदारी न्यायालय नियम 1877 को आधार माना गया है। फौजदारी न्यायालय विषयक नियमों को 17 सितम्बर 1965 में संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया है।

लेण्डर (राज्यों) में सामान्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग काउण्टी (जिला) न्यायालय लेण्ड (राज्य) न्यायालय तथा अन्य उच्च लेण्ड-न्यायालय करते हैं। बवेरिया राज्य में दीवानी व फौजदारी से सम्बद्ध सामान्य क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को सर्वोच्च लेण्ड (राज्य) न्यायालय तथा बर्लिन में सदन न्यायालय (कामर गरिश्ट) कहते हैं। अन्य राज्यों में इन्हें लेण्ड (राज्य) न्यायालय कहा जाता है। दीवानी मामलों के अन्तर्गत धन व सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमे तथा फौजदारी कानूनों के अन्तर्गत मारपीट व दण्ड संहिता के उल्लंघन के मामले प्रस्तुत किये जाते हैं।

पेटेंट विषयक क्षेत्राधिकार

पेटेंट विषयक मामले सामान्य क्षेत्राधिकार की एक विशेष शाखा है। पेटेंट विषयक मुकदमे पहले राज्य पेटेंट न्यायालय में पेश किये जाते हैं बाद में उन्हें संघीय न्यायालय में ले जाया जा सकता है। संघीय पेटेंट न्यायालय की रचना 9 मई 1961 के संघीय पेटेंट अधिनियम पर आधारित है। संघीय पेटेंट-न्यायालय जर्मन पेटेंट कार्यालय के निर्णयों के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला देता है।

श्रम-क्षेत्राधिकार

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है श्रम-न्यायालय मालिक तथा कर्मचारी के बीच रोजगार सम्बन्धी मुद्दों पर विवाद, मजदूर व प्रबंधकों के बीच विवादों तथा कर्मचारियों या मजदूरों द्वारा कार्यालय या कारखाना के सह प्रबन्ध (को डटरमिनशन) से सम्बद्ध प्रश्नों पर निर्णय देता है। प्रत्येक राज्य का अपना श्रम-न्यायालय होता है तथा अन्तिम अपील संघीय श्रम-न्यायालय में की जा सकती है। संघीय श्रम न्यायालय 3 सितम्बर 1953 में पारित श्रम-न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करता है।

प्रशासनिक-क्षेत्राधिकार

संघीय प्रशासनिक न्यायालय तथा राज्य प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनता के मध्य सार्वजनिक कानूनों से सम्बद्ध विवादों का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ निश्चित प्रशासनिक क्षेत्रों में (सामाजिक बीमा तथा कर सम्बन्धी कानूनों के बारे में विवाद के लिए) विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है। बर्लिन नगर में स्थित संघीय प्रशासनिक न्यायालय में अन्तिम अपील की जा सकती है। संघीय प्रशासनिक न्यायालय की कार्यविधि 21 जनवरी 1960 में पारित प्रशासनिक न्यायालय नियमों से संचालित है।

सामाजिक क्षेत्राधिकार

सामाजिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वे सभी मामले आते हैं जो सामाजिक बीमा, युद्ध पीड़ित व्यक्तियों तथा डाक्टरों के प्रयोग से सम्बद्ध विवादों से सम्बन्धित होते हैं। यही कारण है कि इसका अलग क्षेत्राधिकार रखा गया है। सामाजिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग लेण्ड सामाजिक न्यायालय तथा कासेल नगर में स्थित संघीय सामाजिक न्यायालय करते हैं। संघीय सामाजिक न्यायालय का कानूनी आधार है सामाजिक न्यायालय अधिनियम 23 अगस्त 1958।

वित्तीय क्षेत्राधिकार

वित्तीय या राजकोषीय क्षेत्राधिकार में वे मामले समाहित हैं जो करों सम्बन्धी सार्वजनिक वित्त आदेशों (डिक्री) तथा चुंगी अधिकारियों के आदेशों के बारे में विवाद के कारण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक लेण्ड (राज्य) में कम से कम एक वित्तीय या राजकोषीय न्यायालय होता है। अन्तिम अपील सघीय वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय में की जा सकती है। इस सघीय न्यायालय की कार्यविधि वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय नियमावलि अक्टूबर 6 1965 पर आधारित है।

अनुशासन व आन्तर क्षेत्राधिकार

न्यायाधीश सरकारी कर्मचारी तथा सैन्यसेवा कर्मचारी राज्य सेवा में स्वामिभक्ति की दृष्टि से राज्य के साथ विशेष रूप से सम्बद्ध होते हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है (उदाहरण के लिए उनकी निन्दा की जा सकती है उनके वेतन में कमी की जा सकती है और यहां तक कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है)। अनुशासन-न्यायालय अनुशासनात्मक कदमों की वैधता पर विचार करते हैं। कठोर कदम उठाने का कार्य सिर्फ सेना विषयक न्यायालय ही कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा न्यायालय में न्यायाधीशों के साथ कुछ अन्य लोग भी होते हैं जो अपनी अपनी सेवाओं से सम्बद्ध मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। ये विशेषज्ञ न्यायाधीशों के साथ सहयोग करते हैं।

प्रत्येक लेण्ड (राज्य) में उसके कर्मचारियों के लिए अनुशासन-न्यायालय होता है।

सघीय कर्मचारी प्रारम्भ में सघीय अनुशासन-न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं उसके निर्णय के विरुद्ध विशेष सीनेट (अनुशासन-सीनेटों) में अपील की जा सकती है। सघीय अनुशासन-न्यायालय जुलाई 20 1967 में सशोधित नियमावलि के अन्तर्गत कार्य करता है।

बुन्डेसवेहर (सैनिक सेवाओं) के कर्मचारियों के लिए प्रारम्भिक (फर्स्ट इन्स्टान्स) सैनिक अनुशासन-न्यायालय तथा अपील के लिए सघीय प्रशासन-न्यायालय की विशेष शाखा के रूप में सैनिक अनुशासन सीनेट होती हैं। पहले प्रारम्भिक न्यायालय में मुकदमा पेश होता है बाद में सीनेट में अपील की जा सकती है। सैनिक सेवा अनुशासन-न्यायालयों की कार्यविधि सैनिक-सेवा अनुशासन नियमावलि जून 9 1961 से सचालित होती है।

न्यायाधीशों के कानूनी पद के बारे में जर्मन न्यायाधीश अधिनियम सितम्बर 8 1961 बनाया गया है जिसके अन्तर्गत विशेष न्यायिक सेवा न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर्तव्य पालन में अयोग्य (लम्बी बीमारी के कारण) होने पर सेवा निवृत्ति आदि मामलों पर

निर्णय देते हैं। साथ ही उस विवाद पर फैसला देते हैं कि अमुक कानून या कार्य द्वारा न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर आंच आती है या नहीं। राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त न्यायाधीशों के लिए राज्य सेवा-न्यायालय (प्रथम चरण) तथा न्याय-सेवा न्यायालय (द्वितीय चरण) होते हैं। पहले प्रथम चरण वाले न्यायालय में आवेदन करना पड़ता है फिर द्वितीय चरण वाले न्यायालय में। संगठन की दृष्टि से ये स्वतंत्र न्यायालय न होकर अन्य न्यायालयों के हिस्से होते हैं। अंतिम अपील संघीय न्यायालय की विशेष मानद में की जा सकती है। न्यायिक सेवा न्यायालय द्वारा राजकीय अभिभाषक या नोटरी (अभियोक्ता-प्रोसीक्यूटर) विषयक अनुशासन के मामलों पर भी फैसला दिया जाता है। लेखा प्रमाणकों (आडिटरों) के मामलों में अनुशासन क्षेत्राधिकार का प्रयोग लैण्ड (राज्य) के उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। अंतिम अपील संघीय न्यायालय में की जा सकती है।

अनुशासन क्षेत्राधिकार के साथ ही सम्मानजनक व्यवसायों के लिए भी अलग से क्षेत्राधिकार होता है। इन व्यवसायों में लोग व्यक्ति तथा राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अधिक जिम्मेदार होते हैं। इन व्यवसायों में वकील, पेटेण्ट एजेण्ट, कर-सलाहकार तथा आर्किटेक्ट, डाक्टर, दंत चिकित्सक, पशु चिकित्सक तथा रसायन शास्त्री तथा नर्स एवं चिकित्सा व्यवसाय आते हैं। इन लोगों के लिए अलग से न्यायिक व्यवस्था है। लैण्ड कानून के अनुसार इन न्यायालयों की व्यवस्था व कार्यवाही होती है। अंतिम अपील संघीय न्यायालय में की जा सकती है। इन न्यायालयों में अलग अलग व्यवसाय के लोग विशेषज्ञ के रूप में न्यायाधीशों की सहायता करते हैं। ये विशेषज्ञ अवैतनिक न्यायाधीशों (आनरेरी जज) के रूप में काम करते हैं।

न्यायाधीशों की स्थिति संवैधानिक गारंटियां

जर्मनी का संवैधानिक व्यवस्था का सुरक्षा को विशेष महत्त्व देता है। देश के संवैधानिक ढांचे की सुरक्षा के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार तथा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का विशेष महत्त्व है। मुकदमे का फैसला करते समय न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए इसलिए उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। बेसिक ला यह गारन्टी प्रदान करता है। अनुच्छेद 97 परिच्छेद 1 के अनुसार न्यायाधीश स्वतंत्र होंगे तथा सिर्फ कानून के अधीन होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायाधीश विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र होंगे तथा उन किसी भी मामले में निर्देश नहीं दिया जा सकेगा। न्यायाधीश को किसी की सिफारिश व दबाव की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी मंत्री या विभागाध्यक्ष की सिफारिश न मानने पर उसे स्थानान्तरित या बर्खास्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश की रक्षा करने के लिए बेसिक ला के अनुच्छेद 97 (2) यह व्यवस्था करता है कि— स्थायी रूप में नियुक्त न्यायाधीशों को उनकी इच्छा के विपरीत उनके पद से न बर्खास्त किया जा सकेगा न स्थायी या अस्थायी

तौर पर निलम्बित किया जा सकेगा या न ही दूसरा काय करने को कहा जा सकेगा या अवधि से पहले सेवा निवत्त कहा किया जा सकेगा। यदि ऐसा करना हो तो वह न्यायिक निणय द्वारा सिफ कानून के आधार पर ही किया जा सकेगा। इस प्रकार अपनी कार्यावधि म सिद्धान्त न्यायाधीश को न तो हटाया जा सकता है और न उसका स्थानान्तरण ही किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था आवश्यक थी क्योंकि निजी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष होने की स्वतन्त्रता एक दूसर की पूरक है।

कानूनी स्थिति व न्यायाधीशों के प्रकार

बसिक ला क 92 वें अनुच्छेद क अनुसार न्यायिक शक्तियां न्यायाधीशों म निहित होंगी। इस प्रकार न्यायाधीश न्याय प्रशासन के अधिकारी हैं। सामान्यतया दो प्रकार के न्यायाधीश होते हैं—

(1) व्यावसायिक या पेशेवर (प्रोफेशनल) न्यायाधीश
(2) सम्मान-सूचक या अवैतनिक (आनररी) न्यायाधीश

व्यावसायिक या पेशेवर न्यायाधीश व होते हैं जिन्होंने व्यावहारिक एव व्यवस्थित प्रशिक्षण लिया हो विशेषकर न्याय के क्षेत्र म तथा निर्धारित परीक्षा पास की हो। आनरेरी न्यायाधीश वे लोग (सामान्य व्यक्ति) हैं जो विशेष कानूनी व्यवस्था के अन्तगत न्याय प्रशासन म मदद देते हो।

पेशेवर न्यायाधीश

सिर्फ वही व्यक्ति पेशेवर (प्रोफेशनल) न्यायाधीश बन सकता है जिसने दो राजकीय परीक्षाएं पास की है। य परीक्षाएं हैं—जूनियर बरिस्टर या रेफरेंडार तथा सहायक न्यायाधीश परीक्षा या ऐसेसोर परीक्षा। जमन विश्वविद्यालय के प्रत्येक कानून का प्रोफेसर भी न्यायाधीश क पद पर नियुक्त हो सकता है।

प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय म न्याय शास्त्र की पढ़ाई के साथ ही कानूनी प्रशिक्षण आरम्भ होता है जो कम से कम 3½ वर्ष तक जारी रहता है। इसके बाद उम्मीदवार प्रथम परीक्षा (रेफरेंडार या जूनियर बेरिस्टर) पास करता है जो विश्वविद्यालय म न होकर न्याय प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा क पश्चात् ढाई वर्ष तक आरम्भिक सेवा आरम्भ होती है जिसे रेफरेंडार पीरियड कहा जाता है। यह ढाई वर्ष चलती है। इस अवधि म जूनियर बरिस्टर विभिन्न न्यायालयों— दीवानी फौजदारी प्रशासनिक तथा अन्य न्यायिक प्रशासनिक क्षेत्रों म सक्रिय प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इस आरम्भिक सेवा के पश्चात् जूनियर बरिस्टर (रेफरेंडार) द्वितीय परीक्षा (एसेसोर) म बैठता है। यह परीक्षा किसी भी राज्य के न्यायिक अधिकारी के सम्मुख होती है। उसके पश्चात् उम्मीदवार को न्यायिक सेवा के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसे न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है लेकिन

नावन ददन न्यायाधीश नियुक्त किये जाने से पूर्व दस तीन वष को न ाभ्यास (प्रायत) अदालि म गुजरना पडता है। यूरोप क अन्य न्या ना मानि जमनी म का व्यक्ति 28 वष ना उम्र म ढार न्यायालया म न्यायाधीश बन सकता है। फ्रान्स न्यायाधीश रानन्मचारा न नाइन न्यायाधीश होता है।

पद और कत्तव्य

न्यायाधीश बनन पर एक व्यक्ति का यह निश्चय नता पडता है कि वह व्यक्ति ना न प्रति नहानार रन्न रए कानूनसम्पन्न न्य म नन ग्र ना आत्मा क प्रति निष्ठा रखत न्त सिा मय ग्रार न्याय का सरा न्ना। नमन न्याय व्यवस्था का एक विशषता यह भा है कि सिद्धान्त न्प म एक न्यायाधीश किसा राजनानिक न्त का मन्स्य बन न्कना है नथा राजनानिक गतिविधिया म भाग न सकता है नकिन इस यह ध्यान रखना नाना कि उसका न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता म सावजनिक विश्वास बना रह।

आनरेरी न्यायाधीश

पत्रत न्यायाधीशा क अतिरिक्त आनरेरी न्यायाधीश भी न्याय क काय म हाथ बटान है। फौजदारी न्यायालय क न्यूरम का भाति आनरेरी न्यायाधीश सामान्य नाग (बिना कानूनी पराक्षा पास किए) नान है। एक आनरेरी न्यायाधीश व० व्यक्ति है जो बिना पत्रत न्यायाधीश न्त विशेष कानूनी व्यवस्थाओं के अन्तगत न्याय काय म भाग नता है तथा उस पत्र क बार म मतदान का पूरा अधिकार होता है। आनरेरी न्यायाधीश फौजदारी न्यायालय राज्य क व्यापारिक मामला क न्यायालय तथा प्रशासनिक व सवा-न्यायालयों म भाग नत हैं।

सघीय न्यायालय

सघीय न्यायालया क क्षेत्राधिकार क बार म हम पहल चचा कर आय हैं यहा हम उनका काय प्रणाली तथा सम्बद्ध विषया की चचा करेंगे।

(1) सघीय सवधानिक न्यायालय

यह न्यायालय जमन न्याय पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है ... अनु क
अनुच्छेद 92 म सघीय सवधानिक न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 क अनुसार सघीय न्यायालय क क्षेत्राधिकार का वणन है।

(अ) सगठन—सघीय सवधानिक न्यायालय दो सानटों म विभक्त कर बनता है। प्रत्येक सानट म न्यायाधीश न्त हैं। अपनी क्षमता क अन्तगत प्रत्येक सीनट सघीय सवधानिक न्यायालय है। दोना सानटों का स्वतन्त्र अस्तित्व है। एक सीनट क न्यायाधीशों का चुनाव होता है तथा एक सानट क न्यायाधीश दूसरी सानट म नहीं बठ सकत। सघीय सवधानिक न्यायालय का अध्यक्ष प्रथम सीनट का

सभापतित्व करता है तथा उसका सहायक (डेपुटी) या उपाध्यक्ष द्वितीय सीनेट का सभापतित्व करता है।

गणपूर्ति या कोरम

संघीय संवैधानिक न्यायालय की प्रत्येक सीनेट की कार्यवाही के गणपूर्ति आवश्यक मानी गई है। कार्यवाही के समारम्भ के लिए 8 में से 6 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है।

असाधारण बैठक

कुछ स्थितियों में असाधारण बैठक की व्यवस्था भी है। जब संघीय संवैधानिक न्यायालय की एक सीनेट दूसरी सीनेट द्वारा प्रस्तुत राय से अलग हट कर काम करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में दोनों सीनेट मिलकर एकसाथ पूर्ण अधिवेशन (प्लेनम) करती है तथा असाधारण स्थिति में निर्णय लेती हैं।

न्यायाधीशों की योग्यताएं

संघीय संवैधानिक न्यायालय के लिए न्यायाधीश का पद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी हैं—

(अ) उसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष हो।
(ब) वह बुन्देसटाग के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो।

न्यायाधीशों का चुनाव

जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है एक सीनेट के लिए न्यायाधीशों का चुनाव होता है। आधे न्यायाधीशों का चुनाव बुन्देसटाग तथा बाकी के आधे न्यायाधीशों का चयन बुन्देसराट करती है। बुन्देसराट अपने पूर्ण अधिवेशन (प्लेनम) में दो तिहाई बहुमत से चुनाव करती है। बुन्देसटाग आनुपातिक चुनाव प्रणाली के आधार पर 12 सदस्यीय समिति का चुनाव करती है बाद में यह समिति दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीशों का चुनाव करती है।

एक राजनीतिक अंग (बुन्देसराट व बुन्देसटाग) द्वारा न्यायाधीशों के चुनाव का औचित्य इस बात में निहित है कि संघीय संवैधानिक न्यायालय न केवल संवैधानिक संस्था है वरन् इसका क्षेत्राधिकार राजनीतिक भी है।

।ल

दोनों सीनेटों में से प्रत्येक सीनेट में तीन न्यायाधीश अन्य पांच संघीय न्याया के न्यायाधीशों में से लिए जाते हैं। ये न्यायाधीश 68 वर्ष की उम्र तक संघीय न्यायालय के सदस्य बने रहते हैं। अन्य न्यायाधीशों का चुनाव होता है व 8 वर्ष तक कार्य करते हैं। निर्वाचित न्यायाधीशों का पुनः चुनाव हो सकता। संघीय संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश अपने विशेष दायित्व ज्ञान के क्षेत्र में

प्रत्यधिक योग्य प्रतिभाशाली व विख्यात यक्ति होते हैं तथा उन्हें सावजानिक जीवन का काफी अनुभव होता है। अपने पद के कायकाल में यायाधीश न तो बुंदेसटाग न बन्देसराट ग्रोर न ही संघ या राज्य सरकार में सम्बद्ध हो सकते हैं। यायाधीश पद या विश्वविद्यालय के प्राफेसर-पद के अतिरिक्त व कोई अन्य यावसायिक काय या पेशा नहीं अपना सकते।

सघीय सवधानिक यायालय क्षेत्राधिकार

सघीय सवधानिक यायालय जमन वसिक ता का रक्षक है। इसकी काय प्रणाली का आधार वधानिक ता के अनुच्छेद 92 93 94 99 तथा 100 के साथ 12 माच 1951 के सघीय सवधानिक यायालय कानून (जिसमें कई बार सशोधन किया जा चुका है)। इसके प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित भागों में बाटा जा सकता है —

(अ) कानूनों की वधता विषयक परीक्षण

(आ) सघ तथा सदस्य राज्यों (लेण्डर) के बीच काय विधि विवाद तथा दो राज्यों (लण्डेर) के बीच विवाद का फसला

(इ) असवधानिकता सम्बन्धी शिकायतों पर निर्णय

(ई) अन्य प्रतिरक्षण।

(अ) कानूनों की वधता का परीक्षण—यदि कोई यायाधीश किसी मुकदमे का फसला करते समय यह अनुभव करता है कि जिस कानून के आधार पर वह फसला देना चाहता है वह कानून ही असवधानिक है तो ऐसी स्थिति में वह यायाधीश मुकदमे की प्रक्रिया को रोक कर सम्बद्ध मुकदमे के कागजात सघीय सवधानिक यायालय के पास भेज देता है ताकि सवधानिक यायालय उस कानून की सवधानिकता के बारे में निर्णय ले सके।

इसी प्रकार यदि कोई यायाधीश यह सोचता है कि किसी सदस्य राज्य का कानून सघीय कानून के साथ मेल नहीं खाता है तो यह मामला भी सघीय सवधानिक यायालय में पेश किया जाता है। वधानिक ता का अनुच्छेद 31 यह कहता है कि—सघीय कानून राज्य के कानून से ऊपर होगा। विवाद की स्थिति आने पर मामला सवधानिक यायालय में जाता है।

कुछ मामलों में सघीय सरकार भी किसी कानून को असवधानिक कह कर उसे सघीय सवधानिक यायालय में पेश कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि ससद ने सघ-सरकार की इच्छा के विपरीत किसी कानून को पारित कर दिया है और सरकार यह सोचती है कि यह कानून सविधान के अनुकूल नहीं है तो वह यह कदम उठा सकती है।

साथ ही कोइ यक्ति सघीय सवधानिक यायालय म यह आवदन कर सकता है कि सावजनिक अतराष्ट्रीय कानून का कोई निश्चित नियम फडरल जमनी क सघीय कानून का हिस्सा ह या नहा। बसिक ला क 25 वें अनुच्छद क अनुसार सावजनिक अतराष्ट्रीय कानून जमन सघीय कानून का अविभाज्य अग है तथा वह सघीय कानून की तुलना म वरीयता (उच्चता प्राथमिकता) प्राप्त करता है।

यदि किसी सरकारी सस्था तथा अय पक्षा क बीच किसी प्रश्न पर विवाद है तथा सम्बद्ध पक्ष यह तक दता है कि अमुक सरकारी सस्था उसके बसिक ला म उल्लिखित अधिकारा का हनन कर रही है तो अनुच्छद 93 पारच्छद 1 (1) क अतगत सघीय सवधानिक यायालय म आवदन पश किया जा सकता है तथा यायालय बसिक ला की व्याख्या करेगा।

सघ तथा सदस्य राज्या क बीच मतभेद या विभिन राज्या क बीच सवधानिक विवाद हान पर भी मामले का निपटारा सघीय सवधानिक यायालय करता है।

बसिक ला क 99 व अनुच्छद के अनुसार कोई राज्य चाहे तो सवधानिक विवाद के निपटारे के लिए सघीय सवधानिक यायालय स निणय लन का कह सकता है।

फडरल जमनी का कोई भी नागरिक अपन मूलभूत अधिकारो (अनुच्छद 1 से 19 तक) की रक्षा क लिए सघीय सवधानिक यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छद 33 38 101 103 तथा 104 म उल्लिखित उसके अधिकारा का हनन होने की स्थिति म भी वह शिकायत कर सकता है। इतना ही नहा बसिक ला के अनुच्छद 93 परिच्छद 4 (अ) क अतगत कोइ नागरिक बसिक ला क अनच्छेद 20 (4) म वर्णित अधिकार के अतगत भी सघीय सवधानिक यायालय म आवदन पेश कर सकता है।

सघीय सवधानिक यायालय 1951 क अधिनियम के अनुसार काय करता है। सन् 1951 स 1969 क बीच इस यायालय क सम्मुख कुल 20 337 शिकायत आइ जो सवधानिकता क प्रश्न स सम्बद्ध थी। इसम यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि फडरल जमनी क नागरिक अपन अधिकारा क प्रति जागरूक हैं।

उपयु क्त बाता क अतिरिक्त सघीय सवधानिक यायालय म निम्नलिखित मामल जात हैं—

(1) राष्ट्रपति क विरुद्ध महाभियोग का फसला भी सघीय सवधानिक यायालय म होगा। महाभियोग लगान का काय बुदेसटाग तथा बुन्देसराट करगी। 28 वष क अस्तित्व म फडरल जमनी म अभी तक किसी भी राष्ट्रपति क विरुद्ध महाभियोग नहा लगाया गया है।

(2) अनुच्छद 98 क अनुसार बुदसटाग या कोई राज्य-सरकार एक यायाधीश क विरुद्ध यह आराप लगा सकती है कि उसन बसिक ला या किसी राज्य की सवधानिक व्यवस्था का हनन किया है। इन स्थितिया म फसला भी

संघीय संवैधानिक न्यायालय करेगा। अभी तक ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं की गई।

(3) बेसिक ला के अनुच्छेद 21 (2) के अनुसार यदि कोई राजनीतिक दल अपने उद्देश्य तथा व्यवहार से मूलभूत जनतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाए या उसे समाप्त करने का प्रयास करे तो वह असंवैधानिक होगा। संघीय संवैधानिक न्यायालय असंवैधानिकता के प्रश्न पर निर्णय देगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बुन्डेसटाग या सरकार न्यायालय में किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। संवैधानिक न्यायालय आरोप सिद्ध होने पर उस दल को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। 1953 में सोशलिस्ट राइश पार्टी तथा 1956 में साम्यवादी दल के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं प्रमाणित होने पर उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तथापि 1969 में जर्मन साम्यवादी दल का पुनर्गठन किया गया तथा उसने यह घोषित किया कि वह बेसिक ला की परिधि में अपना काम करेगा।

(4) फेडरल जर्मनी में बुन्डेसटाग के किसी डेपुटी (सदस्य) के चुनाव की वैधता के प्रश्न पर बुन्डेसटाग स्वयं विचार करती है। बुन्डेसटाग के निर्णय के विरुद्ध संघीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उसका निर्णय अंतिम होगा।

अन्य संघीय न्यायालय

संघ के अन्तर्गत जितने न्यायालय हैं उनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। संघ के 5 न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उनके असंवैधानिक फैसलों के विरुद्ध—संघीय संवैधानिक न्यायालय में शिकायत की जा सकती है। जब हम जर्मनी के न्यायालयों के पांच क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं तो उसका अर्थ है—(1) सामान्य क्षेत्राधिकार (दीवानी और फौजदारी) (2) श्रम (3) प्रशासनिक (4) सामाजिक तथा (5) वित्तीय (राजकोषीय) क्षेत्राधिकार। ये पांचों सर्वोच्च न्यायालय हैं। इन पांचों न्यायालयों की अलग अलग सीनेट (बेंच) होती है जिनकी संख्या निम्नलिखित है—

न्यायालय का नाम	सीनेटों की संख्या
1 संघीय न्यायालय	10 दीवानी सीनेट 5 फौजदारी सीनेट 7 विशेष क्षेत्रों की सीनेट
2 संघीय श्रम न्यायालय	5 सीनेट
3 संघीय प्रशासनिक न्यायालय	8 सीनेट तथा अनुशासन के मामलों में विशेष सीनेट
4 संघीय सामाजिक न्यायालय	12 सीनेट
5 संघीय वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय	7 सीनेट

इनके अतिरिक्त प्रत्यक न्यायालय म एक ग्राण्ड सीनेट (उच्चतर सीनेट) होती है जिसम निम्नलिखित मामलो म सम्बद्ध सीनेट द्वारा अपील की जा सकती है—

(अ) जब सीनेट किसी कानून क प्रश्न पर अन्य सीनेट या ग्राण्ड सीनेट के निर्णयो से अलग हट कर निर्णय देना चाहती हो।

(आ) जब न्याय प्रशासन की एकरूपता या कानून क विकास का महत्त्वपूर्ण व मूलभूत प्रश्न उठ खडा हो।

सघीय न्यायालय म दीवानी मामलो की ग्राण्ड सीनेट फौजदारी मामलो की ग्राण्ड सीनेट तथा एक सयुक्त ग्राण्ड सीनेट होती है।

सघीय न्यायालय (सामान्य क्षेत्राधिकार)

इस न्यायालय के अन्तगत दीवानी तथा फौजदारी क मुकदमो का फसला होता है। दीवानी मामलो म स्वामित्व क प्रश्न पर विवाद या दावा सविदा (कन्ट्रक्ट) सम्बन्धी दाव गर-कानूनी काय स उत्पन्न टार्ट (Tort) कानून सम्बन्धी दाव (शारीरिक क्षति मोटर कार का क्षति सम्मान को ठेस तथा कापी राइट का उल्लघन) जीविका (मेन्टेनन्स) सम्बन्धी दाव वाणिज्यिक दाव तलाक अवध पितृत्व आदि आते हैं।

फौजदारी मामलो म भी व्यक्ति इसी सघीय न्यायालय (सामान्य क्षेत्राधिकार) की शरण म जा सकता है। जमन दण्ड सहिता कानून का आधार दण्ड सहिता अधिनियम 1871 है। इसम समय समय पर सशोधन हुए हैं तथा 1973 म इस अधुनातन रूप प्रदान किया गया है। फौजदारी क्षेत्राधिकार क अन्तगत हत्या लूट चोरी धोखाधडी झूठी गवाही के मुकदमो का फसला होता है।

सघीय श्रम-न्यायालय

प्रारम्भ म श्रम क्षेत्राधिकार दीवानी क्षेत्राधिकार क अन्तगत आता था लेकिन बढते हुए औद्योगीकरण क कारण श्रम-सम्बन्धी विवादो की सख्या बढी उधर मालिको प्रबन्धको कमचारियो व मजदूरो म यह प्रवृत्ति बनी कि न्याय प्रशासन स उन्हें भी जोडा जाए। इन तथ्यो को ध्यान म रखत हुए सघीय श्रम-न्यायालय की व्यवस्था की गई। आज का सघीय श्रम न्यायालय श्रम न्यायालय अधिनियम सितम्बर 3 1953 क अन्तगत काय करता है। इस न्यायालय म श्रम-सम्बन्धी यानी मालिको तथा कमचारियो (मजदूरो व लिपिको व अन्य अधिकारियो) क बीच विवाद उपस्थित किए जात हैं। वतन सम्बन्धी दावे छुट्टियो सम्बन्धी विवाद कमचारी की बसावधानी काय करत समय दुघटना के शिकार होन पर दाव मजदूरो द्वारा यन्त्रो को नुकसान पहुचान पर दावा प्राप्ति आत हैं। दूसरी प्रकार क मुकदम सह निर्णय (को डिटरमिनेशन) सम्बन्धी विवाद क होत हैं इसी प्रकार वतन-समझौता सम्बन्धी विवाद तथा हडताल को बढाना व तालाबन्दी सम्बन्धी विवाद भी प्रस्तुत किय जात

है। इसी प्रकार प्रत्येक बड़ी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में कर्मचारी परिषद् के चुनाव, नियुक्ति, उनकी समाप्ति आदि दावे भी संघीय श्रम न्यायालय में पेश होते हैं।

संघीय प्रशासनिक न्यायालय

जैसा कि प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर विचार करते हुए बता दिया गया है कि संघीय प्रशासनिक न्यायालय में दो सरकारी संस्थाओं के आपसी विवाद—जैसे एक क्षेत्र विशेष में सड़कों के निर्माण तथा देखभाल व मरम्मत का काम किस संस्था का है, पेश होते हैं। सरकारी संस्था व नागरिक के बीच विवाद—जैसे लाइसेन्स रद्द करने पर अथवा प्राप्ति तथा प्रशासनिक न्यायालय अधिकारियों से सम्बद्ध कार्यों से उत्पन्न शिकायतों पर भी यह न्यायालय निर्णय देता है।

संघीय सामाजिक न्यायालय

इस न्यायालय के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर मुकदमे व शिकायतें प्रस्तुत की जाती हैं—

(अ) सामाजिक बीमा, वाणिज्यिक कानूनी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, खदान मजदूरों का बीमा तथा मजदूरों तथा कर्मचारियों के पेंशन-बीमा सम्बन्धी विवाद।

(आ) बेकारी का बीमा, प्रशिक्षण काल में राजकीय आर्थिक सहायता, संघीय कर्मचारियों के बच्चों के भत्ते विषयक अधिनियम-सम्बन्धी शिकायतें।

(इ) युद्ध-पीड़ितों के लिए व्यवस्था विषयक दावे।

(ई) कानूनी बीमार कोष के डाक्टरों के कोष व डाक्टरों व दंत चिकित्सकों के बीच समस्या पर विवाद।

(उ) बुन्डसवेर (संघीय सशस्त्र सेवाओं) में भूतपूर्व कर्मचारियों की जीविका या क्षति तथा उनकी विधवाओं व अनाथ बच्चों सम्बन्धी मुकदमे। यह न्यायालय 23 अगस्त 1958 में पारित सामाजिक न्यायालय अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करता है।

संघीय वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय

इस न्यायालय का उद्देश्य उन सभी विवादों का निपटारा करना है जो सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत राजकोषीय अधिकारियों से सम्बद्ध होते हैं। 6 अक्टूबर 1965 में पारित वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय नियमावलि द्वारा उसकी कार्यविधि संचालित होती है। यह न्यायालय निम्नलिखित विवादों का फैसला करता है—

(अ) कर-सम्बन्धी मामलों (डिक्री) की वंचना

(आ) चुंगी अधिकारियों के आदेशों की वंचना

(इ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कानूनों के अन्तर्गत मालगुजारी (लवी) उगाहने सम्बन्धी विवाद

(ई) आयात निर्यात के मामलों में विवाद।

राज्यों के न्यायालय

संघ की भांति इन्हीं पांच क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत राज्यों में भी न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। इन न्यायालयों को दो भागों में बाटा जा सकता है—

(1) उच्चतर लेण्ड (राज्य) न्यायालय (द्वितीय चरण न्यायालय)

(2) राज्य-न्यायालय (प्रथम चरण न्यायालय)

कुछ विषयों पर काउण्टी (जिला) न्यायालयों की भी व्यवस्था है।

छोटे मुकदमे काउण्टी न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, उसकी अपील सम्बद्ध राज्य-न्यायालय में की जा सकती है तथा उसके फैसले से संतुष्ट न होने पर उच्चतर लेण्ड-न्यायालय के द्वार खटखटाये जा सकते हैं। आखिरी अपील संघीय न्यायालय में होती है। काउण्टी-न्यायालय में व्यक्ति स्वयं प्रस्तुत हो सकता है या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के लिए भेज सकता है। लेण्ड-न्यायालय या उच्चतर लेण्ड-न्यायालय में वह इन न्यायालयों द्वारा अधिकृत वकीलों के माध्यम से ही आवेदन कर सकता है।

संघीय न्यायालयों की भांति लेण्ड (राज्य) में भी विभिन्न न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। उनकी रचना इस प्रकार है—

(1) संवैधानिक न्यायालय—9 राज्यों में संवैधानिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। ये न्यायालय स्टेट-कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। जिस राज्य में संवैधानिक न्यायालय नहीं हैं वे संवैधानिकता के प्रश्न पर संघीय संवैधानिक न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। पश्चिमी बर्लिन में संवैधानिक न्यायालय नहीं है तथा उसकी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है।

(2) सामान्य क्षेत्राधिकार (दीवानी फौजदारी) लेण्ड-न्यायालय—इस न्यायालय में दीवानी व फौजदारी मामलों के फैसले होते हैं। फेडरल जर्मनी में 19 उच्चतर लेण्ड-न्यायालय तथा 93 लेण्ड-न्यायालयों की व्यवस्था है। ये न्यायालय दीवानी व फौजदारी मुकदमों के बारे में निर्णय लेते हैं। साथ ही व्यापारिक मामलों तथा अल्प वयस्क लोगों के लिए अलग से व्यवस्था होती है।

फौजदारी मामले में तीन प्रकार के न्यायालय होते हैं—

(1) उच्चतर लेण्ड-न्यायालय—इसमें देशद्रोह, संविधान के प्रति धोखा तथा देश के प्रति धोखे-सम्बन्धी मुकदमे पेश होते हैं। न्यायालय की सीनेट में 5 पेशेवर न्यायाधीश होते हैं। इसके फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जाती वरन् मामला संशोधन के लिए पेश किया जाता है।

(2) अमिसन (एसाइज)-न्यायालय—इसम 3 पेशवर न्यायाधीश तथा 6 ज्यूरस बठते हैं। इसम जानबूझ कर हत्या क मामले पेश होत है।
(3) नण्ड-न्यायालय—इसम तीन पेशवर न्यायाधीश व दो ज्यूरस बठते हैं।

लेण्ड श्रम यायालय

श्रम सम्बन्धी मुकदमा के तीन चरण हात हैं। प्रथम चरण म विवाद सामान्य श्रम न्यायालय म दूसरे चरण म लण्ड-श्रम न्यायालय म तथा अन्तिम चरण म सघीय श्रम न्यायालय म मामला पेश होता है।

सभी चरणो म न्यायाधीशा के अतिरिक्त आनररी न्यायाधीश भी बठते हैं। आनररी न्यायाधीशा म श्रमिका क तथा प्रबन्धका के अलग अलग प्रतिनिधि बठते हैं।

लण्ड प्रशासनिक न्यायालय—इन न्यायालयो की कार्यविधि भी तीन चरणो मे विभाजित है। पहले आवेदक सामान्य प्रशासनिक न्यायालय म अर्जी देता है दूसरे चरण मे वह लेण्ड उच्चतर प्रशासनिक न्यायालय म तथा तृतीय चरण म बर्लिन म स्थित सघीय प्रशासनिक न्यायालय म आवदन कर सकता है। कुछ मामलो म—यथा सघ व राज्य क बीच एस दावानी कानूनो सम्बन्धी विवाद जिनका सविधान से सम्बन्ध न हो—सघीय प्रशासनिक न्यायालय ही प्रथम व अन्तिम न्यायालय होता है। राज्य न्यायालयो मे 3 न्यायाधीश व 2 आनररी न्यायाधीश बठते हैं।

लेण्ड सामाजिक न्यायालय—ये न्यायालय भी सामान्य सामाजिक न्यायालय (प्रथम चरण) तथा उच्चतर लेण्ड-सामाजिक न्यायालय (द्वितीय चरण) म विभाजित हैं। अन्तिम अपील सम्बद्ध सघीय न्यायालय म की जाती है। प्रथम चरण के न्यायालय म एक प्रशिक्षित न्यायाधीश तथा दो आनररी एसेसर बठते हैं। कुछ निश्चित मामला म अपील नहीं की जा सकती। द्वितीय चरण क न्यायालय म 3 प्रशिक्षित न्यायाधीश व दो आनरेरी एससर बठत हैं। कुछ मामलो म इनके निर्णयो को सशोधित करने के लिए सघीय न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि एसेसर का सामाजिक न्यायाधीश कहा जाता है।

लेण्ड वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय—राज्य-स्तर पर सिर्फ एक ही प्रकार के राजकोषीय न्यायालय होते हैं जबकि अन्य मामलो म दो श्रेणियों क न्यायालय होते हैं। इस प्रकार वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय सिर्फ उच्चतर लण्ड न्यायालय के रूप म ही गठित होते हैं। उनके फसला म सशोधन क लिए सघीय वित्तीय (राजकोषीय) न्यायालय म आवेदन किया जा सकता है। राज्य वित्तीय न्यायालय म तीन प्रशिक्षित तथा दो आनरेरी न्यायाधीश बठते हैं।

□□□

8

राजनीतिक दल

जर्मन राजनीतिक दलो के स्वभाव प्रवृत्ति तथा विकास को समझने के लिए यह आवश्यक है कि 1871 मे जर्मनी के एकीकरण के समय की राईशटाग (आज इसे बुन्देस्टाग कहा जाता है) के सभा भवन की सरचना पर दृष्टि डाली जाए। उस समय ससद् म बठने के स्थान तीन भागो मे विभाजित थे वाम पक्ष (लफ्ट) मध्य पक्ष (सेन्टर) तथा दक्षिण पक्ष (राईट)। इस प्रकार तत्कालीन जर्मन राजनीतिक दलो को मोटे तौर पर तीन भागो म बाटा जा सकता था

(1) वामपथी दल
(2) मध्यम मार्गी दल
(3) दक्षिणपथी दल

1919 म जब वाईमार-गणतन्त्र की स्थापना हुई तो आनुपातिक चुनाव के कारण वहा राजनीतिक दलो की सख्या मे अत्यधिक वद्धि हुई। उस समय वहा 30 के आसपास छोटे मोटे राजनीतिक दल थ लेकिन प्रमुखता कुल 7 राजनीतिक दलो की ही थी। ये सात दल भी ऊपर लिखित तीन वर्गों म विभाजित थ। वामपथी दलो मे साम्यवादी समाजवादी (सोशल डेमोक्रट) तथा जनतत्री दल शामिल थे। मध्यम मार्गी दलो के रूप से सेन्टर पार्टी तथा बवेरियाई जनता पार्टी सामन थी तथा दक्षिणपथी दलो म जर्मन जनता-पार्टी तथा नशनल सोशलिस्ट पार्टी (नात्सी दल) शामिल थी।

1933 म हिटलर के सत्ता मे आगमन के साथ जर्मनी के ससदीय इतिहास का काला युग आरम्भ हुआ। हिटलर ने शीघ्र ही अपने दल (नात्सी दल) को छोडकर सब दलो पर प्रतिबध लगा दिया और इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था के कफन मे कील ठोक दी। 12 वष तक जर्मनी म एक दल का शासन रहा तथा 1945 मे द्वितीय महायुद्ध म जर्मनी की पराजय तथा विभाजन क बाद मित्र राष्ट्रा-सोवियत सघ अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रास ने वहा धीरे धीरे जर्मन राजनीतिक दलो को काय करने की अनुमति दी। इस प्रकार जर्मनी म पुन विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय हुए।

विजेता राष्ट्रो म सोवियत सघ वह प्रथम राज्य था जिसने अपने अधिकृत क्षेत्र में जनतान्त्रिक तथा फासिस्ट विरोधी राजनीतिक दलो को काय करने की स्वीकृति दी और इस प्रकार जर्मनी म चार राजनीतिक दल उभरे। ये दल थे

(1) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
(2) साम्यवादी दल
(3) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा
(4) उदार दल (जो बाद में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से विख्यात हुआ)।

अमेरिका ने सोवियत संघ के कार्य का अनुसरण करते हुए राजनीतिक दलों को कार्य की अनुमति दी तथा सितम्बर 1945 में ब्रिटेन व फ्रांस ने भी ऐसी स्वीकृति दे दी। इसके फलस्वरूप 1945 के अंत तथा 1946 के आरम्भ में चार भागों में विभाजित जर्मनी (जोन) के रंगमंच पर चार राजनीतिक दल सक्रिय हुए। लेकिन शीघ्र ही बाढ़मार की भाँति छोटे बड़े कई दल उत्पन्न हो गए जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) स्वतंत्र जर्मन कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप आफ इन्डिपेन्डेन्ट जर्मन्स)
(2) बवेरियाई दल (बवेरियन पार्टी)
(3) क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू)
(4) क्रिश्चियन सोशल यूनियन (यह राष्ट्रीय क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का सहचारी राजनीतिक दल है तथा बवेरिया में अपने मूल नाम से जाना जाता है)
(5) जर्मन शांति संघ (जर्मन पीस यूनियन)
(6) जर्मन संघ (जर्मन एसोसिएशन)
(7) जर्मन पार्टी
(8) जर्मन राष्ट्रीय पार्टी
(9) जर्मन दक्षिण पंथी दल (जर्मन राईटिस्ट पार्टी)
(10) जर्मन पीपुल्स-पार्टी (यह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की शाखा है जो दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में अपने मूल नाम से जानी जाती है)
(11) फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी
(12) शरणार्थी दल—समग्र जर्मन गुट निष्कासित तथा मताधिकार वंचित लोगों का दल (जी बी /बी एच ई)
(13) समग्र जर्मन दल (आल जर्मन पार्टी)
(14) समग्र जर्मन जनता-पार्टी (आल जर्मन पीपुल्स पार्टी)
(15) जर्मन साम्यवादी दल (संविधान विरोधी गतिविधियों के कारण संघीय संवैधानिक न्यायालय ने सन् 1956 में इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया था लेकिन 1969 के बाद इसका पुनर्गठन किया गया)
(16) नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (इसे नव-नात्सी दल माना जाता है)
(17) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

(18) सोशल राइश पार्टी (संविधान विरोधी गतिविधियों के कारण 1952 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया)
(19) दक्षिण श्लसविग मतदाता संघ (एस एस वी)
(20) आर्थिक पुनरचना दल (डब्ल्यू ए वी)
(21) सेंटर पार्टी

इनके अतिरिक्त भी कुछ नगण्य प्रभाव वाले राजनीतिक दल थे। पहले हम कुछ छोटे राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे।

जर्मन पार्टी

जर्मन पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी थी। 1945 में सर्वप्रथम इसने 'लोअर सेक्सनी स्टेट पार्टी' के नाम से राजनीतिक रंग मंच पर प्रवेश किया। यह 19वीं शताब्दी के जर्मन-हनोवर दल की अनुदारवादी परम्परा का अनुयायी रहा है। वैचारिक धरातल पर जर्मन पार्टी एक दक्षिणपंथी दल के रूप में उभरी। 1947 में हाईनरिच हेलवेगे के नेतृत्व में इस पार्टी ने पश्चिमी जर्मनी के विविध राज्यों में अपनी शाखाएं खोली तथा ब्रेमेन हाम्बुर्ग लोअर सेक्सनी तथा श्लसविग-हाल्सटाईन नामक राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

विचारधारा के क्षेत्र में जर्मन पार्टी की भावना को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्म भूमि में निवास, कानून का शासन, ऐतिहासिक परम्पराएं तथा ईसाई धर्म में श्रद्धा रखने का अधिकार हो। विदेश-नीति के क्षेत्र में जर्मन पार्टी का मुख्य लक्ष्य था—शांतिपूर्ण साधनों से विभाजित जर्मनी का एकीकरण किया जाए।

1949 में जब क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के नेता कानराड आडनआवर ने प्रथम मिली-जुली सरकार का निर्माण किया तो जर्मन पार्टी के दो सदस्यों को भी मंत्री बनाया गया। हाईनरिच हेलवेगे को बुन्देसराट मामलों का मंत्री तथा हान्स क्रिस्टोफ सीबोह्म को परिवहन मंत्री बनाया गया। सीबोह्म करीब 15 वर्ष तक मंत्री पद पर बना रहा।

1961 में जर्मन पार्टी तथा रिफ्यूजी पार्टी ने मिल कर समग्र जर्मन पार्टी का निर्माण किया लेकिन बुन्देस्टाग के चुनावों में इसे सिर्फ 2 8 प्रतिशत मत मिले अतः उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। 1965 के बुन्देस्टाग के चुनावों में समग्र जर्मन पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किये। इसके बाद संघीय स्तर पर यह पार्टी गायब हो गई। कुछ राज्यों में इसका प्रभाव बना रहा।

शरणार्थी दल

शरणार्थी दल 'समग्र जर्मन गुट, निष्कासित एवं मताधिकारहीन व्यक्तियों का (जी बी/बी एच ई)' इतने बड़े नाम वाला शरणार्थी दल 1950 में स्थापित

हुआ । कुछ वर्षों तक यह संघीय स्तर पर सक्रिय रहा और फला-फूला । 1953 के चुनावों में इस बुन्डेस्टाग में 6 प्रतिशत मत मिले । बाद में इसका प्रभाव में कमी आई और 1961 में जमन पार्टी में इसका विलय हुआ तथा समग्र जमन पार्टी के रूप में नया दल बना ।

शरणार्थी-दल ने पूर्वी जमन क्षेत्र से निष्कासित जमन व्यक्तियों के हितों की रक्षा का बीड़ा उठाया । 1953 में शरणार्थी दल के नेता वाल्डमार क्राफ्ट को विशेष कार्यों का मंत्री बनाया गया । इस दल के प्रमुख नेता थे —थियोडोर ओबर लैन्डर तथा फ्रेडरिक वान कामर । ज्यों-ज्यों निष्कासित व्यक्ति पश्चिम जमनी के समाज में घुलते मिलते गये त्यों-त्यों दल प्रभावहीन होता गया । इसके कुछ प्रमुख सदस्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में मिल गये और कुछ जमन पार्टी में ।

साम्यवादी दल

हिटलर की पराजय तथा जमनी के चार भागों में विभाजन के तुरन्त बाद जिन दलों को पुनः राजनीति में प्रवेश की स्वीकृति दी गई उनमें साम्यवादी दल प्रमुख था । 1945 से 1948 के बीच राज्यों की विधान-सभा के चुनावों में साम्यवादी दल को 8 से 9 प्रतिशत मत मिले लेकिन जब पूर्वी जमन क्षेत्र में साम्यवादी दल ने सरकार बनाई तथा वहां स्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने साथ मिलकर सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी बनाने को मजबूर किया तो यह दल पश्चिम जमनी में अलोकप्रिय हो गया । 1949 में जब बुन्डेस्टाग के लिए चुनाव हुए तो साम्यवादी दल को 5 प्रतिशत से अधिक मत मिले और 15 साम्यवादी प्रतिनिधि सदन में पहुँचे । लेकिन 1953 के आम चुनावों में इसे 2 प्रतिशत से कुछ अधिक मत मिले और चुनाव कानून की पांच प्रतिशत धारा के अन्तर्गत साम्यवादी बुन्डेस्टाग में प्रतिनिधित्व पाने से वंचित रह गए । इस दल के प्रमुख नेताओं में थे मैक्स रीमान तथा हाइन्ज रेनर । ये दोनों संसद्-सदस्य भी थे ।

साम्यवादी दल की एक युवक शाखा भी थी । इसका नाम था फ्री जमन यूथ । साम्यवादी युवकों ने संगठित प्रदर्शनों द्वारा गड़बड़ उत्पन्न करने का प्रयास किया तथा अशान्ति फैलाई । इससे क्रुद्ध होकर सरकार ने साम्यवादी युवक शाखा पर प्रतिबन्ध लगा दिया । सरकार ने साम्यवादी दल पर भी यह आरोप लगाया कि यह दल विदेशी शक्तियों का विरोध करता है तथा जनतांत्रिक संघीय सरकार को हिंसा व गैर-कानूनी ढंग से उखाड़ना चाहता है । मामला संघीय संवैधानिक न्यायालय में पेश हुआ तथा 1956 में न्यायालय ने साम्यवादी दल को गैर-कानूनी घोषित किया । बारह वर्ष बाद सितम्बर 1968 में पश्चिम जमनी में एक नवीन साम्यवादी दल का गठन किया गया ।

जमन दक्षिणपंथी पार्टी

यह दल लोअर सैक्सनी नामक राज्य में सक्रिय था । प्रथम आम चुनाव में

इस दल के प्रतिनिधि बुंदेसटाग में पहुंचने में सफल रहे। इन्होंने नात्सियों को दी गई सजा का विरोध किया मित्र राष्ट्रों पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया तथा उग्र जर्मन राष्ट्रवाद का समर्थन किया। 1952 में इस दल के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया।

सोशलिस्ट राईश पार्टी

1949 में इस पार्टी का गठन हुआ। यह पार्टी नात्सी समर्थक पार्टी थी अतः भूतपूर्व नात्सी लोग निष्कासित व्यक्ति तथा युद्धबन्दी इस दल की ओर आकर्षित हुए। इस दल के प्रमुख नेता थे—डा. फ्रिट्ज डार्लस जनरल आटो अर्न्स्ट रेमर वाल्फ काउण्ट फान वेस्टाप तथा डा. गरहार्ड क्रयूगर—ये सब लोग हिटलर के नात्सी दल या विविध रक्षक दलों से सम्बद्ध थे। 1951 में लोअर सेक्सनी राज्य की विधान-सभा के चुनावों में इस दल को 11 प्रतिशत तथा ब्रमन नगर राज्य में 8 प्रतिशत के लगभग मत मिले। नात्सी लोगों के इस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए संघीय सरकार ने नवम्बर 1951 में संघीय संवैधानिक न्यायालय में मुकदमा पेश करते हुए इस दल पर हिंसा फैलाने तथा बेसिक ला का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश से अक्टूबर 1952 में इस दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

जर्मन राईश पार्टी

सोशलिस्ट राइश पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद उसके पद चिह्नों पर ही जर्मन राइश पार्टी का निर्माण किया गया। इसका नेता था—एडोल्फ फान थाडेन। पहले यह व्यक्ति जर्मन दक्षिण-पंथी दल की ओर से बुन्डेसटाग का सदस्य था। 1953 व 1957 के चुनावों में जर्मन राईश पार्टी को काफी मत मिले लेकिन वे 5 प्रतिशत से कम थे। राइनलैण्ड-पेलटीनेट नामक राज्य के न्यायालय ने इस दल पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी

1964 में इस पार्टी का जन्म हुआ और अगले ही वर्ष 1965 के चुनावों में इसे राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिशत मत मिले। इसका नेता वही एडोल्फ फान थाडन था। आगामी वर्षों में कई राज्यों में इस दल को विधान-सभाओं में स्थान मिला लेकिन संघीय स्तर पर इसे 5 प्रतिशत मत न मिलने के कारण बुन्डेसटाग में कोई प्रतिनिधित्व न मिल सका। इस दल को भी नव नात्सी दल कहा जाता है लेकिन ऐसे छोटे-मोटे दक्षिण-पंथी दलों से फेडरल जर्मनी को किसी प्रकार कोई खतरा प्रतीत नहीं होता। इन दलों को राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकप्रियता भी प्राप्त नहीं है।

प्रादेशिक पुनरचना-संघ

प्रादेशिक पुनरचना-संघ नामक दल कुछ वर्षों तक बवेरिया में लोकप्रिय रहा

लेकिन दल के भीतर आपसी मतभेदों के कारण शीघ्र ही यह प्रभावहीन हो गया।

सेन्टर पार्टी

पुरातन सेन्टर पार्टी वाइमार-गणतन्त्र की सेन्टर पार्टी की ही प्रतिरूप है लेकिन इसमें कुछ वामपक्षी स्वभाव के लोग रहे। यही कारण है कि यह सेन्टर-क्षेत्रों में विशेषकर रूर क्षेत्र में श्रमिकों में लोकप्रिय रहा। यह उल्लेखनीय है कि धार्मिक व सामाजिक प्रश्नों पर सेन्टर पार्टी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया तो धर्म संस्कृति तथा शिक्षा के मामलों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ मतदान किया। प्रथम बुन्डेस्टाग में इस दल के 10 सदस्य थे। वैसे इस दल का प्रभाव नार्थ राइन-वेस्टफालिया राज्य में ही अधिक रहा। क्रमशः यह प्रभावहीन हो गया।

बवेरियाई पार्टी

बवेरियाई पार्टी एक कट्टर पृथकता-पंथी दल है जैसा कि नाम से ही विदित है। यह बवेरिया में संगठित है और इसका नारा है बवेरिया बवेरिया के वासियों के लिए। यह दल बवेरिया को एक स्वतन्त्र राज्य मानता है। इसके नेता हैं—डा. जोसेफ बाउम गार्टनर जो बवेरियाई परम्परा पर जोर देने एवं मुख्य सत्ताधारी तथा स्थानीय कृषकों के हितों का समर्थक है। 1949 में इस दल को बवेरिया में 21 प्रतिशत मत मिले तथा प्रथम बुन्डेस्टाग में इसके कुछ सदस्य भी थे। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रभावहीन हो गया लेकिन बवेरिया में अब भी इसका प्रभाव है।

समग्र जर्मन जनता पार्टी

समग्र जर्मन जनता-पार्टी का गठन 1952 में हुआ। इसके संस्थापक थे—डा. गुस्ताफ हेनमान तथा श्रीमती हेलन वेसल। डा. हेनमान पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य थे तथा प्रथम बुन्डेस्टाग के सदस्य और एडेनॉवर मन्त्रिमण्डल में गृह मन्त्री भी थे। 1950 में उन्होंने नीति में मतभेद होने के कारण मन्त्री-पद से त्यागपत्र दे दिया। वह पहले और अन्तिम मन्त्री थे जिन्होंने जर्मनी में त्यागपत्र दिया है। यह दल अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाया और 1957 में इसे भंग कर दिया गया। डा. हेनमान तथा श्रीमती (फ्रा.) वेसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर बुन्डेस्टाग के लिए चुने गए। बाद में डा. हेनमान इसी दल की ओर से राष्ट्रपति चुने गए।

तीन प्रमुख दल

यह उल्लेखनीय है कि ऊपर लिखित 21 दलों में से अपेक्षाकृत बहुत कम राजनीतिक दलों को बुन्डेस्टाग में प्रतिनिधित्व मिला। बाद में इनकी संख्या क्रमशः कम होती गई और सिर्फ तीन दल ही बुन्डेस्टाग में रह गये। इन दलों के नाम इस प्रकार हैं —

(1) सोशल डमाक्रेटिक पार्टी (एस पी डी)
(2) क्रिश्चियन डमाक्रेटिक यूनियन (सी० डी० यू बवरिया का क्रिश्चियन सोशल यूनियन भी बुन्डेस्टाग म इसी दल के साथ मिल कर काय करती है। प्रस्तुत पुस्तक म दोनो दलो के लिए एक ही नाम का प्रयोग करेंगे)
(3) फ्री डमाक्रेटिक पार्टी (एफ डी पी)

निम्नांकित पृष्ठो म हम इन तीन महत्वपूर्ण दलो के बारे म विस्तार से चर्चा करेंगे।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी

यूरोप के समाजवादी आन्दोलन म जमन सोशल डमाक्रेटिक पार्टी का महत्त्व पूर्ण योगदान रहा है। यह यूरोप के प्राचीनतम समाजवादी दलो म से एक है। जमनी के राजनीतिक दलो म भी यह दल सबसे अधिक अनुशासित एव प्राचीन है। इस दल को 1871 के बाद बिस्मार्क का तथा 1933 के बाद हिटलर के दमन का सामना करना पडा। इनके सदस्यो पर प्रतिबंध लगाया गया समाचार-पत्रों का प्रकाशन रोक दिया गया। सभाओ पर पाबन्दी लगी तथा इसके सदस्यो पर क्रूर अत्याचार किये गये। इनके बावजूद दल के सदस्य निष्ठापूवक अपने राजनीतिक बन्धन एव आन्दोलन को बनाये रहे।

सोशल डमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास 100 वष से अधिक प्राचीन है। इसकी स्थापना 1863 म हुई। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस दल के इतिहास को पाच भागो में विभाजित किया जा सकता है—

(1) प्रारम्भिक अवस्था 1863–1891
(2) विकास का युग 1891–1905
(3) जन आन्दोलन का सगठित रूप 1905–1933 (तत्पश्चात् 12 वष तक दल गैरकानूनी घोषित रहा)
(4) द्वितीय युद्ध के पश्चात् पुनगठन 1945–1959
(5) मध्यम माग की नीति 1959–1977

प्रारम्भिक अवस्था

फर्दिनेंड लासाल नामक व्यक्ति ने 1 माच 1863 म जमन श्रमिक-सघ नामक एक दल का गठन किया। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक स्वर्गीय कार्ल काउत्स्की के अनुसार— यदि जमन समाजवादी दल की उत्पत्ति को एक व्यक्ति का काय माना जाए तो यह दल फर्दिनेंड लासाल का काय था। 23 मई 1863 म समस्त जमनी से 15 समाजवादी प्रतिनिधि लाइप्जिग नामक नगर म एकत्रित हुए और उन्होने अपने दल का नाम समग्र जमन श्रमिक-सघ' रखा। लासाल भी इन प्रतिनिधियो म से एक था। यही दल 1869 म सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के रूप म गठित किया

गया । इस प्रकार लासाल इस दल का संस्थापक तथा जनक था तथा आज तक इस दल पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप है ।

यद्यपि लासाल को समाजवाद में आस्था थी लेकिन वह मार्क्स से जो जर्मनी में पैदा हुआ सिद्धान्तों से पूर्णतः सहमत नहीं था । यही कारण है कि मार्क्स व एंगेल्स में उसको नापसन्द थे । इन्होंने तो लासाल को भावी श्रमिक-तानाशाह तक कहा । शीघ्र ही लासाल के आगुस्ट बेबल व विल्हेल्म लीबक्नेख्त नामक दो सहयोगी मित्र जिन्होंने जर्मन समाजवादी आन्दोलन को विचार भूमि प्रदान की तथा इस प्रगति की ओर अग्रसर किया । विल्हेल्म लीबक्नेख्त ने 1848 की जर्मन क्रांति में भाग लिया तथा उसे भाग कर लन्दन में शरण लेनी पड़ी जहाँ वह 1862 तक रहा । बाद में वह लौट कर जर्मनी आ गया । आगुस्ट बेबल (1840–1913) ने लगभग जर्मनी में समाजवादी आन्दोलन को गति प्रदान की । लासाल के खेमे में एक नवीन व्यक्ति ने भी प्रवेश किया जिसका नाम था जोहान बेप्टिस्ट फान श्वाइट्जर । इस व्यक्ति का झुकाव बिस्मार्क की ओर था । यही कारण है कि लीबक्नेख्त व बेबल से उसका मतभेद हो गया जिसके फलस्वरूप दो दल बन गए । लासाल की मृत्यु के बाद दोनों दलों में मतभेद और बढ़े ।

7 अगस्त 1869 को आइजनाख नगर में बेबल के दल ने एक नवीन दल का गठन किया जिसका नाम सोशल डेमोक्रेटिक लेबर-पार्टी रखा गया । लेकिन शीघ्र ही दोनों दलों लासालवादियों तथा आइजनाखवादियों को समझ में आ गया कि आपसी संघर्ष द्वारा वे न केवल अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं वरन् पुलिस के दमन चक्र के भी शिकार हो रहे हैं । एकता द्वारा वे पुलिस दमन का दृढ़तापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं । 22 मई 1875 में गोथा नामक नगर में दोनों दलों ने मिलकर नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम सोशल लेबर पार्टी ऑफ जर्मनी रखा गया । नवीन दल में जनतान्त्रिक समाजवाद तथा साम्यवादी सिद्धान्तों का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया गया था । दल के कार्यक्रमों के इतिहास में गोथा कार्यक्रम (1875) एक मील का पत्थर है ।

गोथा-कार्यक्रम के अनुसार— श्रम ही समस्त धन तथा समस्त संस्कृति का आधार है और सामान्य तथा सारा उपयोगी श्रम सिर्फ समाज द्वारा ही संभव बनाया जाता है अतः समस्त धन और संस्कृति समाज यानी उसके समस्त सदस्यों की सम्पत्ति है वर्तमान समाज में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपति-वर्ग का एकाधिकार है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों को सभी प्रकार की दासता विपत्ति तथा गुलामी का शिकार होना पड़ता है । इस घोषणा में साम्यवादी प्रभाव का स्पष्ट संकेत है लेकिन इसके द्वारा प्रस्तुत मांगें जनतान्त्रिक प्रगति की ओर संकेत करती हैं । ये मांगें इस प्रकार हैं—

(1) सार्वत्रिक समान प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान द्वारा सभी विधायी सभाओं का चुनाव किया जाये ।

(2) जनता द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे चुनाव करने का अधिकार हो।
(3) युद्ध तथा शांति सम्बन्धी निर्णय जनता द्वारा लिये जायें तथा
(4) संकटकालीन व असाधारण कानूनों को समाप्त किया जाए।

इस प्रकार गोथा-कार्यक्रम द्वारा एक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना की माग की गई। मार्क्स और एंगेल्स इस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम को लासालेवादियों के प्रति आत्म-समर्पण बताया। समाजवादियों की उत्तरोत्तर बढ़ती लोकप्रियता से जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क घबरा उठा। वह ऐसे अवसर की तलाश में था जिसका लाभ उठाकर समाजवादियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। 1878 में जर्मन सम्राट की हत्या के दो असफल प्रयास किए गए। तत्काल बिस्मार्क ने समाजवादियों पर हत्या के षड्यन्त्र का आरोप लगाया तथा 19 अक्टूबर 1878 में समाजवाद विरोधी कानून पारित किया गया। इस कानून द्वारा चांसलर ने सभी श्रमिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके अखबार जब्त कर लिए गए तथा समाजवादियों द्वारा सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई। प्रति दो वर्ष बाद इस कानून का नवीकरण किया गया और इस प्रकार 1890 तक यह कानून जारी रहा। दल के अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या देश से निष्कासित कर दिया गया।

1890 में केजर (सम्राट) विलियम द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने बिस्मार्क के साथ मतभेद होने के कारण समाजवाद विरोधी कानून को समाप्त कर दिया। 1878 से 1890 तक समाजवादियों ने अपनी गतिविधियां जारी रखी तथा वे निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव भी लड़ते रहे। प्रतिबंध हटने के एक वर्ष बाद (1891) समाजवादियों ने एरफुर्ट नगर में दल का सम्मेलन बुलाया। एरफुर्ट-कार्यक्रम पर समाजवादी नेता कार्ल काउटस्की के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। यह मार्क्सवाद से प्रेरित था और इस प्रकार इस कार्यक्रम पर साम्यवादी घोषणा-पत्र (कम्युनिस्ट मनीफेस्टो) का प्रभाव दीख पड़ता है। लेकिन कई मांगें ऐसी भी रखी गईं जिससे दल का सुधारवादी तबका संतुष्ट रहे। संक्षेप में एरफुर्ट कार्यक्रम में भी समन्वय की विचारधारा स्पष्ट है फिर भी एरफुर्ट-कार्यक्रम गोथा कार्यक्रम की तुलना में मार्क्सवाद से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित था।

जर्मन समाजवादी आन्दोलन प्रारम्भ में ही दो भिन्न धाराओं के बीच डूबता उतरता रहा। एक ओर लासाल, श्वाईट्जर, बर्नस्टाईन तथा फोलमार जैसे व्यक्ति थे जो जनतांत्रिक समाजवाद के पोषक थे दूसरी ओर लीबक्नेख्त, बेबेल तथा काउटस्की जैसे लोग थे जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। दोनों पक्षों में कार्यक्रम व दलीय संगठन के मुद्दों को लेकर भारी मतभेद था। इस प्रकार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास एक द्वंद्व-परम्परा का शिकार रहा है। कभी उसमें कार्यक्रम सुधार अधिक थे तो कभी मार्क्सवाद का अधिक पुट उसमें दिखाई दिया। लेकिन एक

पूरे 14 वर्ष तक यह दल एक प्रभावशाली दल के रूप में बना रहा लेकिन शीघ्र ही साम्यवादी दल ने अपनी स्थिति मजबूत करने में सफलता प्राप्त कर ली। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा निर्मित गोरलित्ज कार्यक्रम दल की दार्शनिक परम्परा तथा कार्यक्रम के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

हिटलर के सत्ता में आने (1933) के पूर्व 1920 से 1933 के बीच जर्मनी में 21 मंत्रिमण्डल बने और बिगड़े। इनमें सिर्फ एक सोशल डेमोक्रेट चान्सलर बना। इसका नाम हर्मन म्यूलर था जिसने 1928 से 1930 तक शासन किया। लेकिन जिला तथा राज्य-स्तर पर समाजवादियों ने कई बार सरकारों का निर्माण किया। हिटलर जर्मनी के राजनीतिक क्षितिज पर एक धूमकेतु की भांति उदय हुआ और 12 वर्ष (1933–1945) तक अन्य दलों की भांति समाजवादी दल पर भी रोक लगा दी गई। यह उल्लेखनीय है कि जब हिटलर ने एनेबलिंग एक्ट के माध्यम से समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में केन्द्रित करनी चाही तो राईशटाग (जर्मन लोक सभा) में सिर्फ 93 सोशल डेमोक्रेट सदस्यों ने ही उसका विरोध किया।

1945 के बाद

वाईमार जनतन्त्र की अवधि में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मार्क्सवाद से काफी प्रभावित रही यद्यपि वह मार्क्सवाद क्रांतिकारी न होकर समयोचित परिवर्तनों का समर्थक ही रहा। लेकिन फिर भी जब कभी किसी समस्या का सैद्धान्तिक आधार ढूंढना और उसका समाधान करना होता तो मार्क्सवाद के शस्त्रागार से हथियार निकालने की आवश्यकता पड़ती। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी मार्क्सवादी परम्परा का प्रभाव बना रहा। 1945 में जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का पुनर्गठन हुआ तो उसका नेतृत्व कुर्ट शूमाखेर नामक व्यक्ति के हाथ में आया। यह व्यक्ति वाईमार गणतन्त्र के जमाने से ही सक्रिय समाजवादी था तथा इसने अपना जीवन एक सम्पादक के रूप में आरम्भ किया था। शूमाखेर 1924–1931 तक व्यूरटम्बर्ग राज्य की विधानसभा का सदस्य रहा तथा 1930–33 तक जर्मन राइशटाग का सदस्य। वह इतना निर्भय था कि इसने गोएबल्स को ढीठ बौना कहने का साहस किया। हिटलर ने शूमाखेर को यातना केन्द्र (कन्सनटेशन कैम्प) में भेज दिया जहाँ बीमारी की अवस्था में इसकी एक टांग व एक हाथ खराब हो गये। 1948 में उसकी बाईं टांग काटनी पड़ी। शूमाखेर एक निष्ठावान् तथा उद्देश्यों से युक्त नेता था साथ ही वह व्यंग्य व कटुता से परिपूर्ण तथा समझौता विरोधी दृष्टिकोण वाला था। 1952 में उसकी मृत्यु हो गई। शूमाखेर को जर्मन राजनीति का मार्टिन लूथर कहा गया है।

कुर्ट शूमाखेर की मृत्यु के पश्चात् एरिख ओलेनहावर दल का नेता बना। वह नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। नात्सी युग में वह प्राग पेरिस व लन्दन में निर्वासित व्यक्ति के रूप में रहा। ओलेनहावर 1949 से 1963 (मृत्यु-पर्यन्त) बुन्देसटाग का सदस्य रहा।

1964 मे विलि ब्राण्ट सोशल डमोक्रटिक पार्टी का अध्यक्ष बना लेकिन इसक पूव 1961 क चुनाव मे उसने अपन दल की ओर स चुनाव लडा तथा बहुमत प्राप्त करन की स्थिति म वह चा सलर पद का प्रत्याशी था। ब्राण्ट हिटलर के काल म क्रूर दमन चक्र स बचन के लिए नार्वे चला गया था तथा उसने वहा की नागरिकता प्राप्त करली थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद वह नार्वे की ओर स राजदूतावास म सूचना अधिकारी बन कर आया। शीघ्र ही उसने पुन जमनी की नागरिकता स्वीकार कर ली तथा बर्लिन स्थित सोशल डमाक्रटिक पार्टी म सक्रिय हो गया। शीघ्र ही वह पश्चिमी बर्लिन का मेयर बन गया और अपने गतिशील व्यक्तित्व क कारण उसने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। 1966 म वह क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन व साशल डमोक्रटिक पार्टी द्वारा निर्मित मिले जुल मन्त्रिमण्डल म वाईस चान्सलर (उप प्रधानमन्त्री) तथा विदेश मन्त्री बना। तीन वर्ष बाद ब्राण्ट चान्सलर बना तथा 1974 मे इसने चान्सलर पद स इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात् इसी दल का हेल्मुठ श्मिडट चान्सलर-पद पर आसीन हुआ।

इसक अतिरिक्त फ्रिटज एलर तथा हबर्ट वेहनर गुस्टाफ हाइनेमान तथा कार्लो श्मिन्ट नामक व्यक्ति साशल डमाक्रटिक पार्टी म काफी प्रभावशाली रह। 1967 म एलर की मृत्यु हो गई। वह सुधारवादी प्रवत्ति का व्यक्ति था। हबर्ट वेहनर आज भी दल के सगठन म प्रभावशाली स्थान रखता है। गुस्टाफ हाइनेमान ने पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति पद का भी सुशोभित किया था।

सोशल डेमोक्रटिक कार्यक्रम

युद्धोत्तर काल म साशल डमोक्रटिक पार्टी के कार्यक्रम का सम्यक अध्ययन करने की दृष्टि से उसे दो भागो मे बाटना उचित होगा। यह वर्गीकरण इस प्रकार है—

(1) समाजवादी सिद्धान्तो पर अधिक बल (1945 1958)।

(2) जनतान्त्रिक समाजवाद की ओर (1959–1977)।

प्रथम काल मे सोशल डमाक्रटिक पार्टी ने उत्पादन वितरण तथा विनिमय के साधनो पर राज्य के नियन्त्रण की बात की तथा राष्ट्रीयकरण की माग पर जोर दिया तथा अर्थ व्यवस्था पर सामाजिक नियन्त्रण की वकालत की। समाज को व्यक्ति से ऊपर माना गया। दल अत्यधिक सिद्धान्तवादी था और परम्परागत रूढि पर चलने को तत्पर था। उसने देश के बदलते स्वरूप व परिस्थितियो पर अधिक ध्यान नही दिया खास कर कुर्ट शूमाखर के समय ऐसा सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1952 म स्थिति म कुछ परिवतन आया। ऑलेनहावर यद्यपि सद्धान्तिक दृष्टि स शूमाखर क निकट था लेकिन उसकी व्यावहारिक बुद्धि के कारण कार्यक्रम मे समन्वय व समझौते के लिए कुछ स्थान रहा। 1956 क बाद दल के नेतृत्व ने अनुभव किया कि यदि दल के कार्यक्रम म जनतान्त्रिक सिद्धान्तो को यथोचित स्थान नही दिया गया तो वह न केवल अलोकप्रिय रहेगा वरन् निकट

भविष्य में सत्ता प्राप्ति का सपना सपना ही रह जाएगा। निरंतर चिन्तन विचार विमर्श तथा सलाह के बाद 1959 में बाडगोडसबर्ग नामक नगर में (आज यह बान नगर का हिस्सा है) सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इसमें राष्ट्रीयकरण एवं राज्य के नियंत्रण को बहुत कम महत्त्व दिया गया तथा समाज की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया।

1959 के बाडगोडसबर्ग कार्यक्रम की स्वीकृति के साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी प्रवृत्ति की निर्णायक जीत हुई और राष्ट्रीयकरण के समर्थकों को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। तत्पश्चात् दल की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई।

राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

जैसाकि स्पष्ट किया जा चुका है जर्मन समाजवादी आन्दोलन विभिन्न विचारधाराओं—साम्यवादी और संशोधनवादी—के बीच झूलता रहा है। यही बात युद्धोत्तर जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में लागू होती है। राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त समाजवाद के सिद्धान्तशास्त्रियों के लिए एक पवित्र सिद्धान्त रहा है। 1945 से 1952 के बीच दल ने अधिकाधिक उत्पादन-साधनों के राष्ट्रीयकरण की वकालत की तथा यह प्रवृत्ति बराबर जारी रही। 1949 के बाद जब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू) की सरकार ने बाजार अर्थनीति का अनुसरण किया तो उसकी निंदा की गई तथा इसे पूंजीपतियों के एकाधिकार की पुनर्स्थापना की संज्ञा दी गई। साथ ही साथ यह माँग की गई कि राईन तथा रूर क्षेत्र में स्थित प्रमुख उद्योगों को निजी हाथों में से निकाल कर सार्वजनिक नियंत्रण में दे दिया जाय। समाजवादी राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का राग अलापते रहे लेकिन तत्कालीन सी डी यू सरकार ने मुक्त व्यापार तथा निजी उद्योगों की सहायता से देश में आर्थिक पुनर्रचना के कठिन कार्य को संभव कर दिखाया। 1953 में दुबारा चुनाव हुए और जनता ने समाजवादियों से अधिक मत क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को दिए। 1953–57 के बीच और अधिक आर्थिक उन्नति हुई और द्वितीय महायुद्ध में नष्टप्राय एवं ध्वस्त जर्मनी को पुनः एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया गया। यह सब मुक्त अर्थ-व्यवस्था, स्वतंत्र बाजार और निजी उद्योगों की सहायता से ही संभव हो पाया। अतः जनता सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को क्यों वोट देने लगी? समाजवादी दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। सिर्फ राष्ट्रीयकरण या नियोजित विकास के नारों की रट से तो मत मिलते नहीं। इसी बीच 1957 में तीसरे आम चुनाव हुए जिसमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटों को और अधिक वोट मिले। समाजवादियों की निराशा का पारावार न रहा। उन्हें मजबूर होकर राष्ट्रीयकरण के पुरातन नारे को छोड़ना पड़ा। 1959 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाडगोडसबर्ग कार्यक्रम बनाया जो समाजवादी कम और जनतांत्रिक अधिक था। इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक ब्रिटिश लेखक ने तो यहाँ तक कहा कि बाडगोडसबर्ग

कार्यक्रम को जिसके अनुसार दल का—[illegible] तथा संविधान माना जाता है—से स्वीकार किया। प्रोफेसर स्मिथ लम्के एवं और शानमान के अनुसार पश्चिम जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का यह कार्यक्रम सुधार हुआ है वह सामाजिक [illegible] से [illegible] वाद है। दल द्वारा [illegible] अनुमान [illegible] में 1965 में पूछा गया कि आप किस व्यक्ति से अधिक प्रभावित हैं तो [illegible] ने मार्क्स का नाम लिया न [illegible] का, न [illegible] का वरन् [illegible] कहा कि वह [illegible] तथा [illegible] को [illegible] व्यक्ति मानता है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि समाजवादियों ने संविधान [illegible] का त्याग किया है।

धर्म व चर्च के प्रति दृष्टिकोण

समाजवादियों तथा पादरियों में आरम्भ से ही आपसी विरोध व घृणा रही है। 19वीं व 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जर्मन समाजवादियों की यह भावना रही है कि चर्च या पादरी-वर्ग शोषक-वर्ग का मित्र है। दूसरी ओर चर्च भी बराबर यह भावना रखता था कि मार्क्सवादी चर्च के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही कारण है कि अधिकांश कैथोलिक धर्म के अनुयायी समाजवादियों को वोट नहीं देते थे। [illegible] में भी आरम्भ में यही स्थिति बनी रही। 1945 के बाद जिन समाजवादियों के हाथ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व था उनमें से अधिकांश [illegible] धर्म के पालन को [illegible] थे। लेकिन दूसरी ओर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी. डी. यू.) नामक राजनीतिक दल ने तो अपने नाम में ही क्रिश्चियन शब्द जोड़ रखा था और धर्म के प्रति श्रद्धा रखना इस दल का ध्येय था। इससे समाजवादियों को नुकसान होता। धीरे-धीरे समाजवादियों ने धर्म विरोधी दृष्टिकोण को छोड़ना आरम्भ किया। उन्होंने चर्च के साथ मैत्री की भावना रखी। इसका कारण यह था कि [illegible] चुनावों में कैथोलिकों के वोटों के कारण ही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का साथ दिया था। धार्मिक लोगों के विश्वास को जीतना जरूरी था। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने घोषणा की कि समाजवाद कोई स्थानापन्न धर्म नहीं है वह तो एक विचार धारा है। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि दल ईसाइयों व धार्मिक संस्थाओं का आदर करता है। इतना ही नहीं समाजवादी नेताओं ने पादरियों को [illegible] में आना आरम्भ किया तथा [illegible] में [illegible] का प्रयास किया कि वे धर्म विरोधी नहीं हैं वरन् धार्मिक सहिष्णुता के भारी समर्थक हैं।

शिक्षा और कला

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा-व्यवस्था की समर्थक रही है। 1946 में बर्लिन के दल ने घोषणा की कि शिक्षा-व्यवस्था सर्वांगीण होनी चाहिए। एक ओर विशेषज्ञ उत्पन्न करने हैं तो दूसरी ओर उन्हें विषयों ■ चरित्र तथा

राजनीतिक चेतना फूकनी होगी। सोशल डेमोक्रेटो की मान्यता थी कि शिक्षा का उद्देश्य स्वतन्त्र विचार सहिष्णुता तथा सामाजिक दायित्व के प्रति जन चेतना का जाग्रत करना है। इन्होंने माग की कि शिक्षण संस्थाओं के व्यवस्थापन में अभिभावक तथा छात्रो को सह निर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। शिक्षा-व्यवस्था की सफलता इसी बात में निहित है कि वह बौद्धिक स्वतन्त्रता तथा जनतान्त्रिक भावनाओं का सुदृढ कर तथा साथ ही साथ अन्तरराष्ट्रीय बन्धुत्व के विचारो का प्रोत्साहन भी दे।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 1959 के कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगो को स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए स्कूलो तथा विश्वविद्यालयों के युवको में पारस्परिक सद्भाव सहिष्णुता व सम्मान की भावना भरनी चाहिए। युवको को स्वतन्त्रता तथा सामाजिक दायित्व के साथ ही साथ जनतन्त्र के आदर्शों और अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव का पाठ भी पढाया जाना चाहिए इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में आदर्श नागरिक की शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

दलीय सगठन

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक बहुत ही सुसगठित दल है तथा दल की कार्यवाही जनतान्त्रिक तरीको पर आधारित है। जर्मनी में सगठन की दृष्टि से राजनीतिक दलो को दो वर्गों में बाटा जाता है

(1) सदस्योन्मुख दल

(2) चुनावोन्मुख दल।

प्रथम वर्ग का दल सगठन में सदस्यों को अधिक महत्त्व देता है जबकि दूसरे वर्ग का दल चुनावो में अधिक दिलचस्पी रखता है और सगठन में कम। 1972 में इस दल के 9 00 000 सदस्य थे। यही कारण है कि इसे सदस्योन्मुख दल के नाम से जाना जाता है। यदि जर्मनी के तीन प्रमुख राजनीतिक दलो की तुलना की जाए तो विदित होगा कि 1964 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 78 484 सदस्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के 3 00 000 तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग 80 000 सदस्य थे।

दल की रचना

वाइमार-गणतन्त्र में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 20 जिला इकाइयो में बटी थी और आज भी यही स्थिति है। जिलो से नीचे स्थानीय इकाई क्षेत्र विशेष की ... आदि इकाइया हैं। राज्य-स्तर पर तथा सघ स्तर पर भी इसका गठन होता है। सघ स्तर पर पार्टी काग्रेस इसका सर्वोच्च अग होता है। पार्टी काग्रेस मा ... में 300 सदस्य होते हैं जो विभिन्न जिलो व राज्यो के प्रतिनिधि होते हैं।

इसमें दल की कार्यकारिणी तथा नियंत्रण आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त ससदीय दल या सलाहकार के रूप में पार्टी कांग्रेस में भाग लेता है।

पार्टी कांग्रेस (अधिवेशन)

हर दूसरे वर्ष पार्टी कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन दल की कार्यकारिणी करती है। पार्टी-कांग्रेस से पूर्व सभी प्रतिनिधियों के परिचय पत्र की जांच होती है। नये नेताओं का चुनाव होता है तथा कई विधि नियम निश्चित किये जाते हैं। अधिकांश मामले सामान्य बहुमत से तय किये जाते हैं तथा पार्टी के संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रति दूसरे वर्ष दल की नई कार्यकारिणी का चुनाव होता है साथ ही दल के नियंत्रण आयोग का निर्वाचन भी होता है।

प्रतिनिधियों को अधिकार है कि पार्टी कांग्रेस के आयोजन से पांच सप्ताह पूर्व प्रस्ताव भेजें। ये प्रस्ताव कार्यकारिणी को दिये जाते हैं। सारे प्रस्ताव सामान्यतः इसके लिए पार्टी के साप्ताहिक पत्र फारवर्ट्स में तीन सप्ताह पूर्व प्रकाशित होते हैं।

सकटकाल में पार्टी कांग्रेस का असाधारण सम्मेलन बुलाया जा सकता है।

कार्यकारिणी

दल की कार्यकारिणी में अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, अतिरिक्त कोषाध्यक्ष तथा निश्चित संख्या में सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। लेकिन दल के संविधान के अनुसार कार्यकारिणी में कम से कम चार महिलाएं अवश्य होनी चाहिए। कार्यकारिणी अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रसीडियम का चुनाव करती है जिसकी सदस्य-संख्या पार्टी कांग्रेस द्वारा निश्चित की जाती है।

कार्यकारिणी दल के सुचारु प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होती है। दल की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों पर नियंत्रण रखती है। वह जब भी चाहे दल के हिसाब की माप-दण्ड की जांच कर सकती है।

परिषद

दल के संघीय स्वभाव की सुरक्षा के लिए कार्यकारिणी के अतिरिक्त एक परिषद् की भी व्यवस्था की गई है। इस परिषद् में निम्नलिखित प्रतिनिधि शामिल होते हैं—

(1) जिला स्तर के दल के अध्यक्ष तथा इसके अतिरिक्त उसकी कार्यकारिणी के प्रतिनिधि। जिस जिले में दल के 20 हजार सदस्य होते हैं वह एक प्रतिनिधि 50 हजार सदस्यों पर दो प्रतिनिधि तथा 50 हजार से अधिक सदस्यों पर तीन प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

(2) दल की राज्य शाखा के अध्यक्ष
(3) राज्य विधान सभा दल का नेता
(4) राज्य के मुख्य-मंत्री या उप मुख्य मंत्री
(5) सघ-सरकार (यदि उनकी सरकार हो ना) के सदस्य-गण।

परिषद् के सम्मेलन का आयोजन दल की कार्यकारिणी करती है। तीन माह मे सामान्यतया परिषद् की बठक होती है लकिन परिषद् के एक तिहाई सदस्या की विशेष प्रार्थना पर असाधारण बठक बुलाई जाती है। दल की कार्यकारिणी विभिन्न विषयो—जस विदेश नीति अर्थ नीति गृह-नीति तथा पार्टी सगठन के मुद्दा पर निर्णय लेने से पूर्व परिषद् के विचार सुनता है। इस प्रकार कार्यकारिणी के निरकुश होने का खतरा टालने के लिए तथा विभिन्न राज्यो की शाखाओ को उचित महत्व देने की दृष्टि से परिषद् की स्थापना की गई है।

दल नियत्रण आयोग

सोशल डेमोक्रट लोग कार्यकारिणी के अत्यधिक प्रभावपूर्ण होने की स्थिति से बचना चाहते थे। उसके कार्यों पर नियत्रण के लिए जहा एक ओर दलीय परिषद् की स्थापना की गई वहा दूसरी ओर एक नियत्रण आयोग की रचना भी हुई जिसके 9 सदस्य होते हैं। नियत्रण आयोग का चुनाव प्रति दूसर वर्ष पार्टी काग्रेस करती है। हर तीसरे माह इस आयोग की बठक होती है। नियत्रण आयोग दल की कार्यकारिणी के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है तथा कार्यकारिणी के विरुद्ध की गई शिकायतो या अपीला की जाच करता है।

वित्तीय व्यवस्था

किसी भी राजनीतिक दल की निर्णय लेने की स्वतत्रता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्या वह आर्थिक दृष्टि से स्वतत्र है या किन्ही अन्य सस्थाओ पर निर्भर है। इस दृष्टि से सोशल डमाक्रटिक पार्टी भाग्यशाली है। इसके सदस्य नियमित रूप से दल को सदस्यता शुल्क व अन्य अनुदान देते हैं। न केवल इस दल की सदस्य सख्या अधिक है वरन् उसका सदस्यता शुल्क भी अधिक है। सदस्यता शुल्क प्रति माह चुकाना पडता है। 1964–65 म सदस्यता शुल्क की दरें इस प्रकार थी —

आमदनी	सदस्यता शुल्क प्रति माह
300 जमन मार्क	1 5 जमन मार्क
400	2
600	3
800	5
1000	7

1200 जर्मन मार्क	10 जर्मन मार्क
1500	15
1800	20
2000	30
2500	40

1963 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सदस्यता शुल्क के रूप में 145 लाख मार्क प्राप्त हुए जिसमें न केवल रोजमर्रा का व्यय पूरा हो सका वरन् कुछ सीमा तक प्रचार का खर्च भी चल सका। इस दल की तुलना में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन व फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को सदस्यता शुल्क से बहुत कम आमदनी प्राप्त होती है। साथ ही पार्टी के कार्यों पर क्रिश्चियन डेमोक्रेट लगभग 80 लाख खर्च करते हैं जो काफी कम है। इसमें से 30 लाख मार्क सदस्यता शुल्क से प्राप्त होते थे बाकी 50 लाख का खर्च अन्य संस्थाओं की सहायता से प्राप्त होता था। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी अपने लगभग समस्त व्यय के लिए उद्योगपतियों व पूंजीपतियों पर आधारित थी।

दलीय समितियां

आज का युग विशेष ज्ञान का युग है तथा विविध समस्याओं—सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक के समाधान के लिए विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी नीतियों के प्रत्यीकरण के लिए विशेष समितियों की व्यवस्था की है। ये दलीय समितियां समस्त समितियां द्वारा निर्धारित विषयों को ध्यान में रख कर बनाई जाती हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निम्नांकित विषयों पर समितियों का निर्माण किया है—शिक्षा-नीति स्त्रियां की स्थिति, युद्ध पीड़ित लोग सार्वजनिक निर्माण-कार्य रेडियो व प्रचार-नीति प्रतिरक्षा-नीति सामाजिक दशा निष्कासित व्यक्ति जर्मन-एकीकरण वित्त-नीति कर्मचारी मजदूर व परिवहन-नीति।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्व

विरोधी राजनीतिक दलों ने प्रारम्भ में इस दल की कड़ी आलोचना की तथा इसे नकारात्मक नीति के प्रतीक का पक्षपाती लेकिन धीरे धीरे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की रचनात्मक नीति के कारण उसकी प्रशंसा होने लगी। 1963 में तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के चांसलर लुडविग एरहार्ड ने यहां तक कहा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बिना आधुनिक फेडरल जर्मनी के सामाजिक राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के स्वतंत्र संगठन तथा पितृ भूमि को इस दल द्वारा दी गई सेवाओं को कोई भी व्यक्ति अवहेलना नहीं कर सकता।

1966 में तो सोशल डेमोक्रेटिक दल ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक [illegible] से मिल

कर मिली-जुली सघीय सरकार का भी निर्माण किया। 1972 म जब मध्यावधि चुनाव हुए तो स्वय सोशल डमोक्रटा न विली ब्राण्ट के नेतृत्व म सरकार का निमाण किया। जमन जनता मे जनतत्रीय भावनाओ क विकास के क्षेत्र म इस दल का भारी योगदान रहा है।

सोशल डमोक्रेट सरकार म—186[illegible] स 1977 के बीच सोशल डमोक्रटिक पार्टी को अधिकाश समय तक विरोधी दल की भूमिका निभानी पड़ी। वाइमार गणतत्र के प्रथम राष्ट्रपति फ्रीडरिच एवर्ट तथा एक बार सरकार बनान क अलावा दल को अधिकाश समय तक विरोधी दल क रूप म काय करना पड़ा। 1949 से (फडरल जमनी के निर्माण) लेकर 1966 तक यह दल विरोधी बेंचा पर बैठा (यद्यपि कई राज्यो म इसन मिला जुली सरकारो म भाग लिया)। 1966 म जब फ्री डमोक्रट लोगो ने क्रिश्चियन डमोक्रटा क साथ बन मन्त्रिमण्डल को त्याग दिया तो उनक स्थान पर सोशल डमोक्रटा न मन्त्रिमण्डल म प्रवेश किया। 1949 स 1974 तक जमन सरकार की रचना इस प्रकार रही—

वर्ष	सरकार में शामिल दलों का नाम	चासलर का नाम व दल
1949–53	क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन फ्री डमोक्रटिक पार्टी व जमन पार्टी	आडनआवर (क्रिश्चियन डमोक्रट)
1953–57	क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी व फ्री डमोक्रटिक पार्टी	आडनआवर
1957–1961	—वही—	आडनआवर
1961–1963	—वही—	आडनआवर
1963–1965	—वही—	लुडविग एरहार्ड (क्रिश्चियन डमोक्रट)
1965–66	—वही—	लुडविग एरहार्ड
1966–1969	सोशल डमोक्रट व क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी	किसिंगर (क्रिश्चियन डमोक्रट)
1969–1972	सोशल डमोक्रटिक पार्टी व फ्री डमोक्रटिक पार्टी	विली ब्राण्ट (सोशल डमोक्रट)
1972–1974	—वही—	विली ब्राण्ट
1974–	—वही—	हेलमुट श्मिडट

इस प्रकार 1966 म ही सोशल डमोक्रट क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी क साथ मिलकर सरकार म प्रवेश कर सके तथा सोशल डमोक्रटिक पार्टी के [illegible] विली ब्राण्ट वाईस चासलर (उप प्रधान मन्त्री) बने। 1969 म सोशल डमोक्रटिक पार्टी न फ्री डमोक्रटिक पार्टी क साथ मिलकर सरकार बनाई। इसम सोशल

डमाक्रेटिक पार्टी की तरफ से विली ब्राण्ट चांसलर (प्रधान मंत्री) बने। जून 1974 में विली ब्राण्ट ने त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर उनके ही दल के डा हेलमुट श्मिड्ट चांसलर बने।

सोशल डमोक्रेट राष्ट्रपति

पश्चिम जर्मनी के भिन्न राष्ट्रपतियों के नाम व कार्यकाल का अध्ययन हम राष्ट्रपति विषयक अध्याय में कर आए हैं। यहाँ हम सोशल डमोक्रेटिक दल के सदस्य डा गुस्ताफ हाइनमान के निर्वाचन का उल्लेख करेंगे। 1949 से 1969 तक जर्मनी में या तो फ्री डमोक्रेटिक पार्टी या क्रिश्चियन डमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे लेकिन 1969 में आकर सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य ने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया। 4 मार्च 1969 को सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने डा हाइनमान तथा क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन ने श्री गरहार्ड श्रोडर को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। चुनाव में सफलता की कुंजी सदैव की भांति फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में था। जिधर यह दल मत देता वह उम्मीदवार जीत जाता। इस बार फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने सोशल डमोक्रेटिक उम्मीदवार को मत देने का निश्चय किया। जैसा कि पहले होमकस किया जा चुका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विशेष संघीय मण्डल (सम्मेलन सभा) का निर्वाचन होता है जिसमें बुन्डेस्टाग (लोक सभा) के समस्त सदस्य तथा उनके समान संख्या में ही राज्य विधान सभाओं द्वारा सदस्य भेजे जाते हैं। 1969 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए मतदाताओं की संख्या 1036 थी। इसमें से साधारणत विजय प्राप्त करने के लिए 519 मतों की आवश्यकता पड़ती लेकिन यदि प्रथम तथा द्वितीय मतदान में भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता तो तीसरे मतदान में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत मिलते हैं उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा —

	हाइनमान	श्रोडर	अवैध मत	अनुपस्थित
प्रथम मतदान	514	501	3	5
द्वितीय मतदान	511	507	—	5
तृतीय मतदान	512	506	—	5

इस प्रकार तृतीय मतदान में श्री गुस्ताफ हाइनमान राष्ट्रपति घोषित किए गए।[1]

1 1974 में पुन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए इसमें सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य श्री वाल्टर शील को समर्थन प्रदान किया और श्री शील राष्ट्रपति चुने लिए गए।

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू)

सामान्यतया हमारे देश में लोगों की यह मान्यता है कि आज के पश्चिम के लोग धर्म को बहुत कम महत्त्व देते हैं लेकिन ऐसा विचार भ्रान्तिपूर्ण है। यह आश्चर्यजनक बात है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देशों खासकर फ्रांस, इटली व पश्चिमी जर्मनी में जिन दलों ने एक अवधि तक सरकारों का निर्माण किया उनके नाम के साथ क्रिश्चियन (ईसाई) शब्द जुड़ा हुआ था। जर्मनी में भी ईसाइयत के एक बड़े भक्त समर्थक एवं अनुयायी कोनराड आडनआवर ने ही 1949 से 1963 तक चान्सलर का पद धारण किया। इनके पद-त्याग के बाद भी 1969 तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का चान्सलर फेडरल जर्मनी पर शासन करता रहा।

द्वितीय महायुद्ध की भयंकर विनाश-लीला से समस्त यूरोप थर्रा उठा और अधिकांश लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि धर्म के प्रति उदासीनता तथा अनैतिकता के कारण ही यूरोप तथा जर्मनी पर विपत्ति का यह पहाड़ टूटा था और इससे नात्सी तानाशाही व साम्यवादी तानाशाही के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कोनराड आडनआवर ने अपने संस्मरण (समायस) में लिखा है "ईसाई सिद्धान्तों की नींव पर ही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का प्रासाद खड़ा करना आवश्यक था। ईसाइयत ही निर्णायक तत्त्व थी। हम नात्सीवाद की भौतिक विचारधारा के स्थान पर ईसाई दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं। ईसाई नैतिकता को भौतिकवाद के सिद्धान्तों पर विजय पानी होगी।"[1]

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सी डी यू) ने ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धान्तों को अपनाया। यह एक नया दल था साथ ही पुराना भी। नया इन अर्थों में कि इसने प्राचीन जर्मन राजनीतिक दलों की परम्परा को कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को एक राजनीतिक रंगमंच पर ला खड़ा किया। बिस्मार्क के जमाने से लेकर द्वितीय महायुद्ध से पूर्व कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने अपना एक अलग दल बना रखा था जिसका नाम था सेंटर पार्टी। अधिकांश कैथोलिक इसी दल को मत देते थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक पुराना दल था। क्योंकि बहुत से कैथोलिक मतदाता सेंटर पार्टी को छोड़ कर इस दल के अनुयायी हो गए। इस प्रकार इस दल में प्राचीन सेंटर पार्टी समाहित हो गई।

आडनआवर भलीभांति जानता था कि जब तक दोनों ईसाई सम्प्रदायों कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट को एकसाथ दल में एकत्रित नहीं किया जाता तब तक एक विशाल तथा सुसंगठित दल की स्थापना नहीं हो सकती। सत्ता प्राप्ति के लिए

1 कोनराड आडनआवर, संस्मरण 1945–53 अनुवादक बायर्स वान ओरेन (लन्दन 1966) पृष्ठ 49।

देना होगा अनगाव की प्रवृत्ति त्यागनी पडेगी। तत्पश्चात् कैथोलिकों ने पूरी लगन से अपने हितों की रक्षा का प्रयास किया।

वाईमार गणतंत्र के समय भी सेंटर पार्टी काफी सक्रिय एवं शक्तिशाली थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य इसकी स्थिति और भी सुदृढ़ थी क्योंकि वह जिस तरफ मिल जाती उसी पक्ष का पलड़ा भारी हो जाता। सेंटर पार्टी की महत्त्वपूर्ण भूमिका व स्थान का पता इस बात से चलता है कि 1919 से 1933 के बीच वाईमार जर्मनी में 14 चान्सलर बने। इनमें से 8 चान्सलर सेंटर पार्टी के थे। साथ ही इस दल ने लगभग सभी सरकारों में मंत्रियों के रूप में भाग लिया। हिटलर (1933-45) ने अन्य वर्गों की भांति कैथोलिकों पर भी अत्याचार किया यद्यपि वह स्वयं भी जन्म से कैथोलिक था। युद्धकालीन अनुभवों ने कैथोलिकों में यह विश्वास और भी कूट-कूट कर भर दिया कि सरकार एवं समाज को ईसाई सिद्धांतों व विश्वासों पर आधारित होना चाहिए।

आडेनआवर ने अपने संस्मरण (ममायम) में लिखा है— कई वर्षों से मैं यह विश्वास करता रहा कि हमें एक क्रिश्चियन (ईसाई) दल की आवश्यकता है जिसमें दोनों सम्प्रदाय कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट शामिल हों। सिर्फ इसी प्रकार हम राजनीतिक मामलों में भौतिकवादी विचारधारा का सामना कर सकते थे और सिर्फ इस प्रकार ही जर्मनी में एक नवीन प्रकार का राजनीतिक जीवन आरम्भ कर सकते थे। आडेनआवर ने आगे लिखा— जीवन के प्रति ईसाई दृष्टिकोण ही कानून का एक मात्र संरक्षक है हमारे राष्ट्र की राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना व पुनर्निर्माण के लिए ईसाइयत ही आधार बन सकता है। एक अन्य नेता आटो फ्रिक ने तो यहाँ तक कहा कि— सिर्फ ईसाई सिद्धांतों, दस आदेशों (टेन कमाण्डमेंट्स) तथा ईसा द्वारा पहाड़ी पर दिए गए धर्मोपदेश (सरमन आन दी माउण्ट) के आधार पर ही जर्मनी का पुनर्निर्माण हो सकता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के प्रारम्भ तथा विकास के बारे में विचार करने से पूर्व इस दल के नाम पर ध्यान दिया जाये। इसका प्रथम शब्द है क्रिश्चियन जिसका अर्थ है ईसाई। यह शब्द वस्तुतः जनता के लिए भारी आकर्षण रखता था। दूसरा शब्द है— डेमोक्रेटिक यानी जनतंत्रीय। यह उदार विचारधारा मुक्त व्यापार तथा जनतांत्रिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए आह्वान था। तीसरा व अन्तिम शब्द है यूनियन जिसका अर्थ है संघ। संघ में तो सभी प्रकार के सदस्यों के लिए स्थान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दल का नामकरण भी कभी-कभी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन नाम विविध वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त नाम था।

एर्नाल्ड जे हाईडनहाइमर के अनुसार क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा बवेरिया स्थित उसकी सहचारी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन वर्तमान जर्मन इतिहास

के मतानक विनाश के युद्ध के बाद र्म युग में आया। इसके महत्त्वपूर्ण सदस्यों में न केवल आन्दोलन के नेता (भूतपूर्व पार्टी का सदस्य) कॉनराड आडेनावर, डिन्‍त्र [illegible] (केथोलिक जनता पार्टी का नेता) वरन् डा० [illegible] तथा [illegible] आदि नया आ [illegible] के नेता आ [illegible] के समय से [illegible] [illegible] में [illegible] मध्यममार्गी [illegible] में सम [illegible] मिल [illegible]। इसके साथ [illegible] [illegible] के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। [illegible] जिस [illegible] चुका है कि [illegible] [illegible] में एक था [illegible] [illegible] दलों में से एक था [illegible] युद्धोपरान्त [illegible] जर्मनी में काय करने की अनुमति [illegible] थी। यदि [illegible] के [illegible] एक व्यक्ति का नाम माना जाए तो वह व्यक्ति है कॉनराड आडेनावर। इस [illegible] जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयुक्त होगा।

कॉनराड आडेनावर का जन्म 1876 में [illegible] के कोलोन नामक नगर में हुआ। [illegible] [illegible] धर्म का अनुयायी था और [illegible] धर्म में पूरा आस्था था। 1917 से 1933 तक आडेनावर कोलोन नगर का मेयर रहा। [illegible] बाद 1920 से 1932 तक [illegible] [illegible] राज्य-परिषद् ([illegible] काउन्सिल) का अध्यक्ष भी था। 1933 में हिटलर के सत्ता प्राप्त करने के बाद आडेनावर को पद से [illegible] दिया और यह व्यक्ति [illegible] [illegible] जाकर रहने लगा। 1944–45 में [illegible] कुछ समय जेल में बिताना पड़ा। जर्मनी की पराजय के बाद 1945 में [illegible] अमरीकियों ने कोलोन का [illegible] बनाया लेकिन बाद में यह पद [illegible] के लिए [illegible] [illegible] गया। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुआ [illegible]। 1946 में [illegible] ब्रिटिश अधिकृत जर्मन क्षेत्र के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का प्रथम अध्यक्ष बना [illegible] [illegible] [illegible] वह प्रधान [illegible] का एक [illegible] प्रभावशाली नेता [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का निर्माण किया [illegible] [illegible] अधिक [illegible] [illegible] तथा [illegible] 1949 में प्रथम बुन्डेस्टाग के चुनाव [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] चान्सलर बना। [illegible] यह [illegible] जाता है कि [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] चान्सलर बना दिया।

अब वह [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] दिया तो [illegible] पता चला कि आडेनावर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] था—[illegible] के [illegible] (1933–45 तक) [illegible] पहले [illegible] अपना अवकाश ले लिया था।

कार्यक्रम

जिस प्रकार एक नवीन व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख अपना परिचय पत्र (Visiting Card) [illegible] करता है जिससे उसकी [illegible] [illegible] पर तथा कार्यालय तथा निवास-स्थान का पता चलता है और इस तरह [illegible] [illegible] परिचय प्राप्त होता है बाद में क्रमशः उसके व्यक्तित्व और [illegible] करना और [illegible]

का पता चलता है उसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल का प्रारम्भिक परिचय उसके कार्यक्रम—आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक आदि से प्राप्त होता है फिर उस दल के कार्यों का अवलोकन एवं व्याख्या करने से उसका पूरा परिचय मिलता है। इस दृष्टि से किसी भी दल के कार्यक्रम का विशेष महत्त्व होता है।

क्रिश्चियन डेमाक्रेटिक यूनियन ईसाई सिद्धान्तों एवं पश्चिमी संस्कृति को आधार मान कर चलता रहा है। इस दल ने आध्यात्मिक मूल्यों को राजनीतिक कृत्यों मे उतारने का प्रयास किया है। रावर्ट जी नायमान के अनुसार वर्तमान क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा उसकी बवेरिया स्थित सहचारी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन अपने राजनीतिक सिद्धान्तों में तथा अपने कार्यक्रमों में उन्हीं आदर्शों का पालन करती है जो यूरोप की अन्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टियाँ स्वीकार करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस की पापुलर रिपब्लिकन मूवमेंट (एम आर पी)।[1]

सांस्कृतिक नीति

इस दल का मूलाधार ही ईसाई संस्कृति थी अतः यह स्वाभाविक ही था कि वह सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक बल देता। नास्तिक तानाशाही आदर्शों साम्यवाद व नात्सीवाद के पुनरागमन व प्रसार को रोकने के लिए ईसाई धर्म के उदात्त सिद्धान्तों के प्रति पूर्ण निष्ठा आवश्यक मानी गई। दल को नैतिक मूल्यों की नींव पर खड़ा किया गया ताकि भौतिकवादी आदर्शों का मुकाबला किया जा सके। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक दल के नेताओं की मान्यता थी कि संस्कृति ही समाज का आधार है तथा समाज के स्वरूप से ही राजनीतिक विचारधारा तथा अर्थ-नीति प्रभावित तथा प्रस्फुटित होती है। दल के प्रारम्भिक कार्यक्रमों में बार बार यह बात दुहराई गई कि पश्चिमी ईसाई संस्कृति की ओर पुनः अभिमुख होना जरूरी है। यह संस्कृति व्यक्ति की गरिमा और महत्त्व पर अधिक बल देती है।

चर्च का समाज में क्या स्थान हो इस सम्बन्ध में दल के नेताओं की मान्यता थी कि गिरजाघरों तथा धार्मिक संघों को राज्य द्वारा संरक्षण व सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे अपनी गतिविधियों का चलान में स्वतन्त्र एवं मुक्त रह सकें।

नेहाईम हा स्टन नामक स्थान पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने जो कार्यक्रम तैयार किया उसमें परिवार की संस्था पर विशेष बल दिया गया। कानराड आडनआवर ने जनता व राज्य के लिए परिवार को मूलभूत महत्त्व की संस्था माना। धर्म ईसाइयत तथा ईश्वर का इस दल के कार्यक्रमों में बार-बार उल्लेख मिलता है। 1959 में हाम्बुर्ग नगर में आयोजित पार्टी सम्मेलन में बोलते हुए क्रिश्चियन डेमोक्रेट नेता कार्ल एर्नाल्ड ने कहा ईश्वर इतिहास का नियंता एवं स्वामी है और रहेगा। मानव को ईश्वर का आदेश है कि वह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप विश्व का निर्माण

1 नॉयमान रोबर्ट जी : गवर्नमेंट आफ दी जर्मन फेडरल रिपब्लिक (न्यूयार्क 1966) पृ 41

करें। हम जानते हैं कि जिस व्यवस्था का निर्माण ईश्वर के बिना होता है वह शैतान व्यवस्था है। उसने अपने श्रोताओं से आग्रह किया कि वे एक ईसाई जर्मनी के निर्माण के लिए तन मन और धन से जुट जाएं।

विरोधी दल के नेता शूमाखर (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी) ने क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पर गिरजाघर-दल (चर्च-पार्टी) होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब जब चुनाव होते हैं धर्माधिकारी गिरजाघर व पादरी इस दल के प्रचार के काम में लग जाते हैं। विरोधियों का यह आरोप काफी हद तक सही था। लेकिन आडेनावर तथा अन्य नेताओं का कहना था कि राजनीति के क्षेत्र में ईश्वर एवं मानव के प्रति उत्तरदायित्व मौजूद है तथा अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने बेसिक ला की प्रस्तावना को उद्धृत किया जिसमें कहा गया है 'ईश्वर तथा मानव के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर ...'। इस प्रकार यदि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के कार्यक्रम का सार रूप में प्रस्तुत करना हो तो कहना होगा—ईसाई संस्कृति पर आधारित समाज और राज्य।

शिक्षा-नीति

इस दल की मान्यता थी कि शिक्षा का लक्ष्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें स्वतंत्र जनतांत्रिक व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन हो सके। परिवार, स्कूल, गिरजाघर तथा विश्वविद्यालय ये चार स्तम्भ हैं जिन पर समाज व्यवस्था का प्रासाद खड़ा है तथा इन्हीं के आधार पर स्वतंत्रता का निर्माण या विनाश हो सकता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का विचार था कि शिक्षा-नीति के निर्माण में माता पिता को निश्चित अधिकार होने चाहिए। बच्चों की शिक्षा कभी भी इस बारे में आरम्भ न हो। इस दल का कहना था कि माता पिता के विचारों को इस शिक्षा में महत्त्व दिया जाना चाहिए।

आडेनावर का विचार था कि व्यावसायिक तकनीकी व वैज्ञानिक शिक्षा के साथ ही धार्मिक शिक्षा का भी महत्त्व है। दोनों के समन्वित विकास से ही एक सन्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। इसलिए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की वकालत की। लेकिन साथ ही माता पिता को अधिकार दिया गया कि वे ही यह निश्चय करेंगे कि उनका पुत्र या पुत्री धार्मिक शिक्षा ले या नहीं।

आर्थिक नीति

अपनी आर्थिक नीति में इस दल ने निजी सम्पत्ति को महत्त्व देते हुए निजी व्यापार व उद्योग को प्रोत्साहन देने की वकालत की। अपने एक प्रारम्भिक कार्यक्रम (नेहाइम ह्यूस्टन कार्यक्रम) में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने घोषणा की—

जनतांत्रिक राज्य की अनिवार्य सुरक्षा के लिए सम्पत्ति का स्वामित्व जरूरी है।

समुचित मात्रा म सम्पत्ति के अजन का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस दल न मुक्त-बाजार अथव्यवस्था या सामाजिक बाजार अथ नीति का पालन करन पर बल दिया। क्योंकि इसी दल का सरकार बनी अत उसन इस नीति का पालन भी किया। लेकिन इसम यह भ्रम पदा नहीं होना चाहिए कि यह दल एक शोषक व दमनकारी पूजीवादी व्यवस्था का पोषक था। यह दल मजदूरों की समस्याओं के प्रति भी सजग था तथा इसन उद्योगों तथा कारखानों म सह निणय (को डिटरमिनशन) को लागू किया जिसक अनुसार उद्योगों व कारखानों के सचालन के सम्बध म निणय लन के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया जिसम मजदूर प्रबधक (या मालिक) तथा सरकार के प्रतिनिधि एकसाथ बठकर निणय लत थ। क्योंकि निणयों में मजदूर व कमचारी भी शामिल होत थ अत इस सह निणय कहा गया है। मजदूर व कमचारी जनतात्रिक तरीक स अपन प्रतिनिधि चुनत तथा उन्ह प्रबध परिषद म भजत थ।

क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन यद्यपि मुक्त निजी व्यापार व निजी उद्योग का प्रोत्साहन दन के पक्ष म रहा लकिन इसका यह अथ कदापि नहीं रहा कि दश के समस्त आर्थिक साधन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ म कन्द्रित हो जाए। स्वतत्र व्यापार व कम्पनी के पक्षपाती इस दल के शासन काल म कई महत्वपूण उद्योग सरकार के नियत्रण म लिए गए जस रल तथा फोल्क्सवागन (Volks\ ag n) मोटर-कार के सचालन का निर्णय सरकार ही जिम्मेदार रही। फोक्सवागन नामक गाडी का कारखाना यद्यपि सरकारी नियत्रण म रहा लकिन उसके प्रबधकों म निजी व्यवसाय के लोगों को भी पद दिय गय तथा उस एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप म सचालित किया गया।

लुडविग एरहाड जो पहल क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन की सरकार के आर्थिक मामलों का मत्री था तथा बाद म चासलर भी बना और इस सामाजिक बाजार-व्यवस्था अथ नीति का जनक कहा जाता है न देश की अथनीति व शक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ म कन्द्रित न हो जाए इस तथ्य को ध्यान म रखत हुए कार्टेल कानून (Cartel La\ ) बनाए। यह उल्लखनीय है कि एरहाड द्वारा निर्मित आर्थिक नीतियों के आधार पर ही नष्टप्राय जमनी पुन समद्धि के पथ पर अग्रसर हुआ और 10 12 वर्षों म ही जमनी का इतना कायाकल्प हो गया कि आज लोग इस आर्थिक चमत्कार' (इकानामिक मिरेकल) की सज्ञा दत है। 15 वष के भीतर विश्व के आर्थिक मानचित्र पर जमनी का नाम स्वण अक्षरों म लिख दिया गया। जमनी आर्थिक महामानव के रूप म विश्व पर मडरान लगा।

क्रिश्चियन डमोक्रटिक दल न अपनी अथनीति के निर्माण म निजी कर्मों को प्रोत्साहन निजी सम्पत्ति की सुरक्षा व गारटी पूण रोजगार निजी उद्योग व व्यवसायों को प्रोत्साहन आर्थिक समृद्धि व मजबूत मिक के लक्ष्य को ध्यान म रखा

और इस प्रकार इस दल द्वारा एक जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य सामने आया।

दलीय संगठन

संगठन की दृष्टि से यह दल नीचे से प्रारम्भ हुआ। पहले जिला व स्थानीय स्तर पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की नींव रखी गई फिर राज्य इकाइयों का निर्माण हुआ तथा अंत में संघीय व सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय दल का गठन किया गया। यदि तीन दलों के संगठन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि जहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के दलीय संविधान के अनुसार 18 इकाइयाँ हैं तो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी में 11 तथा सोशल डेमोक्रेटिक दल में 20 इकाइयाँ हैं।

यह उल्लेखनीय है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की इकाइयों में बवेरिया तथा बर्लिन की इकाइयाँ शामिल नहीं हैं। बवेरिया में अलग से दल है जिसका नाम है क्रिश्चियन सोशल यूनियन। यह राज्य-स्तर पर स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करता है लेकिन केन्द्रीय या संघीय स्तर पर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ मिल-जुलकर कार्य करता है। बर्लिन की इकाई का भी लगभग ऐसा ही व्यवहार है।

सदस्यता

सदस्यों की संख्या की दृष्टि से क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक दल का दूसरा स्थान है। पश्चिम जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 1965 में 6 00 000 सदस्य थे तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के लगभग 00 000 सदस्य ही थे।

क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के दलीय संविधान की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक जर्मन जिसकी उम्र 18 वर्ष हो इस दल का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने वाले व्यक्ति को दल के राजनीतिक दर्शन व कार्यक्रम में आस्था रखना आवश्यक है।

संगठन का स्वरूप

संगठन की दृष्टि से यह दल चार भागों में विभक्त है—(1) संघीय घटक (2) राज्य इकाई (3) जिला इकाई व (4) स्थानीय इकाई।

संघीय इकाई के विभिन्न अंग

दलीय संविधान की धारा 29 के अनुसार संघीय दल के निम्नांकित अंग हैं—(1) संघीय पार्टी काँग्रेस (2) संघीय आयोग (या समिति) तथा संघीय (3) कार्यकारिणी समिति। संघीय पार्टी काँग्रेस में सभी शाखाओं से चुने हुए प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। किसी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या के निर्धारण का तरीका इस प्रकार है—पिछले आम चुनाव में जहाँ दल को 75 000 मत मिले वहाँ से एक प्रतिनिधि तथा

इसके अलावा वहां दल के एक हजार सदस्यों पर एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। पार्टी कांग्रेस का आयोजन प्रति वर्ष होता है।

उक्त संघीय संगठनों के अलावा पार्टी कांग्रेस एक प्रसीडियम का चुनाव करती है जिसमें एक पार्टी प्रबंधक (मैनेजर) एक सहायक प्रबंधक तथा चार अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। साथ ही पार्टी-न्यायालय (कोर्ट) के लिए 5 सदस्यों व उनके 5 सहायकों का चुनाव होता है।

पार्टी कांग्रेस दल की मूलभूत नीतियों का निश्चय करती है कार्यकारिणी समिति से रिपोर्ट सुनती है तथा इसकी अनुमति के बिना दल के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था है पर क्योंकि यह वर्ष में एक बार ही आयोजित होती है अतः यह अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार समस्त सत्ता संघीय आयोग तथा संघीय कार्यकारिणी समिति के हाथों में केन्द्रित हो जाती है।

संघीय आयोग उन सब मामलों पर राजनीतिक व संगठन मूलक निर्णय ले सकता है जो पार्टी-कांग्रेस द्वारा पूरी तरह आरक्षित नहीं है। इस आयोग में राज्य शाखाओं तथा दल द्वारा निर्मित राज्य सरकारों के अध्यक्ष तथा संघीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य तथा राज्य शाखाओं के प्रबंधक (मैनेजर) तथा संघीय समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इतने व्यापक प्रतिनिधित्व के कारण इस आयोग की महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। यह निम्नलिखित कार्य करता है

(1) संघीय कोषाध्यक्ष तथा संघीय कार्यकारिणी के 15 सदस्यों का चुनाव। कार्यकारिणी के 60–70 सदस्य होते हैं।
(2) यदि प्रसीडियम के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके स्थान पर अस्थायी सदस्य का नामजद करना।
(3) यह दलीय चुनाव-समिति का चुनाव समिति राज्य तथा संघीय चुनावों का संचालन उम्मीदवारों का चयन आदि कार्य।
(4) दल की आर्थिक व वित्तीय स्थिति के अवलोकन के लिए दो आडिटरों की नियुक्ति।

यह आयोग प्रति छः माह में बैठक करता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दल का अध्यक्ष या प्रबंधक चार सप्ताह में असाधारण बैठक बुला सकता है। अपने व्यापक अधिकारों की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण संस्था है लेकिन सामान्यतया इसकी वर्ष में दो बैठकें होती हैं। इसमें इसका महत्त्व घट जाता है।

संघीय कार्यकारिणी समिति दल रूपी नाव की संचालिका है। यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्था है। प्रसीडियम भी इसी कार्यकारिणी से संबंधित है। प्रसीडियम में दल का अध्यक्ष मुख्य दल प्रबंधक उनके दो सहायक तथा चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं। प्रसीडियम प्रति माह मिलता है तथा दल के प्रमुख नेतागण इसमें शामिल होते हैं अतः व्यवहार में यह सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था हो जाता है।

संघीय कार्यकारिणी में 60 से 70 तक सदस्य होते हैं। इनमें निम्नलिखित लोग होते हैं

(1) दल का कोषाध्यक्ष
(2) दल प्रबंधक
(3) संसदीय दल का नेता व उसका सहायक
(4) राज्य शाखाओं के अध्यक्ष-गण
(5) दल से सम्बद्ध संगठन व संस्थाओं—जैसे युवक संघ, महिला संघ, मध्य वर्ग संघ आदि के अध्यक्ष-गण।
(6) विभिन्न राज्य सरकारों के (जहां दल की सरकार हो) मुख्य मंत्री
(7) बुन्डस्टाग का अध्यक्ष (यदि वह दल से सम्बद्ध हो) तथा
(8) आयोग द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य।

कार्यकारिणी समिति तीन माह में एक बार मिलती है। प्रसीडियम को छोड़ कर यह सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है।

समितियां व अध्ययन दल

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान की अपार वृद्धि के कारण आज के युग में व्यक्ति व समाज को विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन इस तथ्य से अवगत था अतः इसने समय समय पर विशेषज्ञों की समितियां बनाई। 1969 में कुल छः विशेषज्ञ समितियां थीं जिनके नाम इस प्रकार हैं (1) सांस्कृतिक-नीति-समिति (2) प्रतिरक्षा-नीति-समिति (3) आर्थिक नीति-समिति (4) कृषि-नीति (5) स्वास्थ्य-नीति तथा (6) सामाजिक व सार्वजनिक सेवा-समिति।

क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन का महत्त्व

फेडरल जर्मनी के पिछले 28 वर्षों के इतिहास में इस दल का निर्णायक स्थान रहा है। 1949 से 1969 तक तो इस दल ने किसी अन्य दल के साथ मिलकर—स्व. व सरकार का निर्माण तथा नेतृत्व किया। प्रथम 20 वर्षों में जर्मनी की सफलता तथा असफलता की कहानी क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन की सफलता व असफलता की ही कहानी है।

जर्मनी के प्रथम तीन चांसलर—कानराड आडनआवर, लुडविग एरहार्ड तथा कुर्ट ग्याग किसिंगर—इसी क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन की देन थे। जिस प्रकार भारत में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा इसी प्रकार प्रथम 20 वर्षों तक फेडरल जर्मनी में इस दल ने शासन की बागडोर अपने हाथ में रखी।

बेसिक लॉ के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदार रहा है। इसके कई अनुच्छेदों पर क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के व्यक्तित्व की ही छाप है जैसे प्रस्तावना, परिवार, शिक्षा, संस्कृति तथा धर्म विषयक अनुच्छेद आदि। वैसे पूरे बेसिक लॉ पर कानराड आडनआवर की छाया नजर आती है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जर्मनी को सुदृढ़ भित्ति पर खड़ा करने का श्रेय भी इसी दल को दिया जाना चाहिए। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यदि आर्थिक चमत्कार रचना हो तो जर्मनी को भी एक उदाहरण के रूप में सम्मुख रखा जा सकता है।

इस दल ने चांसलर आडेनआवर, एरहार्ड व किसिंगर के अलावा डा० हाइनरिच ल्यूबके (जो 1959 से 1969 तक राष्ट्रपति-पद पर आसीन रहा), डा० हाइनरिच फान ब्रेन्टानो, एनस्ट लमर गेरहार्ड श्रोडर, डा० एलिजाबेथ श्वार्त्सहाउप्ट (मन्त्रिमण्डल की प्रथम महिला सदस्या, यह स्वास्थ्य मन्त्री बनी) फ्राञ्ज जोसेफ स्ट्राउस, डा० हर्मन एहलर्स (बुन्डेस्टाग अध्यक्ष 1950–1954) तथा डा० यूजन गर्स्टनमायर (बुन्डेस्टाग अध्यक्ष 1954–1969) जैसे व्यक्ति प्रदान किए।

आलोचना के रूप में यह कहा जा सकता है कि क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन ने राजनीति में धर्म का प्रवेश कराया तथा आडेनआवर की तानाशाही वृत्तियों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्तमान फेडरल जर्मनी की पुनरचना तथा पुनः स्थापना में इस दल का भारी योगदान रहा।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी

फेडरल जर्मनी के तीन प्रमुख दलों में सबसे छोटा दल है—फ्री डमोक्रेटिक पार्टी। जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है जिन चार दलों को चार प्रमुख विजेता राष्ट्रों द्वारा अधिकृत जर्मनी में सर्वप्रथम कार्य करने की अनुमति दी गई उनमें यह दल भी सम्मिलित था। सर्वप्रथम व्युर्टेमबर्ग तथा बादेन नामक राज्य में प्रोफेसर थियोडोर ह्यूस जो बाद में पश्चिमी जर्मनी के प्रथम राष्ट्रपति बने के नेतृत्व में "डमोक्रेटिक पार्टी" का निर्माण हुआ। आरम्भ में अलग अलग जर्मन राज्यों में इसके अलग अलग नाम थे। उदाहरणार्थ बर्लिन तथा हैनोवर क्षेत्र में इसका नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, राइनलैण्ड पलटीनेट नामक राज्य में डमोक्रेटिक पार्टी, ब्रेमन, बेडिंगेन, व्युर्टेमबर्ग तथा व्युर्टेमबर्ग-बादेन नामक क्षेत्र में जर्मन जनता पार्टी तथा बवेरिया, हाम्बुर्ग, लोअर सैक्सनी, नार्थ राइन वेस्टफालिया तथा श्लेसविग होल्सटाइन में फ्री डमोक्रेटिक पार्टी। दिसम्बर 1948 में जाकर विभिन्न विभिन्न उदार दल हप्पनहाइम नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा उन्होंने एक संयुक्त दल बनाया जिसका नाम फ्री डमोक्रेटिक पार्टी रखा गया।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी अपने आपको जर्मनी की उदार परम्परा का उत्तराधिकारी मानती है तथा जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् तथा उदारवादी राजनेताओं—जैसे विल्हेम फान हुम्बोल्ट, फ्राइहर फाम स्टाईन, यूगन रिक्टर, हुगो प्रुस, फ्रीडरिख नायमान तथा गुस्ताफ स्ट्रैसमान को अपना बौद्धिक नेता मानती है। उदारवाद के प्रवर्तकों में सुकरात, प्लेटो व अरस्तू भी शामिल थे। इसी प्रकार अमरिकी

स्वतन्त्रता संग्राम फ्रांसीसी क्रांति 1848 की क्रांति आदि भी इस दल के प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

अपने आरम्भिक चरण में उदारवाद जो फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का आधारभूत दर्शन है एक संगठित दर्शन न होकर कई विचारधाराओं का समूह मात्र था। ये समस्त समूह एक बात पर सहमत थे वह थी व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा गरिमा। विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट को जर्मन उदारवाद का प्रणेता तथा जनक कहा जा सकता है। हुम्बोल्ट ने राज्य के अधिकारों को सीमित करने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देने की वकालत की। वह राज्य को सिर्फ पुलिस कार्यों के लिए आवश्यक मानता था जिसका एकमात्र कर्त्तव्य दुश्मन से जनता की रक्षा करना था। राजनीति तथा अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विचारों में उदारवादी आन्दोलन तत्कालीन निरंकुश शासन के विरुद्ध था। यह विचारधारा सम्राटों राजाओं और सामन्तों के असीमित अधिकारों पर रोक लगाने के पक्ष में रही। फान स्टाइन वह पहला मंत्री था जिसने प्रशा नामक राज्य में सर्वप्रथम उदार विचारधारा को लागू करने का प्रयास किया। इसने नगरपालिकाओं के चुनाव-सम्बन्धी कानून तथा किसानों को सामन्तों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कानूनों का निर्माण किया।

1850 से ही प्रशा नामक जर्मन राज्य की विधान-सभा में उदारवादी प्रतिनिधि काफी संख्या में विद्यमान थे। 1860 के आस-पास जब प्रशा के राजा ने अपनी सेना की संख्या-वृद्धि करना चाही तथा इसके लिए बजट प्रस्तुत किया तो उदारवादियों ने डटकर उसका विरोध किया। यह विरोध इतना प्रबल था कि प्रशा के शासक ने एक बार तो राज सिंहासन तक त्यागने का विचार किया क्योंकि उसकी मान्यता थी कि सेना का निर्माण व विकास शासक का विशेषाधिकार था इस पर सीमा लगाने पर उसे राज सिंहासन त्याग देना चाहिए लेकिन 1862 में उसने पेरिस स्थित अपने राजदूत बिस्मार्क को बुलाया तथा उसे प्रशा का चांसलर बनाया। बिस्मार्क तथा उदारवादियों के बीच सैनिक बजट के प्रश्न पर लगातार संघर्ष व तनाव की स्थिति रही।

1861 में प्रशा की विधान सभा में विभिन्न उदारवादियों ने मिलकर जर्मन प्रगति पार्टी (जर्मन प्रोग्रेसिव पार्टी) का निर्माण किया। 1866 तक इस दल ने बिस्मार्क की सैन्य विकास की नीति का जमकर विरोध किया लेकिन 1866 में प्रशा द्वारा आस्ट्रिया को पराजित किये जाने के पश्चात् बिस्मार्क जर्मन राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। उसका विरोध करना जर्मन राष्ट्रीयता का विरोध करने जैसा था अतः विरोध कुछ मंद पड़ा। 1867 में रुडोल्फ फान बेनिगसन के नेतृत्व में उदारवादियों ने नेशनल लिबरल पार्टी की स्थापना की। यह दल बिस्मार्क की सैन्य सफलताओं से भारी प्रभावित हुआ तथा उसने उसका समर्थन आरम्भ किया। 1871 में नेशनल लिबरल पार्टी एकीकृत जर्मनी की राइशटाग में सबसे मजबूत दल के रूप

में उभरी। 1884 में इस दल को पुनर्गठित किया गया तथा यह नवीन दल भारी उद्योगों पूंजीपतियों तथा राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आ गया। जर्मनी के कई उदारवादी तथा प्रगतिशील तत्त्व नेशनल लिबरल पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं थे अतः 1871 में ही प्रगतिशील उदारवादियों ने अलग से एक दल बनाया जिसका नाम उदार दल (फाईसिनिग पार्टाई) रखा गया। इसका नेता था यूगेन रिश्टर। 1893 में इस दल का विभाजन हो गया और प्रगतिशील उदारवादी तीन दलों में विभाजित हो गए जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) लिबरल पापल्स पार्टी (इसका नेता रिश्टर था)।
(2) साउथ जर्मन पीपल्स पार्टी तथा
(3) लिबरल यूनियन।

विभिन्न दलों में विभाजित होने से उदारवादियों की शक्ति का ह्रास ही हुआ। संसद में इनके प्रतिनिधित्व में कमी आई जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। नेशनल लिबरल पार्टी को जहां राईखस्टाग में 1871 में 119 स्थान प्राप्त हुए वहां 1893 1907 तथा 1912 के चुनावों में क्रमशः 100 109 तथा 68 स्थान ही मिले। प्रगतिशील उदारवादियों को जो कई दलों में विभाजित थे क्रमशः 47 48 50 व 42 स्थान प्राप्त हुए। यह अनुमान लगाना सहज है कि जर्मनी के समस्त उदारवादी मिलकर यदि एक दल बनाते तो वे निश्चय ही संसद में सबसे शक्तिशाली दल के रूप में उभरते। तत्कालीन उदारवादी नेता फ्रीडरिख नायमान ने ठीक ही कहा था हमारे दल में वह एकता नहीं है जो श्रमिक दल या किसानों के संघ में है। हमारे कोई अपने पादरी (नेता) नहीं हैं। हममें आदेश और अनुशासन की कमी है। नायमान ने 30 लाख उदारवाद-समर्थक मतदाताओं से अपील की कि वे विभिन्न टुकड़ों में बंटे उदारवादियों से स्पष्ट शब्दों में मांग करें कि वे अनुशासित रहें एवं एकता का प्रदर्शन करें।

प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ ही 1918–19 में जर्मनी में गणतन्त्र की स्थापना हुआ तथा वाइमार गणतन्त्र के समय में जर्मनी में दो उदारवादी दलों जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी तथा जर्मन पीपल्स पार्टी का उदय हुआ। इनमें से प्रथम दल वामपंथी एवं प्रगतिशील विचारों वाला उदारवादी दल था और दूसरा राष्ट्रवादी एवं राजतन्त्र के प्रति सहानुभूति रखने वाला तथा दक्षिणपंथी विचार वाला दल था। जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेताओं में फ्रीडरिख नायमान ह्यूगो प्रायस (इसने वाईमार संविधान के निर्माण में भारी योगदान दिया था) तथा वाल्टर राथनाउ सम्मिलित थे। दक्षिण-पंथी विचारधारा वाली जर्मन पीपल्स पार्टी का नेता गुस्ताफ स्ट्रासेमान था। वाईमार गणतन्त्र में स्ट्रासेमान का दल अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। लेकिन 1930 के बाद दोनों दलों के भाग्य का सितारा अस्त होने लगा। अग्रलिखित तालिका से दोनों दलों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है—

जर्मन राईशटाग में उदारवादी दलों की स्थिति

वर्ष	जर्मन पीपल्स पार्टी	जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी
1919	22	74
1920	62	45
1924	44	28
1924	51	32
1928	45	25
1930	30	14
1932	7	4
1932	11	2
1933	2	5

यह उल्लेखनीय है कि वाईमार-गणतन्त्र में उदारवादियों ने काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन दलों ने दो विशेष मन्त्री प्रदान किए जिन्होंने देश की पृथक सेवा की। उनके नाम हैं—वाल्टर राथेनाउ तथा गुस्ताफ स्ट्रासेमान। 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के पश्चात् सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 12 वर्ष तक (1933–1945) जर्मनी में एकमात्र नात्सी दल ही वैध दल रहा। *1945 में जर्मनी की पराजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने पुनः राजनीतिक दलों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की।*

कैजर (सम्राट) के जमाने में तथा वाईमार गणतन्त्र में उदारवादी बराबर विभाजित रहे और उन्हें अपनी आपसी फूट के परिणाम भुगतने पड़े। युद्धोत्तर जर्मनी के उदारवादी अपने पुराने इतिहास को भूले नहीं थे और उन्होंने इससे सबक लेने का दृढ़ निश्चय किया। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है पश्चिमी जर्मनी के विविध उदारवादी दलों ने 1948 में एक दल के रूप में संगठित होने का निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का उदय हुआ।

इस दल के प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं—प्रोफेसर थियोडोर ह्यूस (प्रथम राष्ट्रपति) व डा. फ्रांज ब्ल्यूचेर (प्रथम मन्त्रिमण्डल में वाईस चान्सलर या उप प्रधानमन्त्री 1956 में इसने फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता त्याग कर जर्मन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली) डा. थामस डेहलर (प्रथम न्याय-मन्त्री) एरहार्ड विल्हेरमुथ (प्रथम आवास मन्त्री) डा. एरिश्व मेन्डे (यह 1960–1968 तक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहा तथा 1963 में एरहार्ड मन्त्रिमण्डल में उप प्रधान मन्त्री या वाईस चान्सलर तथा समग्र जर्मन मामलों के मन्त्री का पद सम्हाला। तीन वर्ष पश्चात् इसने त्याग पत्र दे दिया)। दल के वर्तमान नेताओं में वाल्टर शील का विशेष स्थान है। 1968 में यह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष बना तथा इसने

1969 में विली ब्रान्ट के मन्त्रिमण्डल में वाईस चासलर (उप प्रधानमन्त्री) व विदेश-मन्त्री का पद सम्हाला। 1974 में श्री वाल्टरशील जर्मनी के राष्ट्रपति गये। शील के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद अब फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व हान्स डिएट्रिश गेंशर जोसेफ एटल हान्स फ्रीडरिचस तथा वेनर माईहोफर के हाथों में आ गया है।

कार्यक्रम

एल्मर प्लिशके के अनुसार — फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी वाईमार-युग की जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करती है जो उद्योग तथा व्यावसायिक हितों की वकालत करती थी। यह मध्यम मार्ग में कुछ दक्षिण-पंथ की ओर झुकाव रखती है तथा किसी भी प्रकार के समाजवाद की विरोधी है। साथ ही यह पादरी वर्ग की भी विरोधी है। इसके अधिकांश मतदाता प्रोटेस्टेंट मतानुयायी हैं जो क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के कैथोलिक नेताओं से दूर रहना चाहते हैं।

यह तीनों प्रमुख दलों में सबसे अधिक राष्ट्रवादी भावना से परिपूर्ण है तथा यह शहरों में अधिक सक्रिय है। इसके अन्य मतदाताओं में व्यावसायिक व पेशेवर लोग सफेदपोश मजदूर व कर्मचारी तथा किसानों का भी काफी हिस्सा शामिल है।[1] राबर्ट जी नायमान के अनुसार— धार्मिक प्रश्नों पर फ्री डमोक्रेटिक पार्टी सोशल डमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा के निकट है तथा उद्योग व आर्थिक प्रश्नों पर यह दल क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के काफी निकट है तथा साथ ही अधिक दक्षिण पंथी भी।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के बर्लिन-कार्यक्रम (1957) के अनुसार पार्टी की विचारधारा को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है— फ्री डमोक्रेटिक पार्टी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है ताकि व्यक्ति उत्तरदायित्व के साथ काम कर सके। अपने सामाजिक दायित्व से प्रेरित होकर हम सभी समाजवादी प्रयोगों को अस्वीकार करते हैं तथा अपने ईसाई दायित्वों से प्रेरित होकर हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के दुरुपयोग को अस्वीकार करते हैं।

सामाजिक नीति

अपने 1952 के सामाजिक कार्यक्रम में फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने समाज को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं —

(1) व्यक्ति की स्वतन्त्रता

(1) एल्मर प्लिशके कान्टेम्पोरेरी गवर्नमेंट्स आफ जर्मनी द्वितीय संस्करण (बोस्टन 1969) पृष्ठ 147

(2) नायमान पृष्ठ 67

(2) विशाल उत्पादन में हिस्सेदारी
(3) मध्यम वर्ग को सुदृढ़ बनाना
(4) अस्तित्व की सुरक्षा तथा
(5) युद्ध से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान।

यह कार्यक्रम व्यक्तिवादी दर्शन का प्रतीक है।

परम्परा से ही इस दल के राजनीतिक दर्शन में समाज तथा उसकी अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों में व्यक्ति ही केन्द्रबिन्दु रहा है। यही कारण है कि इस दल के नेता व्यक्ति के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं के कट्टर विरोधी रहे हैं। समाजवादी समूहीकरण के विरोध का आधार यही है कि इससे व्यक्तिवाद का विनाश होता है।

फ्री डेमोक्रेटिक दल की मान्यता है कि पेशे के चुनाव की स्वतन्त्रता, कार्य का स्थान व नौकरी की आजादी तथा सभी व्यक्तियों को संघ बनाने की आजादी से ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक औद्योगिक नीति व विशाल उत्पादन का प्रश्न है इस दल में हिस्सेदारी आवश्यक है। यह दल प्रारम्भ से ही एक व्यापक मध्यम वर्ग के विकास व उसे स्थिरता प्रदान करने के पक्ष में रहा है। इसके साथ ही फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने माँग की कि 'दूसरों शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों, कारीगरों, स्वतन्त्र व्यवसाय में लगे व्यक्तियों, कर्मचारियों व सरकारी अधिकारियों के लिए उत्तम जीवन-स्तर की प्राप्ति की व्यवस्था की जाए।' मुख्य तौर पर यह दल विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक विस्तृत रूप में सम्पन्न व्यक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास करता रहा है।

फरवरी 1956 में दल ने स्वतन्त्रता तथा उत्तरदायित्व के अन्तर्गत सुरक्षा [illegible] शासन के अन्तर्गत नवीन सामाजिक नीति की घोषणा की। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बुढ़ापे में सुरक्षा तथा सभी के लिए सम्पत्ति की माँग की गई। यह कहा गया कि दल की सामाजिक नीति का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकाधिक स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। बेकार तथा असहायों की दशा पर पूर्णतः ध्यान दिया जाना चाहिए तथा जन्म व सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा व योग्यता के आधार पर प्रगति करने दी जानी चाहिए। संक्षेप में दल मुक्त व्यक्ति, स्वस्थ परिवार तथा सामुदायिक जीवन के निर्माण के पक्ष में था।

सांस्कृतिक नीति

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी शिक्षा में उदारता व धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के पक्ष में रही। दल के नेता एवं सुसंस्कृत उदारवादों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि [illegible] के सम्मुख [illegible] विकल्प दिया जाना है —

(1) उदारवाद या
(2) साम्यवाद

विश्व को इन दोनों विकल्पों में से एक को चुनना होगा। उदारवाद की स्थापना व विकास के लिए आंतरिक (आत्मा व हृदय) स्वतन्त्रता तथा बाह्य (नैतिक जीवन-स्तर आदि) स्वतन्त्रता आवश्यक है। सांस्कृतिक नीति के अन्तर्गत फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने धर्म, शिक्षा, कला व साहित्य विषयक प्रश्नों का विवेचन एवं समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

चर्च-सम्बन्धी नीति

धर्म व चर्च के मामलों में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि शासन डेमोक्रेटों की नीति यह दल की नास्तिकता का पोषक है और इस प्रकार गिरजाघरों का दुश्मन है लेकिन इस दल ने स्पष्ट घोषणा की कि न तो वे नास्तिकता में निष्ठा रखते हैं और न वे चर्च के ही विरोधी हैं। फ्री डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि वे राजनीतिक मामलों में चर्च के प्रयोग के विरोधी हैं। इस दल के प्रथम व प्रमुख नेता थियोडोर ह्यास ने ससनीय परिषद् में भाषण देते हुए कहा कि "राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चर्च के उपयोग को मैं ईसाई विरोधी मानता हूँ। ईसा इस विश्व में सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए आए थे किसी राजनीतिक दल को अपना नाम प्रदान करने के लिए उन्होंने इस विश्व में पदार्पण नहीं किया था।" साथ ही यह भी कहा गया कि सार्वजनिक जीवन में चर्च व धार्मिक संस्थाओं का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु गिरजाघरों का कार्य आत्मा व अध्यात्म-सम्बन्धी प्रश्नों का हल करना है बाकी मामलों में पादरियों को गिरजाघरों की चारदीवारी में ही सीमित रहना चाहिए।

अपनी सांस्कृतिक नीति की व्याख्या करते हुए दल के नेताओं ने घोषणा की कि "उदारवादी राज्य सभी धर्मों को धार्मिक उपदेशों की स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के विकास तथा दान-पुण्य विषयक संस्थाओं की स्थापना व संचालन की गारण्टी देगा। ईसाई धर्म के परम्परागत मूल्य सामाजिक व्यवस्था के लिए मूलभूत महत्त्व रखते हैं।"

शिक्षा-नीति

स्वतन्त्रता का दान उचित एवं उत्कृष्ट शिक्षा पर आधारित है। फ्री डेमोक्रेट नेता इसी विचार को लेकर चले हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बेसिक लॉ के अन्तर्गत संस्कृति एवं शिक्षा राज्य के कानून के विषय हैं लेकिन फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस व्यवस्था का डटकर विरोध किया। इस दल की यह मान्यता है कि संघ के अन्तर्गत जितने राज्य होंगे वे उतनी ही भिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक नीति अपना सकते हैं। इससे अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अतः देश के हित को

सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा व सस्कृति नामक विषय को सघ-सूची मे शामिल किया जाना चाहिए ताकि देश की शिक्षा-नीति मे एकरूपता स्थापित की जा सके ।

फलस्वरूप जर्मनी मे दो प्रकार के स्कूल हैं नगरपालिका (म्यूनिसिपल) स्कूल तथा धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूल । फ्री डमोक्रेटिक पार्टी की माग है कि एक ही प्रकार के स्कूलो की व्यवस्था की जानी चाहिए । हा यदि मा बाप चाहे तो उसी स्कूल मे उनके बच्चो को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है । उच्च शिक्षा के लिए वज्ञानिक तकनीकी तथा शोध सस्थानो की स्थापना व विकास पर बल दिया जाना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह दल शोध व शिक्षा नीति पर सघ सरकार का नियन्त्रण चाहता है ।

कला व साहित्य के क्षेत्र मे फ्री डमोक्रेटिक पार्टी स्वतन्त्र चितन धारणाओं एव नवीन प्रयासो की पक्षपाती रही है । कलाकारो एव साहित्यकारो के जो देश के सास्कृतिक दूत एव प्रचारक हैं जीवन स्तर मे सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया । फ्री डमोक्रेटिक पार्टी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता सहिष्णुता विचार स्वातन्त्र्य एव आधुनिक शिक्षा की प्रवक्ता रही है । इस प्रकार यह दल मुक्त समाज (ओपन सोसायटी) की रचना का पक्षधर है ।

गतिशील तृतीय शक्ति बनने का प्रयास

फडरल जर्मनी के निर्माण के समय जर्मनी मे अनेक राजनीतिक दल विद्यमान थे । लेकिन चुनाव कानून के कारण तथा 5 प्रतिशत की बाधक धारा के कारण क्रमश बुन्डेस्टाग मे दलो की सख्या घटती गई और अत मे तीन दल ही रह गए जिनमे फ्री डमोक्रेटिक पार्टी भी एक है । विभिन्न आम चुनावो मे दल की स्थिति में उतार चढाव आता रहा और दल के नेताओ के समक्ष एक सक्रिय गतिशील एव सतुलनकारी दल के रूप मे अपना अस्तित्व बनाए रखने की समस्या थी । प्रथम आम चुनाव (1949) के बाद फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन व जर्मन पार्टी के साथ मिल कर सघीय सरकार का निर्माण किया तथा साथ ही कई राज्यो मे निर्मित मिली-जुली सरकारो मे भाग लिया लेकिन 1953 के आम चुनावों मे सघीय स्तर पर दल का मत प्रतिशत 11 9 से घटकर 9 5 प्रतिशत रह गया दूसरी ओर क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन को आवश्यक बहुमत प्राप्त हो गया लेकिन चासलर आडनआवर को सविधान मे आवश्यक सशोधन करने तथा विदेश नीति के क्षेत्र मे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे । अत वह चाहता था कि फ्री डमोक्रेटिक दल को सरकार मे लिया जाय ताकि इन महत्वपूर्ण निर्णयो को व्यापक बहुमत का समर्थन प्राप्त हो सके । यद्यपि दल को सरकार मे स्थान मिला लेकिन चासलर आडनआवर के साथ उसके सम्बन्ध काफी कटु रहे और 1956 मे फ्री डमोक्रेटिक दल दो दलों में विभाजित हो गया एक दल चासलर आडनआवर का

समथन करते हुए मरकार म रहना चाहता था और दूसरा दन सरकार मे हटना चाहता था। प्रथम वग के लोगो का नेता डा ब्यूलर था जिसन फ्री पीपल्स पार्टी का निर्माण किया। बाद म यह दल जमन पार्टी म मम्मिलित हो गया। इस वर्ग के लोग सरकार म मत्री-पद पर बने रह बाकी फ्री डमोक्रटिक पार्टी के सदस्यो ने विरोधी दन के रूप म स्थान ग्रहण किया। लेकिन फ्री पीपल्स पार्टी क लाग 1957 म ग्राम चुनावा के बाद भी सरकार म शामिल हुए जबकि मूल दल क लोग विरोधी बेंचो पर बठे।

1956 तक प्रात-प्रात फडरल जमनी की जनता के दिमाग म यह धारणा घर कर गई कि फ्री डमाक्रटिक पार्टी वास्तव म क्रिश्चियन डमाक्रटिक पार्टी की पिछलग्गू है और क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी रूपी वटवक्ष की छाया म ग्राराम कर रही है। ऐसी धारणा दल के ग्रस्तित्व के लिए खतरनाक थी क्योंकि यदि जनमानस म ऐसा विचार घर कर जाए ता हो सकता है ग्रगल ग्राम चुनाव म वह पिछलग्गू पार्टी (फ्री डमाक्रटिक पार्टी) का वोट न देकर सीधे ही क्रिश्चियन डमोक्रटिक पार्टी को वोट दें क्योंकि दोनो का वोट देना एक ही समान माना जा रहा था। ऐसी स्थिति म दल को ग्रपनी एक नवीन प्रतिमा का निमाण करना था और यह स्पष्ट रूप स प्रदर्शित करना था कि वह कानराड ग्राडनग्रावर के हाथ की कठपुतली न होकर एक सशक्त रचनात्मक प्रगतिशील एव सक्रिय दल है जिसका ग्रपना कायक्रम है जो न केवल ग्राकपक है वरन् मौलिक भी है।

1961 म जब फ्री डमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव लडा तो उसका नारा था ग्राडेनग्रावर के बिना सरकार का निमाण। इससे जनमानस पर ग्रच्छा प्रभाव पडा और दल को पूवापेक्षा ग्रधिक मत प्राप्त हुए। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का ग्रारम से यह प्रयास रहा है कि वह क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन तथा सोशल डमोक्रटिक पार्टी क बीच एक सतुलन स्थापित करने वाली पार्टी बनी रह सके। उसने द्वि-दलीय प्रणाली का विरोध किया क्योंकि उसका ग्रथ था इस दल के ग्रस्तित्व की समाप्ति जो कोई भी दल नहीं चाहता। इस प्रकार 1961 के बाद लगातार फ्री डमोक्रटिक पार्टी न यह प्रयास किया कि वह जनता को यह समझा सक कि ग्रन्य दो दलों—क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन व सोशल डमोक्रटिक पार्टी—म से किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्रदान करना जमन मतदाताग्रो क ग्रपने हित म नहीं होगा। फ्री डमोक्रटिक पार्टी को सदव समथन देकर ही मतदाता एक पार्टी की तानाशाही-से स्वय स्वय के लिए मुक्ति पा सकते हैं। कहना होगा कि यह दल ग्रपने इस लक्ष्य म बराबर सफल रहा और इस प्रकार उन मतदाताओं को ग्रपनी ग्रोर ग्राकर्षित कर सका जो ग्रन्य दो दलो को मत देने को तयार न थ। एक सशक्त व स्वतत्र तृतीय शक्ति के रूप म बन रहना ही फ्री डमाक्रटिक पार्टी का लक्ष्य रहा है और समस्त उतार चढाव के बावजूद यह ग्रपने ग्रस्तित्व को बनाये रख सकी है।

दलीय संगठन

अन्य राजनीतिक दलों की भाँति फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन भी संघात्मक आधार पर आधारित है। इसके संगठन को समझने के लिए दल के संविधान को समझना जरूरी है। इसके संविधान के अनुसार संगठन का ढाँचा संघीय स्वरूप पर आधारित है। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी विभिन्न राज्य (लैण्डर)-समितियों तथा संघीय संगठनों से मिलकर बनती है। 1948 में पहली बार संघीय स्तर पर इसकी रचना हुई। राज्य-समितियों की कुल संख्या 11 है।

सदस्यता

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रत्येक जर्मन जिसकी आयु 17 वर्ष हो चुकी हो तथा जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के आधारभूत सिद्धान्तों व संविधान में आस्था रखता हो, दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सदस्य संख्या की दृष्टि से भी यह दल तीन प्रमुख दलों में से सबसे छोटा दल है। 1964 में इस दल के लगभग 80 000 सदस्य थे जबकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य-संख्या 6 78 484 था।

संघीय दल का स्वरूप

संघीय दल 11 राज्य संगठनों से मिलकर बनता है। इसके प्रमुख अंगों का विवरण इस प्रकार है—

(अ) पार्टी-कांग्रेस

(आ) संघीय मुख्य-समिति

(इ) संघीय कार्यकारिणी

पार्टी-कांग्रेस

पार्टी-कांग्रेस दल की सर्वोच्च संस्था या अंग है। इसके निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। यह कांग्रेस प्रति वर्ष अपना सम्मेलन आयोजित करती है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसका असाधारण सम्मेलन बुलाया जा सकता है। असाधारण सम्मेलन के लिए संघीय मुख्य समिति के बहुमत का समर्थन या चार राज्य-संगठनों की कार्यकारिणियों द्वारा इसकी माँग करना आवश्यक है।

सामान्यतया दल का प्रत्येक सदस्य कांग्रेस में भाग ले सकता है लेकिन संघीय कार्यकारिणी चाहे तो विचार विमर्श तथा कार्यवाही को सिर्फ राज्य शाखाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों तक ही सीमित कर सकता है।

मत देने का अधिकार निम्नलिखित लोगों को —

(अ) संघीय कार्यकारिणी के सदस्य

(ब) राज्य-पार्टी-कांग्रेस द्वारा दो वर्ष के लिए चुने गए प्रतिनिधि

सघीय मुख्य समिति

यह समिति दल की सघीय प्रकृति का प्रतीक है। इसके सदस्यो मे निम्न लिखित व्यक्ति शामिल होत हैं—

(1) सघीय कायकारिणी के सदस्य
(2) रा य-सगठना के प्रतिनिधि। इसके अतिरिक्त दल द्वारा नियुक्त विशष समितियो क अध्यक्ष दल क विभिन्न सगठनो—युवक सगठन—के अध्यक्ष तथा दलीय ससद-सदस्य इसकी बठका मे उपस्थित होकर सला॰ दे सकत हैं।

इस समिति का महत्त्व इस बात से सिद्ध हो जाता है कि यह उन सब राज नीतिक व सगठन-सम्बन्धी प्रश्नो पर विचार कर सकती है जिस पर काग्र स ने निराय न लिए हो।

सघीय कायकारिणी समिति

सघीय कायकारिणी पार्टी काग्र स द्वारा निर्धारित व निर्णित सभी राजनीतिक व सगठनात्मक विषयो की देखभाल करती है तथा निर्णयो को कार्यान्वित करती है। कायकारिणी के सदस्यो म निम्नाकित व्यक्ति सम्मिलित होत हैं—

(1) दल का अध्यक्ष
(2) तीन उपाध्यक्ष
(3) कोपाध्यक्ष
(4) दल की रा य शाखाओ के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
(5) ससदीय दल का अध्यक्ष
(6) राज्य सरकार व सघ-सरकार मे दल क मन्त्रिगण तथा
(7) 13 अन्य सदस्य।

उक्त सदस्यता की व्याख्या करन स स्पष्ट हो जाता है कि इसम रा यो को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है इसीलिए कई लोग इसे रा य दलों का गुट (कार्टेल आफ स्टेट पार्टीज) की सज्ञा देत हैं।

विशेष समितिया व अध्ययन दल

1949 म ही फ्री डमाक्र टिक पार्टी ने विशष समितियो एव अध्ययन दलों की आवश्यकता का अनुभव कर लिया था। य विशष समितिया विषय विशष क मामल म सघीय कायकारिणी तथा ससदीय दल की सहायता करती हैं। 1962 म इन समितियो ने अपनी 78 बठका म 200 से अधिक विषयो पर विचार किया। इन समितियो की सख्या विभिन्न अवसरो पर घटती बढ़ता रही है। इनके अतिरिक्त 5 अध्ययन दल भी बनाये गये जिनके विषय इस प्रकार हैं—

(1) विदेश-नीति प्रतिरक्षा तथा समग्र जमनी से सम्बद्ध मामले।

(2) धार्मिक प्रश्न
(3) श्रमिक व सामाजिक नीतियाँ
(4) गृह-नीति
(5) कृषि नीति

1962 में एक अन्य अध्ययन दल बनाया गया जिसका काम सांस्कृतिक नीतियों पर विचार करना था। इस प्रकार कुल 6 अध्ययन दल हो गए।

वित्तीय साधन

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की आमदनी अपेक्षाकृत कम है। इसकी सदस्य-संख्या कम होने के कारण तथा नियमित सदस्यता शुल्क प्राप्त न होने की वजह से इसकी आमदनी कम होती है। इसके बावजूद इसका संघीय कार्यालय काफी बड़ा है तथा वह सुव्यवस्थित ढंग से काम करता है। अपने चुनाव के व्यय के लिए यह दल मार्क अनिक चन्दे तथा बड़े उद्योगपतियों की सहायता पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि 1961 के आम चुनाव में इस दल ने 1 करोड़ मार्क (जर्मन सिक्का) खर्च किया। 1963 में इस दल की आमदनी 77 00 000 मार्क तथा खर्च 69 50 000 मार्क बताया गया।

अन्य दलों से सम्बन्ध

फेडरल जर्मनी में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर दो और प्रमुख दल हैं—क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1949 से 1966 तक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तथा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्बन्ध मोटे तौर पर मधुर थे। हाँ बीच-बीच में तनाव व विरोध की स्थितियाँ भी आई। 1969 से 1977 के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इसके सम्बन्ध प्रगाढ़ हो गये। इस प्रकार पिछले 28 वर्षों में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग 23 वर्षों तक सरकार में शामिल हुई। पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई तथा 1969 के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर।

फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का महत्त्व

यद्यपि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी तीन प्रमुख दलों में से सबसे छोटा दल है लेकिन इसका महत्त्व उसके आकार की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ही रहा है। इस दल ने फेडरल जर्मनी को दो राष्ट्रपति प्रथम तथा वर्तमान राष्ट्रपति प्रदान किये। पहले राष्ट्रपति थे थियोडोर होयस (1949–1959) तथा वर्तमान राष्ट्रपति वाल्टरशील का चुनाव 1974 में सम्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त इस दल ने देश को कई वाईस चान्सलर (उप प्रधानमन्त्री) प्रदान किये जिनमें फ्रयूखर एरिख मेन्डे वाल्टरशील तथा हान्स डिएटरिश गेंशर प्रमुख हैं।

फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के नेताओ का दावा है कि फेडरल जमनी की आर्थिक प्रगति मे उमका भारी योगदान है क्योकि उनके दबाव मे आकर ही क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन ने सामाजिक-बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतन्त्र बाजार अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। यह इसी दल के जोर देने का परिणाम है कि लुडविग एरहार्ड को आर्थिक मामलो का सचालक नियुक्त किया गया और इसके सफल एव सुयोग्य नेतृत्व के कारण जर्मनी आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सका।

बेसिक ला के निर्माण एव वर्तमान स्वरूप म फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के चिन्तन का स्पष्ट प्रसर है। व्यक्ति की गरिमा सम्बन्धी उसके विचारो को उसम प्रमुख स्थान दिया गया है।

विदेश नीति क क्षेत्र मे भी इस दल की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। एक लम्बी अवधि तक अन्तर जमन सम्बन्धो का सचालन भा इसी दल को दिया गया। कुछ समय तक विकासोन्मुख देशो को सहायता देने वाला मन्त्रालय भी इसी दल के पास रहा और 1965 के आसपास वाल्टरशील ने भारत व अन्य एशियाई व अफ्रीकी देशो को सहायता देने मे काफी रुचि दिखाई। बाद म वाल्टर शील विदेश-मन्त्री बने और उन्होंने इस क्षेत्र म भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की। भारत क साथ सम्बन्धो को अधिक सुदृढ बनान म वाल्टरशील का विशेष स्थान रहा है। 1974 मे वाल्टर शील पश्चिमी जमनी के राष्ट्रपति बन तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व हान्स डिएटरिश गेन्शर ने सम्हाला। गेन्शर आजकल पश्चिमी जमनी के विदेश मन्त्री है तथा भारत मे जनता सरकार (मार्च 1977) क निर्माण के बाद गेन्शर न भारत की यात्रा की तथा दोनो देशो के सम्बन्धो को सुदृढ आधार प्रदान किया।

□□□

9

विदेश-नीति

किसी भी देश की विदेश नीति का उचित मूल्यांकन करने के लिए उस देश की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परम्परा, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी जर्मनी या फेडरल जर्मनी यूरोप के हृदय में स्थित है। इसे केन्द्रीय भूमि या मध्य भाग के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दृष्टि से जर्मनी यूरोप के व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केन्द्र रहा है। ऐतिहासिक परम्परा के अन्तर्गत जर्मनी एक विशाल साम्राज्य था। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात् उसने न केवल यूरोप के लिए पथ का कार्य किया वरन् विश्वव्यापी राजनीति पर भी उसका असर रहा। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से जर्मन जनता के मन में अतीत के गौरव की स्मृतियाँ शेष हैं। आर्थिक दृष्टि से जर्मनी यूरोप का सबसे समृद्ध एवं उद्योग प्रधान देश रहा है। आज भी वह विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है। अपनी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से जर्मनी एक जनतान्त्रिक देश है अतः यह स्वाभाविक ही है कि विश्व के अन्य जनतान्त्रिक देशों के साथ उसके सुदृढ़ सम्बन्ध हों। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही फेडरल जर्मनी की विदेश नीति की सम्यक् व्याख्या की जा सकती है।

पश्चिमी जर्मनी की विदेश नीति को हृदयंगम करने के लिए 1949 से लेकर 1977 तक वहाँ की सरकारों के गठन तथा चांसलरों (प्रधानमंत्रियों) के बारे में परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इस अवधि में वहाँ निम्नांकित दलों की सरकारें थीं तथा चांसलरों के नाम इस प्रकार हैं—

सन	सरकार में दलीय स्थिति	चांसलर का नाम
1949–1963	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	आडेनावर
1963–1966	—वही—	लुडविग एरहार्ड
1966–1969	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी	कुर्ट ग्योर्ग किसिंगर
1969–1974	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी	विली ब्रान्ट
1974–	—वही—	हेलमुठ श्मिडट

उक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1949 से 1966 तक क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन ने एक प्रमुख दल तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी न एक सहायक दल के रूप म जमन विदेश-नीति का सचालन किया। 1966 स 1969 तक क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डमोक्रेटिक पार्टी न मिल कर विदेश नीति को दिशा तथा गति प्रदान की। 1969 से 1977 क बीच सोशल डमोक्रेटिक पार्टी ने प्रमुख भूमिका अदा की जबकि सहायक दल फ्री डमोक्रेटिक पार्टी न विदेश मत्री का पद सम्हालते हुए उसम सहयोग दिया। यद्यपि वास्तव म चान्सलर ही समस्त नीतियो का जिसमे विदेश-नीति भी शामिल है—नियामक होता है फिर भी विदेश-मत्री विदेश-नीति के निर्माण व सचालन मे प्रमुख भूमिका अदा करता है। पश्चिमी जमनी के अब तक के विदेश-मत्रियो के नाम इस प्रकार हैं —

विदेश मत्री का नाम	कायकाल
1 कानराड आडेनआवर	1949–1955
2 हाईनरिच फान ब्रेन्टानो	1955–1961
3 गेरहाड श्रोडर	1961–1966
4 विली ब्राण्ट	1966–1969
5 वाल्टरशील	1969–1974
6 हान्स डिएटरिच गेन्शर	1974–

इन विदेश मत्रियो म से प्रथम तीन विदेश मत्री क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन चौथा विदेश-मत्री सोशल डमोक्रेटिक पार्टी तथा अन्तिम दो विदेश मत्री फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रह हैं। इस प्रकार फडरल जमनी क तीनो प्रमुख दलो ने अपने देश को विदेश-मत्री प्रदान किये हैं। इस आधार पर हम जमन विदेश नीति को मुख्यत दो भागो मे बाट सकत हैं—

(1) 1949–1966—इस युग मे विदेश नीति का सचालन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन न किया तथा फ्री डमोक्रेटिक पार्टी न सहयोग दिया। *नीति अधिकाशत पश्चिमी विश्व व अमेरिका क पक्ष म थी। इस नीति का मुख्य सचालक आडेनआवर था।*

(2) 1966–1977—इस समय विदेश-नीति का सूत्र सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के हाथ म रहा तथा 1969 से फ्री डमोक्रेटिक ने सहायक की भूमिका अदा की। इस अवधि म पूर्वी नीति (ओस्ट पालिटिक) का समारम्भ हुआ तथा सोवियत सघ पोलण्ड पूर्वी जमनी रूमानिया युगोस्लाविया व चेकोस्लोवाकिया आदि पूर्वी गुट देशो के साथ अच्छे सम्बन्धो की शुरुआत हुई तथा साथ ही पश्चिमी समूह तथा अमरिका से साथ सुदृढ सम्बन्ध स्थापित रहे। इस युग की विदेश-नीति का नियता विली ब्राण्ट वाल्टर शील तथा गेन्शर रहे हैं।

विदेश-नीति का प्रथम युग [1949–1966]

प्रसिद्ध फ्रासीसी विद्वान् अल्फ्रेड ग्रोसर के अनुसार जो जर्मन मामलों के विख्यात विशेषज्ञ हैं— शीत युद्ध से दो पुत्रियां उत्पन्न हुई—एक उत्तर अतलांत (अटलांटिक) संधि तथा दूसरी फेडरल जर्मनी। कहने का तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध जब उग्र रूप धारण कर चुका उस समय एक पश्चिमी सैनिक संगठन (उत्तर अतलांत संधि संगठन या नाटो) तथा पश्चिमी जर्मनी का एकसाथ उदय हुआ। 1949 से 1966 तक जो विदेश-नीति अपनाई गई उसे आडनआवर की विदेश नीति की संज्ञा दी जा सकती है।

1945 के बाद समस्त विश्व दो विरोधी खेमों में बंट गया। पश्चिमी खेमे का नेता अमरिका था तथा पूर्वी गुट का नेता सोवियत संघ। दोनों ने यूरोप को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहा तथा पश्चिमी यूरोप अमरिकी गुट के साथ हो गया तथा पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के खेमे में। 1949 में प्रात प्रात मास्को (सोवियत संघ) ने चेकोस्लोवाकिया पूर्वी जर्मनी पोलैण्ड हंगरी बुलगारिया रूमानिया युगोस्लाविया आदि देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की।

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात् उसे चार क्षेत्रों में बांट कर सोवियत संघ अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस के प्रशासन में सौंप दिया गया था। सोवियत संघ ने 1949 में पूर्वी जर्मनी में अलग से साम्यवादी शासन की स्थापना में सफलता प्राप्त की। पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने अपने अधिकृत वाले के तीन जर्मन क्षेत्रों को मिलाकर फेडरल जर्मनी नामक राज्य की स्थापना की और इस प्रकार जर्मनी का विभाजन हो गया। इसी प्रकार जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो पूर्वी जर्मनी के बीच में स्थित है भी दो भागों में विभाजित हो गई तथा पूर्वी भाग पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी भाग पश्चिमी जर्मनी के साथ रहा।

पूर्ण सार्वभौमिकता की प्राप्ति की ओर

1949 में यद्यपि फेडरल जर्मनी का निर्माण सम्पन्न हो गया लेकिन वह पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नहीं था। वह सिर्फ आन्तरिक स्वशासन के लिए स्वतन्त्र था तथा उसकी विदेश नीति पर अब भी तीन मित्र राष्ट्रों—अमरिका ब्रिटेन व फ्रांस का नियन्त्रण था। 1939 से 1945 तक जर्मनी इनका शत्रु था जिसके विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद आज तक समस्त जर्मन राष्ट्र के साथ कोई शांति-संधि नहीं हुई क्योंकि अमरिका व सोवियत संघ में मतभेद थे।

युद्ध की स्थिति की समाप्ति

14 सितम्बर 1950 को अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्रांस ने संयुक्त रूप से

जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति का अन्त करने की घोषणा की। इस प्रकार अब जर्मनी एक शत्रु राष्ट्र नहीं रह गया था। इससे पूर्व 8 जून को मित्र राष्ट्रों ने फेडरल जर्मनी को यह अधिकार दिया कि वह विदेशों के साथ आर्थिक संधियाँ कर सकता है। इस प्रकार अब भी जर्मनी विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं था न जर्मन सरकार के पास अपना कोई विदेश विभाग ही था। 6 मार्च 1951 को तीन राष्ट्रों ने जर्मनी के सम्बन्ध में अधिकृत कानून (आकुपेशन स्टेच्यूट) में परिवर्तन किया तथा फेडरल जर्मनी को विदेश मन्त्रालय के निर्माण का अधिकार दिया। इससे पूर्व ही 1950 में फेडरल जर्मनी ने ब्रिटेन फ्रांस अमरिका रोम अंकारा (टर्की) हाग (हालैण्ड) ब्रूसेल्स (बेल्जियम) में अपने वाणिज्य-दूतावास खोले। 1951 के बाद ही विदेशों में राजदूतावासों की स्थापना सम्भव हो सकी। 27 फरवरी 1955 को तीन मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि फेडरल जर्मनी को पूर्ण सार्वभौम सत्ता प्रदान की जाती है। इस प्रकार 1955 में जाकर ही यह राष्ट्र पूर्णत सार्वभौम बन सका। 1951 में वह विदेश-नीति के क्षेत्र में सक्रिय हुआ और चार वर्ष बाद पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ उसका संचालन करने लगा।

रास्ते का चुनाव

अपने अस्तित्व के आरम्भ (1949) में फेडरल जर्मनी के सम्मुख विदेश-नीति के क्षेत्र में तीन मार्ग थे जिनमें से कोई एक अपनाया जा सकता था। वे रास्ते इस प्रकार थे—

(1) सोवियत गुट के साथ मैत्री
(2) अमरिकी खेमे में मैत्री
(3) स्वतन्त्र विदेश-नीति अर्थात् भारत जैसी विदेश-नीति।

रूस के साथ मैत्री करने से एक स्पष्ट लाभ था और वह यह कि जर्मनी का पुन एकीकरण हो जाता क्योंकि पूर्वी जर्मनी रूस के प्रभाव में था। यह एक बहुत बड़ा फायदा था लेकिन इसके साथ ही वहाँ पश्चिमी पद्धति के जनतन्त्र की व्यवस्था समाप्त हो जाती।

अमरिका के साथ मैत्री का यह लाभ था कि सम्पन्न और समृद्ध अमरिका युद्ध से राख के ढेर बने पश्चिमी जर्मनी को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता दे सकता था तथा साथ ही उसे साम्यवाद से बचा सकता था।

तीसरा रास्ता स्वतन्त्र या गुट निरपेक्ष नीति का रास्ता था। फेडरल जर्मनी के लिए यह रास्ता काँटों भरा साबित होता क्योंकि उस समय वह न केवल आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक निर्बल था वरन् सैनिक दृष्टि से भी पंगु था। ऐसी स्थिति वहाँ किसी भी अव्यवस्था का आत्माह्वान कर सकती थी।

फेडरल जर्मनी ने अमरिका के साथ मैत्री का रास्ता चुना। चांसलर एडेनावर ने पूर्व (सोवियत संघ) की ओर पीठ की तथा वह पश्चिम (अमरिका ब्रिटेन

व फ्रास) की ग्रोर ग्रभिमुख हुग्रा। 1949 स 1963 तक तो वह स्वय विदेशी-नाति का नियामक था। 1963 म यद्यपि ग्राडनग्रावर न चासलर पद से त्यागपत्र दे दिया नकिन फिर भा ग्रगन तीन वर्षों तक विदेश नीति पर उसका काफी प्रभाव रहा।

ग्राडेनग्रावर की विदेश नीति 1949–63

फडरन जमनी की विन्श नीनि को सु यवस्थित रूप प्रदान करन का श्रय जमनी क प्रथम चासनर कानराड ग्राडनग्रावर का है। प्रसिद्ध जमन नखक वाल्टर हाल्सटाइन क ग्रनुसार— जमन विदश नाति के समक्ष जो तीन रास्ते थे उसम से ग्राडनग्रावर न ग्रमरिका तथा स्वतन्त्र विश्व क साथ रहने का रास्ता चुना। उसकी विदश-नीति के प्रमुख ग्राधार इस प्रकार थे—

(1) जमनी का एकीकरण
(2) साम्यवाद का विरोध तथा शक्ति की राजनीति
(3) हाल्सटाईन सिद्धान्त
(4) यूराप की सुरक्षा व्यवस्था
(5) ग्रमेरिका के साथ सुदृढ सम्बन्ध
(6) फ्रास क साथ मैत्री
(7) ब्रिटेन क साथ सुमधुर सम्बन्ध
(8) भारत के साथ मैत्री व ग्रार्थिक सहयाग।

जमनी का एकीकरण

क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन तथा चासनर ग्राडनग्रावर की विदेश नीति में देश क एकीकरण को विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। पितृ भूमि की एकता उसका प्रमुख नारा था। नेकिन जमन एकीकरण की समस्या विषम थी। क्योकि देश के एकीकरण की दिशा मे प्रयास करने का ग्रथ सोवियत सघ पूर्वी जमनी तथा ब्रिटन फ्रास तथा ग्रमरिका क साथ सम्बन्धो म किसी न किसी रूप म तालमेल बिठाना था जो लगभग ग्रसम्भव था। ग्राडेनग्रावर न यह दावा प्रस्तुत किया कि पश्चिमी जमनी ही समस्त जमन जनता का ग्रकेला प्रतिनिधित्व करता है क्योकि यहा की सरकार स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव क ग्राधार पर चुनी गई है जबकि पूर्वी जमनी को स्वतन्त्र रूप से चुनाव द्वारा सरकार का निर्वाचन करने से वचित रखा गया। सयुक्त राज्य ग्रमरिका ब्रिटन तथा फ्राम न यह स्वीकार किया कि पश्चिमी जमनी क नता ही समस्त जमन क एक मात्र प्रतिनिधि है ग्रौर उन्ह एसा प्रतिनिधित्व करने का ग्रधिकार है। इस प्रकार एकमात्र प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की शुरूग्रात हुई।

10 जून 1953 का ग्राडनग्रावर की सरकार ने ग्रपनी विदेश-नीति के पाच सूत्री सिद्धान्त प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं (1) समस्त जमनी म स्वतन्त्र तथा

जनतान्त्रिक चुनाव (2) तत्पश्चात् समस्त जर्मन सरकार का निर्माण (3) मित्र राष्ट्रों—अमरिका सोवियत संघ ब्रिटेन व फ्रांस तथा पुनः एकीकृत जर्मनी के बीच शांति संधि (4) शांति संधि में जर्मनी की प्रादेशिक सीमाओं का निर्णय तथा (5) समस्त जर्मन सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के उद्देश्यों की भावना के अन्तर्गत सभी राष्ट्रों के साथ संधियों की व्यवस्था।

यदि इन पांच सिद्धान्तों का गम्भीर अध्ययन किया जाए तो वे विविध चरणों में जर्मनी के एकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास मात्र हैं। एल्मर प्लिश्के के अनुसार विदेश-नीति का मूलाधार था—(1) फेडरल जर्मनी की सुरक्षा (2) बर्लिन व फेडरल जर्मनी के बीच सम्बन्ध बनाये रखना तथा (3) देश का एकीकरण करना। लेकिन सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद तथा तनाव के कारण जर्मनी के पुनः एकीकरण का सपना अधूरा ही रहा।

साम्यवाद का विरोध तथा "शक्ति की राजनीति"

राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से कानराड आडेनआवर साम्यवाद का कट्टर विरोधी था। धार्मिक दृष्टि से वह कट्टर कैथोलिक था तथा सोवियत संघ को धर्म का घोर शत्रु मानता था और एक नास्तिक व तानाशाही व्यवस्था वाले सोवियत संघ के साथ वह मैत्री के लिए हर्गिज तैयार न था। मास्को को वह जर्मन एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन समझता था अतः एस राष्ट्र के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना कठिन था।

आडेनआवर के अनुसार सोवियत रूस की नीति विस्तारवादी तथा आक्रामक थी तथा जर्मनी के साम्यवादियों को भी वह पंच मार्गी (फिफ्थ कालमनिस्ट) मानता था जो रूस के इशारों पर जनतन्त्र की जड़ें खोखली करने पर तुले हुए थे। उसकी मान्यता थी—कि रूस की विदेश-नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य फेडरल जर्मनी फ्रांस व इटली को साम्यवादी नियन्त्रण में लाना था ताकि इन सब राष्ट्रों के आर्थिक साधनों का उपयोग करते हुए वह अधिक आत्म विश्वास व साधनों के साथ अमरिका का मुकाबला कर सके। पूर्वी जर्मनी को आडेनआवर ने सोवियत क्षेत्र की संज्ञा दी क्योंकि वहां सोवियत संघ के प्रभाव व सहयोग से साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी। बर्लिन के प्रश्न को लेकर 1948 में सोवियत संघ ने जो रुख अपनाया उससे आडेनआवर अत्यधिक क्षुब्ध हुआ।

यह स्मरणीय है कि 1948 तक समस्त जर्मनी की भांति बर्लिन पर भी मित्र राष्ट्रों का नियन्त्रण था तथा देश व राजधानी दोनों को चार भागों में विभाजित कर चार राष्ट्रों के प्रशासन में सौंप कर रखा गया था। यह कार्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया गया था लेकिन कानूनी दृष्टि से समस्त जर्मनी व बर्लिन पर चारों राष्ट्रों का नियन्त्रण स्वीकार किया गया था।

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन (प्रमी

फ्रन्टन जमनी का अस्थायी राजधानी बान है) पूर्वी जमनी के बीच स्थित है तथा वह भी पूर्वी तथा पश्चिमी बर्लिन म विभाजित है तथा पश्चिमी बर्लिन फ्रन्टन जमनी के साथ म है। इसी नेता स्टालिन उस पूर्वी जमना म मिलाना चाहता था। उसने सोचा कि यदि पश्चिमी बर्लिन व पश्चिमी जमनी के आपसी सम्बन्ध यातायात आदि समाप्त कर दिय जाय ता पश्चिमी बर्लिन की जनता भूखो मर जाएगी तथा लाचार होकर वह पूर्वी जमनी म शामिल होना स्वीकार कर लेगी। इसीलिए उसने 1948 म बर्लिन की नाकाबदी की।

बर्लिन की नाकाबन्दी स पहल समस्त जमनी म यातायात खुला था तथा इसी प्रकार बर्लिन क निवासी भी एक भाग स दूसर भाग म जा सकते थ। लेकिन स्टालिन क आदेश पर पहल पूर्वी जमनी ने स्थल मार्गों की नाकाबन्दी तथा पूर्वी बर्लिन स पश्चिमी बर्लिन का मिलन वाली बिजली की लाईन काट दी गई। अमरिका ब्रिटेन व फ्रास न स्टालिन के इस कदम का विरोध किया तथा हवाई जहाजो की सहायता से पश्चिमी बर्लिन का अनाज व अन्य सामग्री पहुचाई गई। 26 जून 1948 स 12 मई 1949 क बीच 260000 बार हवाई जहाज बर्लिन पहुच व वापस आए तथा पश्चिमी बर्लिन की जनता को हर सम्भव सहायता पहुचाई गई। स्टालिन अमरिका के इस रुख स निराश हुआ और उसे लगभग 11 माह बाद नाकाबदी हटाना पडी। इस घटना न फ्रन्टन जमनी व सोवियत सघ क बीच अविश्वास की भावना घर कर गई।

सोवियत सघ का सामना करन क लिए शक्ति की आवश्यकता थी। आडन आवर का विचार था कि रूस एक ही भाषा समझता है और वह है शक्ति की भाषा। इसलिए उसन शक्ति की राजनीति अपनाई। अपने देश को शक्तिशाली बनाने क लिए उसने यूरोपीय सुरक्षा समुदाय नामक सधि का समथन किया तथा 1955 म उत्तर अतलात सनिक सधि म प्रवेश किया।

यद्यपि आडनआवर साम्यवाद का कट्टर दुश्मन था लेकिन वह यह भी जानता था कि जमनी क एकीकरण की कु जी रूस क हाथ म है। साथ ही यद्यपि युद्ध 1945 म ही समाप्त हो गया था लेकिन अभी भी एक लाख से अधिक जमन सनिक व अन्य लोग रूस म कद थ। जमन जनता की माग थी कि उन्ह मुक्ति दिलाई जाए। ऐसी स्थिति म रूस के साथ बातचीत जरूरी हो गई। 9 सितम्बर से 13 सितम्बर 1955 म आडनआवर ने मास्को की यात्रा की तथा एलेसी टाल्सटाय भवन (विदेश मत्रालय) म बुल्गानिन के साथ वार्ता हुई। दोना देशों के बीच सितम्बर 1955 म ही राजनयिक सम्बन्ध कायम करना तय हुआ[1] तथा साथ ही यह भी समझौता हो गया कि

1 20 सितम्बर 1955 को सोवियत सघ की ओर स वलरिन जोरिन को राजदूत बनाकर प ल जमनी भजा गया तथा जनवरी 1956 में जमन राजदूत विल म हास न सोवियत सघ म अपना पद सम्भाला।

100 000 जर्मन युद्ध बन्दी रिहा कर दिए जाएंगे। अक्टूबर 1955 से जनवरी 1956 के बीच इन युद्ध बंदियों को छोड़ दिया गया। युद्ध बंदियों की मुक्ति से फेडरल जर्मनी में आडनआवर की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई। यद्यपि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हो गए लेकिन आपसी तनाव तथा विरोधी प्रचार जारी रहा। रूस ने समय2 पर पश्चिमी जर्मन सरकार पर नात्सियों तथा सैन्यवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया तथा इसके प्रत्युत्तर में फेडरल जर्मनी ने कहा कि यह गन्दा प्रचार है तथा रूस उबा देने वाली पुनरावृत्ति का शिकार है यानी बार बार एक ही रट लगाए हुए है जबकि आरोप निराधार है। रूस के साथ सक्रिय सहयोग का रास्ता कांटों से भरा था तथा 1970 के आसपास जाकर ही दोनों देशों के मध्य अच्छे सम्बन्धों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

हाल्सटाईन सिद्धान्त

फेडरल जर्मनी की विदेश-नीति की एक विशेषता थी हाल्सटाईन सिद्धान्त। वाल्टर हाल्सटाईन नामक व्यक्ति ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि पश्चिमी जर्मनी के नेता सम्पूर्ण जर्मनी के एक मात्र प्रतिनिधि होने का दावा करते थे लेकिन जब 1955 में रूस के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए तो यह कठिनाई सामने आई। सोवियत संघ तथा पूर्वी जर्मनी के बीच पहले ही राजनयिक सम्बन्ध थे इस प्रकार रूस ने दोनों जर्मन राज्यों को मान्यता दी। आडनआवर को डर था कि रूस के पद चिह्नों का अनुसरण करते हुए यदि अन्य विदेशी राष्ट्रों ने भी दोनों जर्मन राज्यों को मान्यता देना आरम्भ कर दिया तो जर्मनी का विभाजन स्थायी रूप ले लेगा। वह ऐसा नहीं चाहता था अतः हाल्सटाईन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। रूस के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के साथ ही कानराड आडनआवर ने इस सिद्धान्त की घोषणा की। हाल्सटाईन सिद्धान्त के अनुसार— यदि कोई राष्ट्र पूर्वी जर्मन राज्य को राजनयिक मान्यता देगा तो पश्चिमी जर्मनी उस मान्यता देने वाले राष्ट्र के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लेगा तथा उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं देगा। 1958 में जब युगोस्लाविया ने पूर्वी जर्मन राज्य को राजनयिक मान्यता दी तो फेडरल जर्मनी ने हाल्सटाईन सिद्धान्त के अन्तर्गत युगोस्लाविया से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिए। यह सिद्धान्त 1970 तक प्रभावी रहा। धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होने लगा और जब 1972 में फेडरल जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी ने परस्पर मान्यता दी तो यह सिद्धान्त स्वतः ही समाप्त हो गया।

यूरोप की सुरक्षा

इसी शताब्दी में दो विश्व-युद्ध लड़ गए तथा उसके परिणामस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों को तथा विशेषकर जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के

अन्त तो जर्मनी को विभाजित होने को मजबूर होना पड़ा। अन्य जर्मन जनता के मन में न केवल शान्ति की चाह थी वरन् वे एक संयुक्त यूरोपीय व्यवस्था के अन्तर्गत एक संयुक्त जर्मनी के निर्माण का सपना भी देखते रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट था कि जब तक पूर्वी तथा पश्चिमी गुटों में मतभेद हैं यूरोपीय सुरक्षा खतरे में रहेगी तथा एक संयुक्त यूरोप की बात करना बेकार है अतः पश्चिमी यूरोप के नेताओं ने पहले पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा के लिए सन्धि-समिति की तथा पश्चिमी यूरोपीय संघ के निर्माण की दिशा में प्रयास किया। आडेनावर ने पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा व एकता की दिशा में निरन्तर सक्रिय प्रयास किया। यूरोप की सुरक्षा व एकता की दृष्टि से ही यूरोप कौंसिल व इस्पात समुदाय, यूरोपीय प्रतिरक्षा-समुदाय, यूरोपीय विकास-सहायता, यूरोपीय आर्थिक समुदाय (साझा बाजार), यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय तथा पश्चिमी यूरोपीय संघ जैसी शान्ति संस्थाओं की रचना की गई तथा जर्मनी ने इनके निर्माण व विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

अमेरिका के साथ सुदृढ़ सम्बन्ध

फैडरल जर्मनी ने स्वतन्त्र जनतान्त्रिक व्यवस्था को चुना अतः यह स्वाभाविक ही था कि जनतान्त्रिक राष्ट्रों के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध हों और अमेरिका तो इन राष्ट्रों का नायक था अतः उसके साथ सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करना जरूरी था। आडेनावर के अनुसार संयुक्त-राज्य अमेरिका स्वतन्त्रता का महानतम रक्षक एवं प्रवक्ता था। साथ ही 1945 के बाद वह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। उसकी छत्रछाया में फैडरल जर्मनी अपनी सुरक्षा व अस्तित्व को बनाए रख सकता था फिर यूरोप में रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सेना की उपस्थिति भी आवश्यक थी। हाल्स्टन हाफ्टर के अनुसार आडेनावर की विदेश नीति का मूलाधार अमेरिका के नेतृत्व का सतत् समर्थन करना था। फैडरल जर्मनी ने आडेनावर के युग में हमेशा इस बात का समर्थन किया कि अमेरिकी सैनिक यूरोपीय भूमि पर उपस्थित रहें।

सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने के लिए भी अमेरिका का समर्थन व उससे मैत्री सहयोग जरूरी था। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के 10 वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए आडेनावर ने कहा "एक दिन रूस के साथ विचार विमर्श करना सम्भव होगा। यह सम्भावना तभी होगी जब पश्चिमी जगत् इतना अधिक शक्तिशाली व दृढ़ निश्चयी तथा एकता-युक्त होगा कि रूस इसे अनुभव करे कि कालान्तर में पश्चिमी जगत् नहीं टूटेगा ... हम जानते हैं कि स्वतन्त्र राष्ट्रों में अमेरिका सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न है तथा उसके साथ समान नीति यूरोपीय राष्ट्रों के लिए और खासकर जर्मनी के लिए उपयोगी है।" इसी अवसर पर फैडरल जर्मनी के विदेश मन्त्री हाल्स्टीन फान ब्रेन्टानो ने कहा "जर्मन स्वतन्त्र विश्व का

ऽिया है तथा आज का जर्मनी तथा कल का संयुक्त जर्मनी भी ऐसा ही होना चाहिए।'

अमरिका के साथ जर्मनी के सम्बन्ध कितने घनिष्ठ थे इसका अनुमान आडेन आवर की इस बात से लगता है— युद्ध के बाद मार्शल योजना, अमरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन तथा विदेश मन्त्री एचसन के माध्यम से दोनों देशों में स्वागतयोग्य सम्बन्ध स्थापित हुए। राष्ट्रपति आईजनहावर तथा विदेश सचिव डलस के समय ये सम्बन्ध निरन्तर प्रगति करते रहे। लेकिन अमेरिका में कनेडी के राष्ट्रपति बनने के बाद आडेनआवर तथा वाशिंगटन के बीच सम्बन्ध उतने मधुर नहीं रह जैसे कि पहले थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एक दूसरे के समर्थन में कमी आई।

फ्रांस के साथ मैत्री

पिछले तीन सौ वर्षों में जर्मनी तथा फ्रांस के सम्बन्धों का इतिहास तनाव व युद्धों को समेटे हुए है। 1870 से 1939 के बीच दोनों देशों ने तीन बड़े युद्ध लड़े। अतः कटुता में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। तीनों युद्धों में जर्मन सेना ने फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया तथा फ्रांसीसी भूमि तथा जनता जर्मन सैनिक बूटों के तले कुचली गई। युद्धोपरान्त जर्मनी को फ्रांस के सहयोग व सक्रिय समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता थी लेकिन फ्रांसीसी जनता पुराने अत्याचारों को नहीं भूली थी।

कानराड आडेनआवर जानता था कि जर्मनी की प्राचीन क्रूर छवि तथा व्यक्तित्व को भुलाकर एक नवीन जर्मनी के निर्माण के लिए फ्रांस की सद्भावना आवश्यक थी। यही कारण है कि कई अवसरों पर आडेनआवर ने फ्रांस के हितों को प्राथमिकता दी तथा यूरोपीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात् फेडरल जर्मनी ने विभिन्न अवसरों पर फ्रांस की नीतियों का सक्रिय समर्थन किया। इस प्रकार आडेनआवर दोनों देशों के मध्य सुमधुर सम्बन्ध स्थापित करने में सफल रहा। सफलता का चर्मोत्कर्ष हमें 1963 की फ्रांसीसी-जर्मन सहयोग संधि में दीख पड़ता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डीगाल तथा आडेनआवर ने मिलकर 22 जनवरी 1963 को सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि फ्रांस व जर्मनी के सम्बन्धों में एक मील का पत्थर थी। जनरल डीगाल ने इस अवसर पर कहा, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य के महत्त्व को समझता है न केवल इसलिए कि इसमे सूनी संघर्ष व लड़ाइयों के पृष्ठ बन्द होते हैं वरन् इसलिए भी कि इसमें फ्रांस व जर्मनी तथा यूरोप और इस प्रकार समस्त विश्व के लिए नए भविष्य का द्वार खुल गया है। आडेनआवर ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं आपकी भावना का समर्थन करता हूँ तथा इससे अधिक इसमें कुछ नहीं जोड़ना चाहता।

फ्रांस जर्मन सहयोग-संधि 1963 के अन्तर्गत अग्रलिखित व्यवस्थाएं की गई—

(1) दोनों देशों के विदेश मन्त्री प्रति तीन माह के बाद मिलेंगे तथा पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श करेंगे।

(2) फ्रांस व पश्चिमी जर्मनी के प्रतिरक्षा मन्त्री भी प्रति तीन माह बाद मिलेंगे तथा एक दूसरे को सैन्य गतिविधियों व समस्याओं से अवगत कराएंगे।

(3) दोनों देशों के प्रमुख सेनापति (चीफ आफ स्टाफ) दो माह में एक बार मिल कर विचारों का आदान प्रदान करेंगे।

(4) दोनों शिक्षा मन्त्री तीन माह में एक बार मिलेंगे।

(5) दोनों देशों के युवक कल्याण व तत्सम्बन्धी मामलों के मन्त्री भी प्रति तीन माह में एक बार मिलकर बातचीत करेंगे।

इस प्रकार अन्तर मन्त्रालय-समन्वय की व्यवस्था की गई। दोनों देशों के बीच प्रोफेसरों छात्रों व कलाकारों के आदान प्रदान को स्वीकृति दी गई। इस संधि के पश्चात् दोनों देशों में निरन्तर सद्भावना का विस्तार हुआ।

ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध

यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सैनिक पदाधिकारियों ने दो बार कानार्ड आडनआवर को पदच्युत किया था। पहली बार प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने जर्मनी के कोलोन नगर में प्रवेश किया तथा वहां के मेयर कानराड आडनआवर को पद से हटा दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरिकी सेना ने कोलोन पर अधिकार किया तथा 15 मार्च 1945 को आडनआवर को वहां के नगर निगम के मेयर का पद प्रदान किया। बाद में यह नगर ब्रिटिश प्रशासित प्रदेश बना और 6 अक्टूबर 1945 को ब्रिटिश सैनिक अधिकारी जनरल बारावलाय ने पुनः आडनआवर को पद से हटा दिया। दो बार बर्खास्त किए जाने के कारण जर्मन चान्सलर के मन में आक्रोश था लेकिन देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसने अपने व्यक्तिगत क्रोध को दबा कर ब्रिटेन के साथ मैत्री का रास्ता अपनाया। इसके कुछ कारण थे—जर्मनी व ब्रिटेन के मध्य भारी व्यापार था। ब्रिटेन की मैत्री प्राप्त करके ही यूरोप में फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता था।

यद्यपि फ्रांस इस बात का विरोधी था कि ब्रिटेन को यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बनाया जाए लेकिन आडनआवर ने समय समय पर ब्रिटेन की सदस्यता का समर्थन किया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच सहयोग का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ।

भारत के साथ मैत्री

पिछले पांच सौ वर्षों में भारत व जर्मनी के मध्य घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध थे। जर्मन विद्वानों ने—इनमें हेर्डर, फ्रीडरिच श्लेगल, ए डब्ल्यू श्लेगेल, विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट, मैक्स म्यूलर प्रमुख हैं—भारतीय धर्म, दर्शन व संस्कृति की प्रामा

की तथा उसे यूरोप म लोकप्रिय बनाया जोहानन गाल्फगा हेर्डर ने कालिदास की विख्यात नाटिका शकुन्तला के माध्यम से भारत की भूमि के प्रति अपनी श्रद्धाजलि व्यक्त करते हुए कविता लिखा—

> जहा शकुन्तला अपने परित्यक्त पुत्र के साथ रहता है
> जहा दुष्यन्त देवताओ स निल नए वरदान प्राप्त करता है।

पवित्र भूमि तुम्हे बार-बार प्रणाम है ऐ ध्वनि व शब्दों के हृदय की आवाज तुमसे प्रार्थना है कि मुझे स्वर्गिक अनुभूति का ऊषा या प्रदान करो।

इसी प्रकार विश्व विख्यात जमन कवि गेटे न भी शकुन्तला की प्रशसा म गीतों की रचना की। आगुस्ट विल्हेम श्लेगल ने 1820 म फ्रेडरिक जमनी की वतमान राजधानी बान म भारतीय पुस्तकालय का निर्माण संस्कृत भाषा म धम व दशन की पुस्तकें संग्रहीत की गई—स्थापना की इस प्रकार सवप्रथम बान म 1818 के विश्वविद्यालय म भारतीय विद्या का अध्ययन आरम्भ हुआ। श्लेगल न बान को पश्चिम के बनारस तथा राइन नदी का पश्चिम की गगा की सज्ञा दी। तब स निरतर दोनो देशो म सास्कृतिक विचारो का आदान प्रदान होता रहा। भारत म ना ण्याय शिरर व मक्स म्यूलर (भारत के संस्कृत के विद्वान इन्ह मोक्षमूलर कहना पसद करते है) की रचनाओ को सम्मान की दृष्टि स देखा जाता है। सक्षप म कहा जा सकता है कि कवियों व दार्शनिकों के दो रचना न भारत की संस्कृति म प्राण रवि दिखाई तथा उसम प्रेरणा प्राप्त की। यूरोप म भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए भारत सन्व जमनी का ऋणी रहेगा।

यद्यपि सास्कृतिक दृष्टि स दोनो देश एक-दूसरे के बहुत निकट थे लेकिन गुलाम भारत जमनी के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका। आजादी के बाद ही दोनो देशो के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो सके। लेकिन आजादी के सघष के दौरान कई भारतीय विद्वान लन्दन व पेरिस स बचने के लिए जमनी चले गए और वहा रहकर उन्होंने यूरोपीय जनता को ब्रिटेन द्वारा भारत के शोषण से परिचित कराया। 1913 म एक अनाम भारतीय ने एक जमन समाचार-पत्र नार्थविलगार मोर्गनस्टेन में जमन उद्योगपतियो को भारत म कारखाने लगाने का प्रलोभन दी। 1914 म ए. जमन विल्सन ने जमनी भारत को भ्रान्ति नामक पुस्तक लिखी। 16 अगस्त 1915 म जमन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतन्त्रता-समिति नामक एक गुप्त संस्था का घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। बाद म इसका नाम बदल कर भारतीय राष्ट्रवादी समिति-यूरोपीय केन्द्र रखा गया।

इससे पूव 1915 में अमरिका स प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह जमनी भेज गए ताकि व यूरोप म भारतीय स्वतन्त्रता के लिए चेतना जाग्रत कर सकें। बाद में राजा महेन्द्र प्रताप न काबुल म जिस अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा की उसम स्वय को राष्ट्रपति तथा मौलाना बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भारत

के मुल्तान क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने अपने को काबुल जर्मन या पीत जर्मन घोषित किया। उधर राजा महेन्द्र प्रताप 1918 में बर्लिन भी गए ताकि भारतीय स्वतन्त्रता के लिए जर्मन राष्ट्र का सहयोग प्राप्त किया जा सके।

बाद में एम एन राय, ताराचन्द राय, विनय कुमार सरकार, ए सी एन नम्बियार, ए हुसैन, प्रोफेसर गिरिजा के मुखर्जी आदि ने जर्मनी में भारतीय स्वतन्त्रता के लिए कार्य किया। पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व डा. राम मनोहर लोहिया ने भी जर्मनी की यात्रा की।

भारतीय नेताओं में सुभाषचन्द्र बोस वह प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने हिटलर की जर्मनी में सहायता प्राप्त कर भारत को आजाद कराने का असफल प्रयास किया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कार्य को एम आर व्यास व प्रो गिरिजा के मुखर्जी ने आगे जारी रखने का प्रयास किया।

जब भारत अपने संविधान के निर्माण में रत था तो भारतीय विधि विशेषज्ञों ने जर्मन संविधान (वेमिर का) का भी गूढ़ अध्ययन किया। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भारत ने जर्मनी का सहयोग व सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी भारत आखिर ब्रिटेन का दास था अतः जब ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी ने युद्ध छेड़ा तो भारत को उसमें सहयोग देना पड़ा। 6 सितम्बर 1939 को भारत ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में हिटलर के जर्मनी के विरुद्ध घोषणा की और जब विजेताओं की सेना ने जर्मनी में 1945 में प्रवेश किया तो उसमें भारत के सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे।

भारत ने जर्मनी के साथ अपने सुमधुर सांस्कृतिक सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए फेडरल जर्मनी के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में भारी रुचि दिखाई। उधर जर्मनी भी स्वतन्त्र भारत की सद्भावना प्राप्त करने का इच्छुक था। भारत उस समय अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक उदीयमान सितारा था तथा एशिया व अफ्रीका में वह काफी लोकप्रिय था। फेडरल जर्मनी एशिया व अफ्रीकी देशों में अपने पाँव जमाना चाहता था। यहाँ भारत की मैत्री व मान्यता एक महत्त्वपूर्ण तथ्य सिद्ध हो सकती थी।

1 जनवरी 1951 को भारत ने जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति का अन्त करने की घोषणा की और 11 नवम्बर 1951 को नई दिल्ली तथा बॉन में एक-साथ यह घोषणा की गई कि दोनों देशों ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं तथा शीघ्र ही राजदूतों का आदान प्रदान किया जाएगा। 22 अप्रैल 1952 में नई दिल्ली में जर्मन राजदूतावास खोला गया। इस प्रकार अफ्रीकी व एशियाई देशों में भारत उन राष्ट्रों में से एक था जिसने सबसे पहले फेडरल जर्मनी के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में तत्परता दिखाई। भारत और जर्मन के बीच राजनीतिक से अधिक आर्थिक सम्बन्ध रहे।

दोना देशो के बीच आर्थिक सम्बन्धो का इतिहास 1844 से प्रारम्भ होता है जब हाम्बुग की व्यापारिक कम्पनी 'हान्सियाटिक लीग' का प्रथम वाणिज्य-दूत ए एच ह्यूशके ने बम्बई आकर अपना कार्यालय खोला । उसी वष कलकत्ता म टी एच ए वाटेनबाख ने वाणिज्य दूत का कायभार सम्हाला । द्वितीय महायुद्ध के बाद 12 मई 1951 को बम्बई मे प्रथम जमन महावाणिज्य दूत का कार्यालय खोला गया । 20 जनवरी 1956 म बम्बई म भारत जमन व्यापार-मण्डल (इन्डो-जमन चेम्बर आफ कामस) की स्थापना की गई । वस दोनो दशो म माल का आयात निर्यात 1951 मे ही प्रारम्भ हो गया था । निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि दोनो देशो मध्य भारी व्यापार था ।

जमनी द्वारा भारत को भेजा गया माल (लाख माक)

1951	2140	1960	8340
1952	2270	1961	7800
1953	2770	1962	7310
1954	3750	1963	7240
1955	5900	1964	7770
1956	8190	1965	10490
1957	11260	1966	9510
1958	11730	1967	7960
1959	9600	1968	5750
		1969	4980

भारत द्वारा जमनी को भेजा गया माल (लाख माक)

1951	1200	1961	2230
1952	1250	1962	2610
1953	1660	1963	2540
1954	1530	1964	2720
1955	2680	1965	2440
1956	1890	1966	2390
1957	2520	1967	1840
19 ९	1920	1968	2150
1959	1800	1969	2370
1960	1840		

उक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने कम माल भेजा तथा जर्मनी से ज्यादा माल आया । इससे भारत के विदेशी व्यापार मे असन्तुलन हुआ और

1969 के बाद भारत ने पूर्वापेक्षा अधिक माल भेजना आरम्भ किया तथा व्यापार सतुलन कुछ ठीक हो सका।

फ़ेडरल जर्मनी के विदेश-सहायता कार्यक्रम में भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज तक पश्चिमी जर्मनी ने जो सरकारी द्विपक्षीय ऋण दिए हैं उनका 33 प्रतिशत भाग भारत को दिया तथा तकनीकी सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मदद दी गई उसका 10 प्रतिशत भाग भारत के हिस्से में आया है। 1957 से लेकर अप्रैल 1973 तक जर्मनी ने भारत के विकास के लिए 58000 लाख मार्क प्रदान किए हैं जो 1850 करोड़ रुपया के बराबर होते हैं। 1973 में जर्मनी ने भारत को 3100 लाख मार्क अथवा 93 करोड़ रुपए ऋण के रूप में देना स्वीकार किया है। इस प्रकार भारत को दी जाने वाली द्विपक्षीय सरकारी सहायता की दृष्टि से अमरिका के बाद पश्चिमी जर्मनी का दूसरा स्थान है। 1974 में भारत को 3600 लाख मार्क यानी 108 करोड़ रुपए ऋण व सहायता के रूप में प्राप्त हुए। 1973 की तुलना में यह मदद 16 प्रतिशत अधिक है। 1974 में प्राप्त 3600 लाख मार्क में से 2200 लाख मार्क (66 करोड़ रुपए) ऋण के रूप में है तथा 100 लाख मार्क या 3 करोड़ रु कृषि विकास कार्यक्रम में सहायता के रूप में तथा 1300 लाख मार्क या 39 करोड़ रुपए पुराने ऋण में राहत के रूप में है। इस ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा तथा इसे 30 वर्षों में चुकाया जा सकता है। न चुका पाने की स्थिति में 10 वर्ष की अवधि और प्रदान की जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋण उदार शर्तों पर दिया गया है।

व्यापारिक आयात निर्यात के साथ ही नई दिल्ली तथा बान (पश्चिमी जर्मनी) के आर्थिक सम्बन्ध सीमित नहीं रह जाते। फ़ेडरल जर्मनी ने भारत की शैक्षणिक तकनीकी व कृषि तथा उद्योग विषयक प्रगति में भी भारी योगदान दिया है। कैंसर रोग निवारण रिसर्च इंजीनियरिंग तकनीक से लेकर भू-उपग्रह निर्माण के क्षेत्र में दोनों देशों ने निकट सहयोग स्थापित किया है। जिन क्षेत्रों में जर्मनी ने भारत को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की है उनका विवरण इस प्रकार है—

रूरकेला इस्पात कारखाना

भारत की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस्पात की अत्यधिक आवश्यकता थी। जर्मनी ने रूरकेला में इस्पात-कारखाना स्थापित करने में सहायता प्रदान कर भारत के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। यह उल्लेखनीय है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में रूरकेला का इस्पात-कारखाना पहला स्थापित कारखाना है। यह कारखाना प्रति वर्ष लगभग 20 लाख टन स्टील तैयार करता है। पश्चिमी जर्मन राजदूत ग्यूंटर डीहल के अनुसार रूरकेला इस्पात कारखाना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुपम उदाहरण है।

मण्डी व कागडा-कृषि-योजना

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तथा सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या है कृषि का वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। इस दिशा मे जर्मनी ने हमे सहायता दी है। हिमाचल प्रदेश के मण्डी व कागडा क्षेत्र मे माग्त जर्मन कृषि योजनाए लागू की गई हैं जिसमे खेती की पैदावार मे वृद्धि के लिए वैज्ञानिक उपकरणो का प्रयोग सम्भव हुआ। यहा दोनो देशो के कृषि विशेषज्ञ मिलकर कार्य करते हैं। जर्मन सरकार ने कृषि सघन दुग्ध विकास योजना के लिए आवश्यक मुफ्त सहायता दी है।

नीलगिरी-कृषि योजना

दक्षिण भारत मे स्थित नीलगिरी-क्षेत्र मे भारत-जर्मन सहयोग सक्रिय दीख पडता है। कृषि पण्डितो के आपसी सहयोग तथा विचारो के आदान प्रदान से कृषि की उन्नति सम्भव हुई है। अब यहा के किसान पहले की अपेक्षा कई गुनी अधिक पैदावार करते हैं। यहा बीजो की किस्म को समुन्नत बनाने तथा कृषि के लिए वैज्ञानिक यन्त्रो का अधिकाधिक प्रयोग करने का काम होता है। पिछले पाच वर्षों मे इस सहयोग का गहरा प्रभाव पडा है।

मद्रास-तकनीकी संस्था

भारत को इन्जीनियरो व कुशल कारीगरो की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए देश मे तकनीकी अध्ययन संस्थान खोले गए। पश्चिमी जर्मनी ने इस दिशा मे भी सहयोग का हाथ बढाया। 1969 मे मद्रास मे जो इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी खोला गया उसकी स्थापना मे जर्मन सहयोग प्राप्त किया गया। 1959 मे यह संस्था आरम्भ हुई। इसने हजारो की संख्या मे तकनीकी विशेषज्ञ तैयार किए।

बगलोर-फोरमेन-संस्था

औद्योगिक व व्यावसायिक पेशे मे भी प्रशिक्षण जरूरी था और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बगलोर मे फोरमेन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई। यह संस्था भी जर्मन सहयोग के आधार पर खोली गई थी।

हावडा प्रशिक्षण व शोध संस्था

तकनीकी समस्याओ के समाधान के लिए शोध की भारी आवश्यकता महसूस की गई। प्रस्तुत समस्याओं के निवारण के लिए प्रत्येक राष्ट्र को सतत् शोध करनी पडती है। इस कार्य की पूर्ति के लिए जर्मनी के सहयोग से हावडा मे मद्रास स्टाफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई।

टेलीविजन तकनीक मे सहयोग

भारत में टेलीविजन या दूरदर्शन-यन्त्र के आगमन की दिशा में भी पश्चिम

जमनी का प्रमुख सहयोग रहा है। उसने न केवल भारत को सम्पूर्ण टेलीविजन-सयन्त्र भेंट किये वरन् भारत में टेलीविजन सयन्त्र के निर्माण में उसने विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्रदान की। बम्बई में आपसी सहयोग से एक टेलीविजन-केन्द्र खोला गया है।

छापखानें

देश में शिक्षा के प्रसार तथा पुस्तकों की कमी को देखते हुए आधुनिक किस्म के छापखानों का महत्त्व बढ़ा। फलत जर्मनी ने इस दिशा में भारत की सहायता करना स्वीकार किया। चण्डीगढ़ (पंजाब) में उसके सहयोग से एक विशाल और आधुनिक मशीनों वाला छापाखाना खोला गया जो पाठ्य-पुस्तकें छापने का कार्य करता है।

प्रथम युग की समीक्षा

एडेनावर की विदेश-नीति यद्यपि अपने मूल लक्ष्य—देश के एकीकरण की प्राप्ति में असफल रही लेकिन इसके बावजूद उसने विदेश-नीति के क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। उसने जर्मनी के लिए सार्वभौम सत्ता प्राप्त की फ्रांस की मुख्य सेना हटाकर फ्रांस को मित्र बनाया तथा अमरिका की सुरक्षा कवच प्राप्त किया। एडेनावर का दावा है कि फ्रांसीसी जर्मन सहयोग-सन्धि उसकी महान् सेवा है। उसने पश्चिमी जर्मनी देश को नाटो सैन्य राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया तथा आर्थिक दृष्टि से उसे एक महान् देश बनाया। विदेशी सहायता के माध्यम से उसने विकासशील देशों की मैत्री तथा सम्मान प्राप्त किया।

विदश-नीति का द्वितीय युग 1966–77

एडेनावर के पश्चात् तीन वर्ष तक लुडविग एरहार्ड चांसलर के पद पर रहे। उसने लगभग उसी विदेश-नीति का पालन किया जो उसके पूर्वगामी ने आरम्भ की थी। लेकिन 1966 में जब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मिली जुली वृहद्-सरकार (ग्रान्ड कोलीशन) बनी और इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता विली ब्रान्ट को वाइस चांसलर (उप प्रधानमंत्री) तथा विदेश मंत्री नियुक्त किया गया तो विली ब्रान्ट ने इस पद पर सरकार में शामिल होना स्वीकार किया कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सम्बन्धों को सुधारा जाए तथा उन्हें मुख्य आधार प्रदान किया जाए। इस दृष्टि से 1966 का वर्ष पश्चिम जर्मनी की विदेश-नीति के इतिहास में एक मील का पत्थर है एक निर्णायक वर्ष है। इस वर्ष से जर्मन विदेश-नीति के अन्तर्गत एक नया अध्याय आरम्भ होता है जिसे ओस्ट पोलिटिक कहा जाता है। ओस्ट पोलिटिक का अर्थ होता है पूर्वी देशों के प्रति नीति। यहाँ पूर्वी देशों से तात्पर्य पूर्वी यूरोप के देशों से है।

एडेनावर युग में पूर्वी यूरोपीय देशों में सिर्फ सोवियत संघ को ही महत्त्व दिया गया लेकिन उससे भी अच्छे सम्बन्ध नहीं रहे। उसकी नीति थी शक्ति-

प्रयत्न द्वारा जर्मनी का एकीकरण कठिन था और यह स्पष्ट होने लगा कि ऐसी नीति के पालन से न केवल तनाव स्थायी वरन् देश का एकीकरण भी असम्भव नहीं है। इस प्रकार हाल्सटाइन सिद्धान्त का परित्याग के बाद भी पूर्वी यूरोप के देशों को पूर्वी जर्मन राज्य की मान्यता नहीं से नहीं रोका जा सका। विली ब्रान्ट इस तथ्य से परिचित था कि जर्मनी एकीकरण की कुंजी मास्को के हाथों में है। जब तक सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों का जिनमें चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैण्ड आदि शामिल हैं—विश्वास तथा सद्भावना प्राप्त नहीं होती तब तक जर्मनी के एकीकरण की संभावना स्वप्न मात्र है। अतः विली ब्रान्ट की नीति थी— पहले तनाव में कमी बाद में एकीकरण। इस प्रकार जर्मन विदेश नीति के क्रम को उलट दिया गया। साथ ही यह भी स्मरण रखना होगा कि 1960 के बाद अमरिका व सोवियत संघ के मध्य सम्बन्ध सुधर रहे थे तथा तनाव कम हो रहा था। ऐसी स्थिति में जर्मनी के पास भी सहयोग के अलावा और कोई चारा न था। इसके लिए तनाव शैथिल्य की नीति अपनाना जरूरी था।

विली ब्रान्ट के सामने समस्या विषम था। पूर्वी यूरोप के देश हिटलर द्वारा किये गए नर-संहार को अभी भूल नहीं पाये थे। 1945 के बाद सोवियत संघ बराबर पूर्वी यूरोपीय देशों को जर्मन सैनिकवाद के हौवे से डरा रहा था। ब्रान्ट ने बड़े प्रयत्न, निष्ठा व विश्वास की भावना से कार्य किया तथा एक के बाद एक पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने में सफलता प्राप्त की। 1969 में जब उन्होंने पार्टी ने फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर मिला-जुला लघु मन्त्रिमण्डल (मिली कालीशन) बनाया तो ओस्ट पोलिटिक को तेजी से लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1969 में जर्मन बुन्डेस्टाग (नाइसना) के समक्ष भाषण देते हुए विली ब्रान्ट ने कहा— 'जर्मन जनता सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप की समस्त जनता के साथ सदा शान्ति में रहना चाहती है। हम ईमानदारीपूर्वक सद्भावना के लिए कार्य करने को तैयार हैं ताकि एक अपराधी गिरोह (हिटलर) द्वारा किए गए विनाश को बढ़ को भुलाया जा सके।' ब्रान्ट ने पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच विचारों तथा यात्राओं के आदान प्रदान की बात की। काफी कठिन परिश्रम के बाद सोवियत (पश्चिमी) जर्मनी तथा सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी तथा पोलैण्ड के मध्य सैनिक शक्ति के परित्याग की संधियां सम्पन्न हुई। इस व पोलैण्ड के साथ संधि करने से पूर्व 1967 में रूमानिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। संधि के फलस्वरूप दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हुई व दोनों देश निकट आए।

सोवियत संघ के साथ संधि

12 अगस्त 1970 को पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत संघ के बीच सैनिक शक्ति-परित्याग-संधि सम्पन्न हुई। मास्को में संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात्

चान्सलर विली ब्राण्ट ने कहा— सोवियत संघ के साथ यह संधि युद्धोपरांत जर्मनी की नीति की सफलता है। सोवियत संघ तथा हमारे पूर्वी पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है।

इस संधि की प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं —

(1) पश्चिम जर्मनी तथा सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा तनाव शैथिल्य के लक्ष्य की प्राप्ति को अपनी नीतियों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं।

वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपने प्रयासों द्वारा यूरोप में स्थिति को सामान्य बनाने की नीति को जारी रखेंगे तथा समस्त यूरोपीय देशों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्धों में वृद्धि करेंगे और ऐसा करते समय वे इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे।

(2) पश्चिम जर्मनी तथा सोवियत संघ अपने आपसी सम्बन्धों में तथा साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों व सिद्धान्तों से संचालित होंगे। तदनुसार वे संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 2 के अनुवर्ती अपने आपसी विवादों का समाधान एक मात्र शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे तथा वे यह वचन देते हैं कि अपने आपसी मामलों के साथ ही साथ यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में सैनिक शक्ति के उपयोग या धमकी से दूर रहेंगे।

(3) उपरिलिखित उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुसार पश्चिम जर्मनी तथा सोवियत संघ समान रूप से अनुभव करते हैं कि यूरोप में तभी शांति स्थापित रह सकती है जब कोई भी राष्ट्र वर्तमान सीमाओं का अतिक्रमण न करे।

— वे बिना किसी आरक्षण के यूरोप के सभी देशों की वर्तमान सीमाओं के अन्तर्गत प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

— वे यह घोषणा करते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध उनका कोई प्रादेशिक दावा नहीं है न भविष्य में ही वे ऐसे दावों पर जोर देंगे।

— वे आज भी मानते हैं तथा भविष्य में भी मानते रहेंगे कि सभी यूरोपीय देशों की सीमाओं को जैसी कि वे इस संधि पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दिन है—अनुल्लंघनीय मानेंगे। इन सीमाओं में ओडर नाईसे रेखा भी है जो पोलैण्ड गणराज्य की पश्चिमी सीमा है।

(4) पश्चिम जर्मनी तथा सोवियत संघ के बीच सम्पन्न इस संधि से दोनों पक्षों द्वारा पहले की गई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इस संधि पर जमनी की ओर से विदेश मंत्री ब्राण्ट तथा वाल्टरशील (वित्त मंत्री) तथा सोवियत संघ की ओर से प्रधान मंत्री एलेक्सी एन कोसिगिन तथा विदेश मंत्री एडाई ए ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किए। 1 मई 1972 को जमन संसद ने इस संधि पर स्वीकृति प्रदान की।

आधुनिक यूरोप के इतिहास में इस संधि का निर्णायक महत्व है। इसके साथ ही पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के बीच तनाव शैथिल्य का वातावरण बनना गया और भावी यूरोप की सुरक्षा का माग प्रशस्त हुआ। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पत्र प्रावदा ने इस सम्बन्ध में लिखा कि यह संधि फेडरल जमनी की राजनीतिक शक्तियों व शान्तिवादी जनमानस की विजय है। यहां यह स्मरणीय है कि फेडरल जमनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह शान्तिपूर्ण तरीके से दोनों जमन राज्यों के एकीकरण का प्रयास करता रहेगा।

पोलेण्ड के साथ संधि

पोलेण्ड को हिटलर के क्रूर आक्रमण का शिकार होना पड़ा। अत वहां की जनता में जमन राष्ट्र के प्रति घृणा थी। विली ब्राण्ट को ही इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पोलेण्ड की जनता का विश्वास जीता। यद्यपि पोलेण्ड ने 18 फरवरी 1955 को जमनी के साथ युद्ध की स्थिति की समाप्ति की घोषणा कर दी थी लेकिन दोनों देशों के मध्य तनाव बराबर बना हुआ था। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जमनी के विभाजन के समय कुछ जमन प्रदेश पोलेण्ड के प्रशासन में सौंप गये थे तथा यह तय किया गया कि बाद में इन प्रदेशों के भाग्य का निर्णय किया जाएगा लेकिन पोलेण्ड ने उस अधिकृत जमन प्रदेश को अपने में मिला लिया और उसे डर था कि भविष्य में जमनी इस प्रदेश पर दावा कर सकता है लेकिन पोलेण्ड यह प्रदेश अब नहीं देना चाहता था। दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण यह सीमा समस्या भी थी।

7 मार्च 1963 को फेडरल जमनी तथा पोलेण्ड ने व्यापार-समझौता किया जिससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ हुआ। 1966 (मार्च 26) को फेडरल जमनी ने शांति स्थापनार्थ एक पत्र पोलेण्ड भेजा। आगामी तीन वर्षों तक दोनों देशों के मध्य सहयोग व संधि के सम्बन्ध में पत्राचार होता रहा। 17 मई 1969 को पोलेण्ड के साम्यवादी दल के नेता ब्लादीस्लाव गोमुल्का ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि जमनी ओडर-नाइस नदी को पोलेण्ड की पश्चिमी सीमा स्वीकार कर ले तो दोनों देशों के मध्य संधि हो सकती है। ब्राण्ट ने इस विषय पर वार्ता करने को कहा। 4 फरवरी 1970 से 7 फरवरी 1970 के बीच पोलेण्ड की राजधानी वारसा में दोनों के बीच वार्ता चली जिससे सद्भावना व सहयोग का वातावरण बना। 7 दिसम्बर 1970 को दोनों पक्षों के बीच सामान्य सम्बन्ध निर्माण की संधि हुई। इस संधि की धाराएं इस प्रकार थीं—

(1) संघ जर्मनी तथा पोलैण्ड ने पाटसडम-समझौते (2 अगस्त 1945) के नौवें अध्याय में उल्लिखित वर्तमान सीमा का स्वीकार किया। यह सीमा ओडर-नाइस नदियों द्वारा निर्मित होती है। उन्होंने वर्तमान सीमाओं की अनुल्लंघनीयता की पुष्टि की तथा भविष्य में इसका सम्मान करने का वचन दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रादेशिक दावे नहीं रखते न भविष्य में ही ऐसा करेंगे।

(2) संघीय जर्मनी व पोलैण्ड अपने पारस्परिक सम्बन्धों के साथ ही साथ यूरोपीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों व सिद्धान्तों से संचालित होंगे।

तदनुसार वे संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 तथा 2 के अनुवर्ती अपने सभी विवादों का निपटारा एक मात्र शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे तथा अपने पारस्परिक सम्बन्धों तथा यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में शक्ति के प्रयोग या उसकी धमकी से दूर रहेंगे।

(3) संघीय जर्मनी तथा पोलैण्ड सम्बन्धों को पूर्णतया सामान्य बनाने तथा अपने पारस्परिक सम्बन्धों को विशद रूप में विकसित करने के लिए आगे कदम उठायेंगे।

वे यह स्वीकार करते हैं कि आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक व अन्य सम्बन्धों में सहयोग का विस्तार उनके आपसी हित में है।

(4) वर्तमान सन्धि सम्बद्ध पक्षों द्वारा पहले किए गए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों को प्रभावित नहीं करती।

संघीय जर्मनी की ओर से इस सन्धि पर विली ब्राण्ट तथा वाल्टर शील ने तथा पोलैण्ड की ओर से जोजफ सिराकीविक्ज तथा स्टीफन जडीकोवस्की ने हस्ताक्षर किये।

वारसा में सन्धि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् पोलैण्ड के प्रधान मन्त्री जोजफ सिराकीविक्ज ने कहा "इस सन्धि की एक ऐतिहासिक भूमिका है यह हम दोनों राष्ट्रों तथा समग्र यूरोप के लिए स्थायी शान्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।" विली ब्राण्ट ने प्रत्युत्तर में कहा—"यह हम दोनों राष्ट्रों के लिए एक विशेष दिन है। इस सन्धि से एक नवीन शुरुआत होगी। मेरी सरकार की नीति तनाव शैथिल्य की नीति है। इस प्रकार स्वाभाविक कदम उठाने होंगे।" पोलैण्ड के साथ सन्धि सम्पन्न होने के साथ यूरोप में शांति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ। जर्मन बुन्डस्टाग ने मई 1972 में इस सन्धि की भी स्वीकृति प्रदान की।

विली ब्राण्ट को नोबल पुरस्कार (1971)

सन् 1971 फेडरल जमनी के इतिहास म सदैव स्मरण रखा जाएगा। इस वर्ष चान्सलर विली ब्राण्ट को विश्व विख्यात नोबल शान्ति-पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जमनी की शान्ति-पूर्ण विश्व-शान्ति की सफलता का उच्चतम प्रतीक था। इस अवसर पर फेडरल जमनी के राष्ट्रपति गुस्टाफ हाइनमान ने कहा— आज का विश्व कई तरह से खतरे म पड़ा है और नया एन दुष्प्राप्य स्थितियो की तलाश म है जिनम विश्वास व्यक्त किया जा सके नोबल पुरस्कार समिति ने विली ब्राण्ट को नोबल शान्ति-पुरस्कार देकर उनमे विश्वास व्यक्त किया है।

नोबल पुरस्कार-समिति ने विली-ब्राण्ट को नोबल शान्ति पुरस्कार देने के कारणो का उल्लेख करते हुए कहा कि फेडरल जमनी के नेता के रूप म तथा जमन जनता की ओर से विली ब्राण्ट ने उन लोगो व राष्ट्रो के प्रति मैत्री का हाथ बढाया जो दीघकाल से शत्रु थे। उन्होंने यूरोप म शान्ति के लिए सद्भावना की दिशा म पूर्वापेक्षित वातावरण तैयार करने म असाधारण सफलता प्राप्त की हैं। समिति ने आगे कहा— 1966 म विदेश मन्त्री के रूप म तथा 1969 म चान्सलर के रूप म विली ब्राण्ट ने तनाव शथिल्य के लिए वातावरण तैयार करने की दिशा म सुनिश्चित कदम उठाए हैं तथा पोलण्ड व सोवियत सघ के साथ बल प्रयोग परित्याग सन्धि पर हस्ताक्षर किये है।

विली ब्राण्ट ने नार्वे की राजधानी ओस्लो म 10 दिसम्बर 1971 को नोबल शान्ति पुरस्कार स्वीकार करने के पश्चात् कहा— मुझे अत्यधिक खुशी है कि मरे देश का नाम शान्ति की इच्छा के साथ जोड़ा जा रहा है। विली ब्राण्ट ने कहा— आपसी विनाश से बचने का एक ही रास्ता है और वह है पारस्परिक सुरक्षा। साथ ही आगे कहा— युद्ध राजनीतिक लक्ष्यो की प्राप्ति का साधन नहीं होना चाहिए। युद्ध को सीमित नहीं वरन् पूर्णत समाप्त करना होगा।

जनवादी (पूर्वी) जमनी के साथ सन्धि

हिटलर की पराजय के पश्चात् जमनी को 1945 म मुख्यत चार भागों म बाटा गया। 1949 आते आते रूस अधिकृत पूर्वी जमन प्रदेश म साम्यवादी शासन पद्धति के आधार पर जनवादी जमन राज्य का निमाण किया गया तथा अमरिका ब्रिटेन व फ्रास के अधिकृत क्षेत्रों को मिलाकर पश्चिमी जमनी या सघीय जमन गणराज्य की रचना की गई जहा पश्चिमी जनतन्त्रीय पद्धति अपनायी गई। पूर्वी जमनी रूस द्वारा स्थापित वारसा सनिक सगठन का सदस्य बना तथा फेडरल (सघीय) जमनी अमरिका द्वारा प्रस्तावित उत्तर अतलान्त सन्धि-सगठन का सदस्य बना। इस प्रकार विचारधारा तथा सन्य सगठन की सदस्यता की दृष्टि से दोनों जमन राज्य एक-दूसरे के नयकर विरोधी हो गए। पश्चिमी जमनी ने पूर्वी जमन राज्य के अस्तित्व से ही इन्कार किया तथा उसे सोवियत अधिकृत जमन प्रदेश की सज्ञा दी।

साथ ही यह दावा भी किया कि पश्चिमी जर्मन राज्य ही समस्त जर्मन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। *आडेनावर* का कहना था कि पूर्वी जर्मनी में निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव नहीं हुए हैं अतः पश्चिमी जर्मनी ही समस्त जर्मन जनता का सही व सच्चा प्रतिनिधि है।

विश्व के अन्य देश जहाँ पूर्वी जर्मन राज्य को राजनीतिक मान्यता न दें इसी तथ्य से प्रेरित होकर आडेनावर युग के आरम्भ में हालस्टाइन सिद्धान्त का जन्म हुआ। इसका उल्लेख विस्तार से पहले किया जा चुका है। यद्यपि दोनों जर्मनी के नेता एक दूसरे का डटकर विरोध करते रहे फिर भी जनता दोनों के एकीकरण के पक्ष में थी क्योंकि जर्मन नागरिकों के सम्बन्धी व मित्र दोनों राज्यों में फैले हुए थे। दोनों राज्यों के नेता देश के एकीकरण की बात करते रहे लेकिन उनकी शर्तें अलग अलग थी। पश्चिमी जर्मनी समस्त जर्मनी को एक जनतन्त्रीय राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था तथा पूर्वी जर्मनी इसे एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में।

बर्लिन की समस्या और भी अधिक विकट थी। यह नगर पूर्वी जर्मन राज्य के मध्य में स्थित है और पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी जर्मनी के साथ था तथा पूर्वी बर्लिन पूर्वी जर्मन राज्य के अधिकार में। 1948 में पहली बार स्टालिन ने बर्लिन नगर की नाकेबन्दी कर पश्चिमी बर्लिन की जनता को पूर्वी जर्मन राज्य में मिलने को प्रेरित करना चाहा लेकिन अमरीका ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा वहाँ वायुयानों से रसद व अन्य सामग्री पहुँचाई। वायुयानों का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूर्व जर्मन सरकार ने स्थल मार्ग बन्द कर दिया था। पूर्वी जर्मनी ने पश्चिमी जर्मनी के नागरिकों द्वारा स्थल मार्ग से पश्चिमी बर्लिन में प्रवेश पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। वे लोग अमरीकी फ्रांसीसी या ब्रिटिश वायुयानों में बैठकर ही पश्चिमी बर्लिन पहुँच सकते थे।

1961 में पूर्वी जर्मन सरकार ने पूर्वी बर्लिन व पश्चिमी बर्लिन के बीच एक कांक्रीट दीवार बना दी ताकि पूर्वी बर्लिन से लोग पश्चिमी बर्लिन में न जा सकें। पश्चिमी जर्मनी अमरीका ब्रिटेन व फ्रांस ने सोवियत संघ से विरोध प्रकट किया लेकिन दीवार बनी रही।

1966 में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मिली जुली बॉन सरकार बनी तब विली ब्रान्ट उप प्रधानमन्त्री (वाइस चान्सलर) तथा विदेश मन्त्री के पद पर आसीन हुए। उन्होंने पूर्वी जर्मनी के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में पहल की। यह उल्लेखनीय है कि बॉन सरकार में प्रवेश करने से पूर्व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्वी जर्मनी के प्रति नवीन नीति अपनाने की बात की थी। सोशल डेमोक्रेट नेता ब्रान्ट की मान्यता थी कि शीत युद्ध की नीति से जर्मनी के एकीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है अतः तनाव शैथिल्य की नीति का अनुसरण करके वह लक्ष्य प्राप्त किया जाए। ब्रान्ट ने अपने

दल के नता के रूप मे पूर्वी जमनी क नताश्रो को पत्र लिखे तया दोना रा्यों क नताश्रो द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र म जाकर मापण देन का प्रस्ताव रखा। साय ही दन के सभी स्तरा पर श्रापसी सम्पक की बान की गइ। र्किन पूर्वी जमनी क नेताश्रा ने इस अस्वीकार कर न्यिा।

फडरन जमनी क 28 वप क इतिहास म 1969 म पहनी बार साशियन डमोक्र टिक पार्टी न मुख्य पार्टी क रूप म फ्री डमाक्र टिक पार्टी क साय मिली-जुली लघु सरकार' (मिनी कोनीशन) बनाई। इम सरकार न पूर्वो जमनी स सम्बन्ध सुधारन का काय श्रोर तज कर दिया। इन्ही प्रयासा के फ्लस्वरूप 1972 म दाना नमन राज्यो के वीच सम्बधा का श्राधार बनान के निए सधि क प्रारूप पर हस्ताक्षर हुए। फडरल जमनी व जनवादी (पूर्वी) जमन राज्य के बाच हुई सधि की व्यवस्थाए इस प्रकार हैं —

(1) फडरल जमनी व जनवादा जमनो समानता क श्राधार पर एक दूसर क साय श्रच्छ पडोमी क सामान्य सम्बन्ध विकसित करेंगे।

(2) दाना देश सयुक्त राष्ट्र सघ के चाटर म उल्लिखित सिद्धान्ता म सचालित हागे खासकर सभी राष्ट्रा का सावभौम समानता स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान स्वशासन प्रादशिक अखण्डता तथा श्रात्म निणय क श्रधिकार मानव श्रधिकारा की सुरक्षा तथा भदभाव का अत करन की दिशा में प्रवत्त होंगे।

(3) सयुक्त राष्ट्र सघ चाटर के श्रनुसार दोना राज्य एक मात्र शातिपूण नरीक से श्रपन विवादो का समाधान करेंगे तथा शक्ति का प्रयोग या उसकी धमकी का प्रयाग नहीं करेंगे।
वे श्रभी तथा भविष्य म एक दूसर की वतमान सीमा की श्रनुलघ नीयता की पुष्टि करत हैं तथा उनकी प्रादेशिक खण्डता क सम्मान का वचन दते हैं।

(4) दोनो दश इस मान्यता क साय काय करेंगे कि दाना राज्या म स कोई भी राज्य श्रतराष्ट्रीय क्षेत्र म दसरे का प्रतिनिधित्व नहा कर सकता या उसके नाम पर काय नही कर सकता।

(5) दाना देश यूरोपीय राज्यों क बीच शातिपूण सम्बन्धा को प्रोत्साहित करेंगे तथा यूरोप म शाति व सहयोग की दिशा म काय करेंगे।
व यूरोप म सना तथा शस्त्रों की सख्या म कमी करन सम्बन्धी प्रयासों का समयन करेंगे।

(6) दाना राष्ट्र इस सिद्धान्त को मानकर चलेंगे कि दोना राज्यों का क्षेत्राधिकार उनकी सीमा तक सीमित हैं। वे श्रातरिक व विदेशी मामलों म एक दूसर की स्वतन्त्रता का सम्मान करेंगे।

(7) दोनों राष्ट्र सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में व्यावहारिक तथा मानवीय प्रश्नों को नियमित करने को तैयार हैं। वे वर्तमान संधि के आधार पर आपसी लाभ के लिए अर्थ-व्यवस्था, विज्ञान, तकनीक, यातायात, आर्थिक सम्बन्धों, खेल व दूर संचार, स्वास्थ्य, संस्कृति, स्वस्थ वातावरण की सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेंगे।

(8) पश्चिम जर्मनी व पूर्वी जर्मनी स्थायी दूतावासों का आदान-प्रदान करेंगे।

(9) दोनों राष्ट्र यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान संधि उनके द्वारा पहले सम्पन्न किए गए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों को प्रभावित नहीं करेगी।

पश्चिम जर्मनी की ओर से इस संधि पर इगान बार ने तथा पूर्वी जर्मनी की तरफ से मिचाएल कोल ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के साथ ही दोनों देशों में चले आ रहे तनावपूर्ण सम्बन्ध समाप्त करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ। जर्मनी की जनता ने इस संधि का हार्दिक स्वागत किया।

चेकोस्लोवाकिया के साथ संधि

11 दिसम्बर 1973 को चेकोस्लोवाकिया के साथ बॉन नगर में संधि सम्पन्न हुई। हिटलर ने 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर जबरन अधिकार कर लिया था तब से चेक लोगों की जनता के मन में जर्मनी के प्रति कटुता की भावना थी। किन्तु दोनों राष्ट्र भी विरोधी सैनिक गुटों के सदस्य बन गए। चेकोस्लोवाकिया ने वारसा सैनिक संधि की सदस्यता स्वीकार की तो पश्चिम जर्मनी ने उत्तर अटलांटिक संधि-संगठन में प्रवेश किया। चेकोस्लोवाकिया की यह माँग रही थी कि पश्चिम जर्मनी हिटलर की नाजी सल्तनत द्वारा जर्मन प्रश्न की माँग न करे तथा अब वह यह चाहता था कि जर्मनी म्यूनिख समझौता 1938 के अंत की घोषणा करे। विली ब्रान्ट के सद्प्रयत्नों से दोनों देश एक दूसरे के निकट आए तथा 1973 में संधि सम्पन्न हुई। इसकी धाराएँ इस प्रकार हैं —

(1) पश्चिम जर्मनी तथा चेकोस्लोवाकिया वर्तमान संधि के अन्तर्गत यह मानते हैं कि उनके आपसी सम्बन्धों के बारे में 29 सितम्बर 1938 म्यूनिख समझौता प्रभावहीन है।

(2) वर्तमान संधि से 30 सितम्बर 1938 से लेकर 9 मई 1945 तक के लागू कानून प्रभावहीन हो जाएँगे।

(3) दोनों देश अपने आपसी सम्बन्धों तथा साथ ही यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लिखित उद्देश्यों व सिद्धान्तों से संचालित होंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम व द्वितीय अनुच्छेद के अनुसार व अपने आपसी विवादों का समाधान एक मात्र शान्तिपूर्ण तरीके से करेंगे तथा यूरोपीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों तथा अपने पारस्परिक मामलों में दल प्रयोग या उसकी धमकी नहीं देंगे।

(५) उपरिलिखित उद्देश्यों व सिद्धान्तों के अनुकूल दोनों देश अपनी वर्तमान सीमा की अनुल्लंघनीयता की पुष्टि करते हैं तथा अभी या भविष्य में बिना किसी आरक्षण के एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करने का वचन देते हैं।

(६) दोनों देश अपने पारस्परिक संबंधों के विस्तार व विकास के लिए और कदम उठाएँगे। वे स्वीकार करते हैं कि आर्थिक व वैज्ञानिक क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक तथा तकनीकी सम्बन्धों में तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के रक्षण, अनुकूल यातायात व अन्य क्षेत्रों में परस्पर ऐसा सहयोग करेंगे जिससे वह दोनों के हित में होगा।

पश्चिमी जर्मनी की ओर से इस संधि पर विली ब्रान्ट तथा वाल्टर शील (विदेश-मंत्री) तथा चेकोस्लोवाकिया की ओर से लुबोमीर स्ट्रोगल (प्रधानमंत्री) तथा बोहुस्लाव छनोउपक (विदेश-मंत्री) ने हस्ताक्षर किए।

ओस्ट पोलिटिक की समीक्षा

विली ब्रान्ट ने 1964 में कहा था— आर्थिक दृष्टि से पश्चिमी जर्मनी एक भीमकाय व्यक्ति है और राजनीतिक दृष्टि से बौना। इस बौने पश्चिमी जर्मनी को सन्तुलित व्यक्तित्व प्रदान करना जरूरी था। आडेनावर युग में पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मुख्य संबंध स्थापित हो चुके थे और पश्चिमी जर्मनी ने आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब तक पूर्वी यूरोप के देश पश्चिमी जर्मनी को मान्यता नहीं देते तब तक उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व असंतुलित था। साथ ही जर्मनी के एकीकरण की दिशा में सोचा भी नहीं जा सकता था। अतः समय की मांग थी कि पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाए जाएं और विली ब्रान्ट ने यह कर दिखाया। 1969 में अपनी नीति की घोषणा करते हुए विली ब्रान्ट ने कहा— "पूर्वी यूरोप के प्रति हमारी नीति शान्ति-नीति के अलावा कुछ और नहीं हो सकती।" इस प्रकार ओस्ट पोलिटिक का आविर्भाव हुआ और 1970 में रूस और पोलैण्ड के साथ बल प्रयोग-परित्याग संधि पर हस्ताक्षर हुए। उसके साथ ही यूरोप की तनाव पूर्ण परिस्थिति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। विली ब्रान्ट ने इस प्रकार विश्व शान्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मानवता व शान्ति के प्रति उसकी सेवाओं को देखते हुए 1971 में नोबल-पुरस्कार-समिति ने विली ब्रान्ट को शान्ति के लिए नोबल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। यह पुरस्कार पश्चिमी जर्मनी व विली ब्रान्ट के

लिए एक अपूर्व सम्मान था तथा यह जर्मनी की शांतिवादी नीति का चरम प्रतीक भी था। बाद मे जनवादी जर्मनी तथा चेकोस्लावाकिया के साथ संबंध सुधार कर शांति स्थापना के इतिहास मे नए अध्याय का श्री गणेश किया गया। ओस्ट पालिटिक विली ब्रान्ट तथा शांति का पर्याय बन गई। जर्मनी ने इस नीति के माध्यम से पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप के बीच पुल का कार्य करने का सफल प्रयास किया। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विली ब्रान्ट को पत्र लिखकर आशा व्यक्त की कि राष्ट्रों के मध्य सहयोग व सद्भावना का आपका लक्ष्य आगे भी सफल होगा। ये वाक्य ओस्ट पोलिटिक के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं।

जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ

प्रारम्भ से ही जर्मनी की यह इच्छा रही कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने तथा विश्व शांति एवं सहयोग में योगदान दे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने पर जर्मनी का विभाजन हो जाता क्योंकि फेडरल जर्मनी अभी संयुक्त जर्मनी का प्रतिनिधि नहीं बन सकता था। लेकिन विश्व के विकास में सहयोग देने के लिए उसने इसकी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की तथा उन्हें भारी मात्रा में आर्थिक मदद दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जर्मनी जिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बना उनके नाम इस प्रकार हैं —

(1) अन्तर सरकारी जहाजी व्यापार सलाहकार संगठन जर्मनी 7 जनवरी 1957 को इसका सदस्य बना।
(2) अंतर्राष्ट्रीय परिमाणु ऊर्जा एजेन्सी (1 अक्टूबर 1957 को सदस्यता प्राप्त)।
(3) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (8 जून 1956)।
(4) विश्व डाक संघ (1955)।
(5) संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (21 जून 1952)।
(6) खाद्य एवं कृषि संगठन (10 नवम्बर 1950)।
(7) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (12 जून 1951)।
(8) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक-पुनर्रचना व विकास (14 अगस्त 1952)।
(9) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (संस्थापक सदस्य)।
(10) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (संस्थापक सदस्य)।
(11) अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (17 अप्रेल 1952)।
(12) विश्व-स्वास्थ्य संगठन (29 मई 1951)।
(13) विश्व ऋतु विज्ञान संगठन (10 जुलाई 1954)।
(14) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा (मानिटेरी) कोष (14 अगस्त 1952)।

फडरल जमनी के सयुक्त राष्ट्र सघ की जिन सहायक अन्तराष्ट्रीय सस्थाओ की सदस्यता प्राप्त की उनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) सयुक्त राष्ट्र-सघ औद्योगिक विकास सगठन (सस्थापक सदस्य)।
(2) सयुक्त राष्ट्र-सघ विकास-कायक्रम (सस्थापक सदस्य)।
(3) फिलीस्तीन शरणार्थियो के लिए सयुक्त राष्ट्र-सघ राहत-काय एजन्सी (1952)।
(4) सयुक्त राष्ट्र सघ व्यापार व विकास-सगठन (1964)।
(5) यूरोपीय आर्थिक आयोग (21 फरवरी 1956)।
(6) सयुक्त राष्ट्र-सघ-बाल-सहायता-कोष।
(7) सयुक्त राष्ट्र-सघ शरणार्थी-उच्चायुक्त (आरम से सहायता)।
(8) सयुक्त राष्ट्र सघ प्रशिक्षण एव शोध-सस्था (1963)।

उपरिलिखित सभी अन्तराष्ट्रीय सस्थाओ को फडरल जमनी ने काफी मात्रा म आर्थिक सहायता प्रदान की जिसका विवेचन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

सयुक्त राष्ट्र सघ की सस्थाओ को फेडरल जमनी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता (1960–1971)

सस्था	आर्थिक सहायता (मिलियन मार्क में)
(1) सयुक्त राष्ट्र सघ व्यापार व विकास-सम्मेलन	12 692
(2) सयुक्त राष्ट्र-सघ विकास-कायक्रम	392 320
(3) सयुक्त राष्ट्र बाल सहायता-कोष	73 972
(4) सयुक्त राष्ट्र सघ राहत काय सघ	60 384
(5) अन्तराष्ट्रीय श्रम सगठन	56 095
(6) खाद्य व कृषि-सगठन	85 568
(7) शक्षणिक वज्ञानिक व सास्कृतिक सगठन	74 445
(8) विश्व-बक	172 252
(9) विश्व-स्वास्थ्य सगठन	135 390
(10) अ तर्राष्ट्रीय विकास-बक	1184 629

उक्त सस्थाओ तथा अन्य म याओ को फिडरल जमनी ने 1960–1971 की अवधि म 26430 208 लाख मार्क प्रदान किए। इस प्रकार फडरल जमनी अन्तराष्ट्रीय सहयोग सद्भावना व विकास की दिशा म महत्वपूर्ण योगदान की ओर अग्रसर हुआ।

22 जून 1972 को सयुक्त राष्ट्र-सघ की सुरक्षा-परिषद न सवसम्मति म महासभा को सिफारिश की कि पूव तथा पश्चिमी जमनी को सयुक्त राष्ट्र सघ की

सदस्यता प्रनान का नाए। 18 सितम्बर 1973 का फडरल जमना का न्स महान् अन्तराष्ट्रीय मगठन का सदस्यना प्रदान की ग" तथा फडरन जमनी सयुक्त राष्ट्र सघ का 134 वा सदस्य दना। 26 सिनम्बर 1973 का सयुक्त राष्ट्र-महासभा म मापए दन हुए फन्रन जमनी क चान्सनर विनी ब्राण्ट न कहा— हम यहा न्सनिए नहीं ग्राए हैं कि सयुक्त राष्ट्र-सघ क मच का जमन समस्या क निए ग्रानोचना या माग क निए प्रयुक्त किया नाए। हम यहा विश्व भावना स सम्बद्ध उत्तरन्दायित्व में हिस्सा बनान ग्राए हैं। फडरन जमनी यूराप म शाति का स्थिति उत्पन्न करन का प्रयास करगा। बल प्रयाग क परित्याग की नीति हमारी शाति-नीति का प्रथम तत्त्व है ग्रौर रहगा। श्री ब्राण्ट न ग्राग कहा— सयुक्त राष्ट्र-सघ—पूण विनाशक युद्ध क" चुनौती का उत्तर है—विश्व मानवता क शाति प्रयासा क सदियो पुरान सपन का दपण है इसक निए सभी राष्ट्रा को एकजुट हाकर काय करना हागा।

□□□

अनुलेख (पोस्ट-स्क्रिप्ट)

पिछले पृष्ठो मे 1975 तक के घटना चक्र का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 1976 मे पश्चिमी जर्मनी मे बुन्देसटाग (लोकसभा) के चुनाव हुए लेकिन सरकारी स्तर पर स्थिति वही बनी रही। 3 अक्टूबर 1976 को बुन्देसटाग के चुनावो म सोशल डमोक्रेटिक पार्टी फ्री डमोक्रटिक पार्टी तथा क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन ने (तथा यूनियन की सखी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन जो बवेरिया म सक्रिय है) भाग लिया। 1976 के इन चुनावा से पहले भी पश्चिमी जमनी में सोशल डेमोक्रटिक पार्टी व फ्री डमोक्रटिक पार्टी की मिली जुली सरकार थी और इन चुनावो के बाद भी वहा पुन उन्ही की सरकार बनी। चान्सलर पद के लिए सोशल डेमोक्रटिक पार्टी के नेता हेलमुठ श्मिडट पुन चुने गए। विरोधी पक्ष (क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन) के नेता हेलमुठ कोहल भी चान्सलर पद के उम्मीदवार थे। यह सयोग की बात है कि 1976 मे चान्सलर पद के दो दावेदार थे दोनो के नाम हेलमुठ से प्रारम्भ होते थे एक हेलमुठ श्मिडट तथा दूसरे हेलमुठ कोहल।

पश्चिमी जर्मनी मे 3 अक्टूबर 1976 को आयोजित चुनावो का परिणाम इस प्रकार रहा —

बुन्देसटाग के चुनाव

दल का नाम	1976 प्राप्त सीटें	1976 प्रतिशत	1972 प्राप्त सीटें	1972 प्रतिशत
सोशल डमोक्रटिक पार्टी	214	42 6	230	45 8
क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन	190	38 0	177	35 2
क्रिश्चियन सोशल यूनियन	53	10 6	48	9 7
फ्री डमोक्रटिक पार्टी	39	7 9	41	8 4
नेशनल डमोक्रेटिक पार्टी	—	0 3	—	—
जर्मन साम्यवादी दल	—	0 3	—	—

उक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि 1972 के चुनावो की तुलना म 1976 म सोशल डमोक्रटिक पार्टी तथा उसकी सहयोगी फ्री डमोक्रटिक पार्टी को अपेक्षाकृत कम प्रतिशत मत मिले इस प्रकार उनकी स्थिति कुछ कमजोर हुई। इसके बावजूद सोशल डमोक्रटिक पार्टी व फ्री डमोक्रटिक पार्टी मिलकर सरकार का निर्माण करने म सफल रही। उधर क्रिश्चियन डमोक्रटिक यूनियन और बवेरिया

स्थित क्रिश्चयन सोशल यूनियन ने अपने मतों में वृद्धि की। ये दोनों दल बुन्देसटाग में एक दल के रूप में बठते हैं और इस दृष्टि से देखा जाए तो 1976 के चुनावों में क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन सबसे बड़े दल के रूप में उभरी इसके नेता हेलमुट कोल ने पश्चिमी जमन राष्ट्रपति वाल्टर शील से निवेदन किया कि बुन्देसटाग में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता के रूप में उन्हें सरकार बनाने का निमन्त्रित किया जाय। हेलमट कोहल ने फ्री डमोक्रेटिक पार्टी के नेता हान्स डिट्रिश गेन्शर से कहा कि वह क्रिश्चियन डमोक्रेटिक यूनियन के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन गेन्शर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उधर सोशल डमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष विलि ब्राण्ट तथा फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हान्स डिट्रिश गेन्शर ने पश्चिमी जमन राष्ट्रपति वाल्टर शील से भेंट की तथा कहा कि सोशल डमोक्रेट व फ्री डमोक्रेट दोनों मिलकर सरकार का निर्माण करना चाहते हैं दोनों दलों को मिलाकर बुन्देसटाग में उनका बहुमत है अतः उनके नेता के रूप में हेलमुट श्मिड्ट को चान्सलर के रूप में उम्मीदवार के रूप में बुन्देस्टाग के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। जैसा कि बेसिक लॉ (मूलभूत विधि या संविधान के 63 वें अनुच्छेद) में स्पष्ट कहा गया है —राष्ट्रपति बुन्देसटाग के सदस्यों के समक्ष चान्सलर पद के प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करता है। वाल्टर शील ने हेलमुट श्मिड्ट का नाम चान्सलर पद के लिए प्रस्तावित किया। 15 दिसम्बर 1976 को बुन्देसटाग ने श्मिड्ट को चान्सलर के रूप में चुना। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हान्स डिट्रिश गेन्शर को वाइस चान्सलर (उप प्रधान मन्त्री) बनाया गया इसके साथ ही गेन्शर ने विदेश मन्त्री पद भी सम्भाला।

मार्च 1977 में भारत में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन हुआ तो शीघ्र ही पश्चिमी जर्मनी के विदेश मंत्री गेन्शर ने भारत की सद्भावना यात्रा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान श्री गेन्शर ने विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा प्रधान मन्त्री श्री देसाई के साथ भेंट की और पहले से चले आ रहे भारत पश्चिमी जर्मन सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। पश्चिमी जर्मनी विदेशी राष्ट्रों को जो आर्थिक विकास सहायता देता रहा है उनमें भारत प्रथम स्थान पर है।

पश्चिमी जर्मनी की आंतरिक स्थिति को दृष्टि से देखा जाय तो 1977 में वहाँ आतंककारी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई। अप्रैल 1977 में आतंकवादियों ने पश्चिमी जर्मनी के संघीय सरकारी वकील बूबाक की हत्या कर दी। अक्टूबर मास में वहाँ के एक बड़े मालिक का अपहरण किया गया तथा उसके बदले में बन्द आतंकवादी बन्दियों को रिहा करने की माँग की गई। बाद में उस मालिक की हत्या कर दी गई।

13 अक्टूबर 1977 को आतंकवादियों ने मैजोरको से फ्रांकफुर्ट जाने वाले पैसेंजर जीमन विमान लुफ्तहांसा का अपहरण किया तथा पश्चिमी जर्मन जेलों

म आतकवादियो क नेता बान्र-माग्नहाफ तथा उसके अन्य सहयोगियो को रिहा करने की माग की गई। चार दिन तक इन हवाई डाकुओ न विमान के यात्रियो को बधक बनाये रखा तथा लुफ्तहान्सा विमान को रोम दुबाई व मोगादिशू के हवाई अड्डो पर ले जाया गया बाद म मोगादिशू के हवाई अड्डे पर विशेष जमन सुरक्षा दल (कमाण्डो) ने माफ क भरपूर म हवाई-दस्युओ पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक सौ दस घण्टे क इस लोम-हर्षक नाटक के बाद विमान यात्रियो न चैन की सास ली। हेलमुट श्मिडट क नेतृत्व म पश्चिमी जमन सरकार को इस साहसिक कार्यवाही पर भारत अमरिका व फ्रास तथा अन्य राष्ट्रो के नेताओ न बधाई दी।

1976–77 म पश्चिमी जमन सरकार न विमानो के अपहरण के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया। पश्चिमी जमनी के विदेश मन्त्री हान्स डिएटरिश गन्शर न सयुक्त राष्ट्र सघ स माग की कि अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्गों की सुरक्षा क लिए इन आतकवादी अपहरण घटनाओ को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (कन्वान) स्वीकार किया जाए। पश्चिमी जमनी न सुझाव दिया कि इन हवाई दस्युओ को कोई भी राष्ट्र शरण न दे तथा इन अपराधियो को या तो सम्बद्ध राष्ट्र को सौंप दिया जाए या जिस राष्ट्र क हवाई अड्डे पर वे मौजूद हैं वहीं उन पर मुकदमा चला कर सजा दी जाए। पश्चिमी जमनी क इस सुझाव पर हवाई दस्युओ क विरुद्ध अन्तराष्ट्रीय अभिसमय की रूप रखा तयार हो चुकी है। इस प्रकार बान सरकार न मानवता की सवा की दिशा म एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अक्टूबर 1977 म लुफ्तहान्सा विमान के अपहरण तथा पश्चिमी जमन कमाण्डो द्वारा उसकी रिहाई क बाद पश्चिमी जमन सरकार ने भारत सरकार के सामन यह प्रस्ताव रखा कि जमन अपन लुफ्तहान्सा विमानो की सुरक्षा के लिए भारत क हवाई अड्डा पर पश्चिमी जमन विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा दल के सनिक रखना चाहता है प्रस्ताव म यह भी कहा गया कि यदि भारत चाह तो वह भी एयर इण्डिया के विमानो की सुरक्षा क लिए पश्चिमी जमनी क हवाई अड्डा पर भारत क विशेष दस्ते तनात कर सकता है। फिलहाल (अक्टूबर 1977) भारत न इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

आन्तरिक स्तर पर आतकवाद का मुकाबला करने म लिए पश्चिमी जमनी की सरकार न अक्टूबर 1977 म विशेष कानून पारित किया है हेलमुट श्मिडट के नेतृत्व म पश्चिमी जमनी प्रगति की राह पर बढ रहा है आज पश्चिमी जमनी म सबसे कम बकारी है उसके सिक्के माक का अन्तराष्ट्रीय मूल्य ऊचा है जमन माक सुदृढ व ...। माख वाला सिक्का है।

□□□

बेसिक लॉ का हिन्दी अनुवाद

संसदीय परिषद (Parliamentary Council) द्वारा घोषणा

संवैधानिक परिषद् ने राइन नदी के तट पर स्थित बान नगर में 23 मई 1949 को *इस तथ्य की पुष्टि की कि जर्मन संघीय गणराज्य (The Federal* Republic of Germany) के लिए आधारभूत विधि (The Basic Law) को जिसे संवैधानिक परिषद् ने 8 मई 1949 को अंगीकृत किया संघ के सदस्य राज्यों (Laender) ने दो तिहाई से अधिक बहुमत से अभिपुष्ट किया। यह कार्य 16 से 22 मई 1949 के सप्ताह में सम्पन्न हुआ।

इस तथ्य के आधार पर संवैधानिक परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में उसके अध्यक्ष ने आधारभूत विधि पर हस्ताक्षर कर उसे घोषित तथा प्रचारित किया।

बेसिक ला को धारा 145 के तीसरे परिच्छेद के अनुसार संघीय राजपत्र (Federal Law Gazette) में प्रकाशित किया जाना है।[1]

प्रस्तावना

जर्मनी के लोगों ने जो बादेन बवेरिया ब्रमन हाम्बुग हेस नोमर सक्सनी नार्थ राइन-वेस्टफालिया राइनलण्ड-पेलेटीनट श्लसविग-होलस्टाइन व्यूरटेम-बुग बादेन तथा व्यूरटेम बुग-होहेनजोलेन के निवासी हैं ईश्वर तथा मानव के प्रति अपने उत्तरदायित्व के कारण सजग होकर यूरोप एवं संयुक्त यूरोप में समान भागीदार के रूप में अपनी राष्ट्रीय व राजनीतिक एकता की सुरक्षा तथा विश्वशांति की सेवा के संकल्प से अनुप्राणित होकर संक्रमण-काल के लिए अपने राजनीतिक जीवन को एक नवीन व्यवस्था देने की इच्छा से प्रेरित होकर अपनी निर्वाचक शक्ति के आधार पर जर्मन संघीय गणराज्य के लिए इस आधारभूत कानून (The Basic Law) का अधिनियमित (Enact) किया है। उन्होंने उन जर्मन लोगों की ओर से भी यह कदम उठाया है जिन्हें इस कार्य में हिस्सा लेने से वंचित किया गया है। समस्त जर्मन जनता का आह्वान किया जाता है कि स्वतंत्र आत्मनिर्णय द्वारा जर्मनी की एकता एवं स्वतन्त्रता प्राप्त करें।

(1) मूल अधिकार (Basic Rights)

अनुच्छेद 1 मानव गरिमा की सुरक्षा

(1) मानव की गरिमा अबाध्य होगी। इसका सम्मान तथा सुरक्षा राज्य का दायित्व होगा।

1 उक्त अधिसूचना फेडरल ला गजट के पहले अंक में दिनांक 23 मई 1949 को छपी।

2 अनुच्छेद 23 की पाद टिप्पणी देखिए

(2) इसलिए जर्मन जनता अहस्तान्तरणीय तथा अनुल्लंघनीय मानव अधिकारों को प्रत्येक समुदाय, विश्व शांति एवं न्याय का आधार मानती है।

(3) निम्नलिखित मूल अधिकार प्रत्यक्ष प्रवर्तनीय (direct enforceable) कानून होंगे।[1] विधायिका, कार्यकारिणी एवं न्याय-पालिका इनसे बाध्य होंगी।

अनुच्छेद 2 स्वतन्त्रता का अधिकार

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में उन्मुक्त विकास का अधिकार होगा। यह अधिकार उसी सीमा तक प्राप्त होगा जहाँ तक वह दूसरे के अधिकारों या संवैधानिक व्यवस्था या नैतिक संहिता का उल्लंघन न करे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार होगा तथा उसकी देह अबाध्य होगी। व्यक्ति की स्वतन्त्रता अलंघ्य होगी। किसी विधि के आधार पर ही इन अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता

(1) सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे।

(2) पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके लिंग, वंश, प्रजाति, भाषा, मातृभूमि, जन्म स्थान, आस्था या धार्मिक अथवा राजनीतिक विचारों के आधार पर कोई विभेद या पक्षपात नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 4 धर्म या पन्थ की स्वतन्त्रता

(1) विश्वास, अंतरात्मा, पंथ, धर्म और विचारधारा सम्बन्धी स्वतन्त्रता (Weltan chaulsch) का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

(2) धार्मिक कार्यों में बाधा न डालने की गारंटी दी जाती है।

(3) किसी भी व्यक्ति को उसकी आत्मा के विरुद्ध ऐसी सैनिक सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसमें हथियारों का प्रयोग करना पड़ता हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत संघीय कानून बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 5 अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, भाषण, लेख एवं चित्रों द्वारा अपने विचारों के प्रचार की स्वतन्त्रता होगी तथा वह स्वतन्त्रतापूर्वक सामान्यतया उपलब्ध साधनों के द्वारा सूचना प्राप्त कर सकेगा। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता तथा फिल्मों तथा रेडियो प्रसारण के साधनों से सूचना देने की स्वतन्त्रता की गारंटी दी जाती है।

(2) ये अधिकार व्यापक कानूनों और युवकों की रक्षा तथा व्यक्तिगत सम्मान की अलंघ्यता से सम्बद्ध कानूनों से सीमित हैं।

1 19 मार्च 1959 के संघीय कानून के अन्तर्गत संशोधित (कहरत नों नम्बर 1 पृष्ठ)

(3) कला और विज्ञान शोध कार्य तथा अध्यापन में स्वतन्त्रता होगी। अध्यापन की स्वतन्त्रता संविधान के प्रति निष्ठा की भावना से मुक्त नहीं होगी।

अनुच्छेद 6 विवाह परिवार अवैध बच्चे

(1) विवाह तथा परिवार को राज्य का विशेष संरक्षण प्राप्त होगा।

(2) बच्चों का लालन-पालन व देखभाल माता पिता का नैसर्गिक अधिकार है और ऐसा करना उनका प्रमुख कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय समुदाय उनके प्रयासों की निगरानी करेगा।

(3) जो लोग भरण पोषण के अधिकारी हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बच्चों को उनके परिवारों से अलग न किया जाय। यदि ऐसे व्यक्ति अपने दायित्व में असफल रहते हैं या बच्चे के प्रति उदासीनता का खतरा है तो कानून के अनुसार बच्चों को इनके परिवारों से अलग किया जा सकता है।

(4) *प्रत्येक माता का अधिकार होगा कि वह समुदाय द्वारा सुरक्षा तथा* देखभाल प्राप्त कर सके।

(5) अवैध बच्चों को उनके शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा समाज में स्थान के सम्बन्ध में कानून द्वारा वही अवसर प्रदान किये जाएंगे जिनका उपभोग वैध बच्चे करते हैं।

अनुच्छेद 7 शिक्षा

(1) समस्त शैक्षणिक व्यवस्था राज्य की देखरेख में रहेगी।

(2) जिन व्यक्तियों का बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार होगा उन्हें ही यह अधिकार भी होगा कि वे यह निश्चय करें कि बच्चे को धार्मिक शिक्षा दी जाये अथवा नहीं।

(3) धर्मनिरपेक्ष स्कूलों को छोड़कर राज्य तथा नगरपालिका के स्कूलों के सामान्य पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया जाएगा। राज्य की देखरेख के अधिकार को क्षति पहुंचाये बिना धार्मिक समुदायों के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी अध्यापक को धार्मिक शिक्षा देने को बाध्य नहीं किया जाएगा।

(4) निजी स्कूलों की स्थापना के अधिकार की गारंटी दी जाती है। राज्य या नगरपालिकाओं के स्कूलों के स्थानापन्न रूप में निजी स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य की स्वीकृति लेनी होगी तथा वे राज्यों (Laender) के कानून से संचालित होंगे। ऐसी स्वीकृति उस समय दी जाय जब निजी स्कूल अपने शैक्षणिक उद्देश्यों सुविधाओं तथा अध्यापक-वर्ग के प्रशिक्षण की दृष्टि से हीन न हों तथा जहां माता पिता के साधनों के अनुसार विद्यार्थियों के बीच पार्थक्य नहीं रखा जाता हो। यदि अध्यापक-गण को आर्थिक एवं कानूनी स्थिति का उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है तो ऐसे स्कूलों की स्वीकृति को रोका जा सकता है।

(5) एक निजी प्राथमिक स्कूल की स्थापना की स्वीकृति उसी स्थिति में दी जाएगी जब शिक्षा अधिकारी यह मानते हैं कि उसमें एक विशेष शैक्षणिक (Pedagogic) हित की पूर्ति होती है या बच्चों की शिक्षा दिलाने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्कूल एक अन्तर-सम्प्रदाय या धार्मिक या विशेष विचारधारा वाला स्कूल होगा तथा ऐसा स्कूल तभी माना जाएगा जबकि उस क्षेत्र (Commun) में राज्य अथवा नगरपालिका द्वारा ऐसा स्कूल स्थापित नहीं किया गया हो।

(6) प्रारम्भिक स्कूल (Vor chulen) बन्द कर दिए गए हैं।

अनुच्छेद 8 सम्मेलन का अधिकार

(1) सभी जर्मन लोगों को बिना पूर्व सूचना या अनुमति के शान्तिपूर्वक एवं बिना हथियार लिए सम्मेलन करने का अधिकार होगा।

(2) कानून के अन्तर्गत खुले वातावरण में सम्मेलन के अधिकार को सीमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 9 संघ बनाने का अधिकार

(1) सभी जर्मन लोगों को संघ या समाज बनाने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे संघों के निर्माण की मनाही है जिनके उद्देश्य या गतिविधियाँ फौजदारी कानून के विरुद्ध हैं या संवैधानिक व्यवस्था या अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के सिद्धान्त के खिलाफ हैं।

(3) सभी व्यापार व्यवसाय तथा आजीविका के लोगों को अपनी कार्य प्रणाली तथा आर्थिक स्थिति में सुधार तथा सुरक्षा के लिए संघ बनाने का अधिकार होगा। ऐसे समझौते जो इस अधिकार को सीमित करते हैं या बाधा पहुँचाते हैं गैर-कानूनी होंगे तथा इस अधिकार के विरुद्ध उठाये गये कदम अवैध होंगे। अनुच्छेद 12 A के परिच्छेद (2) व (3) तथा अनुच्छेद 35 के परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 87 A या अनुच्छेद 91 के अन्तर्गत औद्योगिक संघर्ष में रत संघों जो इस परिच्छेद के प्रथम वाक्य के अन्तर्गत अपनी कार्य प्रणाली व आर्थिक सुधार व सुरक्षा के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं के विरुद्ध कदम नहीं उठाए जा सकेंगे।

अनुच्छेद 10 डाक व संचार की गोपनीयता

(1) डाक व संचार-सम्बन्धी की गोपनीयता अलंघ्य है।

(2) इस अधिकार को सिर्फ कानून के अन्तर्गत ही सीमित किया जा सकता है। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि यदि यह स्वतन्त्रता जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था की रक्षा के लिए या संघ या राज्य (Land) के अस्तित्व एवं

1 बन्दिम बाबर 24 जून 1968 के संशोधन कानून के अन्तर्गत जोड़ा गया है। फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 709

सुरक्षा के लिए सीमित की जा रही है तो सम्बद्ध व्यक्ति को इस सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जाएगी तथा गोपनीयता के उल्लंघन के मामले न्यायालय में नहीं ले जाये जा सकेंगे। उनके स्थान पर संसद की मुनवाई का कार्य संसद द्वारा नियुक्त निकाय या सहायक निकाय करेंगे।

अनुच्छेद 11 विचरण की स्वतन्त्रता

(1) सभी जर्मन लोग संघ के क्षेत्र में विचरण की स्वतन्त्रता का उपभोग करेंगे।

(2) [1] सिर्फ कानून के अन्तर्गत ही इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है और वह भी सिर्फ उन मामलों में जहां इसी बात के लिए पर्याप्त आधार हों तथा जहां इस अधिकार के परिणामस्वरूप समुदाय पर विशेष बोझ दिखाई पड़ता हो या संघ अथवा राज्य (Land) के अस्तित्व या स्वतन्त्रता या जनतांत्रिक आधारभूत व्यवस्था को खतरा हो या महामारी का खतरा हो। प्राकृतिक विपदा या भारी दुर्घटना का मुकाबला करने तथा नवयुवकों को तिरस्कार से बचाने या अपराध को रोकने की दृष्टि से भी इसी रोक लगाई जा सकती है।

अनुच्छेद 12 व्यापार पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार

(1) सभी जर्मन लोगों को स्वतन्त्रतापूर्वक अपना पेशा, व्यवसाय या व्यापार, कार्य का स्थान व प्रशिक्षण का स्थान चुनने का अधिकार होगा। पेशे या व्यवसाय की कार्यप्रणाली को कानून द्वारा या कानून के अन्तर्गत ही नियमित किया जा सकता है।

(2) परम्परागत अनिवार्य सार्वजनिक सेवा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति पर काई विशेष पेशा न थोपा जाय। यह बात सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगी।

(3) बलात् श्रम सिर्फ उसी व्यक्ति से करवाया जा सकेगा जिसकी स्वतन्त्रता न्यायालय ने सजा देकर छीन ली हो।

अनुच्छेद 12A सैनिक व अन्य सेवाओं की जिम्मेवारी[3]

(1) जो पुरुष अठारह वर्ष का हो चुका है उसे सशस्त्र सेना, संघीय सीमा रक्षक दल (Federal Border Guard) या नागरिक सुरक्षा संगठन में कार्य करने को कहा जा सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति अन्तरात्मा के आधार पर हथियार उठाने से इन्कार करता है तो उसे स्थानापन्न सेवा के लिए कहा जा सकता है। ऐसी स्थानापन्न

1 फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 709

2 पूर्व उद्धृत (फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 709)

3 19 मार्च 1956 (फेडरल लॉ गजट प्रथम पृष्ठ 111) तथा 24 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा संशोधन स्वरूप

सवा की अवधि सनिक सवा की अवधि म अधिक न ो होगी। न्स सम्बन्ध मे विस्तृत कानून बनाया जाएगा जा अन्तरात्मा की स्वतन्त्रता म हस्तक्षेप नही करगा और साथ हा सशस्त्र सेना या सघीय सीमा रक्षक की इकाई स अलग स्थानापन्न सेवा की व्यवस्था करेगा।

(3) जा लोग सनिक सेवा क योग्य हैं तथा जिन्ह न्स अनुच्छेद के (1) तथा (2) परिच्छेद के अन्तगत सवा के लिए न ो कहा जाएगा उन्ह जब रक्षा की स्थिति (a state of defenc) उत्पन्न होनी है तब कानून क अन्तगत प्रति रक्षात्मक उद्देश्य वाली नागरिक सेवाओ के लिए कहा जा सकता है। इन सवाओ म नागरिक जनसख्या की रक्षा सम्मिलित है। उन्ह सावजनिक कानून के अन्तगत आने वाले व्यवसाय जसे—पुलिस-काय या सावजनिक प्रशासन के काय जिन्ह सिफ सावजनिक कानून क अन्तगत काय करन वाल अधिकारी ही कर सकत हैं नहा दिय जा सकेंगे। एसे व्यक्तियो को प्रथम परिच्छेद म उल्लिखित काय ही सौंप जाएग। सशस्त्र सेना के साथ उन्ह वितरण व सहायता या प्रशासनिक अधिकारियो की सहायता का काय सौंपा जाएगा। सम्बद्ध प्रमुख आवश्यकताओ की पूर्ति तथा उनकी सुरक्षा की गारन्टी क लिए उत्पन्न परिस्थितियो क सिवाय नागरिक जनसख्या म वितरण या सहायता स सम्बद्ध काय व व्यवसाय उन्ह नही सौंप जाएग।

(4) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई है इस समय यदि नागरिक सावजनिक स्वास्थ्य एव चिकित्सा सवा या अचल सनिक अस्पतालो की आवश्यकताए स्वच्छिक सवाओ क आधार पर पूरी नही हाती हैं ता एसी स्थिति म 18 स 55 वप क बीच की महिलाओ का कानून के अन्तगत एसी सवाए प्रदान करन क लिए कहा जा सकता है। किसी भी स्थिति म वह एसी सवा म नही लिया जा सकता जिनम शस्त्रो का प्रयोग होना हा।

(5) ऐसी प्रतिरक्षा की स्थिति स पूव के समय म इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 क अन्तगत काय करने को सिफ तभी कहा जा सकता है जब अनुच्छेद 80 A क परिच्छेद (1) म दी गइ स्थिति उत्पन्न हा गई हा। कानून द्वारा या कानून क अनुसार विशेष ज्ञान या योग्यता प्राप्त करने क हेतु ऐस प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा जा सकता है जिसक द्वारा इस अनुच्छेद के परिच्छेद 3 की आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके। इस सीमा तक इस परिच्छेद का प्रथम वाक्य लागू नही हागा।

(6) जब प्रतिरक्षा की स्थिति बनी हुई हो तथा यदि इस अनुच्छेद क परिच्छेद 3 क दूसर वाक्य म वर्णित श्रम सम्बन्धी आवश्यकताए स्वच्छा सवा मे पूरी न हो रही हा ता उन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए एसी स्थिति म जमन व्यक्ति का अपना व्यवसाय या पशा छाडन या काय का स्थान छाडन क अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का परिच्छेद (5)

प्रतिर रा का स्थिति के अस्तित्व म पूव यथोचित् परिवतन सहित (Mutatis Mutandis) लागू नहा होगा।

अनुच्छेद 13 गृह की अनघनीयता

(1) घर अनघनीय होगा।

(2) तलाशा सिर्फ न्यायाधीश के आदेश द्वारा ही हो सकेगी या यदि देर का खतरा होने की स्थिति म कानून द्वारा निर्दिष्ट दूसरे कार्यालय (organ) भी आदेश दे सकेंगे लेकिन तलाशी का काय कानून द्वारा निर्धारित रूप के अन्तगत ही हो सकेगा।

(3) आम खतरे की या व्यक्तियों की प्राण हानि की या सावजनिक क्षति को रोकने व व्यवस्था बनाये रखने का या विशेषत घरों की भारी कमी को दूर करने का महामारी का मुकाबला करने की या पागल लोगों का प्राणों के खतरे से बचाने की स्थितियों को छोड़कर अन्य मामलों म इस अलघनीयता को सीमित नहीं किया जाएगा और न उसका अतिक्रमण किया जाएगा।

अनुच्छेद 14 सम्पत्ति उत्तराधिकार का अधिकार सम्पत्ति का स्वामित्व हरण

(1) सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के अधिकार की गारंटी है। उनकी धारिता तथा सीमा का निश्चय कानूनों द्वारा होगा।

(2) सम्पत्ति कर्तव्य आरोपित करती है। इसका उपयोग जन कल्याण के लिए भी होना चाहिए।

(3) सिर्फ जन कल्याण के हेतु सम्पत्ति-हरण की स्वीकृति दी जाएगी। ऐसा कानून के द्वारा या कानून के अन्तगत हो किया जाएगा तथा मुआवजे का स्वरूप व सीमा कानून द्वारा तय होगा। इस मुआवजे का निश्चय करते समय जनहित तथा प्रभावित व्यक्ति के हितों के सतुलन का ध्यान रखा जाएगा। मुआवजे की रकम के बारे में विवाद के मामले में साधारण न्यायालयों की शरण ली जा सकेगी।

अनुच्छेद 15 समाजीकरण

भूमि प्राकृतिक सम्पदा तथा उत्पादन के साधनों को समाजीकरण के उद्देश्य से कानून द्वारा सावजनिक स्वामित्व में या सावजनिक रूप से संचालित अर्थ-व्यवस्था के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में दिये जाने वाले मुआवजे का स्वरूप व सीमा कानून द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

ऐसे मुआवजे के मामले में अनुच्छेद 14 के परिच्छेद 3 के तीसरे व चौथे वाक्यों को यथोचित् परिवतन सहित (Mutatis Mutandis) लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद 16—नागरिकता से वञ्चित करना प्रत्यपण (extradition) तथा शरण देने सम्बन्धी अधिकार (Deprivation of Citizenship Extradition Right of Asylum)

(1) किसी भी व्यक्ति को जमन नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ कानून के अनुसार ही नागरिकता खोने का प्रश्न उठ सकता है तथा प्रभावित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी तभी प्रश्न उठ सकता है जबकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य हीन नहीं होता।

(2) किसी भी जमन व्यक्ति को विदेश में निष्कासित या प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक आधार पर सताए गए व्यक्ति शरण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

अनुच्छेद 17 याचिका का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में उपयुक्त एजेंसियों तथा संसदीय निकायों को लिखित आवेदन या शिकायत पेश करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 17A[1] सशस्त्र सेनाओं इत्यादि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर सीमाएं

(1) सैनिक सेवाओं और उनकी स्थानापन्न सेवाओं सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत सैनिक सेवाओं तथा उनकी स्थापनापन्न सेवाओं की अवधि में इन सेवाओं के सदस्यों की अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य भाषण लेखन व चित्रों द्वारा मत के प्रचार (अनुच्छेद 5 के परिच्छेद (1) का प्रथम वाक्य) सम्मेलन का मूल अधिकार (अनुच्छेद 8) तथा याचिका का अधिकार (अनुच्छेद 17) जहां तक उनमें अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन या शिकायत की व्यवस्था है सम्बन्धी अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा।

(2) प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यों से सम्बद्ध कानूनों के अन्तर्गत जिसमें नागरिक जन सख्या की सुरक्षा भी शामिल है विचरण की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 11) तथा घर की अलंघनीयता (अनुच्छेद 13) के मूलभूत अधिकार सीमित किये जा सकते हैं।

अनुच्छेद 18 मूल अधिकारों से वंचित करना

(1) जो कोई व्यक्ति स्वतन्त्र जनतांत्रिक आधारभूत व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के लिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता विशेषत समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (1)) अध्यापन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 5 का परिच्छेद (3)) सम्मेलन की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 8) संघ बनाने की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 9) डाक संचार सन्देश की गोपनीयता (अनुच्छेद 10) सम्पत्ति (अनुच्छेद 14) या शरण देने के अधिकार (अनुच्छेद 16 परिच्छेद (2)) का दुरुपयोग करेगा उसके मूल अधिकार छीन लिये जायेंगे। अधिकारों से वंचित करने सम्बन्धी सीमा के बारे में संघीय संवैधानिक न्यायालय घोषणा करेगा।

1 17 A 19 मार्च 1956 के संघीय कानून द्वारा जोड़ा गया (फेडरल ला गजट I प्रथम पृ 111)

अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों पर सीमा या प्रतिबंध

(1) इस आधारभूत कानून (बेसिक ला) के अन्तर्गत किसी मूल अधिकार पर किसी कानून या उसके अनुवर्ती द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकेगा—

ऐसा कानून आमतौर पर लागू होगा न कि किसी व्यक्तिगत मामले में। इसके अतिरिक्त ऐसे कानून के अन्तर्गत उस मूल अधिकार का नाम व सम्बद्ध अनुच्छेद का उल्लेख करना होगा।

(2) किसी भी स्थिति में एक मूल अधिकार के अनिवार्य सारांश का अतिक्रमण नहीं किया जाए।

(3) मूल अधिकार आंतरिक न्यायिक व्यक्तियों पर उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक कि इन अधिकारों की प्रकृति अनुमति देती है।

(4) *यदि किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में आ सकेगा। यदि क्षेत्राधिकार* स्पष्ट नहीं है तो साधारण न्यायालय की शरण ली जा सकेगी। अनुच्छेद 10 के परिच्छेद 2 का दूसरा वाक्य इस परिच्छेद की व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होगा।

II संघ तथा घटक राज्य (लण्डर)[1]

अनुच्छेद 20 संविधान के मूल सिद्धान्त—*प्रतिरोध का अधिकार*

(1) संघीय जर्मन गणतन्त्र (फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी) एक जनतान्त्रिक तथा सामाजिक संघीय राज्य है।

(2) समस्त राजकीय सत्ता का स्रोत जनता है। इस सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा चुनाव तथा मतदान के माध्यम से होगा तथा निश्चित विधायिका कार्यकारिणी तथा न्यायिक अंग भी इसका प्रयोग करेंगे।

(3) विधायिका-सभा संवैधानिक व्यवस्था के अधीन होगी कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका कानून व न्याय से बद्ध होंगी।

(4) यदि कोई उपचार सम्भव न हो तो सभी जर्मन लोगों को यह अधिकार[2] कि वे एसे व्यक्ति या व्यक्तियों का प्रतिरोध करें जो इस संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

1 सम्पादकीय टिप्पणी जर्मन भाषा में राज्य को लण्ड तथा राज्यों को लण्डर (Laender) कहते हैं।

2 अंतिम वाक्य 24 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा जोड़ा गया (फेडरल ला गजट) पृष्ठ 710

अनुच्छेद 21 राजनीतिक दल

(1) राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक इच्छा के निर्माण में हिस्सा बटायेंगे। इनकी स्थापना स्वतन्त्रतापूर्वक की जा सकती है। इनका आन्तरिक संगठन जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए। इन्हें अपने धन प्राप्ति के साधनों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करनी होगी।

(2) जो दल अपने उद्देश्यों तथा समर्थकों के व्यवहार से स्वतन्त्र जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था को क्षति पहुँचाते हैं या संघीय जर्मन गणराज्य के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं वे असंवैधानिक होंगे। असंवैधानिकता के प्रश्न पर संघीय संवैधानिक न्यायालय निर्णय करेगा।

(3) इस बारे में विस्तृत ब्यौरा संघीय कानूनों द्वारा तय किया जायगा।

अनुच्छेद 22 संघीय झण्डा

संघीय झण्डे का रंग काला लाल व सुनहरा होगा।

अनुच्छेद 23 बेसिक ला (संविधान) का क्षेत्राधिकार

फिलहाल यह आधारभूत कानून (बेसिक ला) बाडेन बवेरिया ब्रेमेन विशाल (ग्रेटर) बर्लिन हाम्बुर्ग हेस्से लोअर सैक्सनी नार्थराइन वेस्टफालिया राइनलैण्ड पेलटीनट श्लेसविग होल्स्टाइन वुर्टम्बर्ग बादेन[1] तथा वुर्टम्बर्ग होहेनत्सोलेन के लैण्डर (राज्यों) में लागू होगा। जर्मनी के अन्य भागों में यह उनके विलय के समय लागू होगा।

अनुच्छेद 24 सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में प्रवेश

(1) संघ शासन कानून द्वारा सार्वभौम शक्तियाँ अन्तर सरकारी संस्थाओं को हस्तान्तरित कर सकता है।

(2) शांति की स्थापना के लिए संघ शासन पारस्परिक सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। ऐसा करते समय वह अपने सार्वभौम अधिकारों पर ऐसी सीमाएं लगाने की स्वीकृति देगा जिससे यूरोप में तथा विश्व के राष्ट्रों के मध्य एक शांतिपूर्ण एवं स्थायी व्यवस्था लायी जा सके।

(3) राष्ट्रों के बीच विवादों के समाधान के लिए संघ शासन साधारण सर्वांग तथा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को स्वीकार करेगा।

1 4 मई 1951 के संघीय कानून द्वारा (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 284) बादेन वुर्टम्बर्ग का लण्ड (राज्य) मतपत्र बादेन वुर्टेमबर्ग बाडेन तथा वुर्टेमबर्ग होहेनत्सोलेन के राज्यों (लण्डर) में से मिला कर बनाया गया।

2 यह संविधान (बेसिक ला) 23 दिसम्बर 1956 के संघीय कानून फेडरल ला गजट I पृष्ठ 188 के परिच्छेद (1) द्वारा सारलैण्ड नामक नये राज्य में लागू हुआ।

अनुच्छेद 25 अंतर्राष्ट्रीय कानून के अविभाज्य अंग

मान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के आम नियम जनता के ... कानून के अविभाज्य अंग होंगे। ये संघीय ... के लिए संघीय कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ होंगे तथा ...

अनुच्छेद 26 आक्रमण युद्धों पर रोक

(1) राष्ट्रों के ... में शान्ति ... उत्पन्न करने ... में ... के लिए ... अधिकार ... अपराध माना जायेगा।

(2) ... की अनुमति के बिना युद्ध के लिए ... नहीं किया जा सकता न एक स्थान से दूसरे स्थान ... जा सकता और न ... जा सकता। इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा एक संघीय कानून द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

अनुच्छेद 27 व्यापारिक जहाजी बेड़ा

समस्त जर्मन व्यापारिक जहाज एक व्यापारिक बेड़े का निर्माण करेंगे।

अनुच्छेद 28 लैण्डर (राज्यों) के संविधानों की संघीय गारन्टी

(1) संविधान ... के अभिप्रायानुसार लैण्डर (राज्यों) की संवैधानिक व्यवस्था ... गणतांत्रिक तथा सामाजिक सरकार के सिद्धान्तों के अनुरूप कानून के शासन पर आधारित होगी। प्रत्येक लैण्ड (राज्य) प्रान्त प्रशासन (...) तथा कम्यून (समुदाय) में जनता का प्रतिनिधित्व एक निकाय (...) करेगा जो आम प्रत्यक्ष स्वतंत्र समान तथा गुप्त मतदान द्वारा चुना जायेगा।

(2) कम्यूनों (समुदायों) को कानून की सीमा के अन्तर्गत स्थानीय समुदायों के सभी मामलों में अपने उत्तरदायित्वों को नियमित करने का अधिकार होगा। कम्यूनों के संघों (Gemeindeverband) को कानून के अनुसार तथा कानून द्वारा ... कार्यों की सीमा में स्वशासन का भी अधिकार होगा।

(3) संघ शासन यह सुनिश्चित करेगा कि लैण्डर (राज्यों) की संवैधानिक व्यवस्था मूल अधिकारों तथा अनुच्छेद के परिच्छेद (1) (2) की व्यवस्था के आधार पर हो।

अनुच्छेद 29 संघीय प्रदेश का पुनर्गठन

(1) ... ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों आर्थिक औचित्य तथा

सामाजिक ढांचे का उचित सम्मान रखते हुए संघीय कानून द्वारा संघीय प्रदेश का पुनर्गठन किया जायगा।

(2)[1] 8 मई 1945 के प्रादेशिक पुनर्गठन के बाद जो क्षेत्र बिना जनमत संग्रह (प्लेबासाइट) के किसी अन्य लण्ड (राज्य) के अंग बन गये हैं ऐसे विलय के सम्बन्ध में बेसिक ला के लागू होने की एक वर्ष की अवधि के भीतर निश्चित परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय के बारे में सार्वजनिक उपक्रमण (फोकुसर इनीशियटिव) की माग की जा सकती है। ऐसे सार्वजनिक उपक्रमण के लिए राज्य विधान सभा (लाण्डटाग) के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकारी लोगों के 1/10 व भाग का स्वीकृति आवश्यक होगी।

(3) यदि सार्वजनिक उपक्रमण को इस अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तो सम्बद्ध क्षेत्र में 31 मार्च 1975 के पूर्व या बादेन-व्यूरटनबुर्ग के बादेन क्षेत्र में 30 जून 1970 से पूर्व जनमत संग्रह होगा (कि क्या प्रस्तावित हस्तान्तरण किया जाय अथवा नहीं) यदि लण्ड (राज्य) के चुनाव में मतदान के अधिकारी व्यक्तियों का बहुमत जिसमें कम से कम 1/4 भाग समाविष्ट हो हस्तान्तरण के पक्ष में मतदान करता है तो सम्बद्ध क्षेत्र की प्रादेशिक स्थिति के बारे में जनमत संग्रह होने के एक वर्ष की अवधि में संघीय कानून बनाया जायगा। जहां उसी लण्ड (राज्य) में कई प्रदेशों को दूसरे लण्ड में हस्तान्तरण करना हो तो एक ही कानून में आवश्यक नियमों को सम्मिलित किया जायगा।

(4)[3] ऐसा संघीय कानून जनमत संग्रह के परिणाम पर आधारित होगा तथा उसे उतनी ही सीमा तक बदला जा सकेगा जितना इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में उल्लिखित विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत पुनर्गठन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। ऐसे कानून के निर्माण के लिए बुन्देस्टाग (लोकसभा) के सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। यदि एक कानून लण्ड (राज्य) के ऐसे क्षेत्र को दूसरे राज्य को हस्तान्तरित करने की बात करता है जिसके बारे में जनमत संग्रह द्वारा मांग नहीं की गई है तो ऐसे कानून की स्वीकृति के लिए उस समस्त क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जायगा जिसे हस्तान्तरित किया जाना है। यह बात उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब एक वर्तमान लण्ड से क्षेत्रों को अलग करना है तथा जब शेष क्षेत्र स्वयं एक लण्ड के रूप में जारी रहता है।

1 19 अगस्त 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 1241) द्वारा संशोधित रूप।
2 वही
3 वही

(5)[1] इम अनुच्छेद के परिच्छेद (2) स (4) म उल्लिखित प्रक्रिया के अतिरिक्त सघीय प्रदेश क पुनगठन क बार मे कोई कानून बनान पर सम्बद्ध क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था के आधार पर उस क्षेत्र म जनमत सग्रह कराया जायगा जिसे एक लण्ड स दूसरे म हस्तान्तरित किया जाना है। यदि ऐसी व्यवस्था सम्बद्ध क्षेत्र म से कम स कम एक क्षेत्र म अस्वीकृत हो जाती है तो बुन्डस्टाग म यह कानून पुन प्रस्तुत होगा यदि वह पुन कानून बन जाता है तो सम्बद्ध प्रावधानो की स्वीकृति के लिए समग्र सघीय प्रदेश म जनमत सग्रह कराया जायगा।

(6)[2] जनमत सग्रह म डाले गय कुल मतो के बहुमत से निणय लिया जायगा। इसस इस अनुच्छेद क परिच्छेद (3) पर कोई प्रभाव नही पडगा। उपयुक्त प्रक्रिया का निमाण सघीय कानून द्वारा होगा। यदि जमनी क किसी भाग क विलय के कारण पुनगठन आवश्यक हो तो ऐसा पुनगठन विलय के दो वष की अवधि क भीतर होना चाहिए।

(7) लण्ड (राज्य) का सीमा मे अन्य परिवतन की प्रक्रिया का निर्धारण सघीय कानून द्वारा किया जायगा। इसक लिए बुन्डेसराट तथा बुन्डस्टाग क बहुमत की स्वीकृति अनिवाय होगी।

अनुच्छेद 30 लेण्डर (राज्यो) के काय

जहा तक बेसिक ला (सविधान) अन्य व्यवस्था नही करता या स्वीकृति नही दता लेण्डर के लिए सरकारी शक्तियो क प्रयोग तथा सरकारी कार्यों का सम्पादन अनिवाय होगा।

अनुच्छेद 31 सघीय कानून की प्राथमिकता

सघीय कानून क आगे लण्ड का कानून रद्द माना जायेगा।

अनुच्छेद 32 विदेशी सम्बध

(1) विदशी राज्यो क साथ सम्बधो का सचालन सघ शासन करगा।

(2) एक लण्ड (राज्य) की विशष स्थिति को प्रभावित करन वाली सधि करने स पूव उस राज्य की जनता को पयाप्त समय प्रदान कर उसकी सलाह ली जानी चाहिए।

(3) जिस सामा तक लण्डर (राज्यो) को कानून बनाने का अधिकार है व सघीय सरकार की अनुमति से विदेशी राज्यो के साथ सधि कर सकत हैं।

अनुच्छेद 33 सभी जमन लोगो की समान राजनीतिक स्थिति

(1) प्रत्येक लण्ड (राज्य) म प्रत्यक जमन के समान अधिकार व कतव्य हैं।

1 वही
2 वही

(2) प्रत्येक जर्मन व्यक्ति अपनी अभिरुचि योग्यता व व्यावसायिक उपलब्धि के अनुसार समान रूप से किसी भी सार्वजनिक पद के लिए उपयुक्त व योग्य माना जायगा।

(3) नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के उपयोग सार्वजनिक पद के लिए योग्यता तथा सार्वजनिक सेवा में प्राप्त अधिकारों के उपभोग का धार्मिक सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध न होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी सम्प्रदाय या विचार धारा में श्रद्धा या अश्रद्धा रखने के कारण कोई हानि न उठानी पड़ेगा।

(4) राज्य की शक्ति व अधिकारों को एक स्थायी कार्य के रूप में प्रयोग कानूनी रूप से सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों को सौंपा जायगा। उनकी पद सेवा तथा निष्ठा सार्वजनिक कानूनों द्वारा सचालित होगी।

(5) सार्वजनिक सेवा के कानूनों का नियमन करते समय व्यावसायिक (पेशेवर) नागरिक सेवाओं के परम्परागत सिद्धान्तों का उचित सम्मान किया जायगा।

अनुच्छेद 34 अत्याचार की घटनाओं में दायित्व

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवा के अन्तर्गत सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते समय अपने पद के दायित्वों का उल्लंघन कर तीसरे पक्ष को लाभ पहुँचाता है तो उसका दायित्व राज्य या उस सार्वजनिक संस्था पर होगा जो उस नौकरी देता है। जानबूझ कर दुराग्रह या कार्य की भारी उपेक्षा की स्थिति में उसके उपचार का अधिकार (राईट आफ रिफौम) प्रारम्भित होगा। मुआवजे या उपचार के अधिकार के सम्बन्ध में साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्जन नहीं किया जायगा।

अनुच्छेद 35[1] कानूनी प्रशासनिक व पुलिस सहायता

(1) सभी संघीय अधिकारी तथा लण्ड (राज्य) के अधिकारीगण एक-दूसर को कानूनी व प्रशासनिक सहायता देंगे।

(2) सार्वजनिक सुरक्षा या व्यवस्था की स्थापना या पुनर्स्थापना के लिए एक लण्ड विशेष महत्व के मामले में अपनी पुलिस को सहायतार्थ संघीय सीमा रक्षा दल (फेडरल बाडर गार्ड) की सुविधाएं तथा सहायता का आह्वान कर सकता है। यह सहायता तभी मांगी जायगी जबकि उसके बिना लण्ड पुलिस उस कार्य की पूर्ति करने में असमर्थ हो या उसे भारी कठिनाई हो रही हो। किसी प्राकृतिक दुर्घटना या विशेष गम्भीर घटना में निपटने के लिए एक लण्ड दूसरे लण्ड (राज्य) की पुलिस की सहायता या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी-वर्ग से सेना की सहायता या संघीय सीमा रक्षक दल या सशस्त्र सेना से मदद या सुविधा मांग सकता है।

1 24 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा संशोधित पृष्ठ सं. गजट 1 पृष्ठ 710

2 28 जुलाई 1972 (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 1305 के संघीय कानून द्वारा संशोधित रूप

(3) यदि प्राकृतिक प्रकोप या अन्य दुर्घटना से एक लण्ड (राज्य) से अधिक बड़े क्षेत्र को खतरा होता हो तो उस खतरे का मुकाबला करने के लिए जहां जरूरी हो वहां सघ सरकार राज्य (लण्ड) सरकारों को कोई निर्देश दे सकती है कि वह अपनी पुलिस को दूसरे राज्यों के अधिकार मे दे साथ ही सघ सरकार पुलिस की सहायता के लिए सघीय सीमा सुरक्षा दल या सशस्त्र सेना की टुकड़िया सुपुर्द कर सकती है। इस परिच्छेद के प्रथम वाक्य के अन्तर्गत सघ सरकार द्वारा उठाए गये कदम बुन्देसराट (राज्य सभा) द्वारा कभी भी आवेदन करने पर और खतरे की समाप्ति पर हर स्थिति में अविलम्ब समाप्त हो जाने चाहिए।

अनुच्छेद 36 सघीय सस्थाओ के कर्मचारी

(1) सर्वोच्च सघीय सस्थाओ में सभी लण्डर (राज्यों) से उपयुक्त अनुपात में नागरिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायगी। हर स्थिति मे अन्य सघीय सस्थाओ में व्यक्तियो की नियुक्ति उसी राज्य में से की जायेगी।

(2) सैनिक कानून अन्य बातो के साथ साथ सघ के लण्डर (राज्यो) मे विभाजन तथा उनकी जनसख्या के क्षेत्रीय सम्बन्धो का भी ध्यान रखेंगे।

अनुच्छेद 37 सघीय बाध्यकरण (फडरल ए फोर्समेंट)

(1) यदि कोई राज्य इस बेसिक ला (सविधान) या अन्य सघीय कानूनो के अन्तर्गत आरोपित सघीय दायित्वों का पालन करने में असफल रहता है तो सघ सरकार बुन्देसराट की स्वीकृति से राज्य द्वारा ऐसे दायित्वो के पालन करने के लिए सघीय बाध्यकरण के अन्तर्गत आवश्यक कदम उठा सकती है।

(2) ऐसे सघीय बाध्यकरण को कार्यान्वित करने के लिए सघ-सरकार या उसके आयुक्त (कमिश्नर) को यह अधिकार होगा कि वह सभी लेण्डेर (राज्यों) तथा उनके अधिकारी गणो को आदेश दे सके।

III सघीय ससद (बुन्देस्टाग)

अनुच्छेद 38 चुनाव

(1) जर्मन बुन्देस्टाग (लोकसभा) के डिपुटी गण (ससद् सदस्य) आम प्रत्यक्ष स्वतन्त्र समान एव गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होंगे। वे समस्त जनता के प्रतिनिधि होंगे तथा वे किसी भी आदेश या निर्देशों से बाध्य नही होंगे तथा मात्र अपनी अन्तरात्मा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो अट्ठारह वर्ष का हो चुका है मतदान का अधिकारी होगा।

1 16 मार्च 1956 के सघीय कानून (फडरल लॉ गजट I पृष्ठ 111) द्वारा जोड़ा गया।

प्रत्येक व्यक्ति जिसने पूर्ण कानूनी उम्र (21 वष) प्राप्त कर ली हो चुनाव म खडा होने का अधिकारी होगा।

(3) इस सम्बध म विस्तृत विवरण एक सघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 39 अधिवेशन तथा विधायिका कायकाल

(1) बुदेस्टाग 4 वष के लिए निर्वाचित होगी। उसका कायकाल उसकी प्रथम बठक के चार वष बाद या उसके भग होने पर समाप्त होगा। अवधि के अतिम तीन माह म या उसके भग किये जाने के बाद साठ दिन के भीतर नये चुनाव होंगे।

(2) बुदेस्टाग चुनाव के बाद तीस दिन के भीतर नकिन पिछली बुदेस्टाग की अवधि की समाप्ति के बाद एकत्रित होगी।

(3) बुदेस्टाग अपनी बठक के समापन तथा पुनरारम्भ के बारे म निश्चय करेगी। बुदेस्टाग अध्यक्ष इससे पहले भी इसकी बठक बुला सकता है। यदि इसके एक तिहाई सदस्य या सघीय राष्ट्रपति या सघीय चासलर माग कर तो उसे बठक बुलानी चाहिए।

अनुच्छेद 40 बुदेस्टाग-अध्यक्ष काय विधि के नियम

(1) बुन्देस्टाग अपने अध्यक्ष उपाध्यक्षो तथा सचिवो का चुनाव करेगी। वह अपने काय-सचालन के लिए कायविधि क नियम बनायगी।

(2) अध्यक्ष बुन्देस्टाग भवन मे स्वामित्व विषयक तथा पुलिस अधिकारो का प्रयोग करेगा। उसकी अनुमति क बिना बुदेस्टाग क अहाते में कोई तलाशी या गिरफ्तारी नही हो सकेगी।

अनुच्छेद 41 चनावों की सवीक्षा (स्क्रटिनी)

(1) चुनावो की सवीक्षा (सूक्ष्म परीक्षण) बुन्देस्टाग की जिम्मेदारी होगी। वह यह भी *निश्चय करेगी कि क्या एक डिप्युटी (ससद्-सदस्य) ने बुन्देस्टाग म* अपना स्थान खो दिया है।

(2) बुदेस्टाग के एस निणयो के विरुद्ध सघीय सवधानिक न्यायालय (फडरल कान्स्टीटयूशनल कोट) मे शिकायतें की जा सकेंगी।

(3) विस्तृत विवरण एक सघीय *कानून द्वारा नियमित होगा।*

अनुच्छेद 42 कायवाही तथा मतदान

(1) बुन्देस्टाग की बठकें सावजनिक रूप से होंगी। इसके सदस्यो के दशाश (दसवें *भाग) द्वारा प्रस्तावित करने पर या सघ-सरकार द्वारा प्रस्ताव रखने पर दो* तिहाई बहुमत से ससद् की कायवाही के समय जनता के प्रवेश को वर्जित किया जा सकेगा। जिस बठक मे इस प्रस्ताव पर *निणय लिया जायगा* वह सावजनिक नही होगी।

(2) कानून बनाने संघीय चांसलर का चुनने या संघीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जैसे विशद् अधिकार इस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार के बाहर होंगे।

अनुच्छेद 45 (a)[1] विदेशी मामलों तथा प्रतिरक्षा विषयक समितियां

(1) बुन्डस्टाग एक विदेशी मामलों की समिति तथा एक प्रतिरक्षा-समिति की नियुक्ति करेगी। दोनों समितियां दो संसदों के अवधि के बीच के काल में भी कायरत रहेंगी।

(2) प्रतिरक्षा-समिति को जांच पड़ताल समिति के अधिकार भी प्राप्त होंगे। अपने एक चौथाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखने पर इस समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह विशिष्ट विषय की जांच-पड़ताल करे।

(3) अनुच्छेद 44 का परिच्छेद (1) प्रतिरक्षा के मामलों में लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 45 (b)[2] बुन्देस्टाग का प्रतिरक्षा आयुक्त

बुन्डेस्टाग द्वारा एक प्रतिरक्षा आयुक्त नियुक्त किया जायगा जो बुन्दस्टाग के आधारभूत अधिकारों की सुरक्षा तथा संसदीय नियन्त्रण के क्रियान्वयन में सहायता देगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 46 डेपुटी का सुरक्षा व निरापदता

(1) एक डपुटी (संसद सदस्य) के विरुद्ध बुन्डस्टाग या उसकी समितियों में उसके द्वारा किये गये मतदान या दिये गये भाषण के लिए बुन्देस्टाग के बाहर न तो न्यायालय में मुकदमा दायर हो सकता है न अनुशासनात्मक कदम उठाया जा सकता है या न ही अन्य रूप में उस जवाबदेही के लिए कहा जा सकता है। बदनामीपूर्ण अपमान की स्थिति पर यह बात लागू नहीं होगी।

(2) यदि किसी डपुटी को अपराध करते हुए या उसके दूसरे दिन पकड़ा न गया तो बुन्देस्टाग की अनुमति के बिना उसे न जवाब देने के लिए कहा जा सकता है न गिरफ्तार किया जा सकता है।

(3) एक डपुटी (संसद-सदस्य) की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अन्य प्रतिबन्ध लगाने या अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए भी बुन्देस्टाग की अनुमति आवश्यक होगी।

(4) एक डेपुटी के विरुद्ध 18 वें अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई भी फौजदारी मुकदमा या अन्य मुकदमा या उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर अन्य प्रतिबंध बुन्देस्टाग के कहने पर स्थगित कर दिये जायेंगे।

1 19 मार्च 1956 ■ संघीय कानून (फ डरल लॉ गजट I पृ 111) द्वारा जोड़ा गया।
2 वही

अनुच्छेद 47 डपुटी द्वारा गवाही से इन्कार का अधिकार

डपुटीगण उन नामों के बारे में जिन्होंने उनके डपुटी पद के कारण उन्हें गोपनीय बातें कही हैं या डपुटी ने अपनी डपुटी की हैसियत से उन्हें कोई गोपनीय बात कही है या इनके साथ ही सम्बद्ध इन बातों के लिए डेपुटी गवाही देने से इन्कार कर सकता है। जिस सीमा तक उनके गवाही न देने का अधिकार बना रहता है किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की स्वीकृति नहीं दी जायगी।

अनुच्छेद 48 डपुटी-गणों के अधिकार

(1) बुन्देस्टाग चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी को उसके चुनाव अभियान के लिए आवश्यक छुट्टी (अवकाश) प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को डपुटी का पद स्वीकार करने व उसके प्रयोग से नहीं रोका जा सकेगा। इस आधार पर न उसे पद से हटाने की अधिसूचना (नोटिस) दी जा सकेगी न नौकरी से बर्खास्त किया जा सकेगा।

(3) डपुटी-गण को अपनी स्वतन्त्रता सुनिश्चित रखने हेतु पर्याप्त पारिश्रमिक (रेमुनरेशन) प्राप्त करने का अधिकार होगा। वे सभी सरकारी यातायात के साधनों का निःशुल्क प्रयोग करने के अधिकारी होंगे। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा।

अनुच्छेद 49 दो सत्रों के बीच अंतराल

अध्यक्ष मण्डल (प्रसीडेन्सी) के सदस्यों स्थायी समिति विदेशी मामलों की समिति तथा प्रतिरक्षा समिति के साथ ही उनके मुख्य स्थानापन्न सदस्यों व सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 46 47 तथा 48 के परिच्छेद 2 व 3 दो सत्रों के बीच के अंतराल में भी लागू होंगे।

IV संघटक राज्यों की परिषद (बुन्देसराट)

अनुच्छेद 50 कार्य (फंक्शन)

लैण्डर (राज्य) बुन्देसराट (राज्य सभा) के माध्यम से संघ शासन के कानून निर्माण व प्रशासन में भाग लेंगे।

अनुच्छेद 51 गठन (कम्पोजीशन)

(1) बुन्देसराट (राज्य सभा) का गठन लण्ड (राज्य) सरकार के सदस्यों से होगा। लण्ड सरकार उन्हें नियुक्त करेगी व वापस बुलायेगी। ऐसी सरकारों के अन्य सदस्य स्थानापन्न व्यक्ति (सबस्टीट्यूट) के रूप में कार्य कर सकेंगे।

(2) प्रत्येक लण्ड (राज्य) को कम से कम तीन मत (वोट) प्राप्त होंगे 20 लाख

मे अधिक जनसख्या वाले लेण्डर को चार मत तथा 60 लाख से अधिक जनसख्या वाले राज्यो को पाच मत प्राप्त होग।

(3) प्रत्येक लण्ड उतने ही प्रतिनिधि भेज सकेगा जितने मत उसे प्राप्त हैं। प्रत्येक लण्ड को अपने मत एक लाक मत के रूप मे डालने होगे और सिर्फ उसके उपस्थित सदस्यो या स्थानापन्न व्यक्तियो द्वारा डाले जायेंगे।

अनुच्छेद 52 अध्यक्ष कार्यविधि के नियम

(1) बुन्देसराट (राज्य सभा) एक वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करगी।

(2) अध्यक्ष बुन्देसराट का सम्मेलन बुलायगा। यदि कम से कम दो लेण्डर (राज्य सरकार) या सघ शासन ऐसी बैठक बुलाने की माग करता है तो उस बैठक बुलानी चाहिए।

(3) बुन्देसराट बहुमत से अपने निर्णय लेगी। वह अपने कार्य विधि के नियमों का निर्माण करेगी। उसकी बैठक सावजनिक रूप से आयोजित होगी। जनता को इसकी बैठक से अलग रखा जा सकता है।

(4) लण्ड (राज्य)—सरकार के अन्य सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त सदस्य बुन्देसराट की समितियो के सदस्य के रूप मे काय कर सकेंगे।

अनुच्छेद 53 सघीय सरकार द्वारा सहभागिता (हिस्सा लेना)

सघीय सरकार के सदस्यो को अधिकार होगा तथा माग करने पर उनका कर्तव्य होगा कि वे बुन्देसराट और उसकी समितियो की बैठको मे उपस्थित हो। उन्हे किसी भी समय सुना जाना चाहिए। सघीय सरकार को अपने कार्यो के सचालन के बारे मे बुन्देसराट को बराबर सूचित करते रहना चाहिए।

IV-ए[1] सयुक्त समिति

अनुच्छेद 53 (अ) सयुक्त समिति

(1) सयुक्त समिति के दो तिहाई सदस्य बुन्देस्टाग तथा एक तिहाई सदस्य बुन्देसराट के सदस्य होगे। बुन्देस्टाग अपने सदस्यो की नियुक्ति करते समय ससदीय दलो की सख्या के अनुपात का ध्यान रखेगी ऐसे डेपुटी-गण सघीय सरकार के सदस्य नही होने चाहिए। प्रत्येक लण्ड का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा मनोनीत बुन्देसराट के सदस्य द्वारा किया जायेगा। ये सदस्य निर्देशो से बाध्य नही होगे। सयुक्त समिति की स्थापना व उसकी प्रक्रिया का सचालन बुन्देस्टाग द्वारा स्वीकृत कार्य विधि के नियमो द्वारा होगा। इसके लिए बुन्देस्टाग की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(2) सघीय सरकार को प्रतिरक्षा की स्थिति (स्टेट आफ डिफेन्स) विषयक अपनी योजना के सम्बन्ध मे सयुक्त समिति को सूचना देनी चाहिए। अनुच्छेद

1 24 जून 1968 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I प 710) द्वारा जोड़ा गया

43 क परिच्छेद (1) क अन्तगत बुन्डस्टाग क अधिकार इस परिच्छेद की व्यवस्था म प्रभावित नहीं होग ।

५ सघ का राष्ट्रपति

अनुच्छेद ५४ सघीय सम्मेलन (फ़ेडरल कन्वेंशन) द्वारा चनाव

(1) सघ का राष्ट्रपति सघीय सम्मेलन (फ़ेडरल कन्वेंशन) द्वारा बिना विवाद व बहस क चुना जायगा । प्रत्येक जर्मन जो बुन्डस्टाग क चुनाव म वोट देन का अधिकारी है तथा 40 वष का हो चुका है इस पद का प्रत्याशी हो सकगा ।

(2) सघ क राष्ट्रपति क पद का कायकाल पाच वष होगा । पुन निर्वाचन क लिए व्यक्ति तमाम अवधि (कान्सेकुटिव टम) क लिए सिफ एक बार खड़ा हो सकगा ।

(3) सघीय सम्मेलन (फ़ेडरल कन्वेंशन) म बुन्डेस्टाग के सदस्य तथा उतने ही बराबर संख्या म राज्यों (लैण्डर) की विधानसभाओं (लाण्डटाग) स चुन गए सदस्य जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त पर होगा सम्मिलित होग ।

(4) सघीय सम्मेलन सघ क राष्ट्रपति का कार्यावधि की समाप्ति स 30 दिन पहले या असामयिक मृत्यु की स्थिति म उस तिथि क 30 दिन बाद अपनी बैठक करगा । बुन्डस्टाग का अध्यक्ष इसकी बैठक का आयोजन करगा ।

(5) ससद् के कायकाल की समाप्ति क बाद इस अनुच्छेद क परिच्छेद 4 क प्रथम वाक्य द्वारा निर्धारित समय बुन्डस्टाग की प्रथम बैठक क साथ आरम्भ होगा ।

(6) वह व्यक्ति जो सघीय सम्मेलन का बहुमत प्राप्त करगा निर्वाचित होगा । यदि दो बार मतदान होन तक कोई भी उम्मीदवार ऐसा बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो आगामी मतदान म जो व्यक्ति अधिकतम मत प्राप्त करता है उस निर्वाचित किया जायगा ।

( ) इस अनुच्छेद म विस्तृत विवरण सघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा ।

अनुच्छेद ५५ अनुपयोगी व्यवसाय नहीं (या सरकारी प्रावधान)

(1) सघ का राष्ट्रपति सघ शासन या किसी लैण्ड (राज्य) की सरकार या विधायिका सभा का सदस्य न रह सकगा ।

(2) सघ का राष्ट्रपति कोई अन्य वैधानिक पद का उपभोग नहीं कर सकगा न वह किसी व्यापार नौकरी या व्यवसाय म ही सलग्न होगा । किसी लाभ पाने वाले सस्थान क प्रबन्ध-मण्डल या सचालक-मण्डल म भी वह सम्बद्ध नहीं हो सकगा ।

अनुच्छेद 56 पद की शपथ

पद धारण करते समय सघ का राष्ट्रपति बुन्डसटाग व बुन्डेसराट के एकत्रित सदस्यो के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लेगा—

म शपथ लेता हू कि म निष्ठापूवक जमन जनता के कल्याण के लिए प्रयास करूगा उन्हें हानि स बचाऊगा बेसिक ला (सविधान) तथा सघ शासन के कानूनो का सरक्षण और प्रतिरक्षा करूगा अन्त करण स अपने दायित्वो का पालन करूगा तथा सभी को न्याय प्रदान करूगा । ईश्वर मेरा सहायक हो ।

यह शपथ धार्मिक प्रतिनापन के बिना भी ली जा सकती है ।

अनुच्छेद 57 प्रतिनिधित्व

यदि सघ का राष्ट्रपति काय करन म अक्षम हो जाता है या अवधिपूव उसका पद रिक्त होता है तो बुन्डेसराट (राज्य सभा) का अध्यक्ष राष्ट्रपति क अधिकार का प्रयोग करेगा ।

अनुच्छेद 58 प्रतिहस्ताक्षर (काउन्टर सिगनेचर)

राष्ट्रपति क आदेशो तथा आज्ञप्तियो (डिक्रीज) की वधता के लिए यह आवश्यक होगा कि उन पर चान्सलर या उपयुक्त मन्त्री क प्रतिहस्ताक्षर हो । लकिन चान्सलर की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर व अनुच्छेद 63 क अन्तगत बुन्डसटाग को भग करन तथा अनुच्छेद 69 क परिच्छेद 3 क अन्तगत की जान वाली प्राथना पर यह लागू नही होगा ।

अनुच्छेद 59 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे सघ शासन क प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

(1) राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मामलो म सघ शासन का प्रतिनिधित्व करेगा । सघ शासन की ओर स वह विदशो म सधिया करगा । वह राजदूतो की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतो का स्वागत करेगा ।

(2) जो सधिया सघ शासन क राजनीतिक सम्बन्धो को नियमित करती हैं या सघीय कानूनो स सम्बन्धित हैं उनम सम्बद्ध ऐस सघीय कानूनो के निर्माण के लिए किसी सुनिश्चित मामल में कानून बनात समय सक्षम निकायो का योगदान व स्वीकृति आवश्यक होगी । जहा तक प्रशासनिक समझौतो का प्रश्न है इस सम्बन्ध म सघीय प्रशासन स सम्बद्ध व्यवस्थाए यथाचित् परिवतन सहित (मुटाटिस मुटान्डिस) लागू होगी ।

अनुच्छेद 59 (a)[1] रद्द कर दिया गया (रिपोल्ड)

अनुच्छेद 60 सघीय नागरिक कमचारियो व पदाधिकारियों की नियुक्ति

19 माच 1956 क सघीय कानन (फ डरल लॉ गजट I प ठ 111) द्वारा जोडा गया तथा 24 जन 1968 क सघीय कानन (फ डरल लॉ गजट I पष्ठ 111) द्वारा रद्द किया गया ।

(1)[1] यदि कानून द्वारा अन्यथा कोई व्यवस्था न की गई हो तो राष्ट्रपति सघीय यायाधीशा सघीय नागरिक कर्मचारियो पदाधिकारियो तथा अराजादिष्ट (नान कमीशण्ड) पदाधिकारियो को नियुक्त तथा पद् युत करेगा।

(2) सघ शासन की ओर स वह वयक्तिक मामला म क्षमा दान के अधिकार का प्रयाग करेगा।

(3) व य अधिकार अन्य अधिकारिया को प्रदत्त कर सकगा।

(4) अनुच्छेद 46 का परिच्छेद (2) स (4) सघीय राष्ट्रपति पर यथोचित् परिवर्तन सहित (मुटाटिस मुटान्डिस) लागू होगा।

अनुच्छेद 61 सघीय सवधानिक यायालय के सम्मुख महाभियोग

(1) राष्ट्रपति द्वारा इस वेसिक ला (सविधान) या किसी भी सघीय कानून का जानबूझ कर उल्लघन करने पर बुन्देसटाग (लाक सभा) या बुन्देसराट (राज्य सभा) द्वारा सघीय सवधानिक यायालय म उसक विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकेगा। महाभियाग बुन्देसटाग क कम स कम एक चौथाई सदस्या द्वारा या बुन्देसराट क एक चौथाई मता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महाभियाग लगाने के सम्बन्ध म निर्णय लेने के लिए बुन्देसटाग के दो तिहाई सदस्या या बुन्देसराट क दो तिहाई मतो की आवश्यकता हागी। महाभियोग लगाने वाले निकाय (बाडी) द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति महाभियाग को सम्पुष्ट करेगा।

(2) यदि सघीय सवधानिक यायालय को यह पता चलता है कि राष्ट्रपति न जानबूझ कर उस वेसिक ला (सविधान) या अ य सघीय कानून का उल्लघन किया है तो वह यह घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति न अपने पद पर बने रहने का अधिकार खा दिया है। महाभियोग सिद्ध होने पर वह एक अतरिम आदेश द्वारा राष्ट्रपति को उसके अधिकारा क प्रयोग से वचित कर सकता है।

VI सघीय सरकार

अनुच्छेद 62 गठन

सघीय चासलर (प्रधानमन्त्री) तथा सघीय मन्त्रिगण मिलकर सघ सरकार का निर्माण करेंगे।

अनुच्छेद 63 सघीय चासलर का चुनाव व बुन्देस्टाग को भग करना

(1) सघीय चान्सलर सघीय राष्ट्रपति क प्रस्ताव पर बिना किसी बहस क बुन्देस्टाग द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

(1) 19 मार्च 1956 क सघीय कानून (फडरल ला गजट I पृष्ठ 111) द्वारा सशाधित

(2) जा यक्ति बुन्देस्टाग के सदस्यो का बहुमत का समथन प्राप्त करगा वह निर्वाचित हागा । निर्वाचित व्यक्ति को सघ के राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए ।

(3) यदि प्रस्तावित व्यक्ति निर्वाचित नही हाता है तो बुन्दसटाग 14 दिन की अवधि म मतदान द्वारा अपन सदस्यो के आध से अधिक मत से सघीय चासलर को चुन सकेगा ।

(4) यदि इस अवधि क भीतर कोई उम्मीदवार नही चुना जाता है तो बिना देर किए नवीन मतदान होगा जिसम जो व्यक्ति सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह निर्वाचित हागा । यदि निर्वाचित व्यक्ति को बुन्देसटाग के सदस्यो का बहुमत प्राप्त हुआ है तो राष्टपति को सात दिन म उसे नियुक्त करना चाहिए । यदि निर्वाचित व्यक्ति का ऐसा बहुमत नही मिला है तो राष्ट्रपति का या ता सात दिन क भीतर उसे नियुक्त करना चाहिए या बुन्देस्टाग को भग कर देना चाहिए ।

अनुच्छेद 64[1] सघीय मन्त्रिया की नियुक्ति

(1) सघीय चासलर के प्रस्ताव पर सघीय राष्टपति सघीय मत्रियो को नियुक्त तथा पदच्युत करगा ।

(2) पद ग्रहण करने पर सघीय चासलर तथा मत्रिगण बुन्देस्टाग के सम्मुख अनुच्छेद 56 म उल्लिखित शपथ लेंगे ।

अनुच्छेद 65 उत्तरदायित्व का विभाजन

सघीय चासलर आम नीतियो सबधी निर्देश निश्चित करेगा तथा उनके लिए उत्तरदायी हागा । इन निर्देशो की निश्चित सीमाओ म रहकर प्रत्येक सघीय मत्री अपन विभाग का निजी उत्तरदायित्व सहित स्वायत्ततापूवक सचालन करेगा । सघ-सरकार सघीय मत्रिया के बीच मतभेद के सम्बन्ध म निणय लेगी । सघ सरकार क कार्यो का सचालन करत समय सघीय चान्सलर उसके द्वारा स्वीकृत कायविधि क नियमा के अनुसार काय करेगा और इन नियमा के लिए सघीय राष्टपति की स्वीकृति लेनी होगी ।

अनुच्छेद 65 (a)[1] सशस्त्र सनाओं पर नियत्रण सम्बन्धी अधिकार

सशस्त्र सनाओ पर नियन्त्रण सम्बन्धी शक्तिया सघीय प्रतिरक्षा मत्री म निहित हागी ।

अनुच्छेद 66 अनुपयोगी (सहायक) व्यवसाय वजन

फेडरल चान्सलर और सघीय मत्रिगण कोई अन्य सवतनिक पद व्यापार

19 माच 1956 क सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृ 111) द्वारा जोडा गया तथा 24 जून 1968 क सघीय कानन (फडरल ला गज 1 पृ 711 (गारा सशोधित)

व्यवसाय पेशा नहीं अपना सकेंगे न किसी प्रबन्ध मण्डल से सम्बन्ध रख सकेंगे या बुंदेस्टाग की अनुमति के बिना किसी लाभ कमाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक मण्डल में भाग भी नहीं ले सकेंगे।

अनुच्छेद 67 अविश्वास का प्रस्ताव

(1) बुन्डेस्टाग अपने सदस्यों के बहुमत से संघीय चान्सलर का उत्तराधिकारी चुनकर तथा राष्ट्रपति से चान्सलर को पदच्युत करने का निवेदन करके ही उसके विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर सकता है। संघीय राष्ट्रपति को इस निवेदन का पालन करना चाहिए तथा नव निर्वाचित व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए।

(2) प्रस्ताव तथा निर्वाचन के बीच 48 घंटे का अंतराल होना चाहिए।

अनुच्छेद 68 विश्वास प्रस्ताव बुंदेस्टाग को भंग करना

(1) यदि संघीय चान्सलर द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव को बुन्डेस्टाग के सदस्यों का बहुमत अनुमोदन नहीं देता तो राष्ट्रपति संघीय चान्सलर के प्रस्ताव पर 21 दिनों के भीतर बुन्डेस्टाग को भंग कर सकता है। जैसे ही बुन्डेस्टाग अपने सदस्यों के बहुमत से अन्य संघीय चान्सलर का चुनाव कर लेती है उसे भंग करने का अधिकार समाप्त हो जायगा।

(2) प्रस्ताव रखने तथा उस पर होने वाले मतदान के बीच 48 घंटे का अन्तराल होना चाहिए।

अनुच्छेद 69 संघीय चान्सलर का प्रतिनिधि (डिपुटी आफ दी चान्सलर)

(1) संघीय चान्सलर एक संघीय मन्त्री को अपना डिपुटी नियुक्त करेगा।

(2) संघीय चान्सलर व संघीय मंत्री का कार्यकाल हर स्थिति में उस दिन समाप्त हो जायगा जब नई बुन्डेस्टाग अपनी प्रथम बैठक करेगा। किसी संघीय मंत्री का कार्यकाल उस समय भी समाप्त होगा जब किसी अन्य कारण से संघीय चान्सलर का कार्यकाल समाप्त होगा।

(3) संघीय राष्ट्रपति के निवेदन पर संघीय चान्सलर या संघीय चान्सलर की प्रार्थना या संघीय राष्ट्रपति के निवेदन पर संघीय मंत्री उस समय तक अपने कार्य के लिए बाध्य है जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

VII संघ शासन की विधायिका शक्तियां

अनुच्छेद 70 संघ तथा लेण्डर (राज्यों) के कानून

(1) जिस सीमा तक यह बेसिक ला (संविधान) संघ शासन को कानून बनाने का अधिकार नहीं देता उस सीमा तक लेण्डर (राज्यों) को कानून बनाने का अधिकार है।

(2) सघ शासन तथा लण्डर (रा्यो) क बीच कानून निमाएा की क्षमता सम्बन्धी विभाजन का निश्चय इस बेसिक ला द्वारा निधारित एकमात्र (एक्सक्लुजिव) अधिकार तथा समवर्ती (कानकरेंट) अधिकारो द्वारा होगा ।

अनुच्छेद 71 सघ शासन द्वारा कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार परिभाषा

(1) जिन मामलो म कानून बनाने का एकमात्र अधिकार सघ शासन को है उस क्षेत्र म लण्डर (राज्यो) सिफ तभी कानून बना सकेंगे और उसी सीमा तक बना सकेंगे जितना अधिकार एक सघीय कानून स्पष्टत उन्ह देता है ।

अनुच्छेद 72 सघ का समवर्ती कानून परिभाषा

(1) समवर्ती कानूनी शक्तियो के क्षेत्र म लेण्डर (रा्यो) को उसी सीमा तक कानून निमाएा का अधिकार होगा जिस सीमा तक सघ शासन कानून निर्माण के अधिकार का प्रयोग नही करता ।

(2) सघ शासन उस सीमा तक कानून निर्माण का अधिकारी होगा जिस सीमा तक इन मामलो म सघीय कानून द्वारा नियमन की आवश्यकता होगी क्योकि—

1 किसी एक लण्डर (रा्य) द्वारा एक मामले पर प्रभावशाली कानून का नियमन सभव नही है या

2 किसी एक लण्डर (रा्य) के कानून द्वारा व्यवस्था करने म अन्य रा्यो (लेण्डर) या समस्त जनता क हितो को क्षति पहुँच सकती है ।

3 कानूनी या आर्थिक एकता की स्थापना के लिए विशेषत किसी भी लण्ड (रा्य) की सीमा स परे जीवन-स्तर की एकरूपता की स्थापना के लिए, एसे कानून की आवश्यकता होती है ।

अनुच्छेद 73 कानून निर्माण का एकमात्र अधिकार

निम्नलिखित मामलो म एकमात्र सघ शासन को नियमन का अधिकार होगा-

(1)[1] विदेशी मामलो के साथ ही साथ प्रतिरक्षा जिसम नागरिक जनसख्या की सुरक्षा सम्मिलित है ।

(2) सघ रा्य के अन्तर्गत नागरिकता

(3) विचरण पार पत्र (Passport) क मामले आप्रवास (Immigration) उत्प्रवास (Emigration) तथा प्रत्यपण (Extradition)

(4) मुद्रा धन सिक्क तोल माप के साथ ही साथ काल घडी क्षणो का स्तर निधारण (determination of standard of time)

(5) चु गी शुल्क तथा व्यापारिक क्षेत्रो की एकता व्यापार तथा जहाजरानी सबधी

1 सघीय कानून 26 माच 1954 (फडरल लों गजट 1 पृ 45 तथा 24 जुन 1968 फडरल ला गजट 1 पृ 711) द्वारा सशोधित रूप ।

धनियां मान के नाम से जाने की स्वतन्त्रता विदेशों के साथ माल तथा भुगतान का विनिमय इसमें चुंगी तथा सीमा सुरक्षा भी सम्मिलित हैं।

(6) संघीय रेल मार्ग तथा हवाई परिवहन

(7) डाक तथा दूर संचार-संवाद

(8) संघीय शासन तथा संघीय निगम (Corp rate) निकायों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत कानूनी स्थिति

(9) औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार रचना-स्वत्व (Copyrights) तथा प्रकाशक के अधिकार

(10)[1] संघ राज्य तथा लण्ड (राज्यों) के बीच सहयोग के क्षेत्र

a अपराध शाखा में सम्बद्ध पुलिस की सुरक्षा

b स्वतन्त्र जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था की सुरक्षा संघ राज्य या लण्ड (राज्य) के अस्तित्व की सुरक्षा (संविधान की सुरक्षा) तथा

c संघ में ऐसे प्रयासों के विरुद्ध बल प्रयोग द्वारा अथवा बल प्रयोग की तैयारी सम्बन्धी वे कार्य जिनसे जर्मन संघीय गणतन्त्र (दी फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी) के विदेशी हितों का खतरा हो तो ऐसे प्रयासों के विरुद्ध संघीय क्षेत्र में सुरक्षा सम्बन्धी प्रयास के मामले

d इसके साथ ही संघीय अपराध-पुलिस शाखा का कार्यालय तथा अपराध के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की स्थापना

(11) संघीय उद्देश्य से आंकड़ों का आकलन

अनुच्छेद 74 समवर्ती कानून-तालिका (Concuorent legislation cola logue)

निम्नलिखित में समवर्ती कानून लागू होंगे—

(1) दीवानी कानून फौजदारी कानून तथा दण्डों का क्रियान्वयन न्यायालयों का गठन तथा प्रक्रिया कानूनों व्यवसाय नोटरी प्रमाणक (Notary) तथा कानूनी सलाह (Rechtsberatung)

(2) जन्म मृत्यु तथा विवाह का पंजीयन

(3) संघ तथा सम्मेलन सम्बन्धी कानून

(4) निवास तथा विदेशियों के निवास सम्बन्धी कानून

(4 a)[1] हथियारों सम्बन्धी कानून

(5) जर्मन संस्कृति के संग्रहों का विदेश भेजने के विरुद्ध कानून

(6) शरणार्थियों व निष्कासितों के मामले

(7) जन-कल्याण

(8) लण्डर (राज्यों) में नागरिकता

1 2 जुलाई 1972 संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ 1305) द्वारा संशोधित रूप।

(9) युद्ध-क्षति तथा मुआवजा

(10)[1] युद्ध म अपग व्यक्तियो तथा युद्ध म मार गय लोगा के आश्रिता क साथ भूतपूर्व युद्ध वदिया का सहायता व लाभ

(10 ए) सनिका की कब्रगाहा युद्ध के शिकार लोगा की कब्रगाहा तथा निरङ्कुशता के शिकार लोगा के कब्रगाह

(11) आर्थिक मामला से सम्बद्ध कानून खानें उद्योग विद्युत वितरण शिल्प (Crafts) व्यवसाय वाणिज्य वकिंग शेयर बाजार तथा निजी बीमा कम्पनिया

(11 ए)[3] शान्तिपूर्ण उद्देश्या क लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन तथा उपयोग एवं उद्देश्यो क लिए प्रतिष्ठानो की स्थापना तथा उनका सचालन परमाणु ऊर्जा क विकीरिकरण मे आयनीकरण (Ionizing) तथा रेडियोधर्मी तत्वों का समापन

(12) प्रतिष्ठाना के कानूनी गठन सहित श्रमिक कानून श्रमिका की सुरक्षा रोजगार कार्यालय तथा अभिकरण साथ ही साथ बेरोजगारी बीमा सहित सामाजिक बीमा

(13)[4] शक्षणिक तथा प्रशिक्षण अनुदान का नियमन तथा वज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन

(14) अनुच्छेद 73 तथा 74 म प्रदत्त सीमा तक स्वामित्व हरण (Expropriation) सम्बधी कानून

(15) भूमि प्राकृतिक सम्पदा तथा उत्पादन क साधनो का सावजनिक स्वामित्व म या अन्य सावजनिक नियन्त्रित अथ व्यवस्था मे हस्तातरण

(16) आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग पर रोक

(17) कृषि तथा वन से उत्पादन को प्रोत्साहन खाद्य वितरण की सुरक्षा कृषि तथा वन-सम्पदा का आयात व नियात गहर समुद्र तथा तटीय समुद्र म मछली पकडना तथा तटा की सुरक्षा

(18) वास्तविक भू सम्पत्ति सम्बधी सौदे भूमि-कानून तथा कृषि सम्बधी पट्टे साथ ही मकानात आवास सम्बधी मामले

(19) मानव तथा पशुआ की उन बीमारिया क विरुद्ध कदम जो दूर फलाती हैं या जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं चिकित्सा अथवा अन्य

1 16 जून 1965 के सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 प 513) द्वारा स शोधित रूप
2 व ?
3 13 सितम्बर 1959 क सघीय कानून (फडरल ला गजट प 813) द्वारा जोडा गया
4 12 म 1969 1 369) द्वारा सशोधित

[illegible] मध्य [illegible] व्यवसायों म प्रव [illegible] व माद हो [illegible] राम [illegible] नाली वस्तुओं (N rcotics) तथा विष का [illegible]

(19?)[1] [illegible] की आर्थिक [illegible] तथा [illegible] का नियमन

(0) मानव [illegible] तथा [illegible] जीवन के लिए [illegible] वस्तुए चारा कृषि [illegible] वन के [illegible] तथा पौ[illegible] का [illegible] [illegible] की बीमारियों व कीटों स रक्षा [illegible] पशुओं का [illegible]

(?1) मधु [illegible] विनान [illegible] मधुर [illegible] प्रान पारवहन क लिए [illegible] ।

(2)[3] [illegible] राजमार्गों का [illegible] तथा [illegible] राजमार्गों के [illegible] करन के लिए [illegible] म [illegible] तथा [illegible] का प्रवन्न

(?3) [illegible] के [illegible]

(24)[4] [illegible] का नि[illegible] [illegible] तथा [illegible] का समाप्ति ।

अनुच्छेद 74 ए [illegible] शृंखला के सम्बन्ध म [illegible] का व्यापक क्षमता

(1) [illegible] कानून [illegible] सावजनिक [illegible] का [illegible] तथा [illegible] सावजनिक कानून द्वारा सचालित होता है [illegible] 7? की 8 वा [illegible] (item) पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं हो [illegible] ।

(2) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) [illegible] कानून बनाए जाने [illegible] का [illegible] ।

(3) अनुच्छेद 73 का [illegible] (it m के अनुवर्ती [illegible] कानून बना[illegible] का स्वाकृति [illegible] कानन [illegible] के [illegible] (C mputation) [illegible] ह । इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुवर्ती [illegible] कानन [illegible] है [illegible] का मूल्याकन [illegible] तथा [illegible] कानूनों म [illegible] होगा ।

(4) इस अनुच्छेद क परिच्छेद (1) तथा (2) [illegible] (राज्यों) के [illegible] पर लागू होंगे । [illegible]

1 17 [illegible] 1969 के [illegible] कानून ([illegible] 1 पृष्ठ ?63) द्वारा [illegible]
18 [illegible] 19?1 के [illegible] कानून ([illegible] 07) [illegible]
1 [illegible] 1969 के [illegible] कानून ([illegible] 1 पृष्ठ 36?) [illegible]
14 [illegible] 1972 के [illegible] कानून ([illegible] 1 पृष्ठ ??) [illegible]
5 18 [illegible] 19?1 के [illegible] कानून ([illegible] 1 [illegible] 206) [illegible]

अनुच्छेद का परिच्छेद (3) अनुच्छेद 98 के परिच्छेद (1) के अनुवर्ती बनाये जाने वाले कानूनों पर यथोचित् परिवर्तन सहित लागू होगा।

अनुच्छेद 75 संघ शासन की आम व्यवस्याएं तालिका

अनुच्छेद 75[1] की शर्तों के अन्तर्गत संघ शासन को अधिकार होगा कि वह इन विषयों सम्बन्धी व्यवस्थाओं की रूपरेखा तयार कर सके

(1) *यदि अनुच्छेद 74 एं अन्य व्यवस्था नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कानून के अन्तर्गत लैण्डर (राज्यों) कम्युनों समुदाय या अन्य निगमित निकायों* Corporate bodies) की सार्वजनिक सेवाओं का कानूनी स्थिति

(1)ए[3] उच्च शिक्षा संचालन के सामान्य सिद्धान्त

(2) समाचार पत्रों तथा फिल्म उद्योग की सामान्य कानूनी स्थिति

(3) शिकार प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा तथा ग्राम्य क्षेत्र की देखभाल

(4) भूमि वितरण क्षेत्रीय आयोजना पानी का प्रबन्ध

(5) आवास के पतों में परिवर्तन का पंजीयन या निवास-स्थान (domicile) *तथा परिचय पत्र (Id ntity card) से सम्बन्धित मामले।*

अनुच्छेद 76 विधेयक

(1) संघीय सरकार या बुन्देसराट के सदस्य बुन्देसटाग में विधेयक पेश करेंगे।

(2)[4] *संघीय सरकार के विधेयक पहले बुन्देसराट में प्रस्तुत किये जायेंगे।* बुन्देसराट को अधिकार होगा कि ऐसे विधेयकों पर वह 6 सप्ताह में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। बुन्देसराट के सम्मुख प्रस्तुत संघ सरकार का विधेयक *अत्यधिक* आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में संघीय सरकार तीन सप्ताह के भीतर चाहे अभी बुन्देसराट ने अपनी स्थिति स्पष्ट न की हो उस विधेयक को बुन्देसटाग में प्रस्तुत कर सकती है। जब संघीय सरकार को बुन्देसराट की राय मालूम हो तो वह बिना देर किये उस स्थिति से बुन्देसटाग को सूचित करेगी।

(3)[5] *संघीय सरकार द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर बुन्देसराट के विधेयक* बुन्देसटाग में पेश किये जायेंगे। ऐसा करते समय संघ-सरकार को उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।

अनुच्छेद 77 स्वीकृत विधेयकों से सम्बद्ध प्रक्रिया—बुन्देसराट द्वारा आपत्ति

(1) संघीय कानून बनने वाले विधेयकों के लिए बुन्देसटाग की स्वीकृति आवश्यक

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 363) द्वारा संशोधित

2 18 मार्च 1971 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 2 6) द्वारा संशोधित

12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 363) द्वारा जोड़ा गया

15 नवम्बर 1968 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 1977) द्वारा संशोधित

5 17 जुलाई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 816) द्वारा संशोधित

होगी। उनकी स्वीकृति के बाद बु म ाग का अध्यक्ष उन्हे तत्काल बुन्सराट को भेजग।

(2)[1] स्वीकृत विनयक की प्राप्ति के बाद बु मराट तान सप्ताह की अवधि मे यह माग कर मकती है कि उस विधेयक पर सयुक्त रूप से बुन्सटाग तथा बुन्सराट के सदस्यो की एक समिति का आयाजन किया जाय। इस सयुक्त समिति का गठन तथा प्रक्रिया बुन्सटाग द्वारा स्वीकृत काय विधि के नियमा द्वारा सचालित हागी जिनके लिए बुन्सराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस समिति मे भाग लेन वाले सदस्य अपनी सरकार क निर्देशो से बाध्य नही होग। यदि कानून बनन हेतु एक विधयक के लिए बुन्सराग या सघीय सरकार भी इस समिति की बठक की माग कर सकती है। यदि यह समिति उस विधेयक मे किसी सशोधन का प्रस्ताव रखती है ता बुन्सटाग को उस पर पुन मतदान करवाना हागा।

(3) यदि किसी बिल के लिए कानून बनने म बुन्सराट की स्वीकृति अनिवाय नही है ता बुन्सराट इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अन्तगत प्रक्रिया पूरी होन पर बुन्सटाग द्वारा पुन स्वीकृत विधेयक के बारे मे दो सप्ताह की अवधि क भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकती है और अन्य मामलो म इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अन्तगत समिति क अध्यक्ष द्वारा यह सूचना दने पर कि कमटी ने इस सम्बन्ध म अपनी कायवाही पूरी कर ली है बुन्सराट अपनी राय प्रकट करगी।

(4) यदि बुन्सराट बहुमत से आपत्ति करती है तो बुन्सटाग क बहुमत से उस रद्द किया जा सकता है। यदि बुन्सेसराट अपन कम से कम दो तिहाई बहुमत म आपत्ति उठाती है तो उसको रद्द करने के लिए बुन्सटाग के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 78 सघीय कानना के पारित होने की शर्तें

बुन्सटाग द्वारा स्वीकृत विधेयक कानून बन जायगा यदि बुन्सराट उसके प्रति सहमति व्यक्त करती है या अनुच्छेद 77 के परिच्छेद (2) क अनुवर्ती माग करन म असफल रहती है या अनुच्छेद के परिच्छेद (3) क अन्तगत निर्धारित अवधि क बीच आपत्ति करने म असफल रहती है या उसी आपत्ति वापिस ल लेती है या उसी आपत्ति का बुन्देसटाग अस्वीकार कर दती है।

अनुच्छेद 79 बेसिक ला (सविधान) मे सशोधन (Amendment of the Ba ic Law)

(1) इस बसिक ला (सविधान) का उन्ही कानूना क अनुसार सशोधित किया जा

1 नवम्बर 1968 क सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 द्वारा सशोधित

2\. 15 नवम्बर 1968 क सघीय कानून (फडरल ला गजट 1 पृष्ठ 177) द्वारा सशोधित

सकता है जिनके अन्तर्गत मूल पाठ (Text) में स्पष्टतः संशोधन या संपूरण (Supplement) की बात कही गई है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियां जिनके विषय शान्ति संधि (Peace settlement) है शान्ति संधि की तैयारी या आधिपत्य शासन का विनाश (Occupation Regime) या फेडरल रिपब्लिक की प्रतिरक्षा के हित हैं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना पर्याप्त होगा कि बेसिक ला की धाराएं ऐसी संधियों का करने व उनके प्रभावी होने में बाधक नहीं होंगी तथा ऐसे स्पष्टीकरण के लिए इस बेसिक ला के मूल पाठ (Text) का सम्पूरण (Supplementation) किया जा सकता।[1]

(2) ऐसे किसी भी कानून के लिए बुन्डेसटाग के दो तिहाई स्वीकृति सूचक मत तथा बुन्डेसराट के दो तिहाई मतों की आवश्यकता होगी।

(3) संघ राज्य को लैण्डर (राज्यों) में विभाजित करने लैण्डर (राज्यों) द्वारा कानून निर्माण में भाग लेने सम्बन्धी सिद्धान्त या 1 और 20 वें अनुच्छेद के मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में इस बेसिक ला में संशोधन अमान्य होगा।

अनुच्छेद 80 अध्यादेशों का प्रकाशन जो कानून की भांति मान्य होंगे

(1) संघ-सरकार एक संघीय मंत्री या लैण्डर (राज्य)-सरकारों को एक कानून द्वारा अध्यादेशों के प्रकाशन का अधिकार दिया जा सकता है जो कानून की भांति मान्य होंगे। इस अधिकार प्रदान करते समय कथित कानून के अन्तर्गत उस अधिकार का सारांश उद्देश्य तथा क्षेत्राधिकार स्पष्ट होने चाहिए। उस अध्यादेश में इस कानूनी अधिकार का उल्लेख होना चाहिए कि यदि एक कानून यह व्यवस्था करता है कि अधिकार का प्रत्यायोजन (delegated) किया जा सकता है तो उस प्रयोजन के लिए अन्य अध्यादेश की आवश्यकता है जो कानून की भांति मान्य हो।

(2) यदि संघीय कानून द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न हो तो संघीय रेल-मार्ग डाक व संचार-सेवाएं या उनके शुल्क या रेल मार्ग का निर्माण एवं संचालन साथ ही ऐसे अध्यादेश जो किसी संघीय कानून के अनुवर्ती जारी किए गए हैं और जो कानून की भांति मान्य होते हैं और उनके लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति अनिवार्य हो या जो कानून लैण्डर (राज्यों) द्वारा संघ के अभिकर्त्ता (Agent) के रूप में क्रियान्वित किए जाते हों या अपने स्वयं से सम्बन्धित मामलों के कानून इन सब के लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति की आवश्यकता होगी

[1] दूसरा वाक्य 26 मार्च 1954 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 45) द्वारा जोड़ा गया।

अनुच्छेद 80 ए[1] तनाव की स्थिति (State of Tension)

(1) जहां यह बसिक ला या प्रतिरक्षा सम्बन्धी एक संघीय कानून (इसमें असैनिक जनसंख्या की सुरक्षा भी सम्मिलित है) यह मांग करता है कि सिर्फ इस अनुच्छेद के अनुसार ही कानूनी व्यवस्था की जाय उनका प्रयोग जब प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान हो उसे छोड़कर तभी किया जा सकता है जब बुन्डेसटाग विशेष रूप से यह घोषणा करे कि तनाव की स्थिति विद्यमान है। अनुच्छेद 12 ए के परिच्छेद (5) के प्रथम वाक्य तथा परिच्छेद (6) के दूसरे वाक्य में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में तनाव की स्थिति का निर्णय तथा उसकी सुनिश्चित स्वीकृति के लिए दिए गए मतों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

(2) बुन्देसटाग जब कभी निवेदन करे तो इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत अर्थात नियमित कानूनी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उठाया गया कोई भी कदम रद्द कर दिया जायगा।

(3) सन्धी मधियों के अन्तर्गत कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संघ सरकार की स्वीकृति तथा इच्छानुसार इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) की कानूनी व्यवस्थाओं का प्रनार या उसमें कमी कर सकता। इस परिच्छेद के अनुवर्ती उठाया गया कदम बुन्डेसटाग के सदस्यों के बहुमत के निवेदन पर हटाया जायेगा।

अनुच्छेद 81 विधायी संकट की स्थिति

(1) यदि अनुच्छेद 68 की परिस्थितियों में बुन्डेसटाग भंग नहीं होती है और संघ सरकार द्वारा किसी विधेयक का अत्यावश्यक घोषित करने पर भी यदि बुन्देसटाग उस विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो संघीय राष्ट्रपति बुन्डसराट की स्वीकृति सहित संघ सरकार की प्रार्थना पर इस विधेयक के सम्बन्ध में विधायी संकट की स्थिति की घोषणा कर सकता है। यही बात उस विधेयक के बारे में लागू होगी जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है यद्यपि संघीय चांसलर ने उसे अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत प्रस्ताव के साथ पेश किया है।

(2) यदि विधायी संकट की स्थिति की घोषणा कर दिये जाने के बाद बुन्डेसटाग पुन उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है या उसे उस रूप में स्वीकार करती है जो संघ सरकार को मान्य नहीं है तो वह विधेयक बुन्डसराट द्वारा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में कानून समझा जाएगा।

(3) एक संघीय चांसलर के कार्य-काल में बुन्डेसटाग द्वारा अस्वीकृत कोई विधेयक विधायी संकट की स्थिति की पहली घोषणा के 6 माह की अवधि के भीतर

1 24 जून 1968 के संघीय कानून (फैडरल ला गजट 1 पृ 711) द्वारा जोड़ा गया।

इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अन्तर्गत कानून बन सकेगा। इस अवधि की समाप्ति के बाद उसी संघीय चान्सलर के कार्यालय में विधायी संकट की स्थिति की दूसरी घोषणा अस्वाकार्य होगी।

(4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुसार निर्मित कानून द्वारा इस बेसिक ला को पूर्ण या आंशिक रूप में न तो संशोधित किया जा सकता है न ही निरस्त (रद्द) किया जा सकता है।

अनुच्छेद 82 कानूनों का प्रचलित करने तथा उनके प्रभावी होने की तिथि

(1) इस बेसिक ला की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्मित कानून प्रतिहस्ताक्षरित (Countersignature) और संघीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद संघीय विधि राजपत्र (फेडरल ला गजट) में जारी किये जायेंगे। अध्यादेश जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे वे उस अधिकरण (Agency) द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जो उन्हें जारी करता है यदि कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो तो वे फेडरल ला गजट में प्रचारित किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक कानून या प्रत्येक अध्यादेश को जो कानूनी शक्ति से युक्त है अपने प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था के अभाव में फेडरल ला गजट में प्रकाशित होने के 14 दिन की समाप्ति पर वह प्रभावी माना जायगा।

VIII संघीय कानूनों तथा संघ प्रशासन का कार्यान्वयन (The Execution of Federal Laws of the Federal Administration)

अनुच्छेद 83 संघीय कानूनों का लेण्डर (राज्यों) द्वारा कार्यान्वयन

जहाँ तक यह बेसिक ला कोई अन्य व्यवस्था नहीं करता या अनुमति नहीं देता उस सीमा तक लेण्डर (राज्यों) संघीय कानून का उसी प्रकार कार्यान्वयन करेंगे जैसे वह उनका अपना मामला हो।

अनुच्छेद 84 लेण्ड (राज्य) प्रशासन तथा संघ सरकार का निरीक्षण

(1) जहाँ लेण्डर (राज्यों) संघीय कानूनों का अपना मामला समझकर उनका कार्यान्वयन करते हैं वहाँ वे उस सीमा तक आवश्यक अधिकारियों व कार्यालयों की व्यवस्था करेंगे तथा प्रशासनिक प्रक्रिया को नियमित करेंगे जिस सीमा तक बुन्डसराट द्वारा स्वीकृति प्राप्त संघीय कानून दूसरी व्यवस्था नहीं करते।

(2) संघ-सरकार बुन्डसराट की स्वीकृति से उपयुक्त सामान्य प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है।

( ) संघ-सरकार इस बात की निगरानी रखती कि लेण्डर (राज्यों) सुनिश्चित रूप में प्रयोज्य संघीय कानून का कार्यान्वयन करते हैं। इस उद्देश्य के लिए संघ

सरकार नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों तथा सहायक अधिकारियों के पास भी आयुक्त को भेज सकती है। इसके लिए वह उनकी स्वीकृति मांगगी यदि ऐसा स्वीकृति नहा मिलता है तो बुन्डसरात की स्वीकृति से उन्हें भेज सकेगा।

(4) यदि संघ-सरकार का पता चलता है कि नण्डर (राज्यों) में संघीय कानूनों के कार्यान्वयन में त्रुटियाँ हैं और वे उन्हें नहीं सुधारते हैं तो संघ-सरकार या सम्बद्ध नण्ड (राज्य) के आवेदन पर बुन्डसराट निर्णय देगी कि क्या उस नण्ड ने प्रयान्य कानून का उल्लंघन किया है। बुन्डसराट के निर्णय को संघीय संवैधानिक न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

(5) संघीय कानून के कार्यान्वयन की दृष्टि से संघीय सरकार को बुन्डसराट की स्वीकृति पर एक संघीय कानून द्वारा यह अधिकार दिया जा सकेगा कि वह विशेष मामलों में अलग निर्देश भेज सके। यदि संघीय सरकार मामले को अत्यावश्यक मानती है तो वे निर्देश नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों को भेजे जायेंगे।

अनुच्छेद 85 लण्डर (राज्यों) द्वारा संघ शासन के एजेन्ट के रूप में कार्यान्वयन

(1) जहाँ नण्डर (राज्यों) संघ शासन के एजेन्ट के रूप में संघीय कानूनों का कार्यान्वयन करते हैं वहां जिस सीमा तक बुन्डसरात की स्वीकृति सहित संघीय कानून अन्य व्यवस्था नहीं करते आवश्यक कार्यालय की स्थापना करना लण्डर (राज्यों) का कार्य होगा।

(2) संघीय-सरकार बुन्डसराट की स्वीकृति से उपयुक्त सामान्य प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है वह नागरिक अधिकारियों तथा अन्य वेतन भोगी सार्वजनिक कर्मचारियों के समान प्रशिक्षण का नियमन कर सकता है। मध्यवर्ती स्तर पर मुख्य अधिकारियों (Head of authority) की नियुक्ति उसकी सहमति से होगी।

(3) नण्ड (राज्य) पदाधिकारी उपयुक्त सर्वोच्च संघीय पदाधिकारियों के निर्देशों के प्रधान कार्य करेंगे। संघीय सरकार आवश्यक निर्देश नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के पास भेज सकेगा। नण्ड (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारी उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

(4) संघीय निगरानी कानून के अनुसार क्रियान्वयन की उपयुक्तता के आधार पर होगा। इस उद्देश्य के लिए संघ-सरकार प्रतिवेदनों तथा दस्तावेजों की प्राप्ति का अनुरोध कर सकती तथा सभी अधिकारियों के पास आयुक्तों को भेज सकेगा।

अनुच्छेद 86 प्रत्यक्ष संघ प्रशासन

जहाँ संघ शासन प्रत्यक्ष संघीय प्रशासन या संघीय निगमों निकायों या संस्थाओं से कानूनों का कार्यान्वयन करता है वहां संघ सरकार जब तक सम्बद्ध

कानून कोई और विशेष व्यवस्था नहीं करता उपयुक्त सामान्य प्रशासनिक नियम जारी करेगी। जिस सीमा तक सम्बद्ध कानून अन्य व्यवस्था नहीं करता उस सीमा तक संघ-सरकार आवश्यक कार्यालयों की स्थापना की व्यवस्था करेगी।

अनुच्छेद 87[1] प्रत्यक्ष संघ प्रशासन के विषय

(1) विदेशी-सेवाएं संघीय वित्तीय प्रशासन संघीय रेल सड़क मार्ग संघीय डाक सेवाएं तथा अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाओं के अनुसार संघीय जल-मार्गों तथा जहाजरानी का प्रशासन सीधे संघीय प्रशासन का विषय समझा जाकर उसका क्रियान्वयन होगा उसका अपना सहायक प्रशासनिक ढांचा भी होगा संघीय सीमा सुरक्षा प्राधिकरण पुलिस सूचना व संचार का केन्द्रीय कार्यालय अपराध शाखा-पुलिस का कार्यालय और शक्ति के प्रयोग या उसकी तैयारी जिससे जर्मन संघीय गणराज्य (फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी) के विदेशी हितों का तथा संविधान की सुरक्षा तथा संघीय क्षेत्रों को खतरा हो उसे सुरक्षा के लिए आंकड़ें संकलित करने का कार्यालय संघीय कानून के द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

(2) सामाजिक बीमा संस्थाएं जिनका क्षेत्राधिकार एक खण्ड (राज्य) के भू प्रदेश से अधिक विस्तृत हो सार्वजनिक कानूनों के अन्तर्गत संघीय निगम निकाय के रूप में प्रशासित होंगी।

(3) इसके अतिरिक्त सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत स्वशासन संघीय उच्चतर संस्थाएं तथा उनके साथ ही साथ संघीय निगम निकाय तथा संस्थाएं संघीय कानून के अन्तर्गत उन मामलों में स्थापित की जा सकेंगी जिनके निर्माण का संघ शासन को अधिकार है बुन्देसटाग की स्वीकृति सहित तथा बुन्देसटाग के सदस्यों के बहुमत से अत्यावश्यक होने पर मध्यवर्ती तथा निम्न वर्ती संघीय कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है।

अनुच्छेद 87 a[2] सैन्य संचय संख्या सशस्त्र सेनाओं का उपयोग व कार्य

(1) संघ शासन प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र सेना का निर्माण करेगा। उसकी संख्या तथा सामान्य संगठन ढांचा बजट में प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) प्रतिरक्षा उद्देश्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं का उपयोग सिर्फ उसी सीमा व क्षेत्रों तक किया जा सकेगा जिनकी बेसिक ला संविधान स्पष्ट व्यवस्था करता है।

1 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 111) द्वारा जोड़ा गया तथा 24 जून 1968 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 711) द्वारा संशोधित

2 28 जुलाई 1972 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 1305) द्वारा संशोधित रूप।

3 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 111) द्वारा जोड़ा गया।

(3) जब प्रतिरक्षा की स्थिति या तनाव की स्थिति विद्यमान है तो सशस्त्र सेनाओं को नागरिक जनसंख्या की सुरक्षा का अधिकार होगा तथा वह यातायात नियन्त्रण का कार्य उस सीमा तक कर सकेंगी जिस सीमा तक उनकी प्रतिरक्षा-सम्बन्धी कार्यों की दृष्टि में ऐसा जरूरी है । इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा की स्थिति या तनाव की स्थिति में सशस्त्र सेना पुलिस की सहायता के लिए नागरिक सम्पत्ति की सुरक्षा भी कर सकती है । ऐसी स्थिति में सशस्त्र सेनाएं सक्षम अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगी ।

(4) यदि अनुच्छेद 92 के परिच्छेद (2) में कल्पित स्थिति उत्पन्न होती है तथा पुलिस एवं संघीय सुरक्षा-दल स्थिति का सामना करने में असमर्थ होते हैं तो संघ शासन या एक लैण्ड (राज्य) के अस्तित्व को आसन्न खतरे या स्वतन्त्र जनतान्त्रिक आधारभूत व्यवस्था पर खतरे को दूर करने के लिए सशस्त्र सेनाओं का नागरिक सम्पत्ति की रक्षा तथा संगठित और सशस्त्र विद्रोहियों का मुकाबला करने में पुलिस तथा संघीय सीमा रक्षक दल की मदद के लिए उपयोग किया जायगा । जब कभी बुन्देसटाग या बुन्देसराट निवेदन करे तो सशस्त्र सेनाओं का उपयोग बन्द किया जाना चाहिए ।

अनुच्छेद 87-ख[1] सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन

(1) संघीय सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन सीधे संघीय प्रशासन के रूप में क्रियान्वित किया जायगा । इसका अपनी प्रशासनिक उपरचना होगा । इसका कार्य सैन्य कर्मचारी गण के मामलों का प्रशासन तथा सशस्त्र सेनाओं की रसद आवश्यकताओं को सीधे पूरा करना होगा (बुन्देसराट की स्वीकृति से निर्मित संघीय कानून के प्रभाव में घायल व्यक्तियों की नाम पहचान का कार्य तथा निर्माण-कार्य सशस्त्र सैन्य प्रशासन को नहीं सौंपा जायगा । ऐसी स्वीकृति उन कानूनों में भी जरूरी होगी जिनके अन्तर्गत सशस्त्र सैन्य प्रशासनिक को किसी अन्य वर्ग के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया हो । यह बात सैन्य कर्मचारी-गण से सम्बद्ध कानूनों पर लागू नहीं होगी ।

(2) इसके अतिरिक्त बुन्देसराट की स्वीकृति से प्रतिरक्षा से सम्बद्ध संघीय कानून द्वारा जिनमें सैन्य सेवाओं के लिए भर्ती तथा नागरिक जनसंख्या की सुरक्षा भी सम्मिलित है यह व्यवस्था दी जा सकती है कि उसका संचालन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से या तो सीधे संघीय प्रशासन द्वारा स्थापित उनकी अपनी उपरचना द्वारा या संघ शासन के एजेन्ट के रूप में लैण्डर (राज्यों) द्वारा किया जा सकेगा । यदि ऐसे कानून का कार्यान्वयन लैण्डेर (राज्य) संघ शासन के एजेन्ट के रूप में करते हैं तो बुन्देसराट की स्वीकृति से

1 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 111) द्वारा जोड़ा गया ।

अनुच्छेद 85 (ख) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जा सकती है कि जो अधिकार संघ शासन के पास हैं वे अधिकार पूर्ण या आंशिक रूप से उपयुक्त सर्वोच्च संघीय अधिकारियों को सौंप जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन अधिकारी-गण को अनुच्छेद 85 के परिच्छेद (2) के अन्तर्गत सामान्य निर्देश जारी करते समय बुन्सराट की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा।

अनुच्छेद 87–सी[1] परमाणु ऊर्जा का उत्पादन व उपयोग

बुन्देसराट की स्वीकृति से अनुच्छेद 78 के 11ए के अन्तर्गत निर्मित कानूनों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि लैण्डर (राज्यों) द्वारा संघ शासन के एजेन्ट के रूप में उनका कार्यान्वयन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 87–डी उड्डयन प्रशासन

(1) उड्डयन प्रशासन सीधे संघ शासन द्वारा क्रियान्वित होगा।
(2) बुन्सराट की स्वीकृति से संघीय कानून द्वारा उड्डयन प्रशासन के कार्य लैण्डर (राज्यों) को सौंपे जा सकेंगे जो संघ शासन के एजेन्ट के रूप में इन्हें क्रियान्वित करेंगे।

अनुच्छेद 88 संघीय बैंक

संघ शासन एक कागजी मुद्रा तथा मुद्रा जारी करने वाला बैंक स्थापित करेगा जो संघीय बैंक के रूप में कार्य करेगा।

अनुच्छेद 89 संघीय जल मार्ग

(1) संघ शासन भूतपूर्व राइश (साम्राज्य) जल मार्गों का स्वामी होगा।
(2) संघ शासन स्वयं अपने अधिकारियों के माध्यम से संघीय जल-मार्गों का प्रशासन चलायगा। यह उन सरकारी दायित्वों का भी निर्वाह करेगा जो अन्तर्देशीय जल-मार्ग में सम्बद्ध हैं तथा जिनका क्षेत्र एक लैण्ड (राज्य) के क्षेत्र से आगे तक विस्तृत है तथा वे सरकारी कार्य भी करेगा जो व्यापारिक जहाजरानी से सम्बद्ध हैं तथा उस कानून द्वारा दिये गये हैं। एक लैण्ड (राज्य) के निवेदन करने पर संघ शासन उन संघीय जल मार्गों का प्रशासन एक लैण्ड (राज्य) को सौंप सकेगा जो एक लैण्ड (राज्य) के प्रदेश में निहित हैं। लैण्ड (राज्य) संघ शासन के एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि एक जलमार्ग कई लैण्डर (राज्यों) की सीमा को छूता है और यदि सम्बद्ध लैण्डर (राज्यों) प्रार्थना करते हैं तो संघ शासन एक विशेष लैण्ड (राज्य) को अपना एजेन्ट नियुक्त कर सकेगा।

1 23 दिसम्बर 1959 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 813) द्वारा जोड़ा गया
2 6 फरवरी 1961 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 65) द्वारा जोड़ा गया।

(3) जनमार्गों के प्रशासन विकास तथा नवीन निर्माण-कार्यों के समय भू सवधन व परिष्कार की आवश्यकता तथा जल प्रबंध को लैण्डर (राज्यों) के साथ समझौतों द्वारा सुरक्षित किया जायेगा।

अनुच्छेद 90 सघीय राज मार्ग

(1) सघ शासन भूतपूर्व राइश (साम्राज्य) के मोटर मार्गों (Reich Sauto bahnen) तथा राईश राजमार्गों का स्वामी होगा।

(2) लैण्ड (राज्य) कानून के अन्तर्गत लैण्डर (राज्यों) या एसी स्व शासी निगम निकाय सघ शासन के एजेंट के रूप मे सघीय मोटर मार्गों तथा अन्य सघीय राज मार्गों जो दूरवर्ती यातायात के लिए प्रयुक्त होते हैं का प्रशासन करेंगे।

(3) एक लैण्ड (राज्य) की प्रार्थना पर सघ शासन उस लैण्ड (राज्य) के प्रदेश मे आने वाले मोटर मार्गों तथा अन्य सघीय राज मार्गों को जो दूरवर्ती यातायात के लिए प्रयुक्त होते हैं सीधे सघीय प्रशासन मे ले लेगा।

अनुच्छेद 91[1] सघ शासन या एक लण्ड (राज्य) के अस्तित्व को उत्पन्न खतरों को दूर करना

(1) सघ शासन या एक लैण्ड (राज्य) के अस्तित्व या स्वतन्त्र जनतांत्रिक आधारभूत व्यवस्था को उत्पन्न किसी आसन्न खतरे को दूर करने के लिए एक लैण्ड अन्य लैण्डर (राज्यों) की पुलिस सेवाओं या अन्य दस्तों की सेवाएं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों तथा सघीय सीमा रक्षक दल से सुविधाएं माग सकता है।

(2) यदि एक लैण्ड (राज्य) जहां ऐसा आसन्न खतरा है स्वयं खतरे के मुकाबले का अनिच्छुक या अयोग्य है तो सघ सरकार इस लैण्ड मे पुलिस रख सकती है तथा अन्य लैण्डर (राज्यों) को पुलिस दस्तों का तथा सघीय सीमा रक्षक दल को अपने स्वय के निर्देशन मे रख सकती है इसके लिए दिया गया आदेश खतरा टल जाने पर या बुंदेसराट के अन्यथा निवेदन पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। यदि एक लण्ड से अधिक विस्तृत प्रदेश मे खतरा फैलता है तो सघ शासन ऐसे खतरे का प्रभावशाली ढग से मुकाबला करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो लैण्ड (राज्य) सरकार को निर्देश दे सकती है। इस परिच्छेद के प्रथम तथा द्वितीय वाक्य उस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे।

1 24 जून 1968 के सघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 पृ 711) द्वारा सशोधित रूप
2 उदाहरणार्थ —नागरिक सुरक्षा दल आपातकालीन नागरिक इन्जीनियरिंग दल अग्नि शमन दल इत्यादि इत्यादि।

अनुच्छेद 91 ए[1] संयुक्त कृत्य की परिभाषा

(1) संघ शासन निम्नांकित मामलों में लण्डर (राज्यों) के साथ दायित्वों का निर्वाह करेगा बशर्ते कि ऐसा दायित्व समग्र समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है तथा जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए संघ का सहयोगी होना आवश्यक है—

(i) विश्वविद्यालय निदान गृह सहित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का विस्तार व निर्माण

(ii) क्षेत्रीय आर्थिक ढाचों में सुधार

(iii) कृषि-संरचना तथा तटीय संरक्षण में सुधार

( ) बुन्डेसराट की स्वीकृति के साथ संयुक्त कृत्य को एक संघीय कानून द्वारा परिभाषित किया जायगा। इस कानून में संयुक्त कृत्य के निर्वाह के लिए सामान्य संचालन नियम सम्मिलित होने चाहिए।

(3) ऐसे कानून में व्यापक संयुक्त योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया व संस्थाओं की व्यवस्था होगी। व्यापक परियोजना में एक योजना को सम्मिलित करने के लिए उस लण्डर की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसमें उसे क्रियान्वित किया जाता है।

(4) उन मामलों में जिनमें इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के विषय 1 तथा 2 लागू होते हैं संघ शासन कम से कम आधा व्यय भार वहन करेगा तथा यह अनुपात सभी लण्डर (राज्यों) के लिए समान होगा। विस्तृत विवरण कानून द्वारा नियमित किया जायगा। धन की व्यवस्था संघ तथा लण्डर (राज्यों) के बजट में विनियोग पर आधारित होगी।

(5) यदि संघ सरकार तथा बुन्डेसराट ऐसी माग करे तो उन्हें संयुक्त कृत्यों के कार्यान्वयन के बारे में सूचना दी जायेगी।

अनुच्छेद 91 बी शैक्षणिक योजना तथा शोध-कार्यों में संघ शासन तथा लेण्डर (राज्यों) का सहयोग

समझौता के अनुवर्ती संघ शासन तथा लण्डर (राज्य) शैक्षणिक योजना तथा अधिक्षेत्रीय (Supra regiond) महत्त्व की वैज्ञानिक शोध की परियोजनाओं एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देने में सहयोग करेंगे। उपर्युक्त समझौता से व्यय भार का विभाजन नियमित किया जायगा।

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 पृ 359) द्वारा जोड़ा गया।
2 वही

न्यायिक प्रशासन

अनुच्छेद 92[1] न्यायालयों का सगठन

न्यायिक शक्तिया न्यायाधीशो म निहित होगी। उनका निष्पादन बेसिक ला (संविधान) म दी गइ व्यवस्था के अनुसार सघीय सवधानिक न्यायालय सघीय न्यायालया तथा लेण्डर (राज्या) के न्यायालयो द्वारा किया जायगा।

अनुच्छेद 93 सघीय सवधानिक न्यायालय सक्षमता

(1) सघीय सवधानिक न्यायालय निम्नाकित स्थितिया म निर्णय करेगा—

(i) एक सर्वोच्च सघीय निकाय या अन्य दलो जिन्हे बेसिक ला (सविधान) या एक सर्वोच्च सघीय निकाय की काय विधि नियम द्वारा अधिकार दिय गय हैं क बीच अधिकारो या कत्तव्यो को लकर विवाद उठ खडा होता है तो बेसिक ला (सविधान) की व्याख्या करना

(ii) सघीय सरकार लण्ड राज्य) सरकार के निवदन पर या एक तिहाई बुन्डेसटाग क सदस्यो के निवदन पर इस बेसिक ला (सविधान) के अन्तगत सघीय तथा लण्ड (राज्य) के कानून के साथ औपचारिक या वास्तविक सगति के सम्बन्ध म मतभद या सन्देह होने की या लण्ड (राज्य) के कानून व अन्य सघीय कानून के बीच असगति होने की स्थिति म

(iii) सघ शासन व लण्डर (राज्य) क अधिकारो और कत्तव्यो तथा विशेषत लण्डर (राज्यो) द्वारा सघीय कानूनो क क्रियान्वयन तथा सघीय पयवेक्षण क निष्पादन म मतभद होने पर

(iv) यदि अन्य न्यायालयो म जाने का माग खुला नहो है तो विभिन्न लण्डर (राज्यो) के बीच या एक लण्ड (राज्य) म या सघ शासन तथा लण्डर (राज्यो) क मध्य सावजनिक कानूनो स सम्बद्ध अन्य मतभदो पर

(iv)ए असवधानिकता की शिकायत पर जिसकी शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसका यह दावा है कि अनुच्छेद 20 क परिच्छेद (4) अनुच्छेद 33 38 101 103 या 104 म प्रदत्त उसके मूलभूत अधिकारो म एक का या अन्य अधिकारो म स किसी एक का साव जनिक प्राधिकरण द्वारा हनन किया गया है।

(vi)बी[3] कम्यूनो या कम्यूनो क सघ द्वारा इस आधार पर असवधानिकता की शिकायत कि अनुच्छेद 28 के अन्तगत उनके स्व शासन क अधि

1 18 जून 1968 क सघीय कानून (फ डरल लॉ गजट 1 पृ 657) द्वारा सशोधित रूप।
2 12 मई 1969 क सघीय कानून (फ डरल लॉ गजट 1 पृ 359) द्वारा जोड़ा गया।
3 29 जनवरी 1969 के सघीय कानून (फ डरल लॉ गजट 1 पृ 97) द्वारा जोड़ा गया।

कारों का हनन एवं कानून द्वारा किया गया है। इसमें लण्ड (राज्य) कानून शामिल नहीं है क्योंकि उसके लिए सम्बद्ध लण्ड संवैधानिक न्यायालय में शिकायत की जा सकती है।

(५) अन्य मामलों में जिनकी व्यवस्था बेसिक ला (संविधान) में है।

(2) संघीय संवैधानिक न्यायालय ऐसे अन्य मामलों में भी कार्यवाही करेगा जो उसे संघीय कानून द्वारा सौंपे गये हैं।

अनुच्छेद 94 संघीय संवैधानिक न्यायालय गठन

(1) संघीय संवैधानिक न्यायालय संघीय न्यायाधीशों व अन्य सदस्यों से निर्मित होगा। संघीय संवैधानिक न्यायालय के आधे सदस्य बुन्डसटाग और बुन्देसराट द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। वे बुन्देसटाग बुन्देसराट संघ सरकार और लण्ड के किसी निकाय के सदस्य नहीं हो सकते।

(2) संघीय संवैधानिक न्यायालय की रचना तथा प्रक्रिया एक संघीय कानून द्वारा नियमित होगी जो यह स्पष्ट करेगा कि किन मामलों में उसके निर्णय कानून की शक्ति से सम्पन्न होंगे।[1] ऐसे कानून के लिए यह अनिवार्य किया जा सकता है कि असंवैधानिकता की ऐसी शिकायत करने से पूर्व सभी अन्य कानूनी उपचार पूरे कर लिए गये हैं। साथ ही इस कानून में शिकायत की स्वीकृति से सम्बद्ध विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

अनुच्छेद 95 संघ—शासन के सर्वोच्च न्यायालय—संयुक्त नामावलि

(1) सामान्य प्रशासनिक वित्तीय श्रम तथा सामाजिक क्षेत्राधिकार के उद्देश्यों के लिए संघ शासन संघीय न्यायालय संघीय प्रशासनिक न्यायालय संघीय राजकोषीय (Fiscal) न्यायालय संघीय श्रम-न्यायालय तथा संघीय सामाजिक न्यायालय ऐसे सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना करेगा।

(2) इसमें से प्रत्येक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सक्षम संघीय मंत्री तथा न्यायाधीशों के चयन के लिए गठित एक समिति जिसमें लण्ड (राज्य) के सक्षम मंत्री तथा उतनी ही संख्या में बुन्देसटाग के सदस्य होंगे के द्वारा संयुक्त रूप से की जायगी।

(3) क्षेत्राधिकार की एकरूपता की सुरक्षा के लिए इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में उल्लिखित न्यायालयों की एक संयुक्त नामावलि (सीनेट) निश्चित की जायगी। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा।

1 29 जनवरी 1969 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट 1 प 97) द्वारा जोड़ा गया।
2 18 जून 1968 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I प 657) द्वारा संशोधित रूप।

अनुच्छेद 96[1] संघीय न्यायालय

(1) संघ शासन औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारों से सम्बद्ध मामलों के लिए एक संघीय न्यायालय स्थापित कर सकता है।

(2) संघ शासन सशस्त्र सेनाओं के लिए सैनिक अपराध न्यायालयों को संघीय न्यायालयों के रूप में स्थापना कर सकता है। वे अपराध क्षेत्राधिकार का निष्पादन उस समय करेंगे जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद हो अन्यथा वे सिर्फ विदेशों में स्थित या युद्धपोतों पर तैनात सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों पर क्षेत्राधिकार का उपयोग करेंगे। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा। ये न्यायालय संघीय न्याय मंत्री के क्षेत्राधिकार में रहेंगे। उनके लिए नियुक्त न्यायाधीशों में पूर्णकालिक न्यायाधीशों के कर्तव्य निभाने की योग्यता होनी चाहिए।

(3) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा अपील के लिए संघीय न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय होगा।

(4)[2] संघ शासन संघीय लोकसेवा कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालयों की स्थापना कर सकेगा।

(5)[3] अनुच्छेद 26 के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत फौजदारी कार्यवाही या राज्य की रक्षा के सम्बन्ध में एक संघीय कानून जिसके लिए बुंदेसराट की स्वीकृति अनिवार्य है द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि लण्ड (राज्य) के न्यायालय संघीय क्षेत्राधिकार का निष्पादन कर सकें।

अनुच्छेद 96 ए[4]

अनुच्छेद 97 न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता

(1) न्यायाधीश स्वतन्त्र होंगे तथा सिर्फ कानून के अधीन होंगे।

1 मूल 96 अनुच्छेद 18 जून 1968 के संघीय कानून द्वारा रद्द कर दिया गया (फेडरल ला गजट I पृ 658) वर्तमान 96 अनुच्छेद भूतपूर्व 96 ए अनुच्छेद है जो 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 111) द्वारा जोड़ा गया तथा—
6 मार्च 1961 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 141) द्वारा।
18 जून 1968 के संघीय कानून I पृ 658
12 मई 1969 I पृ 363
26 अगस्त 1969 I पृ 1357
द्वारा संशोधित किया गया।

2 12 मई 1969 I पृ 363
द्वारा संशोधित

3 26 अगस्त 1969 I पृ 1357
द्वारा जोड़ा गया।

4 मूल 96 अनुच्छेद को रद्द कर दिया गया।

(2) स्थापित पदों पर स्थायी तथा पूर्णकालिक रूप से नियुक्त न्यायाधीशों को सिवाय एक न्यायिक निर्णय या सिर्फ उन्हीं आधारों पर जिनकी कानून द्वारा व्यवस्था है उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनकी इच्छा के विरुद्ध न पदच्युत किया जा सकेगा न पद से स्थायी या अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा सकेगा या भिन्न पद दिया जा सकेगा अथवा अवकाश प्राप्त करने को कहा जा सकेगा। जीवन भर के लिए नियुक्त न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के सम्बन्ध में कानून द्वारा आयु की सीमा निर्धारित की जा सकेगी। न्यायालयों की संरचना या क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति में न्यायाधीशों को अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा या पद से हटाया जा सकेगा बशर्ते उन्हें पूरी तनख्वाह दी जाय।

अनुच्छेद[1] 98 न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति

(1) *एक विशेष संघीय कानून द्वारा न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति नियमित की जायेगी।*

(2) यदि एक न्यायाधीश अपनी शासकीय (आफिशियल) या अशासकीय (नान आफिशियल) हैसियत में इस बेसिक ला (संविधान) या एक लण्ड (राज्य) की संवैधानिक व्यवस्था के सिद्धान्तों का अतिक्रमण करता है तो बुन्देसटाग के निवेदन पर संघीय संवैधानिक न्यायालय अपने दो-तिहाई बहुमत से निर्णय दे सकता है कि ऐसे न्यायाधीश को अन्य कार्य सौंपा जाये या अवकाश प्राप्त करने को कहा जाये। जानबूझ कर उल्लंघन किये जाने के मामले में उसको पदच्युत करने का आदेश दिया जा सकता है।

(3) लेण्डर (राज्यों) में न्यायाधीशों की कानूनी स्थिति का नियमन लण्ड के विशेष कानूनों द्वारा होगा। जहां तक अनुच्छेद 74 ए का परिच्छेद (4) अन्य व्यवस्था नहीं करता संघ शासन सामान्य व्यवस्थाएं अधिनियमित कर सकता है।

(4) लेण्डर (राज्य) यह व्यवस्था कर सकते हैं कि लण्ड का न्यायमंत्री न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के साथ लेण्डर (राज्यों) के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में निर्णय ले सकेगा।

(5) लेण्डर (राज्यों) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुरूप लण्ड के न्यायाधीशों के बारे में व्यवस्था कर सकते हैं। वर्तमान लण्ड (राज्य) के संवैधानिक कानून अप्रभावित रहेंगे। एक न्यायाधीश पर महाभियोग के मामले में संघीय न्यायालय का निर्णय देने का अधिकार होगा।

1 18 मार्च 1971 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 206) द्वारा संशोधित रूप।
2 की

अनुच्छेद 99[1] लण्ड (राज्य) के कानूनों के सम्बन्ध में संघीय संवधानिक न्यायालय तथा सर्वोच्च संघीय न्यायालयों की सक्षमता का निर्धारण

एक लण्ड के भीतर संवधानिक विवादों पर निर्णय के लिए लण्ड के कानून द्वारा मामला संघीय संवधानिक न्यायालय को हस्तान्तरित किया जा सकता है लण्ड कानून के लागू करने सम्बन्धी मामले में लण्ड में अन्तिम अपील के बाद मामला अनुच्छेद 95 के परिच्छेद (1) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालयों में ले जाया जा सकता है।

अनुच्छेद 100 बेसिक ला (संविधान) के साथ वैधानिक कानूनों की अनुरूपता

(1) यदि न्यायालय एक कानून को अपने निर्णय द्वारा असंवधानिक मानता है तो उस कानून के निर्माण की कार्यवाही रोक दी जायगी तथा लण्ड के न्यायालय जो संवधानिक विवादों के सम्बन्ध में फसला देने में सक्षम हैं से यह निर्णय प्राप्त किया जायेगा कि क्या लण्ड के संविधान का उल्लंघन हो रहा है। यह बात इस बेसिक ला (संविधान) पर भी लागू होगी कि क्या लण्ड के कानून से उसका उल्लंघन हो रहा है या एक लण्ड कानून संघीय कानून के अनुरूप है या नहीं।

(2) यदि एक मुकदमे (लिटिगेशन) के दौरान यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या सावजनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक नियम संघीय कानून का अविभाज्य अंग है तथा क्या ऐसा नियम व्यक्ति के लिए सीधे अधिकार तथा कर्तव्य (अनुच्छेद 25) का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय संघीय संवधानिक न्यायालय से निर्णय प्राप्त करेगा।

(3) यदि एक लण्ड का संवधानिक न्यायालय इस बेसिक ला की व्याख्या करते समय संघीय संवधानिक न्यायालय या अन्य लण्ड के संवधानिक न्यायालय के निर्णय से हटने का इरादा करता है तो उसे संघीय संवधानिक न्यायालय से निर्णय प्राप्त करना चाहिए।

अनुच्छेद 101 असाधारण न्यायालयों पर प्रतिबंध

(1) असाधारण न्यायालय अस्वीकार्य होंगे। किसी भी व्यक्ति को उसम सम्बद्ध न्यायाधीश के कानूनी क्षेत्राधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

(2) सिर्फ कानून द्वारा विशेष क्षेत्र के लिए न्यायालयों की स्थापना की जा सकेगी।

अनुच्छेद 102 मृत्यु दण्ड का अन्त

मृत्यु-दण्ड का अन्त कर दिया जायेगा।

1 18 जून 1968 के संघीय कानून (फ डरल ला गजट I पृ 658) द्वारा संशोधित रूप।

2 की

अनुच्छेद 103 न्यायालयों में मूलभूत अधिकार

(1) प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार न्यायालयों में निवेदन करने व सुने जाने का अधिकार है।

(2) किसी कार्य के लिए सिर्फ तभी सजा दी जा सकती है जबकि वह कार्य किये जाने से पहले वैसा कोई कानून था।

(3) सामान्य अपराध-कानून के अन्तर्गत किसी को उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 104 स्वतन्त्रता से वंचित करने की स्थिति में कानूनी गारंटी

(1) सिर्फ एक औपचारिक कानून के अन्तर्गत उसकी निर्धारित सीमा का उचित विचार करते हुए किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जा सकती है। हवालात में रखे व्यक्ति के साथ मानसिक व शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

(2) सिर्फ न्यायाधीश ही किसी को निरन्तर स्वतन्त्रता से वंचित करने की स्वीकार्यता (एडमिसिबिलिटी) पर निर्णय कर सकते हैं। जहां ऐसा वंचन (डिप्राइवेशन) किसी न्यायाधीश के आदेश पर आधारित नहीं है वहां बिना देर किये एक न्यायिक निर्णय प्राप्त किया जाना चाहिए। पुलिस अपने स्वयं के अधिकार के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में उस दिन से अधिक नहीं रख सकती जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत विवरण कानून द्वारा नियमित होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो एक अपराध करने के संदेह में अस्थायी तौर से हिरासत में लिया गया है उसे गिरफ्तारी के दूसरे दिन न्यायाधीश के सम्मुख लाया जाना चाहिए। न्यायाधीश उस व्यक्ति को हिरासत के कारण की सूचना देगा, उसके बयान लेगा तथा उसे आपत्ति उठाने का अवसर देगा। न्यायाधीश को बिना देर किये या तो कारणों सहित गिरफ्तारी का वारंट जारी करना चाहिए या उसे हिरासत से मुक्त करना चाहिए।

(4) हिरासत में लिये गये व्यक्ति के किसी सम्बन्धी या विश्वसनीय किसी न्यायिक निर्णय की सूचना व्यक्ति को बिना देर किये देनी चाहिए जिसमें उसको स्वतन्त्रता से निरन्तर वंचित करने का आदेश हो।

X वित्त

अनुच्छेद 104 ए[1] व्यय का विभाजन—वित्तीय सहायता

(1) जिस सीमा तक यह बेसिक ला (संविधान) अन्य व्यवस्था नहीं करता संघ शासन तथा लैण्डर (राज्य) अपने अपने कार्यों के सम्पादन के लिए होने वाले व्यय भार को अलग अलग वहन करेंगे।

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 359) द्वारा जोड़ा गया।

(2) जब लैण्डर संघ शासन के एजेन्ट के रूप में काय करते हैं वहां उससे परिणाम स्वरूप होने वाले व्यय भार का वहन संघ शासन करेगा।

(3) लैण्डर के माध्यम से धन-राशि के वितरण विभाजन में सम्वर्धन संघीय कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में यह व्यवस्था की जा सकती है कि ऐसा निधि पूर्णरूप से या आंशिक रूप से संघ शासन द्वारा उन्हें प्रदत्त की जायगी। जहां कोई कानून यह व्यवस्था करता है कि संघ शासन आधा या उससे अधिक व्यय भार उठायेगा वहां लैण्डर संघ शासन के एजेन्ट के रूप में उसका कार्यान्वयन करेगा। जहां कोई कानून ऐसी व्यवस्था करता है कि लैण्डर एक-चौथाई या उससे अधिक व्यय भार वहन करेगा उसके लिए बुन्डसराट की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(4) संघ शासन लैण्डर को या कम्यूनों या कम्यूनों के संघ को उनके द्वारा विशेष मद्देनजर के पूंजी विनियोजन में वित्तीय सहायता दे सकता है एसा पूंजी विनियोजन समग्र आर्थिक सन्तुलन में व्यवधान उत्पन्न करने या संघीय क्षेत्र में आर्थिक विषमता को मिटाकर समरूपता लाने या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक हो। विस्तृत ब्योरा विशेषतः पूंजी विनियोजन के विविध प्रकार जिन्हें प्रोत्साहित करना हो का नियमन एक संघीय कानून द्वारा होगा। बुन्डेसराट की स्वीकृति या संघीय बजट पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा उसका नियमन होगा।

(5) संघ शासन तथा लैण्डर अपने अपने अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय का भार उठायेंगे तथा प्रशासन का उचित संचालन करने के लिए एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी होंगे। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित होगा उसके लिए बुन्डसराट की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद 105 चुंगी शुल्क एकाधिकार कर-कानून

(1) संघ शासन को चुंगी के मामले तथा वित्तीय एकाधिकार के बारे में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार होगा।

(2)[1] संघ शासन को अन्य सब करों के बारे में जिनसे उसे पूर्ण या आंशिक रूप में राजस्व प्राप्त होता है या जिन पर अनुच्छेद 72 (2) में प्रदत्त शर्तें लागू होती हैं कानून बनाने का समवर्ती अधिकार होगा।

(2)अ लैण्डर को स्थानीय आबकारी करों के बारे में उस सीमा तक कानून बनाने का अधिकार होगा जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा लगाये गये करों के समान नहीं है।

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 359) द्वारा संशोधित रूप जोड़ा गया।
2

(3) उन करो मे सम्बद्ध संघीय कानूनो के लिए जो पूर्णत या आंशिक रूप से लेण्डर या कम्यूनो या कम्यूनो के संघ से सम्बद्ध होते हैं बुन्देसरात की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 106[1] कर आय का विभाजन

(1) वित्तीय एकाधिकार की आमदनी की प्राप्ति तथा निम्नांकित करो से प्राप्त राजस्व संघ शासन को मिलेगा

(i) चुंगी शुल्क

(ii) आबकारी-कर जहां तक वह इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अनुवर्ती लेण्डर को प्राप्त नही होते हैं या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुसार संघ शासन व लेण्डेर दोनो को या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (6) के अनुसार कम्यूनो या कम्यूनो के संघ को प्राप्त नहीं होते हैं।

(iii) माल-ढुलाई कर

(iv) पूंजी हस्तांतरित कर बीमा-कर तथा विनिमय के विपत्र (Bills) तथा ड्राफ्टस

(v) सम्पत्ति पर अनावर्ती उगाही (Non recurrent levy) बोझ का समकरण (equalization of burden) सम्बन्धी कानून के कार्यान्वयन के उद्देश्य से लागू अंशदान (Contribution)

(vi) आय तथा निगम अधिकार

(vii) यूरोपीय समुदाय के ढांचे के अन्तर्गत परिव्यय

(2) लेण्डेर को निम्नलिखित करो से राजस्व प्राप्त होगा —

(i) सम्पत्ति शुद्ध मूल्य (net worth) कर

(ii) उत्तराधिकार कर

(iii) मोटरवाहन-कर

(iv) सौदो पर ऐसे कर जो इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुवर्ती संघ शासन को प्राप्त नही होते या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (3) के अनुवर्ती संयुक्त रूप से संघ शासन व लेण्डर को प्राप्त नहीं होते

(v) बीयर पर कर

(vi) जुआघरो पर कर

1 23 दिसम्बर 1955 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 817)
24 दिसम्बर 1956 1077) तथा
12 मई 1969 359) द्वारा संशोधित रूप

2 उदाहरणार्थ — उन व्यक्तियों पर लागू अंशदान जिन्हें युद्ध से क्षति न हुई हो वे उन्हें प्रदान किया जायेगा जिन्हें युद्ध से क्षति हुई हो। इस प्रकार बोझ का समकरण (eqnatization) हो सकता।

(3) आयकर से प्राप्त राजस्व निगम तथा पण्यावतकर (Turnover Tax) संयुक्त रूप से संघ शासन व लेण्डर को प्राप्त होंगे उस सीमा तक जहा तक इस अनुच्छेद के परिच्छेद (5) के अनुवर्ती आयकर से प्राप्त राजस्व कम्यूनो का आवंटित नहीं किया गया है। संघ शासन तथा लेण्डर आयकरों तथा निगम करों का समान रूप से आपस में बांटेंगे। पण्यावर्तकर (Turnover Tax) से प्राप्त आय का संघ शासन तथा लेण्डेर का अपना अपना अंश एक संघीय कानून द्वारा निर्धारित होगा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसा निर्धारण निम्नांकित सिद्धान्तों पर आधारित होगा —

(i) संघ शासन तथा लेण्डेर को अपने अपने आवश्यक व्यय के लिए वर्तमान राजस्व से प्राप्त राशि पर समान दावा होगा। ऐसे व्यय की सीमा एक बहुवार्षिक वित्तीय योजना (Pluri annual Financial Planning) की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जायगी।

(ii) संघ शासन तथा लेण्डर के लिए आवश्यक राशि का इस प्रकार समन्वित किया जाय कि एक उचित सन्तुलन स्थापित हो सके करदाता पर अधिक कर भार का निवारण किया जाय तथा संघीय क्षेत्र में जीवन स्तर की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

(4) पण्यावर्त कर (Turnover Tax) से प्राप्त आय में संघ शासन व लेण्डर के अपने अपने अंश का उस समय नये प्रकार से विभाजित किया जायगा जब राजस्व तथा खर्च का आपसी सम्बन्ध संघ शासन में लेण्डर से तत्वतः भिन्न विकसित होता है। जहा संघीय कानून अतिरिक्त खर्च थोपता है या लेण्डर में राजस्व वापस लेता है वहा अतिरिक्त भार को संघीय कानून के अन्तर्गत संघीय अनुदान द्वारा पूरा किया जायेगा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी बशर्ते कि ऐसा अतिरिक्त भार थोड़े समय तक सीमित रहता है। इस कानूनों द्वारा व सिद्धान्त सामने रखे जायेंगे जिनके द्वारा ऐसे अनुदान का परिकलन (Calculation) तथा लेण्डर (राज्यों) में वितरण किया जा सके।

(5) आयकर से प्राप्त आमदनी का एक हिस्सा कम्यूनों का लेण्डर द्वारा दिया जायगा यह लेण्डर के निवासियों से प्राप्त आयकर के आधार पर दिया जायेगा। इसका विस्तृत ब्यौरा एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायेगा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसे कानून द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि कम्यून अपने समुदाय के हिस्से का निर्धारण स्वयं करेगा।

(6) वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार करों से प्राप्त आय कम्यूनों को प्राप्त होगी स्थानीय आबकारी करों से प्राप्त आय कम्यूनों को मिलेगी या लेण्डर (राज्य)

कानून द्वारा व्यवस्थित होने पर कम्यूनों के संघ को प्राप्त होगी। कम्यून वर्तमान कानूनी ढांचे के अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति व व्यापार पर लगाये गए करों के बारे में निर्धारण करने के अधिकारी होंगे। जहां एक लण्ड में ऐसे कम्यून नहीं हैं वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार-करों के साथ ही साथ स्थानीय आबकारी करों से प्राप्त आय लण्ड को मिलेगी। संघ शासन तथा लण्डेर एक महसूल (Impost) के निर्धारण द्वारा व्यापार-कर से होने वाली आय में हिस्सेदारी ले सकेंगे। ऐसे महसूल के बारे में विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित होगा जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति जरूरी होगी। लण्ड-कानून के ढांचे के अन्तर्गत वास्तविक सम्पत्ति तथा व्यापार पर करों तथा साथ ही आयकर में कम्यून के हिस्से को आधार मानकर ऐसे महसूल का हिसाब किया जायगा।

(7) लण्ड के हिस्से में आने वाली समस्त आय तथा समग्र (Over all) संयुक्त करों का विशेष प्रतिशत जो लण्ड कानून द्वारा निर्धारित किया जायगा कम्यून तथा कम्यूनों के संघ को प्राप्त होगा। अन्य सब मामलों में लण्ड कानून यह निश्चय करेगा कि क्या और किस सीमा तक लण्ड करों से प्राप्त आय कम्यूनों तथा कम्यूनों के संघों को मिलेगी।

(8) यदि किन्हीं लण्डर (राज्यों) या कम्यूनों या कम्यूनों के संघों में संघ शासन विशेष सुविधा की स्थापना करता है जिससे सीधे इन लण्डर या कम्यूनों या कम्यूनों के संघों के खर्च में वृद्धि होती है या उन्हें आय (विशेष भार) में नुकसान होता है तो संघ शासन आवश्यक मुआवजे की स्वीकृति तभी देगी जब ऐसे लेण्डर या कम्यून और कम्यून के संघ से तर्कसम्मत ढंग से ऐसे विशेष भार (आय) को उठाने की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे मुआवजे की स्वीकृति देते समय तृतीय-पक्ष की क्षतिपूर्ति (Third Party Indemnity) तथा लण्डर या कम्यूनों या कम्यूनों के संघों को ऐसी संस्थाओं की स्थापना में होने वाले वित्तीय लाभों की सुविधा का उचित हिसाब रखा जायगा।

(9) इस अनुच्छेद के प्रयोजन हेतु कम्यूनों तथा कम्यूनों के संघों की आय तथा व्यय भी लण्ड की आय या व्यय माने जायेंगे।

अनुच्छेद 107[1] वित्तीय समकरण

(1) जिस सीमा तक लण्ड कर तथा आय तथा निगम कर राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रदेशों (स्थानीय आय) से वसूल किये जाते हैं उस सीमा तक वे कर उस विशिष्ट लण्डेर को प्राप्त होंगे। निगम कर तथा वेतन

1 23 दिसम्बर 1955 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृष्ठ 817) तथा
12 मई 1969 359) द्वारा संशोधित रूप

(Wags) कर से प्राप्त स्थानीय आय के आवटन तथा परिसीमन के बारे में विस्तृत ब्यौरे की व्यवस्था एक सघीय कानून द्वारा की जा सकती है जिसके लिए बुन्सेराट की स्वीकृति जरूरी होगी। ऐसे कानून द्वारा अन्य करों से प्राप्त स्थानीय आय का परिसीमन तथा आवटन भी हो सकता है। पण्यावर्त कर (Turnover Tax) से होने वाली आय के हिस्से में लण्ड के हिस्से का निर्धारण प्रति व्यक्ति औसत (Per Capita) के आधार पर होगा।

लण्ड करों तथा आय तथा निगम करों की दृष्टि से जिन लण्डर (राज्यों) की प्रति व्यक्ति औसत आय सभी लेण्डर की सयुक्त आय के औसत से कम है उन्हें एक सघीय कानून द्वारा जिसके लिए बुन्सराट की स्वीकृति जरूरी है पूरक हिस्सा (Supplemental Share) दिया जा सकेगा जो उस लण्ड की आय के एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होगा।

(2) सघीय कानून वित्तीय दृष्टि से असमृद्ध तथा समृद्ध लेण्डर (राज्यों) के मध्य तर्कसम्मत वित्तीय समकरण का सुनिश्चित करेगा ऐसा करते समय कम्यूनो तथा कम्यूनो के सघो की वित्तीय क्षमता तथा आवश्यकताओं का उचित हिसाब रखा जायेगा। ऐसे कानून में लेण्डर के समकरण सम्बन्धी दावे किस लण्डर को वित्तीय समकरण के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा किन लेण्डर को वित्तीय समकरण की स्थापना के लिए समकरण भुगतान देना होगा उनके सचालन सम्बन्धी शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख होगा इसके साथ ही समकरण भुगतान की राशि के लिए मानदण्ड निर्धारित किया जायगा। ऐसे कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि सघीय कोष से सघ शासन असमृद्ध लेण्डर को उनकी आम वित्तीय जरूरत की पूर्ति के लिए अनुदान देगा जो कोटि पूरक अनुदान (Complemental grant) होगा।

अनुच्छेद 108[1] कर सम्बन्धी प्रशासन (Fiscal Administration)

(1) चुगी शुल्क वित्तीय एकाधिकार आबकारी कर सघीय कानून के विभाग होंगे इसमें आयात पर आबकारी कर भी शामिल है साथ ही यूरोपीय समुदाय के ढाचे के अन्तर्गत लगाये गये शुल्क भी सघीय राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रशासित होंगे। इन अधिकारियों का गठन सघीय कानून द्वारा नियमित होगा। मध्यवर्ती प्रशासनिक स्तर पर जो मुख्य अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे उनके सम्बन्ध में उससे सम्बन्धित लेण्डर से सलाह ली जायगी।

(2) अन्य सभी कर लण्ड राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रशासित होंगे। इन कार्यालयों का गठन तथा उनके कर्मचारियों के प्रशिक्षण को एकरूपता के लिए सघीय कानून बनाया जा सकता है जिसके लिए बुन्सराट की स्वीकृति आवश्यक

1 12 मई 1969 के सघीय कानून (फडरल लॉ गजट 1 पृष्ठ 359) द्वारा संशोधित रूप

जाना। मध्यवर्ती स्तर पर मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति संघीय सरकार की सहमति से की जायेगी।

(3) जिस सीमा तक कर पूर्णतः या आंशिक रूप से संघ प्रशासन को प्राप्त होते हैं तथा उनका प्रशासन लैण्ड राजस्व अधिकारी करते हैं उस सीमा तक वे अधिकारी संघ प्रशासन के एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 85 के परिच्छेद (3) तथा (4) इस सम्बन्ध में लागू होंगे, संघ सरकार के स्थान पर संघ का वित्त मन्त्री कार्य करेगा।

(4) करों के प्रशासन के सम्बन्ध में संघीय कानून द्वारा जिसके लिए बुन्डसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी संघीय तथा लैण्ड राजस्व-अधिकारियों के मध्य सहयोग की व्यवस्था की जा सकती है या इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अन्तर्गत आने वाले करों का प्रशासन लैण्ड राजस्व अधिकारियों को सौंपा जा सकता है या अन्य करों के बारे में यदि ऐसा करने से किसी सीमा तक कर कानूनों के कार्यान्वयन में सुविधा होती हो प्रशासन संघीय राजस्व अधिकारियों को दिया जा सकता है। जहाँ तक उन करों तथा आय का प्रश्न है जो कम्यूनों या कम्यूनों के संघों को प्राप्त होता है उनका प्रशासन लैण्डर द्वारा पूर्णतः या आंशिक तौर पर लैण्ड राजस्व अधिकारियों से लेकर कम्यूनों या कम्यूनों के संघों को सौंपा जा सकता है।

(5) संघीय राजस्व अधिकारी की प्रक्रिया जिसका वे पालन करेंगे वह संघीय कानून द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। लैण्ड राजस्व अधिकारियों की जैसा कि इस अनुच्छेद के परिच्छेद (4) में विचार प्रस्तुत किया है उसके अनुसार कम्यूनों तथा कम्यूनों के संघ द्वारा वह प्रक्रिया लागू की जा सकती है इसके लिए संघीय कानून बनाया जा सकता है जिसके लिए बुन्डसराट की स्वीकृति जरूरी होगी।

(6) कर प्रशासन (Fiscal) सम्बन्धी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार संघीय कानून द्वारा एकसमान नियमित होगा।

(7) संघीय सरकार उस सीमा तक सामान्य प्रशासनिक नियम जारी कर सकती है जिस सीमा तक लैण्ड राजस्व अधिकारियों या कम्यूनों या कम्यूनों के संघों द्वारा प्रशासन आवश्यक है। इसके लिए बुन्डसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

अनुच्छेद 109[1] संघ शासन तथा लैण्डर के लिए अलग अलग बजट

(1) कर प्रशासन के सम्बन्ध में संघ शासन व लैण्डर एक-दूसरे से स्वतन्त्र तथा स्वायत्त होंगे।

(2) संघ शासन तथा लैण्डर अपने कर प्रशासन में समग्र आर्थिक सन्तुलन की आवश्यकता का समुचित ध्यान रखेंगे।

1 8 जून 1967 के संघीय कानून ((संघीय कानून गजट I पृष्ठ 581) द्वारा संशोधित रूप

(3)[1] बजट सम्बन्धी कानून कर प्रशासन का आर्थिक प्रवत्तियो से जाटत तथा आगामी कई वर्षो क लिए वित्तीय योजना क सचालन क लिए सघीय कानून द्वारा सिद्धान्त निधारित किये जा सकते हैं जो सघ शासन व लेण्डर दोनो पर लागू होग इस कानून के लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(4) समग्र आर्थिक सतुलन म उत्पन्न गडबडी को दूर करने की दृष्टि से सघीय कानून जिसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति आवश्यक है का निमाण किया जा सकता है जिसम निम्नाकित कर प्रावधान किया जा सकता है —

(i) अधिकतम राशि सार्वजनिक अधिकृत सस्थानो चाहे व स्थानीय हो या क्रियाशील द्वारा ऋण उगाहने की शर्तें व समय तथा

ii) जमन फेडरल (सघीय) बैंक म सघ शासन तथा लेण्डर द्वारा ब्याज मुक्त राशि (आर्थिक प्रवत्तियो क मुकाबले के लिए जमा पूजी) जमा करने का दायित्व

उपयुक्त अध्यादेशो जो कानून के समान शक्ति से युक्त होगे के निमाण तथा घोपणा का अधिकार सिफ सघीय सरकार को होगा। एस अध्यादेशो के लिए बुन्देसराट की स्वीकृति अनिवार्य होगी। यदि बुन्देसराट माग करती हो तो उन्हे निरस्त किया जायगा विस्तृत विवरण सघीय कानून द्वारा नियमित होगा।

अनुच्छेद 110 सघ शासन का बजट

(1) सघ शासन की समस्त आय तथा व्यय बजट म सम्मिलित होगी सघीय उद्यमो (enterpris s) तथा विशेष निधि (special fund) क सबध मे सिफ विनियोग (allocation) तथा उनसे निकासी अथवा रकम का बजट म शामिल करना आवश्यक होगा। आय तथा व्यय की दृष्टि से बजट सतुलित होना चाहिए।

(2) बजट की स्थापना एक कानून द्वारा होगा जिसम एक वष या कई वित्तीय वर्षो क लिए अलग अलग बजट का प्रबन्ध होगी यह व्यवस्था उन वित्तीय वर्षो म स प्रथम वष के आरम्भ से पूर्व की जायगी। बजट क कुछ हिस्सो के लिए एसी व्यवस्था की जा सकती है कि वे अलग अलग अवधि म लागू होगे लेकिन उनको वित्तीय वर्षो म विभाजित किया जायगा।

(3) इस अनुच्छेद क परिच्छेद ( ) के प्रथम वाक्य के अर्थो म निर्मित विधयको साथ ही बजट कानून तथा बजट मे सशोधन सबधी विधेयको को एक साथ बुन्देसराट व बुन्डेस्टाग म पेश किया जायेगा बुन्देसराट को अधिकार होगा कि

1 12 मई 1969 के सशोधन कानून (फ डरल ला गजट 1 पृष्ठ 357) द्वारा सशोधित
2 वही

वह छः सप्ताह की अवधि में और यदि वह विधेयक में संशोधन चाहती है तो तीन सप्ताहों के भीतर अपनी राय व्यक्त करे।

(4) बजट कानून में सिर्फ संघ शासन के आय तथा व्यय तथा उसकी अवधि जिसके लिए बजट कानून बनाया गया है सम्बन्धी व्यवस्थाएं ही हो सकती हैं। बजट कानून यह अनुबन्ध कर सकता है कि उसकी कुछ निश्चित व्यवस्थाएं सिर्फ उसी समय समाप्त होंगी जब आगामी बजट की घोषणा होगी। अनुच्छेद 115 के अनुवर्ती प्राप्त अधिकार की स्थिति में वे निश्चित व्यवस्थाएं बाद की तिथि तक भी जारी रह सकती हैं।

अनुच्छेद 111 बजट की स्वीकृति से पूर्व भुगतान

(1) यदि वित्तीय (Fiscal) वर्ष के अन्त तक आगामी वर्ष के लिए कानून द्वारा बजट की व्यवस्था नहीं हुई है तो जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता संघ-सरकार वे सभी भुगतान कर सकती है जो जरूरी हैं। ये भुगतान निम्न विषयों से सम्बद्ध होंगे —

(अ) कानून द्वारा निर्मित संस्थाओं के पोषण तथा कानून द्वारा अधिकृत कार्यों के पालन हेतु

(ब) संघ शासन के सांविधिक (Statutory) अनुबन्धात्मक तथा सन्ध्यात्मक दायित्वों के पालन करने के लिए

(स) निर्माण-कार्य योजनाओं कानूनी तथा अन्य सेवाओं को चालू रखने के उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान स्वीकृति जारी रखने बशर्ते कि पिछले वर्ष के बजट में उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई हो

(2) जिस सीमा तक विशिष्ट कानून द्वारा आय की व्यवस्था है तथा उस कर या शुल्क या अन्य अधिभार अथवा साधनों या कार्यकारी पूंजी निधि (Working Capital Reserve) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है (इसमें इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में वर्णित व्यय शामिल नहीं होना चाहिए) उस सीमा तक ऐसी स्थिति में वर्तमान कार्य-संचालन के लिए सरकार उन मदों में से आवश्यक राशि उधार ले सकती है। इस राशि की अधिकतम सीमा पिछले बजट की समस्त राशि की एक चौथाई होगी।

अनुच्छेद 112[1] बजट अनुमानों से अधिक व्यय

बजट विनियोग से अधिक व्यय तथा बजट के अतिरिक्त व्यय के लिए संघीय वित्त मन्त्री की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसी स्वीकृति तभी दी जा सकती है जब

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फडरल ला गजट I पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप

कोई अत्यावश्यक या अभूतपूर्व आवश्यकता उठ खडी हुई हो। विस्तृत विवरण संघीय कानून द्वारा नियमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 113[1] व्यय में वृद्धि

(1) उन कानूनों के लिए संघीय-सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी जिसमें संघीय सरकार द्वारा बजट के व्यय में वृद्धि का प्रस्ताव हो या भविष्य में नये खर्च की सम्भावना हो। यह बात उन कानूनों पर भी लागू होगी जो आय में कमी या भविष्य में कमी की सम्भावना से सम्बद्ध होंगे। संघीय सरकार बुन्देसटाग से कह सकती है कि ऐसे विधेयकों पर मतदान स्थगित कर दिया जाय। ऐसी स्थिति में संघीय सरकार छ सप्ताह के भीतर अपनी राय बुन्देसटाग के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(2) बुन्देसटाग द्वारा ऐसे विधेयक पर मतदान के चार सप्ताह की अवधि के भीतर संघीय सरकार पुन उस विधेयक पर मतदान के लिए कह सकती है।

(3) यदि अनुच्छेद 78 के अनुवर्ती कोई विधेयक कानून बन गया है तो संघीय सरकार सिर्फ छ सप्ताहों के भीतर उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है। यह वह तभी कर सकती है जब इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया को पूरा कर ले। इस अवधि की समाप्ति पर यह माना जायगा कि स्वीकृति दे दी गई है।

अनुच्छेद 114 हिसाब देना आडिट आफिस (लेखा परीक्षा कार्यालय)

(1) संघीय सरकार की ओर से संघीय वित्त मन्त्री प्रतिवर्ष बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट की स्वीकृति के लिए उनके सम्मुख पिछले वर्ष का आय व्यय और सम्पत्ति ऋण का हिसाब प्रस्तुत करेगा।

(2) संघीय लेखा परीक्षा-कार्यालय (आडिट आफिस) जिसके सदस्यों को न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी मितव्ययिता तथा बजट के सही-सही खर्च की दृष्टि से बजट के प्रावधानों की परीक्षा करेगा। संघीय लेखा परीक्षा कार्यालय प्रति वर्ष सीधे संघीय सरकार के साथ ही साथ बुन्देसटाग तथा बुन्देसराट को भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अन्य सभी मामलों में संघीय लेखा परीक्षा कार्यालय की शक्तियों का नियमन एक संघीय कानून द्वारा होगा।

अनुच्छेद 115[3] ऋण की प्राप्ति (Procument of Credit)

(1) आगामी वित्तीय वर्षों में होने वाले व्यय के परिणामस्वरूप राशि

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप।
2 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप
3 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृष्ठ 357) द्वारा संशोधित रूप

उधार लेना, वचन-पत्र वितरित करना, गारण्टी देना या अन्य प्रतिज्ञा करना आदि के लिए एक संघीय विधायकी प्राधिकरण की आवश्यकता होगा जो यह अधिकार देगा कि अधिकतम कितनी राशि ऋण के रूप में ली जा सकती है। उधार से प्राप्त आय बजट में समस्त व्यय के लिए की गई व्यवस्था से अधिक नहीं होगी सिर्फ समग्र आर्थिक सन्तुलन में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए अपवाद-रूप में अन्य व्यवस्था की स्वीकृति दी जा सकेगी। विस्तृत विवरण एक संघीय कानून द्वारा नियमित किया जायगा।

(2) संघ शासन की विशेष निधि (Sp cial Fund) के मामले में इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) में उल्लिखित अपवाद व्यवस्था के लिए संघीय कानून द्वारा अधिकार दिया जा सकता है।

[1]दस ए प्रतिरक्षा की स्थिति

अनुच्छेद 115 ए प्रतिरक्षा की स्थिति का निर्धारण

(1) बुन्देसटाग बुन्देसराट की स्वीकृति से यह निश्चय करेगी कि संघीय प्रदेश पर सशस्त्र सेना से हमला हो रहा है या ऐसे आक्रमण की सीधी आशंका (प्रतिरक्षा की स्थिति) है या नहीं। ऐसा निश्चय संघीय सरकार की प्रार्थना पर किया जायगा और इसके लिए कुल डाले गये मतों का दो तिहाई बहुमत जरूरी होगा जो कम से कम बुन्देसटाग की कुल सदस्य-संख्या का बहुमत भी होगा।

(2) यदि स्थिति अनिवार्यतः तत्काल कदम उठाने की माँग करती है तथा बुन्देसटाग की बैठक का समय पर आयोजित करने में अलंघ्य बाधाएँ हैं या बुन्देसटाग में गण-पूर्ति (कोरम) नहीं है तो संयुक्त समिति अपने कुल डाले गये मतों के दो तिहाई बहुमत से जो कम से कम कुल सदस्यों का बहुमत भी होगा इसका निश्चय करेगी।

(3) अनुच्छेद 82 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस निश्चय को फेडरल लॉ गजट (संघीय कानून राजपत्र) में घोषित किया जायगा यदि समय पर यह सम्भव नहीं है तो अन्य विधि से घोषणा की जा सकेगी जिसे बाद में जितना जल्दी सम्भव हो संघीय राज-पत्र में प्रकाशित किया जायगा।

(4) यदि संघीय प्रदेश पर सशस्त्र सेनाओं द्वारा हमला होता है और यदि संघ शासन के सक्षम अंग इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के प्रथम वाक्य में की गई व्यवस्था के अनुसार तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में न हो तो जिस समय

1 समस्त दसवाँ ए– खण्ड 24 जून 1968 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गज 1 पृ 711) द्वारा जोड़ा गया।

हमला प्रारम्भ होता है उसी समय यह मान लिया जायेगा कि ऐसा निश्चय हो चुका है।

(5) जब प्रतिरक्षा की स्थिति के अस्तित्व का निर्धारण हो जाता है तथा उसे घोषित कर दिया जाता है और यदि संघीय प्रदेश पर सशस्त्र सेना द्वारा आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति बुन्डेसटाग की सहमति से ऐसी प्रतिरक्षा की स्थिति के अस्तित्व के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वैध घोषणा जारी करेगा। तब इस अनुच्छेद के परिच्छेद (2) के अधीन संयुक्त समिति बुन्डेसटाग का प्रतिनिधित्व करेगी।

115 बी–प्रतिरक्षा की स्थिति में नियन्त्रण की शक्ति

प्रतिरक्षा की स्थिति की घोषणा के उपरान्त सशस्त्र सेनाओं पर समादेश की शक्ति चान्सलर के हाथ में आ जायगी।

115 सी–प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में संघ शासन की विधायी क्षमता

(1) संघ शासन को कानून निर्माण द्वारा यहां तक अधिकार होगा कि वह लैन्डर की विधायी क्षमता से सम्बद्ध विषयों पर भी समवर्ती कानून बना सके। ये कानून प्रतिरक्षा की स्थिति आरम्भ होने पर लागू होंगे। ऐसे कानूनों के लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(2) जब प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस सीमा तक जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान रहती है। निम्न आवश्यक मामलों पर संघीय-सरकार को कानून बनाने तथा लागू करने का अधिकार होगा वे इस प्रकार हैं—

(i) सम्पत्ति हरण की स्थिति में दिये जाने वाले प्रारम्भिक मुआवजे के सम्बन्ध में और इस प्रकार अनुच्छेद 14 के परिच्छेद (3) के द्वितीय वाक्य से विचलित होगा।

(ii) अनुच्छेद 104 के परिच्छेद (2) के तीसरे वाक्य व परिच्छेद (3) के प्रथम वाक्य से विचलित या विरोधी होने की स्थिति में यदि कोई न्यायाधीश सामान्य समय में लागू नियम के आधार पर काम नहीं कर पाता है तो किसी व्यक्ति को स्वतन्त्रता से वंचित रखा जा सकता यह अवधि 4 दिन से अधिक नहीं होगी।

(3)[1] प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रत्यक्ष खतरे या आसन्न खतरे को दूर करने के लिए एक आवश्यक संघीय कानून द्वारा जिसके लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति आवश्यक है खण्ड आठ आठ ए तथा दस के कानूनी प्रावधानों से दूर कर संघ शासन तथा लैण्डर की प्रशासन-व्यवस्था को विचलित कर उसकी व्यवस्था व प्रशासन नियमित किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें लैण्डर तथा कम्यूनों

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 359) द्वारा संशोधित ।

ग्रौर कम्यूना के सघ की जीवन-क्षमता विशेषत कर प्रशासन के मामलो की सुरक्षा हो सके ।

(4) इस ग्रनुच्छेद के परिच्छेद (1) के उप परिच्छेद (1) तथा परिच्छेद (2) के ग्रनुसार निर्मित कार्यान्वयन के उद्देश्य से तैयार किये गये सघीय कानूनो को प्रतिरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व भी लागू किया जा सकता है ।

ग्रनुच्छेद 115 डी– प्रतिरक्षा की स्थिति की ग्रवधि मे ग्रत्यावश्यक विधयकों के लिए सक्षिप्त प्रक्रिया

(1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद हो तब ग्रनुच्छेद 7 के परिच्छेद (2) ग्रनुच्छेद 77 के परिच्छेद (1) तथा (2) से (4) ग्रनुच्छेद 78 तथा ग्रनुच्छेद 82 के परिच्छेद (1) की व्यवस्थाग्रो के बावजूद सघीय कानूनो के मामले मे इस ग्रनुच्छेद के परिच्छेद (2) तथा (3) की व्यवस्थाए लागू होगा ।

(2) जिन विधयको को ग्रत्यावश्यक रूप से सघ सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है व बुन्डेसटाग को भेजे जायेंगे तथा उसी समय बुन्डेसराट मे भी प्रस्तुत किये जायेंगे । बुन्देसटाग तथा बुन्डेसराट बिना देर किये समान रूप से ऐसे विधेयको पर बहस करेगी । ऐसे विधयक के कानून बनने के लिए बुन्डेसराट की बहुमत से स्वीकृति ग्रावश्यक है । विस्तृत विवरण बुन्डेसटाग द्वारा स्वीकृत कार्य विधि के नियमो द्वारा नियमित होगा जिनके लिए बुन्डेसराट की सहमति भी ग्रावश्यक होगी ।

(3) ऐसे कानूनों को जारी करने के सम्बन्ध मे ग्रनुच्छेद 115 ए के परिच्छेद (3) का दूसरा वाक्य यथोचित परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) लागू होगा ।

ग्रनुच्छेद 115 ई–सयुक्त समिति का पद तथा कार्य

(1) जब प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद रहती है ग्रौर यदि सयुक्त समिति कुल डाले गये मतो के दो तिहाई मतो से (इसमे कम से कम सदस्यो का बहुमत होना जरूरी है) तय करती है कि बुन्डेसटाग के समय पर बैठक बुलाने मे ग्रलघ्य बाधाए हैं या कि बुन्डेसटाग मे कोरम (गण पूर्ति) नही है तो सयुक्त समिति को बुन्डेसटाग व बुन्डेसराट दोनो का पद प्राप्त होगा तथा वह उनके ग्रधिकारो का प्रयोग करेगी ।

(2) सयुक्त समिति इस बेसिक ला के सशोधन सम्बन्धी कानून नहीं बना सकती या पूर्ण ग्रथवा ग्राशिक रूप मे इसके प्रयोग या प्रभाव से वचित नहीं कर सकती । सयुक्त समिति ग्रनुच्छेद 24 के परिच्छेद (1) या ग्रनुच्छेद 29 के ग्रनुसार कानून बनाने की ग्रधिकारी नही होगी ।

अनुच्छेद 115 एफ–प्रतिरक्षा की अवधि में संघ शासन के असाधारण अधिकार

(1) जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति मौजूद रहती है संघ-सरकार निम्नांकित विषयों पर उस सीमा तक कानून बना सकती है जिस सीमा तक वे आवश्यक हों —

(i) समस्त संघीय प्र[illegible] संघीय सीमा रक्षक दल को सुपुर्द कर सकती है।

(ii) सिर्फ संघीय प्रशासनिक अधिकारियों को ही नहीं वरन् राज्य (राज्य) सरकारों को या यदि आवश्यक समझे तो राज्य अधिकारियों को भी निर्देश दे सकता है तथा अधिकार [illegible] द्वारा नियुक्त राज्य सरकार के सदस्यों को प्रदत्त कर सकती है।

(2) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुसार उठाये गये कदमों के बारे में बुन्देसराट बुन्देसराट तथा संयुक्त समिति को तत्काल सूचना दी जायगी।

अनुच्छेद 115 जी–प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में संघीय संवैधानिक न्यायालय का पद तथा काम

संघीय संवैधानिक न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों के संवैधानिक काम तथा संवैधानिक पद का परित्याग (impair) नहीं किया जाना चाहिए। संघीय संवैधानिक न्यायालय में सम्बन्धित कानून को संयुक्त समिति द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है लेकिन यदि स्वयं संघीय संवैधानिक न्यायालय का मत है कि न्यायालय की कार्य-क्षमता को बनाये रखने के लिए ऐसा संशोधन आवश्यक है तो ऐसा किया जा सकता है। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता संघीय संवैधानिक न्यायालय ऐसे कदम उठा सकता है जो उसके कार्यों को जारी रखने के लिए अनिवार्य हैं। इस अनुच्छेद के द्वितीय व तृतीय वाक्यों के प्रसंग में संघीय संवैधानिक न्यायालय द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के लिए उपस्थित न्यायाधीशों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 115 एच–प्रतिरक्षा की स्थिति की अवधि में पदों की अवधि तथा विधायिका का कार्यकाल

(1) यदि बुन्देसटाग या किसी राज्य की विधान सभा (Diets) का कार्यकाल उस समय समाप्त होता है जब प्रतिरक्षा की स्थिति वर्तमान है तो उनका कार्यकाल प्रतिरक्षा की स्थिति समाप्त होने के 6 माह बाद खत्म होगा। जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति वर्तमान है और इसी बीच राष्ट्रपति का पद समाप्त होता है तथा यदि राष्ट्रपति का पद असमय में रिक्त हो गया है और उसका स्थान बुन्देसराट के अध्यक्ष ने सम्भाला है तो प्रतिरक्षा की स्थिति समाप्त होने के 9 माह बाद उसका कार्यकाल समाप्त होगा। इसी प्रकार संघीय संवैधानिक के एक न्यायाधीश का कार्यकाल इस समय समाप्त हो रहा है जब प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान है तो प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति के 6 माह बाद उसका कार्यकाल समाप्त होगा।

(2) यदि संयुक्त समिति के सामने एक नये संघीय चान्सलर का चुनाव की

आवश्यकता उत्पन्न होनी है तो समिति अपने सदस्यों के बहुमत से चुनाव करेगी। संघीय राष्ट्रपति संयुक्त समिति के सम्मुख उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करेगा। संयुक्त समिति संघीय चान्सलर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव तभी कर सकती है जब वह अपने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसका उत्तराधिकारी चुन ले।

(3) जब तक प्रतिरक्षा की स्थिति विद्यमान है बुन्डसटाग को भंग नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 115 आई—लैण्ड सरकारों के असाधारण अधिकार

(1) यदि संघीय-सरकार के अधिकृत अंग खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ हैं तथा यदि स्थिति अत्यावश्यक रूप से माँग करती है कि संघीय प्रदेश के प्रभाव हिस्सों में तत्काल स्वतन्त्र रूप से कदम उठाये जाने चाहिए तो ऐसी स्थिति में लैण्ड-सरकारें द्वारा नियुक्त अधिकारियों या आयुक्तों को अधिकार दिया जायगा कि अपने अपने अधिकृत क्षेत्र में अनुच्छेद 115 एफ के परिच्छेद (1) के अनुसार वे कदम उठायें।

(2) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) के अनुसार उठाया गया कोई भी कदम संघीय सरकार द्वारा तथा यदि मामला लैण्ड अधिकारियों या सहायक संघीय अधिकारियों से सम्बद्ध है तो लैण्ड के मुख्य मन्त्रियों द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 115 जे—कानूनी असाधारण कानूनों तथा अध्यादेशों की बाधता की श्रेणी तथा अवधि

(1) अनुच्छेद 115 सी 115 ई तथा 115 जी के अनुसार निर्मित कानूनों तथा साथ ही साथ ऐसे कानूनों के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेश जो कानूनी शक्ति से युक्त है अपने लागू रहने की अवधि में उन सब कानूनों या अध्यादेशों को निलम्बित कर देंगे जो उनके विपरीत है। यह बात उन कानूनों पर लागू नहीं होगी जो अनुच्छेद 115 सी 115 ई 115 जी के अन्तर्गत अधिनियमित किये जा चुके हैं।

(2) संयुक्त समिति द्वारा स्वीकृत कानून तथा ऐसे कानूनों के अन्तर्गत जारी किये गये अध्यादेश जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावहीन हो जायेंगे।

(3)[1] अनुच्छेद 91—ए 91—बी 104—ए 106 तथा 107 के विपरीत प्रावधानों वाले कानून प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति के बाद दूसरे वित्तीय वर्ष का

1 12 मई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 पृ 359) द्वारा संशोधित रूप।

समाप्ति के बाद लागू नहीं होंगे। ऐसी समाप्ति के बाद बुन्डेसटाग की सह मति से एक संघीय कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है ताकि खण्ड आठ (VIII) ए तथा दसवें (X) में दी गई व्यवस्था को पुन प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 115 के—असाधारण कानूनों का निराकरण प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति शांति-स्थापना

(1) बुन्डेसटाग बुन्डेसराट की सहमति से किसी भी समय संयुक्त समिति द्वारा निर्मित कानूनों को रद्द कर सकती है। बुन्डेसराट बुन्डेसटाग से ऐसे किसी भी मामले में निर्णय लेने का आवेदन कर सकती है। यदि बुन्डेसटाग तथा बुन्डेसराट ऐसा निश्चय करते हैं तो संयुक्त समिति तथा संघ सरकार द्वारा खतरे को दूर करने के लिए उठाये गये किन्हीं भी कदमों को रद्द किया जा सकता है।

(2) बुन्डेसटाग बुन्डेसराट की सम्मति से अपने निश्चय द्वारा किसी भी समय प्रतिरक्षा की स्थिति की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी की जानी चाहिए। बुन्डेसराट बुन्डेसटाग से इस किसी भी मामले में निर्णय करने का आवेदन कर सकती है। जब प्रतिरक्षा की स्थिति के लिए आवश्यक कारण समाप्त हो जाते हैं तो प्रतिरक्षा की स्थिति तत्काल समाप्त कर देनी चाहिये।

(3) शांति स्थापना का कार्य संघीय कानून का विषय होगा।

XI ग्यारहवां संक्रमणकालीन तथा समापन व्यवस्थाएं

अनुच्छेद 116 जर्मन व्यक्ति की परिभाषा नागरिकता पुन प्रदान करना

(1) यदि कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो तो इस बेसिक ला के अर्थों में जर्मन वह व्यक्ति है जिसे जर्मन नागरिकता प्राप्त है या जिसे 31 दिसम्बर 1937 से पूर्व एक शरणार्थी व्यक्ति या जर्मन जाति (Stock) के निष्कासित व्यक्ति की पत्नी या पति या ऐसे व्यक्ति के वंशज के रूप में जर्मन राइश (Reich) की सीमाओं में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

(2) भूतपूर्व जर्मन नागरिक जिन्हें 30 जनवरी 1933 तथा 8 मई 1945 के मध्य राजनीतिक प्रजातीय (racial) या धार्मिक कारणों से नागरिकता से वंचित किया गया उनके वंशजों के आवेदन प्रस्तुत करने पर पुन जर्मन नागरिकता प्रदान की जायगी। यदि उन्होंने 8 मई 1945 के बाद जर्मनी में अपना स्थायी निवास स्थान (domicile) बना लिया है और उनका विपरीत इरादा प्रकट नहीं किया है तो यह माना जायगा कि वह जर्मन नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 3 तथा 11 के लिए अस्थायी आदेश

(1) अनुच्छेद 3 के परिच्छेद (2) के विपरीत बना कानून उस समय तक जारी रहेगा जब तक इस बेसिक ला की व्यवस्था के अनुरूप उसे नहीं ढाला जाता लेकिन 31 मार्च 1953 के बाद वह कानून नहीं बना रह सकेगा।

(2) वे कानून जो निवास स्थानों की वर्तमान कमी के कारण विचार की स्वतन्त्रता के अधिकार को सीमित करते हैं उस समय तक लागू रहेंगे जब तक संघीय कानून द्वारा उन्हें रद्द नहीं किया जाता।

अनुच्छेद 118 बादेन, वुर्टेमबर्ग बादेन तथा वुर्टेमबर्ग होहेनत्सोलन के लेण्डर (राज्यों) का पुनर्गठन

अनुच्छेद 29 की व्यवस्थाओं के बावजूद सम्बद्ध लण्डेर (राज्यों) के मध्य समझौते द्वारा बादेन, वुर्टेमबर्ग बादेन तथा वुर्टेमबर्ग होहेनत्सोलन के लण्डर (राज्यों) के भू प्रदेशों का पुनर्गठन किया जा सकेगा। यदि कोई समझौता नहीं होता है तो संघीय कानून द्वारा पुनर्गठन किया जायेगा जिसके लिए लोकमत संग्रह (referendum) की व्यवस्था होनी चाहिए।[1]

अनुच्छेद 119 शरणार्थी व निष्कासित व्यक्ति

जब तक संघीय-कानून नहीं बन जाता शरणार्थियों व निष्कासित व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों में विशेषकर लण्डर (राज्यों) में उनकी जनसंख्या के विभाजन सम्बन्धी मामलों में संघीय सरकार बुन्डेसराट की सम्मति से नियम जारी कर सकती है जो कानूनी शक्ति से युक्त होंगे। इस विषय में संघीय सरकार विशिष्ट मामलों में अलग अलग निर्देश देने की अधिकारी होगी। देर होने से उत्पन्न खतरे की स्थिति के अलावा ऐसे निर्देश लण्डर (राज्य) के सर्वोच्च अधिकारियों के नाम प्रेषित किये जायेंगे।

अनुच्छेद 120[2] युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का व्यय तथा भार

(1)[3] संघीय कानून द्वारा की गई विस्तृत व्यवस्था के अनुसार संघ शासन युद्ध के परिणामस्वरूप आधिपत्य का तथा अन्य आन्तरिक तथा बाह्य भार का खर्च उठायेगा। 1 अक्टूबर 1969 तक या उसमें पूर्व संघीय कानून द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार संघ शासन तथा लण्डर आपस में मिलकर इस व्यय तथा भार के खर्च का वहन करेंगे। ऐसे भार तथा व्यय का जिनके बारे में न

1 देखिए अनुच्छेद 23 की पाद टिप्पणी

2 30 जुलाई 1965 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृष्ठ 649) तथा
28 जुलाई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 985) द्वारा संशोधित रूप।

3 28 जुलाई 1969 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट I पृ 985) द्वारा संशोधित रूप

तो संघीय कानून में व्यवस्था की गई है और न व्यवस्था की जायेगी 1 अक्टूबर 1965 तक या उसमें पूर्व लैण्डर, कम्यूनों या कम्यूनों के संघ या अन्य इकाइयों ने जो लैण्डर या कम्यूनों के कार्य का निष्पादन करती हैं वहन किया गया है तो संघ शासन पर उस तारीख के बाद भी ऐसे व्यय भार उठाने का दायित्व नहीं होगा। संघ शासन सामाजिक सुरक्षा बीमा संस्थाओं इनमें बेरोजगारी बीमा तथा बेरोजगारों को सार्वजनिक सहायता भी शामिल है के लिए आर्थिक सहायता देगा। इस परिच्छेद में की गई व्यवस्था के अनुसार युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न भार तथा अन्य व्यय का संघ शासन तथा लैण्डर के बीच वितरण से युद्ध के मुआवजे के दावा सम्बन्धी विधायी प्रबन्धों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अनुच्छेद में उल्लिखित व्यय की जिम्मेदारी उठाने पर संघ शासन को उसके अनुरूप राजस्व उसी समय प्रदान किया जायेगा।

अनुच्छेद 120-क[1] भार के समकरण सम्बन्धी कानून को कार्यान्वित करना

(1) बुन्देसराट की सहमति से भार के समकरण सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत सम्बद्ध कानूनों द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि लाभ के समकरण के सम्बन्ध में उन कानूनों का कार्यान्वयन आंशिक रूप में संघ शासन तथा आंशिक रूप में लैण्डर जो संघ शासन के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे द्वारा किया जायेगा तथा अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत सम्बद्ध शक्तियाँ संघ शासन तथा सक्षम सर्वोच्च संघीय समकरण कार्यालय (Federal Equalization Office) को प्रदत्त की जायेंगी। इन अधिकारों का प्रयोग करते समय संघीय समकरण कार्यालय को बुन्देसराट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर सर्वोच्च लैण्ड अधिकारियों (लैण्ड समकरण कार्यालय) को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जायेंगे।

(2) अनुच्छेद 87 के परिच्छेद (3) की व्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 121-बहुमत की परिभाषा

इस बेसिक ला के अर्थों के अनुसार बुन्देसटाग के सदस्यों का बहुमत तथा संघीय सम्मेलन (Bundesversammlung) का बहुमत अपने कानूनों द्वारा निश्चित संख्या का बहुमत होगा।

अनुच्छेद 122 अब तक वर्तमान विधायी क्षमताएं

(1) बुन्देसटाग की प्रथम बैठक की तारीख से कानून का निर्माण सिर्फ इस बेसिक ला में मान्यता प्राप्त विधायी अंगों द्वारा ही होगा।

1 14 अगस्त 1952 के संघीय कानून (फेडरल लॉ गजट I पृ 445) द्वारा जोड़ा गया।

(2) विधायिका संस्थाएं तथा व संस्थाएं जो मताधिकार के रूप में विधि निर्माण में भाग लेती हैं और जिनकी कार्यक्षमता इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) द्वारा समाप्त होती है व उस तिथि में भंग की जाती है।

अनुच्छेद 123–प्राचीन कानूनों व संधियों की वैधता का जारी रहना

(1) बुन्डेस्टाग की प्रथम बैठक से पूर्व जो कानून लागू थे वे उस सीमा तक लागू रहेंगे जिस सीमा तक वे इस बेसिक लॉ के विपरीत नहीं हैं।

(2) सम्बद्ध पक्षों के सभी अधिकारों व आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए जर्मन राइख (Reich) द्वारा उन मामलों में जो संधियां की गई हैं जो इस बेसिक लॉ के अन्तर्गत राज्य कानूनों के क्षेत्राधिकार में हैं वे संधियां कानून के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार उस समय तक वैध रहेंगी जब तक इस बेसिक लॉ के अन्तर्गत सक्षम एजेंसियों द्वारा नई संधियां नहीं की जातीं या जब तक वे अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार या अन्य तरीकों से समाप्त नहीं हो जातीं।

अनुच्छेद 124 प्राचीन कानून जो अनन्य विधायी कानून के मामलों को प्रभावित करते हैं

सिर्फ संघ शासन की विधायी शक्ति से सम्बद्ध विषयों का कानून जहां कहीं भी लागू हो[1] संघीय कानून होगा।

अनुच्छेद 125 प्राचीन कानून जो समवर्ती कानून के मामलों को प्रभावित करते हैं

संघ शासन की समवर्ती कानूनी शक्ति को प्रभावित करने वाला कानून जहां कहीं भी लागू हो संघीय कानून होगा —

(i) जहां तक वह एक से अधिक आधिपत्य क्षेत्रों (Zone of Occupation) में समान रूप से लागू होता है।

(ii) 8 मई 1945 के बाद जहां तक उस कानून में भूतपूर्व राइख के द्वारा संशोधन किया गया है।

अनुच्छेद 126 प्राचीन कानूनों की सतत् वैधता के सम्बन्ध में विवाद

संघीय संवैधानिक न्यायालय द्वारा संघीय कानून के रूप में एक कानून के जारी रहने के बारे में विवाद की स्थिति में निर्णय दिया जायेगा।

अनुच्छेद 127 द्वि-क्षेत्रीय आर्थिक प्रशासन के कानून

इस बेसिक लॉ की घोषणा की एक वर्ष की अवधि में संघीय सरकार राइनलैण्ड (राज्यों) की सरकारों की सहमति से बाडेन, ग्रेटर बर्लिन, राइनलैण्ड-पैलेटिनेट

1 क्षेत्रीय—खण्ड या क्षेत्रीय (zonal) कानून

तथा पुरस्मवग-हान्नत्सातन के तन्त्र (राज्या) म द्विमेत्रीय ग्राथिक प्रशासन के कानून जिम मीमा तक वे अनुच्छेद 124 या 125 के अन्तगत सघीय कानून के रूप म जारी रहत हैं लागू कर मकती है।

अनुच्छेद 128 निर्देश दने के प्रधिकारों का जारी रहना

अनुच्छेद 84 के परिच्छेद (5) के अथ के अन्तगत जो कानून लागू रहत हैं तथा निर्देश देने का अधिकार प्रदान करते हैं वे अधिकार उस समय तक बने रहेंगे जब तक कानून द्वारा अन्य व्यवस्था नहीं की जाती।

अनुच्छेद 129 प्राधिकरण की वैधता का जारी रहना

(1) जिस सीमा तक कानूनी व्यवस्थाओं के जो सघीय कानून के रूप म लागू रहती हैं अन्तगत कानूनी शक्ति स युक्त अध्यादेश जारी करने या सामान्य प्रशासनिक नियम जारी करने या प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करने के प्राधिकार का प्रश्न है ऐसा प्राधिकार सम्बद्ध मामलों म सक्षम एजेंसियों के हाथों म दिया जायगा। सन्देह की स्थिति म सघीय सरकार बुन्देसराट की सम्मति म मामले पर निर्णय करेगी इस निर्णय प्रकाशित किये जाने चाहिए।

(2) जिस सीमा तक लण्ड कानून के रूप म लागू कानूनी प्रावधान के अन्तगत इस प्राधिकार की व्यवस्था है उनका कार्यान्वयन लण्ड-कानून के अन्तगत सक्षम प्रधिकारियों द्वारा किया जायगा।

(3) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) के अन्तगत जिस सीमा तक कानूनी प्रावधान सशोधन या परिवद्धन या कानून के स्थानापन्न कानूनी प्रावधान जारी करने का प्राधिकार प्रदान करती हैं उसी सीमा तक ऐसे प्राधिकार समाप्त होंगे।

(4) इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) तथा (2) की व्यवस्थाएं उन मामलों म यथा विद् परिवतन सहित लागू होगी जहा कानूनी व्यवस्था उन नियमों या उन संस्थाओं की ओर सकेत करती है जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है।

अनुच्छेद 130—सावजनिक कानून के अन्तगत निगम

(1) प्रशासनिक अभिकरण (agencies) तथा अन्य संस्थाएं जो सरकारी प्रशासन या न्याय प्रशासन की सेवा करती हैं और जो लण्ड कानून या तन्त्र (राज्यों) के बीच सधियों पर आधारित नहीं हैं साथ ही दक्षिण-पश्चिम जर्मन रेल मार्ग प्रबन्धक संघ (Association of Management of South west German Railroads) तथा फ्रांसीसी आधिपत्य क्षेत्र (Zone of Occupation) की प्रशासनिक डाक सेवा तथा दूर-सचार परिषद् सघीय सरकार के

नियत्रण में रखा जायेगी। सघीय सरकार बुन्देसराट की सहमति से उनके स्थानान्तरण विघटन या समापन की व्यवस्था करेगा।

(2) इन संस्थाओं तथा प्रशासनों के कर्मचारियों को अनुशासन में रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी उपयुक्त सघीय मंत्री होगा।

( ) सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत जो निगम तथा संस्थाएँ लैण्ड के अनुच्छेद नहीं है और लैण्ड के मध्य सन्धियों पर आधारित हैं वे उपयुक्त सर्वोच्च न्याय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में रहेंगी।

अनुच्छेद 131 सार्वजनिक सेवाओं में पहले कार्यरत कर्मचारी

सघीय कानून शरणार्थी तथा निष्कासित व्यक्तियों सहित उन लोगों की कानूनी स्थिति का नियमित करेगा जो 8 मई 19-5 को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत थे तथा सार्वजनिक सेवाओं के नियम या सामूहिक समझौते के नियमों को छोड़कर अन्य कारणों से नौकरी छोड़ चुके हैं तथा अब तक पुन नौकरी नहीं पा सके हैं या जो ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो उनके पूर्व पद के अनुरूप नहीं है। यह बात यथोचित परिवर्तन सहित अन्य लोगों पर जिनमें शरणार्थी व निष्कासित व्यक्ति शामिल हैं लागू होगी जो 8 मई 1945 को पेंशन के हकदार थे तथा जिन्हें नौकरी के नियमों या सामूहिक समझौता नियमों को छोड़कर अन्य कारणों से ऐसी पेंशन या उसके अनुरूप पेंशन नहीं मिल रही है। लैण्ड कानून द्वारा कोई अन्यथा व्यवस्था न होने पर जब तक उपयुक्त सघीय कानून लागू नहीं हो जाता कोई कानूनी दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 132–सरकारी नौकरों के अधिकारों का अस्थायी प्रतिसंहरण

(1) बेसिक ला लागू होने और बुन्देसटाग की प्रथम बैठक के बाद छह माह की अवधि में सरकारी नौकरों तथा न्यायाधीशों को जो जीवन पर्यन्त के लिए नियुक्त हुए हैं अवकाश प्राप्त व्यक्तियों की सूची या प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकता है या व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अभिरुचि की कमी होने पर उन्हें कम वेतन सहित अन्य कार्य सौंपा जा सकता है। यह व्यवस्था यथोचित परिवर्तन सहित सरकारी नौकरों तथा न्यायाधीशों के अलावा वेतनिक सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगी जिनका सेवाएं पूर्व सूचना देकर समाप्त नहीं की जा सकती। यदि ऐसी सेवाओं का पूर्व-सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है तो सामूहिक समझौता किया गया निश्चित समय से अधिक समय की पूर्व सूचना देकर उपरिलिखित छह माह के भीतर सूचना देकर रद्द की जा सकती है।

(2) उन व्यक्तियों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण आधारों को छोड़कर विभिन्न व्यवस्थाएँ सरकारी नौकरी के उन सदस्यों पर लागू नहीं होगी जो राष्ट्रीय समाजवाद

(National Socialism) समाजवाद से मुक्ति तथा सैन्यवाद व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होते हैं तथा जो राष्ट्र द्वारा राजनीतिक रूप से घोषित हैं तथा जिन्हें राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(3) जो लोग स्थापित हैं वे अनुच्छेद 19 के परिच्छेद (4) के अन्तर्गत न्यायालय में जा सकते हैं।

(4) विस्तृत विवरण संघीय सरकार के नियम द्वारा अलग अलग रूप में प्रस्तुत किए जायेंगे। इसके लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगी।

अनुच्छेद 133–द्विजोनीय आर्थिक प्रशासन अधिकारों का उत्तराधिकार (दायाधिकार)

संघ शासन द्विजोनीय आर्थिक प्रशासन के अधिकार तथा दायित्व प्राप्त करेगा।

अनुच्छेद 134 राज्य सम्पत्ति का संघीय सम्पत्ति बनना

(1) भूतपूर्व राज्य-सम्पत्ति संघीय सम्पत्ति बनेगा।

(2) जो सम्पत्ति मूल रूप से मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों के निर्वाह के लिए रखी गई थी और अब जो इस संविधान के अन्तर्गत संघ शासन के प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त नहीं होगी तो ऐसी सम्पत्ति बिना मुआवजे के उन अभिकरणों (एजेन्सियों) को हस्तान्तरित कर दी जायेगी जो अब वह कार्य करते हैं तथा जो इस संविधान के अन्तर्गत मात्र न्यायालय और एक नहीं लैन्डर के कार्यक्षेत्र में आते हैं। संघ शासन अन्य सम्पत्ति को भी लैन्डर को हस्तान्तरित कर सकता है।

(3) जो सम्पत्ति लैन्डर या कम्यूनों या कम्यूनों के संघों द्वारा बिना मुआवजे के राज्य को सौंपी गई तथा जिस सीमा तक वह सम्पत्ति संघ शासन के प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक नहीं है उस सीमा तक सम्पत्ति पुनः उस लैन्डर या कम्यूना या कम्यूनों के संघों की सम्पत्ति बन जायेगी।

(4) विस्तृत विवरण संघीय कानून द्वारा नियमित होगा जिसके लिए बुन्डेसराट की स्वीकृति आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 135 प्रादेशिक परिवर्तन की स्थिति में सम्पत्ति

(1) यदि 8 मई 1945 के बाद तथा इस संविधान के लागू होने के पूर्व कोई प्रदेश एक लैन्डर से दूसरे लैन्डर को मिला है तो अब वह क्षेत्र जिस लैन्डर से सम्बद्ध है वह उस सम्पत्ति का अधिकारी होगा।

(2) उन लैन्डर निगमों तथा संस्थाओं की सम्पत्ति जो अब अस्तित्व में नहीं और जिस सीमा तक वह सम्पत्ति मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों के लिए आरक्षित

मे रखी गई थी या श्राज प्रशासनिक कार्यो के लिए प्रयुक्त हो रही है श्रौर मात्र अस्थायी रूप मे ही नही तो वह सम्पत्ति उस लण्ड या निगम अथवा सस्था को मिलेगी जो श्रब न कार्यों का सम्पादन करती है ।

(3) जिस सीमा तक इस अनुच्छेद क परिच्छ (1) के अन्तगत श्रर्थों म सम्पत्ति शामिल नही होती उस सीमा तक जिस लण्ड का श्रब अस्तित्व नही है उसकी उपकरणो सहित वास्तविक सम्पदा (Real Estate) उस लण्ड को मिलगी जिसम वह सम्पत्ति स्थित है ।

(4) यदि सघ शासन के प्रभिभावी (over riding) क्षेत्र के विशिष्ट हित के लिए श्रावश्यक हैं तो सघीय कानून द्वारा इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) स (3) तक मे वर्णित नियमो के विपरीत व्यवस्था की जा सकती है ।

(5) सम्बद्ध सरकारी कानून के अन्तगत 1 जनवरी 1952 से पूव जिस सीमा तक लण्डर या निगमो या सस्थाओ के बीच समझौतो द्वारा कोई निणय नही हुआ है तो सम्पत्ति का उत्तराधिकार अधिकार तथा व्यवस्था सघीय कानून द्वारा नियमित होगी । इसके लिए बुन्देसराट की स्वीकृति श्रावश्यक होगी ।

(6) निजी कानून के अन्तगत भूतपूव प्रशा लण्ड (राज्य) के उद्यमा सम्बन्धी हित सघ शासन को मिलेंगे । एक सघीय कानून जो इस व्यवस्था से भिन्न भी हो सकता है इस सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण तयार करेगा ।

(7) इस बेसिक ला के लागू होने पर इस अनुच्छेद के परिच्छेद (1) से (3) पर श्राधारित सावजनिक कानून द्वारा जिस सीमा तक सम्पत्ति एक लण्ड या निगम या सस्था को मिलने वाली थी श्रौर जिसे एक लण्ड-कानून के अन्तगत या अन्य प्रकार म अधिकृत पक्ष ने बेच दी है तो उसके विक्रय से पूव उस सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो गया माना जायेगा ।

अनुच्छेद 135 ए[1] अन्य वस्तुओं के साथ-साथ राईश तथा भूतपूव प्रशा लण्ड (राज्य) के निश्चित दायित्वो का पूण या श्राशिक निर्वाह

अनुच्छेद 134 के परिच्छेद (4) तथा अनुच्छेद 135 के परिच्छेद (5) द्वारा सघ शासन के लिए श्रारक्षित कानून यह भी व्यवस्था कर सकता है कि निम्नांकित का दायित्व निर्वाह नही किया जायेगा या पूणत नही किया जायगा

(i) राईश या भूतपूव लण्ड (राज्य) प्रशा के दायित्व या ऐसे निगमो या सस्थाओ के दायित्व जो श्रब कानून के अनुसार वास्तव म नही हैं

(ii) सघ शासन या निगमो तथा सस्थाओ के ऐसे दायित्व जो सावजनिक कानूनो के अन्तगत अनुच्छेद 89 90 134 या 135 के अनुसार

1 22 अक्टबर 1957 के सघीय कानून (फ डरल ला गजट 1 पृ 1745) द्वारा जोडा गया ।

सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बद्ध हैं तथा इन संस्थाओं के ऐसे दायित्व जो उपखण्ड संख्या (1) में उल्लिखित कदम उठाने से उत्पन्न होते हैं

(iii) लैण्डर या कम्यूनों या कम्यूनों के संघों द्वारा 1 अगस्त 1945 से पूर्व प्रशासनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लाजिमी तौर पर उठाये गये कदमों या राज्य द्वारा विदेशी आधिपत्य के नियमों के पालन हेतु या युद्ध से उत्पन्न संकटकाल को दूर करने सम्बन्धी कार्यों से उत्पन्न ऐसे दायित्व।

अनुच्छेद 136 बुन्देसराट का प्रथम अधिवेशन

(1) प्रथम बार बुन्देसराट की बैठक उस दिन होगी जब बुन्देसटाग की प्रथम बैठक होगी।

(2) जब तक प्रथम संघीय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता उसकी शक्तियों का प्रयोग बुन्देसराट के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा। उसे बुन्देसटाग को भंग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 137– सरकारी कर्मचारियों का चुनाव में खड़े होने का अधिकार

(1)[1] सरकारी नौकरों, अन्य सार्वजनिक सरकारी कर्मचारियों, पेशेवर सैनिकों, अस्थायी स्वयंसेवी-सैनिकों या न्यायाधीशों के संघ शासन या लैण्डर में या कम्यूनों में चुनाव लड़ने के अधिकार को कानून द्वारा सीमित किया जाता है।

(2) संसदीय परिषद् (Parliamentary Council) द्वारा स्वीकृत चुनाव-कानून प्रथम बुन्देसटाग, प्रथम संघीय सम्मेलन तथा फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के प्रथम संघीय राष्ट्रपति के चुनाव पर लागू होगा।

(3) अनुच्छेद 42 के परिच्छेद (2) के अनुसार संघीय संवैधानिक न्यायालय के कार्य उस समय तक संयुक्त आर्थिक क्षेत्र के लिए जर्मन उच्च न्यायालय द्वारा किये जायेंगे जब तक संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाती उच्च न्यायालय कार्य विधि के नियम के अनुसार निर्णय देगा।

अनुच्छेद 138 लक्ष्य प्रमाणक

बाडेन, बवेरिया, व्यूरटमबर्ग-बाडेन तथा व्यूरटमबर्ग होहेनजोलर्न में लक्ष्य प्रमाणक से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों में परिवर्तन के लिए इन लैण्डर (राज्यों) की सम्मति आवश्यक होती। देखिए अनुच्छेद 23 की पाद टिप्पणी।

अनुच्छेद 139 मुक्ति-कानून

राष्ट्रीय समाजवाद तथा सैनिकवाद से जर्मन जनता की मुक्ति के सम्बन्ध में निर्मित कानून इस बसिक ला की व्यवस्थाओं से प्रभावित नहीं होंगे।

1 19 मार्च 1956 के संघीय कानून (फेडरल ला गजट 1 प 111) द्वारा संशोधित रूप

2 लिए परिशिष्ट

अनुच्छेद 140 वाईमार सविधान के अनुच्छेदों की वैधता

11 अगस्त 1919 म निर्मित जमन सविधान क अनुच्छेद 136 137 138 139 तथा 141 की व्यवस्थाए इस बेसिक ला की अविभाज्य अग होगी।

अनुच्छेद 141 ब्रेमेन धारा

अनुच्छेद 7 क परिच्छेद (3) का प्रथम वाक्य उस लण्ड म लागू नही होगा जहा 1 जनवरी 1949 म लण्ड कानून म भिन्न प्रकार की व्यवस्था थी।

अनुच्छेद 142 लण्ड सविधानों म मूल अधिकार

अनुच्छेद 31 की व्यवस्थाओ क बावजूद लण्ड-सविधानो के अन्तगत एसी व्यवस्थाए लागू रहगी जो बेसिक ला के अनुच्छेद 1 स 18 क अनुरूप हैं तथा मूल अधिकारो की गारण्टी देती हैं।

अनुच्छेद 142 ए[1] निरस्त किया गया

अनुच्छेद 143 निरस्त किया गया

अनुच्छेद 144 बेसिक ला की अधिपुष्टि-बुदेसरात तथा बुन्देसटाग में वर्णित के प्रतिनिधि

(1) इस बेसिक ला की अधिपुष्टि क लिए उन जमन लण्ड (राज्यो) की प्रतिनिधि सभाओ के दो तिहाई मत की आवश्यकता होगी जहां यह फिलहाल लागू होगा।

(2) जिस सीमा तक अनुच्छेद 23 के अन्तगत दी गई सूची म किसी भी लण्ड या उसक किसी हिस्स म इस बेसिक ला के लागू होने पर रोक है एसे लण्ड या उसक किसी हिस्स को अनुच्छेद 38 क अनुसार बुन्देसटाग म तथा अनुच्छेद 50 के अनुसार बुदेसराट मे प्रतिनिधि भेजन का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 145 बेसिक ला की घोषणा

(1) सवधानिक परिषद् ग्रेटर बर्लिन क प्रतिनिधियो सहित सावजनिक अधिवशन मे इस बेसिक ला की अधिपुष्टि को प्रमाणित करेगी तथा हस्ताक्षर करगी और उसकी घोषणा करेगी।

(2) घोषणा के दिन क अन्त स यह बेसिक ला लागू होगा।

(3) यह फडरल लॉ गजट म प्रकाशित होगा।

1 (अ) 26 माच 1954 क सशोध कानून (फडरल ला गजट I पृष्ठ 45) द्वारा जोडा गया तथा (ब) 24 जून 1968 क सशोध कानून (फडरल ला गजट I पृष्ठ 714) द्वारा निरस्त किया गया।

2 (अ) 19 माच 1956 क सशोध कानून ((फडरल ला गजट I पृष्ठ 111) द्वारा सशोधित तथा (ब) 24 जून 1968 क सशोध कानून (फडरल लॉ गजट I [illegible] 714) द्वारा निरस्त किया गया

अनुच्छेद 146 बेसिक ला की वधता की अवधि

यह बेसिक ला उस दिन समाप्त हो जायेगा जिस दिन समस्त जर्मन जनता स्वतन्त्र निर्णय द्वारा एक सविधान स्वीकृत कर लेगी।

बेसिक ला का परिशिष्ट

अनुच्छेद 136 (11 अगस्त 1919 का वाईमार सविधान)

(1) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तथा कर्त्तव्य न तो धार्मिक स्वतन्त्रता पर आधारित होंगे न उनके पालन पर उन पर रोक लगाई जायेगी।

(2) नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपभोग तथा सरकारी पद के लिए पात्रता धार्मिक मान्यता से स्वतन्त्र होगी।

(3) कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। कानून द्वारा आकडो के सर्वेक्षण के अन्तर्गत अधिकारो व कर्त्तव्यो को छोडकर सरकारी अधिकारी गण को किसी व्यक्ति के किसी धार्मिक संस्था की सदस्यता के बारे में जाच का अधिकार नही होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कृत्य के सम्पादन या समारोह में भाग लेने या धार्मिक कार्य में भाग लेने या धार्मिक शपथ लेने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 137 (11 अगस्त 1919 का वाईमार सविधान)

(1) कोई राजकीय चर्च नहीं होगा।

(2) धार्मिक संस्था बनाने सम्बन्धी संघ निर्माण की स्वतन्त्रता की गारण्टी है। राष्ट्र के प्रदेश के अन्तर्गत धार्मिक संस्थाओं का संघ बनाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा।

(3) सभी के लिए वैध कानून की सीमाओं के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक संस्था को स्वतन्त्रतापूर्वक नियम बनाने तथा प्रशासन का अधिकार होगा। वे राज्य या नागरिक समुदाय की जिम्मेदारी के बिना पद प्रदान करेंगे।

(4) नागरिक कानून (Civil Law) की सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार धार्मिक संस्थाएं कानूनी क्षमता प्राप्त करेंगी।

(5) धार्मिक संस्थाएं सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत उस सीमा तक समष्टि संस्थाओं के रूप में रहेंगी जिस सीमा तक वे अब तक ऐसे रूप में रही हैं। यदि अन्य धार्मिक संस्थाओं को संविधान तथा उसके सदस्य यह आश्वासन देते हैं कि वह स्थायी संस्था रहेगी तो उन्हें आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर वह अधिकार प्रदान किये जायेंगे। यदि कई धार्मिक संस्थाएं एक संगठन में एकत्रित होती हैं तो सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत ऐसा संगठन भी एक समष्टि संस्था होगा।

(6) जो धार्मिक संस्थाए सार्वजनिक कानून के अन्तर्गत समष्टि संस्थाए हैं उन्हें लण्ड-कानून के अनुसार नागरिक-कर सूची के आधार पर कर लगाने का अधिकार होगा।

(7) जिस संघ का उद्देश्य दार्शनिक विचारधारा का संवर्द्धन करना है उसका वही पद होगा जो एक समष्टि संस्था का है।

(8) इन व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ऐसे अन्य नियम लण्ड कानूनों पर आश्रित होंगे।

अनुच्छेद 138 (वाईमार संविधान)

(1) धार्मिक संस्थाओं को कानून या संविदा (Contract) या कानूनी अधिकार पर आधारित राज्य का अंशदान लण्ड-कानून द्वारा चुकाया जायेगा। राईश ऐसे चुकारे के लिए सिद्धान्तों की स्थापना करेगा।

(2) उपासना शिक्षा या दान के उद्देश्य के लिए धार्मिक संस्थाओं या संघों द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकार तथा उनकी संस्थाओं प्रतिष्ठानों आदि की अन्य सम्पदा के अधिकार की गारन्टी दी जाती है।

अनुच्छेद 139 (वाईमार संविधान)

रविवार तथा राज्य द्वारा मान्य छुट्टियाँ कानूनी रूप से आराम तथा आध्यात्मिक उन्नति के दिन के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी।

अनुच्छेद 141 (वाईमार संविधान)

जिस सीमा तक सेना अस्पतालों जेलों या अन्य सरकारी संस्थाओं में धार्मिक उपासना तथा आध्यात्मिक देख रेख की आवश्यकता विद्यमान है उस सीमा तक धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक कृत्य पूरा करने की स्वीकृति दी जायेगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।

□□□

परिशिष्ट II

Reichstag Elections 1871–1912

PARTY दल का नाम	1871 No Votes वोटो की सख्या	1871 No Deputies प्रतिनिधि	1874 No Votes वोटो की सख्या	1874 No Deputies प्रतिनिधि	1877 No Votes वोटो की सख्या	1877 No Deputies प्रतिनिधि	18/8 No Votes वोटो की सख्या	18/8 No Deputies प्रतिनिधि
No eligible voters मतदाताओ की सख्या	7 975 750		8 523 446		8 943 028		9 124 311	
कुल वध मत पड़े	4 134 299	397	5 259 155	397	5 535 785	397	5 811 159	397
Conservatives कन्जरवेटिव पार्टी	548 877	57	359 959	22	526 039	40	749 494	59
Reichspartei राईश पार्टी	627 229	67	431 376	36	426,637	38	785 855	57
National Liberals नेशनल लिबरल	1 171 807	125	1 542 501	155	1 469 527	128	1 330 643	99
Progressives प्रोग्रेसिव	361 150	47	469 277	50	597 529	52	607 339	39
Center सेन्टर	724,179	63	1 445 948	91	1 341,295	93	1 328 073	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poles पोल	176 072	13	199 273	14	219 159	14	210 062	14
Social Democrats सोशियल डेमोक्रट	123 975	2	351 952	9	493 288	12	437 158	9
Guelphs ग्युल्फ	60 858	7	92 080	4	96 335	4	102 574	10
Danes डेन	18 221	1	19 856	1	17 277	1	16 145	1
Alsace–Lorraine अल्सास लोरेन	234 545	15	234 545	15	199 976	15	178,883	15
Antisemites यहूदी विरोधी								
Other parties अन्य दल	66 670		36 636		14 153		14 721	

Continue 2

Reichstag Elections 1871–1912 (*Contd*)

PARTY	1881		1884		1887		1890	
	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies
No eligible voters	9 088 792		9 383 074		9 769 802		10 145 877	
No valid votes cast	5 301 242	397	5 811 973	397	7 527 601	397	7 298 010	397
Conservatives	830 807	50	861 063	78	1 147 200	80	695 103	73
Reichspartei	379 347	28	387 687	28	736 389	41	482 314	20
National Liberals	746 575	47	997 033	51	1 677 979	99	1 177 807	42
Progressives	1 181 865	115	1 09 895	74	1 061 922	32	1 307 485	76
Center	1 182 873	100	1 282 006	99	1 516 222	98	1 342 113	106
Poles	194 894	18	206 346	16	221 825	13	246 800	16
Social Democrats	311 961	12	549 990	21	763 128	11	1 427 298	35
Guelphs	86 704	10	96 400	11	112,800	4	112 100	11
Danes	14 398	2	14 400	1	12 360	1	13 700	1
Alsace Lorraine	152 991	15	165 600	15	233 685	15	101 156	10
Antisemites					11 496	1	47 500	5
Other parties	13 010		12 700		47 600	2	74 600	2

Continue

Reichstag Elections 1871–1912 (*Contd*)

PARTY	1893		1898		1903		1907		1912	
	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies	No Votes	No Deputies
No eligible voters	10 628 292		11 441 094		12 531 210		13 352 990		14 441 436	
No valid votes cast	7,673 973	397	7 752 693	397	9 495 586	397	11,262 829	397	12,207 529	397
Conservatives	1 038 353	72	859 222	56	948 448	54	1 060 209	60	1,126 270	43
Reichspartei	438 435	28	343 642	23	333 404	21	471,863	24	367,156	14
National Liberals	996 980	53	971,302	46	1 317 401	51	1 637 581	54	1 662 670	45
Progressives	1 091 677	48	862,524	49	872 653	36	1 233 933	49	1 497 041	42
Center	1 468 501	96	1 455,139	102	1 875 273	100	2 179 743	105	1 996 843	91
Poles	229 531	19	244 128	14	347 784	16	453 858	20	441 644	18
Social Democrats	1 786,738	44	2 107 076	56	3 010 771	81	3 259 029	43	4 250,401	110
Guelphs	101 800	7	105 200	9	94 252	6	78 232	1	84 618	5
Danes	14 400	1	15 400	1	14 843	1	15 425	1	17 289	1
Alsace Lorraine	114 700	8	107 400	10	101 921	9	103 626	7	162 007	9
Antisemites	263 8(1	1(	284 250	13	244 543	11	248 534	16	104 538	3
Other parties	129 000	5	397 500	18	267 142	11	319 574	14	497 252	16

Note

1 The numb r of v t s cast is f r the valid votes c t

2 The number f v t s f r the R ich partei for th first two electi ns includes also the Lib kel

3 Under Progressives are included the several facti ns which went under changing names and which were eventu ally all united into the one Progr ssive party

4 The sources for the e returns are the Statistisches Jahrbu h Statistik des deutschen Reichs which Viertel jahrshefte fur Statistik des deutsch n Reichs

परिशिष्ट–III

Reichstag Elections 1919–1933

PARTY दलो के नाम	राष्ट्रीय संविधान सभा जनवरी 1919 Total Votes कुल वोट	प्रतिशत	No Deputies प्रतिनिधि	जून 6 1920 Total Votes कुल वोट	% प्रतिशत	No Deputies प्रतिनिधि	मई 4 1924 Total Votes कुल वोट	/ प्रतिशत	No Deputies प्रतिनिधि
No eligible voters कुल मत	36 766 500		423	35 949 800		459	38 375 000		472
No valid votes cast कुल मत पड	30 400,300	82 7		28 196 300	78 4		29,281 800	76 30	
Majority Socialists मेजोरेटी सोशलिस्ट	11 509 100	37 9	165	6 104 400	21 6	102	6 008 900	20 5	100
Independent Socialists इन्डिपेन्डेन्ट सोशलिस्ट	2 317 300	7 6	22	5 046 800	17 9	84			
Communist party साम्यवादी दल				589 500	2 1	4	3 693 300	12 6	62
Center	5 980 200	19 7	91	3 845 000	13 6	64	3 914 400	13 4	65
Bavarian People s Party बवेरिया जनता पार्टी				1 238 600	4 4	21	946 700	3 2	16
Democrats डेमोक्रट	5 641 800	18 6	75	2 333,700	8 3	39	1,655 100	5 7	28
People's party जनता पार्टी	1,345,600	4 4	19	3,919,400	13 9	65	2 694 400	9 2	45
Wirtschaftspartei आर्थिक पार्टी	275 100	0 9	4	218 600	0 8	4	693 600	2 4	10

Contd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nationalists राष्ट्रवादी	3 121 500	10 3	44	4 249 100	14 9	71	5 696 500	19 5	95
Christlich soz Volksdienst ईसाई सेवा संघ							574 900	1 9	10
Land bund राज्य-संघ									
Christlich natl Bauern u Landvolk ईसाई राष्ट्रवादी किसान संघ									
Deutsch Hannov Partei जर्मन हनोवर पार्टी	77 200	0 2	1	319 100	0 9	5	319 800	1 0	5
Deutsche Bauernpartei जर्मन कृषक दल							1 918 300	6 5	32
National Socialists नात्सी							1 165 900	4 0	4
Other parties अन्य दल	132 500	0 4	2	332 100	1 6				

Contd

PARTY	December 7 1924 Total Votes	/	No deputies	May 20 1928 Total Votes	/	No deputies	September 14 1930 Total Votes	/	No deputies
No eligible voters	38 987 300		493	41 224 700		491	42 957 700		577
No valid votes cast	30 290 100	77 69		30 753 300	74 60		34 970 900	81 41	
Majority Socialists	7 881 000	26 0	131	9 153 000	29 8	153	8,517 700	24 5	143
Independent Socialists									
Communist party	2 709 100	9 0	45	3 264 800	10 6	54	4 592 100	13 1	77
Center	1 118 900	13 6	69	3 712 200	12 1	62	4 127,900	11 8	68
Bavarian People s Party	1 134 000	3 7	19	945 600	3 0	16	1 059 100	3 0	19
Democrats	1,919 800	6 3	32	1 505 700	4 9	25	1 322 400	3 8	20
People s party	3 049 100	10 1	51	2 679,700	8 7	45	1 578 200	4 5	30
Wirtschaftspartei	1 005 400	3 3	17	1 397,100	4 5	23	1 362 400	3 9	23
Nationalists	6 205,800	20 5	103	4,381 600	14 2	73	2,458,300	7 0	41
Christlich soz Volksdienst							868 200	2 5	14
Landbund	499 400	1 6	8	199 500	0 6	3	194 000	0 5	3
Christlichnatl Bauern u Landvolk				581 800	1 8	10	1 108 700	3 0	19
Deut ch Hannov Partei	262 700	0 8	4	195 600	0 5	3	144,300	0 4	3
Deutsche Bauern Partei				481 300	1 5	8	339 600	1 0	6
National Socialists	907 300	3 0	14	810 100	2 6	12	6 409 600	18 3	107
Other parties	597 600	2 0		1 445 300	4 8	4	1 073 500	3 1	4

Contd

PARTY	July 31 1932 Total Vote		No deputies	November 6 1932 Total Votes		No deputies
No. eligible voters	44 226 800		608	44 373 700		584
No. valid votes cast	36 882 400	83 39			79 93	
Majority Socialists	7 959 700	21 6	133	7 248 000	20 4	121
Independent Socialists						
Communist party	5 ?? 600	14 (	89	5 9 0 200	16 9	100
Center	4 589 300	12 5	75	4 230 000	11 9	70
Bavarian People's party	1 192 700	3 2	22	1 094 600	3 1	20
Democrats	371 900	1 0	4	336 500	1 0	2
People's party	436 000	1 2	7	661 800	1 9	11
Wirtschaftspartei	146 900	0 4	2	110 300	0 3	1
Nationalists	2 177 400	5 9	37	2 959 000	8 8	52
Christlich soz. Volksdienst	405 300	1 1	3	412 500	1 2	
Landbund	96 900	0 2	2	105 200	0 3	2
Christlich natl. Bauern u. Landvolk	90 600	0 2	1	46 400	0 1	
Deutsch Hannov. Partei	40)00	0 1		64 000	0 2	1
Deutsche Bauern Partei	137 100	0 3	2	149 000	0 4	
National Socialists	13 745 800	37 4	230	11 737 000	33 1	196
Other parties	342 500	0 9	1	74) .00	2 2	

(Contd)

PARTY	March 5, 1933 Total Votes	%	No deputies	November 12, 1933 Total Votes	%	No deputies
No eligible voters	44,685 800		647	45 141,900		661
No valid votes cast		88 04			95 2	
Majority Socialists	7 181 600	18 3	120			
Independent Socialists						
Communist party	4 848 100	12 3	81			
Center	4 424 900	11 7	74			
Bavarian People s party	1 073 600	2 7	18			
Democrats	334,200	0 8	5			
People s party	432,300	1 1	2			
Wirtschaftsparty						
Nationalists	3 136 800	8 0	52			
Chrislich soz Volksdienst	384 000	1 0	4			
Landbund	83 800	0 2	1			
Chrislich natl Bauern u Landvolk						
Deutsch Hannov Partei	47 700	0 1				
Deutsche Bauernpartei	114 000	0 3	2			
National Socialists	17 277 200	43 9	288	39 638 800	92 2	661
Other parties	136 646	0 3				

No invalid votes 3 349 363

सदर्भ ग्रथ–सूची

Ad nauer Konrad World Indivisible (NewYork 1955)
Alexander Edgar Adenauer and New Germany (NewYork 1957)
Almond Gabriel A (ed) The Struggle for Democracy in Germany Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1949
Allemann F R Bonn ist nicht Weimar (Koeln 1956)
Andrews William G (ed) European Political Institutions (NewYork 1966)
Asopa D N Political System of West Germany (Meerut 1973)
B entano Heinrich von Germany and Europe Reflections on German Foreign Policy Trans by Andre Deut ch New York Praeger (1964)
Butler Ewan City Divided Berlin—1955 NewYork Praeger 1955
Brandt Willy A Peace Policy for Europe (London 1969)
Brandt Willy Peace (Bonn Badgodesbeg 1971)
Chalmers Douglas A The Social Democratic Party of Germany (New Haven Yale Univ Press 1964)
Chamberlin William Henry The German Phoenix (New York Duell Sloan and Pearce 1963)
Clay Lucius D Decision in Germany (Carden City Double day 1950)
Clay Lucius D Germany and the Fight for Freedom (Cambridge Harvard Univ Press 1950)
Conant James Bryant Germany and Freedom A Personal Appraisal (Cambridge Harvard Univ Press 1958)
Connor Sidney and Carl J Friedrich (eds) Military Govern ment January 1950 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Deals chiefly with Germany
Davison W Phillips The Berlin Blockade : A Study in Cold War Politics (Princeton Princeton Univ Press 1958)

Deutsch Karl W and Lewi J Edinger *Germany Rejoins the Powers (Stanford Stanford Univ Press 1959)*

Documents on the Status of Berlin 1943–1963 Ed by *Guentner Hindrichs and Wolfgang Heidelm yer* (Munich Oldenbourg 1964)

Dornberg John **The Other Germany** *(Garden City* N Y Doubleday 1968)

Dulles Eleanor Lansing **Berlin The Wall Is Not Forever** (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1967)

Edinger Lewis J **Politics in Germany Attitudes and Processes** (Boston Little Brown 1968)

Federal Republic of Germany The German Bundesrat By Albert Pfitzer Bonn Press and Information Office 1966

Feld Werner **Reunification and West German Soviet Relations** (The Hague Nijhoff 19·3)

Frederiksen Oliver J **The American Military Occupation of Germany** 1945–1953 (Washington Historical Division of the Army 1953)

Freund *Gerald* **Germany Between Two Worlds** *(New York* Harcourt Brace 1961)

Freymond Jacques **The Saar Conflict 1945–195** (New York Praeger 1960)

Friedrich Carl J **The Soviet Zone of Germany** (New Haven Human Relations Area Files Inc 1956)

Friedrich Carl J et al **American Experiences in Military Government in World War II** (New York Rinehart 1948 Chapters 9–13)

Gillen J F J **State and Local Government in West Germany 1945 1953 With Special Reference to the U S Zone and Bremen** (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1953)

Golay John F rd **The founding of the Federal Republic of Germany** (Chicago Univ of Chicago Press 1958)

Great Britain Central Office of Information **The Reunification of Germany : Attempts to Reach a Settlement 1945–1960** (London Swindon Press 1960)

Grosser Alfred **The Colossus Again Western Germany from Defeat to Rearmament** Trans by Richard Rees (New York Praeger 1955)

Grosser Alfred The Federal Republic of Germany A Conci e History Tran by Nelson Aldrich (New York Praeger 1964)

Grotkopp Wilhelm et al (eds) Germany 1945/1954 (Schaan Liechtenstein Boa International Publishing Co (1954))

Handbook of Statistics for the Federal Republic of Germany (Wiesbaden Fod Statistical Office 1957)

———Germany Reports Ed by Helmnt Arntz (Wiesbaden Franz Steiner Verlag 4th ed 1966)

Hangen Welles The Muted Revolution East Germany Challenge to Russia and the West (New York Knopf 1966)

Hanreider Wolfram F West German Foreign Policy 1949-1963 International Pressure and Domestic Response (Stanford Stanford Univ Pres 1967)

Hanhardt Arthur M Jr German Democratic Republic (Baltimore Johns Hopkins Press 1968)

Hartmann Frederick H Germany Between East and West The Reunification Problem (Englewood Cliff Prentice Hall 1965)

Heidenheimer Arnold J Adenauer and the CDU (The Hagu Nijhoff 1960)

Heidenheimer Arnold J The Government of Germany (New York Crowell 2nd ed 1966)

Herz John H The Government of Germany (New York Harcourt Br ce and World 1967)

Hiscocks Richard Democracy in Western Germany (New York Oxford Uni Press 1957)

Howley Frank L Berlin Command (New York Putnam 1950)

Hubsch Walter (ed) The German Question (A Documentary) Trans by Salvator Attanasio (New York Herder Book Center 1967)

Keller John W Germany the Wall and Berlin International Politics Durin An International Crisis (New York Vantage 1964)

King Hall Steph n and Richard K Ullmann German Parliaments A Study of the Development of Representati e Institutions in Germany (New York : Praeger 1954)

Kitzinger Uwe W German Electoral Politics—A Study of the 1957 Campaign (Oxford Clarendon Press 1960)

Lane John C and James K Pollock Source Materials on the Government and Politics of Germany (Ann Arbor : Wahrs Pub Co 1964)

Leifer Walter India and the Germans 500 Years of Indo-German Contact (Bombay (1971))

Legien Rudolf Roman The Four Power Agreements on Berlin Alternative Solutions to the Status Quo ? Trans by Trevor Davies (Berlin Carl Heymanns (1960))

Lewis Harold O New Constitutions in Occupied Germany (Washington Foundation for Foreign Affairs Pamphlet No 6 1948)

Litchfield Edward H and Associates Governing Postwar Germany (Ithaca Cornell Univ Press 1953)

Mc Clellan Grant S (ed) The Two Germanies (London Wilson 1959)

McInnis Edgar et al The Shaping of Postwar Germany (New York Praeger 1960)

McWhinney Edward Constitutionalism in Germany and the Federal Constitutional Court (Leyden Sythoff 1967)

Merkatz Hans Joachim von and Wolfgang Metzner Germany Today Facts and Figures (Frankfurt (Main) Alfred Metzner Verlag 1954)

Merkl Peter H Germany Yesterday and Tomorrow (New York Oxford Univ Press 1965)

Merkl Peter H The Origin of the West German Republic (New York Oxford Univ Press 1963)

Meyer Ernest Wilhelm Political Parties in Western Germany (Washington European Affairs Division Library of Congress 1951)

Montogomery John D Forced to be Free The Artificial Revolution in Germany and Japan (Chicago Univ of Chicago Press 1957)

Morgenthau Hans J (ed) Germany and the Future of Europe (Chicago Univ of Chicago Press 1951)

Nettl J P The Eastern Zone and Soviet Policy in Germany 1945-1950 (New York Oxford Univ Press 1951)

Neumann Franz L German Democra y 1950 (New York : Carne ie Endowment International Conciliation No 461 May 1950)

Neumann Robert G The Government of the German Federal Republi (New York Harper and Row 1966)

Noelle Elisabeth and Erich Peter Neumann (eds) The Germans Public Opinion Polls 1947–1966 Allensbach and Bonn Verlag fur Demoskopie 1967)

Office of Military Government (U S) Documents on the Creation of the German Federal Constitution (Berlin OMGUS 1949)

———————— *Land and Local Government in the United States Zone in Germany* (Frankfurt (Main) OMGUS 1947)

———————— Statistical Handbook on Potsdam Germany (Berlin OMGUS 1947)

Office of the U S High Commissioner for Germany Elections and Political Parties in Germany 1945 1952 (Frankfurt (Main) HICOG 1952)

———————— *Germany s Parliament in Action* (Frankfurt (Main) HICOG 1950)

———————— *Quarterly Report on Germany Ten Reports* September 21 1949 March 31 1952 (Bad Godesberg/ Mehlem Germany HICOG 1949–1952)

———————— *Report on Germany Sept 21 1949 July 31 1952 (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)*

Oppen Beate Ruhm von (ed) Documents on Germany Under Occupation 1945–1954 (New York *Oxford Univ Press 1955)*

Pinney Edward L Federalism Bureaucracy and Party Politics in Western Germany The Role of the Bundesrat (Chapel Hill : *Univ of North Carolina Press 1967)*

Planck Charles R The Changing Status of German Reunification in Western Diplomacy 1955–1966 *Baltimore John Hopkins Press 1967)*

Plischke Elmer The Allied High Commission for Germany (*Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1953)*

Plischke Elmer Berlin Development of Its Government and Administration (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)

Plischke Elmer Allied High Commission Relations with the West German Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1952)

Plischke Elmer Government and Politics of Contemporary Berlin (The Hague Nijhoff 1963)

Plischke Elmer History of the Allied High Commission for Germany Its Establishment Structure and Procedures (Bad Godesberg/Mehlem Germany HOCOG 1951)

Plischke Elmer Konrad Adenauer Legator of the West German Governmental System pp 155–202 Statesmen and Statecraft of the Modern West ed by Gerald N Grob (Barre Mass Barre Pub 1967)

Plischke Elmer Revision of the Occupation Statute for Germany (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)

Plischke Elmer The West German Federal Government (Bad Godesberg/Mehlem Germany HICOG 1952)

Pollock James K et al German Democracy at Work : (A Selective Study Ann Arbor Univ of Michigan Press 1955)

Pollock James K and Homer Thomas Germany in Power and Eclipse The Background of German Development (New York Van Nostrand 1952)

Pollock James K Jame H Meisel and Henry L Bretton (eds) Germany Under Occupation Illustrative Materials and Documents rev ed Ann Arbor Wahr Pub Co 1949 (earlier ed 1947)

Postwar Reconstruction in Western Germany November 1948 Issue of Annals of the American Academy of Political and Social Science Includes articles by German writers

Pounds Norman J G Divided Germany and Berlin (Princeton Van Nostrand 1962)

Prittie Terence C F Germany Divided The Legacy of the Nazi Era (Boston Little Brown 1960)

Ritter Gerhard The German Problem Basic Questions of German Political Life Past and Present Trans by Sigurd Burckhardt (Columbus Ohio State Univ Press 1965)

Robson Charles B (trans and ed) **Berlin Pivot of German Destiny** (Chapel Hill Univ of North Carolina Press 1960)

Russell Frank M **The Saar Battleground and Pawn** (Stanford Stanford Univ Press 1951)

Schmertzing Wolfgang P von (trans and ed) **Outlawing the Communist Party A Case Hisotry** (New York The Bookmailer 1957)

Schroder Gerhard **Decision for Europe** (London Thames and Hudson 1964)

Smith Bruce L R **The Governan e of Berlin** (New York *Carnegie Endowment International Conc l at on No 575* November 1959)

Speier Hans Divided Berlin **The Anatomy of Soviet Political Blackmail** (New York Praeger 1961)

Speier Hans and W Phillip Divison (eds) **West German Leadership and Foreign Policy** (Evanston Row Peterson 1957)

Stahl Walter (ed) **The Politics of I ostwar Germany** (New York Praeger 1963)

Stanger Roland J (ed) **West Berlin The Legal Context** (Columbus Ohio State Univ Press 1966)

Szaz Zoltan Michael *Germany s Eastern Frontiers (The Problem of the Order Neisse Line* Chicago Regnery 1960)

Trossmann Hans **The German Bundestag : Organization and Operation** (Darmstadt and Bad Homburg Neue Darmstadter Verlagsanstalt 1965)

United States Department of State ***Corfuse and Control*** **Soviet Techniques in Germany** Department of State Publication 4107 Washington Government Printing Office 1951

——— **East Germany Under Soviet Control** Department of State Publication 4596 Washington Government Printing Office 1952

——— **Germany 1947-1949 The Story In Documents** Department of State Publicati n 3556 Washington Government Printing Office 1950

——— The United States and Germany 1945–1955 Department of State Publication 5827 Washington Government Printing Office 1955

United States Senate Documents on Germany (1944–1961 87th Cong 1st Sess 1961)

——— Tension Within the Soviet Capture Countries Soviet Zone of Germany 83rd Cong 1st Sess Sen Document No 70 Part 3 1954

Vali Ferenc A The Quest for a United Germany (Baltimore Johns Hopkins Press 1967)

Waldman Eric The Goose Step Is Verboten The German Army Today (New York Free Press 1964)

Wallenberg Hans Report on Democratic Institutions in Germany New York American Council on Germany 1956

Wallich Henry C Mainsprings of the German Revival New Haven Yale Univ Press 1955

Well Roger H The States in West German Federalism A Study of Federal-State Relations 1949–1960 (New York Bookman 1961)

Wolfe James H Indivisible Germany Illusion or Reality ? (The Hague Nijhoff 1963)

Zink Harold The United States in Germany 1944–1955 (Princeton Van Nostrand 1957)

□□□